सप्तम माला, 11 August 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 47 सोमवार, 11 अगस्त, 1980/20 श्रावण, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1–42
*तारांकित प्रश्न संख्या – 921 से 926	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	42-233
*तारांकित प्रश्न संख्या 927 से 940	
अतारांकित प्रश्न संख्या 7498 से 7697	
सदस्यों की गिरफ्तारी, दोष सिद्धि और रिहाई के बारे में	233–236
सभा पटल पर रखे गये पत्र	236–237
राज्य सभा से संदेश	237
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :	238–257
कर्नाटक में विजयनगर इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य पूरा करने में कथित विलम्ब	
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	238–240
श्री प्रणव मुखर्जी	240
श्री जनार्दन पुजारी	240–243
श्री के० लकप्पा	243
श्री एच० एन० नन्जे गौडा	243
भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भेजी गई चीनी के गायब हो जाने के समाचार के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	258–260
प्रो० मधु दण्डवते	258
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	258–260
कच्चे काजू की आयात नीति के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	260–262
प्रो० पी० जे० कुरियन	268
श्री प्रणव मुखर्जी	261–262
समिति के लिये निर्वाचन	262
प्रक्कलन समिति	262

विषय	पृष्ठ
श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी सस्थान, त्रिवेन्द्रम विधेयक–पुरःस्थापित	263
नियम 377 के अधीन मामले :	263–268
(1) "समाचार" में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान श्री राम विलास पासवान	263
(2) पश्चिम रेलवे के रतलाम कोटा डिवीजन में रेल सुविधा श्री सत्यनारायण जाटिया	264
(3) केरल को सीमेंट के कोटे का आवंटन श्री ई० के० इम्बीचीबावा	264–265
(4) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग न किये जाने के समाचार श्री दिलीप सिंह भूरिया	265
(5) हिमाचल प्रदेश की रेणुका-चौपाल और शिलाई तहसीलों का विकास श्री कृष्ण दत्त	260
(6) राजस्थान में निर्धन किसानों को तकावी ऋण देना श्री राजेश पायलट	266
(7) रेलवे के प्लाटों का नीलाम करने सम्बन्धी रेलवे की नीति श्री नारायण चौबे	266
(8) राजस्थान के अकालग्रस्त भागों को तुरन्त अनाज भेजना श्री भीखाभाई	267
(9) पंजाब में उपलब्ध आवश्यकता से अधिक धान की खरीद श्री पी० राजगोपाल नायडू	267
(10) स्वतंत्रता सेनानी राजा महेन्द्र प्रताप की समाधि का संरक्षण करने की आवश्यकता श्री दिगम्बर सिंह	267–268
डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक-विचार किये जाने का प्रस्ताव :	269–285
श्री गिरधारी लाल व्यास	269–273
श्री मूल चन्द डागा	273–274
श्री इन्द्रजीत गुप्त	274–277
श्री जेवियर अराक्कल	278–281
श्री हरिकेश बहादुर	281–283
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	283–285

विषय	पृ०
खण्ड 2 से 5 और 1 पारित किये जाने का प्रस्ताव	285–287
श्री ए० पी० शर्मा	
टी० आर० शमन्ना	
त्रिपुरा के बारे में दिनेश सिंह समिति का प्रतिवेदन	
श्री योगेन्द्र मकवाना	
दिनांक 12 अगस्त, 1980 को लोक सभा के अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने के बारे में	287–289
प्राकृतिक संसाधनों के निरन्तर ह्रास, आवास प्रदूषण और पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के बारे में चर्चा	289–333
श्री दिग्विजय सिंह	289–302
डा० के० पी० सिंह देव	302–305
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	306–307
श्री ई० बालानन्दन	309–311
श्रीमती इन्दिरा गांधी	311–314
श्री कृष्णदत्त	315–318
श्री राम जेठमलानी	318–320
श्री एम० सत्यनारायण राव	320–322
श्री नारायण चौबे	323–324
श्री लक्ष्मण कर्मा	324–325
श्री पी० नामग्याल	325-326
श्री राम लाल राही	326–328
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर	328–330
श्री राम विलास पासवान	330–332
श्री विजय एन० पाटिल	333
आधे घंटे की चर्चा:	333
उत्तर बिहार में खोई पर आधारित कागज उद्योग	
श्री हरिनाथ मिश्र	333–348
श्री चरणजीत चानना	440–343
श्री हरिकेश बहादुर	343
श्री रामावतार शास्त्री	343–345
श्री राम विलास पासवान	345–349
राज्य सभा से संदेश	350–357

लोक सभा

———

सोमवार, 11 अगस्त, 1980/20 श्रावण, 1902 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चीनी का वितरण

*920. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी राशन कार्डों द्वारा समान रूप से वितरित की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा में चीनी सप्लाई की जा रही है;

(ग) इस असमान वितरण के क्या कारण हैं; और

(घ) देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति को चीनी समान मात्रा में किस सम्भावित तारीख से वितरित की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, नहीं । केवल 20 राज्य/संघ शासित प्रदेशों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी के वितरण की मात्रा समान है ।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सप्लाई की जा रही चीनी की प्रति व्यक्ति मात्रा का विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) दिसम्बर, 1979 में चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति को पुनः लागू करते समय अगस्त, 1978 में चीनी से नियंत्रण हटाने से पूर्व की आंशिक नियंत्रण की गत अवधि के दौरान

विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को आवंटित किए गए लेवी चीनी के मासिक कोटों को बहाल कर दिया गया था और राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे संबंधित राज्यों में विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से उनको आवंटित किए गए कोटों को वितरित करने की ऐसे तरीके से व्यवस्था करें जैसाकि वे उपयुक्त समझते हैं। चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट होने की दृष्टि में ऐसा करना आवश्यक समझा गया था जिससे राज्य सरकारें अपने वर्तमान कोटों के अन्दर-अन्दर लेवी चीनी के वितरण का समायोजन कर सकें।

(घ) फिलहाल सरकार वर्तमान वितरण प्रबंधों की समीक्षा करने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

अनुबन्ध

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लेवी चीनी के वितरण की मात्रा को बताने वाला विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश : लेवी चीनी का जिलावार आवंटन विनियंत्रण से तुरन्त पूर्व किए गए आवंटन पर आधारित है। हैदराबाद और सिकन्दराबाद के दोनों शहरों में 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास बशर्ते कि कम आय के कार्डधारियों के प्रत्येक परिवार के लिए 3 किलो से अधिक न हो और 1 किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास बशर्ते कि 650/– रु० और उससे अधिक की प्रति मास आय के अधिक आय ग्रुप के कार्डधारियों के प्रत्येक परिवार के लिए 6 किलोग्राम से अधिक न हो।

2. असम : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास समान आधार पर।

3. बिहार : 875 ग्राम प्रति व्यक्ति— शहरी क्षेत्र।
356 ग्राम प्रति व्यक्ति – ग्रामीण क्षेत्र।

4. गुजरात : जून, 1980 के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास। मई, 1980 में अग्रिम आवंटन से इस मात्रा को बढ़ाकर 550 ग्राम प्रति व्यक्ति कर दिया गया था।

5. हरियाणा : राशन कार्डों के प्रति शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए समान रूप से 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास।

6. हिमाचल प्रदेश : 400 ग्राम प्रति व्यक्ति। जून, 1980 से इसे बढ़ाकर 500 ग्राम प्रति व्यक्ति कर दिया गया। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं में कोई भेद-भाव नहीं है।

7. जम्मू और काश्मीर : शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति मास 400 ग्राम की समान मात्रा।

8. केरल : राज्य भर में राशन कार्डों से समान रूप से प्रति व्यक्ति प्रति मास 450 ग्राम ।

9. कर्नाटक : शहरी क्षेत्र–425 ग्राम से 1 किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास । ग्रामीण क्षेत्र–300 ग्राम से 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास ।

10. मध्य प्रदेश : शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति मास 450 ग्राम । पिछली बची चीनी प्राप्त होने के कारण मई, 1980 में शहरी क्षेत्रों में इसे बढ़ाकर 750 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कर दिया गया था ।

11. महाराष्ट्र : राज्य भर में प्रति व्यक्ति प्रति मास 425 ग्राम । मई अथवा जून, 1980 में एक बार आवंटन प्राप्त किए जाने के रूप में इसे बढ़ाकर 500 ग्राम प्रति व्यक्ति कर दिया गया ।

12. मणिपुर : (i) इम्फाल म्यूनिसिपैलिटी के क्षेत्र में जहां पर राशन कार्ड प्रणाली लागू है । — राशन कार्ड के प्रति प्रति व्यक्ति प्रति मास 400 ग्राम ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कोई प्रणाली लागू नहीं है और वितरण राशनिंग एजेन्टों के माध्यम से किया जाता है । — 1000 की जनसंख्या के लिए 3 क्विंटल प्रति मास तथा साथ में 500 व्यक्तियों की प्रत्येक वृद्धि पर एक क्विंटल अतिरिक्त मात्रा दी जाती है । बशर्ते कि यह मात्रा 6 क्विंटल प्रति मास से अधिक न होने पाए ।

(iii) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वितरण प्रति मास एक मुश्त आधार पर निम्न प्रकार किया जाता है :

(1) पूर्वी जिला	150 क्विंटल
(2) उत्तरी जिला	200 क्विंटल
(3) पश्चिमी जिला	100 क्विंटल
(4) दक्षिणी जिला	200 क्विंटल
(5) टैंगनोनपाल जिला	100 क्विंटल
(6) जिरीबाग उप-प्रभाग	50 क्विंटल

13. मेघालय : शहरी क्षेत्र–400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास । ग्रामीण क्षेत्र—200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास ।

14. **नागालैंड :** राज्य सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

15. **उड़ीसा :** शहरी क्षेत्रों में :

(1) "ए" क्लास कार्ड	1 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास लेकिन 5 किलो-ग्राम प्रति परिवार ।
(2) "बी" क्लास कार्ड	750 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास लेकिन 3 किलो-ग्राम 750 ग्राम प्रति परि-वार प्रति मास ।
ग्रामीण क्षेत्र :	425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास ।

10. **पंजाब :** शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति मास 400 ग्राम । इस मात्रा को तदर्थ आधार पर बढ़ाकर मार्च, 1980 में प्रति व्यक्ति 600 ग्राम और मई, 1980 में प्रति व्यक्ति 800 ग्राम कर दिया गया था ।

17. **राजस्थान :** शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति मास 425 ग्राम । कलक्टर उपलब्धता के अनुसार मात्रा में वृद्धि करते हैं ।

18. **सिक्किम :** शहरी क्षेत्रों में प्रति यूनिट प्रति मास 1 किलोग्राम । ग्रामीण क्षेत्रों में कूपन पर प्रति हैड 1 किलोग्राम ।

19. **तमिलनाडु :**

(1) मद्रास शहर और अन्य जिला मुख्यालय	5 किलोग्राम प्रति कार्ड प्रति मास ।
(2) अन्य म्यूनिसिपैलिटीज और टाऊनशिप्स	3 किलोग्राम प्रति कार्ड प्रति मास ।
(3) टाऊन पंचायतें और ग्रामीण क्षेत्र	1 किलोग्राम प्रति कार्ड प्रति मास ।

मई, 1980 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कार्ड 1 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी दी गई थी ।

20. **त्रिपुरा :** 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास ।

21. **उत्तर प्रदेश :**

(1) नैनीताल जिले में	शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 1 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति मास ।
(2) अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी,	(क) शहरी क्षेत्र 1 किलो प्रति यूनिट प्रति मास ।

	पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल जिले	(ख) ग्रामीण क्षेत्र : 500 ग्राम प्रति यूनिट प्रति मास।
	(3) अन्य जिलों के नगर महापालिका और नगर पालिका क्षेत्रों में	1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास।
	(4) पुलिस, पी० ए० सी० मैस, विद्यार्थी होस्टल मैस, सरकारी अस्पतालों के इनडोर वार्ड्स के यूनिट 3 रोगी	1 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति मास।
	(5) अधिसूचित क्षेत्रों में	750 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास।
	(6) नगर क्षेत्र में	508 ग्राम प्रति यूनिट प्रति मास।
	(7) मैदानों के ग्रामीण क्षेत्रों में :	
	(i) 4 यूनिट्स तक के राशन कार्डों पर	1 किलोग्राम प्रति मास।
	(ii) 5 से 9 यूनिटों के राशन कार्डों पर	2 किलोग्राम प्रति मास।
	(iii) 9 यूनिटों से अधिक के राशन कार्डों पर	3 किलोग्राम प्रति मास।
22. पश्चिमी बंगाल :	(क) कलकत्ता काम्प्लेक्स तथा दुर्गापुर के सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में	शिशु अथवा व्यस्क में भेद-भाव किए बिना प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह 100 ग्राम।
	(ख) अन्य क्षेत्रों में	75 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह।

2-6-80 से केवल 4 सप्ताहों के लिए सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह 200 ग्राम और अन्य क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह 100 ग्राम की बढ़ी हुई दरों पर लेवी चीनी का वितरण शुरू किया गया।

23. **अण्डमान द्वीप समूह :** शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए राशन कार्डों पर समान मात्रा में प्रति व्यक्ति प्रति मास 900 ग्राम ।

24. **अरुणाचल प्रदेश :** 900 ग्राम प्रति व्यक्ति (वयस्क) प्रति मास ।

25. **चंडीगढ़ :** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 600 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास ।

20. **दादर तथा नागर हवेली :** शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए राशन कार्डों पर वितरण की मात्रा समान है । संघ शासित प्रदेश भर में राशन कार्डों पर प्रति व्यक्ति प्रति मास 500 ग्राम ।

27. **दिल्ली :** शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति मास 900 ग्राम ।

28. **गोआ दमन और दीव** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए राशन कार्डों पर समान रूप से प्रति व्यक्ति प्रति मास 400 ग्राम ।

29. **लक्षद्वीप :** राशन कार्डों पर प्रति व्यक्ति प्रति मास 1 किलोग्राम ।

30. **मिजोरम :** ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में राशन कार्डों पर चीनी का वितरण समसन रूप से 425 ग्राम प्रति वयस्क प्रति मास की दर से किया जाता है ।

31. **पांडिचेरी :** (1) पांडिचेरी और कारिकल क्षेत्रों में :

"ए" और "बी" कार्डधारियों के लिए	4 किलोग्राम ।
"सी" कार्डधारियों के लिए	3 किलोग्राम ।
"डी" कार्डधारियों के लिए	1 किलोग्राम ।

(2) महे क्षेत्र में : प्रति वयस्क 1 किलोग्राम और शिशु के लिए 1/2 किलोग्राम की दर से समान सप्लाई लेकिन प्रति कार्ड 6 किलोग्राम से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए ।

(3) यनम क्षेत्र में :

"ए" "बी" और "सी" कार्डधारियों के लिए	1 किलोग्राम प्रति वयस्क और 1/2 किलोग्राम प्रति शिशु लेकिन 7 किलोग्राम से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए ।

"डी" कार्डधारियों के लिए	1/2 किलोग्राम प्रति वयस्क और 1/4 किलोग्राम प्रति शिशु लेकिन 7 किलोग्राम से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए ।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : विवरण से प्रतीत होता है कि विभिन्न राज्यों में चीनी के वितरण के बारे में भारी विषमता है । उदाहरण के लिए दिल्ली में यह मात्रा 900 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास है । मध्य प्रदेश में यह मात्रा 750 ग्राम है और बहुत से अन्य राज्यों में यह मात्रा 500 ग्राम तथा इससे कम है । मैं इस बात के कारण जानना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में मिलने वाली चीनी की मात्रा कुछ अन्य राज्यों की अपेक्षा आधी क्यों है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : चीनी राज्यों को वितरित की जाती है । यह मात्रा राज्यों द्वारा नियत की जाती है कि प्रति व्यक्ति कितनी चीनी दी जाए । इसी कारण यह बात राज्यों पर छोड़ी गई है ।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : एक विशेष दिलचस्प जानकारी भी है । कई स्थानों पर 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणी के कार्ड हैं । वर्गीकरण की यह पद्धति क्या है और किस कारण से है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : राज्यों के लिए चीनी का कोटा जनसंख्या के आधार पर तय किया गया था और यह प्रणाली 1978 तक व्यवहार में थी । तब इसे समाप्त कर दिया गया, जब दिसम्बर 1979 में यह प्रणाली फिर से आरंभ की गई तो राज्यों को आवंटन पहले के आधार पर किए गए । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें चीनी का प्रति व्यक्ति कोटा अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ अधिक है । हमारा विचार देश भर में प्रति व्यक्ति प्रति मास 425 ग्राम की मात्रा देने का था । परंतु तब 1978 के जनसंख्या के आंकड़े अनुमान के अनुसार प्रतीत नहीं हुए । इसी कारण गुजरात तथा दिल्ली में चीनी की मात्रा कुछ अधिक है जैसे कि पहले था, आवंटन प्रति व्यक्ति 25 ग्राम की दर पर दिया गया था । परन्तु जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया यह बात राज्यों पर छोड़ दी गई थी कि वे इसमें पूरी बढ़ोतरी कर सकते हैं । कुछ राज्यों में चीनी या राशन ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है । परंतु केन्द्र सरकार राज्यों के आन्तरिक प्रबन्धों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती । कुछ राज्यों में जैसा माननीय सदस्य श्री पराशर ने बताया है भिन्न श्रेणियों के कार्डों की व्यवस्था है । यह वर्गीकरण आय के आधार पर है । मेरे पास इस संबंध में पूरे ब्यौरे नहीं हैं परन्तु उदाहरण के रूप में उड़ीसा में 'ए' श्रेणी के कार्ड कुछ अधिक आय वालों के लिए हैं और 'बी' श्रेणी के कार्ड निम्न आय समूह वालों के हैं । यह वर्गीकरण राज्य सरकारों द्वारा किया गया है । हम ब्यौरे नहीं जानते ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको पश्चिम बंगाल के लिए चीनी का कोटा बढ़ाने हेतु राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है । क्या

उन्होंने ईद, पूजा, ओनम, गुरू नानक जन्म दिवस आदि त्योहारों के इस मौसम के लिए राज्यों को कोई विशेष कोटा दिया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : देश में चीनी की कमी के कारण, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी अच्छी प्रकार से जानते हैं, विभिन्न राज्यों को आवंटित चीनी के कोटे में वृद्धि हेतु राज्यों की मांगों को स्वीकार करना संभव नहीं है।

श्री चित्त बसु : 1979-80 के पेराई के मौसम के दौरान उत्पादन 39 लाख टन था। पिछला भंडार 21 लाख टन था और 2 लाख टन चीनी का आयात भी किया गया है। अतः चालू वर्ष के लिए हमारे देश में लगभग 62 लाख चीनी की कुल मात्रा उपलब्ध है। परन्तु खपत कभी इतनी अधिक नहीं होती। इसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में वास्तविक की अपेक्षा चीनी की काल्पनिक कमी अधिक है। इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि चीनी के मूल्यों में वृद्धि के विशेष कारण क्या हैं ? मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहेंगे कि सम्पूर्ण चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण ही इसका एक मात्र हल है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं प्रश्न के अन्तिम भाग से सहमत नहीं हूं। मैं यह नहीं समझता कि राष्ट्रीयकरण ही इसका एक मात्र हल है। जहां तक हमारे भंडार की बात है हमें आशा है कि हम पेराई के अगले मौसम तक वर्तमान स्तर पर सप्लाई बनाए रख सकेंगे।

श्री जगन्नाथ राव : उड़ीसा को दिसम्बर के लिये आवंटित कोटा मार्च के अंत तक प्राप्त नहीं हुआ था। इसी प्रकार प्रत्येक मास के लिए आवंटित कोटा समय पर नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछली कमी पूरी की जायेगी।

दूसरे भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त होने वाली बोरियां भरी हुई नहीं होती हैं उनमें 5 से 10 कि० ग्राम तक की कमी होती है। अतः इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं कि डीलर को पूरी मात्रा में चीनी मिले ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उड़ीसा को जुलाई 1980 तक 79,000 टन का आवटन किया गया जिसमें से 67,660 टन की मात्रा राज्य में पहुंच चुकी है। इस प्रकार लगभग 11,000 टन की शेष मात्रा रहती है। सरकार निश्चित रूप से इसके लिए सभी प्रयास कर रही है कि यह शेष मात्रा भी राज्य को दी जाये।

जहां तक कमी का संबंध है यदि कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त हो तो हम उसकी जांच करेंगे।

राष्ट्रीय बीज परियोजना

921. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय बीज परियोजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब से विचाराधीन है;

(ग) परियोजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है;

(घ) क्या उक्त परियोजना के लिए कोई सहायता दी गई है और परियोजना के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ङ) इसे आरम्भ करने में क्या विलम्ब हैं और इस परियोजना के अन्तर्गत किन राज्यों को शामिल किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ख) एक राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम का पहले से क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

(ग), (घ) तथा (ङ)

इस परियोजना के लिए 55 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है । विश्व बैंक लगभग 410 लाख अमरीकी डालर की ऋण सहायता मुहैय्या कर रहा है । इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, विहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को शामिल किया गया है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजनक, आधारी तथा प्रमाणिकृत बीजों के उत्पादन की व्यवस्था करना है । इस प्रयोजन के लिए इस कार्यक्रम में राज्य बीज निगमों तथा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना करना/सुदृढ़ करने की व्यवस्था है । बीज परिसंस्करण सुविधाओं तथा भण्डारण के रूप में अवस्थापनात्मक व्यवस्था करने का भी विचार है ।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : यह आश्चर्यजनक बात है कि गुजरात जैसे राज्य को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है । गुजरात को इस योजना में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि ग्रामीण और पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : विभिन्न राज्यों का उल्लेख किया गया है और किसी राज्य की जलवायु, वहां खेती करने के विशेष तरीके तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम को पूरी ईमानदारी से लागू करने की संभावनाओं को ध्यान में रखकर राज्यों का चयन किया गया है । चार राज्य, अर्थात्, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पंजाब और हरियाणा का चयन राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के चरण-एक के अंतर्गत किया गया है । दूसरे चरण में पांच और राज्य अर्थात, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश लिये जायेंगे । लेकिन गुजरात में जो तिलहन की खेती विशेषत: मूंगफली की खेती में बहुत उन्नत है, हमने अनुसधान और मूंगफली के विकास के लिए कुछ केन्द्र स्थापित किए हैं । अत: गुजरात राज्य का भी ध्यान रखा जा रहा है ।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : मंत्री महोदय का वक्तव्य हमें सन्तुष्ट नहीं करता है क्योंकि जो कारण उन्होंने बताये हैं वे बहुत से उन राज्यों पर भी लागू हो सकते हैं जिन्हें शामिल किया गया है । क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं कि चरण-दो में, जिसमें तिलहनों पर भी विचार किया गया है, गुजरात को शामिल क्यों नहीं किया गया है ? क्या ऐसा है कि जब चरण-दो को अन्तिम रूप दिया जा रहा था, उस समय राज्य सरकार ने इस मामले को केन्द्रीय सरकार के सामने सही तरीके से नहीं रखा था ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं उस प्रश्न का उत्तर एकदम नहीं दे सकूंगा। लेकिन सच यही है कि 1977 में इस कार्यक्रम के आरंभ किए जाने से लेकर अब तक की प्रगति असंतोषजनक नहीं रही है, बल्कि बहुत धीमी रही है। हम यह देखेंगे कि इस कार्यक्रम को अब पूरी ईमानदारी से हाथ में लिया जाये।

श्री एस० बी० चह्वाण : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हुए मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। महाराष्ट्र के मामले में कपास और ज्वार दोनों के बीजों का नितान्त अभाव रहा है। यह दुःख की बात है कि महाराष्ट्र में आधार बीज सी० एस० एच०-5 भी उपलब्ध नहीं था जिसके कारण ज्वार की नई किस्म की खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। क्या मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं यह स्वीकार करता हूं कि देश में ज्वार के बीजों की पर्याप्त मात्रा के उत्पादन में काफी प्रगति नहीं हुई है। हमारा उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि ज्वार, बाजरा और मक्का तथा अन्य बीजों का भी विकास किया जाये और पर्याप्त उत्पादन किया जाये ताकि समस्त मांगें पूरी की जा सकें।

श्री नवल किशोर शर्मा : सीड्ज के डिवेलेपमेंट के प्रोग्राम में मूंगफली के बीज के उत्पादन की भी कोई योजना है ? मूंगफली का उत्पादन जब किया जाता है तब उसमें एक कीड़ा लगता है ? उस कीड़े से जो इम्यून हो क्या ऐसा बीज तैयार किया जाएगा ताकि मूंगफली का उत्पादन ज्यादा तादाद में हो सके ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : इस बारे में हमारे पास विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रम हैं। लेकिन आप कृपया यह देखेंगे कि इस प्रश्न का उस प्रश्न से कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि माननीय सदस्य विशेष रूप से यह पूछने के लिए कि मूंगफली और अन्य फसलों में बीमारी का पता लगाने के लिए अनुसंधान में कितनी प्रगति हुई है, एक और प्रश्न पूछने का नोटिस देना चाहते हैं तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

दिल्ली में डबलरोटी की कमी

*922. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1980 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "ब्रेड इन शार्ट सप्लाई" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने उपभोक्ताओं को बिना कठिनाई डबलरोटी उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जी हां। दिल्ली में डबलरोटी की कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होते ही दिल्ली प्रशासन ने अपने प्रवर्तन तंत्र को

इस बात की जांच करने के लिए लगा दिया कि क्या डबलरोटी बनाने वाले अपेक्षित संख्या में रोटियां बना रहे हैं अथवा नहीं और खुदरा व्यापारी अधिसूचित मूल्यों से अधिक मूल्य पर तो डबलरोटी नहीं बेच रहे हैं। दिल्ली प्रशासन के प्राधिकारी डबलरोटी निर्माताओं के प्रतिनिधियों से भी मिले थे और उन्हें निदेश दिए थे कि वे अपनी स्थापित क्षमता तक डबलरोटी तैयार करें। केन्द्रीय सरकार दिल्ली प्रशासन से डबलरोटी के मूल्य में उचित वृद्धि करने के बारे में प्राप्त एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और यह दुःख की बात है कि कभी यहां चीनी की कमी हो जाती है और इन दिनों डबलरोटी की कमी चल रही है। दिल्लीवासियों के लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की नाक के नीचे लोगों को डबलरोटी भी नहीं मिल रही है। हम तो अपने इलाके नार्थ एवेन्यु की बात जानते हैं, वहां की दुकानों पर डबलरोटी उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि पार्लियामेंट हाउस के भोजनालय के अन्दर भी एक दिन डबलरोटी उपलब्ध नहीं थी। यहां बहुराष्ट्रीय कंपनी ब्रिटानिया कंपनी डबलरोटी सप्लाई करती है और माडर्न बेकरी भी डबलरोटी सप्लाई करती है, दोनों के रहते हुए भी यहां यह स्थिति है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा कोई आंकलन किया है कि दिल्ली में प्रतिदिन कितनी रोटी की आवश्यकता होती है और इसमें ब्रिटानिया कंपनी व माडर्न बेकरी अलग-अलग कितनी रोटियां बनाते हैं? मंत्री महोदय मेहरबानी करके पहले यह बतलायें, फिर आगे पूछेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव। मालूम नहीं, शास्त्री जी के साथ क्यों छेड़ होती है, डिपो वाले क्यों करते हैं, कभी इन्हें शुगर नहीं मिलती और कभी डबलरोटी नहीं मिलती। बाकी सबकी तो बात यह है नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह कहकर टालिये मत। यह शास्त्री जी का सवाल नहीं है, पूरी दिल्ली का सवाल है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जहां तक इस वक्त डबलरोटी की पोजीशन है, दिल्ली में मेरी इत्तिला के मुताबिक वह ठीक है, कोई शार्टेज नहीं है। कीमत इसकी दिल्ली में स्टेट्युटरी है, दिल्ली प्रशासन तय करता है और उसी कीमत पर डबलरोटियां दिल्ली में बिक रही हैं। कीमत भी यह है कि 200 ग्राम की डबलरोटी 55 पैसे, 400 ग्राम की 1 रुपया और 800 ग्राम की एक रुपये 95 पैसे पर मिल रही हैं। प्रोडक्शन भी इनकी काफी है। माडर्न बेकरी तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन करती है। दिल्ली से बाहर भी रोटी जाने पर पाबन्दी है। इसलिये जितनी प्रोडक्शन दिल्ली में हो रही है, 42 के करीब बेकरीज हैं जिनमें बड़ी-बड़ी तो माडर्न बेकरी, नन्दी, ब्रिटानिया, ब्लू-बर्ड हैं और इसके अलावा बहुत सी बेकरीज हैं। रोटी दिल्ली से बाहर भी नहीं जाती है, इसलिये यहां डबलरोटी की कमी नहीं होनी चाहिये।

श्री रामावतार शास्त्री : प्रोडक्शन कितनी है?

अध्यक्ष महोदय : प्रोडक्शन से काम चल जायेगा क्या ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : 31 लाख 75 हजार 243 लोफ तैयार किये हैं 400 ग्राम के और 800 ग्राम के 12 लाख ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोडक्शन के आंकड़ों से काम चलेगा क्या ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : स्पीकर साहब, इन्होंने पूछा है, अगर इनकी तसल्ली आंकड़ों से हो जाय तो मेरे ख्याल में आप बताने की इजाजत दें । 1200 ग्राम के 63 लोफ तैयार हुए हैं । जहां तक माडर्न बेकरीज का ताल्लुक है, 400 ग्राम : 4,01,279, 800 ग्राम : 10,32,232, 800 ग्राम फ्रूट वाली : 2,67,213 ये आसानी से मिल जाती हैं । इनको खरीदने वाले माननीय सदस्य जैसे शौकीन बहुत कम हैं । वह यही खाया करें ।

अगर आप इजाजत दें, तो ब्लू-बर्ड का उत्पादन भी बता दूं । वैसे माननीय सदस्य ने सिर्फ दो कंपनियों के बारे में पूछा है ।

श्री रामावतार शास्त्री : जहां तक मुझे इल्म है, डबलरोटी की बनावटी कमी दाम बढ़वाने के लिए की जा रही है । ब्रिटेनिया कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है । उसको तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए, ताकि वह उसको अपने यहां ले जा सके । मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि दिल्ली प्रशासन ने डबलरोटी की कीमतों में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव उनके पास भेजा है, जिस पर वह विचार कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने कितनी वृद्धि सजेस्ट की है, ताकि दिल्लीवासियों को पहले ही पता चल जाये कि उन्हें किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : डबलरोटी की कीमत दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं । यह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का प्रस्ताव नहीं है । यह मांग डबलरोटी बनाने वालों की तरफ से है कि मैदे और फ्यूअल की कीमत बढ़ गई है, इसलिए कुछ भाव बढ़ाया जाये । हिन्दुस्तान में और जगहों की निस्बत दिल्ली में डबलरोटी की कीमत सब से कम बताई गई है । इसलिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोपोजल पर विचार कर रहा है ।

श्री रामावतार शास्त्री : वह प्रोपोजल क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : अभी प्रोपोजल नहीं बना है । कोई कीमत तय नहीं हुई है । वे लोग मांग कर रहे हैं । क्या कीमत होगी, यह अभी पता नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैनुफेक्चरर्ज ने अपनी मांग को दिल्ली प्रशासन के सामने रखा होगा । उसकी मांग क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैंने अर्ज किया है कि उन्होंने अपना हिसाब-किताब बताया है । उसके बाद दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन क्या तय करता है, यह बाद में देखा जायेगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : डबलरोटी बनाने वालों का क्या प्रस्ताव है—दस पैसे, बीस पैसे, एक रुपये की वृद्धि ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उन्होंने जो हिसाब बताया है, वह मेरे पास है कि कितना खर्च बढ़ गया है। उन्होंने क्या कीमत मांगी है, यह मेरे पास नहीं है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : ब्रैड मैनुफेक्चरर्ज ने बढ़े हुए दामों की बात कही है। उसके ऊपर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला करना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसकी वजह से उत्पादन में गिरावट आई है पिछले माह में या इस माह में, यदि हां, तो उसका प्रतिशत क्या है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उत्पादन में गिरावट नहीं आई है, बल्कि उत्पादन बढ़ा है। जून के मुकाबले में जुलाई के उत्पादन में गिरावट नहीं आई है। ब्रिटेनिया कम्पनी का प्राडक्शन जून में 400 ग्राम का 29 लाख और जुलाई में 31 लाख था। नन्दी बेकरीज का प्राडक्शन जून में 200 ग्राम का 23,000 और, 400 ग्राम का 14,000 था, जबकि जुलाई में 400 ग्राम का बढ़ कर 3,16,000 हो गया और 800 ग्राम का 28,000 हो गया उत्पादन बहुत काफी बढ़ गया है। माडर्न बेकरीज का उत्पादन जून में 400 ग्राम का 4 लाख था, जबकि जुलाई में वह 7 लाख हो गया। दिल्ली में उत्पादन काफी बढ़ गया है और कमी की वजह से कोई कीमत ज्यादा नहीं हुई है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि इस समय डबलरोटी की जो कमी चल रही है उसका कारण कहीं यह तो नहीं है कि सरकार ने आटा मिलों को गेहूं सप्लाई करने की अपनी नीति में परिवर्तन किया है। सामान्यतः आटा मिलों को उनकी सप्लाई क्षमता का लगभग पचास प्रतिशत सप्लाई किया जा रहा था और अब सरकार की नीति में परिवर्तन हो गया है और गेहूं की सप्लाई में कमी के कारण आटा मिलें उतना मैदा उत्पादित नहीं कर सकी हैं। जितना पहले पैदा करती थीं डबलरोटी की सप्लाई में कमी का यह कारण है। क्या यह सच नहीं है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैंने यह नहीं कहा है कि डबलरोटी की कमी है। इसके विपरीत उदाहरण के लिए, माडर्न बेकरीज का उत्पादन जून की तुलना में जुलाई में लगभग दुगना हो गया है। 400 ग्राम की डबलरोटी का उत्पादन जून के 4 लाख की तुलना में जुलाई में सात लाख हुआ था, 800 ग्राम की डबलरोटी का उत्पादन जून के 10 लाख की तुलना में जुलाई में 25 लाख हुआ था, यह दुगने से भी अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री चन्द्रशेखर मूर्ति।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का डबलरोटी का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, बहुत हो गया इस पर।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रोटी तो मिलती नहीं है और राव साहब कहते हैं कि रोटी की कमी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह रोजी रोटी का नहीं, डबलरोटी का मामला है।

कृषि ऋण राहत नीति

923. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि ऋण राहत नीति के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उन किसानों की संख्या दिखाने वाली सूची देने को कहा है जिनको ऋण दिये गये थे परन्तु जो व्याज के साथ उसे लौटा नहीं सके हैं;

(ग) राज्यों में ऐसे किसानों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन किसानों में गन्ना उत्पादक भी सम्मिलित हैं;

(ङ) क्या बहुत सी राज्य सरकारों ने इस बारे में पहले ही निर्णय ले लिया है; और

(च) यदि हां, तो इस निर्णय से देश में कितने किसानों को लाभ पहुंचेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ङ) तथा (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख), (ग) तथा (घ) कृषि वर्ष 1980-81 की ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता के बारे में एक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सर्वेक्षण के कार्य में मदद करें । विभिन्न राज्यों में किसानों की संख्या, उनकी ऋण-ग्रस्तता की मात्रा और अन्य सम्बद्ध ब्यौरे के बारे में सर्वेक्षण करने के बाद ही सूचना उपलब्ध होगी ।

विवरण

1. संस्थागत एजेंसियों तथा साहूकारों जैसे गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया जाने वाला उधार ही कृषि ऋण होता है । भारत सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अगस्त, 1975 में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को ऋण-ग्रस्तता से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कानूनी उपाय करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे । इस राहत का सम्बन्ध कमजोर वर्गों द्वारा गैर-संस्थागत एजेन्सियों से लिए जाने वाले ऋण से है । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को अंतरिम उपाय के तौर पर कर्जे की वसूली के संबंध में कानूनी मोहलत देनी थी और इसके बाद (क) 2400 रु० तक की वार्षिक आय वाले सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों के ऋणों को पूर्णत: समाप्त करना और (ख) छोटे किसानों के ऋणों को कम करना था । राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों ने इस आधार पर कानून बनाए हैं ।

2. सरकार की यह नीति रही है कि फार्म क्षेत्र में ऋण की अधिक से अधिक आवश्यकतायें सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि संस्थागत स्रोतों से पूरी की जायें । संस्थागत ऋण मुख्य रूप से कृषि उत्पादन और पूंजीनिवेश के लिए दिया जाता

है। संस्थागत ऋण की पुनः अदायगी किसानों द्वारा ऋण की मंजूरी के समय निर्धारित समय पर करनी होती है। जब प्राकृतिक आपदाओं जैसी विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, जिससे किसानों की पुनः अदायगी की क्षमता प्रभावित होती है और वसूली स्थगित करने की जरूरत होती है, तो पुनः अदायगी की अवधि को बढ़ाकर अथवा अल्पकालीन ऋणों को मध्यम कालीन ऋणों में बदल कर या दीर्घावधि ऋणों की दुबारा योजना बनाकर मोहलत देने की व्यवस्था है। इससे किसान बाद में देय रकम की अदायगी कर देते हैं और इसके साथ उत्पादन के चालू खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विशेष पुनर्वास कार्यक्रमों की मंजूरी भी देता है ताकि चाहते हुए भी मजबूरियों के कारण अदायगी न करने की वजह से जमा हुए अतिदेय की पुनः अदायगी लम्बे अर्से में आसान किश्तों में की जा सके।

3. जब कभी किसान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं तो भारत सरकार तथा राज्य सरकारें कई प्रकार से उनकी सहायता करती हैं। राहत के विभिन्न उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की जाती है ताकि वे अपने संसाधनों को बढ़ा सकें। राज्य सरकारें भी राज सहायता प्राप्त लागत पर आदान की व्यवस्था करके तथा बिजली के शुल्क में कटौती आदि अनेक तरीकों से राहत प्रदान करती रही हैं। भारत सरकार ने खरीफ, 1979-80 में अभूतपूर्व, व्यापक और भयानक सूखे को देखते हुए जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा था, वहां के छोटे किसानों को दिए गए अल्पकालीन ऋण पर देय ब्याज की छूट देने के लिए राज्य सरकारों के साथ एतसम्बन्धी खर्च को वहन करने का फैसला किया।

4. उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने छोटे किसानों को दिए गए सहकारी ऋणों को समाप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। महाराष्ट्र सरकार ने छोटे किसानों द्वारा 30-6-79 को अदा किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज की समूची राशि की वसूली की छूट देने का प्रस्ताव किया था। जिन किसानों के पास 5 एकड़ (राज्य में अभिज्ञात 87 सूखा प्रवण क्षेत्रों में 7½ एकड़) से अधिक शुष्क भूमि नहीं है और जिनकी फार्म के अलावा प्रतिवर्ष 2400 रु० से अधिक आय नहीं है, उन्हें छोटे किसान माना जाएगा। राज्य सरकार ने इस देयता को पूरा करने के लिए 1980-81 के बजट में 49 करोड़ रुपए (मूलधन के लिए 40 करोड़ रु० तथा ब्याज के लिए 9 करोड़ रु०) का प्रावधान किया था।

5. तमिलनाडु सरकार का 5.0 एकड़ या कम भूमि पर खेती करने वाले छोटे किसानों के 31.3.1980 को बकाया 21 करोड़ रुपये की राशि के तकावी ऋण और सहकारी समितियों द्वारा दिए गए मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित ऋणों को माफ करने का प्रस्ताव है। इन सहकारी ऋणों की राशि 35 करोड़ रुपए और उन पर ब्याज की राशि 7 करोड़ रुपए है। तमिलनाडु सरकार ने इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है।

6. केरल सरकार ने 2 हैक्टेयर या उससे कम भूमि के रखने वाले किसानों के संबंध में 1.4.1976 से पूर्व लिए गए ऋणों पर ब्याज को छोड़ देने के निर्णय की घोषणा की है। राज्य सरकार आवश्यक राशि के विवरण तैयार कर रही है। सभी राज्य सरकारों से सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

7. जहां तक भारत सरकार की नीति का संबंध है, हम संस्थागत ऋणों की स्पष्ट रूप से माफी के किसी उपाय के पक्ष में नहीं है। इस तरह की माफी ऋणों के उगाही के वातावरण को निष्प्रभावी बनाती है, जानबूझकर भुगतान न करने को प्रोत्साहन देती है और ऋण देने वाली संस्थाओं की कार्यक्षमता को कमजोर करती है। तथापि, भारत सरकार इस बात को समझती है कि कुछ न्याय संगत परिस्थितियों में राहत के जरिए कुछ सहायता की आवश्यकता है। अतः, भारत सरकार केवल निम्नलिखित दो वर्गों की परिस्थितियों में सहायता देती है :

1. कमजोर वर्गों की ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति में संस्थागत एजेंसियों को सक्षम बनाने हेतु भारत सरकार ने लघु कृषक विकास एजेंसी और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत जोखिम निधि बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिए गए अतिरिक्त लघु अवधि उत्पादन ऋणों पर 6 प्रतिशत की दर से और इन विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत अभिज्ञात छोटे और सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों को सहकारी समितियों द्वारा दिए गए आवधिक ऋण 2 प्रतिशत की दर से उपलब्ध हैं। 0.5 एकड़ से कम भूमि वालों को दिए गए उपभोग ऋणों पर भारत सरकार जोखिम निधि के रूप में 5 प्रतिशत प्रदान कर रही है। इन जोखिम निधियों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में संस्थागत ऋणों को माफ करने में किया जा सकता है।

2. सहकारी बैंक संरचना, सूखा, बाढ़ या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा में लघु अवधि ऋणों को दीर्घ अवधि ऋणों में परिवर्तित कर सके इसके लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के स्तर पर ऋण स्थिरीकरण निधियां स्थापित करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सहकार राज्य सरकारों को राज्य सहकारी बैंकों की स्थिरीकरण निधि में योगदान करने में उन्हें सक्षम बनाने हेतु राज्य सरकारों को 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया है, जिससे रिजर्व बैंक एक राष्ट्रीय कृषि स्थिरीकरण निधि अलग से रख सके, जिसमें कि बैंक अपने लाभ से वार्षिक योगदान करता है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : स्वतंत्रता प्राप्ति के 33 वर्ष बाद भी, हमारे देश में छोटे किसानों तथा सीमांत किसानों की आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा हमारे किसानों को बाढ़ और सूखा जैसे दैवी प्रकोपों का भी शिकार होना पड़ता है। हाल ही में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल राज्य सरकारों ने छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए ऋणों को माफ करने का निर्णय किया है। इस संदर्भ में, मुझे एक सामान्य तथा लोकप्रिय कहावत याद आ रही है, जो यह है कि हमारे किसान ऋण में जीते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सभी

राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने और कृषि ऋण राहत नीति के बारे में कोई एक समान निर्णय लेने के लिए तैयार हैं।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, जैसाकि सभा-पटल पर रखे गए विवरण में मेरे सहयोगी द्वारा पहले बताया जा चुका है, राज्यों से कहा गया था कि वे छोटे किसानों, सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा अन्य को दिए गए ऋणों को समाप्त करने के लिए कानून बनाएं, और सभी राज्यों द्वारा उस आशय के अधिनियम पारित किए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश में, छोटे तथा सीमांत किसानों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को ऋण से पूर्ण मुक्ति का लाभ दिया गया है। असम में भी, छोटे तथा सीमांतिक किसानों और खेतिहर मजदूरों को ऋण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह, बिहार में भी, ऋण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है..

एक माननीय सदस्य : प्रश्न यह नहीं था।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : उन्होंने कहा, किसान कर्जे में ही मर रहे हैं, सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है। मैं उसी बात को स्पष्ट कर रहा हूं यह बतलाते हुए कि यह धारणा गलत है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है; सरकार वह सब कुछ कर रही है जो संभव है। इस मामले पर गौर करने के लिए राज्य के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाए जाने के सुझाव पर विचार किया जाएगा और, यदि आवश्यक हुआ, तो ऐसा किया भी जाएगा। दूसरी सारी सूचना, जैसा कि आप स्वयं देखेंगे, ब्यौरेवार प्रस्तुत की गई है। चार पृष्ठों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : हमारे छोटे तथा सीमांतिक किसान गन्ना, तम्बाकू, कपास आदि जैसी वाणिज्यिक फसलें उगाते हैं। क्या सरकार का विचार सहकारी बैंकों तथा संस्थागत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को भी माफ करने का है?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री रामनगीना मिश्र : यह एक सैद्धान्तिक मामला है। यह बात तो बड़ी अच्छी लगती है कि कर्जे माफ किए जायें, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कोई सिद्धान्त तय किया जाय। अगर आये-दिन इसी तरह से कर्जे माफ होते रहेंगे तो यह राष्ट्रीय कोष को एक बड़ा नुकसान होगा। इसलिये क्या मंत्री जी एक सम्मेलन करके कोई नीति निर्धारित करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो छोटे किसान हैं, एक एकड़ या दो एकड़ वाले किसान हैं उनको खाद या बीज बिना सूद के दिया जाय, उसकी रकम पर ब्याज न लिया जाय, जितना पैसा उनको दिया जाय, उतना ही वसूल किया जाय?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : कर्जे जहां तक माफ करने का मामला है, वे इन्स्टीचूशनललोन्ज हैं, इसके बारे में सरकार की नीति मैंने अपने स्टेटमेंट में बतला दी है। अगर यों ही सबके कर्जे माफ करते जायेंगे, तो नतीजा यह होगा कि लोग कर्जे लेंगे और कभी वापस करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह से तो सारे बैंक फेल हो जायेंगे, सारा काम रुक जायगा। लेकिन जहां

तक सुविधाओं का ताल्लुक है, जो सुविधायें एग्रीकल्चर किसानों, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दी जा रही हैं, उनका मैंने मुख्तसिर जिक्र कर दिया है। इस सिलसिले में हालात को जितना भी बेहतर बनाने की कोशिश हो सकती है, वह की जाएगी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को मानेंगे ? मैं उनको बतला दूं कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार ने भी यह निर्णय किया था कि जहां तक छोटे और सीमांत किसानों का संबंध है, उनके ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि इन ऋणों को बट्टे-खाते में डाल दिया जाएगा। क्या मंत्री महोदय से मुझे यह आश्वासन मिलेगा कि सरकार रिजर्व बैंक महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा घोषित निर्णय के कार्यान्वयन के रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं डालेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : माननीय सदस्य इसका उल्लेख कर चुके हैं। मेरे सहकर्मी वित्त मंत्री ने विवरण में जिसका सरकार की नीति और यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि भारत सरकार कुछ ऐसे कारणों से जिनका मैं उल्लेख कर चुका हूं, इस तरह के निर्णयों को नहीं मानती है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, वहां कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। वित्त मंत्री और कृषि मंत्री द्वारा परस्पर विरोधी उत्तर नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि वे दोनों एक ही सरकार से सम्बद्ध हैं। वित्त मंत्री ने यह संकेत दिया है कि वह इस निर्णय का आदर करेंगे किन्तु यह नहीं चाहेंगे कि यह पूर्वोदाहरण बन जाये क्या वह निर्णय बदलेंगे ? क्या ऐसी बात है कि वित्त मंत्री जो कुछ करते हैं उसे कृषि मंत्री मिटा देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार वाणिज्यिक बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक ऋणों को बट्टे खाते डालने अथवा कम ब्याज पर ऋण देने के लिये अपने विवेक का उपयोग कर रहे हैं।

दूसरे, जैसा कि विवरण में बताया गया है, सरकार जोखिम निधि और स्थिरिकरण निधि बनाना चाहती है। परन्तु जहां तक मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि कोई भी स्थिरिकरण निधि अथवा जोखिम निधि नहीं बनाई गई है। यदि यह निधि बनाई गई है तो कितनी राशि की निधि बनाई गई है और इस विशेष प्रयोजन के लिये कितनी राशि का उपयोग किया गया है ? क्या मंत्री महोदय इन बातों का उत्तर देंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : कुछ वर्ष पूर्व स्थिरिकरण निधि बनाई गई थी; इसमें कोई नई बात नहीं है। गत दो वर्षों के दौरान भारत सरकार राज्य सहकारी बैंकों को लगभग 65 करोड़ रुपये की राशि दे चुकी है और यदि सूखे, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक विपत्तियों तथा अन्य राहत उपायों के मामले में सहकारी बैंक अधिक ऋण अथवा अतिरिक्त ऋण देना चाहे तो इस निधि का उपयोग किया जायेगा। यह इस प्रयोजन के लिये है, इस निधि का अनुरक्षण किया जाता है।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : आपने जोखिम निधि के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदानों में से जोखिम निधि बनाई जाती है । वह केवल सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अतिरिक्त ऋणों पर है । उदाहरण के लिये, यदि किसी बैंक के लिये छोटे और सीमान्त किसानों तथा अन्य लोगों को किसी विशेष वर्ष में ऋण के रूप में दिये जाने के लिये 100 रुपये रखे गये हैं और यदि बैंक अधिक राशि देना चाहते हैं, अर्थात सौ रुपये और देना चाहते हैं तो यह 6 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा जोखिम निधि के रूप में दी जायेगी । ताकि ऐसे बहुत से किसानों, जो उस प्रतिभू के सम्बन्ध में बैंकों को संतुष्ट नहीं कर सकते जिस पर वे ऋण देते हैं, को ऋण दिए जा सकें । यह छोटे और सीमान्त किसानों के लिए ऋण प्रणाली में उदारता लाने के लिए है इसलिये यह राशि दी जाती है ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : आपने विवरण में बताया है कि ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस पर वाद-विवाद न करें ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जोखिम का भी यही मतलब है । यदि यह राशि वसूल नहीं की जाती है तो इसमें जोखिम है । तो यह इसमें से पूरी की जायेगी । आप जो कुछ कहते हैं और मैं जो कुछ कहता हूं इसमें कोई अन्तर नहीं है ।

श्री एस० बी० चव्हाण : बैंकिंग व्यवस्था के बारे में माननीय कृषि मंत्री को जो कुछ कहना है उसकी मैं पूरी तरह सराहना करता हूं । ऐसा हो सकता है कि राज्य विशेष द्वारा रखे गए प्रस्तावों का प्रभाव सभी राज्यों की बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ता हो । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि जहां तक भूमि विकास बैंकों का सम्बन्ध है ।

रिजर्व बैंक ने स्वयं महाराष्ट्र सरकार से इस ढंग से ऋण देने के लिए कहा है कि भूमि विकास बैंक के मामले में भुगतान न करने वाले व्यक्तियों की संख्या में अत्यधिक कमी होती जा रही है और यह रिजर्व बैंक की प्रेरणा का ही परिणाम था कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस राशि को ठीक उसी प्रकार दे दिया गया था । मेरे विचार से यह कहना ठीक नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने कृषकों को दिए गये ऋण को माफ करने का निर्णय ले लिया है, दूसरी ओर ऋण दिए जाने की प्रथा को बन्द कर दिया गया है जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार सम्बन्धित बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिये धन देने को तैयार थी कि उसके बाद सहकारी संस्थाएं ऋण देने की स्थिति में रहें, सम्पूर्ण ऋण की राशि को समाप्त करने तथा बैंकों में ऋण देने के साधनों की अवरुद्ध स्थिति में सुधार करने में बहुत अधिक अन्तर है ।

क्या मैं सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूं तथा क्या सरकार का विचार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का है जिनसे अधिक से अधिक कृषक छोटे तथा सीमान्त कृषक-ऋण प्रणाली का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मेरे वक्तव्य का ठीक यही अर्थ है कि हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक इस मामले का, और विशेष रूप से महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, मैंने इस सम्बन्ध में केवल भारत सरकार की नीति का उल्लेख किया है कि भारत सरकार सभी कृषि ऋणों को एक दम माफ करने के पक्ष में नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारें करना चाहती हैं। परन्तु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जायेगा यह कार्य उन पर छोड़ दिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा राशियां

*924. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पास जमा राशियों पर तुरन्त ब्याज का भुगतान करना बन्द कर रिया है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं। तथापि जमा राशि पर वार्षिक ब्याज देने की प्रथा समाप्त कर दी गई है। अब इस जमाकर्त्ता के खाते में डाल दिया जाता है जिसे चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है। कुल राशि मकान के आवंटन के समय समायोजित कर दी जाती है या राशि लौटा दी जाती है, जैसी भी स्थिति हो।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त भाग (क) में बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के० लक्कप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि जिन लोगों ने मकानों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास धन जमा कर रखा है वे काफी समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके ब्याज पर ब्याज नहीं दिया गया है औ वह काफी समय से जमा पड़ा हुआ है।

मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं और उनमें कितना धन लगा हुआ है तथा उन पर ऐसा कितना ब्याज इकट्ठा हो चुका है जो उनके मांग करने के बावजूद उन्हें नहीं दिया गया है और इस ब्याज की अदायगी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री पी० सी० सेठी : इस योजना को वर्ष 1979 में बनाया गया था और इसमें लगभग 30,000-40,000 लोगों के पंजीकरण कराने की आशा की गयी थी। परन्तु इस योजना में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि ली कि इसमें 1,71,000 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है और इसमें लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई है।

जब दिल्ली विकास प्राधिकरण जमा की गई राशि पर मासिक ब्याज देता था उससे प्राधिकरण तथा ब्याज प्राप्त करने वालों दोनों को ही काफी दिक्कतें पेश आती थीं। इसलिए

उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि वे ब्याज की राशि को मूल में जमा करते रहेंगे। इस पर वे चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। इसका अधिकांश जमाकर्त्ताओं ने स्वागत किया है।

श्री के० लक्प्पा : दिल्ली विकास प्राधिकरण में पिछले ढाई वर्षों में कुछ घटनायें घटी हैं वहां के अधिकारीगण जमा राशि को गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों को देते रहे हैं जिससे उस पर अधिक लाभ प्राप्त करते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस ढंग से कितनी राशि जमा की गई है और उससे जमाकर्त्ताओं को कुल कितना ब्याज मिला है। ये अधिकारीगण धन को राष्ट्रीकृत बैंकों में जमा करने के बजाय इस ढंग से गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस ढंग से राट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी राशि जमा की गई है, क्या यह भी सच है कि जमाकर्त्ता न केवल इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं अपितु वे मकानों के आवंटन में भी निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं? क्या माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच करेंगे कि पूरी प्रणाली दोषमुक्त हो जाय? मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कार्य पिछली सरकार कर रही थी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप इस समूची प्रक्रिया में किस प्रकार सुधार लायेंगे जिससे ऐसी बातें भविष्य में न उठें और जमाकर्त्ता का धन सुरक्षित रहे?

श्री पी० सी० सेठी : महोदय, जमाकर्त्ता का धन डी० डी० ए० के पास पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसा कि मैंने कहा है कि डी० डी० ए० जमा धन पर ब्याज दे रहा है। जमा धन पर लगने वाले ब्याज पर भी वे चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। जहां तक 32 करोड़ रुपए का सम्बन्ध है डी. डी. ए. ने उन बैंकों में धन जमा किया है जो उनकी अनुमोदित सूची है। मैं नहीं जानता कि उनकी अनुमोदित सूची में कुछ गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम भी शामिल हैं मैं इस प्रश्न को अलग से देखूंगा। परन्तु जहां तक समूची योजना का सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जहां तक जमाराशि कासंबंध है, इसकी शुरूआत अच्छी हुई थी, परन्तु वर्ष 1979-80 में मकानों के निर्माण के संबंध पिछली सरकार इस योजना के अन्तर्गत मकानों का कोई निर्माण नहीं कर सकी थी। मकानों का निर्माण उन 4,000 मकानों से संबंधित था जिनके लिए वर्ष 19 ७-79 में राशि जमा की गई थी।

मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष डी. डी. ए. ने एक महती कार्यक्रम बनाया है लगभग 17,773 मकान निर्माणाधीन हैं। जो इस योजना के अन्तर्गत पूरे हो जायेंगे। इस संबंध में और प्रगति हुई है। 38,९९5 मकानों का निर्माण विचाराधीन है, इस वर्ष प्रगति बड़ी अच्छी रही। हमें आशा है कि वर्ष 1980-81 तक लगभग 40,000 से 50,000 मकानों का निर्माण हो जाएगा। मैंने डी. डी. ए. को यह बताने के लिए कहा है कि किस योजना के अन्तर्गत वे वर्ष 1985 तक 1,71,000 लोगों में से कितनों को मकान बना कर दे दिया जायेगा। मुझे आशा है कि वे अधिकांश मकान बना लेंगे।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जमाकर्त्ताओं को राशि जमा करने के क्रम के अनुसार मकान आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। उन व्यक्तियों को मकान दिए जा रहे है जिन्होंने पहले वाले व्यक्तियों के बाद राशि जमा कराई है और जो किसी के कृपापात्र हैं। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही

करेगी कि मकानों का आवंटन पक्के तौर पर जमाकर्त्ताओं की प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ? सरकार सभी जमाकर्त्ताओं को कब तक मकान आवंटित कर देगी ? जमाकर्त्ताओं को ब्याज की कितनी राशि दी जाएगी और कितनी राशि समायोजित की जाएगी और अभी कितनी राशि दी जानी है ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक आवंटन का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा है, वर्ष 1979-80 में कोई निर्माण नहीं हुआ । इसलिए अनुचित ढंग से आवंटन करने का प्रश्न नहीं उठता । केवल इस वर्ष 17,713 मकान निर्माणाधीन हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि आवंटन के मामले में निष्पक्षता बरती जाए । जहां तक ब्याज की दर का सवाल है । यह 7 प्रतिशत है और कोई बकाया नहीं है, ब्याज को जमा राशि में शामिल करने और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज देने की योजना अभी आरंभ की गयी है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि डी. डी. ए. के पास जमा राशि का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है जिनके लिए इसे मांगा नहीं गया था, यदि हां तो क्या ऐसा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से किया जा रहा है अथवा डी. डी. ए. अपने में एक साम्राज्य बन गया है ?

श्री पी० सी० सेठी : श्रीमान माननीय सदस्य जानते हैं कि डी. डी. ए. क्या है क्योंकि आज जो डी. डी. ए. है वह उनके शासन काल में बना । जहां तक राशि का अन्य कार्यों में उपयोग करने का संबंध है, डी. डी. ए. की संयुक्त निधि एक है और जैसा कि मैंने कहा है डी. डी. ए. ने इस धन में से 40 हजार मकानों का निर्माण आरंभ किया है । महोदय, डी. डी. ए. ने अन्य विकास कार्यों को आरंभ किया है और उस सीमा तक इस धन को उन कार्यों में लगाया जा रहा है और मैं माननीय सदस्यों को और उनके माध्यम से जमाकर्त्ताओं को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि उनका धन सुरक्षित है और उन्हें मकान मिलेंगे ।

भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

*925. **श्री के० प्रधानी** : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिये कुछ स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठनों के नाम क्या हैं और वर्ष 1979-80 के लिये सहायतार्थ कितने संगठनों ने आवेदन किये;

(ग) क्या सरकार ने आदिवासी भाषाओं के संवर्द्धन के लिये भी कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत में बोली जाने वाली आदिवासी भाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों/शैक्षिक संस्थाओं की सहायता की योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान भी आदिवासी और सीमांत भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं के विकास में कार्यरत है।

विवरण

1. आदिवासी भाषाओं सहित भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निर्दिष्ट भाषाओं (हिन्दी तथा संस्कृत को छोड़कर) के विकास हेतु 1979-80 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की सूची।

1. केरल म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल रिसर्च ब्यूरो, शिमोगा, कर्नाटक।
2. वालाला विगनान सरस्वेस्वामु, हैदरावाद।
3. रेजज्योंग मुतांची रिंगमोम कुरमोम आरगेनाइजिंग कमेटी, गंगटोक।
4. विल्ला अकादमी, हैदरावाद।
5. अखिल भारत सिंधी बोली और साहित्य सभा, बम्बई।
6. अंजुमन तरक्की उर्दू हिन्द, दिल्ली।
7. इण्डियन इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली।
8. भारतीय भाषा परिषद-कलकत्ता।
9. असम साहित्य सभा, जोरहाट।
10. सर्व भारत सिंधी बोली साहित्य कला विकास सभा, नई दिल्ली।
11. विहार समाज सेवा परिषद, पटना।
12. कामरूप अनुसंधान समिति, गोहाटी।
13. विजनाना समिति, त्रिवेन्द्रम।
14. रमण केन्द्र नई दिल्ली।
15. वृन्दावन रिसर्च इंस्टीच्यूट, वृन्दावन।
16. निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन नई दिल्ली।
17. मथारवनम् विज्ञान प्रचार आश्रम, उड़ीसा।
18. गांधी मेमोरियल कमेटी, कलकत्ता।
19. लीभाव अकादमी, बम्बई।
20. भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली।
21. मौलाना अब्दुल मजीद अकादमी, लखनऊ।
22. भारती तमिल संगम, कलकत्ता।
23. सोसायटी फार आरक्लोजिकल, हिस्टोरिकल एण्ड एपीग्राफिकल रिसर्च, मद्रास।
24. यू० पी० समिति राजस्थानी शब्द कोश, जोधपुर।
25. राजधानी कवि समाज, दिल्ली।

11. उन स्वैच्छिक संगठनों की सूची जिन्होंने हिन्दी के प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगटनों को सहायता योजना के अन्तर्गत 1979-80 वर्ष के दौरान वित्तीय सहायना के लिए आवेदन भेजे थे :

1. हिन्दी प्रतिष्ठान, गांधी भवन, हैदराबाद ।
2 आदर्श महिला संस्था, राजमुन्दरी ।
3. हिन्दी महाविद्यालय समिति, हैदराबाद ।
4. भारत अभ्युदय पाठशाला, हैदराबाद ।
5. हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद ।
6. भारत उन्नति पाठशाला शिक्षा समिति, हैदराबाद ।
7. आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा, सिकन्दराबाद ।
8. हिन्दी निकेतन, एलुरू ।
9. हिन्दी महाविद्यालयम, अमरुतालूर, गुन्तुर ।
10. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, आन्ध्र प्रदेश ।
11. हिन्दी प्रचार समिति नारायन पीठ, अन्ध्र प्रदेश ।
12. प्रान्तीय समाज कल्याण आश्रम, किमिन ।
13. उत्तर पूर्वांचल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इटानगर ।
14. हिन्दी प्रसार मण्डल, शिलांग ।
15. असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ।
16. उर्वपी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ।
17. चन्द्र प्रभा पंडित हिन्दी संस्थान ट्रस्ट ।
18. असम राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, गोहाटो ।
9. लोकप्रिय गोपीनाथ बारडालर राष्ट्रीय संस्थान ।
20. असम राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, गोहाटी ।
21. बंगाली प्रगति संघ जिला कामरूप ।
22. हिन्दी विद्यापीठ, देवघर ।
23. रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर ।
24. नयन प्रिय हिन्दी संगठन ।
25. भारतीय संस्कृत परिषद, नई दिल्ली ।
26. भारत भारती, नई दिल्ली ।

27. दिल्ली प्रान्तीय राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, नई दिल्ली :
28. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली ।
29. अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान संघ ।
30. नई दिल्ली सायंकालीन संस्थान, नई दिल्ली ।
31. नागरी लिपि परिषद ।
32. संध्या हिन्दी परिषद, नई दिल्ली ।
33. गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुजरात ।
34. गुजरात विद्यापीठ ।
35. गोमन्तक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ, भदगांव ।
36. भारतीय हिन्दी विद्यापीठ, गोआ ।
37. जे० एण्ड के० राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, श्रीगर ।
38. हिन्दी शैक्षिक सेवा समिति, बीजापुर ।
39. विजय हिन्दी विद्यालय, सान्तेवेन्नुर ।
40. जय भारती हिन्दी महाविद्यालय, बंगलौर ।
41. मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलौर ।
42. भारतीय संस्कृत विद्यालय, बंगलौर ।
43. मैसूर शिक्षा सोसायटी, मैसूर ।
44. सरस्वती हिन्दी विद्यालय, बंगलौर ।
45. आदर्श हिन्दी विद्यालय, बंगलौर ।
46. हिन्दी प्रचार संघ, मुधोल ।
47. गुरू हिन्दी शिक्षा मंदिर, बंगलौर ।
48. श्री ज्योति शिक्षा सोसायटी, बंगलौर ।
49. दि डिस्ट्रीक्ट हिन्दी प्रेमी मण्डल, वेल्लोया ।
50. दि जनाती शिक्षा समिति, हुबली ।
51. भारतीय हिन्दी विद्यालय, भदरौली ।
52. प्रसाद हिन्दी विद्यालय, बंगलौर .
53. कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर ।
54. आदर्श विद्यापीठ, हुबली ।
55. श्रीनिधि हिन्दी विद्यालय, बंगलौर ।
56. मैसूर रियासत हिन्दी प्रचार समिति, बंगलौर ।

57. हिन्दी प्रचार समिति, उदुपी ।
58. राष्ट्रभाषा संवर्धन समिति ।
59. जगत गुरु श्री सूर्यरथस्वन महा विद्यापीठ ।
60. श्री मंगूलाल गवावत हिन्दी कालेज, बंगलौर ।
61. अन्नपूर्णा शिक्षा संघ ।
62. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, कुन्डोल ।
63. आर्य संस्कृति विद्याशाला, मैसूर ।
64. डी० वी० एच० पी० सभा (केरल), एर्नाकुलम ।
65. केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम ।
66. हिन्दी विद्यापीठ, त्रिवेन्द्रम ।
67. हिन्दी विद्यापीठ, पायानूर ।
68. हिन्दी प्रेमी मण्डल, वाचूर ।
69. गांधी स्मारक हिन्दी प्रचार मण्डल, किरीकाड ।
70. दक्षिण भारयीय हिन्दी प्रचार सभा, केरल ।
71. दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचार सभा, लक्षद्वीप ।
72. जनता सेवा संघ ।
73. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूंना ।
74. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ।
75. सर्वोदय महिला मन्डल, चन्द्रपुर ।
76. बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई ।
77. बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, बम्बई ।
78. विद्यार्थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर ।
79. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे ।
80. मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा, इम्फाल ।
81. हिरोक लैण्ड हिन्दी स्कूल, साउद्रन हिल्स ।
82. वान्स राष्ट्रभाषा भाषा महाविद्यालय, इम्फाल ।
83. हिन्दी प्रचार परिषद, कार्कीचग ।
84. नमबोध हिन्दी प्रचार परिषद, नमबोल ।
85. खावी हिन्दी विद्यालय ।
86. नागरीपु हिन्दी विद्यालय ।

87. थम्पासना हिन्दी विद्यालय, थियाम ।
88. मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल ।
89. उरीपोक हिन्दी महाविद्यालय ।
90. नागा हिन्दी विद्यापीठ, मणिपुर ।
91. मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल ।
92. मेघालय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, शिलांग ।
93. हिन्दी प्रसार मण्डल, शिलांग ।
94. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ।
95. मिजोरम हिन्दी प्रचार समिति, आइजोल ।
96. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ।
97. नागालैंड भारतीय परिषद, कोहिमा ।
98. उत्कल प्रान्तीय आर० बी० प्रचार सभा, कटक ।
99. हिन्दी शिक्षा समिति, उड़ीसा, कटक ।
100. उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद, जगन्नाथ धाम, पुरी ।
101. हिन्दी शिक्षक परिषद, पुरी ।
102. आत्म प्रकाशिनी, बोलन्गीर, उड़ीसा ।
103. हिन्दी विद्यापीठ, हुबली ।
104. पंजाब एसोशिएशन, (रजि०) मद्रास ।
105. शिवस्वामी हिन्दी विद्यालय, तिरुकट्टुपत्ती ।
106. श्री ब्रह्मानन्द पुरी आश्रम संगम, मदुरै ।
107. दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचार सभा, तिरुचिरापल्ली ।
108. वैनस कामरशियल इन्स्टीट्यूट एण्ड हिन्दी विद्यालय ।
109. डी० वी० एच० पी० सभा (टी० एन०) तिरुचिरापल्ली ।
110. लाजपतराय मेमोरियल पोलिटैक्निक फोर वीमेन, मद्रास ।
111. मुथियापेट गर्ल्स हाई स्कूल, मद्रास ।
112. भारती सेवा मण्डल, इरोड ।
113. मदरसा-ए-मुत्रजाविआ, मद्रास ।
114. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, पांडिचेरी ।
115. गांधी स्मारक वाम सेवा केन्द्र, मरियाकुलम ।
116. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास ।

117. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, कुरनाकलिक विद्यालय ।
118. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, पोस्ट ग्रैजुएट डिपार्टमेंट ।
119. हिन्दी प्रेमी मण्डल आरापुकोडिया ।
120. हिन्दी विद्या भवन समिति, टुटुकोरिम ।
121. दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचार सभा, तमिलनाडु ब्रांच ।
122. मानस भवन निर्वान समिति, नागरी प्रचार सभा, आगरा ।
123. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
124. भारत अनुसंधान भवन, मथवा ।
125. अन्तर्राष्ट्रीय मानस प्रचार समिति, वाराणसी ।
126. सुन्दरवन शिक्षा और समाज कल्याण परिषद, ग्राम उत्तर सुरेन्द्रयंज ।
127. के० एम० हिन्दी संस्थान, आगरा ।
128. भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ ।
129. नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
130. पश्चिम गंगा प्रगतिशील तापसली समाज सेवा संस्था ।
131. तिलक पुस्तकालय रानीगंज ।
132. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, माल्डा ।
133. नवादीप आर० बी० हिन्दी शिक्षा विद्यालय ।
134. हुगली जिला आर० बी० केन्द्र ।
135. अन्तापुर राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्र श्याम नगर ।
136. हावड़ा जिला रम्ष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हावड़ा ।
137. राष्ट्रभाषा हिन्दी शिक्षा परिषद, मिदनापुर ।
138. आर० बी० आलोचना संसद, कलकत्ता ।
139. पारुल डांगा हिन्दी शिक्षा केन्द्र नसरतपुर ।
140. शरतचन्द हिन्दी विद्यालय, अवलाबाद, मिदनापुर ।
141. बापुजी हिन्दी प्रचार सभा, मथुराई ।
142. हिन्दी प्रचार समिति, बोलपुर ।
143. चन्द्रभूषन उपाध्याय आर० बी० परिषद ।
144. उत्तर चौबिस परगना जिला राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्र, परगना ।
145. राष्ट्रभाषा महाविद्यालय तितागर ।
146. दम-दम राष्ट्रभाषा प्रचार संस्थान, दम-दम ।

147. श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय, कलकत्ता ।

148. बड़ा बाजार लायब्रेरी, कलकत्ता ।

149. राष्ट्रीय हिन्दी विद्याभवन ।

150. दक्षिण भारतीय हिन्दी संस्थान, मद्रास ।

151. डी० बी० एच० पी० सभा, कर्नाटक ।

152. दि इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया)

153. पोली भारती आर० वी० प्रचार, पश्चिम बंगाल ।

154. दक्षिण चौबिस परगना हिन्दी शिक्षा संस्थान, मगरहैट ।

155. मदन मोहन मालवीया यादगार ।

III. उन स्वैच्छिक संगठनों की सूची, जिन्होंने संस्कृत के प्रवर्धन के लिए स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों, संस्थाओं और पाठशालाओं को सहायता की योजना के अन्तर्गत 1979-80 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया था ।

1. विडाखा मधोम ब्रह्मस्वेन त्रिचूर, केरल ।
2. महाकवि उल्लूर स्मारक पुस्तकालय तथा अनुसंधान, संस्थान त्रिवेन्द्रम ।
3. श्री वेलू स्मारक यू० पी० स्कूल, पारीपली, क्यूलोन जिला ।
4. अमरवाणी विद्या निलयम बालूसरी, कालीकट, केरल ।
5. श्री कामकोटी कामकांची चैरीटी, IV क्रोस नार्थ मारवानिरी, सेलम-7
6. पी० एस० संस्कृत पाठशाला, द्वारा पी० एस० हाई स्कूल,
   121 आर० के० मट रोड, मलयपोर ।
7. साबित्री अमल ओरिन्टल हाई स्कूल,
   मलयपुर, मद्रास ।
8. संस्कृत एजूकेशन सोसाइटी,
   16 ईस्ट माडा स्ट्रीट, मलयपुर, मद्रास ।
9. पंजाब एशोसिएशन,
   170-172 पोटरस रोड, मद्रास-60014.
10. राजा वेदकाव्य पाठशाला,
    24, यग्यशाली स्ट्रीट, कुम्भाकोनम ।
11. श्री अहोबिला एमट ओरिन्टल हाईस्कूल,
    वेस्ट ममबालम, मद्रास-33
12. मदरसा-मुरथाजाविया, 186 बिगस्ट्रीट
    ट्रिपलिकेन, मद्रास ।

13. तमिल संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान,
16-ए/1, मार्शलस रोड, ईगमोरी, मद्रास ।

14. सचिव, भारतीय बाल मन्दिर सुभाष चौक,
अमर रोड, जयपुर-2

15. मैनेजर, श्री मितर ज्ञान बालिका विद्यालय,
रास्ता खोतातान, विशनपाल बाजार, जयपुर ।

16. आचार्य, श्री विठलनाथ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, कोटा ।

17. सचिव, विद्यामन्दिर स्कूल, सिवाईमाधोपुर ।

18. प्रधानाध्यापक, विवेकानन्द विद्या निकेतन,
7-जे/33, जवाहरनगर, जयपुर-41

19. प्रधानाचार्य, सेठ आर० पी० चमारिया शास्त्री,
महाविद्यालय, पोस्ट फतेपुर, शेखवती जिला शिकार ।

20. सचिव, शास्त्री शिक्षा समिति, संभर लेक राजस्थान ।

21. मैनेजर, ब्रजबाल निकेतन रामजी दरवाजा कामा,
भरतपुर, राजस्थान ।

22. सचिव, अग्रवाल संस्कृत विद्यालय, बयाना,
भरतपुर ।

23. सार्वजनिक आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,
बारन, टोटा ।

24. प्रधानाचार्य, श्री संस्कृत महाविद्यालय,
निचवा, (शिकार)

25. सचिव, ब्रजबाल मन्दिर उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय,
शिल्प, कालोनी, झोठवाड़ा, जयपुर ।

26. प्रधानाचार्य, आर्य कन्या गुरुकुल डाडिया, जिला अलवर ।

27. सचिव, राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ शाहपुर बाग, अमर रोड, जयपुर ।

28. सचिव, कौशल बाल निकेतन, प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय,
खोलवारा, जयपुर-12

29. श्री सूर भारती महाविद्यालय, राज महल मार्ग, उदयपुर ।

30. बाल भारती सोसाइटी, लघु ब्रह्मपुरी गुलाब बाग रोड,
उदयपुर ।

31. अध्यक्ष, श्री वैदिक संस्कृत प्रचारक अनुसंधान संस्थान, पावटे 'सी' रोड,
जोधपुर ।

32. सचिव, संस्कृत प्रचार एवं प्रसार संस्थान, सूरजपाल बाजार गाल्टा रोड, जयपुर।

33. अध्यक्ष, संस्कृत वेदांग विद्यालय, श्री जोगेश्वरनाथ मन्दिर, बन्दकपुर, जिला मरमीह (म० प्र०)

34. अवैतनिक सचिव, शंकरा संस्कृत कल्चर तथा प्राच्य कला अकादमी, बी०-3/5, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली।

35. निदेशक, अनंताचार्य अनुसंधान संस्थान, जी० डी० शोरमानी स्मारक, स्कूल भवन, क्यूफी प्रान्दे, बम्बई 5।

36. श्री केदारनाथ संस्थान धर्म संस्कृत महाविद्यालय तथा उत्तर खंड, विद्यापीठ, पो० जिला चमौली।

37. अवैतनिक निर्देशक, नैनी शरणया पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान, पो० नैनी, शरण्या।

38. अध्यक्ष, देव वाणी मंदिरम, इन्दिरा निवास, ए० जी० स्ट्रीट, बम्बई।

39. पुर्णप्रज्ञा विद्यापीठ, पूर्णपारा पूर्णविज्ञानगर, बंगलौर।

40. संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मालकोटा।

41. श्री गुरुराज संस्कृत पाठशाला, सक्कवार पेठ, धारवाड़ (कर्नाटक)

42. मल्लिकार्जून संस्कृत वेदपाठशाला, वेल्लूर, पोस्ट-वेल्लूर तालूका बदामी, जिला–विजापुर।

43. पूर्णप्रज्ञा विद्यापीठ, पूर्णप्रज्ञानगर· बंगलौर-28

44. आन्ध्र प्रदेशीय पुरोहित ब्रह्मन विद्यापीठम्, शिवमपेठ, जिला-मेढक।

45. हरिजन गुरुकुल संस्कृत विद्यालय पुरुदम देवी ताल्लुका, कृष्णा जिला।

46. दक्षिण भारत ब्राह्मण सभा, त्रिवेन्द्रम-23

47. अमरवाणी विद्या नीलयम, वाल्लूवेरी, कालीकट जिला।

48. श्री संकरा संस्कृत विद्यापीठ इडाकदम पोस्ट, एक्यूकोण क्यूलोन जिला।

49. कोडूनालूर विद्वत पीडम प्लेस रोड, कोडूनगलूर, जिला त्रिचूर।

50. श्री कामकोटी ओरिन्टल हाईस्कूल विल्लूपुरम।

51. श्री स्कन्धाश्रम ट्रस्ट वेद पाठशाला उदयपट्टी,
सेलम-14

52. विश्व-भारती विद्यालय,
150 बालायकरा स्ट्रीट,
ईरोड-1

53. समकुरथा विद्या केन्द्रम,
50 श्रीरंगा पलियम रोड, सेलम ।

54. संस्कृत साहित्य परिषद्,
27 चिन्नाका दई स्ट्रीट,
त्रिचुरापल्ली-2

55. सीताराम विद्यामन्दिर, श्रीरंगम, सीताराम वेदअनुसंधान समिति द्वारा संचालित,
एफ०-8/5 बसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 :

56. सीताराम विद्यामन्दिर कन्या कुमारी,
सीताराम विद्याअनुसंधान समिति द्वारा संचालित,
एफ० 8/5 बसन्त विहार, नई दिल्ली ।

57. श्री विद्यालयम, 44-ए० पार्थसारथी स्ट्रीट,
एस० एस० कालोनी मदुरै ।

58. सचिव, असम वेद विद्यालय, चतराकर,
पोस्ट-गोहाटी-1

59. देववाणी परिषद् दिल्ली,
आर०-6 वाणी विहार, नई दिल्ली-110059.

60. विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम्
लीला निवास गनपतियार, श्रीनगर (जम्मू और काश्मीर)

61. संस्कृत शिक्षा निकेतन,
गणेश रोड, श्रीनगर ।

62. रघुनाथ संस्कृत पाठशाला,
जम्मू ।

63. जी० टी० संस्कृत महाविद्यालय अगस्त क्रांति मैदान,
तेसपाल रोड, बम्बई-7

64. समर्थ रामचन्द्र संस्कृत पाठशाला, मुखेद ताल्लुका,
जिला-नादेड ।

65. श्री नाथूराम मोतीलाल संस्कृत पाठशाला धमतरी पोस्ट,
रेलवे स्टेशन, धमतरी ।

66. देवी सम्पद छत्तीसगढ़ ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत पाठशाला,
राजीम (म० प्र०)

67. वनस्थली विद्यापीठ वेद विद्यालय,
वनस्थली ।

68. आश्रम हरि मन्दिर संस्कृत विद्यालय, पटौदी,
जिला–गुड़गांव ।

69. श्रीमद् दयानन्द गुरुकुल विद्यापीठ,
तहसील बल्लभगढ़, जिला–फरीदाबाद ।

70. भारतीय साहित्य विद्यालय,
जी० के० 35/7 तारकेश्वरी सनवापी,
वाराणसी ।

71. मैनेजर, श्री हूबलाल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
बरवारी प्रयाग ।

72. श्री हरिराम गोपाल, कृष्ण सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय,
24 ऊंचा मण्डी, प्रयाग ।

73. नारायण दास संस्कृत महाविद्यालय,
खोलसारा, पोस्ट लोयारी, जिला–इलाहाबाद ।

74. श्री नारायण संस्कृत पाठशाला, ग्राम–टाउन,
प्रयाग ।

75. श्री सरस्वती ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय,
परमत, कानपुर ।

76. श्री ज्योतिष पीठ संस्कृत महाविद्यालय,
अलोपी बाग, प्रयाग ।

77. श्री महानिर्माण वेद विद्यालय,
दारागंज, प्रयाग ।

78. श्री जयमंगल संस्कृत महाविद्यालय,
नारी खुनसापुर, जौनपुर ।

79. श्री जगतनारायण संस्कृत महाविद्यालय,
जगतगंज, पोस्ट रामदयालगंज, जौनपुर ।

80. आदर्श श्रीराम संस्कृत विद्यालय,
छंगपुर, ललूका जौनपुर ।

81. श्री अन्नपूर्ण ऋषिकुल,
ब्रह्मचर्य आश्रम, शिवपुर, वाराणसी ।

82. गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय,
जमालपुर, मिर्जापुर ।

83. श्री शिव संस्कृत विद्यालय,
शिलवाल गांव, पोस्ट-मजफ, जिला–टेहरी ।

84. श्री योगीराज संस्कृत श्रीराम महाविद्यालय,
गोपाल मन्दिर, रामघाट अयोध्या जी ।

85. श्री कमल नयन रामानुज दर्शन स'स्कृत महाविद्यालय,
वृन्दावन ।

86. मैनेजर, श्री नरसिंह संस्कृत आदर्श विद्यालय,
बरासो, दीनापुर, गाजीपुर ।

87. श्री भुवनेश्वरी महेश्वरानन्द गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय,
जलोखाल (हमीरपुर)

88. श्री पन्या गुरुकुल महाविद्यालय,
दयानन्द नगर, पोस्ट-(लोलय) वाया वंशी जनपद बस्ती ।

89. श्री रघुवर संस्कृत पाठशाला, लखनऊ,
मन्दिर, अयोध्या ।

90. आदर्श सेवा भारतीय संस्कृत विद्यालय,
राम-गांव, छोलापुर, वाराणसी ।

91. आदर्श श्री वासुदेव संस्कृत पाठशाला,
गुटावन, जौनपुर ।

92. आदर्श रानी चन्दरावती श्याम एम० बी० कचोरी गली,
वाराणसी ।

93. मैनेजर, श्री महावीर संस्कृत महाविद्यालय,
कमलानगर, इलाहाबाद ।

94. श्री कृष्णा आयुर्वेदिक संस्कृत महाविद्यालय,
मुसानगर, तहसील भोगनीपुर,
जिला–कानपुर ।

95. श्री सबधनी संस्कृत पाठशाला,
बहनी हथौर, माजा, इलाहाबाद ।

96. श्रीवाम देव संस्कृत महाविद्यालय,
बांदा (उ० प्र०)

97. श्री परशुराम संस्कृत महाविद्यालय,
जलालाबाद, शाहजहांपुर ।

98. श्रीमती मूर्तिमती संस्कृत महाविद्यालय,
घंघाटा. कोहरा बस्ती ।

99. श्री शिव शर्मा संस्कृत महाविद्यालय,
दारागंज, इलाहाबाद ।

100. श्री तुलसीदास संस्कृत महाविद्यालय,
चित्रा, पोस्ट–बंकटी, जिला–बस्ती ।

101. हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ,
भाघोला ।

102. श्री गुरुकुल चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़ ।

103. श्री वेलू स्मारक संस्कृत घूपी स्कूल
पारीपल्ली पोस्ट–क्यूलोन जिला ।

104. अमरवाणी विद्या निलायम,
बालूसरी, जिला कालीकट ।

105. श्री संस्कृत विद्यापीठ,
इडाकदम, पोस्ट–ईरकोण, जिला क्यूलोन ।

106. गुरुवयूर साहित्य दीपिका संस्कृत विद्यापीठ,
पोस्ट–पवरत्ती, जिला त्रिचूर ।

107. ममबलम संस्कृत विद्यालय,
32, कोथानंदारामा स्वामी कौल स्ट्रीट,
बेस्ट ममबलम, मद्रास-33

108. गोविन्दकुदी अप्पाकुटी अयर्श चैरीटीज,
5-बन्दुरै सन्धी स्ट्रीट, कामकोनम ।

109. श्री भुवनेश्वरी चैरीटीज ट्रस्ट,
अदीअस्थानम, ईस्ट 7वीं स्ट्रीट, पुडुकोटैई,
(कृष्णा यजुर्वेद पाठाशाला के लिए अनुदान)

110. श्री ऋपांगढ़ वेन्दान्तचार्य स्वामी ट्रस्ट संस्कृत स्कूल,
नं० 23, औरन्दुला स्ट्रीट, मयलापुर, मद्रास-4

111. श्री दपडथाणी प्राच्य हाई स्कूल,
17, राजा स्ट्रीट-2, चंगलापट्टा जिला ।

112. त्रिरुविसलूर नीलकंठ शास्त्री पाठशाला,
त्रिरुविसलूर वप्पाथुर, उप कार्यालय,
जिला-थंजावर ।

113. धर्मपरिपालन शक्तीधर भेजन सभा,
संस्कृत पाठशाला नं० 5,
कार (ईस्ट) स्ट्रीट, त्रिरुचन्दूर,
चिरुनावली जिला ।

114. बरनोलगेरिया संस्कृत विद्यालय,
पोस्ट-अटबाटी, जिला-मिदनापुर ।

115. राम सीता चतुषपदी ग्राम गोहाग्राम,
पोस्ट-नैगून वाया कोचर, जिला-वर्दवान ।

116. श्रीकृष्ण चतुष्पदी, ग्राम तथा पोस्ट-मोहिसागोटी,
जिला-मिदनपुर ।

117. श्रीमत शंकराचार्य चतुष्पदी,
ससतीकला कोना रोड, पोस्ट-संतरागाची,
हावड़ा-4

118. विनोदा चतुष्पदी,
पोस्ट-वोहंचीग्राम, जिला-हुगली ।

119. कस्टादही शीतलमाता चतुष्पदी,
ग्राम-कस्टादही, पोष्ट–आरामबाग,
जिला हुगली ।

120. न्याय भूषन चतुष्पदी,
चतोरमठ गोस्वामीपारा, पोष्ट-नवद्वीप,
जिला–नदिया (प० बं०)

121. हुगली हरिजन चतुष्पदी,
कटधरा लेन, पोस्ट एवं जिला-हुगली ।

122. तारा चतुष्पदी, नंदीपारा पोष्ट,
जिला–नदिया ।

123. सारस्वत चतुष्पदी, पोष्ट-एवं जिला
जलपाइगुडी ।

124. पाया श्री गौरंगवाणी विटन, पोस्ट-कोबरा,
जिला–मिदनापुर ।

125. धर्मदर्शन चतुत्पदी,
55/वी० कांकुलिया रोड,
कलकत्ता-29

126. कालूर मेरी मोक्षदा चतुष्पदी,
पोस्ट-भगवानपुर, जिला–मिदनापुर ।

127. राधिका चतुष्पदी,
अगनेश्वरपारा, पोस्ट–नवद्वीप, जिला–नदिया ।

128. अम्बिका सस्कृत कालेज,
नं० 8, पाटलदंगा स्ट्रीट, कलकत्ता–89

129. रामेश्वर चतुष्पदी,
ग्राम-अन्ताल, पोस्ट–वालीचक, जिला–मिदनापुर ।

130. नैहटी रविन्द्र पाठागार मित्रापारा रोड,
पंचाननतला पोस्ट, नैहटी, 24–परगना ।

131. जलीगंज संस्कृत विद्यामन्दिर, अलीगंज,
मिदनापुर ।

132. गोपाल जीव चतुष्पदी, ग्राम-धूरवनारायणपुर,
पोस्ट–सतवेरिया वाया आरामबाग, जिला-बांकुरा ।

133. हरिपुर टोल गांव, हरिपुर पोस्ट-गड़हरीपुर,
जिला मिदनापुर ।

134. शालिका राधामयी चतुष्पदी, पोस्ट-राधानगर,
जिला-मिदनापुर ।

135. महामहोपाध्याय चण्डीदास,
चतुष्पदी अगमेश्वरी पारा पोस्ट-नवद्वीप
जिला-नदिया ।

136. गुथूलिया कलीतला चतुष्पदी,
पोस्ट-गौड़ बाजार, जिला-वर्दवान ।

137. दिनहटा सारस्वत चतुष्पदी,
पोस्ट-दिनहटा, जिला-कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) ।

138. सीताराम विद्या मन्दिर. दुर्गापुरी (दिल्ली) ।

139. भारतीय विद्या भवन, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली ।

140. संस्कृत संस्कृति तथा प्राच्य कला शंकरा अकादमी,
रजि०-57-ए०/वेस्टर्न एक्स० एरिया, नई दिल्ली ।

141. श्री जगन्नाथ वैदिक शिक्षा संस्थान, श्री मन्दिरपुरी ।

142. ऋषि कुंज आश्रम सत्संग समिति, रीवां ।

143. श्री महावीर संस्कृत महाविद्यालय,
वीरपुर कमला नगर, इलाहाबाद ।

144. उदासीन संस्कृत महाविद्यालय,
पी० के०, 36/9, धुन्दीराज, वाराणसी ।

145. श्रीमती मूर्तिमती संस्कृत विद्यापीठ गंगाटा,
कोहरा बस्ती ।

146. उत्कल संस्कृत शिक्षा महा संघ,
सुभद्रा भवन, पोस्ट-भुवनेश्वर,
जिला-पुरी ।

147. हिन्दू कन्या महाविद्यालय, धारीवाल ।

148. मणिपुर संस्कृत परिषद, इम्फाल ।

149. श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्यआश्रम संस्कृत महाविद्यालय,
पोस्ट-लक्षमणगढ़, जिला-शिकार ।

150. विद्या मन्दिर स्कूल, सिवाई माधोपुर ।

151. ओम बाल सदन पूर्व प्रवेशिका, विद्या अन्नह गेट,
भरतपुर ।

152. भारत बाल विद्यालय, सभिति,
जयपुर ।

153. एस० पी० रंगुला आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,
भागार (झुनझुनू) राजस्थान ।

154. राजस्थान शिक्षा प्रकाशन विद्यापीठ,
शाहपुर बाग, अमर रोड, जयपुर ।

155. विमल शारदा विद्या मन्दिर परशराय नगर,
ढेरकी बालाजी नाईपुर ।

156. श्री संस्कृत महाविद्यालय निचवा,
जिला शिकार ।

157. बाल भारती विद्यालय,
कैलाश के पीछे, छोटी बरहमपुरी कालोनी के पास
उदयपुर ।

158. श्री गोवर्धन संस्कृत महाविद्यालय,
खरगोडा, जिला-डूंगरपुर (राजस्थान)

159. अर्स कन्या गुरुकुल, डोडिया ।

160. शास्त्री उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय,
संभर लेक, जिला-जयपुर ।

161. संस्कृत स्वाध्याय थाथा ज्योतिष विज्ञान मन्दिर,

25/30 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली ।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सभा पटल पर रखे गये लम्बे विवरण को देख लिया है, वर्ष 1979-80 में हिन्दी के लिए 115 स्वयंसेवी संगठनों तथा संस्कृत के लिए 161 और अन्य भाषाओं के लिए 25 स्वयंसेवी संगठनों ने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र दिये, क्या मैं जान सकता हूं कि ये गैर-सरकारी संगठन भारतीय भाषाओं के प्रचार और उनके विकास के लिए सरकार की किस प्रकार सहायता करते हैं ।

श्री निहार रंजन लास्कर : भारतीय भाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों और शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के बारे में भारत सरकार की एक योजना है । यह योजना 1959 में आरम्भ की गयी थी और इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा गया । यह योजना काफी लाभप्रद सिद्ध हुई है क्योंकि यह न केवल सहयोग प्रदान करती है बल्कि भारतीय भाषाओं के प्रचार और विकास में लगे लोगों की भी सहायता करती है । मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं और राज्य की राजकीय भाषा के विकास का उत्तारदायित्व राज्य सरकार का है, भारत सरकार का योगदान केवल सम्बर्धसुधारी है । जो कि स्वयंसेवी संगठन आवेदन-पत्र देता है हम उसे यह सहायता देने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री के० प्रधानी : आदिम जाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थी विशेषकर संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा को नहीं समझते और इस प्रकार आदिम जाति क्षेत्रों में शिक्षा की प्रगति कम है । इस तथ्य को देखते हुए क्या सरकार ने राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को कोई ऐसे मार्गदर्शी निदेश दिये हैं कि इन अध्यापकों को पहले आदिम जाति भाषा में प्रशिक्षण दिया जाये और तब उन्हें इन प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जाये ? यदि हां, तो वे मार्ग-दर्शी निदेश क्या हैं और क्या ये स्वयं सेवीसंगठन इस संबंध में सहायता करते हैं ?

श्री निहार रंजन लस्कर : सम्पूर्ण आदिम जाति का विकास करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है । जो आदिम जाति स्वयं सेवीसंगठन सहायता मांगने के लिए आते हैं हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : संविधान के मुताबिक इस देश में उमीद की गई थी कि 15 साल के अन्दर विदेशी भाषा सार्वजनिक राज-काज की भाषा के रूप में समाप्त हो जायेगी और देशी भाषा का विकास होगा, लेकिन आज 32 साल के बावजूद भी हम उस पोजीशन में नहीं हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या आप समझते हैं कि आजादी के बाद, जो आपकी मंशा थी, उसमें आपने कोई प्रगति की है ? यदि नहीं की है तो प्रगति करने के लिये कौन-सा तरीका अख्त्यार करने जा रहे हैं ?

इस सम्बन्ध में स्वयंसेवी संस्थाओं के जितने लोगों ने आवेदन-पत्र दिये हैं, उसमें से कितने लोगों को वित्तीय सहायता अभी तक आप दे रहे हैं ?

श्री निहार रंजन लस्कर : महोदय, सभा-पटल पर रखे गये मेरे विवरण में उन सभी संगठनों का उल्लेख है जिन्होंने इन अनुदानों के लिए आवेदन पत्र दिये थे और जिनको गत वर्ष अनुदान प्राप्त हुए। यह एक लम्बी सूची है जिसे यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : हमने पूछा है कि क्या सरकार समझती है कि भारत सरकार में देशी भाषा का प्रसार हुआ है ? यदि नहीं हुआ है तो उसके लिये सरकार क्या कर रही है ? मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है या नहीं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, यह आप कह रहे हैं, जवाब दीजिये।

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, मैं असम का रहने वाला हूं और मैं हिन्दी बहुत अच्छी तरह जानता हूं, यह स्वयं इस बात का द्योतक है।

प्रो० रूप चन्द पाल : क्या सरकार के पास इस बात की जांच के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है कि ऐसी वित्तीय सहायता पाने वाले स्वयंसेवी संगठन उस राशि को उसी विशेष प्रयोजन के लिए खर्च करते हैं जिसके लिए वह दी जाती है ? क्या नेपाली, मैथिली, डोगरी तथा मनीपुरी के सम्बर्धन के लिए किसी स्वयंसेवी संगठन को वित्तीय सहायता दी जाती है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : विभिन्न क्षेत्रों में हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं और वे इस बात की देख-रेख करते हैं, नेपाली तथा अन्य भाषाओं के बारे में, जिनका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, यदि वे आवेदन पत्र देते हैं तो हम उनके मामलों पर विचार करेंगे।

श्री अनादि चरण दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा में कंध और शोरा आदिवासी जातियों की भाषा के डेवेलपमेंट के लिए किसी वालन्टरी आर्गनाइजेशन के द्वारा कोई प्रयत्न किया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

श्री निहार रंजन लास्कर : हमारे अत्यधिक प्रयास करने के बावजूद भी हमने देखा है कि इस शैक्षिक सहायता का लाभ उठाने के लिए कोई अधिक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते। माननीय सदस्य भी हमारी इस मामले में सहायता करें कि उनके अथवा अन्य क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोग इस सहायता का लाभ उठायें।

मध्य प्रदेश में चीनी का उत्पादन

*926. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश में 1979-80 में चीनी का फैक्टिरी-वार उत्पादन कितना हुआ; और

(ख) क्या यह सच है कि महीदपुररोड तथा जावरा स्थित चीनी कारखानों को प्रबन्धकों द्वारा सीजन के बीच में बन्द कर दिया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) 1979-80 मौसम के दौरान, मध्य प्रदेश की मिलों द्वारा चीनी का फैक्ट्रीवार उत्पादन इस प्रकार है :

फैक्ट्री का नाम	मात्रा (मीटरी टन में)
दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना लि०	1,038
दि ग्वालियर शुगर कं० लि०, डावरा	9,737
दि जीवाजी राव शुगर कं० लि० डलौदा	2,334
दि जावरा शुगर मिल्स प्रा० लि०, जावरा	8,43 (अस्थाई)
दि भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लि०, सिहोर	9,214
सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स लि०, महीदपुर	490 (अस्थाई)

(ख) महीदपुर तथा जावरा में स्थित फैक्ट्रियों के प्रबन्ध ने कहा है कि गन्ना उपलब्ध न होने और मजदूरों की हड़ताल के कारण सीजन के बीच में फैक्ट्री बंद करनी पड़ी थी । राज्य सरकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है । लेकिन पहले एक अवसर पर राज्य सरकार ने बताया था कि महीदपुर फैक्ट्री को गन्ना उपलब्ध होने पर भी बंद कर दिया गया था ।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि महीदपुर रोड और जावरा के शकर कारखानों की और उनके कर्मचारियों तथा किसानों की कितनी धनराशि बकाया है । क्या सरकार उन कारखानों का अधिग्रहण करके इस बकाया राशि का भुगतान करेगी और उन कारखानों को चलायेगी ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : स्टेट गवर्नमेंट से 1978 से बातचीत चल रही है कि अगर वह इन कारखानों को लेना चाहे, तो उसके लिए सोचा जाये, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इन कारखानों को लेने से इन्कार कर दिया है । स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फूड डिपार्टमेंट इन फैक्टरियों को टेक-ओवर कर ले । लेकिन फूड डिपार्टमेंट का यह विचार है कि अगर यह लायबिलिटी लेनी है, तो पहले स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों न ले । इस बारे में एक्ट बना हुआ है । हमने स्टेट गवर्नमेंट से इनफर्मेशन मांगी है । अभी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है । जब स्टेट गवर्नमेंट बतायेगी कि वह कितनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, तब हम उस पर विचार करेंगे ।

जहां तक बकाया का ताल्लुक है, फैक्टरी वाले एक रकम बताते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कोई और रकम बताती है ।

श्री सत्यनारायण जटिया : सच्चाई क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह तो मालूम नहीं है कि सच्चाई क्या है। जावरा की फैक्टरी की फिगर है कि 30.77 लाख रुपये बाकी हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक 42 लाख रुपये बाकी हैं। महीदपुर रोड की फैक्टरी की फिगर है 12.47 लाख रुपये, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक 22.31 लाख रुपये बाकी हैं। फैक्टरी ने कोर्ट में रिट दायर की हुई है। चूंकि अभी यह मामला अदालत में है, इसलिए यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन सी फिगर ठीक है—फैक्टरी की बात ठीक समझी जाती है या जो स्टेट गवर्नमेंट बताती है, वह ठीक समझी जाती है। इसके अलावा स्टाफ की तनख्वाह का पैसा अलग है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मध्य प्रदेश के लिए जो 40 हजार टन शक्कर भेजी गई थी—इस सदन में इस बारे में प्रश्न आया था—वह कहां पहुंची है ? रमजान और रक्षा-बंधन के त्यौहारों पर क्या शक्कर का नया एलोकेशन स्वीकृत किया गया है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इस सवाल को एलाऊ कर दिया है ? मेन सवाल मध्य प्रदेश की फैक्टरियों के बारे में है। लेकिन माननीय सदस्य रमजान और रक्षा-बंधन पर आ गए हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : जो 40 हजार टन शक्कर मध्य प्रदेश को भेजी गई थी, वह लापता है, वह वहां पहुंची नहीं है। रमजान और रक्षा-बंधन के लिए क्या शक्कर का एलोकेशन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप वह बात पूछिए, जो इस सवाल से उत्पन्न होती है।

श्री सत्यनारायण जटिया : यह प्रश्न इस बारे में है कि मध्य प्रदेश के लिए कितनी शक्कर चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

किसानों को गायों और भैंसों की सप्लाई

*927. **श्री के० मालन्ना** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को भैंसों और गायों की सप्लाई में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के लिए ऋण (अनुदान) राज-सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) लघु कृषक विकास एजेंसी समन्वित ग्राम विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा कुछ सीमा तक, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों को उनकी आय में वृद्धि करने के लिए सहायक धन्धे के रूप में दुधारू पशुओं की खरीद हेतु सहायता सुलभ की जाती है। उपदान की दर छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए 33⅓ प्रतिशत तथा आदिवासी भागीदारों के लिए 50 प्रतिशत है। शेष लागत संस्थागत स्रोतों से पूरी की जाती है। पिछले वर्ष तक प्रति लाभभोगी 2 पशु सप्लाई किए जा रहे थे दूसरा 8-9 महीने के अन्तराल के पश्चात सप्लाई किया जाएगा ताकि लाभभोगी को उस समय निरंतर आय होती रहे जबकि पहले वाला पशु दूध देना बन्द कर दे। अब यह निर्णय लिया गया है कि 2-3 प्रकार के पशु सुलभ किए जाएं।

इस उपदान के व्यय को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर के आधार पर बांटा जाता है। 31 मार्च, 1980 तक पशुपालन कार्यक्रम, जिसमें डेरी, मुर्गीपालन, भेड़पालन, सूअरपालन आदि शामिल हैं, के अन्तर्गत 11.45 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है।

दूसरी योजना अर्थात् दोगली किस्म की ओसरें पालने की योजना के अन्तर्गत 4 से 28 महीने के दोगले किस्म के बछड़ों के चारे के लिए छोटे किसानों, सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को उपदान सुलभ किया जाता है। लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए उपदान 50 प्रतिशत तथा कृषि श्रमिकों के लिए 66 2/3 प्रतिशत है। यह कार्यक्रम 1975-76 में शुरू किया गया था तथा अब तक 0.94 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है।

मूंगफली की किस्म सुधारने के लिये अनुसंधान

*928 **श्री रामलाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में मूंगफली की किस्म में गिरावट होने के कारण इसके उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मूंगफली उत्पादन क्षेत्रों में अनुसंधान खोलने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि मूंगफलियों की किस्म सुधारने की आवश्यकता है और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान। उत्तर भारत के चार राज्यों यानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में पिछले तीन फसल मौसमों में (1976-77, 1977-78 तथा 1978-79) मूंगफली का उत्पादन करीब-करीब स्थिर अर्थात 5.50 तथा 5.75 लाख टन के बीच रहा है। मूंगफली की गुणवत्ता में खराबी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तिलहनों पर अनुसंधान, मूंगफली के लिए राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र, जूनागढ़ (गुजरात) में तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र को जोकि मूंगफली उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र में स्थित है, मूंगफली पर मौलिक तथा समस्या मूलक अनुसंधान का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तिलहनों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजनाओं के अधीन 19 केन्द्र इस फसल पर कार्य कर रहे हैं। उत्तर भारत में, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (उ०प्र०) तथा उदयपुर विश्वविद्यालय इस अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना में भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना के अधीन अनुसन्धान केन्द्रों में बारानी खेती की दशाओं में मूंगफली उगाने के लिए एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। सिंचाई के कमांड क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में तिलहनों तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने की युक्तियों का विकास करने के लिए 6 अनुसन्धान केन्द्र भी स्वीकृत किये गए हैं। इनमें से चार केन्द्र उत्तर भारत, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में एक-एक केन्द्र स्थापित हैं। मूंगफली उत्पादन के मूल पहलुओं पर अनुसंधान को बढ़ाने के लिये "चेयर्स आफ एक्सीलेन्स एण्ड नेशनल फैलोज" की योजना के अन्तर्गत तीन मूल एक हैदराबाद तथा जूनागढ़ में भी स्थापित किये गये हैं।

(ग) इन प्रायोजनाओं के अन्तर्गत, बोने के लिए लगभग 22 किस्में जारी की गई हैं। इस संबंध में एम-13, जे०एल०-24, एम०एच०-2, टी०एम०वी०-2 और जे-11 जैसी किस्मों का उल्लेख किया जा सकता है। जिनमें अधिक उपज देने की संभावना है। टी०एम०वी-10 जैसी किस्मों में तेल का प्रतिशत अधिक यहां तक कि 54-55 प्रतिशत अधिक है। नई किस्में, जैसे टी०जी०-1 और टी० जी०-3, एच०पी०-6 किस्मों (निर्यात वाली) से संबंधित है। ऐसी किस्मों का भी पता लगा लिया गया है जो "एफलोटाक्सिन" संक्रमण को सहन कर सकती है और इससे भण्डारण में बीज की गुणवत्ता सुधारने में सहायता मिली है।

महाराष्ट्र में गन्ना मूल्य की बकाया राशि

*929. **श्री आर० आर० भोले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में (कारखानावार) किसानों को गन्ने के मूल्य की कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ख) गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान निर्धारित समय में करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें फैक्ट्रियों द्वारा सांविधिक विवरणियों में दी गई सूचना के आधार पर 15 जुलाई, 1980 को महाराष्ट्र की चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के मूल्य की देय बकाया राशि की स्थिति बताई गई है।

(ख) चीनी फैक्ट्रियों के मामले में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को खत्म करवाने की

मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है जिनके साथ समय-समय पर यह मामला उठाया जाता है । इसके अलावा, जहां कहीं भी आवश्यक होता है वहां चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण न) अधिनियम, 1978 के अधीन कार्रवाई भी की जाती है ।

विवरण

फैक्ट्रियों द्वारा सांविधिक विवरणी में दी गई सूचना के आधार पर 15 जुलाई, 1980 को महाराष्ट्र की चीनी फैक्ट्रियों के पास गन्ने के मूल्य की बकाया राशि

निम्नलिखित के संबंध में 15 जुलाई, 1980 को बकाया राशि लाख रुपयों में

फैक्ट्री का नाम	1979-80	1978-79	1977-78 और इसके पहले	जोड़	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रावल गांव	7.97	—	—	7.97	
2. निफाद	—	0.44	0.75	1.19	
3. कोपरगांव	4.71	—	—	4.71	
4. गणेशनगर	—	0.47	15.12	15.59	
5. तिलकनगर	3.42	1.14	0.61	5.17	
6. श्रीगोडा	—	0.35	0.25	0.60	
7. नीरा	1.13	0.61	2.20	3·94	
8. मालीनगर	6.43	—	3.50	9.93	
9. बी० महाराष्ट्र	37.70	—	7.08	44.78	
10. फाल्टन	8.18	2.80	1.67	12.65	
11. सांगली	5.01	—	—	5.01	
12. कोल्हापुर	6.71	0.92	3.28	1.091	
13. इचालकरंजी	13.68	0.86	2.48	17.02	
14. भोगवती	7.58	0.21	0.16	7.94	
15. टेरना	3.48	—	—	3.48	30-6-80
16. संगमनेर	4.66	—	—	4.66	को
17. कलामबर	0.69	0.19	1.24	2.12	
18. बेयूर	—	—	0.34	0.34	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. पंजारखान	2.27	—	—	2.27	
20. भुंज	0.06	3.27	0.88	4.21	
21. विश्वास	—	0.20	3.02	3.22	
22. जीजामाता	0.74	16.87	—	17.61	
23. बसन्त	—	0.42	—	0.42	
24. किल्लरी	2.38	0.01	0.01	2.40	
25. सिल्लोद	1.75	1.29	0.91	3.95	
26. डोंगरकाडा	—	0.20	0.10	0.30	
27. परसोदा	0.39	—	—	0.39	
28. दौलत	0.75	0.84	0.45	2.04	
29. फेजपुर	-	0.05	0.33	0.38	
30. खोदगांव	—	0.15	—	0.15	
31. भद्रकाली	1.21	—	—	1.21	
32. सोनाई	3.01	—	—	3.01	22.7.80
33. काडा	1.89	0.31	—	2.20	को
जोड़	125.80	31.60	44.37	201.77	

नोट :— इसमें उन 37 फैक्ट्रियों के नाम शामिल नहीं हैं जिन्होंने बकाया राशि के बारे में 'शून्य' रिपोर्ट दी है।

दालों के लिए नई फसल प्रणाली

*930. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री पीयूष तिरकी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई फसल प्रणाली तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान। देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दालों की कम अवधि वाली किस्मों के अनेक फसल क्रमों तथा अन्तः कृषि और मिश्रित कृषि की अनेक प्रणालियों का सिंचित और बारानी दशाओं के लिए विकास किया जा चुका है।

(ख) सिंचित और बारानी दशाओं के अन्तर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रमुख फसल क्रम नीचे दिए जा रहे हैं :

i. उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र :

(पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर और पश्चिम उत्तर प्रदेश)

क. क्रमवार फसल

सिंचित			बारानी	
खरीफ	रबी	जायद	खरीफ	रबी
चावल	गेहूं	मूंग	मूंग	सरसों
मक्का	गेहूं	मूंग	मक्का	चना
मक्का	आलू	मूंग	उड़द	सरसों
बाजरा	गेहूं	मूंग		

ख. अन्तः कृषि/मिश्रित कृषि

(i) बाजरा/मक्का+मूंग;

(ii) मक्का+सोयाबीन;

(iii) कुसुम+लोबिया;

(iv) कपास+मूंग

(v) मक्का+लोबिया

(vi) मक्का+उड़द

ii. पूर्वी क्षेत्र :

(पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम)

क. क्रमवार फसल :

सिंचित			बारानी	
खरीफ	रबी	जायद	खरीफ	रबी
चावल	चावल	लोबिया	चावल	चना
चावल	आलू	मूंग	बाजरा	चना
मक्का	अरहर		तिल	चना
मक्का	गेहूं	मूंग	मक्का	कुलथी
(मक्का+उड़द)	गेहूं	मूंग	मक्का	चना

ख. अन्तः कृषि/मिश्रित कृषिः

(i) मक्का+अरहर

(ii) रागी+अरहर

(iii) ज्वार+अरहर

iii. केन्द्रीय क्षेत्र,

(मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात)

क. क्रमवार फसल

सिंचित			बारानी	
खरीफ	रबी	जायद	खरीफ	रबी
बाजरा	गेहूं	मूंग	ज्वार	चना
मक्का	गेहूं	लोबिया	उड़द	गेहूं
ज्वार	गेहूं	मूंग/लोबिया	मूंग	ज्वार
ज्वार	आलू	मूंग	बाजरा	चना
			लोबिया/उड़द	चना/कुसुम

ख. अन्तःकृषि/मिश्रित कृषि :

(i) बाजरा/ज्वार+अरहर

(ii) मूंगफली +अरहर

(iii) ज्वार +उड़द/लोबिया

(iv) कपास +मूंग

iv. दक्षिणक्षेत्र

(आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल)

क. क्रमवार फसल

सिंचित			बारानी	
खरीफ	रबी	जायद	खरीफ	रबी
चावल	चावल	मूंग	मूंग	ज्वार
चावल	चावल	उड़द	मूंग	कुसुम
चावल	चावल	लोबिया	लोबिया	रागी
			बाजरा/ज्वार-लोबिया	/कुलथी

ख. अन्तःकृषि/मिश्रित कृषि

(i) ज्वार/बाजरा+अरहर

(ii) मूंगफली+अरहर

(iii) अरहर+रागी

(iv) कसावा+लोबिया/कुलथी

कृषि मूल्य आयोग

931. श्री ए० टी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग के संशोधित निर्देश-पद क्या हैं; और

(ख) कृषि मूल्य आयोग के निर्देश-पदों का संशोधन करने के क्या उद्देश्य हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) तथा (ख) कृषि मूल्य आयोग के संशोधित विचारार्थ विषयों के संबंध में कृषि मंत्रालय के कृषि तथा सहकारिता विभाग के दिनांक 5.3.1980 के संकल्प संख्या 140।1/2/78-अर्थ नीति की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। विचारार्थ विषयों को संशोधित करने के उद्देश्य इस संकल्प में दिये गये हैं।

विवरण

कृषि मूल्य आयोग की स्थापना अर्थव्यवस्था की समूची आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए तथा उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के हितों को समुचित महत्व देते हुए एक संतुलित एवं समेकित मूल्य प्रणाली के विकास हेतु कृषि जिंसों की मूल्य नीति के संबंध में परामर्श देने के उद्देश्य से जनवरी, 1965 में की गई थी। गत वर्षों में आयोग ने कृषि जिंसों की एक स्थायी और उपयुक्त मूल्य नीति विकसित करने में मदद की है।

आयोग की स्थापना होने के बाद कृषि की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र और सम्य गहनता में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। उर्वरकों और कीटनाशियों की खपत में वृद्धि हुई है। संस्थागत और अन्य स्रोतों के माध्यम से कृषि का निवेश बढ़ गया है। कृषि और ग्राम विकास को उच्च प्राथमिकता देने के लिए नीति संबंधी अनेक निर्णय लिए गए हैं।

इन कदमों के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में स्थायित्व का एक उपयुक्त स्तर प्राप्त हुआ है और कृषि क्षेत्र की मण्डी उन्मुखता में वृद्धि होने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन और विस्तार किया जाए।

आयोग के विचारार्थ विषय निम्न होंगे :

1. धान, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना, तुर, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तोरिया, सरसों, कपास, पटसन, तम्बाकू और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य जिंसों की मूल्य नीति के बारे में सलाह देना जिससे कि अर्थव्यवस्था की समूची आवश्यकताओं की भावी रूपरेखाओं में व उत्पादक एवं उपभोक्ता के हितों के बारे में संतुलित तथा समेकित मूल्य संरचना का विकास किया जा सके।

2. मूल्य नीति तथा संबंधित मूल्य संरचना के बारे में सिफारिश करते समय आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :

(1) राष्ट्रीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने व उत्पादन की एक पद्धति विकसित करने हेतु उत्पादक को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता,

(2) भूमिगत जल और उत्पादन के अन्य संसाधनों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता,

(3) शेष अर्थ-व्यवस्था और विशेषकर रहन-सहन की लागत तथा मजदूरी औद्योगिक लागत की संरचना आदि के बारे में मूल्य नीति का सम्भावित प्रभाव।

3. आयोग मूल्य से संबंध न रखने वाले ऐसे उपायों के बारे में भी सुझाव दे सकता है, जिससे उपर्युक्त (1) में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा हो।

4. मूल्य नीति को कारगर बनाने के लिए विभिन्न जिंसों के बारे में समय-समय पर आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

5. कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के उत्पादों के व्यापार के बीच होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखना।

6. आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में कृषि जिंसों की प्रचलित पद्धतियों एवं विपणन की लागत की जांच करना, विपणन की लागतों को कम करने के लिए सुझाव देना तथा विपणन के विभिन्न स्तरों के लिए उचित मूल्य की सीमा के विषय में सिफारिश करना।

7. विकासात्मक मूल्य स्थिति की जांच पड़ताल करते रहना तथा आवश्यकता पड़ने पर समूची मूल्य नीति के कार्य क्षेत्र में उचित सिफारिशें करना।

8. सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अनुसार विभिन्न फसलों के बारे में अध्ययन करना।

9. मूल्य नीति और कृषि मूल्यों के बारे में जानकारी तथा अन्य संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की व्यवस्थाओं से संबंधित अध्ययनों की जांच पड़ताल करते रहना तथा उनमें सुधार लाने के बारे में सुझाव देना और मूल्य नीति के क्षेत्र में अनुसन्धानात्मक अध्ययनों की व्यवस्था करना।

10. सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि मूल्यों तथा उत्पादन के संबंध में बतायी जाने

वाली समस्याओं के बारे में सलाह देना ।

आयोग मूल्यों और उत्पादन को प्रभावित करने वाले मामलों से संबंधित अन्य एजेंसियों, जिसमें भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम और भारतीय पटसन निगम भी शामिल हैं, से निकट सम्पर्क बनाये रखेगा ।

आयोग अपनी कार्य विधि स्वयं निर्धारित करेगा । वह अपने कार्य के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों से टिप्पणियां, ज्ञापन अध्ययनों, के परिणाम, के आंकड़े एवं इसके कार्य से सम्बद्ध अन्य संबंधित सामग्री मंगाने व उनके साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

आयोग विभिन्न जिंसों अथवा उनके समूह के बारे में, आवश्यकता पड़ने पर, सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

ह०
(एम० एस० स्वामीनाथन)
सचिव, भारत सरकार

पृष्ठांकन संख्या 14011/2/78-अर्थ नीति दिनोक 5 मार्च, 1980

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक तथा कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

ह०
(एम० एस० स्वामीनाथन)
सचिव, भारत सरकार

महा प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद (हरियाणा)

पृष्ठांकन संख्या 14011/2/78-अर्थ नीति दिनांक 5 मार्च, 1980

सूचनार्थ प्रति प्रेषित :

1. मंत्री (कृषि) के निजी सचिव ।
2. कृषि राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
3. सचिव (कृषि और सहकारिता)/सचिव (खाद्य) के निजी सचिव ।
4. अपर सचिव (आर० सी०)/अपर सचिव (पी०), अपर सचिव (सी०), कृषि आयुक्त, वन महानिरीक्षक, पी० इ० (पी० पी० एम० सैल)

5. अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग ।

6. कृषि और सहकारिता विभाग के सभी संयुक्त सचिव, पशुपालन आयुक्त तथा अर्थ और सांख्यिक सलाहकार ।

7. जन सम्पर्क निदेशक ।

8. कृषि और सहकारिता विभाग के सभी अधिकारी/ अनुभाग ।

ह०
(एम० वी० केशवन)
अवर सचिव, भारत सरकार

वर्ष 1980 के दौरान निर्माण किए जाने वाले भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

*932. **श्री चतुर्भुज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम का विचार 1 जनवरी, 1980 के बाद कुल कितने गोदामों का निर्माण करने का है;

(ख) उक्त गोदामों के निर्माण पर कितना व्यय किया जायेगा; और

(ग) गोदामों का निर्माण करने के लिए स्थानों का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम का जनवरी, 1980 के बाद 55 केन्द्रों पर परम्परागत भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का विचार है ।

(ख) आशा है कि इस पर अनुमानत: 69.00 करोड़ रुपये का खर्च आएगा ।

(ग) गोदामों का निर्माण करने के लिए स्थानों का चुनाव करने हेतु मोटे तौर पर निम्नलिखित कसौटी अपनाई गई हैं :

(i) वसूली और/अथवा वितरण के लिए सम्भानित आवश्यकता;

(ii) सहूलियत वाले केन्द्रों पर वफर स्टाक का पता लगाने हेतु आवश्यकता; और

(iii) रेलवे साइडिंग सहित रेल संचलन सुविधाओं की उपलब्धता ।

झाबुआ में टेलीफोन कनेक्शन

*933. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **संचार मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे ।

(क) वर्ष 1979-80 में झाबुआ जिले में कितने नए टेलीफोन केन्द्र खोले गए;

(ख) झाबुआ जिले में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन विचाराधीन थे और वर्ष 1979-80 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान झाबुआ जिले में कितने नए सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

खोले गए और क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि अधिकांश सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ठीक से काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है कि सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ठीक से काम करें ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) भावरा कल्याणपुर में दो।

(ख) 31-3-79 तथा 31-3-80 को प्रतीक्षा सूची शून्य है। 1979-80 के दौरान 52 कनेक्शन प्रदान किए गए।

(ग) खोले गए नए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 6 है।

(घ) कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु खुली तार लाइनों में अक्सर खराबी हो जाती है। इन खराबियों को दूर करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय

*934. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हर विद्यार्थी को दसवीं कक्षा तक लगभग 13 विषय पढ़ने पड़ते हैं जिनमें विज्ञान सम्बन्धी और विज्ञान से भिन्न दोनों तरह के विषय शामिल हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके बाद विद्यार्थी को विज्ञान कला अथवा वाणिज्य आदि वर्गों में से किसी एक वर्ग को चुनना होता है;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप विद्यार्थी द्वारा 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक की गई बहुत सी मेहनत बेकार चली जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रमों का चुनाव 11वीं में करने के बजाय जैसा अब होता है, छठी कक्षा में ही करने की अनुमति देगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, दहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) बच्चों के लिए उनके विकास के वर्षों में कक्षा X तक सामान्य शिक्षा आवश्यक है ताकि उन्हें सन्तुलित वृद्धि और सर्वांगीय विकास का अवसर मिल सके। कक्षा VI के स्तर की सुकुमार आयु में विविधतापूर्ण शिक्षा के परिणामस्वरूप बच्चे का विकास असन्तुलित हो सकता है। इसके अतिरिक्त छठी कक्षा का कोई छात्र इतना परिपक्व नहीं होगा कि वह अपनी जीवनवृत्ति के सम्बन्ध में निर्णय कर सके।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति में स्मारक डाक टिकट

*935. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति में उनकी प्रथम पुण्य तिथि पर, एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, हां ।

(ख) लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट उनकी पहली बरसी पर 8 अक्तूबर, 1980 को जारी किया जायेगा ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर

*936. **श्री नारायण चौबे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर कुछ ऐसे शोध केन्द्रों का संचालन करता है जिनका वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इन केन्द्रों के रिकार्ड बहुत ही संतोषजनक पाए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन केन्द्रों से निकले अच्छी शैक्षिक योग्यता रखने वाले छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थायी रोजगार पाने में कठिनाई होती है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रशिक्षण संस्थाएं हैं । ये जितने लोगों को स्थायी रोजगार दे सकते हैं, उनकी संख्या सीमित है ।

नैनीताल, उत्तर प्रदेश स्थित टेलीफोन एक्सचेंज

*937. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल स्थित टेलीफोन एक्सचेंज बहुत खराब हालत में है तथा टेलीफोन कनेक्शन खराब होते रहने के कारण प्रयोक्ताओं को भारी कठिनाई होती है;

(ख) गत छह महीनों के दौरान प्राप्त शिकायतों के बारे में तथा ठीक की गई खराबियों के आंकड़े क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक्सचेंज की मशीनरी को बदलने तथा एक स्वचालित एस० ए० एक्स० टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो आवश्यक परिवर्तन करने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पिछले छह महीनों में प्राप्त शिकायतों तथा ठीक की गई खराबियों के आंकड़े दर्शाने वाली एक विवरणी सभा पटल पर रखी जा रही है ।

(ग) जी, हां। नैनीताल में एक कंटेनराइज्ड मेटाकोन्टा ग्रामीण एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) इसमें लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है।

विवरण

	महीना	प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या	ठीक की गई खराबियां
1.	फरवरी	149	145
2.	मार्च	163	156
3.	अप्रैल	191	188
4.	मई	210	206
5.	जून	146	141
6.	जुलाई	106	78

शेष शिकायतों का संबंध उन मामलों से है जिनमें कोई दोष नहीं था।

चिल्का झील में झींगा मछली का पकड़ा जाना

938. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस तथ्य को देखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चिल्का झील से पकड़ी गई झींगा मछली की बहुत मांग है, सरकार ने वहां पर झींगा मछली के पकड़ने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : चिल्का झील क्षेत्र में झींगा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उनमें खारे पानी में प्रदर्शन के लिये 50 हैक्टार क्षेत्र में मत्स्य फार्म के निर्माण करने, झींगा मछली के पोनों के संसाधनों का सर्वेक्षण करने तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के एक एकक की स्थापना करने के लिये राज्य सरकार को सहायता देना शामिल है, ताकि इस क्षेत्र में झींगा मत्स्य पालन में सहायता मिल सके।

विभिन्न राज्यों में धान, गेहूं और ज्वार की उत्पादन लागत

939. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** :

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या कृषि मंत्री गेहूं और धान की प्रति हैक्टार उत्पादन लागत के बारे में 14 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3994 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार द्वारा अपनाये गये तरीकों के अनुसार (एक) पंजाब, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धान, (दो) पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गेहूं और

(तीन) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ज्वार की वास्तविक उत्पादन लागत कितनी-कितनी है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : विभिन्न राज्यों में धान, गेहूं तथा ज्वार की प्रति हैक्टार उत्पादन लागत संबंधी एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। इस लागत में न केवल किसानों द्वारा खरीदे गए आदानों, बल्कि स्वामित्वाधीन भूमि का किराया मूल्य, स्वामित्वाधीन अचल पूंजी पर ब्याज तथा परिवार के श्रम की लागत भी शामिल है।

विवरण

(रुपयों में)

फसल	राज्य	वर्ष	उत्पादन लागत (प्रति हैक्टार)
I. धान	पंजाब	1978-79	3360.94
	आंध्र प्रदेश	1978-79	3082.71
	उत्तर प्रदेश	1977-78	2044.00
II. गेहूं	पंजाब	1977-78	2722.36
	उत्तर प्रदेश	1977-78	2480.16
	राजस्थान	1975-76	2064.46
III. ज्वार	मध्य प्रदेश	1977-78	715,94
	महाराष्ट्र	1977-78	758.69
	राजस्थान	—	उ० न०

उ० न० उपलब्ध नहीं

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मौके पर खरीद

*940. **श्री आर० एल० भाटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को यह कहा गया है कि वे मौके पर जाकर कृषि उत्पाद की खरीद करें; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार की मूल्य समर्थन नीति के अधीन खाद्यान्नों की खरीदारी करता है। वे सेना क्रय संगठन को सप्लाई करने के लिए थोड़ी मात्रा में खाद्यान्नों और दालों की कुछ वाणिज्यिक खरीदारी भी करता है। ये खरीदारियां उन मंडियों में की जाती हैं जहां पर कृषि उत्पाद परम्परागत रूप से लाया जाता है। इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने उन राज्यों में अपने केन्द्र स्थापित किए हैं जहां पर उनसे वसूली कार्य करने के लिए कहा गया हो।

नसबंदी का प्रमाण पत्र देने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों/फ्लैटों का आवंटन

7498. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में कटरा करीम खां पहाड़गंज, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के आवंटन के संबंध में कितने व्यक्तियों ने अपना अधिकार खो दिया था क्योंकि वे अपने राशन कार्डों में नसवन्दी का प्रमाण-पत्र न दे सकने के कारण अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम शामिल नहीं करा सकें; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन व्यक्तियों को मकान/फ्लैट आवंटन करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) शून्य ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाली के निकट जल प्रदूषण

7499. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रंगाई और छपाई उद्योगों के कारण वहां का पानी दूषित हो गया है और इस प्रदूषित जल के पीने से महिलाओं की डिम्बग्रंथियों पर सीधे ही कुप्रभाव पड़ता है तथा दो या तीन महीनों में गर्भपात हो जाता है और खारिश तथा रक्त-स्राव जैसी गम्भीर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और नव विवाहितों पर इनका सबसे अधिक असर पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि पाली जिले में भू-जल शुरू से ही पीने लायक नहीं है और रंगाई तथा मुद्रण उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के कारण बंदी नदी की पुनः स्वच्छता सीमा में स्थित कुओं के जल की कोटि पर प्रभाव पड़ा है। तथापि, पाली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में पेय जल का मुख्य साधन नहर है जो प्रदूषण से रहित है क्योंकि इस नहर में कोई अपशिष्ट नहीं डाले जाते ।

गर्भपात और रक्तस्राव की घटनाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन खुजली के मामलों में वृद्धि नोटिस में आई है । तथापि, खुजली जलजन्य रोग नहीं है लेकिन इसका कारण पैरासाइटिक बक्टेरिया है और यह प्रभावित व्यक्ति को छूने से फैलता है ।

(ख) शहर में अवस्थित लघु उद्योगों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान औद्योगिक तथा निवेश निगम औद्योगिक अपशिष्ट शोधन संयंत्र की सुविधा सहित एक औद्योगिक क्षेत्र विकासित कर रहा है और इन उद्योगों को प्लाट आवंटित किए जा

रहे हैं तथा इस औद्योगिक क्षेत्र में अन्तरित होने के लिए राजी किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र चुरण-I और II में अवस्थित उद्योगों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिए गठित राजस्थान राज्य बोर्ड पाली नगर के लिए अग्रता आधार पर सीवरेज तथा व्यापारिक बहिस्राव शोधन स्कीम समन्वित रूप से आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधान के अन्तर्गत दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही भी कर रहा है।

पानी की सप्लाई तथा जल निकास आदि के लिए बम्बई को विश्व बैंक ऋण

7500. **श्री आर० के० महालगी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन ने विश्व बैंक से 3/4 प्र० श० ब्याज की दर पर 45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता लेकर पानी की सप्लाई तथा जल निकास की एक बड़ी योजना आरम्भ की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार उक्त राशि पर 1/2 प्र० श० के हिसाब से ब्याज लेती है और तब उक्त सहायता से उक्त कारपोरेशन को ऋण उपलब्ध किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज की दर बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) बम्बई नगर निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन की सहायता से क्रमशः 200 करोड़ और 350 करोड़ रुपये की लागत की समेकित जल पूर्ति और मल व्ययन योजना दो चरणों में आरम्भ की है। प्रथम चरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ऋण 550 लाख संयुक्त राज्य डालर और द्वितीय चरण के लिए 1900 लाख संयुक्त राज्य डालर है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से ऋण भारत सरकार को प्राप्त होते हैं न कि राज्यों को, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से प्राप्त ऋण पर कोई ब्याज नहीं होता लेकिन 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष केवल सेवा प्रभार लिया जाता है।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों पर ब्याज दर घरेलू ऋणों सहित विभिन्न साधनों से केन्द्र द्वारा लिये गये ऋणों की सम्पूर्ण लागत को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अधिकांश ऋणों पर 5½ प्रतिशत की ब्याज दर वसूल की जाती है जिसमें समय पर भुगतान करने पर 1/4 प्रतिशत की छूट दी जाती है। यह एक रियायती दर है। इसके अलावा, क्योंकि राज्यों को योजना सहायता अंशतः ऋणों और अंशतः अनुदानों के रूप में दी जाती है, प्रभावी ब्याज दर 5½ प्रतिशत से कम आंकी गई है जो सहायता के अनुदान घटकों पर निर्भर है। बम्बई की जल-पूर्ति परियोजना की वित्तीय व्यवस्था नगर निगम के आन्तरिक साधनों और राज्य सरकार द्वारा दिये गये योजना-नियतनों से की जाती है।

दिल्ली के स्कूलों के छात्रों की मृत्यु

7501. **श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली के विभिन्न सरकारी छात्र हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के कितने छात्रों की मृत्यु तब हुई जब वे दिल्ली के विभिन्न भागों में अध्ययन भ्रमण पर थे और तैराकी तथा पिकनिक में भाग ले रहे थे; और

(ख) जिन स्कूलों के छात्रों की मृत्यु अध्ययन-भ्रमण, पिकनिक, तैराकी आदि में भाग लेने के दौरान हुई, उन स्कूलों के प्रधानाचार्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों की अवधि में अध्ययन दौरे के दौरान दुर्घटना में राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सं० 2, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, के तीन छात्रों की मृत्यु हुई थी।

(ख) दौरे के उन प्रभारी अध्यापकों, जिन्होंने नियंत्रण सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और उन्हें दण्डित किया गया था। प्रिंसिपल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

समस्तीपुर बिहार में प्रशीतागार में रखे आलुओं को क्षति

7502. **श्री राम सिंह शास्त्र** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वर्ष 1979-80 में बिहार के समस्तीपुर जिले में प्रशीतागार में रखे लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य के आलुओं को बिजली की कमी के कारण क्षति पहुंची थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1979-80 के दौरान समस्तीपुर के एक प्रशीतागार में 20,000 क्विंटल आलुओं को क्षति पहुंची थी। क्षतिग्रस्त आलुओं के मूल्य तथा क्षति के कारणों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षण

7503. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत अब तक कितने युवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : महाराष्ट्र में ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों की संख्या

4181 सूचित की गई है। इसमें नासिक, धुले जलगांव तथा सतारा के जिलों की सूचना शामिल नहीं है।

डी० डी० ए० फ्लैट्स, लारेंस रोड, दिल्ली में स्ट्रीट लाइट

7504. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा 1973 में डी० डी० ए० फ्लैट्स, लारेंस रोड, दिल्ली के ए०-1 ब्लाक के निवासियों को आश्वासन दिया गया था कि फ्लैट संख्या ए०-112-8, 82-88 और 90-96 के साथ 'स्ट्रीट लाईट' लगाई जायेगी और क्षेत्र के निचले हिस्से को 'ग्रीन एरिया' के रूप में विकास किया जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन वर्षों में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या निवासियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार कार्य आरम्भ करेगी और शीघ्र उसे पूरा करेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसके द्वारा ऐसा कोई आश्वासन दिया गया प्रतीत नहीं होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (ख) में बताये गये फ्लैटों के सामने के मार्ग सहित लारेंस रोड के सभी भागों में सड़क में प्रकाश व्यवस्था के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्था से अनुमान प्राप्त हो गये हैं और इसके लिए प्रारम्भिक कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं।

राजस्थान के रेगिस्तानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों को उपजाऊ भूमि में बदलने की योजना

7505. **आचार्य भगवान देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के रेगिस्तानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लाखों एकड़ बंजर भूमि का उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस कार्य के लिए कोई योजना बनाई और उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) यह सही है कि राजस्थान के अधिकांशतः रेतीले भाग में बहुत बड़े क्षेत्र में परती भूमि है। परती तथा मार्जिनल भूमि के विकास के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम, जो राजस्थान के क्रमशः 13 और 11 जिलों में चालू हैं, के भाग के रूप में वनरोपण तथा चरागाह विकास और मृदा तथा जल संरक्षण की योजनायें शुरू की जाती हैं। मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण के उपायों से लगभग 81,000 हैक्टयर भूमि का उपचार किया गया है तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 67,000 हैक्टयर भूमि में वनरोपण तथा चरागाह विकास संबंधी कार्य किया गया

था। मरु विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 7,600 हैक्टयर भूमि में मृदा संरक्षण के उपाय किए गए तथा 9,342 हैक्टयर भूमि में वनरोपण और चरागाह विकास संबंधी कार्य किया गया था।

राजस्थान नहर चरण-1 परियोजना के 5.40 लाख हैक्टयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में से 2 लाख हैक्टयर भूमि का विकास कार्य विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। हाल ही में राजस्थान नहर परियोजना (अवस्था-1) के चरण-2 को, जो कि एक कमान क्षेत्र विकास परियोजना है, कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2.46 लाख हैक्टयर क्षेत्र का विकास भी शामिल है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 6 लाख हैक्टयर क्षेत्र के लिए चरण-2 परियोजना के विकास के लिए परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की है।

पोलिटेक्निक स्कूल

7506. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे पोलिटेक्निक तथा जूनियर पोलिटेक्निक स्कूलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान ऐसे कितने स्कूल खोलने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य का लघु पालिटैक्निक का आशय पालिटैक्निक कहलाने वाली डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं से और कनिष्ठ पालिटैक्निक स्कूलों का आशय कनिष्ठ तकनीकी स्कूलों से है। संस्थाओं की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित कार्य दल का यह विचार था कि 1978-83 के दौरान जन शक्ति की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए वर्तमान तकनीकी संस्थाओं में पर्याप्त क्षमता विद्यमान थी, अतः उपेक्षित क्षेत्रों तथा नयी प्राथमिकता वाले नये पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त नयी संस्थाओं की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

शैक्षिक वर्ष 1979-80 के सम्बन्ध में

राज्य	पालिटैक्निक	कनिष्ठ तकनीकी स्कूल
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र :		
दिल्ली	8	—
जम्मू एवं काश्मीर	2	—
हिमाचल प्रदेश	2	1

1	2	3
चण्डीगढ़	2	—
हरियाणा	10	—
पंजाब	13	2
राजस्थान	8	—
उत्तर प्रदेश	47	12
	92	15
पूर्वी क्षेत्र :		
पश्चिम बंगाल	27	20
बिहार	16	—
उड़ीसा	8	2
असम	7	3
मेघालय	1	—
मणिपुर	1	—
नागालैंड	1	—
त्रिपुरा	1	—
	62	25
पश्चिमी क्षेत्र :		
गुजरात	21	—
महाराष्ट्र	37	1
मध्य प्रदेश	23	14
गोआ	2	—
	83	15
दक्षिणी क्षेत्र :		
कर्नाटक	28	6
केरल	18	21
आन्ध्र प्रदेश	25	12
तमिलनाडु	35	—
पाण्डिचेरी	1	1
	107	40
कुल जोड़ :	344	95

विदेशी दम्पत्तियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेना

7207. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में स्वीडिश और अन्य विदेशी दम्पत्तियों ने भारत से बच्चों को गोद लेने की इच्छा वक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अन्तर-देशीय दत्त ग्रहण के संबंध में इस समय कोई कानून नहीं है। दत्तक ग्रहण के बारे में विस्तृत कानून न होने के कारण जो विदेशी दम्पत्ति भारतीय बच्चों को गोद लेना चाहते हैं वे अभिभावक और आश्रित अधिनिवम, 1860 के अधीन बच्चे को अपते संरक्षण में ले लेते हैं। इसके लिए विदेशी नागरिक भारत में ऐसी सक्षम अदालत में जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर बच्चा सामान्यतया रहता है एक अर्जी दाखिल करता है। अदालत प्रत्येक मामले की गुण-दोष के आधार पर जांच करती है और सम्भावित गोद लेने वाले अभिभावकों द्वारा "आश्रित" के रूप में बच्चे को लेने के संबध में आदेश दे देती है तथा "गोद लेने" वाले देश में बच्चे को ले जाने की इजाजत भी देती है।

जो अदालतें ऐसे मामलों में आदेश देने में सक्षम हैं वे दिए गए आदेशों की प्रतियां इस मंत्रालय को भेज देती हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर यह देखा गया है कि अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 के अधीन विदेशी दम्पत्तियों द्वारा प्रतिवर्ष औसतन लगभग 700-800 बच्चे गोद लिए जाते हैं। तो भी इससे पूरी स्थिति का पता नहीं चलता है क्योंकि कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनके संबंध मे अदालतों के आदेशों की प्रतियां मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई हों। बेलजियम और कनाडा उन देशों में से है जिनके नागरिक अभिभावक और आश्रित अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों को अपने आश्रय में लेते रहते हैं।

भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि बहुत से स्वीडिश और अन्य विदेशी दम्पत्तियों ने भारतीय बच्चों को गोद लेने की इच्छा प्रकट की है क्योंकि विदेशी नागरिक सक्षम अदालतों में अपनी अर्जियां सीधे अथवा अपने अटार्नियों के माध्यम से दाखिल करते हैं।

मिथिला विश्वविद्यालय को वित्तीय एवं अन्य सहायता

7208. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री मिथिला विश्वविद्यालय को वित्तीय एवं अन्य सहायता के बारे में 14 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4119 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा दिए गए ऐसे आश्वासन कौन से हैं जिनका पूरा न किया जाना मिथिला विश्वविद्यालय को विकास अनुदान दिये जाने में बाधक है; और

(ख) विश्वविद्यालय के अपने विकास के लिए ऐसे कौन से विशेष प्रस्ताव हैं जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मूल्यांकन एवं स्वीकृत किया जाना है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए गए निम्नलिखित आश्वासनों को पूरा करने के बारे में बिहार सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है :

(i) राज्य सरकार द्वारा विकसित भूमि सहित भवनों, उपस्करों, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों, छात्रावासों, स्टाफ क्वाटरों के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की जायेंगी जिसका कुल मूल्य 2,00 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा;

(ii) विश्वविद्यालय को इसके सामान्य कार्यकरण के लिए पर्याप्त अनुरक्षण अनुदान दिया जाएगा; और

(iii) विश्वविद्यालय, छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समुचित तन्त्र स्थापित करेगा ।

(ख) विश्वविद्यालय ने भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता मांगी है जिसमें कुल 4.96 करोड़ रुपए की लागत निहित है । इनमें भवनों, पुस्तकों, उपस्कर इत्यादि के लिए सामान्य विकास सहायता जिसकी लागत लगभग 346.93 लाख रुपए, पुस्तकें, और पत्र-पत्रिकाए जिसकी लागत लगभग 25.00 लाख रुपए, विशिष्ट विभागों के लिए उपस्कर जिसकी लागत 67.65 लाख रुपए, अतिरिक्त शिक्षण स्टाफ लागत 21.78 लाख रुपए, स्नातकोत्तर विभागों का विकास जिसकी लागत 7.17 लाख रुपए और पुस्तक बैंक जिनकी लागत 7.50 लाखरुपए होगी शामिल है ।

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

7509

~~8509~~. श्री भीखा भाई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ख) क्या उक्त राज्य में टेलीफोन सेवा की बिगड़ती जा रही स्थिति को देखते हुए अपने टेलीफोन कनेक्शन कटवा रहे हैं; और

(ग) क्या गलियाकोट, भुखिया, छीछ, बफोदुरा, सज्जनगढ़ के टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने अपने अपने टेलीफोन कनेक्शन कटवा दिए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1-7-80 को राजस्थान दूरसंचार सर्कल में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 46180 है ।

(ख) जी, नहीं । राजस्थान दूरसंचार सर्कल की दूरसंचार सेवा असंतोषजनक नहीं है ।

(ग) इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

महाराष्ट्र में पेयजल समस्या

7510. श्री बाला साहिब बिखे पाटिल : क्या निर्माण और आवास मंत्री पेय जल के बारे में 14 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी आधार पर पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पेय जल सप्लाई के बारे में कठिन और समस्यामूलक गांवों की कोई सूची प्रस्तुत की है तथा उनको प्रस्तुत किये जाने की नवीनतम तारीख क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस संबंध प्रस्तुत की गई अनेक योजनाएं अब भी केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकार से उनके प्राप्त होने की तारीख क्या है;

(ङ) अनिर्णीत योजनाओं पर मंजूरी देने में केन्द्रीय सरकार कितना समय लेगी; और

(च) राज्य सरकार ने चालू वर्ष के लिए कितनी राशि मांगी तथा केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक योजना के संबंध में कितनी राशि आवंटित की ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) समस्याग्रस्त ग्रामों को कुए खोद कर पाइप जल सप्लाई योजनाओं, तालाबों के निर्माण, कुओं को गहरा करने इत्यादि जैसे उचित उपायों के माध्यम से पेय जल दिया जा रहा है।

(ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने उसके द्वारा पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची भारत सरकार को दिनांक 26-6-1980 को हुई बैठक के दौरान दी थी। तथापि, यह सूची राज्य सरकार को कुछ और स्पष्टीकरण देने के अनुरोध के साथ लौटा दी गई है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। उन 309 योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं जो राज्य सरकार से अग्रता योजनाओं की सूची के अभाव में अनुमोदनार्थ निलंबित पड़ी हैं।

राज्य सरकार का पत्र दिनांक	योजनाओं की संख्या	योजनाओं की कुल लागत (लाख रुपये में)
14-9-79	1	97.60
24-9-79	117	585.38
29-9-79	2	48.26
6-10-79	58	287.53
8.10.79	1	14.74
9-10.79	6	162.55
10-10-79	1	21.21
15-5-79	123	635.43
कुल योग	309	1852.70

309 योजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित ब्यौरे के साथ हाल ही में 6 और योजनाएं प्राप्त हुई हैं :

दिनांक	योजनाओं की संख्या	योजनाओं की कुल लागत (लाख रुपये में)
8-7-80	3	57.32
17-7-80	3	30.97
कुल योग	6	88.29

(ङ) मंत्रालय द्वारा सभी योजनाओं की तकनीकी जांच कर दी गई है और भारत सरकार योजनाओं को अनुमोदित करने से पूर्व राज्य सरकार से अग्रता वाली योजनाओं की सूची की प्रतीक्षा कर रही है ।

(घ) राज्य सरकार के द्वारा पेश की हुई प्रत्येक योजना के लिए भारत सरकार निधियों का नियतन नहीं करती तथापि, भारत सरकार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रेषित योजनाओं को त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी अनुमोदन देती है । चालू वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के नियतन को अभी अन्तिम रूप देना है ।

कृषकों के नाम में बकाया धन राशि

7511. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) कृषकों को 1976-80 के दौरान दिये गये विभिन्न ऋणों में से राज्यवार और वर्ष-वार कितनी धन-राशि बकाया है: और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वाभीनाथन) (क) 1979 से 1979 तक की अवधि में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, भूमि विकास बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों के बकाया के बारे में वर्षवार और राज्यवार उपलब्ध सूचना संलग्न विवरणों में दी गयी है । वर्ष 1980 के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

(ख) बकाया ऋणों में चालू देय तथा अतिदेय शामिल हैं । चालू देय तिथि को देय होते हैं जो कि ऋण देते समय निश्चित की जाती हैं । अतिदेय जानबूझ कर गलती करने, ऋणों का दुरुपयोग करने, व्यर्थ निवेश करने, वसूली करने में विलम्ब तथा ऐसी प्राकृतिक आपदाओं जिनसे उधार लेने वालों की अदायगी की क्षमता प्रभावित होती है, आदि अनेक कारणों से उत्पन्न होते हैं ।

विवरण

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिये गये ऋणों का बकाया
(अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं॰	राज्य का नाम	कुल बकाया ऋण			
		1975-76	1976-77	1977-78	1978-79 (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	84.94	107.78	128.33	128.33
2.	असम	—	7.33	7.96	7.96
3.	विहार	29.94	36.48	36.48	51.78
4.	गुजरात	210.42	205.64	218.01	228.00
5.	हरियाणा	42.05	60.96	71.58	80.00
6.	हिमाचल प्रदेश	11.39	12.39	13.08	14.04
7.	जम्मू और काश्मीर	—	7.14	5.87	9.13
8.	कर्नाटक	96.55	121.38	128 92	128.92
9.	केरल	56.71	75.99	86.90	141.91
10.	मध्य प्रदेश	111.03	120.61	121.38	137.27
11.	महाराष्ट्र	229.50	264.40	293.72	206.64
12.	मणिपुर	0.90	0.90	1.12	1.77
13.	मेघालय	—	1.56	1.56	1.63
14.	नागालैंड	—	0.12	0.18	0.85
15.	उड़ीसा	38.72	48.06	52·58	55.69
16.	पंजाब	66.11	71.29	68.01	68.01
17.	राजस्थान	56.53	69.16	78.90	92.30
18.	तमिलनाडु	105.01	181.27	207.26	222.04
19.	त्रिपुरा	1.22	1.49	1.63	1.63
20.	उत्तर प्रदेश	126.63	161.64	191.92	215.97

1 2	3	4	5	6
21. पश्चिम बंगाल	28.07	39.04	74.71	84.16
22. चण्डीगढ़	0.10	0.09	0.09	0.09
23. दादरा और नगर हवेली	0.08	0.13	0.12	0.13
24. दिल्ली	1.52	1.52	1.62	1.45
25. गोवा, दमन और दीव	0.52	0.52	0.67	0.68
26. लक्ष द्वीप	0.06	0.07	0.12	0.15
27. पांडिचेरी	—	1.29	1.60	1.18
28. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1.22	—	0.20	0.19
योग	1299.22	1597.15	1794.52	1981.90

विवरण

1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों की बकाया धनराशि

(करोड़ रुपये)

क्रम सं० राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	बकाया धनराशि (सी० एल० डी० बैंक) 19 5-76	1976-77	1977-78
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	117.10	132.67	163.26
2. असम	0.80	1.05	1.83
3. बिहार	54.57	78.90	79.77
4. गुजरात	105.05	95.25	85.14
5. हरियाणा	47.63	54.40	61.61
6. हिमाचल प्रदेश	1.95	2.22	2.32
7. जम्मू तथा काश्मीर	2.98	2.96	2.80
8. कर्नाटक	95.54	112.76	117.15
9. केरल	19.75	26.07	32.11
10. मध्य प्रदेश	63.99	82.48	85.52

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	158.60	161.56	162.44
12.	उड़ीसा	19.49	26.50	29.64
13.	पंजाब	62.57	71.54	71.86
14.	राजस्थान	23.75	30.68	40.81
15.	तमिलनाडु	128.86	136.79	140.88
16.	त्रिपुरा	0.18	0.18	0.18
17.	उत्तर प्रदेश	154.63	177.35	202.81
18.	पश्चिम बंगाल	10.58	16.68	24.04
19.	पांडिचेरी	00.68	0.69	0.66
	योग	1068.70	1210.74	1304.83

विवरण

मार्च, 1976; मार्च, 1977; मार्च, 1978 तथा मार्च 1979 के अन्त में कमर्शियल बैंकों द्वारा किसानों को दी जाने वाली अग्रिम धनराशि का बकाया

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	मार्च, 1976	मार्च, 1977	मार्च, 1978	मार्च, 1979
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	3303.79	4988.91	6921.71	10143.52
2.	हिमाचल प्रदेश	259.34	418.21	501.61	745.16
3.	जम्मू तथा काश्मीर	131.31	180.55	295.36	610.34
4.	पंजाब	4961.51	7842.32	10830.46	15314.13
5.	राजस्थान	3041.21	4247.95	6333.51	9079.67
6.	चण्डीगढ़	1528.63	1516.28	2265.16	1832.37
7.	दिल्ली	1733.69	1024.55	4182.57	2870.18
8.	असम	212.00	393.46	824.12	1499.87
9.	मणिपुर	22.28	39.01	58.18	84.24
10.	मेघालय	30.98	37.13	57.21	71.39

1 2	3	4	5	6
11. नागालैण्ड	1.93	3·80	19.98	21.31
12. सिक्किम	—	—	—	—
13. त्रिपुरा	55.70	110.74	139.90	199.26
14. अरुणाचल प्रदेश	—	0.24	0.74	0.71
15. मिजोरम	—	0.17	0.73	1.45
16. बिहार	3979.56	6048.98	8041.39	11687.74
17. उड़ीसा	1048.52	1746.20	2766.80	4453.94
18. पश्चिम बंगाल	3754.26	4619.09	6604.96	10921.15
19 अन्डमान तथा निकोबार द्वीप	4.65	6.93	7.61	37.60
20. उत्तर प्रदेश	12209.71	16744.42	19563.55	26802.55
21. मध्य प्रदेश	4262.92	6424.68	8310.13	10251.01
22. गुजरात	6702.55	7696.51	9359.99	12554.07
23. महाराष्ट्र	15804.26	18170.59	23596.73	30734.63
24. दादर व नागर हवेली	2.65	2·45	3.03	3.23
25. गोवा, दमन तथा दीव	211.13	211.10	460.43	733.98
26. आंध्र प्रदेश	13102.01	16790.67	22657.12	29488.75
27. कर्नाटक	11581.22	13725.40	16028.93	20636.92
18. केरल	4903.83	5645.81	6633.62	9003.21
29. तमिलनाडु	12349.19	15077.73	16943.49	20317.16
30. लक्ष द्वीप	0.73	0.90	0.79	0.65
31. पांडिचेरी	394.40	503.34	579.59	683.07
योग अखिल-भारत	105588.96	134318.16	173989.40	230783.26

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का विवरण

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य	दिसम्बर, 1976	दिसम्बर, 1977	दिसम्बर, 1978	जून, 1979
1.	आंध्र प्रदेश	137.34	1037.36	3276.28	4140.48
2.	असम	1.12	21.76	68.75	95.03
3.	बिहार	46.14	202.21	593.40	876.80
4.	गुजरात	—	—	—	5.07
5.	हरियाणा	73.86	208.32	391.08	523.39
6.	हिमाचल प्रदेश	उ. न.	16.18	58.44	87.81
7.	जम्मू और काश्मीर	2.60	29.00	112.90	159.11
8.	कर्नाटक	48.43	443.38	1197.48	1665.59
9.	केरल	उ. न.	276.29	1280.64	2010.45
10.	मध्य प्रदेश	27.03	237.60	591.81	819.83
11.	महाराष्ट्र	4.01	71.04	118.30	152.05
12.	उड़ीसा	44.21	286.90	1130.54	1898.62
13.	राजस्थान	72.48	238.84	690.77	1066.08
14.	तमिलनाडु		92.69	316.85	664.01
15.	त्रिपुरा	उ. न.	45.05	145.14	236.10
16.	उत्तर प्रदेश	220.98	744.33	1630.34	2165.22
17.	पश्चिम बंगाल	24.02	284.28	598.52	740.18
	योग :	702.25	4235.23	12201.71	17305.82

उ० न०=उपलब्ध नहीं ।

'ए ड्रीम हाउस इन दिल्ली फार रुपीज 10,000' शीर्षक समाचार

7512. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1980 के इकानामिक टाइम्स, नई दिल्ली में 'ए ड्रीम हाउस इन दिल्ली फार रुपीज 10,000' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कारगर कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क), (ख) तथा (ग) कतिपय प्रासंगिक सूचना एकत्र की जा रही है और आवश्यक उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

महोदपुर में चीनी मिलों के अधिग्रहण के बारे में सलाह

7513. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि वह महीदपुर में गैर-सरकारी स्वामित्व वाली चीनी मिलों को अधिगृहित न करे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने महीदपुर में चीनी मिल स्वयं अपने अधिकार में लेने के बारे में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी नहीं मांगी थी और इसलिए मिल को अपने अधिकार में लेने के बारे में राज्य सरकार को कोई परामर्श देने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि वे उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इस मिल के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने और मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम को इसका प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया था। क्योंकि राज्य सरकार इस संबंध में वित्तीय जिम्मेदारी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

कोरापुट के रायागडा टेलीफोन एक्सचेंज के ट्रंक बोर्ड को स्थानीय बोर्ड से पृथक करना

7514. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा दूरसंचार सर्कल के पास कोरापुट जिले के रायागडा टेलीफोन एक्सचेंज में ट्रंक बोर्ड को स्थानीय बोर्ड से पृथक करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) क्या यह ट्रंक बोर्ड चार वर्ष से बेकार पड़ा हुआ है और इसे रायागडा एक्सचेंज पर लगाया नहीं गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त ट्रंक बोर्ड को कब स्थापित किया जायेगा और ट्रंक बोर्ड के संचालन के लिये अलग से कर्मचारियों की भर्ती हेतु प्राधिकरण ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ट्रंक बोर्ड के चालू करने के लिए अपेक्षित अन्य अतिरिक्त पुर्जे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) अतिरिक्त पुर्जों के प्राप्त होने पर ट्रंक बोर्ड को स्थापित कर दिया जायेगा और उसके पश्चात् उसके प्रचालन के लिए कर्मचारियों की मंजूरी दे दी जायेगी।

स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रवेश

7515. **श्री मधु दंडवते** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 के लिये शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 6-14 आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चो का समग्र प्रवेश 1982-83 तक 12 करोड़ हो जाने की संभावना है;

(ख) इस विशाल समस्या को देखते हुए 6-14 आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों की इस बढ़ती हुई संख्या की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये सरकार द्वारा गठित किये गये अध्ययन दल ने किसी छठोस नीति की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने से सम्बन्धित कार्य दल की रिपोर्ट, जिसमें दाखिले के लक्ष्यों को प्राप्त करने की नीति और शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम दिए गए हैं, संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

दिल्ली और मिजोरम के बीच डाक संचार की अनियमितताएं

7516. **डा० आर० रीयुआमा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोगों की इन शिकायतों की जानकारी है कि गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली से मिजोरम को अथवा मिजोरम से दिल्ली को भेजे गए पत्र और तार अपने पतों पर नहीं पहुंचे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मिजोरम में लुंगलेई, एजोल लांगतलाई में स्थानीय लोगों के बड़ी तादाद में खराब पड़े टेलीफोनों को पुनः चालू करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं। पिछले 3 महीनों के दौरान मिजोरम से दिल्ली के लिए पत्रों के वितरण में देरी से संबंधित 10 शिकायतों और तारों से संबंधित 5 शिकायतें ही प्राप्त हुई हैं। दिल्ली से मिजोरम के लिए इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) ऐजल और दिल्ली के बीच डाक प्रबंध की पुनरीक्षा कर ली गई है। सिलचर ऐजल सड़क पर कर्फ्यू लगा होने के कारण डाक के पारेषण में विलंब हुआ था। तारों का तेजी से पारेषण करने के लिए नई दिल्ली एवं ऐजल तारघरों के बीच एक सीधे सर्किल की योजना बनाई जा रही है।

(ग) क्षेत्र में गड़बड़ी होने और बिजली की अत्याकिध कमी होने के कारण मिजोरम में टेलीफोन सेवा पर प्रभाव पड़ा है। दूरसंचार प्रणाली की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। ऐजल में अधिक क्षमता का अतिरिक्त इन्जिन आल्टरनेटर लगा दिया गया है। विशेष तकनीकी दल द्वारा ऐजल में एक्सचेंज उपस्कर की पूरी मरम्मत कराई जा रही है। लांगतलाई में केवल दो तीन घंटे बिजली की सप्लाई उपलब्ध है। राज्य प्राधिकारियों की सहायता से इस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है। लुंगलेई के मामले में भी जहां कि बिजली की स्थिति खराब है, एक इन्जिन आल्टरनेटर लगाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली के टेलीफोन केन्द्रों में दैनिक मजूरी पर लगाए गए कर्मचारी

7517. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र में कितने कर्मचारी दैनिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे हैं और वे कब से काम कर रहे हैं;

(ख) दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा नियमित करने संबंधी मानदंड क्या है और क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) कृपया विवरण- देखिए।

(ख) ग्रुप 'डी' संवर्ग में (अर्थात् नियमित मजदूर, चपरासी, गेटमैन और चौकीदार, सफाई कर्मचारी और वायरमैन आदि) नियमित नियुक्ति के लिए डाक तार विभाग के दैनिक वेतन कर्मचारियों (जिनमें दिल्ली टेलीफोन भी शामिल है) पर विचार किया जाता है बशर्ते कि वे भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा निर्धारित योग्यता की शर्तों को पूरा करते हों, नियमित नियुक्ति के लिए योग्य होने के लिए एक नैमित्तिक मजदूर को दो लगातार वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम 240 दिन तक काम किया होना चाहिए। परन्तु उनकी नियमित नियुक्ति स्वतः ही नहीं हो जाती, अपितु, उस समय की जाती है अगर कार्य अध्ययन यूनिट कर्मचारी जांच यूनिट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पद उपलब्ध हों। अगर निर्माण अनुरक्षण दलों में उन्होंने 365 दिनों तक सेवा की है तो वे लाइनमैन की भर्ती के योग्य हैं।

नैमित्तिक मजदूरों से जब कभी व्यक्तिगत प्रतिवेदन आते हैं तो उनकी जांच उपरोक्त संदर्भ में की जाती है और मामले का निपटान कर दिया जाता है।

(ग) उपरोक्त उल्लिखित (ख) के उत्तर के अनुसार। परन्तु यह उल्लेख किया जाता है कि चूंकि किसी वर्ष विशेष में होने वाले पदों की संख्या की तुलना में कार्यरत योग्य नैमित्तिक मजदूरों की संख्या बहुत अधिक होती है इसलिए नियमित नियुक्ति के लिए नैमित्तिक मजदूर को वर्षों प्रतीक्षा करनी होती है। फिर भी हाल ही में उन दैनिक मजदूरों को बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया गया है, जिन्होंने प्रतिवर्ष 240 दिनों की दर से तीन वर्षों की सेवा पूरी कर ली है। तथा जिन्होंने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है उन्हें और भी अधिक दर दी जाती है।

विवरण

क्रम सं०	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम	कार्यरत दैनिक मजदूरों की संख्या	अवधि जबसे वे काम कर रहे हैं (सबसे पहले मजदूर की नियुक्ति की तारीख)
1.	शक्तिनगर	277	अक्तूबर, 1971
2.	राजौरी गार्डन	177	अक्तूबर, 1972
3.	जनकपुरी	94	,, 1972
4.	दिल्ली छावनी	197	अक्तूबर, 1972
5.	करोल बाग	242	जुलाई, 1965
6.	कनाट प्लेस	146	अक्तूबर, 1971
7.	जनपथ	30	जुलाई, 1972
8.	ईदगाह	314	मई, 1972
9.	सचिवालय	160	जून, 1972
10.	राजपथ	133	फरवरी, 1972
11.	एस० टी० डी०	3	जनवरी, 1973
12.	शाहदरा ईस्ट	115	अगस्त, 1973
13.	शाहदरा	92	जनवरी, 1974
14.	तीस हजारी	286	अप्रैल, 1972
15.	दिल्ली गेट	162	मई, 1969
16.	गाजियाबाद	95	अप्रैल, 1973
17.	जोर बाग	284	फरवरी, 1972
18.	ओखला और नेहरू प्लेस	246	नवम्बर, 1972
19.	फरीदाबाद	180	अप्रैल, 1971
20.	चाणक्यपुरी	132	फरवरी, 1973
21.	हौजखास	415	जून, 1971
22.	टेलेक्स	75	जून, 1972
23.	ट्रंक और विशेष सेवाएं	111	जनवरी, 1973
24.	वायरलैस डिवीजन	20	मई, 1971
25.	केबल अनुरक्षण डिवीजन	451	,, 1972
26.	योजना डिवीजन	8	मार्च, 1978
27.	ट्रंक स्वचल एक्सचेंज	18	मार्च, 1973
28.	नई दिल्ली तारघर/उप मंडलीय तारघर-ट्रंक और विशेष सेवाओं में	183	मई, 1978
	योग	4646	

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशनभोगियों के लिए बने बनाए मकान

7518. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पेंशनभोगियों के लिए बने बनाये मकानों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या इस समय भी कोई पेंशनभोगी मकान के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन कृषि और मत्स्य-पालन के विकास के लिए योजना

7519. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र में कृषि और मत्स्य-पालन के विकास के लिए दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वन सम्पदा, कृषि और मत्स्य-पालन क्षमता से भरपूर इस क्षेत्र की लगातार उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

विवरण

1. केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से पश्चिम बंगाल सरकार ने पांच वर्ष की अवधि के लिए 24 करोड़ रुपए की लागत से सुन्दरवन में कृषि विकास के लिए एक परियोजना तैयार की है । इस परियोजना को कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है और इसका मूल्यांकन सितम्बर, 1979 में पहले ही एक संयुक्त विश्व बैंक और कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि के मिशन द्वारा किया जा चुका है ।

2. इस परियोजना के अन्तर्गत सुन्दरवन का 3.36 लाख हैक्टयर भौगोलिक क्षेत्र होगा, जिसका चयन (1) छोटे और सीमान्त किसानों या समुदाय के पिछड़े वर्गों के अधिक संकेन्द्रण और (2) सिचाई सुविधाओं/उपयुक्त जलनिकास की कमी के मानदण्डों के आधार पर किया गया है । परियोजना के अन्तर्गत कृष्ट क्षेत्र 1.84 लाख हैक्टयर होगा । परियोजना के अन्तर्गत

दो हैक्टयर से कम 26,500 छोटी और सीमान्त जोतें आयेगीं और इसके साथ भूमिहीन कृषि मजदूरों के आय स्तरों को बढ़ाकर और उनकी आय के पूरक स्रोत प्रदान करके उनके 72,000 परिवारों को लाभ होगा।

3. मूल्यांकन मिशनों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के मुख्य हिस्से निम्नलिखित हैं :

(क) जल निकास एवं सिंचाई का विकास :

जलकपाटों और नदी रोकों; मुख्य एवं अन्तर्वर्ती नालों का निर्माण; परित्यक्त नहरों/नालों की दुबारा खुदाई; तलाबों की खुदाई/दुबारा खुदाई; कम पानी उठाने वाले पम्पों की व्यवस्था करना। इन उपायों द्वारा लगभग 72,000 हैक्टयर पर जल निकास और लगभग 15,000 हैक्टयर की रबी मौसम की सिंचाई होने की आशा है।

(ख) फसल विकास :

बेहतर फसल उत्पादन पद्धतियों का संवर्धन और बेहतर जल-नियंत्रण, लगभग 10,000 हैक्टयर क्षेत्र में उन्नत कृषि तकनौलोजी की शुरूआत। रबी फसलों के अन्तर्गत के वर्तमान 6,000 हैक्टयर क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 21,000 हैक्टयर क्षेत्र तक विस्तार करना और बेहतर कृषि सम्बन्धी पद्धतियों के द्वारा रबी की उपज में सुधार करना।

(ग) खारे जल में झींगा और अन्य मछलियों का पालन :

भूमिहीन अंशकालिक मछुओं द्वारा झींगा और मछली पालन के लिए दो खारे जल के मछली फार्मों का विकास करना। इन मछुओं को तकनीकी पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना; पकड़ी गई झींगा मछलियों और अन्य मछलियों के उचित भंडार के लिए प्रशीतन संयंत्रों और वर्फ संयंत्रों की स्थापना; ऋण एवं विपणन सुविधाएं प्रदान करना।

(घ) सामाजिक वानिकी :

तेजी से बढ़ने वाली जातियों से तटबंधों, सड़क के किनारों और नहर के किनारों पर पट्टीदार वृक्षारोपण। क्षेत्र में सामाजिक वानिकी विकास के तकनीकी, प्रबंध और वितरण पक्षों का मूल्यांकन करने हेतु प्रायोगिक आधार पर उष्ण कटिबंधीय वनस्पति का रोपण।

(ङ) भौतिक अव-संरचना :

चुनींदा स्थानों पर ईटों के बने हुए गम्य पथों, पुलियाओं और सड़क पुलों का निर्माण। नदी यानों के लिए 10 बड़े और 20 छोटे माल उतारने वाली सुविधाओं वाले स्थलों का निर्माण। बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों के लिए भण्डार सुविधाओं की व्यवस्था।

(च) सिंचाई पम्पों की खरीद, मछली फार्मों के निर्माण, सहकारी भण्डारण, गांवों के तालाबों की खुदाई। दुबारा खुदाई आदि के लिए अधिक ऋण देने हेतु कृषि पुनर्वित विकास निगम के जरिए धनराशि की व्यवस्था करना।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

7520. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को दी गई तदर्थ पदोन्नतियां दो वर्षों से लगातर चली आ रही हैं और उन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके कारण अन्य पात्र तथा हकदार अधिकारियों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) रा०शै०अनु० तथा प्र०परि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐसे कोई मामले नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों, अधीक्षक इंजीनियरों, मुख्य इंजीनियरों के लिए चयन ग्रेड

7521. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** :

आचार्य भगवान देव : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों, अधीक्षक इंजीनियरों और मुख्य इंजीनियरों के लिए तो चयन ग्रेड हैं परन्तु सहायक इंजीनियरों और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के लिए नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पहली तीन श्रेणियों के लिए चयन ग्रेड की व्यवस्था करने का ऐसा क्या मानदण्ड है जिसे अन्य दो श्रेणियों पर लागू नहीं किया जा सका; और

(घ) क्या नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके द्वारा भिन्न-भिन्न सेवाओं में गतिरोध और निराशा को न होने देने के लिए सभी श्रेणियों का स्वतः चयन ग्रेड दिया जाता है; यदि हां, तो इस बात के क्या कारण हैं कि इन दोनों श्रेणियों के लिए आज तक चयन ग्रेड क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) यह सही है कि केन्द्र लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों और अधीक्षक इंजीनियरों के लिये सेलेक्शन ग्रेड हैं । तथापि, मुख्य इंजीनियरों, सहायक इंजीनियरों और कार्यपालक इंजीनियरों के लिए कोई सेलेक्शन ग्रेड नहीं है ।

(ख) कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए सेलेक्शन ग्रेड सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार दिया गया हैं ।

जहां तक अधीक्षक इंजीनियरों के लिए सेलेक्शन ग्रेड का संबंध है, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों में इसकी व्यवस्था है ।

(ग) सरकारी अनुदेशों के अनुसार, ग्रुप 'सी' तथा 'डी' (कनिष्ठ इंजीनियर ग्रुप 'सी' से संबंधित हैं) के पद सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए विचार के पात्र हैं यदि उस ग्रेड में सीधी भर्ती 75 प्र०श० से कम न हो। अन्य वर्गों के लिए जो 75 प्र० श० की सीधी भर्ती की कसौटी पूरी नहीं करते, यदि सामान्य ग्रेड में अत्यधिक स्थगन हो जाए तो सेलेक्शन ग्रेड पर विचार किया जाता है।

(घ) उत्तर नकारात्मक है।

डाक-तार विभाग के अधिकारियों की दिल्ली में पोस्टिंग

7522. **श्री सरूप सिंह हिरया नाईक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की दिल्ली में पोस्टिंग के बारे में कोई मानदण्ड है और क्या एक स्टेशन पर पोस्टिंग के बारे में कोई सीमा है;

(ख) कितने अधिकारी गत 7-8 वर्षों से लगातार दिल्ली में कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग के अनेक अधिकारी दिल्ली में पोस्टिंग के लिए प्रति वर्ष अनुरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार गत कई वर्षों के लगातार दिल्ली में कार्य कर रहे अधिकारियों को स्थानान्तरित करने के बाद उनके अनुरोधों पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क), (ख), (ग) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्यालय खोला जाना

7523. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत बहुत कार्य चल रहे हैं और इन कार्यों के प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा शीघ्र पूरा किये जाने के लिए केरल में अधीक्षक अभियन्ता का कार्यालय खोले जाने की अत्यन्त आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने केरल में अधीक्षक अभियन्ता का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्यालय खोलने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या भारत सरकार को त्रिवेन्द्रम में अधीक्षक अभियन्ता का कार्यालय खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) यह ठीक है कि केरल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं। सिविल इंजीनियरी कार्यों के निष्पादन के लिए केरल में एक मण्डल के साथ चार उप-मण्डल और अन्य दूसरे मण्डल के अधीन तीन उप-मण्डल हैं। विद्युत कार्य करने के लिए केरल में दो उप-मण्डल हैं। जब इन चार मण्डलों

द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करना हो तो उस समय परिमण्डल कार्यालय चाहे सिविल कार्य के लिए हो अथवा विद्युत कार्य के लिए, खोलने पर विचार किया जायेगा ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए फिलहाल कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उत्तर सकरात्मक है ।

कर्नाटक में ऐतिहासिक भवन

7524. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में ऐसे शानदार स्थापत्य विशिष्टता वाले अनेक ऐतिहासिक भवनों के नाम क्या हैं और उनका ब्योरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार की देखभाल, अनुरक्षण और हिफ़ाजत के अधीन हैं; और

(ख) उन पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व के कर्नाटक राज्य के स्मारकों की सूची संलग्न है ।

(ख) इन स्मारकों के मरम्मत और रख-रखाव पर गत तीन वर्षों 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान क्रमशः 24,30,590/-; 24,58,190/- और 18,46,000/- रुपये की धनराशि खर्च की गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1275/80]

प्रदूषण के कारण हानि

7525. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में धरंधा केमिकल्स से प्रदूषण के परिणामस्वरूप पिछले 20 वर्षों में कुल मिलाकर कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या इस हानि की मात्रा का हिसाब लगाया गया है; और

(ग) प्रभावित पार्टियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) गुजरात जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि मैसर्स प्रेगंधा कैमिकल्ज के बहिस्राव से हानि की रिपोर्ट गुजरात राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

भारतीय डाक सेवा में रिक्त पड़े प्रथम श्रेणी के पद

7526. **श्री महमूद हसन खान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1980 को भारतीय डाक सेवा में जूनियर स्केल (700-1300 रुपये) और सीनियर स्केल (1100-1600 रुपये) में कितने पद रिक्त पड़े थे; और

(ख) उनको भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) कनिष्ठ और प्रवर समय मान में इस समय कोई पद रिक्त नहीं है। इस समय 34 रिक्तियां (कनिष्ठ समय मान में 19 तथा प्रवर समय मान में 15) हैं और इन रिक्तियों के स्थान पर पहले तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इन्हें नियमित आधार पर भरने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे गए फ्लैटों पर गृह-कर

7527. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे गए फ्लैटों तथा निजी रूप से बनाए गए मकानों पर गृह-कर के निर्धारण के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या मुनीरका, बेर सराय, कटावारिया सराय, आदि जैसी दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के सम्बन्ध में गृह-कर मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के गृह तथा कर से अधिक निर्धारित किया गया है इन फ्लैटों के ढके हुए क्षेत्र की दृष्टि से भी यह असंगत है;

(ग) क्या निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों पर गृह-कर उन्हीं क्षेत्रों के निजी मकानों पर निर्धारित गृहकर से अत्याधिक ज्यादा कूता गया है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों तथा निजी मकानों पर गृह-कर निर्धारण संबंधी इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) जनता और निम्न आय वर्ग के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि "दीवान दौलत राम कपूर-आदि-बनाम-नई दिल्ली नगर पालिका तथा अन्य" के मुकदमें उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20-12-79 के निर्णय से पहले सम्पत्तियों के कर निर्धारण का मानदण्ड किराए पर दी गई सम्पत्तियों के बारे में वास्तविक किराया उचित किरायों पर तथा मालिक के दखल में रहने वाली सम्पत्तियों का "लागत-एवं-निर्माण" पद्धति द्वारा कर-निर्धारण होता था, यदि निर्धारिती मूल्य आदि के विषय में सही और सन्तोषप्रद साक्षी देता था, ऐसा न करने पर दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 की धारा 9(4) में व्यवस्थित तुलनात्मक पद्धति से तथा सांविधिक रूप से नियत किए गए मानक किराए वाली सम्पत्तियों के

बारे में नियत किए गए मानक किराए से कर निर्धारण होता था। उक्त निर्णय के उपरान्त, सभी सम्पत्तियों का कर-निर्धारण दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत निर्णय मानक किराए के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार शेष मामलों में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) किसी विशिष्ट इलाके में, विशिष्ट समय पर बनाए गए विभिन्न प्रकार के फ्लैटों जैसे जनता, एल० आई० जी०, एम० आई० जी० के मामले में कर-निर्धारण में सदैव पर्याप्त अन्तर रहता है क्योंकि इस तरह के फ्लैट की लागत कम अथवा अधिक होना उसके टाइप पर निर्भर है, जैसी भी स्थिति हो, तथा इसी प्रकार विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्रत्येक एकक से किराया प्राप्त होने की क्षमता भी एक संगत तथ्य है।

(ग) तथा (घ) यह विभिन्न मुद्दों पर निर्भर करता है जैसे अवस्थिति, निर्माण प्रकार प्रदत्त सुविधाएं आदि तथा इसके आरम्भ किए जाने पर समय भूमि और निर्माण की लागत।

(ङ) पृष्ठ 1 पर (क) के सामने बताई गई स्थिति की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का संशोधन

7528. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनधिकृत जमीन के सौदों में काले धन के भारी निवेश सहित विभिन्न कदाचारों को रोकने के लिए शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का संशोधन करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो मामले में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुचित विधान कब संसद् के सामने प्रस्तुत किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केंद्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

7529. **श्री ए० के० राय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल फिशरिज कारपोरेशन लिमिटेड (केन्द्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड) के कर्मचारी संघ की ओर से 14 जुलाई, 1980 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड के 118 कर्मचारियों को अक्तूबर, 1977 से अपना वेतन नहीं मिला है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) संघ ने 118 नैमित्तिक कर्मचारियों को उनके वेतन न मिलने के बारे में लिखा है और अमले में उन्हें नियमित रूप से शामिल करने से पहले परीक्षा/साक्षात्कार लेने के विरुद्ध

अभ्यावेदन दिया है । संघ ने यह भी मांग की है कि या तो केन्द्रीय मात्स्यिकी निगम को फिर से चालू किया जाए या समूचे स्टाफ के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाए ।

(ग) केन्द्रीय मात्स्यिकी निगम के नैमित्तिक कर्मचारियों को काम के बदले वेतन के आधार पर रखा गया था । वाणिज्यिक कार्यकलाप समाप्त हो जाने के बाद काम न होने पर, खासतौर से जब उन्हें दैनिक मजदूरी पर रखा गया था, उन्हें वेतन देने का प्रश्न ही नहीं होता ।

नेहरू युवा केन्द्र

7530. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, कितने नेहरू युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनके कार्यकरण पर प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है;

(ग) भविष्य में उनके विस्तार की योजना क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश राज्य में नेहरू युवा केन्द्र खोलने के लिए कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे जिलों के नाम क्या हैं जहां यह योजना कार्यान्वित करने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) देश में कुल 112 नेहरू युवक केन्द्र कार्य कर रहे हैं और केन्द्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) 1979-80 के लिए 209.20 लाख रुपये की राशि मुक्त की गई और 1980-81 के लिए 184.50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

(ग) इस योजना में देश के प्रत्येक राजस्व जिले में एक नेहरू युवक केन्द्र संस्वीकृत करने की परिकल्पना की गई है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30 अतिरिक्त नेहरू युवक केन्द्र मन्जूर करने का प्रस्ताव है ।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश के लिए 25 नेहरू युबक केन्द्र संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 15 कार्य कर रहे हैं और शेष दस के सम्बन्ध में प्रशासनिक औपचारिकताएं चल रही हैं । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के परामर्श से चार और नेहरू युवक केन्द्र संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कार्यरत नेहरू युवक केन्द्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्र प्रदेश	14
2.	असम	8

(1)	(2)	(3)
3.	बिहार	13
4.	गुजरात	6
5.	हरियाणा	4
6.	हिमाचल प्रदेश	8
7.	जम्मू व काश्मीर	1
8.	कर्नाटक	11
9.	केरल	8
10.	मध्य प्रदेश	15
11.	महाराष्ट्र	3
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	2
14.	नागालैण्ड	2
15.	उड़ीसा	10
16.	पंजाब	9
17.	राजस्थान	16
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	10
20.	त्रिपुरा	2
21.	उत्तर प्रदेश	28
22.	पश्चिम बंगाल	8
23.	अरुणाचल प्रदेश	2
24.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1
25.	चण्डीगढ़	1
26.	दिल्ली	2
27.	गोवा, दमन व दीव	2
28.	लक्षदीप	1
29.	मिजोरम	1
30.	पांडिचेरी	1
	कुल	192

नयी आटा मिलें शुरू करने हेतु दिए गए लाईसेंस

7531. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना के दौरान देश में, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, नयी आटा मिलें शुरू करने के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए हैं;

(ख) दक्षिणी राज्यों से नयी मिलें शुरू करने के सम्बन्ध में कितने आवेदन प्राप्त हुए थे और कितनों को अस्वीकार कर दिया गया तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विद्यमान आटा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए किसी प्रोत्साहन योजना के बारे में विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में गेहूं की नयी रोलर आटा मिलें स्थापित करने पर फरवरी, 1973 से प्रतिबंध लगा हुआ है। तथापि, इस नीति में आंशिक संशोधन कर राज्य सरकारों को 29 जून, 1979 और 24 मई, 1980 के बीच की अवधि में लघु क्षेत्र में 30 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता की गेहूं रोलर आटा मिलें स्थापित करने के लिए इजाजत देने हेतु राज्य सरकारों को अनुमति प्रदान की गई थी।

(ख) ऊपर भाग (घ) में उल्लिखित प्रतिबंध के कारण, बड़े पैमाने के यूनिटों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को फाइल कर दिया गया था। उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा जिन लघु यूनिटों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी अथवा स्थापित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, उसके बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

चावल मिलों पर लेवी

7532. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के लिये राज्यवार, चावल का उत्पादन कितना हुआ;

(ख) भिन्न-भिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के लिए चावल मिलों पर कितनी लेवी लगाई गई; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने भिन्न-भिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के लिए धान की प्रति क्विंटल कुटाई की कितनी लागत दी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विवरण संलग्न है जिसमें 1977-78 और 1978-79 के चावल के राज्यवार उत्पादन अनुमान दिए गये हैं (विवरण-I) 1979-80 के उत्पादन अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(विवरण-ii)

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(विवरण-iii)

विवरण-I

1977-78 और 1978-79 के दौरान चावल के उत्पादन का राज्यवार अनुमान

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1977-78	1978-79
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	5604.7	7301.1
असम	2311.2	2172.3
बिहार	5495.1	5508.5
गुजरात	669.3	534.5
हरियाणा	965.0	1241.0
हिमाचल प्रदेश	114.1	122.8
जम्मू और काश्मीर	521.6	546.0
कर्नाटक	2280.7	2303.3
केरल	1294.6	1241.3
मध्य प्रदेश	4437.5	3482.1
महाराष्ट्र	2344.1	2200.8
मणिपुर	300.8	300.0
मेघालय	130.8	130.2
नागालैण्ड	71.5	76.5
उड़ीसा	4319.2	4401.9
पंजाब	2494.0	3073.0
राजस्थान	236.5	233.6
तमिलनाडु	5705.0	6107.7
त्रिपुरा	363.2	368.4
उत्तर प्रदेश	5202.5	5896.3
पश्चिमी बंगाल	7494.6	6295.3
अण्डमान और नीकोबार द्वीप समूह	11.8	16.2
अरुणाचल प्रदेश	80.6	86.9
दादर तथा नागर हवेली	13.0	13.8
दिल्ली	4.1	3.5
गोआ, दमन और दीव	92.9	93.9
मिजोरम	49.3	19.3
पांडिचेरी	63.0	59.2
अखिल भारत	52670.4	53828.7

विवरण-II

विभिन्न राज्यों में चावल मिलों पर लेवी की दरें

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1977-78	1978-79	1979-80
(1)	(2)	(3)	(4)
आन्ध्र प्रदेश	50% खरीफ फसल के लिए और 20% रबी फसल के लिए	20%	25%
असम	निम्नलिखित लाइसेंसशुदा क्षमता वाली मिलें :		
	(1) 8 मीटरी टन से कम नहीं–25%		15%
	(2) 4 मीटरी टन से 8 मीटरी टन तक–15%	जैसा 1977-78 में है	10%
	(3) 1.5 मीटरी टन से 4 मीटरी टन–10%		5%
बिहार	बड़ी चावल मिल/मल्टी पल हुलर/शैलर तथा सिंगल हलर्स के लिए जिनमें वायलिंग तथा ड्राइ करने की सुविधाएं हों— 1500 क्विंटल अथवा 40%	जैसा 1977-78 में है	—
हरियाणा	80% वोल्ड ग्रुप पर	80% वोल्ड ग्रुप पर	80% साधारण तथा बढ़िया किस्म पर
	30% स्लैंडर ग्रुप पर	30% स्लैंडर ग्रुप पर	30% बहुत बढ़िया किस्म पर
उड़ीसा	लेवी की अनौपचारिक प्रणाली जिसके अधीन लाइसेंसशुदा मात्रा की सुपुर्दगी करनी होती है जैसाकि तय होता है।	मिल मालिकों को चावल की निर्धारित	

(1)	(2)	(3)	(4)
मध्य-प्रदेश	40%	60%	70%
पंजाब	80% बोल्ड ग्रुप 30% स्लैंडर ग्रुप	80% बोल्ड ग्रुप 50% स्लैंडर ग्रुप	80% साधारण तथा बढ़िया 50% बहुत बढ़िया
तमिलनाडु	20%	—	—
उत्तर प्रदेश	60% (40% कतिमय क्षेत्रों में) 50% बासमती चावल के लिए	जो 1977-78 में है वही	10%
पश्चिमी बंगाल	55%	6-6-1979 से 55% से कम होकर 40%	45%

विवरण-III

विभिन्न राज्यों में सामान्य निर्दिष्टियों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई धान की कस्टम मिलिंग की दरें

राज्य	1977-78	1978-79				1979-80			
		साधारण		बहुत बढ़िया		साधारण		बहुत बढ़िया	
		कच्चा (रु०)	सेला (रु०)	कच्चा (रु०)	सेला (रु०)	कच्चा (रु०)	सेला (रु०)	कच्चा (रु०)	सेला (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
हरियाणा	कच्चे चावल के लिए 2.00 रुपये तक और सेला चावल आई० आर०–8 किस्म	0.99 से 5.21	5.70	—	—	0.93 से 5.00	—	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
पंजाब	—वही—	0.07 से 3.51	2.49 से 5.49	0.84 से 4.00	5.35 (–) से 7.00	0.36 से 3.00	— (–)	0.05 से 6.90	1.94 से 6.99
मध्य प्रदेश	—	3.10 रुपये प्रति क्विंटल धान के हिसाब से किराए की मिलिंग। उपोत्पाद भारतीय खाद्य निगम की सम्पत्ति है।				2.00 (प्रति क्विंटल धान की किराये की मिलिंग की दर)	4.00	2.00	4.00
तमिलनाडु	5.42 रुपये से 5.93 रुपये प्रति क्विंटल धान जिसमें कोयम्बतूर के मिलिंग तथा परिवहन प्रभार दोनों ही शामिल हैं।	सेला चावल बनाने के लिए 5.42 रुपये से 5.93 रुपये प्रति क्विंटल धान (परिवहन समेत)।				थंजावर जिले के लिए कस्टम मिलिंग हेतु 7 रुपये प्रति क्विंटल धान।			
केरल	—	सेला चावल बनाने हेतु गोदाम तथा रेल छोर से उठाने के लिए क्रमश: 5.50 रुपये और 6.00 रुपये प्रति क्विंटल धान।				सेला चावल बनाने हेतु गोदाम/रेल छोर से उठाने के लिए क्रमश: 6.50 तथा 7 रुपये प्रति क्विंटल।			
पश्चिमी बंगाल	6.00 रुपये प्रति क्विंटल सेला चावल। इसके अलावा, परिवहन प्रभार देय होता है। इसके अलावा, 10 किलोमीटर से आगे भेजे गये धान के परिवहन प्रभार की भी पश्चिमी बंगाल द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है।								
उत्तर प्रदेश	—	कच्चे चावल के लिए 2.05 रुपये प्रति क्विंटल और सेला चावल के लिए 5.55 रुपये प्रति क्विंटल।							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश में चावल की कोई कुटाई नहीं हुई। मिलिंग के लिए अन्य राज्यों को भेजा गया।	धान से कच्चा चावल बनाने के लिए 3.25 रुपये प्रति क्विंटल किराये की मिलिंग।				(1) धान से चावल बनाने के लिए 3.25 रुपये प्रति क्विंटल किराए की मिलिंग। (2) धान से सेला चावल बनाने के लिए 8.50 रुपए प्रति क्विंटल कस्टम मिलिंग।			
उड़ीसा	सेला चावल का 6/– रुपए प्रति क्विंटल जमा 67 पैसे प्रति क्विंटल धान के हिसाब से परिवहन प्रभार। चावल की सुपुर्दगी के लिए कोई परिवर्तन नहीं।	वही जो 1977-78 में है।				वही जो 1977-78 में है।			
बिहार	धान की कोई मिलिंग नहीं।	—				धान से सेला चावल बनाने का 5.50 रुपए प्रति क्विंटल जिसमें निकटतम रेल छोर/डिपो (8 किलोमीटर के व्यास के अन्दर) से परिवहन तथा हैंडलिंग शामिल है। सड़क से परिवहन के प्रभार के लिए सीमा 5 पैसे प्रति किलो/प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।			
असम	कच्चे चावल के लिए तीन रुपए प्रति क्विंटल और सेला चावल के लिए 6 रुपए प्रति क्विंटल।	धान से कच्चा चावल बनाने का 3 रुपए से 4.25 रुपये प्रति क्विंटल।							

दिल्ली के नगर निगम स्कूलों में बिजली

7533. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली नगर निगम के शिवनगर-I तथा-II (करोलबाग) स्थित स्कूल सहित अनेक प्राथमिक/मिडल स्कूलों में अप्रैल 1980 से आज तक बिजली नहीं आ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन स्कूलों में बिजली पुनः प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि छात्र तथा शिक्षक अपनी कक्षाओं में बिना परेशानी कार्य कर सकें ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) नगर निगम, दिल्ली, मिडिल स्कूल नहीं चलाता है और उन्होंने सूचना दी है कि शिवनगर-I और II सहित, करौल बाग क्षेत्र के कई स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 30 जुलाई, 1980 से बिजली मुहैय्या करना फिर से शुरू कर दिया गया है।

दिल्ली में सहकारी सामूहिक आवास समितियों के लिए बने बनाए फ्लैट

7534. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली कुछ पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समितियों को दिल्ली में बने बनाए फ्लैट देने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने फ्लैट देने का प्रस्ताव किया गया है और वे फ्लैट किन-किन स्थलों पर हैं;

(ग) जिन समितियों ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया है उनके नाम क्या हैं; और

(घ) यदि अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का भविष्य के लिए कोई प्रस्ताव है; और यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली में सहकारी समूह आवास समितियों के लिए भूमि

7535. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि आवंटित करने की योजना छोड़ दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन समितियों को भूमि का आवंटन करने में डी. डी. ए. को कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती है ।

स्वयं वित्त पोषण योजना के अधीन
फ्लैटों के लिए पंजीकरण

7536. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्वयं वित्त पोषण योजना के अधीन प्रथम तथा द्वितीय पंजीकरण के दौरान प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटों के लिए कितने कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के अधीन कितने लोगों को फ्लैट का आवंटन किया जा चुका है और अभी तक कितने लोगों को फ्लैट आवंटित किये जाने हैं;

(ग) इस समय कितने फ्लैट निर्माणाधीन हैं तथा कितने फ्लैट वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान निर्मित किये जायेंगे; और

(घ) सभी आवेदकों को फ्लैट कब तक आवंटित कर दिये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दोनों योजनाओं के अन्तर्गत पंजीयितों की संख्या इस प्रकार है :

1. प्रथम स्ववित्त पोषित योजना	2743
2. द्वितीय स्ववित्त पोषित योजना	4393
जोड़	7136

इन योजनाओं के अन्तर्गत कोई वर्गवार पंजीकरण नहीं था ।

(ख) अब तक 3386 पंजीयितों को फ्लैटों का नियतन किया जा चुका है । वर्गवार पृथक्करण इस प्रकार है :

वर्ग-I (एक शयन कक्ष)	271
वर्ग-II (दो शयन कक्ष)	1503
वर्ग-III (तीन शयन कक्ष)	1612
जोड़	3386

3228 पंजीयितों को अभी फ्लैटों का आवंटन किया जाना है ।

(ग) 2454 फ्लैट अब निर्माणाधीन हैं और उनके वर्ष 1980-81 के दौरान पूर्ण हो जाने

की सम्भावना है । 1981-82 के दौरान 4063 फ्लैटों का निर्माण किये जाने की सम्भावना है ।

(घ) फ्लैटों की आवश्यकता नियतन शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है ।

जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक टेलीफोन

7537. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर सब-डिवीजन में कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्य कर रहे है;

(ख) अब तक नये सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की मांग के कितने आवेदन-पत्र दिये गये है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह माँग पूरी करने के लिए कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सोलह ।

(ख) दो ।

(ग) जी, हां ।

(ग) दोनों मामलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

सरोजिनीनगर, नई दिल्ली में दर्जा बढ़ाये गये सरकारी क्वाटर

7538. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनीनगर, नई दिल्ली में टाईप-II के कुछ सरकारी क्वार्टरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें टाईप-III कर दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या दर्जा बढ़ाये गए इन क्वार्टरों में से अधिकतर क्वार्टर इस समय उन सरकारी कर्मचारियों को आवंटित हैं जो टाईप-II के लिए हकदार हैं; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या गैर-हकदार वर्गों के सरकारी कर्मचारियों से सरोजिनीनगर में टाईप-III के क्वार्टर खाली कराने और उनको टाईप-II के वैकल्पिक क्वार्टर आवंटित किये जाने का विचार हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या टाइप-III के सरकारी क्वार्टरों के हकदार बहुत से सरकारी कर्मचारी इस समय सरोजिनीनगर में टाईप-II क्वार्टरों में रह रहे हैं और यदि हां, तो उनको दर्जा बढ़ाये गए टाईप-III के क्वार्टर क्यों आवंटित नहीं किए जा रहे ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सामान्य पूल से विभिन्न टाईपों के क्वार्टरों के कुर्सी क्षेत्र के संशोधन करने के निर्णय के अनुसरण में सरोजिनीनगर में सभी टाईप-II

(टाईप-बी०) के क्वार्टरों को 1979 में टाईप-III (टाईप-सी०) में अप-ग्रेड कर दिया गया था।

(ख) उपयुक्त क्वार्टरों को अप-ग्रेड इस शर्त पर किया गया था कि जो आवंटी पहले से ही इन क्वार्टरों के दखल में हैं और जो उच्च टाईप के पात्र नहीं हो सकते हैं उन्हें निम्न टाईप के क्वार्टरों में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। उन टाईप-II (टाईप-वी०) आवास के पात्र कर्मचारियों की संख्या नहीं रखी गई है जो अप-ग्रेड किए गये टाईप-III (टाईप-सी०) के क्वार्टरों में रह रहे हैं।

(ग) जी, नहीं। भाग (ख) में दिखाये गये निर्णय को देखते हुए।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता। सरोजिनीनगर में टाईप-II के सभी क्वार्टरों के अप-ग्रेड करने से वहां टाईप-III आवास का कोई भी कर्मचारी उस कालोनी में टाईप-II क्वार्टरों में नहीं रह रहा है।

मत्स्य उद्योग के लिए राजसहायता

7539. **प्रोफेसर पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मत्स्य उद्योग के वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए उसको मछलियां पकड़ने के लिये राजसहायता देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो मत्स्य उद्योग में छोटे मछुओं की किस प्रकार रक्षा करने का सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) मछली उद्योग में किसी संकट के उत्पन्न होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि ईंधन के मूल्यों में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये ईंधन को बचाने के विषय में अनेक पद्धतियों पर विचार किया जा रहा है।

एस० एम० जैन माडर्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली के अध्यापकों को वेतन का भुगतान

7540. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने एस० एम० जैन माडर्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली में नवम्बर, 1979 में नियुक्त किये गये तीन अध्यापकों के संबंध में सहायता अनुदान देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या इन अध्यापकों को नवम्बर, 1979 से उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार का विचार इन अध्यापकों को वेतन दिये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सहायता प्राप्त स्कूल के अध्यापक के वेतन के लिए सहायता अनुदान

केवल संबंधित अध्यापक की नियुक्ति की शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई स्वीकृति के बाद ही सूचना किया जाता है। ऐसी स्वीकृति रिक्तियों की उपलब्धता, निर्धारित नियुक्ति प्रणाली के अनुपालन तथा संबंधित अध्यापक के पास निर्धारित अर्हताएं होने पर निर्भर करती है। इन तीन मामलों में उपरोक्त शर्तों में से एक अथवा दूसरी शर्त को पूरा नहीं किया गया है। अतः इन अध्यापकों के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा कोई सहायता अनुदान मुक्त नहीं किया गया है।

जबलपुर में दूरसंचार कारखाने का बंद किया जाना

7541. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में दूरसंचार कारखाना बंद होने की स्थिति में है;

(ख) क्या वहां पर इस समय केवल प्रारम्भिक प्राथमिक कार्य ही किये जा रहे हैं और वस्तुओं को परिष्करण के लिए कलकत्ता, बम्बई और बंगलौर जैसे शहरों को भेजा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

होली चाइल्ड आक्सीलियम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नई दिल्ली को मान्यता प्रदान करना

7542. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होली चाइल्ड आक्सीलियम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर० के० पुरम, नई दिल्ली को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केवल 30 अप्रैल, 1980 तथा मान्यता दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि मान्यता को 30 अप्रैल, 1980 से आगे नहीं बढ़ाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इस स्कूल को दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक द्वारा मान्यता दी गई थी।

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 'मान्यता' अपने आप में पूर्ण है और यह केवल सीमित समयावधि के लिए प्रदान नहीं की जा सकती। अतः मान्यता को 30 अप्रैल, 1980 के बाद बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला कछार में काम के बदले अनाज कार्यक्रम

7543. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि जिला कछार में गेहूं और चावल की गंभीर कमी को

देखते हुए जिले में काम के बदले अनाज का कोई कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा सका और सरकार का इस समस्या को किस प्रकार से हल करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : कछार जिले में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण कछार जिले में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। स्थिति में अब सुधार हुआ है और कछार तथा अन्य जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है ।

बिहार में विश्वविद्यालयों में अस्थाई अध्यापक

7544. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जानकारी है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सात वर्षों या उससे भी अधिक समय से कार्य कर रहे लगभग 2000 शिक्षक अभी भी अस्थायी हैं;

(ख) क्या इन अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ता, भविष्य निधि अंशदान और अपने-अपने विषय में शोधकार्य करने के लिए विना वेतन के भी अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाता है;

(ग) क्या संविधि के अनुसार वही शिक्षक अध्ययन अवकाश पाने का हकदार है जो पांच वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुका हो; और

(घ) सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान योग का विचार अस्थायी शिक्षकों की उपरोक्त कठिनाइयों को (विहार सरकार के माध्यम से) दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख), (ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ये समस्याएं उनकी जानकारी में नहीं आई हैं। चूंकि ये मामले मुख्यतः ऐसे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं जो राज्य कानून के अधीन कार्य करते हैं, अतः यह विहार सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनकी जांच करे ।

लान टेनिस दल द्वारा अभ्यास

7545. **श्री अरविंद नेताम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विम्बलडन, 1980 के खेलों के लिए जिसे लान टेनिस दल को स्वीकृति दी गई है वह हालैण्ड में मिट्टी वाले स्लो कोर्ट में अभ्यास कर रहा है जबकि उसे विम्बलडन में घास वाले फास्ट कोर्ट में खेलना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जाएगी और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

शिक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धन दिया जाना

7546. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य को उस राज्य में शिक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए अभी तक पर्याप्त धन नहीं दिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी राज्य सरकार को कोई अनुदान स्वीकार नहीं करता। तथापि, आयोग ने 1974-75 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान जम्मू और काश्मीर के दो विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध कालेजों को कुल मिलाकर 265.93 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत किए हैं।

पनई ताड़ 'टैपिंग' व्यवसाय उद्योगों का संवर्धन

7547. **श्री एन० डेनिस** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में पनई ताड़ 'टैपिंग' व्यवसाय तथा सम्बद्ध कुटीर उद्योगों में व्याप्त गिरावट की रोकथाम के लिए कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पनई ताड़ 'टैपिंग' तथा सम्बद्ध उद्योगों के संवर्धन के लिये कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) ताड़ गुड़ बनाने तथा अन्य उत्पादों का कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तमिलनाडु जिसमें इसके दक्षिणी जिले भी शामिल हैं, में पनई ताड़ 'टैपिंग' व्यवसाय तथा सम्बद्ध कुटीर उद्योगों में गिरावट की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी ओर इनमें सुधार हुआ है, जो नीचे दिए गए उत्पादन, बिक्री तथा रोजगार के तुलनात्मक आंकड़ों से सिद्ध होता है :

	1978-79	1979-80 (अनन्तिम)
1 ताड़ गुड़ तथा अन्य ताड़ उत्पादों का उत्पादन (लाख रुपये में)	1,243.35	1,464.70
2. बिक्री (लाख रुपये में)	1,253.23	1,567.30
3. रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	2,52,900	2,68,800

(ख) पनई ताड़ 'टैपिंग' तथा सम्बद्ध उद्योगों के बारे में पहले से ही पर्याप्त संवर्धन सुविधाएं मौजूद हैं। वे ये हैं :

(1) पूंजी व्यय, कार्यकारी पूंजी, अंश पूंजी, प्रशिक्षण तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता राज्य परिसंघ, 8 जिला ताड़ गुड़ सहकारी परिसंघों तथा लगभग 1600 प्राथमिक ताड़ गुड़ सहकारी सोसायटियों के माध्यम से दी जाती है।

(2) कारीगरों को सहकारी परिवेश में लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे टैपिंग के लिए लायसेंस प्राप्त कर सकें, उचित दर पर टैप करने योग्य ताड़ को प्राप्त कर सकें, उन्हें सुधरे किस्म के औजारों और नीरा को उबालने के लिए सुधरे कड़ाहों को वितरित किया जा सके, सुधरी भट्टियों का निर्माण कर सकें, कारीगरों को विपणन सहायता दी जा सके तथा उत्पादन की सुधरी पद्धतियों में परम्परागत कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

(3) ताड़ मिश्री, वातित नीरा पेय, पनई ताड़ रेशे के ब्रुशों, ताड़ की पत्तियों की चटाइयों, ताड़ की लकड़ी के उत्पादों आदि जैसे नए ताड़ उत्पादों के विनिर्माण में कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(4) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग राज्य परिसंघों के माध्यम से पनई देशों और अन्य उत्पादों के निर्यात में सहायता पहुंचाता है।

(5) उद्योग में अनुसंधान एवं विकास शुरू करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधावरम में केन्द्रीय ताड़ गुड़ अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है।

इस उद्योग के संवर्धन के लिए परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार और कदम भी उठाए जाएंगे।

केरल में अट्टापाडी आदिवासी खंड में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए चावल का प्रयोग

7548. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अट्टापाडी आदिवासी खंड में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिये दिये गये चावल का उचित उपयोग नहीं किया जाता;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कदाचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) व (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यकरण

7549. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 8 जुलाई, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे समाचार के अनुसार कि ऋण के रूप में धनराशि उधार लेने और इसके पुनर्भुगतान के बारे में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अपेक्षित नियमों को बनाये बिना ही दिल्ली विकास प्राधिकरण 24 वर्षों से कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में संशोधन करके 1963 में जो धारा 56 (2) (एम० एम०) जोड़ी गई थी उसके अन्तर्गत, ऋणों या ऋणपत्रों तथा उनके पुनर्भुगतान के जरिए धनराशि उधार लेने की प्रक्रिया के बारे में नियमों को बनाना अपेक्षित था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऋणपत्रों को जारी करने के प्रशासित करने वाले नियम, 1977 में पहले ही बना दिए गए हैं। जहां तक ऋण के रूप में धनराशि उधार लेने का सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के ऋणों को लेने की शर्तों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पृथक-पृथक रूप से प्रत्येक मामले में अनुमोदित करवाया जा रहा था। किन्तु इस विषय पर नियम अब बनाये जा रहे हैं।

दियासलाइयों के लिए नरम लकड़ी (साफ्ट वुड) का प्रयोग

7550. **श्री एस० ए० दोराई सेबिस्तयन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दियासलाइयों के निर्माण के लिये उपयोग में लायी जाने वाली तरल लकड़ी तेजी से कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि दियासलाई उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी न हो; और

(ग) लकड़ी के बदले अन्य वस्तु के उपयोग लिए दियासलाई निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) दियासलाई उद्योग को निजी भूमि से सेमल तथा अन्य नरम लकड़ी की आपूर्ति में अभी हाल ही में कमी आई है तथा इस कमी को सामाजिक वानिकी तथा फार्म वानिकी कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में पोपलार जैसी तेजी से बढ़ने वाली किस्मों की लकड़ी को बढ़ावा देकर पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) कार्ड बोर्ड के बक्सों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने कार्ड बोर्ड के बने बक्सों (भीतरी और बाहरी दोनों) पर उत्पादन शुल्क में 60 पैसे प्रति ग्रुस के हिसाब से छूट दे दी है और कार्ड बोर्ड से बने केवल भीतरी बक्स पर 24 पैसे प्रति ग्रुस के हिसाब से छूट दी है।

दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र का विकास करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा विकास व्यय की वसूली

7551. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन यमुना-पार क्षेत्र में सहकारी आवास निर्माण समितियों को अविकसित भूमि आवंटित करते समय उस क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी रकम वसूल करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विभिन्न समितियों को जोड़ने वाली सड़क संख्या 75 पर लगभग 300 वर्गमीटर का रास्ता अभी भी कच्चा है जिसके कारण वहां दिल्ली परिवहन निगम की बसें नहीं जातीं, सड़क पर बिजली नहीं है और ट्रैफिक आदि के लिए आम रास्ता नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इसके शीघ्र विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं। केवल निम्नलिखित कर वसूल किए जाते हैं :

(i) एक रुपया प्रति गज के हिसाब से सौंदर्य प्रभार।

(ii) 50 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से जीनल रोड प्रभार।

(iii) 50 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से ग्रामीण पुनर्विकास प्रभार।

रोड नं० 75 के लिए समितियों से कोई कर नहीं लिया जाता जोकि वृहत् योजना की सड़क है।

(ख) जी, हां।

(ग) भूमि के अर्जन के बाद ही केवल सड़क का निर्माण किया जा सकता है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में निलंबित सिविल रिट याचिका के निपटान पर लंबित हैं।

वैज्ञानिक कार्मिक, संस्था से प्राप्त शिकायतें, परिवेदनायें और अभ्यावेदन

7552. **श्री अजित कुमार मेहता** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० सी० ए० आर० के संस्थानों और आई० सी० ए० आर० के मुख्यालय से गत तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक कार्मिकों, एसोसियेशनों आदि से कितनी शिकायतें, परिवेदनायें, अभ्यावेदन आदि मिले और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या प्रमुख परिवेदनाओं के स्वरूप और मुख्य-मुख्य बातों को आई० सी० ए० आर० के शासी निकाय के समक्ष रखा जाता है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या सरकार का विचार परिवेदना दूर करने वाली ऐसी समिति गठन करने का है जिसमें आई० सी० ए० आर० के सभी संस्थानों तथा आई० सी० ए० आर० मुख्यालय के वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों के प्रतिनिधि हों ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय से विगत तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक कार्मिकों, एसोसियेशनों आदि से प्राप्त शिकायतें, परिवेदनाएं, अभ्यावेदन आदि की संख्या देना बहुत ही कठिन है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन 36 संस्थान हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों के अधीन बड़ी संख्या में अनेक क्षेत्रीय केन्द्र हैं। सभी उन प्रमुख अभ्यावेदनों पर जिनमें नीति के मामलों पर मतभेद होता है तथा जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के निर्णय की आवश्यकता होती है वे शासी निकाय को प्रस्तुत किये जाते हैं तथा कार्यवाही उनके निर्णय के आधार पर होती है। सामान्यतः अकेली शिकायतें शासी निकाय को प्रस्तुत नहीं होतीं। वे अपने-अपने शिकायत कक्षों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं।

(ग) संयुक्त कर्मचारी परिषदें संस्थानों तथा परिषद के मुख्यालय में पहले ही स्थापित हैं जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी प्रशासनिक, समर्थक तथा सहायक वर्ग से सरकारी तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं। इसके अतिरिक्त, एक केन्द्रीय कर्मचारी परिषद है जिसमें अधिकतम 15 सरकारी प्रतिनिधि तथा अनुसंधान संस्थानों से स्टाफ के 41 प्रतिनिधि हैं। इस योजना में सभी व्यक्ति आ जाते हैं सिवाय ग्रुप 'ए' तुल्य के रूप में श्रेणीबद्ध (श्रेणी–1) के अधिकारियों के तथा इसके कार्यक्षेत्र में सेवा के मामले, कार्य दशाएं, कर्मचारी का कल्याण तथा कार्य के स्तर में दक्षता का सुधार शामिल है। ग्रुप 'ए' तुल्य के रूप में श्रेणीबद्ध अधिकारियों की शिकायतों की जांच के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय तथा इसके सस्थानों में अलग शिकायत समिति स्थापित की गयी हैं।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन अधिग्रही भूमि

7553. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अप्रैल, 1966 की अधिसूचना संख्या एफ० 1 (7)/72 एडहक जी के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अधीन, आनन्द पर्वत में गांव सुधारा खुर्द के राजस्व क्षेत्र में, खसरा संख्या 609/267, 608/73, 264, 596/275, 596/277, 607/276, 1018/342, 345, 346, 1019/347, 1040/353, 1049/356, 1024/350 के अधिग्रहण हेतु नोटिस जारी किया गया था; और उपरोक्त अधिनियम की 9 तथा 10 के अधीन एक दूसरा नोटिस 27 दिसम्बर, 1972 को जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भूखण्डों के मालिकों के पास उक्त भूमि अभी भी लीज पर है, क्या उस पर अनधिकृत निर्माण किये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उस भूमि की अवैध बिक्री तथा उस पर अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) प्रश्नाधीन भूमि के बारे में 17 अप्रैल, 1978 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अधीन नोटिस जारी किया गया था। इसमें से, खसरा नं० 5981/275, 595/275 तथा 596/277 की भूमि का 1970-72 के दौरान अधिग्रहण किया गया था। 27 दिसम्बर, 1972 को खसरा नं० 1040/353 से सम्बन्धित इसी अधिनियम की धारा 9 और 10 के अधीन नोटिस जारी किये गये थे लेकिन 15 नवम्बर, 1978 को उच्चतम न्यायालय द्वारा रोकादेश दिए जाने के कारण आगे की कार्यवाही रोक देनी पड़ी।

(ख) तथा (ग) कथित अनधिकृत बिक्री के बारे में मामले को पहले ही संबंधित प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा अनधिकृत निर्माण के लिए दो निर्माताओं के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

विदेशी नस्ल के चीते, शेर और गैंडे

7554. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार कितने चीते, शेर और गैंडे हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय पार्कों में इन पशुओं की कुछ विदेशी नस्ल मंगाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

भारत में चीतों, शेरों और गैंडों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चीते	शेर	गैंडे
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	148	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	असम	300	कोई नहीं	1330
3.	बिहार	74	कोई नहीं	कोई नहीं
4.	गुजरात	7	205	कोई नहीं

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	जम्मू व काश्मीर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
8.	कर्नाटक	156	कोई नहीं	कोई नहीं
9.	केरल	134	कोई नहीं	कोई नहीं
10.	मध्य प्रदेश	579	कोई नहीं	कोई नहीं
11.	महाराष्ट्र	160	कोई नहीं	कोई नहीं
12.	मणिपुर	10	कोई नहीं	कोई नहीं
13	मेघालय	35	कोई नहीं	कोई नहीं
14.	नागालैंड	102	कोई नहीं	कोई नहीं
15.	उड़ीसा	173	कोई नहीं	कोई नहीं
16.	पंजाब	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
17.	राजस्थान	79	कोई नहीं	कोई नहीं
18.	सिक्किम	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
19.	तमिलनाडु	65	कोई नहीं	कोई नहीं
20.	त्रिपुरा	6	कोई नहीं	कोई नहीं
21.	उत्तर प्रदेश	487	कोई नहीं	कोई नहीं
22.	पं० बंगाल	296	कोई नहीं	24
23.	अरुणाचल प्रदेश	139	कोई नहीं	कोई नहीं
24.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
25.	चण्डीगढ़	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
26.	दिल्ली	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
27.	दादर तथा नगर हवेली	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
28.	गोवा, दमन तथा दीव	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
29.	लक्ष्य द्वीप	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
30.	मिजोरम	65	कोई नहीं	कोई नहीं
31.	पांडिचेरी	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
	योग	3015	205	1354

टिप्पणी : चीतों तथा शेरों से सम्बन्धित आंकड़े 1979 में की गई संगणना पर आधारित हैं।

काल गर्ल पेशे पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कानून बनाना

7555. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काल गर्ल गिरोहों की विधमानता का पता है;

(ख) क्या सरकार काल गर्ल की उपरोक्त प्रथा के बारे में उदार हो गई है और उसे कानूनी रूप दे दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सभी उक्त काल गर्ल गिरोहों पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कानून बनाने का है; यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) गुप्त रूप से इस बुराई के प्रचलन से वर्जन नहीं किया जा सकता ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अन्य वेश्याओं की गतिविधियों की तरह काल गर्ल्स की गतिविधियां भी आती हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की मुख्य श्रेणियां निम्नलिखित हैं :

(1) अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति द्वारा लाभ कमाना;

(2) वेश्यावृत्ति के लिए अन्य व्यक्ति का शोषण करना;

(3) सार्वजनिक स्थान इत्यादि पर वेश्यावृत्ति के लिए आग्रह करना ।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में राज्य सरकारों के सक्षम प्राधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वे उन सार्वजनिक स्थानों या अन्य क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकते हैं जहां वेश्यावृत्ति दण्डनीय होगी ।

इस अधिनियम को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है तथा इसे लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम का हाल में संशोधन किया गया था । ऊपर कही बातों को देखते हुए किसी नए विधिनिर्माण पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

सादिक नगर, नई दिल्ली में पानी की दरें

7556. **श्री तारिक अनवर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सादिक नगर, नई दिल्ली के निवासियों से क्रमशः 21 रुपये, 16 रुपये तथा 12 रुपये प्रति मास की निश्चित दर से पानी का अधिभार वसूल किया जाता है जोकि अन्य सरकारी कालोनियों की दरों से अधिक है;

(ख) क्या यह सच है कि वहां के निवासी क्वार्टरों में मीटर लगाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि पानी की दर अधिक है और अन्य सरकारी कालोनियों के निवासी उनकी तुलना में कम मूल्य दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस कालोनी में मीटर न लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि निवासियों को उद्योग सुविधायें भी नहीं प्रदान की गई हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कालोनी में पानी के मीटर लगाने तथा उपरोक्त उद्यान संबंधी सुविधायें भी उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सादिक नगर, नई दिल्ली के टाईप ए०, बी०, सी० और डी० के क्वार्टरों के दखलकारों से जल प्रभार क्रमशः 10 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए और 21 रुपए की दर पर निर्धारित किया गया था जिसे क्रमशः 12 रुपए, 12 रुपए, 18 रुपए और 23 रुपए पर पुनरीक्षित किया जा रहा है।

दिल्ली और नई दिल्ली में अलग-अलग सरकारी कालोनियों में भारी मात्रा में पानी आदि उपभोग किए जाने पर बिना मीटर वाले क्वाटरों में अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।

(ख) इस बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सामान्य नीति के अनुसार, इस पर होने वाले भारी खर्च को ध्यान में रखते हुए, इन बिल्डिंगों के अलग-अलग क्वार्टरों में पानी के मीटरों की व्यवस्था नहीं की जाती है।

(घ) बागबानी का काम उन क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है जहां निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगा दिए गए हैं।

(ङ) इस समय इस कालोनी के अलग-अलग क्वार्टरों में पानी के मीटर लगाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियुक्तियों तथा दाखिलों के बारे में शिकायतें

7557. **श्री जैनुल बशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में नियुक्तियों तथा दाखिलों के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामलों की जाँच करने के लिए एक उच्च-शक्तियुक्त समिति नियुक्त करने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार को दाखिलों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जवाहर लाल नेहरू विश्व-विद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में होने वाली अनियमितताओं

के संबंध में आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति तथा अन्यों के साथ-साथ, प्रधान मंत्री को सम्बोधित पत्र की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है और इस मामले पर विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के परामर्श से, सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) विश्वविद्यालय ने स्वयं ही मार्च, 1980 को निम्नलिखित बातों के विचारार्थ एक समिति नियुक्त की है :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के प्रारंभ से ही इसके कार्यकरण की समीक्षा करना;

(ख) इन उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना और इनके समन्वय तथा सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई का सुझाव देना;

(ग) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक काम-काज की बाधाओं, कमियों एवं असफलताओं को देखते हुए, तत्संबंधी कारणों का पता लगाना और भविष्य में विश्वविद्यालय के कार्यकरण को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय प्रस्तुत करना; और

(घ) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुरूप अगली दशाब्दी में विश्वविद्यालय की समृद्धि एवं विकास के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाओं की सिफारिश करना।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजना

7558. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु विदेशों में भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1962 से एक सौ सड़सठ।

महिला मध्य दशाब्दी सम्मेलन के लिये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का चयन

7559. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1980 में कोपेनहेगन में महिला मध्यदशाब्दी सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों के चयन का आधार क्या था;

(ख) क्या यह सच है कि एक पार्टी के ही संसद सदस्यों को चुना गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) कोपेनहेगन में 14 जुलाई से 30 जुलाई, 1980 तक हुए संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के विश्व सम्मेलन के लिए प्रतिनिधिमंडल के गैर-सरकारी सदस्यों का चयन महिलाओं के विकास में अनुभव और योगदान तथा भविष्य में समाज कल्याण के लिए संम्भावना के आधार पर किया गया था। प्रतिनिधिमंडल के सरकारी सदस्य वे थे जिनका महिलाओं के कल्याण और विकास तथा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के काम के साथ सीधा सम्बंध था। संसद से प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य यद्यपि संयोग से एक ही पार्टी से सम्बंधित हैं परन्तु उनका चयन ऊपर बताए गए मान-दण्डों को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

जूनागढ़ टेलीफोन एक्सचेंज के विरुद्ध शिकायतें

7560. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनागढ़ (गुजरात) में इस समय कोई स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है बल्कि हाथ से संचालित एक्सचेंज है;

(ख) क्या इस आशय की अनेक शिकायतें मिली हैं कि लोगों को उचित समय पर टेली-फोन नहीं मिलते हैं और उन्हें अपने नम्बर मिलाने में काफी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(घ) उक्त एक्सचेंज की इस समय क्षमता कितनी है और वहां कार्यरत आपरेटरों तथा कर्मचारियों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वहां और अधिक संख्या में आपरेटर नियुक्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ताकि अंशदाताओं को अपनी कालें मिल सकें ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां। जूनागढ़ में इस समय एक हस्तचालित एक्सचेंज कार्य कर रहा है।

(ख) जूनागढ़ अपेक्षाकृत एक बड़ा हस्तचालित एक्सचेंज है। व्यस्त घंटों में विशेषकर अधिक यातायात अथवा कर्मचारियों की अत्याधिक गैर हाजिरी के कारण उत्तर देने में यदाकदा विलंब हो जाता है।

(ग) एक स्वचल एक्सचेंज की योजना तैयार की गई है। आशा है कि यह एक्सचेंज 1984 तक चालू हो जाएगा।

(घ) 31-3-80 तक एक्सचेंज की सज्जित क्षमता 2,280 लाइनों की थी। कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

पद नाम	स्वीकृत	पदस्थ
1. कनिष्ठ इंजीनियर (जे० ई०)	13	13
2. टेलीफोन प्रचालन (टी० ओ०)	121	111
2. (क) कनिष्ठ पर्यवेक्षक (जे० एस०)	8	6
3. टेलीफोन निरीक्षक (पी० आई०)	4	4
4. उप निरीक्षक (एस० आई०)	8	7
5. लाइनमैन (एल० एम०)	32	29
6. तकनीशियन	15	17

(ङ) दस टेलीफोन प्रचालन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा 30-9-80 तक उनकी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगीं । दस अतिरिक्त प्रचालकों की नियुक्ति के लिये कार्रवाई की जा रही है और उनकी नियुक्ति 31-3-1981 तक हो जाएगी ।

नैशनल बुक ट्रस्ट का सलाहकार पेनल

7561. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिन्न-भिन्न भाषाओं में ट्रस्ट लिखने, अनुदित करने और प्रकाशित करने के लिए नैशनल बुक ट्रस्ट को सलाह देने के लिए कोई सलाहकार पेनल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या उक्त ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें बेच दी गई हैं और स्टाक में अभी कितनी पुस्तकें पड़ी हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पुस्तकों का स्टाक करने हेतु मकानों के किराए पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया और कितने अन्य खर्च किए गए ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जबकि सरकार ने तो कोई पेनल नियुक्त नहीं किए हैं, भिन्न-भिन्न भाषाओं में पुस्तकें लिखने, अनुदित करने और प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पेनल हैं और इन विभिन्न पेनलों के गठन को दर्शाने वाला विवरण एक संलग्न है ।

(ग) 31 मार्च, 1980 तक मुद्रित विभिन्न पुस्तकों की कुल 87.11 लाख प्रतियों में से 67.08 लाख प्रतियां बिक गई हैं । मानार्थ प्रतियों के रूप में वितरित कर दी गई हैं । 1.80 लाख

प्रतियाँ स्कूलों को भेंट स्वरूप दे दी गई हैं तथा शेष 18.23 लाख प्रतियां भण्डार में हैं।

(घ) न्यास ने केवल पुस्तकों के भण्डारण के लिए कोई भवन किराए पर नहीं लिया है। गत तीन वर्षों के दौरान किराए पर किया गया कुल व्यय तथा अन्य सम्बद्ध व्यय नीचे दिया गया है :

1977-78	1,93,644 रु०
1978-79	2,67,985 रु०
1979-80	2,45,835 रु०

उपरोक्त के अलावा न्यास ने केन्द्रीय गोदाम (वेअर हाउसिंग) निगम को प्रदर्शनी/उपस्करों के भन्डारण के लिए किराए के रूप में निम्नलिखित राशियों का भुगतान किया है :

1977-78	35,264 रु०
1978-79	52,178 रु०
1979-80	57,771 रु०

विवरण

असमी

1. डा० महेश्वर नियोग, संत शंकरदेव, प्रोफेसर, पंजाबी विश्वविद्यालय।
2. डा० भावेन्द्र नाथ सेकिया, विख्यात लेखक।
3. श्री नब कान्त बरुआ, लेखक तथा प्रोफेसर।
4. श्री अवण शर्मा, सुविख्यात नाटककार और निर्माता, आकाशवाणी, गोहाटी।
5. श्री सी० पी० सेकिया, सचिव असमी प्रकाशन बोर्ड।
6. श्री प्रदीप बरुआ, प्रमुख प्रकाशक।
7. श्री राम गोस्वामी, मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय।
8. अध्यक्ष, असम साहित्य सभा।

बंगाली

1. डा. सुभेन्दु शेखर मुखोपाध्याय, सचिव, साहित्य अकादमी, कलकत्ता।
2. श्री दिपेन मित्रा, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मुद्रणालय।
3. श्री निर्मलय आचार्य, सम्पादक, "एकाशेन"।
4. श्री स्वपन मजूमदार, दम्पेरिटिव साहित्य में लेक्चरर।
5. श्री एस० के० बसु, प्रबंधकीय सम्पादक, नैशनल बुक एजेन्सी।
6. श्री आर० के० दास गुप्त, निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय।
7. श्री सरोज बन्धोपाध्याय, बंगला प्रोफेसर।
8. श्री सांखे घोष, कवि और समालोचक।

गुजराती

1. श्री चन्द्रकान्त मेहता, गुजराती के सेवा-निवृत्त प्रोफेसर और आलोचक ।
2. श्री छोटूभाई सुथार, विख्यात विज्ञान लेखक ।
3. श्री सी० पी० शुक्ल, पुस्तकाध्यक्ष ।
4. श्री निरंजन भगत, कवि और समालोचक ।
5. श्री राधेश्याम शर्मा, लघु कहानी लेखक और समालोचक ।
6. श्रीमती नीराबेन देसाई, समाजशास्त्री ।
7. श्री चन्द्रकान्त टोपीवाला, कवि तथा समालोचक ।
8. श्री भगत भाई सेठ, प्रकाशक ।

हिन्दी

1. श्री विष्णु, प्रभाकर, विख्यात कहानी लेखक, उपन्यासकार ।
2. श्री शिवदान सिंह चौहान, पत्रकार एवं लेखक ।
3. श्रीमती निर्मला जैन, रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय ।
4. श्री महीप सिंह, सम्पादक, विख्यात हिन्दी लेखक तथा लेक्चरर ।
5. श्री निर्मल वर्मा, विख्यात लेखक ।
6. श्री भीष्म साहनी, विख्यात कहानी लेखक और उपन्यासकार ।
7. श्री विश्वनाथ, प्रकाशक ।

कन्नड़

1. डा० एच० एम० नायक, निदेशक, कन्नड़ अध्ययन, संस्थान, मैसूर विश्वविद्यालय ।
2. श्री सी० एस० कानवी, निदेशक, प्रसारंगा, कर्नाटक विश्विद्यालय ।
3. श्री एम० सत्यनारायण राव, गीता बुक हाउस, मैसूर ।
4. श्री एल० एस० शेषगिरि राव, प्राध्यापक, अंग्रेजी, बंगलौर विश्वविद्यालय ।
5. श्री के० एस० हरिदास भट्ट, प्रधानाचार्य (सेवा निवृत्त) एम० जी० एम० कालेज, उदिपी ।
6. अध्यक्ष, कर्नाटक पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स एसोसिएशन ।
7. अध्यक्ष, कन्नड़ साहित्य परिषद ।

मलयालम

1. प्रोफेसर सुकुमार आझिकोडे, समालोचक ।
2. प्रो० ओ० एन० वी० कुरुप, प्रोफेसर, मलयालम ।
3. प्रो० ओमचेरी एन० एन० पिल्ले जन संचार संस्थान, एक नाटककार ।

4. श्री टी० एन० जयचन्द्रन, भा० प्र० से०, समालोचक ।
5. श्री डी० सी० किझाक्केमुरी, प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता ।
6. श्री एम० के० माधवन नायर, एस० पी० सी० एस० कोटायाम ।
7. श्री ठकाजी शिवशंकर पिल्ले, प्रसिद्ध लेखक ।

मराठी

1. श्री भेमन चरघाडे, प्रसिद्ध लघु कहानी लेखक ।
2. श्री अमरेन्द्र गाडगिल, प्रमुख प्रकाशक ।
3. श्री जयवन्त दावली, नाटककार ।
4. श्री रामदास भटकल, पापुलर प्रकाशन ।
5. डा० अशोक केलकर, भाषाशास्त्री ।
6. श्री भाल चन्द्र नामदे, प्राध्यापक, अंग्रेजी और उपन्यासकार ।
7. श्री चन्द्रकान्त पाटिल, प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान ।

उड़िया

1. श्री सुरेन्द्र मोहन्ती, संसद सदस्य, प्रख्यात लेखक, पत्रकार, सांसद ।
2. श्री चितरंजन दास, प्रख्यात लेखक, अनुवादक, शिक्षाशास्त्री ।
3. श्री सीताकान्त माहापात्र, भा० प्र० से० लब्धप्रतिष्ठ कवि, समालोचक, अनुवादक और प्रकाशक ।
4. डा० श्रद्धाकर सुपाकर, प्रख्यात लेखक, पत्रकार ।
5. डा० जे० बी० मोहन्ती (भारद्वाज), प्रख्यात कवि, समालोचक, प्राध्यापक ।
6. डा० गोकलानन्द मोहपात्र, प्रख्यात विज्ञान कथा-साहित्य, लेखक, वैज्ञानिक, प्राध्यापक ।
7. डा० सौभाग्य कुमार मिश्र, प्रख्यात कवि, समालोचक ।
8. डा० सची रौत्रेय, प्रख्यात कवि, समालोचक, उपन्यासकार, अध्यक्ष, उड़िया साहित्य अकादमी ।
9. श्री श्रीधर मोहपात्र, प्रख्यात प्रकाशक और लेखक ।

पंजाबी

1. डा० एम० एस० रन्धावा, सुविख्यात पंजाबी लेखक तथा कृषि विशेषज्ञ ।
2. डा० हरभजनसिंह, अध्यक्ष, एम० आई० एल० विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ।
3. श्री एस० एस० मिषा, आकाशवाणी, जालन्धर ।
4. प्रो० रामसिंह, सुविख्यात समालोचक ।
5. प्रो० प्रीतम सिंह, पंजाबी प्रकाशन एवं लेखन में प्रमुख हस्ती ।

6. प्रो० गुरदयाल सिंह, सुविख्यात लेखक ।

तमिल

1. श्री टी० जानकीरामन, मुख्य प्रोड्यूसर, शैक्षिक प्रसारण, आकाशवाणी ।
2. श्री का० ना० सुब्रमण्यम, सुविख्यात लेखक तथा समालोचक ।
3. श्री वल्लीकान्नन, सुविख्यात कवि ।
4. श्री रुद्र तुलसीदास, विज्ञान लेखक ।
5. श्री जी० कनकसभापति, तमिल प्रोफेसर ।
6. श्री पी० थियोरन, विद्वान् एवं बाल साहित्य लेखक ।

तेलुगु

1. डा० पी० एस० आर० आप्पा राव, भूतपूर्व निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय तेलुगु केन्द्र ।
2. निदेशक, तेलुगु अकादमी ।
3. डा० ए० रामापती राव, लेखक एवं समालोचक ।
4. श्री आर० एम० सुन्दरशनम, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कालेज, राजमुन्दरी ।
5. श्रीमती मालती चन्दूर, पत्रकार एवं लेखिका ।
6. श्री डी० रामानुज राव, प्रधान सारस्वत परिषद् ।

उर्दू

1. प्रो० मसूद हुसैन, प्रो० भाषाविद्, समालोचक ।
2. प्रो० गोपीचन्द नारंग, समालोचक ।
3. प्रो० मोहम्मद हसन, समालोचक ।
4. श्री सरदार जाफरी, कवि ।
5. डा० कमर रईस, विद्वान ।
6. श्री शाहबाज हुसैन, सम्पादक "आजकल" ।
7. श्री अबुल हसन, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
8. श्री शाहिद अली खां, मकतबा जामिया ।
9. श्री वारिस अलवी, समालोचक ।

आलू का मूल्य बढ़ने से रोकना

7562. **श्री प्रभु नारायण टंडन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में आलू के मूल्य बहुत अधिक हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार इन मूल्यों को कम करने के लिये कुछ उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां। फरवरी, 1980 से देश के विभिन्न भागों में आलू के मूल्यों में वृद्धि हो रही है जब कि गत वर्ष इसी अवधि में मूल्य इतने अधिक नहीं थे। 1979-80 को आलू की फसल के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि 1979-80 में इस फसल का उत्पादन वर्ष 1978-79 की तुलना में कम था। फरवरी, 1980 से आलू के मूल्य में तेजी आने का एक मुख्य कारण यह है।

(ख) सरकार चालू वर्ष के दौरान आलू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सभी संभव प्रयत्न कर रही है। इससे आलू की सप्लाई में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आलू उपलब्ध हो सकेगा।

खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाये जा रहे ऊन पर आधारित कुटीर उद्योग

7563. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ऊन पर आधारित किस प्रकार के कुटीर उद्योग चलाये जा रहे हैं तथा वे कहां-कहां पर तथा कब से चलाये जा रहे हैं;

(ख) इन कुटीर उद्योगों से खादी आयोग को कितना लाभ हो रहा है और क्या तत्संबंधी वर्षवार आंकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान उक्त कुटीर उद्योगों में कार्य और आगे बढ़ाने के लिए आयोग ने क्या प्रावधान किये हैं और कौन से नए उद्योग स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) क्या खादी आयोग ने जून, 1979 से जून, 1980 के दौरान ऊन की कताई तथा बुनाकरी रोक दी थी जिसके फलस्वरूप वर्ष 1979-80 के अकाल से पीड़ित श्रमिकों को भारी संकट का सामना करना पड़ता था; और यदि हां, तो इसके लिये कौन लोग उत्तरदायी हैं और खादी आयोग ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बीकानेर में स्थित उनके क्षेत्रीय कार्यालय के तत्वावधान में राजस्थान में बीकानेर, बाडमेर, जैसलमेर और गंगानगर के चार सीमावर्ती जिलों में ऊनी खादी के उत्पादन तथा बिक्री की गतिविधियां अक्तूबर, 1963 से शुरू की जा रही हैं। उपर्युक्त गतिविधियां निम्नलिखित स्थानों पर की जाती हैं :

बीकानेर	बज्जू	बीकमपुर	नछना
श्रीकरणपुर	बाड़मेर	गूंगा	गकरा रोड
शास्त्रीग्राम	बाबड़ी	दुधवा	वैशाला
बाल-बालेबा	हरसनी	बैकुंठग्राम	मैयाज्लार तथा महावर

बिक्री मुख्यतः बीकानेर बाड़मेर तथा श्रीकरनपुर में स्थित केन्द्रों के माध्यम से होती है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसके ऊनी खादी के उत्पादन और बिक्री की गतिविधियों के परिणामस्वरूप वर्ष 1964-65 से 1978-79 के बीच हुए लाभ तथा हानि को वर्षवार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए, ऊनी खादी के उत्पादन और बिक्री हेतु अनुदान के रूप में 5.81 लाख रुपये तथा कार्यकारी पूंजी के रूप में 61.82 लाख रुपये के अंतरिम प्रावधान किये गये हैं।

(घ) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कताई तथा बुनाई के कार्य को स्थगित नहीं किया गया था।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हुए लाभ तथा हानि के वर्षवार आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	कुल लाभ (+) रुपये	कुल हानि (—) रुपये
1964-65	...	— 20638
1965-66	+ 38936	..
1966-67	+ 48537	...
1967-68	...	— 30220
1968-69	...	— 3204
1969-70	...	— 1425
1970-71	...	— 2029
1971-72	...	...
1972-73	+ 29958	...
1973-74	+ 440228	...
1974-75	+ 392679	...
1975-76	...	— 5924
1976-77	...	— 12131
1977-78	...	— 19811
1978-79	...	— 328582

1979-80 के लेखाओं की संवीक्षा की जा रही है तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में भर्ती तथा स्थानान्तरण संबंधी नीति

7564. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में भर्ती तथा स्थानान्तरण संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सभी वर्गों के पदों पर सरकार द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार भर्ती की जाती है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए, निश्चित मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए गए हैं। पुरातत्व कार्यालय-अध्यक्षों को उनके अधीन कार्य कर रहे समूह "घ" के कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने की शक्ति प्रदान की गई है। अन्य अर्थात "क", "ख" और "ग" वर्गों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण का निर्णय समितियां करती हैं जिनकी अध्यक्षता महानिदेशक (समूह "क" के अधिकारियों के लिए) तथा अपर महानिदेशक (समूह "ख" और "ग" के अधिकारियों के लिए) करते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं सठता।

गांव अडकपुर, बाग मोची, नई दिल्ली में सीवर पाईप बिछाना

7565. **श्री बनवारी लाल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांव अडकपुर, बाग मोची, नई दिल्ली में सीवर पाईप बिछाने के लिये 95,000 के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) निधियों की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

भारतीय मत्स्य उद्योग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान

7566. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर में हुई विचार-गोष्ठी

में "भारतीय मत्स्य उद्योग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी" के बारे में निकाले गये निष्कर्षों जो एक शोध-लेख में उद्धृत है; पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर द्वारा जून, 1980 के अंतिम सप्ताह में वैकल्पिक प्रौद्योगिकी पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी । भारतीय मात्स्यकी उद्योग के लिए उपयुक्त-प्रौद्योगिकी नामक एक दस्तावेज भी पेश किया गया था । परम्परागत मछुओं के हितों की रक्षा की आवश्यकता सर्वविदित है, परन्तु अन्य बातें सही नहीं हैं ।

कर्नाटक में गन्दी बस्तियों की सफाई

7567. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य को गन्दी बस्तियों की सफाई और उनके सुधार के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि उपलब्ध की गई; और

(ख) पिछले 10 वर्षों में कितनी गन्दी बस्तियों की सफाई की गई है अथवा उनमें सुधार किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार और शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजनाओं को राज्य सरकारें राज्य योजना के अंग के रूप में चलाती हैं। शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए यह योजना संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भी अंग है । राज्य योजनाओं की स्कीमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है । भारत सरकार और योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग निर्देशनों को ध्यान में रखते हुए राज्य योजना में निधियों का अन्तरक्षेत्रीय नियतन राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा अपनाई गई प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है । भारत सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से गन्दी बस्ती सुधार के लिए निधियों का कोई नियतन नहीं किया जाता है ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्य योजना के अधीन किया गया नियतन इस प्रकार है :

वर्ष	नियतन की गई राशि (लाख रुपये में)
1977-78	50
1978-79	60
1979-80	105

(ख) इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

वन्य जीवन की रक्षा के लिए वनों और प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट करने पर रोक

7568. **श्री भीखू राम जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कोलॉरेडो विश्वविद्यालय के प्रो० चार्ल्स एच० साउथविक द्वारा दी गई इस वार्ता की ओर दिलाया गया था कि वानरों की पर्यावरण और खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की उपेक्षा के कारण वानरों तथा अन्य बहुत सी नस्लों का जीवन संकट में पड़ गया है, वानरों की संख्या 90 प्रतिशत तक कम हो गई है और वन्य प्राणियों की लगभग 200 नस्लें संकट ग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वनों की तबाही पर रोक लगाने, प्राकृतिक पर्यावरण पुनः कायम करने और वानरों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) सरकार विद्यमान वनों, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण तथा वन क्षेत्रों में पुनः वन लगाने के उद्देश्य से वृक्ष रोपण की योजनाओं पर विशेष जोर दे रही है। इसी प्रकार वन्य प्राणि संरक्षण तथा प्रबंध संबंधी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वन्य प्राणियों के आश्रय स्थलों की वर्तमान व्यवस्था की संवीक्षा की जा रही है तथा उन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है । इसके फलस्वरूप वन्य प्राणियों के स्तर में आम सुधार होने की आशा है। इससे वानरों को भी संरक्षण प्राप्त होगा । सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस संबंध में उपयुक्त सलाह दी गयी है ।

केरल सरकार द्वारा अरालम फार्म को अधिकार में लेने के लिए अनुरोध

7569. **श्री के० कुन्हुम्बु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उसे अरालम स्थित केन्द्रीय फार्म को अपने अधिकार में लेने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम के कर्मचारियों ने 18.2.1980 से हड़ताल शुरू कर दी और यह हड़ताल जुलाई के अन्त तक चली । जब कृषि कार्य अपने सर्वोत्तम स्तर पर होता है उस समय उनकी हड़ताल के कारण फार्म को स्थायी क्षति होने की आशंका से राज्य सरकार ने हमसे राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी को फार्म के प्रबंध को प्रारम्भिक रूप से हस्तांतरित करने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त की थी । यह हड़ताल समाप्त हो चुकी है ।

पंजाब में चीनी मिलों की स्थापना

7570. **श्री एल० एस० तुर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पांच चीनी मिलों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) जी, हां। पंजाब सरकार ने अपने राज्य में छः नयी चीनी मिलें स्थापित करने की सिफारिश की है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से अनुरोध किया है कि वे नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए अभिस्तावित छः प्रस्तावों के बारे में प्रत्येक के मामले में गन्ने की उपलब्धता आदि से संबंधित अद्यतन सूचना सुलभ करें। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर नयी चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने के लिए भारत सरकार द्वारा 4 जुलाई, 1980 को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच करने के बारे में आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

फार्म उत्पादन में वृद्धि

7571. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में फार्म उत्पादन में वृद्धि के लिये कोई निर्णय लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किसानों को कौन सी सुविधायें देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) फार्म उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों में पहले ही केन्द्रीय प्रयोजित क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र दोनों में अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को उपलब्ध की जा रही सुविधाएं निम्नलिखित हैं :

(1) अच्छी किस्म के प्रमाणित बीजों की लागत पर राज-सहायता प्रदान करना;

(2) पौध रक्षण रसायनों और परिचालन लागत पर राज-सहायता प्रदान करना;

(3) प्रबंध की उन्नत प्रणालियों का किसान के खेतों पर प्रदर्शन करना;

(4) नये तथा अधिक पैदावार वाली किस्मों के बीजों के मिनीकिटों की निःशुल्क सप्लाई करना;

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा

(6) संस्थागत ऋण की व्यवस्था करना।

उड़ीसा में ग्रामीण निर्धनों को मकान

7572. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि उड़ीसा राज्य में चालू कैलेंडर वर्ष में निर्धन ग्रामीणों को कितने मकान उपलब्ध कराये गये हैं और उनके लिये आवंटन हेतु कितने मकानों का निर्माण किये जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : उड़ीसा सरकार ने 1979-80 के अन्त तक आवास स्थल एवं झोंपड़ी निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए 17,176 मकान निर्मित किए थे जिनमें 8,171 मकान भूमिहीन परिवारों के भी शामिल हैं। उनका ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 420 मकान बनाने के लिए ऋण देने तथा 1980-81 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को वास स्थल एवं झोंपड़ी निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत 4,000 मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है।

खाद्यानों का निर्यात

7573. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने निर्यात का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) खाद्यान्न का निर्यात किन-किन देशों को किया जाएगा और कितना निर्यात किया जाएगा और उनका निर्यात मूल्य क्या होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) बासमती चावल का निर्यात करने के अलावा, जोकि पहले ही खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल-3) के अधीन आता है, सरकार ने 1980-81 के दौरान 10 लाख मीटरी टन चावल और 89 हजार मीटरी टन जौ का निर्यात करने का भी निर्णय किया है।

(ग) गन्तव्य स्थान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निर्यातक एजेन्सियां किसी भी उस देश को, जिनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं, निर्यात करने में स्वतंत्र हैं बशर्ते कि न्यूनतम निर्यात मूल्य, जहां कहीं निर्धारित किया गया हो, प्राप्त किया जाए।

10+2+3 योजना में व्यावसायिक शिक्षा

7574. **श्री राजेश पायलट** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10+2+3 योजना का एक मुख्य उद्देश्य युवाओं का +2 चरण पर व्यावसायिक शिक्षा की ओर अपवर्त्तन करना था;

(ख) यदि हां, तो 10+2+3 प्रणाली अपनाने वाले राज्यों में (एक) अव्यवहारिक शिक्षा की तुलना में व्यवसायिक शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या; (दो) व्यवसायिक विषयों के छात्रों को अव्यावहारिक शिक्षा विषयों में आने के लिये उपलब्ध किये गये "ब्रिज" पाठ्यक्रमों की संख्या तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय बैचों में व्यवसायिक विषय पास करने वाले छात्रों की संख्या को देखते हुए उक्त उद्देश्य की कहां तक पूर्ति हुई है;

(ग) आरम्भिक वेतन तथा भावी संभावनाओं की दृष्टि से उनके रोजगार की क्या स्थिति है; और

(घ) इसे व्यवसायिक शिक्षा पाने वाले छात्रों के स्व-नियोजन के साथ सम्बद्ध करने के लिये यदि कोई प्रयास किया गया है तो क्या ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) क्योंकि मूल्यांकन का स्वरूप गुणात्मक है और यह देश भर के छात्रों की भारी संख्या से सम्बन्धित है, अतः इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है। तथापि, जहां रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए जिला स्तर पर विस्तृत सर्वेक्षण किये गये थे, विस्तृत पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार की गई थी, और आवश्यक शिक्षण सामग्री तथा अनुदेशकों की व्यवस्था कर दी गई है। वहां व्यवसायिक विषय को लेकर उत्तीर्ण होने वाले छात्र स्वतः-रोजगार तथा रोजगार के लिए सामान्यतया श्रेष्ठ होते हैं।

मिन्टो रोड, नई दिल्ली में सरकारी आवास को आगे किराये पर दिया जाना

7575. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिन्टो रोड में 'सी' टाइप के चार मंजिले सरकारी क्वार्टरों में अलाटियों ने यहां तक कि उनके स्कूटर रखने के लिए जो गैरेज थे उन्हें रिक्शे वालों, स्कूटर वालों, रेहड़ी वालों, पान वालों को किराये पर दे दिया है और इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र को स्वास्थ्य के लिए अत्याधिक हानिकर बना दिया है जो अन्य अलाटियों के लिए दुखदायी बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का है तथा इस संबंध में अन्य क्या स्थायी कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) मिन्टो रोड के 'सी' टाइप के चार मंजिले क्वार्टरों के आवंटियों द्वारा गैराजों को किराए पर देने के विरुद्ध सरकार ने कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है। तथापि, कालोनी में गैराजों की अनधिकृत किराएदारी। दुरुपयोग का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है और दोषियों के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी।

ठेका प्रणाली समाप्त करना

7576. **डा० वसंत कुमार पंडित** :

श्री राम विलास पासवान :

श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने डीपुओं में ठेका मजदूर प्रणाली पूरी तरह समाप्त कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के डीपुओं में 25,000 मजदूरों में से केवल 10,000 स्थायी मजदूर हैं, 3,000 मजदूर सीधी भुगतान प्रणाली पर काम कर रहे हैं और 12,000 मजदूर ठेके पर लगाये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम मजदूर संघ ने इस बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(च) यदि हां, तो उनकी मांग के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अनुभव से मालूम हुआ है कि जिन डिपों में मजदूरों का विभागीयकरण कर दिया गया है या उन्हें सीधे भुगतान की प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है, वहां अनुशासन नहीं रहता है, काफी बड़ी संख्या में मजदूर बेकार रहते हैं और कम काम होता है । इन डिपों में हैंडलिंग लागत उन डिपों की अपेक्षा बहुत अधिक है जहाँ यह कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जाता है ।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के कुल 2,135 डिपों में से केवल 42 डिपों में (जहां 10,270 विभागीय मजदूर लगे हुए हैं) मजदूरों का विभागीयकरण किया गया है और 47 डिपों में (जहां 2,743 मजदूर लगे हुए हैं) "सीधे भुगतान" की प्रणाली लागू की गई है । शेष डिपों में कार्य ठेकेदारों को सौंपा जाता है । विभिन्न डिपों में ठेकेदारों द्वारा रखे गए मजदूरों की संख्या सम्भाले जाने वाले कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है । भारतीय खाद्य निगम ठेकेदारों द्वारा समय-समय पर रखे गए मजदूरों की संख्या का रिकार्ड नहीं रखता है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) यह निर्णय लिया गया है कि डिपों में मजदूरों का विभागीयकरण न किया जाए । तथापि, भारतीय खाद्य निगम हैंडलिंग ठेके लेने के लिए श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर रहा है । 29 डिपों में हैंडलिंग ठेके श्रमिक सहकारी समितियों को दिए जा चुके हैं । श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए निगम ने उन्हें निम्नलिखित रियायतें दी हैं :

(1) टेंडरों के साथ बयाने की राशि जमा कराने से छूट;

(2) स्वीकृत बिलों से प्रतिभूति जमा राशि काटकर समूची राशि का भुगतान; और

(3) यदि श्रमिक सहकारी समिति का टेंडर सबसे कम नहीं है तो अन्य किसी पार्टी को स्वीकार्य न्यूनतम दर को मंजूर करने के लिए पेशकश करना ।

मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रवेश

7577. **श्री नाथू राम शाक्यवार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने

उम्मीदवारों को मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नियत आरक्षण कोटे के आधार पर प्रवेश किया गया है;

(ख) उक्त कालेज में प्रवेश के लिए जिन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों का चयन किया गया है उनका सामान्य उम्मीदवारों के मुकाबले क्या प्रतिशत है;

(ग) क्या उसी वर्ष के दौरान, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को लेकर निर्धारित कोटा पूरा किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रवेश के संबंध में चालू शिक्षा वर्ष की वास्तविक स्थिति क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जैसा कि विवरण से स्पष्ट है, सम्बन्धित राज्य के आरक्षित कोटे में से अनुसूचित जाति के स्थानों का उपयोग 1978-79 तथा 1980 के दौरान पूर्णरूप से कर लिया गया था। जहां तक अनुसूचित जन-जातियों के स्थानों का सम्बन्ध है, केवल वर्ष 1979 में कुछ स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि उम्मीदवार दाखिले के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाए थे। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए स्थानों का उपयोग वर्ष 1978 तथा 1979 के दौरान पूर्णरूप से नहीं दिया जा सका था, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार कालेज द्वारा ली गई प्रवेश परीक्षा में अपेक्षित संख्या में नहीं बैठे थे और जो परीक्षा में बैठे भी थे, उनमें से कुछ दाखिले के लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सके थे।

चालू वर्ष के लिए, अन्य राज्यों के आरक्षित स्थानों को भरने की पद्धति में संशोधन कर दिया गया है। दाखिला अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जायेगा। कालेज को आरक्षित कोटा भरने के लिए सभी प्रयास करने की सलाह दी गई है। अन्य राज्यों के आरक्षित स्थानों के न भरे गए कोटा को उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने की अनुमति दी जायेगी।

विवरण

पैरा (क)	वर्ष	आरक्षित स्थान				किए गए दाखिले			
		अनु. जा. उ. प्र.	अनु. ज. जा. उ. प्र.	अनु. जा. अन्य राज्य	अनु. ज. जा. अन्य राज्य	अनु. जा. उ. प्र.	अनु. ज. जा. उ. प्र.	अनु. जा. अन्य राज्य	अनु. ज. जा. अन्य राज्य
	1978	15	5	15	5	15	5	1	—
	1979	15	5	15	5	15	1	2	1
	1980	15	5	15	5	15	5	–*	–*
पैरा (ख)	1978	15%	5%	15%	5%	15%	5%	1%	–
	1979	15%	5%	15%	5%	15%	1%	2%	1%
	1980	15%	5%	15%	5%	15%	5%	–*	–*

* अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के चुने गए उम्मीदवारों की सूची की प्रतीक्षा है।

1400वां हिजरी सम्बत् शताब्दी समारोह

7578. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1400वां हिजरी सम्बत् शताब्दी समारोह के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और समिति के कृत्य क्या हैं और उसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या समारोह में भाग लेने के लिए विदेशी विद्वानों तथा प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित समारोहों और कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। समिति के सदस्यों की सूची विवरण में संलग्न है।

(ग) और (घ) कार्यक्रम के ब्यौरों को सक्रिय रूप से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

हिजरी संवत् के 1400वें वर्षगांठ की सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची :

1.	श्री एम० हिदायतुल्लाह भारत के उप-राष्ट्रपति	अध्यक्ष
2.	श्री ए० आर० किदवई	सदस्य
3.	श्री ए० बी० ए० गनि खां चौधरी	,,
4.	श्री बी० शंकरानन्द	,,
5.	श्री शेख मुहम्मद अब्दुल्लाह	,,
6.	श्री ए० आर० अंतुले	,,
7.	श्री जफर शैरिफ	,,
8.	मौलाना अबुल हसन अली नादवी	,,
9.	श्री सुलेमान सैत, संसद सदस्य	,,
10.	मौलाना आसद मदानी, संसद सदस्य	,,
11.	मफ्ती अतिकुर रहमान	,,
12.	न्यायमूर्ति बशीर अहमद सईद	,,
13.	कर्नल बी० एच० जैदी	,,
14.	बेगम आबिदा अहमद	,,
15.	हकीम अब्दुल हामिद	,,

16.	श्री मोहम्मद युनुस	सदस्य
17.	श्री एस. हामिद	,,
18.	श्री बदरुद्दीन त्याबजी	,,
19.	डा० गोपाल सिंह	,,
20.	श्री मुल्क राज आनन्द	,,
21.	प्रो० निहार रंजन राय	,,
22.	श्री ए० जे० किदवई	,,
23.	बेगम हामिदा हबिबुल्लाह, संसद सदस्य	,,
24.	श्रीमती रोडा मिस्त्री, संसद सदस्य	,,
25.	बेगम मैमूना सुल्तान, संसद सदस्य	,,
26.	पीर जामिन निजामी, एस० बोखारी	,,
27.	श्री मीर नसरुल्लाह	सदस्य सचिव

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न

7579. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1980 तक केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को, राज्य-वार तथा महीनेवार, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये कितनी मात्रा में खाद्यान्न आबंटित किया था;

(ख) विभिन्न राज्यों को आवंटन का प्रति व्यक्ति अथवा अन्यथा आधार क्या था;

(ग) आबंटित मात्राओं में से वास्तव में कब और कितनी मात्रा विभिन्न राज्यों को प्राप्त हुई;

(घ) क्या राज्यों द्वारा प्राप्त खाद्यान्न के लिये उन्होंने लेखा और/अथवा खपत प्रमाण-पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट) दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तथा तिथिवार कितनी-कितनी मात्रा के लिये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जनवरी से जून, 1980 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को बंटित की गई खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण–1 संलग्न है।

(ख) सामान्य 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए आबंटन कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त किसानों की जनसंख्या के आधार पर किये गये हैं। विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आबंटन सूखाग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं से संबंधित है।

(ग) जून, 1980 के अन्त तक सप्लाई किए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण–2 संलग्न है।

(घ) व (ङ) चालू वर्ष के दौरान अब तक उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण–3 संलग्न है ।

विवरण–1

जनवरी से जून, 1980 के दौरान सामान्य तथा विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित क्षेत्रों को बंटित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

नाम राज्य	इन महीनों के दौरान बंटित मात्रा					
	जनवरी, ६0 (मीटरी टन)	फरवरी, 30 (मीटरी टन)	मार्च, 80 (मीटरी टन)	अप्रैल, 80 (मीटरी टन)	मई, 80 (मीटरी टन)	जून, 80 (मीटरी टन)
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	42,000	25,000	—	31,500	31,500	—
2. असम	—	—	—	—	—	5,500
3. बिहार	—	75,000	25,000	55,000	55,000	—
4. गुजरात	—	17,500	2,041	5,000	5,000	—
5. हरियाणा	10,000	10,000	—	10,000	10,000	—
6. हिमाचल प्रदेश	2,500	10,000	—	4,000	4,000	10,000
7. जम्मू तथा काश्मीर	22,500	—	—	—	10,000	—
8. कर्नाटक	—	23,000	10,650	—	13,500	—
9. केरल	12,000	—	—	6,750	6,750	—
10. मध्य प्रदेश	70,000	25,000	25,000	99,500	99,500	—
11. महाराष्ट्र	—	20,000	—	20,000	20,000	—
12. मणिपुर	—	3,500	—	—	—	—
13. मेघालय	—	—	—	—	—	—
14. नागालैंड	—	5,000	—	—	—	—
15. उड़ीसा	31,000	20,000	6,000	82,000	—	—
16. पंजाब	—	4,500	—	—	6,000	—
17. राजस्थान	50,000	20,000	20,000	55,000	55,000	—

1	2	3	4	5	6	7
18. सिक्किम	—	—	—	90	410	—
19. तमिलनाडु	53,000	—	—	13,500	13,500	—
20. त्रिपुरा	—	—	2,000	3,500	—	—
21. उत्तर प्रदेश	50,000	50,000	50,000	1,95,000	—	—
22. पश्चिम बंगाल	—	20,000	—	—	20,000	—
23. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	50	—	—	—	750	—
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
25. चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
26. मिजोरम	500	—	—	—	—	—
27. पांडीचेरी	300	—	—	125	125	100
योग	3,43,850	3,28,500	1,40,691	5,80,965	3,51,035	15,600

विवरण–2

वर्ष 1980-81 (अप्रैल-जून) के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को वास्तविक रूप में सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	चावल	गेहूं	('000 मीटरी टन में) योग
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	15.9	—	15.9
असम	0.2	0.2	0.4
बिहार	15.5	131.6	147.1
हरियाणा	1.7	5.1	6.8
हिमाचल प्रदेश	8.4	8.0	16.4
जम्मू तथा काश्मीर	1.7	3.1	4.8
कर्नाटक	4.6	0.9	5.5
केरल	9.9	—	9.9

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	50.4	16.5	66.9
महाराष्ट्र	15.5	6.2	21.7
उड़ीसा	69.9	20.3	90.2
पंजाब	18.8	30.7	49.5
राजस्थान	2.6	82.0	84.6
उत्तर प्रदेश	30.1	81.8	111.9
पश्चिम बंगाल	21.9	3.5	25.4
त्रिपुरा	5.3	—	5.3
योग	272.4	389.9	662.3

विवरण–3

वर्ष 1980-81 के दौरान उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	उपयोग में लाए गए खाद्यान्न (मी० टन)	अवधि जिससे संबंधित है
1.	आन्ध्र प्रदेश	28,414	मई, 1980
2.	गुजरात	6,703	मई, 1980
3.	हिमाचल प्रदेश	2,006	मई, 1980
4.	मध्य प्रदेश	42,647	अप्रैल, 1980
5.	महाराष्ट्र	30,000	मई, 1980
6.	नागालैंड	127	मई, 1980
7.	उड़ीसा	70,380	जून, 1980
8.	राजस्थान	1,62,739	जून, 1980
9.	तमिलनाडु	58,194	मई, 1980
10.	त्रिपुरा	3,698	मई, 1980
11.	उत्तर प्रदेश	1,32,000	जून, 1980
12.	पांडिचेरी	310	जून, 1980

चिन्नामुट्टन मत्स्य ग्रहण पत्तन

7580. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का इस वर्ष चिन्नामुट्टम मत्स्य ग्रहण पत्तन के विकास कार्य को प्रारम्भ करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : चिन्नामुट्टम में मत्स्यन पत्तन का प्रस्ताव निवेश-सम्बन्धी निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है । निवेश-संबंधी निर्णय लिए जाने के तुरंत बाद स्वीकृति आदेश जारी कर दिये जाएंगे । चालू वर्ष के बजट में इस प्रकार के पत्तन कार्यों के लिए प्रावधान है ।

शीतल पेय बनाने वालों को आयातित चीनी का आवंटन

7581. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन के बाजार से दो लाख टन से भी अधिक चीनी आयात की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल 15,000 टन चीनी ही वहां पहुंची;

(ग) क्या यह सच है कि शीतल पेय बनाने वालों को उसमें से बड़ी मात्रा में चीनी आवंटित की गई; और

(घ) क्या कोला बनाने वालों को इस आयात में से कितनी चीनी आवंटित की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य व्यापार निगम लि० ने 2 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए सरकार की ओर से अप्रैल, 1980 में एक ठेका किया था, लेकिन सम्भरणकर्ता को ठेकाबद्ध मात्रा से 10 प्रतिशत अधिक अथवा कम मात्रा सप्लाई करने की छूट है ।

(ख) जी, नहीं । दो जहाजों एक बम्बई में (13,000 मीटरी टन) और दूसरा काँडला में (11,000 मीटरी टन)—से जुलाई, 1980 में माल उतारने का कार्य पूरा हो चुका है । दो जहाजों–विजाग में एक (13,650 मीटरी टन) और तूतीकोरिन में एक (14,000 मीटरी टन)—से माल उतारने का कार्य हो रहा है । लगभग 1.04 लाख मीटरी टन चीनी ला रहे 8 और जहाजों और 0.26 लाख मीटरी टन ला रहे 2 जहाजों के क्रमशः अगस्त तथा सितम्बर, 1980 के महीनों के दौरान भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंचने की आशा है ।

(ग) और (घ) आयातित चीनी राज्य सरकारों और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को आवंटित की गई है । केन्द्रीय सरकार ने माडर्न बेकरी लि०, जिसे उसके डबलरोटी बनाने वाले यूनिट के लिए 600 मीटरी टन चीनी आवंटित की गई थी, को छोड़कर किन्हीं भी अधिक खपत करने वाले/वास्तविक उपभोक्ताओं को आयातित चीनी का कोई सीधा आबंटन नहीं किया है । बताए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर राज्य सरकारें इस चीनी का आवंटन कर रही हैं । राज्य सरकारों द्वारा किये गये आवंटन से संबंधित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

गोल मार्केट, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर की मरम्मत

7582. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल मार्केट क्षेत्र (डी. आई. जैड.) क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है विशेषकर मार्केट स्कवेयर में टाइप "डी" के एक मंजिले मकानों की कोई बड़ी मरम्मत नहीं की जाती है जो बहुत पुराने हैं और जो बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आशय का कोई सर्वेक्षण किया है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या इन पुराने एक मंजिले क्वार्टरों को गिराये जाने और उसके स्थान पर नये बहुमंजिले क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या इन पुराने क्वार्टरों के एलाटियों को इसी क्षेत्र में नए क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे या किसी और स्थान पर ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) जी, हां। संरचनात्मक सुरक्षा के लिए जो मरम्मत अनिवार्य है, वही की जाती है।

(ख) संरचनाओं की स्थिरता की जांच करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाता है।

(ग) जी, हां। इस क्षेत्र में टाइप 'सी' और 'डी' के चार मंजिले क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है। क्वार्टरों के विन्यास नक्शों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) यदि ये क्वार्टर खाली कराने पड़े तो वर्तमान दखलकारों को केन्द्रीय क्षेत्रों में वैकल्पिक आवास दिया जायेगा बशर्ते कि आवंटितियों के दखल टाइप के क्वार्टर उपलब्ध हों।

दिल्ली विश्वविद्यालय में दक्षिण राज्यों के विद्यार्थियों का प्रवेश

7583. **श्री के० अर्जुनन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी राज्यों के जो विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें या तो हिन्दी विषय को एक विषय के रूप में लेने को कहा जा रहा है अथवा प्रवेश देने से ही इन्कार कर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस कठिनाई का समाधान करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

शिक्षा तथा स्वस्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं। फिर भी, जिस छात्र ने अवर स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी नहीं ली है

उसे डिग्री प्राप्त करने से पहले प्रारम्भिक हिन्दी में एक परीक्षा पास करनी होती है। विश्व-विद्यालय, विदेशी राष्ट्रिकों तथा उन भारतीयों के मामले में, जो ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां स्कूलों में एक विषय के रूप में हिन्दी लेने की सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं, परीक्षा की छूट देता है। विश्वविद्यालय उन छात्रों को, जिन्होंने हिन्दी परीक्षा पास नहीं की है, अगली उच्च कक्षा में जाने तथा परीक्षा बाद में पास करने की भी अनुमति देता है।

बम्बई तथा महाराष्ट्र के अन्य नगरों के बीच सीधी डायल सेवा

7584. **श्री विलास मुतेमवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसे नगरों के नाम क्या हैं जो बम्बई से सीधी डायल घुमाकर टेलीफोन सेवा से जुड़े हुए हैं;

(ख) अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान नागपुर के साथ किन-किन नगरों को सीधी डायल सेवा से जोड़ा जायेगा; और

(ग) क्या विदर्भ में त्रुटिपूर्ण टेलीफोन प्रणाली को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव : (क) महाराष्ट्र में सीधी डायलिंग टेलिफोन प्रणाली पर बम्बई के साथ जोड़े गए नगरों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(1) कल्याण, (2) मिराज, (3) जलगांव, (4) सांगली, (5) अमरावती, (6) भिवान्डी, (7) नासिक, (8) वासी, (9) पुणे, (10) नागपुर।

(ख) अगली पंचवर्षीय योजना (अर्थात 1980-85) के दौरान एस० टी० डी० पर नागपुर के साथ जोड़े जाने वाले नगरों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं :

(1) कल्याण, (2) मिराज, (3) जलगांव, (4) सांगली, (5) सिवाँडी, (6) नासिक, (7) वशी, (8) पुणे, (9) वार्धा, (10) यवतमाल, (11) औरंगाबाद, (12) जालना, (13) नांदेड़, (14) भिर, (15) नंदूरबार, (16) कोपेरगांव, (17) पारभानी, (18) कोल्हापुर, (19) अकोला, (20) भुसावल, (21) बुलडाना, (22) चन्द्रपुर, (23) चमेतारी, (24) भंडारा, (25) बिलासपुर, (26) दुर्ग, (27) भिलाई, (28) चिंदवाड़ा, (29) सिओनी, (30) दिल्ली, (31) कलकत्ता, (32) मद्रास, (32) इन्दोर, (34) अहमदाबाद (35) बड़ौदा, (36) सूरत, (37) राजकोट, (38) भोपाल, (39) जबलपुर, (40) रायपुर, (41) जयपुर, (42) बंगलौर।

(ग) विदर्भ क्षेत्र में टेलीफोन प्रणाली सामान्य ढंग से कार्य कर रही है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निरन्तर अनुरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं।

खुली तार लाइनों को स्तर में लाया जा रहा है तथा संरक्षण को मजबूत बनाया जा रहा है। संचार की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए एस. ए. एक्स. को 2 जंक्शन लाइनों के साथ जोड़ा जा रहा है।

केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

7585. **श्री ए० के० बालन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को केरल तथा कालीकट विश्वविद्यालयों से इस आशय की कोई शिकायतें मिली हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उन्हें पर्याप्त निधियां नहीं मिली हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जी, नहीं।

सावरकुन्डला, भावनगर में सूक्ष्मतरंगी केन्द्र और सावरकुन्डला-अमरेली के बीच एस० टी० डी० संबंध

7586. **श्री नवीन रवाणी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जिला भावनगर में सावरकुन्डली का सूक्ष्म-तरंगी काम कर रहा है, यदि हां, तो कब से; और

(ख) क्या सावरकुन्डला और अमरेली के बीच एस० टी० डी० संपर्क के लिये कोई काम किया गया है और यदि हां, तो इस समय किस चरण पर है; और

(ग) यदि ऐसा कोई कार्य आरम्भ नहीं किया जाना है, तो यह एस० टी० डी० कनेक्शन वस्तुतः कब स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभी तक कोई योजना तैयार नहीं की गई।

संसद सदस्यों के फ्लैटों में पानी की सप्लाई

7587. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री संसद सदस्यों के फ्लैटों में पानी की सप्लाई के बारे में 21 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 5025 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के फ्लैटों और नौकरों के क्वार्टरों में पानी की पूरे समय सप्लाई करने में क्या कठिनाई हो रही है; और

(ख) वहां पूरे समय पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के फ्लैटों और सर्वेन्ट क्वाटरों में सारे समय पानी की सप्लाई नहीं की जा सकती क्योंकि दिल्ली नगर निगम द्वारा केवल सुबह और शाम पानी दिया जाता है।

(ख) फिलहाल अन्तर्कालिक सप्लाई को निरन्तर सप्लाई में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयात तथा निर्यात पुस्तिका

7588. **श्री के० लकप्पा :**

श्री सतीश प्रसाद सिंह : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान प्रकाशन नियंत्रक (कन्ट्रोलर आफ पब्लिकेशन) के आदेश पर आयात और निर्यात संबंधी नियम तथा प्रक्रिया पुस्तिका के लिए 50,000 आवरण (कवर) मार्च/अप्रैल, 1980 में छपवाये गए थे जिनके मुख्य पृष्ठ पर एक प्राईवेट फर्म का विज्ञापन था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक द्वारा आपत्ति किए जाने पर इन आवरणों को पुनः छपवाया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में सरकार को कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल के मूल्य में वृद्धि को निष्प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय सहायता

7589. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य उद्योग, जिसे वर्ष 1979-80 में मछली के कम मूल्यों तथा कम मछली पकड़े जाने के कारण हानि हुई थी, ने सरकार से हाल ही में तेल के मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि को निष्प्रभावी बनाने के लिये वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार कमर्शियल बैंकों तथा नौवहन विकास निधि जैसी वित्तीय संस्थाओं को ऐसे अनुदेश देने का है कि वे मत्स्य पोतें (ट्रालरों) की खरीद के लिये दिये गये ऋणों का पुनः निर्धारण करें क्योंकि इस समय यह उद्योग पर्याप्त धनराशियों को जुटाने में असमर्थ है; और

(ग) समुद्री उत्पादों के विद्यमान कम मूल्यों तथा हाल ही में तेल के मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार मत्स्य उद्योग तथा वास्तविक नौकाओं के वास्तविक ओपरेटरों को क्या वित्तीय सहायता देने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ग) प्रश्न के (क) तथा (ग) भागों का उत्तर 28 जुलाई, 1980 को दिया जा चुका है ।

(ख) जी, नहीं ।

छठी पंचवर्षीय योजना के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव

7590. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों के हितों के सम्वर्धन के लिये क्या योजनायें हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायत राज के लिये मांग

7591. **श्री उत्तमभाई एच. पटेल** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादर और नागर हवेली में कुछ पक्षों द्वारा इस समय चल रही 'वारिश' पंचायत के स्थान पर पंचायत राज की माँग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन मांगों का ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(घ) पंचायत राज की कब तक घोषणा की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) जिला कांग्रेस (इ) समिति, दादर तथा नागर हवेली, सिलवासा ने मार्च, 1980 में प्रधान मंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था । ज्ञापन में बताया गया है कि दादर तथा नागर हवेली में पंचायतें स्थापित नहीं की गई हैं तथा प्रशासन वरिष्ठ पंचायत के विचारों को अधिक महत्व नहीं देता है । केन्द्रशासित क्षेत्र से संसद सदस्य श्री आर० पी० महाला ने भी केन्द्रशासित क्षेत्रों के संसद सदस्यों की समिति की 18 मार्च, 1980 को हुई बैठक में बताया था कि दादर तथा नागर हवेली में प्रतिनिधि सरकार का कोई प्रभावकारी स्वरूप नहीं था तथा वहां किसी भी चुने निकाय से नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था । उन्होंने इच्छा प्रकट की कि केन्द्रशासित क्षेत्र में पूर्ण पंचायती राज प्रणाली शुरू की जाए ।

(ग) व (घ) यह विवाद कि दादर तथा नागर हवेली में पंचायती राज नहीं है, सत्य नहीं है । दादर तथा नागर हवेली पंचायत अधिनियम, 1961 के अध्यादेश के फलस्वरूप केन्द्र-शासित क्षेत्र में पंचायती राज की स्थापना की गई थी । इस केन्द्रशासित क्षेत्र में द्वि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है जिसमें 10 ग्राम पंचायतें हैं और इनके अन्तर्गत 77 गांव तथा वरिष्ठ पंचायत जो एक सलाहकार निकाय है के नाम से एक पंचायत समिति है । यदि पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त होता है, तो उसकी जांच की जायेगी ।

उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि और उसकी मुनाफाखोरी

7592. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उस तिथि को एजेंटों के पास रखे हुए उर्वरकों के स्टाक के बारे में

कोई जानकारी थी जब हाल में उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि की गयी थी और क्या किसी एजेंट के स्टाक की जांच की गई थी;

(ख) क्या एजेंट अपने पुराने स्टाकों को अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं और प्रत्येक एजेंट ने इस प्रकार संबंधित सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण लाखों रुपया अर्जित किया है; और

(ग) इस संबंध में अधिकारियों की लापरवाही के कारण एजेंटों द्वारा अर्जित अनुचित लाभ के संबंध में और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) तथा (ग) सरकार द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य संशोधित करने के बाद सभी उर्वरक नए मूल्यों पर ही बेचा जा सकता है चाहे स्टाक का उत्पादन/अधिप्राप्ति मूल्य संशोधन के बाद की गई हो अथवा पहले ।

पूल (आयातित उर्वरक) की संभाल करने वाली एजेंसियों और देशी उत्पादकों के अलावा, उर्वरकों का स्टाक एक ओर सहकारी विपणन संघों, कृषि उद्योग निगमों आदि संस्थागत एजेंसियों के पास और दूसरी ओर निजी विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं के पास होता है। जहां तक संस्थागत एजेंसियों का संबंध है, यह आम पद्धति रही है कि पिछले कुछ वर्षों में जब कभी उर्वरकों के मूल्य कम करके संशोधित किए गए तो भारत सरकार ने पूल उर्वरकों के मामले में होने वाली अप्रत्याशित हानि के लिए संस्थागत एजेंसियों की क्षतिपूर्ति की । राज्य सरकारें शून्य काल के सत्यापित स्टाक की सूचना देती हैं । इस वर्ष जब 8 जून, 1980 को उर्वरकों के मूल्य बढ़ाए गए तो राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे संस्थागत एजेन्सियों के पास पूल उर्वरकों के शून्य काल के स्टाक की सूचना भेजें ताकि भारत सरकार को देय धनराशि का हिसाब लगाया जा सके और विगत में जिन एजेन्सियों की क्षतिपूर्ति की गई है उनसे कहा जाए कि वे मूल्य वृद्धि के कारण होने वाले लाभ की अदायगी भारत सरकार को करें । पूल उर्वरकों की संभाल करने वाली एजेन्सियों के मामले में भी ऐसी ही व्यवस्था है ।

जहां तक निजी और खुदरा विक्रेताओं का सम्बन्ध है यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में जब उर्वरक के मूल्यों में संशोधन करके सात बार कमी की गई थी तब उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया था । उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे इसे व्यापारिक हानि समझें । इसी सादृश्य के आधार पर जब इस बार मूल्य बढ़ाए गए हैं उनसे कोई वसूली करने का प्रस्ताव नहीं है और इसे उर्वरक के कारोबार के सम्बन्ध में एक आकस्मिक लाभ समझा जा रहा है । देश में एक लाख से भी अधिक खुदरा केन्द्र हैं । इतने अधिक खुदरा विक्रेताओं, जिनके पास किसी भी नियत समय में आमतौर पर स्टाक की बहुत-सी कम मात्रा होने की सम्भावना होती है, के पास शून्य काल के समय स्टाक की जांच-पड़ताल करना प्रशासकीय दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

इस दृष्टि से कोई लापरवाही नहीं हुई है और किसी अधिकारी को दण्ड देने का प्रश्न ही नहीं होता ।

कलकत्ता में टेलीफोन केन्द्र

7593. डा० गुलाम याजदानी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता टेलीफोन विभाग के अन्तर्गत कुल कितने टेलीफोन केन्द्र हैं;

(ख) कलकत्ता टेलीफोन विभाग के अन्तर्गत कुल कितने टेलीफोन हैं और प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र में कितने टेलीफोन हैं;

(ग) कलकत्ता टेलीफोन विभाग के कितने केन्द्र "सील्ड" हैं;

(घ) "सील्ड" केन्द्रों को खोलने की सरकार की क्या योजनाएं हैं; और

(ङ) कलकत्ता टेलीफोन विभाग की सुधरी सेवाओं के लिए सरकार की योजना क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 44।

(ख) 1,68,306—विवरण-1 में प्रत्येक एक्सचेंज की सांकेतिक एवं संयोगिक क्षमता, कार्यरत कनेक्शन और प्रतीक्षा सूची दी गई है।

(ग) 11 एक्सचेंजों को पूर्णरूपेण तथा 12 एक्सचेंजों को आंशिक रूप से सील कर दिया गया है। इन एक्सचेंजों की वास्तविक स्थिति विवरण-II में दर्शायी गई है।

(घ) इन एक्सचेंजों को राहत पहुंचाने के लिए एक्सचेंजों के विस्तार और नए एक्सचेंज खोलने की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। आशा है कि 1983 तक सभी एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची के मौजूदा आवेदकों में से पर्याप्त आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

(ङ) अन्य उपायों के साथ-साथ निम्न उपाय किये जा रहे हैं :

(i) चरणबद्ध तरीके से सभी प्रारंभिक और जंक्शन केबुलों का दाबीकरण किया जा रहा है।

(ii) भविष्य में भूमिगत केबुलों के बिछाने के लिए पी० वी० सी० पाइप केबुल नलिकाओं का प्रयोग।

(iii) जंक्शन केबुलों की खराबियों के कारण सेवाओं को ठप्प न होने देने के लिए बाह्य एक्सचेंजों के बीच सूक्ष्मतरंग अंकीय संपर्क कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण-I

1-5-1980 को कलकत्ता के टेलीफोन एक्सचेंजों में क्षमता की स्थिति, चालू कनेक्शन तथा प्रतीक्षा सूची

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	सांकेतिक क्षमता	लोडिंग क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची (जिसमें पहले से ही संस्थापित किए जाने के लिए कार्य आदेश जारी हो चुके हैं तथा लंबित पड़े हैं)
1	2	3	4	5	6
1.	बैंक "22"	10600	9914	9237	744
2.	शहर "23"	10500	9696	8977	
3.	तिरेता बाजार-II 26	10000	9400	6076	
4.	बही-III "27"	10000	9400	6565	1388
5.	सेन्ट्रल-II "21"	2100	1909	1208	
6.	सेन्ट्रल "24"	9900	9469	8588	1121
7.	जोरासंको-II "32"	4800	4320	3377	
8.	,, "33"	9900	9430	9005	4241
9.	एवेन्यू "34"	9900	9493	8722	
10.	सरकस-II "43"	5000	4700	4633	706
11.	सरकस "44"	9900	9416	8931	
12.	रूसा-II "41"	3000	2820	2533	
13.	रूसा-III "42"	6000	5640	5443	1030
14.	रूसा "46"	9900	9407	9236	
15.	अलीपुर "45"	9900	9443	9332	2580
16.	कालीघाट "47"	10000	9319	9301	511
17.	,, -II "48"	2000	1880	1682	

1 2	3	4	5	6
18. यादवपुर "72"	4000	3760	3421	107
19. बेहाला "77"	4000	3760	3193	646
20. अमताला	400	321	259	5
21. बरूईपुर	300	271	139	7
22. बजबज	700	657	434	46
23. नरेन्द्रपुर	600	564	368	15
24. ईस्ट "35"	9900	9407	9145	3011
25. ईस्ट-II "36"	4000	3760	1404	
26. बाग बाजार-II "54"	3000	2820	2736	589
27. ,, "55"	5800	9262	8857	
28. कोसीपुर "52"	6000	5400	4549	966
29. दमदम "57"	3300	3127	3136	1300
30. पानीहाटी "58"	2000	1880	1874	141
31. बारासात	600	564	560	43
32. सेरामपुर "62"	2400	2160	1176	136
33. उत्तरपारा "64"	2000	1800	1305	92
34. सलकिया "66"	4200	3912	3875	1200
35. शिवपुर "67"	4200	4916	3878	880
36. हावड़ा ओडी "69"	1200	1133	1005	414
37. अंडुल	600	564	450	49
38. अलूबेरिया	200	188	110	15
39. बरकपुर	1100	1056	918	6
40. भाटपारा	900	864	690	39
41. कल्याणी	600	576	528	25
42. चन्द्रनगर	700	672	605	22
43. चिनसुरा	600	600	571	8
44. त्रिवेणी	400	280	274	8
योग	201100	188940	168306	22091

विवरण-II

कलकत्ता टेलीफोन्स में पूर्णतः तथा अंशतः सील किए हुए एक्सचेंज

एक एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता किसी भी श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए रजिस्ट्रेशन की किसी निश्चित तारीख तक जब अपर्याप्त होते हैं तब एक्सचेंज सील कर दिया गया कहा जाता है। जब एक्सचेंज के पास किसी विशेष श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शन देने की कुछ क्षमता होती है तब यह कहा जाता है कि इसे अंशतः सील कर दिया गया है और जब एक्सचेंज में सभी श्रेणियों में टेलीफोन कनेक्शन देने की क्षमता होती है तो कनेक्शन के लिए खुला है कहा जाता है। कलकत्ता टेलीफोन्स के 44 एक्सचेंजों में से ग्यारह फिलहाल पूर्णतः सील कर दिए गए हैं तथा बारह अंशतः सील किए हुए हैं। इन एक्सचेंजों में एक्सचेंज क्षमता पर्याप्त है और नीचे दी गई तारीखों तक रजिस्टर्ड आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने की स्थिति में है।

क्र०सं०	एक्सचेंज कोड	तारीख जब तक एक्सचेंज द्वारा आवेदकों के नाम टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए रजिस्टर्ड है		
		ओ. वाई. टी.	विशेष	सामान्य
1	2	3	4	5
	(क) 11 पूर्णतः सील किए हुए			
1.	35			
2.	36	31.5.80	31.5.80	15.10.79
3.	45	31.5.78	24.5.78	2.8.71
4.	46			
5.	41			
6.	42	31.5.80	31.12.79	27.9.79
7.	57	31.5.80	14.4.80	12.12.70
8.	66	14.7.78	13.1.79	19.2.68
9.	67	31.5.80	11.1.80	16.11.72
10.	47			
11.	48	31.5.80	31.5.80	9.5.79
	(ख) 12 अंशतः सील किए हुए			
1.	31			
2.	33			
3.	34	खुला	खुला	28.2.79

1	2	3	4	5
4.	43			
5.	44	31.5.80	खुला	30.11.79
6.	52	खुला	6.12.79	15.10.79
7.	54			
8.	55	खुला	खुला	28.4.80
9.	58	खुला	खुला	30.3.80
10.	69	खुला	31.10.78	24.8.65
12.	77	खुला	खुला	27.9.79
13.	बरासात	खुला	19.3.80	12.12.79

बैंक ऋण सुविधाओं से आवास योजनायें

7594. **श्री गदाधर साहा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न, मध्यम आय वर्गों तथा ग्रामीण निर्धनों के लिए बैंक ऋण सुविधाओं से मकान बनाने की योजनाएं क्या हैं;

(ख) उक्त योजना का स्वरूप और मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में आवास तथा विकास निगम की सहायता किस सीमा तक उपलब्ध कराई जाती है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी०) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 1979 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आवास वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्ग निदेशन जारी किये थे। आरम्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने "आवास वित्त व्यवस्था" के लिए प्रतिवर्ष 75 करोड़ रुपये की निधियां तय कीं। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और ब्याज की दर 12 प्रतिशत होनी चाहिए जिससे किस्तों के नियमित भुगतान के लिए आधा प्रतिशत की छूट हो। तथापि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों को सीधे ही ऋण देने के लिए बैंक कुल लागत का 80 प्रतिशत दे सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सीधे ही दिए गए ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज की दर होगी बशर्ते कि व्यक्ति को दिया गया आवास ऋण 2,500/– रु० से अधिक नहीं होगा। ऋण लौटाने की अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अग्रिम के लिए जमानत या तो सम्पत्तियों के रहन की या सरकार से प्रतिभू होनी चाहिए।

(ग) आवास तथा नगर विकास निगम, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, जिनकी पारिवारिक मासिक आय 350/– रु० से अधिक न हो, के लिए मकानों के निर्माण के लिए

ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये धन देता है । हुडको की वित्तीय सहायता प्रत्येक आवास एकक के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत तक सीमित है । ऋण पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत (नेट) की दर से ब्याज है और 10 वर्ष के अन्दर वापिस देय है । हुडको की सहायता के अन्तर्गत आवास एकक की कुल लागत 4,000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए । हुडको ने अभी तक 8 राज्यों में 47 ग्रामीण आवास योजनाओं को मंजूरी दी है । जिसमें 34.37 करोड़ रु० का ऋण दिया गया है । इन योजनाओं से 12 लाख ग्रामीण गरीबों को मकान दिये जाने की आशा है ।

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के नाम

7595. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष को छोड़ कर गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के नाम क्या हैं और उनके लेखक कौन हैं और वे पुस्तकें किन-किन भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं;

(ख) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान कोई और पुस्तकें प्रकाशित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1279/80)

(ख) और (ग) माननीय सदस्य यह मानेंगे कि प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों की सही संख्या बताना सम्भव नहीं होगा क्योंकि प्रकाशन एक सतत प्रक्रिया है । तथापि न्यास की प्रकाशन सूची में इस समय 172 पुस्तकें है ।

विदेशी संगठनों पर नियंत्रण

7596. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विदेशी संगठनों अथवा विदेशी सहायता से चलाए जा रहे संगठनों पर सरकार का नाम मात्र का नियंत्रण है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ऐसे संगठनों पर किस तरह का नियंत्रण रखती है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत सरकार विदेशी संगठनों या भारत में विदेशी सहायता से चलाए जा रहे संगठनों पर नियन्त्रण रख सके । समाज कल्याण मंत्रालय ने, जिसे सभी विदेशी स्वयंसेवी संगठनों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिये केन्द्रीय मंत्रालय बनाया गया है,

राज्य सरकारों को ये अनुदेश जारी किये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी विदेशी स्वयंसेवी संगठन भारत में अपनी गतिविधियों को शुरू करने और उन्हें बनाये रखने के लिये भारत सरकार की पूर्व अनुमति लें। इसके अतिरिक्त विदेशों से अंशदान प्राप्त करने वाले भारत में स्थित सभी संगठनों को, जिनके निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम हैं, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन विदेशों से प्राप्त अंशदानों के बारे में भारत सरकार को सूचना देनी होती है। अधिनियम में यह भी उपबन्ध किया गया है कि ऐसे संगठन विदेशों से प्राप्त हुये अंशदानों का लेखा रखेंगे तथा जिस ढंग से ऐसे अंशदानों का उपयोग किया गया है, उसका रिकार्ड रखेंगे।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कोको की खरीद

7597. **श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में कोको का उत्पादन पहले ही जरूरत से ज्यादा होता है तथा कोको के गीले बीजों का मूल्य 18 रु० से कम होकर 5 रुपये 30 पैसे प्रति किलो ग्राम हो गया है तथा वास्तव में इस समय कोई खरीददार नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का विचार निर्धन और सीमान्त किसानों के हितों की रक्षा के लिये राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वह बहुमूल्य खाद्य उत्पाद खरीदने तथा उसे शीघ्रातिशीघ्र सोवियत संघ तथा किसी अन्य उपभोक्ता देश को निर्यात करने का है क्योंकि यह नष्ट होने वाली वस्तु है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 'कोका' के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 'कोको' की फलियों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पहले अधिक थे, अतः अधिकांश मांग की मात्रा का आयात किया जा रहा था, स्थानीय मूल्य वर्तमान मूल्यों से अपेक्षाकृत अधिक थे। केरल राज्य सहकारी विपणन संघ किसानों से 5.30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कोको की गीली फलियों की खरीद कर रहा है।

(ख) कोको के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और किसी भी निर्यातक द्वारा किसी भी देश में इसका निर्यात किया जा सकता है, जिसमें रूस भी शामिल है। तथापि, कोको का उत्पादन करने वाले किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, 16 जुलाई, 1980 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कोको की फलियों तथा कोको चूर्ण का निर्यात करने की व्यवस्था कर दी गई है।

वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम का विदेशों को पक्षियों के निर्यात पर प्रभाव

7598. **श्री जैनुल बशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम का विदेशों को पक्षियों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे विदेशी मुद्रा की भारी हानि हुई है;

(ख) क्या कृषि मंत्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इस कानून के अन्तर्गत आने वाले पक्षियों में से अधिकांश वे हैं जिनके समाप्त होने का खतरा नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में निर्यात के नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है। पक्षियों के निर्यात, निर्यात-नीति की शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाता है। किसी विशेष जाति को समाप्त होने से बचाने के लिए इस नीति की हर वर्ष संवीक्षा की जाती है। पक्षियों के निर्यात पर प्रतिबंध होने के कारण विदेशी मुद्रा की कुछ हानि हुई है।

(ख) तथा (ग) इस विषय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। परन्तु उन पक्षियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनका अब समाप्त होने का खतरा नहीं है, क्योंकि निर्बाध या बिना प्रतिबंध के उनका व्यापार होने से उनकी जाति समाप्त हो जाएगी।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा की गई उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक और सफाई कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्तियां

7599. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने विभिन्न विभागों के लिए उच्च श्रेणी लिपिकों (यू० डी० सी०) अवर श्रेणी लिपिकों (एल० डी० सी०) और सफाई कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्तियां की हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1 मार्च, 1980 से अब तक की गई तदर्थ नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है और ये नियुक्तियां किस आधार पर की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने निम्न श्रेणी लिपिकों और सफाई वालों की कुछ तदर्थ नियुक्तियां की हैं। उन्होंने उच्च श्रेणी लिपिकों की कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की है।

(ख) 1 मार्च, 1980 से नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा 6 निम्न श्रेणी लिपिकों और एक सफाई वाले को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 6 माह की अवधि के लिए 15 निम्न श्रेणी लिपिकों को दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ, समय-समय पर प्राप्त आवेदन-पत्रों में से निम्न श्रेणी लिपिकों की नियुक्तियां कार्य के हित में 6 माह की अवधि के लिए की गई हैं। चूंकि नई दिल्ली नगर पालिका के पास निम्न श्रेणी लिपिकों के पद के लिए कोई नियमित नाम सूची उपलब्ध नहीं थी।

सफाई वाले की तदर्थ नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक वर्ष के लिए की गई है।

हिमाचल प्रदेश में समेकित 'वाटरशेड' प्रबंध कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से सहायता

7600. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में सिरमूर में 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक समेकित 'वाटरशेड' प्रबन्ध कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण की जाने वाली 25 करोड़ रुपये की अनन्तिम योजना को राज्य सरकार द्वारा अनन्तिम रूप दिया गया है और उसे अनुमोदनार्थ केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना का अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मई, 1980 में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमूर जिले में समेकित लघु-पनधारा प्रबन्ध कार्यक्रम के लिए ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया था।

(ख) तथा (ग) ड्राफ्ट प्रस्ताव की जांच-पड़ताल इस मंत्रालय के अधिकारियों की "इन्टर डिसिपलीनरी टीम," जिसने राज्य का मई, 1980 में दौरा किया था, ने की थी। राज्य सरकार से इस दल की टिप्पणियों तथा सुझावों को मद्दे नजर रखते हुए, उक्त प्रस्ताव को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से अभी संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

माडर्न बेकरीज द्वारा 'जन बैगिंग/सीलिंग' मशीनों की खरीद

7601. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बेकरीज द्वारा मैसर्स प्रिंटपाक मशीनरी लि०; फरीदाबाद से तीन 'बन बैगिंग/सीलिंग' मशीनें दो लाख रुपये प्रति मशीन की दर पर खरीदी गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मशीनें उस समय मुख्य कार्यालय के मुख्य इंजीनियर के तकनीकी अनुमोदन पर खरीदी गयी थीं;

(घ) क्या क्रयादेश में यह लिखा था कि बन बैगिंग मशीनों के 'सीलिंग जा' को हाई डेनसिटी पोलीथिलीन को सील करने के लिए उपयुक्त बनाया जाना था जो कि बनों के लिए बैग बनाने का पोलीथिलीन है;

(ङ) क्या यह सच है कि किये गये सभी परीक्षणों के दौरान सीलिंग आदि की जांच के लिए उक्त माल (एच० डी० पी०) का उपयोग नहीं किया गया था;

(च) क्या यह सच है कि मशीनें बेकार पड़ी हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो ऐसी खरीद के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) कम्पनी ने कोचीन, बम्बई और कलकत्ता में बन भरने के लिए मैसर्स प्रिंटपाक मशीनरी लिमिटेड, फरीदाबाद से प्रत्येक 1,64,500/- रुपये जमा लागू कर की कीमत पर 3 बन बैंगिंग मशीनें खरीदीं थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) जी, नहीं। इन तीन मशीनों में से दो मशीनों का वास्तव में कोचीन में उपयोग हो रहा है और तीसरी मशीन बम्बई में बेकार पड़ी है, इसलिए नहीं कि यह काम नहीं करती है बल्कि यह यूनिट इस समय बन का उत्पादन नहीं कर रहा है। तथापि, कोचीन में यह मशीन निर्दिष्ट मानक के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। मशीनों के कार्य चालन में देखी त्रुटियों की दृष्टि में मार्डन बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड ने सम्भरणकर्ताओं से मशीनों को वापस लेने और उनकी कीमत वापस करने के लिए कहा था। सम्भरणकर्ता इसे नहीं माने और मामला इस समय मध्यस्थता में है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में तदर्थ नियुक्तियां

7602. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :**

आचार्य भगवान देव : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के पद पर अभी भी तदर्थ नियुक्तियां की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने सहायक इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर अभी भी तदर्थ आधार पर बने हुए हैं और वे इस प्रकार कब से कार्य कर रहे हैं तथा उनके इस प्रकार कितने समय तक कार्य करते रहने की संभावना है;

(ग) क्या बहुत से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते समय निम्न पद पर स्थायी हुए बिना तथा नियमों के अनुसार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर वेतन निर्धारण के लाभ लिए बिना ही सेवा निवृत्त हो गये;

(घ) क्या अल्पावधि रिक्त स्थान के लिए उक्त श्रेणी के पद के लिए भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं; और

(ङ) इन्हें अन्तिम रूप देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) 1973 से कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) की 127 रिक्तियां, कार्यपालक

इंजीनियर (बिजली) की 41 रिक्तियां, सहायक इंजीनियर (सिविल) की 242 रिक्तियां, सहायक इंजीनियर (बिजली) की 107 रिक्तियां तदर्थ आधार पर भरी गई हैं। नियमित पदोन्नतियां होने तक वे ऐसे ही कार्य करते रहेंगे।

(ग) यह सही है कि तदर्थ आधार पर इसी प्रकार स्थानापन्न के रूप में कुछ कार्यपालक इंजीनियर बिना उनकी सहायक इंजीनियर के निचले पद पर पुष्टि हुए सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये थे, क्योंकि कार्यपालक इंजीनियर के रूप में उनकी तदर्थ नियुक्ति थी। अतः वे सामंजस्य सारिणी के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ नहीं ले सके। तथापि, क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उनकी पुष्टि कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में हो चुकी थी। अतः सेवा निवृत्त होने के समय उन्हें मिल रही परिलब्धियों के आधार पर उन्हें नियमों के अन्तर्गत अनुमेय पूर्ण पेंशन लाभ मिल गये थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खान स्कूल, धनबाद का विस्तार

7603. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान स्कूल, धनबाद का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ख) क्या देश में इस तरह के और अधिक विद्यालय खोले जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) जी, नहीं।

(ख) कोलार (कर्नाटक) में खनन इंजीनियरी डिग्री संस्था स्थापित करने का एक प्रस्ताव कोयला विभाग के खनन इंजीनियरी शिक्षा के संयुक्त बोर्ड के विचाराधीन है।

भीमपुर जिला, बांसवाड़ा में शाखा डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

7604. **श्री भीखा भाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में जिला बांसवाड़ा में भीमपुर में एक शाखा डाकघर है;

(ख) क्या यह सच है कि इस स्थान के सरपंच ने इस डाकघर में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए वर्ष 1978 से ही संबंधित अधिकारियों को बहुत बार अनुरोध किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरपंच को यह सूचित किया गया है कि सार्वजनिक टेलीफोन घर गारंटी तथा किराए की शर्तों के आधार पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरिनगर, घंटाघर, नई दिल्ली में फुटपाथ

7605. **श्री भीखा भाई :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा हरिनगर, घंटा घर, नई दिल्ली में फुटपाथों के रख-रखाव पर कुल कितना व्यय किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि क्षेत्र के दुकानदारों द्वारा इन फुटपाथों पर अपना सामान रख करके उनको व्यक्तिगत रूप से उपयोग में लाकर के उनका दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि इन फुटपाथों को रोके जाने के कारण जनता को अपने जीवन के जोखिम पर सड़क पर चलना पड़ता है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां की आम जनता की भलाई के लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाई करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) गत 5 वर्षों के दौरान 2,5001 रु०

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कतिपय दुकानदार कभी अस्थायी तौर पर फुटपाथों के कुछ भाग पर अतिक्रमण कर लेते हैं तथा ऐसे अवसरों पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोको उत्पादकों से अभ्यावेदन

7606. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कोको उत्पादकों की ओर से उनकी शिकायतों से भरा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय कोको उत्पादक संघ, कोट्टायाम (केरल) तथा अखिल भारतीय कोको उत्पादक संगठन, मंगलौर (कर्नाटक) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कोको का आयात बंद करने, खरीद करने, क्वालिटी में सुधार व खाद्य टैक्नालोजी में अनुसंधान करने, वित्तीय सहायता देने तथा कोको के परिसंस्करण के लिए तकनीकी जानकारी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। सरकार उत्पादकों की समस्या से अवगत है और बढ़े हुए उत्पादन को देखते हुए राज्य व्यापार निगम के जरिए कोको के आयात की व्यवस्था की गई है। केरल विपणन संघ ने मंडी में

कार्य शुरू कर दिया है और वह 5.30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कोको की गीली फलियां खरीद रहा है। सरकार ने फार्म स्तर पर कोको की फलियों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए एक विशेषज्ञ की सेवाओं के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर भी किए हैं। मार्डन बेकरीज (इन्डिया) लि० (सार्वजनिक क्षेत्र की निकाय) कोको पर आधारित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए एक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव करती है ताकि कोको के उत्पादकों को मण्डी समर्थन प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ भी चाकलेट तथा चाकलेट के चूर्ण के विनिर्माण के लिए केरल संघ की प्रस्तावित परियोजना के संबंध में निवेशपूर्व अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार है।

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास पर अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान

7607. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास पर अनुसंधान प्रायोजित करने के लिये सहायता अनुदान की एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की खास बातें निम्नलिखित हैं :

(क) प्रायोजित की जाने वाली परियोजनाएं मुख्यतया व्यावहारिक रूप की होंगी जिनका सम्बन्ध विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से होगा।

(ख) एक विशिष्ट परियोजना को चलाने के लिए एक संस्था को या संस्थाओं के एक वर्ग को सहायक अनुदान दिया जा सकता है, जिसका निर्देशन एक या अधिक विद्वान कर सकते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र कपक्रमों द्वारा स्थापित और वित्तपोषित संस्थाएं भी पात्र होंगी।

(घ) मंत्रालय भी किसी संस्थान में अनुसंधान प्रायोजित करने के लिए पहल कर सकता है।

(ङ) संस्थान परियोजना के धन का प्रशासन और प्रबन्ध करेगा। इसे जारी रखने के लिए भौतिक आन्तरिक ढांचा और सुविधा प्रदान करेगा तथा परियोजना निदेशक और अन्य स्टाफ को सभी सहायता देगा ताकि वे अपने कार्य कर सकें।

(च) परियोजना निदेशक (तथा सह-निदेशक यदि हो तो) परियोजना कार्यालय से यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते को छोड़कर कोई वेतन या भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा।

(छ) परियोजना में लगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, भरती की पद्धति और सेवा

शर्तें वही होंगी जो उस संस्था के कर्मचारियों की होंगी जिन्हें अनुसंधान परियोजना मजूर की गई है।

(ज) अनुदान पाने वाली संस्था इस बात की पुष्टि करेगी कि सहायक अनुदान नियमों में दी गई शर्तें उसे स्वीकार्य हैं तथा वह भारत के राष्ट्रपति के हक में इस आशय का एक बन्धपत्र हस्ताक्षरित करेगी कि वह अनुदान की शर्तों को मानेगी।

(झ) अन्तिम रिपोर्ट परियोजना पूरी होने के 3 माह के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी। अध्ययन में सिद्धान्तिक पहलू वर्तमान साहित्य का पुनरावलोकन, समस्या का विवरण, अध्ययन का तरीका, परिणाम और विचार-विमर्श तथा निष्कर्ष कार्यवाही के लिए ठोस और विशेष सुझाव शामिल हों।

(ट) मंत्रालय जिन परियोजनाओं के लिए धनराशियां देता है उनकी रिपोर्ट प्रकाशित कर सकता है। यदि प्रकाशन का मूल्य रखा गया तो उसकी 10 प्रतिशत रायलटी परियोजना निदेशक को दी जाएगी। उपर्युक्त के अलावा परियोजना निदेशक जिस तरह उचित समझे रिपोर्ट छपवा सकता है। मंत्रालय को अधिकार होगा कि बिना कोई मुगतान किए रिपोर्ट के निष्कर्षों का उपयोग कर सके। संस्था द्वारा सभी आंकड़े रखे जाएंगे। आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित योजना/परियोजना के अन्तर्गत किए गए अनुसंधानों और/या खोज तथा प्रक्रिया के इन्जीनियरी और तकनीकी पद्धति के बारे में अपने नाम से पट्टे कराने का मंत्रालय को अधिकार होगा।

काश्मीर में बुर्जाहोम में उत्खनन

7608. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में बुर्जाहोम में की गई हाल के उत्खनन कार्य के दौरान नवपाषाण काल के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पता चले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या उत्खनन स्थल से प्राप्त सभी कलात्मक वस्तुओं को रखने के लिए एक संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव की लगभग एक दशक से जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का इन दुर्लभ कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण तथा उत्खनन के दौरान पता लगी नवपाषाण काल के जीवन संबंधी बातों का प्रकाशन करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) बुर्जाहोम में फिलहाल नियमित रूप से कोई भी उत्खनन कार्य नहीं कराया गया है। तथापि, वर्षा के फलस्वरूप निवास स्थान के रूप में काम आने वाले नवपाषाण कालीन गर्त के एक भाग

का पता चला है । इसमें समकालीन (लगभग 2000 वर्ष ई. पू.) के हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अलावा कुछ मृद्भांड भी मिले हैं। 1960-71 के दौरान कराये गये उत्खनन कार्यों में प्राप्त वस्तुओं से उस काल के निवासियों की जीवन पद्धति और अर्थव्यवस्था का पता चलता है, जिसकी पुष्टि उपर्युक्त साक्ष्यों से भी हो जाती है ।

(ग) तथा (घ) जी, हां । योजना के प्रस्तावों में पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय बनवाने का प्रस्ताव भी शामिल है । भूमि अर्जन की कार्यवाही राज्य सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी हुई है । बुर्जाहोम में कराये गए उत्खनन कार्य को प्रकाशित कराने के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट संकलित की जा रही है वह अन्तिम चरण में है । प्रस्तावित संग्रहालय में प्रदर्शन हेतु रखी जाने वाली उत्खनन की उपलब्धियों का परिरक्षण उचित तरीके से किया जा रहा है ।

धान की फसल की सम्भावनाएं

7609. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई वर्षा से धान की फसल की संभावनाएं बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी फसल होने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) धान के संभाव्य उत्पादन का मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं है, क्योंकि देश के कई भागों में अभी इसका प्रतिरोपण किया जा रहा है। यह दक्षिण-पश्चिमी मानसून के शेष महीनों के वर्षा के प्रतिमान पर अधिक निर्भर करेगा । अभी तक वर्षा का प्रतिमान सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में धान की बड़ी मात्रा में बुवाई के लिए अधिक लाभदायक रहा है ।

शान्ति निकेतन, नई दिल्ली में भू-खंड

7610. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** शांति निकेतन, नई दिल्ली में भू-खण्ड के बारे में 23 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1663 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून आ जाने के बाद दिल्ली नगर निगम ने अथवा अन्य किसी संबंधित प्राधिकरण ने इस भू-खण्ड को ठीक-ठाक करने तथा उसके चारों ओर पेड़ लगाने के लिये कोई कार्यवाही आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कार्यवाही करने के लिए अनुदेश जारी करेगी क्योंकि इससे वहां के निवासियों के स्वास्थ्य के लिये खतरा बना हुआ है क्योंकि वर्षों से शौच आदि के लिये उपयोग में लाए जा रहे उस भू-खण्ड में वर्षा के समय हर प्रकार के मच्छर व कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार उस भूमि के चारों ओर मजबूत कांटेदार तार लगाने तथा वहां एक नोटिस बोर्ड लगाने पर विचार करेगी जिससे कि वहां समीपवर्ती मार्केट से प्रतिदिन आने वाले तथा उधर से गुजरने वाले आम लोगों को वहां आने से रोका जा सके ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क), (ख) तथा (ग) प्लाट नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय के लिए उद्दिष्ट किया गया है। स्थल को पार्क में बदलने के प्रश्न पर दिल्ली नगर निगम ने विचार किया है परन्तु वह प्रस्ताव छोड़ दिया गया। तथापि, गैर-पथरीली भूमि पर प्लाट की परिधी में पेड़ तथा झाड़ियां लगाई गई हैं और पथरीली भूमि का ठीक कर दिया गया है।

प्लाट का दुरुपयोग रोकने के लिए कांटेदार तारों की बाढ़ लगाई गई है और दो सूचना पट्ट लगाये गये हैं, जिसमें यह कहा गया है कि यह स्थल दिल्ली नगर निगम का है और यह विद्यालय के लिए आरक्षित है और जन सुविधाओं या मलबा/कूड़ा कर्कट डालने के लिए इसका प्रयोग निषेध है।

दरभंगा, बिहार में लाइनमैन व गेटमैन की भर्ती

7611. **श्री राम विलास पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में बिहार सर्किल के दरभंगा डिवीजन में लाइनमैन, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, गेटमैन, आदि की भर्ती की गई थी और यदि नहीं तो उनकी भर्ती कब तक करने का सरकार का विचार है;

(ख) नैमित्तिक श्रमिक, गेटमैन, वाटरमैन, स्वीपर को कितना वेतन तथा दैनिक मंजूरी दी जाती है; और

(ग) यदि उनको मानक दर से कम मंजूरी दी जाती है तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जिला मुख्यालयों से राज्य की राजधानी उड़ीसा के लिए सीधी ट्रंक लाइन

7612. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में जिला मुख्यालयों से राजधानी भुवनेश्वर तक सीधी ट्रंक लाइन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय ने जिलावार क्या उपाय किये हैं;

(ख) कोरापुट जिले में सब डिवीजनल मुख्यालय से जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए क्या योजना तैयार की गई है और उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) रायगड़ा को बरहामपुर तथा भुवनेश्वर से जोड़ने के लिए वर्तमान प्रणाली क्या चल रही है; और

(घ) आदिवासी जिलों में, जो कि औद्योगिक केन्द्र, जिला मुख्यालय तथा सब डिवीजनल मुख्यालय है, विकास योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए छठी योजना के लिए इस सर्किल ने क्या योजनाएं तैयार की हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सभी जिला मुख्यालयों से राज्य की राजधानी भुवनेश्वर तक के लिए सीधी ट्रंक लाइनों की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

(ख) गुनुपुर को छोड़कर कोरापुट जिले में सभी उपमंडल मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ दिया गया है। गुनुपुर से कोरापुट को सीधे जोड़े जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) रायगड़ा कोरापुट के जरिए बरहामपुर और भुवनेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है।

(घ) जनजाति क्षेत्रों में उदारीकृत मानदंडों के आधार पर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मांग और उपस्कर की उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक केन्द्रों, जिला मुख्यालयों, उपमंडल मुख्यालयों और अन्य नगरों मे तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

जनजातीय संस्कृति की समस्या एवं आयोजन विषयक समिति

7613. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को देश में, जनजातीय संस्कृति की समस्याओं एवं आयोजना के बारे में सांस्कृतिक विभाग द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें क्या मुख्य सिफारिशें हैं;

(ग) लोगों की संस्कृति के अध्ययन हेतु समिति द्वारा किन-किन राज्यों और जनजातीय समुदायों का अध्ययन किया गया;

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के अनुसार जनजातीय संस्कृतियों के संरक्षण एवं विकास हेतु क्या कार्यक्रम तैयार किये हैं;

(ङ) वर्ष 1980-81 के दौरान इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है; और

(च) किन-किन राज्यों ने सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (च) देश में जनजातीय तथा लोक कलाओं के परीक्षण तथा प्रोन्नति संबंधी सलाहकार समिति की शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 1 सितम्बर, 1978 को नियुक्ति की गई थी। समिति की बैठक 21-11-78 को हुई थी और इसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	चर्चा का विषय	सिफारिशें
1	2	3
1.	समुदाय की कलाओं और शिल्पों को स्कूली शिक्षा तथा	समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि समुदाय अपनी परम्परागत कलाओं को विकसित कर सकता है किन्तु यदि

पाठ्यचर्या के साथ जोड़ना । समुदाय में निहित कलाओं और कुशलताओं को स्कूलों में अध्ययन प्रक्रिया के साथ सीधे ही नहीं जोड़ा जाता तो उनके लिए इनका महत्व नहीं रह जाता है । अतः शिक्षा को समुदाय की कलाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि सभी सामाजिक सीमाओं को समाप्त करके शिक्षा को सामाजिक रूप से अधिक उत्पादक और भारतीय समाज की एकता का एक साधन बनाया जा सके । समिति ने यह सिफारिश की थी कि राज्य योजनाओं में लोक कलाओं के परिरक्षण तथा प्रलेखन और शैक्षिक पाठ्यचर्याओं के साथ लोक कलाओं को जोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिये । समिति ने यह भी विचार व्यक्त किया था कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय संस्था जैसे निकायों, केन्द्र में सांस्कृतिक योजनाओं का प्रसार, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में भारतीय जीवन में जान डालने तथा विशेष रूप से शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत की ग्रामीण तथा जन-जातीय सांस्कृतिक परम्पराओं की समृद्ध क्षमताओं का पूरा-पूरा समावेश किया जाना चाहिये ।

2. शिक्षा प्रणाली में संशोधन । समिति ने निर्णय किया कि राज्य सरकारों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद और अन्य शैक्षिक संस्थाओं से अनुरोध किया जाना चाहिये कि वे शिक्षा प्रणाली को इस ढंग से संशोधित करने के तरीकों का पता लगायें, जिससे कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा को अध्ययन प्रक्रिया से जोड़ा जा सके ।

3. गांवों में जनजातीय बच्चों के लिये शैक्षिक कम्प्लैक्स । समिति ने सिफारिश की कि जनजातीय स्तर पर 5 अथवा 6 स्कूलों के समूह को इकट्ठा किया जाना चाहिए और उसे एक शैक्षिक कम्प्लैक्स के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए । स्कूलों को अपने मानवीय संसाधनों, अर्थात समुदाय के कुशल लोगों तथा अध्यापकों को इकट्ठा करना चाहिए । सारे समूह को न केवल सीमित किताबी-ज्ञान तक की ही जिम्मेदारी सम्भालनी चाहिए, बल्कि उन्हें विस्तृत शिक्षा तथा सांस्कृतिक विकास के लिये भी जिम्मेदार होना चाहिए । निस्संदेह, इससे न केवल छात्र समुदाय को मदद मिलेगी, बल्कि समुदाय के प्रौढ़ सदस्यों को भी मदद

मिलेगी। समिति ने यह भी सिफारिश की कि औपचारिक शिक्षा को यदि 5 दिन दिये जाते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा के लिये भी सप्ताह में एक दिन निश्चित कर देना चाहिए। जहां कार्यकलाप करने के लिये इकट्ठे हो सकते हैं।

4. आई. सी. डी. एस. पाठ्य-विवरणों में सांस्कृतिक विषय-वस्तु को शामिल करना।

समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि ने सुझाया कि आई. सी. डी. एस. के लिये निर्धारित पाठ्य-विवरणों में तथा कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम में सांस्कृतिक विषय-वस्तु को शामिल किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि भारतीय बाल कल्याण परिषद के अन्तर्गत बाल-सेविका प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये पाठ्य विवरण में सांस्कृतिक विषय-वस्तुओं को भी एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्य-विवरण में सांस्कृतिक विषय-वस्तु को शामिल करने से ग्रामीण जनजातीय तथा शहरी क्षेत्रों में दूरवर्ती स्थानों तक सांस्कृतिक परम्पराओं के विकास में सहायता मिलेगी।

5. परम्परागत शिल्पकारों की सेवाओं का उपयोग।

समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में जहां विशाल भवन कार्यक्रम, विशेषकर पुलों, भवनों आदि के निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां परम्परागत शिल्पकारों की कारीगिरी तथा सेवाओं का उपयोग करने के लिये ठोस प्रयास करने चाहिएं। समिति ने महसूस किया कि ग्रामीण विकास तथा जनजातीय प्राधिकरण को परम्परागत चित्रकारों, संगतराशों, लकड़ी के नक्काशकारों, कांस्य ढालने वालों की एक सूची तैयार करनी चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नये स्थानीय विकासात्मक निर्माण कार्यक्रमों में उनके कौशल का उपयोग किया जाए। इस प्रणाली-विज्ञान के दो लाभ होंगे :

(क) परम्परागत शिल्पकारों में गर्व तथा स्थानी वातावरण में भाग लेने की भावना का विकास होगा और;

(ख) जनजातीय तथा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कौशलों के लिये स्थानीय बाजार का निर्माण होगा।

6. भारतीय ग्रामीण एवं जनजातीय कलाओं और शिल्पों के लिये व्यवहार्य विपणन प्रणाली तैयार करना।

हस्तशिल्प बोर्ड तथा उनकी अन्तर्राष्ट्रीय विपणन प्रणाली संबंधी योजनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने, भारत की ग्रामीण एवं जनजातीय कला-कौशल के लिये व्यावहारिक विपणन प्रणाली खोजने के लिये दिये गये कार्य

के विषय में समिति को अवगत कराया। हस्तशिल्प बोर्ड को इस बारे में समिति द्वारा अपनी अगली बैठक में विचार करने हेतु, ठोस प्रस्ताव करने चाहिएं।

7. कलाओं तथा शिल्पों के उपयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल पर प्रतिबन्ध।

समिति ने सिफारिश की कि वाणिज्य, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें लकड़ी, चमड़े जैसे कच्चे माल का निर्यात नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिए।

8. इस संबंध में पहले ही किये गये कार्य के बारे में सूचना एकत्र करना।

बहुत-सी संस्थाओं ने ग्रामीण एवं जनजातीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के प्रलेखन एवं उन्हें सूची-बद्ध करने से संबंधित कार्यक्रम शुरू किये थे, परन्तु यह सूचना किसी एक केन्द्रीय संगठन/संस्था में उपलब्ध नहीं थी। सलाहकार समिति ने यह निर्णय किया कि पहली और दूसरी बैठक के बीच के समय में पहले ही किये गये कामकाज के बारे में विभिन्न संगठनों से सूचना एकत्र की जानी चाहिए। महापंजीयक एवं जन-गणना आयुक्त के प्रतिनिधि ने किसी भी अगले सर्वेक्षण के लिये, जिसे सरकार आरम्भ करना चाहे, जनगणना आयोग के सहयोग का प्रस्ताव रखा। जनगणना आयोग को इस सिफारिश पर ध्यान देना चाहिए। 2 जुलाई, 1979 को नई दिल्ली में सम्पन्न, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के कला एवं संस्कृति के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में इन सिफारिशों पर विचार किया गया था। सम्मेलन में सांस्कृतिक समीक्षा विशेषकर ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों की सम्पदा, की प्रोन्नति एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों की उन्नति के लिये, निम्नलिखित कार्यवाही कार्यक्रम की सिफारिश की :

1. सम्मेलन में, ग्रामीण एवं जनजातीय स्तर पर भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को बनाये रखने एवं उन्हें विकसित करने से संबंधित अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई। सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि ग्रामीण एवं जनजातीय सांस्कृतिक परम्परा के उन पहलुओं के परिरक्षण, प्रलेखन के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए, जिन परम्पराओं के समाप्त होने का भय है विशेषकर हमारी उस सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की आवश्यकता है, जिसे आज तक मौखिक संचार के माध्यम से जीवित रखा गया है।

2. सम्मेलन ने शिक्षा मंत्री द्वारा लोक तथा जनजातीय कलाओं के संरक्षण तथा उसे बढ़ावा देने के लिये गठित सलाहकार समिति की सिफारिश की समीक्षा की और उसके बारे में की गई सिफारिशों का समर्थन किया ।

3. सम्मेलन ने सिफारिश की कि जनजातीय कल्याण संगठनों तथा राज्य सरकारों के जनजातीय विकास विभागों तथा उद्योगों को भारतीय जनजाति समाज के सांस्कृतिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

4. सम्मेलन ने सिफारिश की कि स्कूल तथा कालेज पाठ्यचर्या में ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किये जायें, जो विद्यार्थियों को ग्रामीण तथा जनजातीय पृष्ठभूमि की महान विविध सांस्कृतिक परम्पराओं की जानकारी प्रदान करें और उन्हें उन परम्पराओं में भाग लेने के योग्य बनायें । अतः जनजातीय संस्कृति तथा पृष्ठभूमि को देखते हुये शैक्षिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

5. सम्मेलन ने सिफारिश की कि राज्य स्तर पर जनजातीय भाषाओं और बोलियों के विकास के लिये विशिष्ट संगठन स्थापित किये जाने चाहिएं ।

इन सिफारिशों को संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है ।

काल-पात्र

7614. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली सरकार द्वारा बाहर निकाले गये काल-पात्र को संरक्षित रखने के लिये उनके द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) पिछली सरकार द्वारा लाल किले से काल-पात्र को निकाले जाने का क्या कारण था;

(ग) काल-पात्र पर लिखे गये इतिहास की विषय-वस्तु के बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) काल-पात्र को सुरक्षित रखने और उसे बाहर निकालने के लिए कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ङ) काल-पात्र की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) उस काल-पात्र को फिर से गाड़ने के संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे पिछली सरकार द्वारा बाहर निकाला गया था । तथापि, अन्दर और बाहर के शैलो सहित काल-पात्र

की विषय-वस्तु को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली की तिजोरी में सुरक्षित रखा गया है ।

(ख) जनता पार्टी के एक वर्ग ने विभिन्न आरोप लगाते हुए विषय-वस्तु के संबंध में शोर-गुल मचाया था ।

(ग) काल-पात्र में दिए गए ऐतिहासिक लेख तैयार करने का कार्य भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद को सौंपा गया था और इसका उद्देश्य सरकार का प्रस्तुतीकरण अथवा सरकारी इतिवृत नहीं था ।

(घ) काल-पात्र को तैयार करने तथा उसे जमीन में गाड़ने पर 59,881/– रुपये का खर्चा किया गया था । काल-पात्र को निकालने पर 17,497 रुपये का खर्चा हुआ था ।

(ङ) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में पहले ही बताया गया है, काल-पात्र की विषय-वस्तु को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है ।

केन्द्रीय मंत्रियों के लिए छोटे मकान

7615. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय मंत्रियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नए छोटे मकान बनाने की नीति का पालन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो नई योजना को कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है और इसे कब पूरा किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) केन्द्रीय मन्त्रियों को छोटे वास देने का प्रस्ताव पिछली सरकार के विचाराधीन था । संसाधन और सामग्री की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार मामले की नए सिरे से जांच कर रही है ।

(ख) सरकार ने मामले के विभिन्न पहलुओं की जाँच के लिए एक अध्ययन दल गठित किया था । अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । अध्ययन दल की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है जो सरकार के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव तैयार करेगी । अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

1980 में दिल्ली में पंजीकृत सामूहिक आवास (ग्रुप हाउसिंग) समितियां

7616. **श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 में दिल्ली में अब तक कितनी नई सामूहिक आवास (ग्रुप हाउसिंग) समितियों का पंजीकरण किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें दिल्ली में भूमि आबंटित कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो कहां और कितनी भूमि आबंटित की जाएगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) सहकारी समितियों के पंजीकार ने बताया है कि अब तक 117 नई सामूहिक आवास समितियों का पंजीकरण किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) हर एक सामूहिक आवास समिति के प्रत्येक 50 सदस्यों को एक एकड़ भूमि का आबंटन किया जा रहा है। आवंटन की तारीख को उपलब्ध भूमि तथा अन्य सम्बन्धित बातों पर स्थान निर्भर करेगा।

मधुबनी जिले के लिए पृथक डाक मंडल

7617. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री मधुबनी जिले के लिए डाक मण्डल के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4120 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी जिले के लिए प्रथक डाक मंडल बनाने संबंधी प्रस्ताव की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पृथक डाक मंडल बनाने के लिए कोई विशिष्ट समय पत्रक तैयार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (घ) पोस्टमास्टर जनरल पटना को तारीख 6-8-1980 को मधुबनी जिले के लिए अलग डाक मंडल के सृजन के लिए मंजूरी दी गई है।

केन्द्रीय विद्यालय खोलना

7618. **श्री नारायण चंद पराशर:** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 में रक्षा मंत्रालय ने 1978-83 के वर्षों के दौरान, 121 केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन विद्यालयों को खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्यवार ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1978 से, वर्षवार ये विद्यालय खोले जा चुके हैं;

(घ) ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनमें से कुछ क्या वित्तीय वर्ष के दौरान उनमें से कुछ विद्यालय खोले जाने की संभावना है;

(ङ) ये सभी 121 विद्यालय अनुमानतया किस तारीख तक खोले जायेंगे जैसी कि रक्षा मंत्रालय द्वारा मांग की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1978 में मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार रक्षा मंत्रालय का विचार 1979-84 वर्षों के

दौरान 104 केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है और प्रस्तावित स्थानों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) 1978-79 से निम्नलिखित रक्षा स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं :

क्रम सं०	स्थान का नाम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
	वर्ष 1978-79	
1.	अहमदाबाद कैन्ट	गुजरात
2.	भटिंडा कैन्ट	पंजाब
3.	कोलाबा, बम्बई	महाराष्ट्र
4.	चांदा	महाराष्ट्र
5.	तेजपुर	असम
6	श्रीनगर	जम्मू और काश्मीर
7.	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश
8.	कांचरपारा (24 परगना)	पश्चिम बगाल
	वर्ष 1979-80	
1.	अम्बाझारी, नागपुर	महाराष्ट्र
2.	ओझर नासिक	महाराष्ट्र
3.	जयपुर कैन्ट	राजस्थान
4.	साम्बा	जम्मू और काश्मीर
5.	डीपातोली, रांची	बिहार
6.	गया	बिहार
7.	सरसावा, सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
8.	नागरोटा, जम्मू	जम्मू और काश्मीर
9.	मल्कापुरम, विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश
10.	नलिया, कच्छ	गुजरात
11.	सूरानूसी, जालंधर	पंजाब
	वर्ष 1980-81	
1.	ए. एफ. एस. मेमोरा	उत्तर प्रदेश
2.	ए. एफ. एस. भुज	गुजरात

3.	बोलारम, सिकंदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
4.	बालिगंज, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
5.	बीनागुड़ी कैन्ट	पश्चिम बंगाल
6.	कोलाबा, बम्बई	महाराष्ट्र
7.	चाकी, पठानकोट	पंजाब
8.	मोरार कैन्ट, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
9.	ओर्डनेन्स फैक्टरी	मध्य प्रदेश
10.	पंगोड, त्रिवेन्द्रम	केरल
11.	श्रीगंगानगर	राजस्थान
12.	चंड़ीगढ़	चंड़ीगढ़

1980-81 के दौरान अम्बाला में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना है ।

(ङ) 1979-84 की अवधि में सरकार ने, रक्षा स्थानों पर 54 केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है और क्योंकि 1979-80 और 1980-81 में 23 विद्यालय पहले ही खोल दिए गए हैं अतः अगले तीन वर्षों में 31 विद्यालय और खोलने बाकी हैं ।

विवरण

नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए 1978 में रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्थानों के राज्यवार नाम :

क्रम सं०	राज्य	स्थान
	आन्ध्र प्रदेश	
1.		हकीमपेट
2.		विशाखापट्नम
	असम	
3.		तेजपुर
4.		छबुआ
5.		दिनजन
	बिहार	
6.		दिपाटोली
7.		गया

गुजरात

8. अहमदाबाद
9. भुज
10. गांधीनगर
11. बड़ौदा
12. नालिया (कच्छ)
13. जामनगर

हरियाणा

14. अम्बाला छावनी
15. फरीदाबाद
16. सिरसा
17. अम्बाला

हिमाचल प्रदेश

18. धर्मशाला
19. सबाथू
20. बकलोह
21. कसौली
22. डलहौजी

जम्मू और काश्मीर

23. दमाना
24. पुंच
25. श्रीनगर
26. मेंधर
27. मिरन साहिब
28. सुन्दरबाड़ी
29. राजौरी
30. नौसेरा
31. रुकमुधी
32. नगरोता

33.		सम्बा
34.		उधमपुर
35.		जंगलोट
36.		कालूचाक
37.		जम्मू
	कर्नाटक	
38.		यलाहंका
	केरल	
39.		त्रिवेन्द्रम
40.		अरनाकुलम
	मध्य प्रदेश	
41.		धाना
42.		ग्वालियर (मुरार कैन्ट)
	महाराष्ट्र	
43.		दपोदी (किरकी)
44.		डोकयार्ड कालोनी, पवाई, बम्बई
45.		ओझार
46.		थाना
47.		पुणे
48.		देवलाली नासिक
	मेघालय	
49.		शिलांग
	नागालैंड	
50.		कोहिमा
51.		रंगपहर
	उड़ीसा	
52.		चिलका
	पंजाब	
53.		जालन्धर छावनी

54.		चक्की
55.		कपूरथला
56.		लुधियाना
57.		नाभा/संगरूर
58.		सूरनूसी
59.		अभोर
60.		भटिन्डा
61.		अमृतसर
	राजस्थान	
62.		जयपुर
63.		अलवर
64.		उदयपुर
65.		श्रीगंगानगर
66.		सूरतगढ़
67.		जैसलमेर (सेना)
68.		जैसलमेर (वायु सेना)
69.		जोधपुर
70.		बीकानेर
71.		बाड़मेर
72.		माउंट आबू
	सिक्किम	
73.		पेंटंग
	तमिलनाडु	
74.		वेलिंगटन
75.		सुलूर
76.		आवड़ीं
	उत्तर प्रदेश	
77.		शाहजहांपुर
78.		जोशीमठ

79.		हल्द्वानी
80.		राईबाला
81.		फैजाबाद
82.		वाराणसी (छावनी)
83.		कानपुर (छावनी)
84.		धारचूला
85.		कानपुर (वायुसेना)
86.		आगरा
87.		सरसावा
88.		देहरादून
89.		हिन्डन
90.		मेमोरा
91.		बमरौली
	पश्चिम बंगाल	
92.		कचंरापाड़ा
93.		बालीगुंगे
94.		पेडांग
95.		सेवकरोड
96.		बागडोगरा
	चंडीगड़	
97.		चंडीगढ़ (वायुसेना)
	दिल्ली	
98.		दिल्ली छावनी
99.		तुगलगाबाद
100.		अर्जुनगढ़
101.		पालम
	गोआ, दमन और दीव	
102.		वम्बोलिन
103.		मन्डोवी, पणजी
	मिजोरम	
104.		ऐजवाल

मकानों की आधारशिला रखने के लिए उप-नियम

7619. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा दिल्ली नगर निगम द्वारा मकानों के शिलान्यास के बारे में भवन निर्माण उप-नियमों में कोई मानक निर्धारित किये गये हैं और यदि हां तो वे मानक क्या हैं;

(ख) यदि किसी मकान का शिलान्यास निर्धारित मकानों के अनुसार नहीं किया जाता है तो ऐसे मकानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है; और

(ग) यदि किसी मकान का निर्माण निर्धारित शिलान्यास मानक के आधार पर किया हुआ नहीं पाया जाता है, तो जिस कारण कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं तो इस प्रकार के मामलों में क्या कार्यवाही की जाती है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली में मकानों की नींव के मानक, नई दिल्ली नगर पालिका के भवन उप-नियम संख्या 31 तथा दिल्ली नगर निगम के उप-नियम संख्या 40 और 47 के अन्तर्गत, विवरण में दिए गए उद्धरण के अनुसार दिये गए हैं।

(ख) तथा (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके भवन उप-नियमों के अनुसार ऐसे दोषों पर कोई कार्यवाई नहीं की जा सकती है।

दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भाग 'क' के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक में दिये गए उदाहरण के अनुसार दिल्ली नगर निगम के भवन उप-नियम संख्या 92 के अनुसार किसी इमारत के संरचनात्मक उत्तरदायित्व की जिमेदारी पट्टाकर्ता या मालिक की होती है।

दिल्ली नगर निगम ने यह भी कहा है कि यदि इस कारण से या अन्य किसी कारण से कोई इमारत रहने के लिए असुरक्षित हो जाती है तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 348 तथा 349 के प्रावधानों के अन्तर्गत संकट को दूर करने के लिए कार्यवाही की जाती है। उद्धरण विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

1. **नई दिल्ली नगर पालिका का भवन उप-नियम सं० 31**

31. दीवारों की नींव–

प्रत्येक इमारत की नींव जो सीधे अविक्षुब्ध भूमि पर रखी जा रही हो, उसकी चौड़ाई ऐसी होगी कि जमीन का दबाव एक टन प्रति वर्ग फुट से अधिक न हो जब तक कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए पालिका द्वारा अन्यथा अनुमोदित न हो और जो भूमि तल से कम से कम दो फुट नीचे होगी और सभी दीवारें कंक्रीट नींव पर होंगी जो कि एक मंजिल की इमारत के लिए कम से कम 9 इंच मोट

होगी और एक से अधिक मंजिल के लिए एक फुट मोटी होगी । कंक्रीट नींव की किसी भी तरफ की मोटाई से आधे से अधिक निकला हुआ न हो :

2. **दिल्ली नगर नियम का भवन, उप-निगम सं० 40, 47 और 92**
भवन उप-नियम 40 – दीवारों की नींव :

(1) प्रत्येक इमारत की नींव जो सीधे अविक्षुब्ध भूमि पर रखी जा रही हो, उसकी चौड़ाई ऐसी होगी कि जमीन का दबाव एक टन प्रति वर्ग फुट से अधिक न हो जब तक कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए पालिका द्वारा अन्यथा अनुमोदित न हो और जो भूमि तल से कम से कम दो फुट नीचे होगी और सभी दीवारें कंक्रीट नींव पर होंगीं जो कि एक मंजिल की इमारत के लिए कम से कम 9 इंच मोटी होगी और इससे अधिक मंजिल के लिए एक फुट मोटी होगी । कंक्रीट नींव की किसी भी तरफ की मोटाई से आधे से अधिक निकला हुआ न हो ।

व्याख्या : कंक्रीट का अर्थ है रोड़ियों, ईटों या अन्य उपयुक्त सामग्री और सीमेंट या चूने के गारे का मिश्रण और इसमें मिट्टी तथा गारा शामिल नहीं होता है ।

(2) ऐसी किसी इमारत की नींव किसी ऐसे स्थल पर नहीं रखी जाएगी जो भरी गई हो या जो कूड़ा करकट जमा करने के स्थान के उत्सर्जन मामलों के या मृत जानवरों के ढांचाबंदी, या अन्य गन्दे या दोषयुक्त मामलों के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया हो, जब तक ये चीजें ठीक प्रकार से आयुक्त की सन्तुष्टि के मुताबिक हटा न ली गयी हों ।

भवन उप-नियम–47 वे शर्तें जो सभी निर्धारित मोटाई से हटने के लिए हैं ।

उन भवनों के मामलों में जिनके नक्शे वास्तुकों, इंजीनियरों या ड्राफ्ट्समैनों ने बनाये हैं और जिनको आयुक्त ने संरचनात्मक सुदृढ़ता बनाने के लिए पर्याप्त योग माना है, उप-नियम 42 और 43 में निर्धारित मोटाई से हट सकते हैं, बशर्ते कि प्रस्ताव का समर्थन वास्तविक हिसाब के साथ किया गया हो और उस पर लाइसेन्स प्राप्त वास्तुक, इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन ने जैसा भी मामला हो, निम्न प्रकार से प्रमाण-पत्र दिया हो :

"प्रमाणित किया जाता है कि सारे भवन का सरचनात्मक भाग का डिजाइन हिसाब के आधार पर बनाया गया है और अनुमेय प्रतिबल और तनुता अनुपात के अनुसार सुरक्षित समझा गया है ।"

भवन उप-नियम 92 : कोटि तथा कारीगिरी की जिम्मेदारी :

प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भवन का निर्माण कार्य आरम्भ करेगा, वह इस बात का जिम्मेदार होगा कि प्रयोग की गई भवन निर्माण सामग्री दृढ़ तथा अच्छी किस्म की है और नुरक्षा के लिए एक साथ मिला कर ठीक से रखे गये हैं । किसी भवन की संरचनात्मक सुदृढ़ता की जिम्मेदारी पट्टाकर्त्ता अथवा मालिक की है ।

3. दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 348 और 349 :

धारा 348 : असुरक्षित भवन को हटाना :

348 (1) यदि किसी समय आयुक्त को यह प्रतीत हो कि कोई भवन जर्जर हालत में है और इसके गिरने की सम्भावना है या उसके दखलकार किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक है, ऐसे भवनों के रिपोर्ट करने पर या इसके पास से गुजरने पर या ऐसे भवन के आस पड़ोस में किसी अन्य भवन या जगह हो, तो आयुक्त ऐसे मकान के मालिक को या दखलकार को मकान गिराने, सुदृढ़ करने या मरम्मत करने या ऐसा ही एक या अन्य सभी आदेश में दिये गए अवधि में करन का लिखित आदेश देगा, जिससे कि खतरे के सभी कारणों को रोका जा सके ।

(2) यदि आयुक्त उचित समझता है, ऐसे मालिक या दखलकार को उक्त आदेश द्वारा उसी समय या गिराने, सुदृढ़ करने या मरम्मत करने से पहले राहगीरों या अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सुविधाजनक प्लेटफार्म और हाथठेला लगाकर उचित या पर्याप्त टट्टी या बाढ़ लगाना चाहता है, यह वहां होगा जहां यह व्यवहारिक हो जिससे राहगीरों के लिए ऐसे टट्टी या बाढ़ के बाहर पैदल का रास्ता बन सके ।

(3) यदि आयुक्त को यह प्रतीत हो कि भवन जर्जर दशा में है और इसके गिरने की सम्भावना है, निश्चित है, तो वह उपर्युक्त बाढ़ या गिराने के, सुदृढ़ता या मरम्मत के आदेश देने से पहले, खतरे को टालने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा ।

(4) यदि मालिक या दखलकार आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि में आदेशों का पालन न करें, तो आयुक्त भवन के बारे में ऐसा कदम उठायेगा जिससे उससे खतरा रोका जा सके ।

(5) इस धारा के अन्तर्गत किसी भवन पर आयुक्त द्वारा किया गया खर्च मालिक या दखलकार से इस अधिनियम के अन्तर्गत करों के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा ।

धारा 349 कतिपय परिस्थितियों में भवन बेदखली आदेश की शक्ति :

349 (1) आयुक्त लिखित रूप में आदेश दे सकता है, निदेश कर सकता है कि उसके विचार में कोई भी भवन खतरनाक हालत में है अथवा अग्नि लग जाने की हालत में निगम के पर्याप्त साधन नहीं किए गए हैं अथवा धारा 346 का अतिकमण करके दखल में है, तो उसे तुरन्त खाली कराया जा सकता है अथवा उस अवधि में जो कि आदेश में निर्दिष्ट हो ।

यह कि ऐसे आदेश करते समय आयुक्त तत्सम्बन्धी कारणों का संक्षिप्त विवरण लेखबद्ध करेगा ।

(2) ऐसे आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भवन खाली करने में असफल रहता है तो आयुक्त किसी भी पुलिस अधिकारी को भवन से उस व्यक्ति को हटाने के निदेश दे सकता है तथा पुलिस अधिकारी तदनुसार ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(3) भवन खाली कर देने अथवा आयुक्त द्वारा दिए गए आदेशानुसार किसी भवन से हटाए गए किसी व्यक्ति के आवेदन पर आयुक्त उस व्यक्ति को उस भवन में आदेश के लागू रहने की अवधि की समाप्ति पर उस समय की परिस्थितियों, यदि ऐसा करने की इजाजत देती हों तो बहाल कर सकता है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवास योजनाएं

7620. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की निर्माण और आवास योजना बनाई है; और

(ख) देश में इस समय कितने अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता है और अगले पांच वर्षों के दौरान कितने मकानों की आवश्यकता होगी तथा इस स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1978-83) का प्रचालन 1-4-80 से समाप्त हो गया है और नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) इस समय तैयार की जा रही है। इसके उद्देश्यों, नीति, परिव्यय आदि का भी अभी निश्चय किया जाना है।

(ख) 31-3-1980 को देश में मकानों की कमी 207 लाख एकक (ग्रामीण क्षेत्र में 161 लाख एकक और नागरिक क्षेत्र में 46 लाख एकक) तथा 31-3 1985 तक 236 लाख एकक (ग्रामीण क्षेत्रों में 180 लाख एकक और नागरिक क्षेत्रों में 56 लाख एकक) आंकी गई है। क्योंकि आवास राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में सहायता दे रही है जो विकास के किसी शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती है। जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और आवास तथा नगर विकास निगम ने भी पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को ऋण के रूप में निम्नलिखित धनराशियां दी थीं :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	जी० बी० नि०	सा० बी० नि०	हुडकों
1978-79	19.92	14.00	101.48 (समेकित)
1979-80	41.54	14.00	118.39 (समेकित)

1980-81 के दौरान, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और आवास तथा नगर विकास निगम से यह आशा है कि वे आवासीय प्रयोजनार्थ क्रमशः 35 करोड़ रु० 15 करोड़ रु० और 160 करोड़ रु० ऋण आवश्यकता के रूप में अंशदान करेंगे। नई छठी पंचवर्षीय योजना को अभी भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

नए निर्मित भवनों के लिए निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र

7621. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी मकान/भवन मालिक के लिए यह आवश्यक है कि वह मकान पर कब्जा करने अथवा उसको किराये पर देने से पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करे;

(ख) क्या अनेक मकान/भवन मालिकों ने ऐसे प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा बाद में किया है और यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के रिकार्ड में ऐसे कितने दोषी व्यक्ति हैं और ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनेक दोषी मकान/भवन मालिकों को कब्जा प्रमाण-पत्र नहीं दिये हैं क्योंकि उन्होंने अपने मकानों/भवनों के निर्माण में ऐसी अनियमितताएं बरती हैं जो क्षम्य नहीं है और यदि हां, तो ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या ऐसी कार्यवाही करने के लिए कोई समय सीमा है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दोषियों की संख्या का हिसाब नहीं लगाया गया है। किन्तु, दोषियों को नियमानुसार दण्डित किया जाता है।

(ग) समाप्ति प्रमाण-पत्र/दखलकारी प्रमाण-पत्र वहां जारी नहीं किए जाते जहां मकान/भवन के निर्माण में अनियमितताएं की गई हैं जो क्षम्य नहीं हैं और भवन निर्माताओं को आवश्यक सुधार करने के लिए प्रारम्भ में दो महीनों का समय दिया जाता है। यदि मालिक सुधार नहीं करवाता है तो आखिरकार पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत मामले को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पट्टा प्रशासन शाखा के पास कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे सुधारों के लिए कोई कठोर समय सीमा नहीं है।

आल गोआ सेकेन्डरी स्कूल टीचर्स एसोसियेशन से अपील

7622. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल गोआ सेकेन्डरी स्कूल टीचर्स एसोसियेशन, गोआ ने गोआ के माध्यमिक अध्यापकों के कल्याण के लिए सरकार से कोई अपील की है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई अथवा की जानी है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल गोआ सैकेन्डरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, गोआ की मुख्य मांगों के ब्यौरे और की गई/की जाने वाली कार्रवाई नीचे दी गई है :

1. स्वचलन (आटोमेशन) ग्रेड

एसोसिएशन ने मांग की है कि कुछ निश्चित वर्षों की सेवा के बाद (आटोमेशन) "स्वचलन ग्रेड" अथवा समयवद्ध सेलेक्शन ग्रेड दिया जाए। इसकी जांच की गई थी किन्तु संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षकों के संबंध में अधिक व्यापक कठिनाइयों के कारण इसे स्वीकृत नहीं किया जा सका।

2. वेतन संशोधन

गोआ के शिक्षकों का वेतन संशोधन स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता परन्तु एक आम संशोधन करना होगा। इस समय गोआ के शिक्षकों को, चण्डीगढ़ के शिक्षकों को छोड़कर जिन्हें पंजाब राज्य के वेतनमान मिलते हैं, अन्य संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षकों की भांति केन्द्रीय वेतन-मान मिल रहे हैं।

3. 1970 तथा इससे पहले की वेतन असंगतियों को दूर करना

जब 1970 में केन्द्र शासित क्षेत्रों के शिक्षकों के वेतनमान संशोधित किये गए थे तब वेतन निर्धारित करने का एक विशेष सूत्र अपनाया गया था, जिसके अन्तर्गत पूर्व-निर्धारित वेतनमानों में उनकी वेतन-वृद्धि की तारीख में परिवर्तन किए बिना शिक्षकों का वेतन निर्धारित किया गया था। इससे असंगति पैदा हुई और जूनियर शिक्षकों को सीनियर शिक्षकों से अधिक वेतन मिलने लगा। सरकार इस समस्या पर ध्यान दे रही है और संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से इसे सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4. शिक्षा अधिनियम बनाना

गोआ प्रशासन ने यह सूचित किया है कि शिक्षा विधेयक तैयार है और भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति मिलने पर विधान सभा के अगले सत्र में इसे पेश किए जाने की संभावना है।

5. शिक्षकों के बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षकों की सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने, जो 65 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिये कानून बनाना।

इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि सामान्य रूप से सभी सरकारी कर्मचारी इसकी मांग करने लगेंगे।

शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

7623. **श्री के० प्रधानी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थाओं तकनीकी तथा गैर-तकनीकी-दोनों ही प्रकार की शिक्षा में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान निर्धारित कर रखे है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा नियमों का कथित उल्लंघन

7624. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये नियमों और विनियमों/नीति निदेशों/अनुदेशों का अनेक मामलों में उल्लंघन किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसे मामलों में बार-बार आपत्तियों के बावजूद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उनकी उपेक्षा की है; और

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा इन नियमों और विनियमों का पालन किया जाना आवश्यक है और यदि हां, तो इन नियमों का उल्लंघन करके सम्बद्ध कर्मचारियों को की गई अधिक अदा की गई राशियों को वसूल करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो एक सांविधिक स्वायत्त संगठन है, अपने अधिनियम, सांविधियों तथा अध्यदेशों के ढांचे के भीतर ही कार्य करता है। न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय के दिन-प्रति-दिन के प्रशासन से सम्बन्धित हैं, हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक मामलों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी रूप रेखाएं समय-समय पर जारी करता है। विश्वविद्यालय की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सरकार के परामर्श से, निर्धारित किए जाते हैं।

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक सहायकों तथा प्रूफ रीडर के वेतन-मानों के संशोधन के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी रूप रेखाओं का पालन नहीं किया है। इस मामले में आयोग विश्वविद्यालय को लिख चुका है तथा विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर आयोग आगे कार्यवाही करेगा।

समुद्र में उद्यान लगाना

7625. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के तट से दूर समुद्र में उद्यान लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) समुद्र में उद्यान (मैरीन पार्क) लगाने के बारे में निम्नांकित तीन प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं :

(क) मन्नार की खाड़ी।

(ख) कच्छ की खाड़ी में पिरोटिन द्वीप समूह ।

(ग) लक्षद्वीप द्वीप समूह के आस पास समुद्री क्षेत्र ।

वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों के विशेष संदर्भ में इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है । आवश्यकता इस बात की है कि संबंधित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाये तथा विशेष प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय अनुमानों की तैयारी के विषय में कदम उठाये जायें ।

राजस्थान के सभी जिला नगरों को टेलीफोन द्वारा राज्य की राजधानी के साथ मिलाना

7626. **श्री भोखा भाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सभी जिला नगरों को टेलीफोन द्वारा राज्य की राजधानी से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 365 दिनों में से औसतन केवल 200 दिन जिला नगर राज्य की राजधानी से कटे हुए रहते हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में रहने वाले ऐसे व्यक्ति, जो डूंगरपुर जिले के साथ टेलीफोन मिलाना चाहता है, को लगभग पन्द्रह दिन तक वंचित रहना पड़ता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । जयपुर और उदयपुर के लिए दिल्ली से सीधा सर्किट उपलब्ध है । डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्रमशः जयपुर और उदयपुर से जुड़े हुए हैं । फिर भी, कालों को क्रमशः जयपुर और उदयपुर पर पारगमित करनी होती है । पारगमन में कुछ विलंब हो जाता है । पिछली तिमाही में उक्त सभी मांगों पर टेलीफोन सर्किट की क्षमता 90 प्रतिशत से अधिक रही है और सभी अनुभागों में कालों को सफलतापूर्वक लाया जा रहा है । इन क्षेत्रों में टेलीफोन परिपथों के लगातार मानीटरिंग, मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन अनुरक्षण संगठन कार्य कर रहे हैं ।

कृषि पर डी० डी० टी० के अत्यधिक प्रयोग का दुष्प्रभाव

7627. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि उद्देश्यों के लिए इस समय डी० डी० टी० की कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) क्या कृषि में डी० डी० टी० का अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है;

(ग) क्या वैज्ञानिकों द्वारा कृषि में इसके अत्यधिक प्रयोग किये जाने के लिए विकसित देशों और विशेष रूप में भारत को सचेत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1980-81 में देश के कृषि कार्यों के लिए लगभग 6000 मीटरी टन टेकनीकल ग्रेड का डी० डी०टी० उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

(ख) तथा (ग) विज्ञानिकों ने कृषि में डी० डी० टी० के अत्यधिक उपयोग के कारण मानव स्वास्थ्य के खतरे के बारे में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए हैं जो पक्षियों सहित अन्य जीवों पर डी० डी० टी० के प्रभाव के पारिस्थितिक प्रभावों पर आधारित हैं। परिस्थितिकी विज्ञान तथा वन्य प्राणि संरक्षण के क्षेत्र से सम्बन्धित विज्ञानिकों ने पर्यावरण में विशेषकर पक्षियों तथा मछलियों के डी० डी० टी० के निरन्तर संचयन के विरुद्ध चेतावनी दी है। तथापि, अभी तक मानव जीवन पर इसके प्रभाव से सम्बन्धित पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

(घ) भारत में कीटनाशियों की खपत का मौजूदा स्तर बहुत कम है। सभी कीटनाशियों की कुल मिलाकर खपत प्रतिवर्ष लगभग 60,000 मीटरी टन ही है। इसमें से कृषि में उपयोग की जाने वाली डी० डी० टी० तकनीकी ग्रेड का प्रयोग लगभग 10 प्रतिशत है। पंजीयन समिति ने सभी सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के पश्चात ही भारतीय कृषि में डी० डी० टी० का उपयोग करने की अनुमति दी है।

निर्धारित समय के बाद पंजीकृत व्यक्तियों को ओ० वाई० टी०/गैर ओ० वाई० टी० के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन का दिया जाना

7628. **श्री के० लकप्पा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन विभाग ने दिल्ली के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में निर्धारित समय के बाद पंजीकृत व्यक्तियों को उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिनके नाम अभी प्रतीक्षा सूची में हैं, ओ० वाई० टी०/गैर ओ० वाई० टी० श्रेणियों में टेलीफोन कनेक्शन पहले आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन आवंटित करने का प्रस्ताव है जिन्होंने उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिन्हें टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं, निर्धारित समय से पूर्व अपने नाम पंजीकृत कराये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) सामान्यत: प्रतीक्षा सूची में बारी के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोनों की मंजूरी दी जाती है। फिर भी, ओ० वाई० टी० और विशेष श्रेणियों के अन्तर्गत बिना बारी के भी कुछ टेलीफोन मंजूर किए जाते हैं। इस संबंध में श्री एच० एन० नन्जेगौडा द्वारा दिनांक 4-8-1989 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं०-6784 के हमारे उत्तर की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ग) जैसे ही एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध हो जाएगी शेष आवेदक-कर्ताओं को टेलीफोन दे दिये जाएंगे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिलिपि

(क) जी, हां ।

(ख) इस प्रकार की मंजूरियों पर कोई सीमा की पाबंदी नहीं है । चूंकि प्रत्येक मामले का निपटान गुण दोष के आधार पर किया है अतः आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । 1-1-80 से 30-6-80 की इस अवधि के दौरान इन अधिकारियों द्वारा गैर ओ. वाई. टी. श्रेणी में कोई भी बिना नंबर के टेलीफोन मंजूर नहीं किया गया है और अन्य श्रेणियों में टेलीफोन नियमों के अनुसार केवल कुछ मामलों में मंजूरी दी गई थी ।

(ग) महाप्रबंधक को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत प्राथमिकता देने की शक्ति नहीं है । परन्तु वह विशेष परिस्थितियों में ओ. वाई. टी. तथा विशेष श्रेणियों में प्राथमिकता की मंजूरी दे सकता है । इस प्रकार की मंजूरियों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(घ) प्राथमिकता देने संबंधी नियमों का एक सार संलग्न किया जा रहा है :

टेलीफोन आवंटन नियम 1980 का सार

4.1 ओ. वाई. टी. श्रेणी

वरीयता (क) डाक तार महानिदेशालय द्वारा बिना बारी के टेलीफोन की मंजूरी ।

(ख) टेलीफोन सलाहकार समितियों द्वारा बिना बारी के टैलीफोन की मंजूरी ।

गैर ओ. वाई. टी.—विशेष

वरीयता (क) डाक तार महानिदेशालय द्वारा बिना बारी के टेलीफोन की मंजूरी

(ख) टेलीफोन सलाहकार समितियों द्वारा बिना बारी के टेलीफोन की मंजूरी ।

गैर ओ. वाई. टी. सामान्य

वरीयता—डाक तार महानिदेशालय द्वारा बिना बारी के टेलीफोन की मंजूरी ।

4.2 खंडों में आवंटन - जिन स्थानों पर प्रतीक्षा सूची है तथा टेलीफोन समाप्त करने, टेलीफोन काटने तथा टेलीफोनों का अन्तरण करके क्षमता उपलब्ध है तो सर्किल/जिलों के अध्यक्ष उस क्षमता का उपयोग निम्न प्रयोजन से कर सकते हैं :

(i) बगैर नंबर प्राथमिकता पर निदेशालय द्वारा मंजूर किए गए कनेक्शन देने के लिए;

(ii) प्राथमिकता श्रेणी अर्थात ओ. वाई, टी. एस. तथा गैर ओ. वाई. टी. एस. एस. से स्वविवेक द्वारा गुणावगुण के आधार पर कनेक्शन प्रदान करना;

(iii) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की शिफारिशों पर लोकहित में प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने के लिए अपेक्षित ओ. वाई. टी. सामान्य के अन्तर्गत कनेक्शन प्रदान करना।

दिल्ली से डूंगरपुर तथा बांसबाड़ा (राजस्थान) की टेलीफोन लाइनों का कार्यकरण

7629. **श्री भीखा भाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जिला मुख्यालयों की टेलीफोन लाइनें खराब रहती हैं और महीने में एक बार भी टेलीफोन सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता;

(ख) क्या सरकार ने इन टेलीफोन लाइनों के समुचित कार्यकरण पर लगातार नजर रखने के लिये किसी अधिकारी की नियुक्ति की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में इस कार्य के लिये किसी अधिकारी की नियुक्ति करेगी अथवा उसके लिये एक सैल बनायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं। जयपुर तथा उदयपुर को दिल्ली से सीधी परिपथ हैं। डूंगरपुर तथा बांसबाड़ा क्रमशः जयपुर तथा उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कालें क्रमशः जयपुर तथा उदयपुर पर पारगमित करनी होती है। पारगमन में कुछ विलंब हो जाता है। पिछली तिमाही में उक्त सभी मार्गों पर टेलीफोन परिपथों की क्षमता 90% रही है तथा सभी अनुभागों में कालें सफलतापूर्वक लगाई जा रही हैं।

(ख) इन क्षेत्रों में टेलीफोन परिपथों के लगातार मानीटरिंग, मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन अनुरक्षण संगठन कार्य कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों की सप्लाई

7630. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने काम के बदले अनाज योजना के लिये मार्च-मई, 1980 की अवधि के लिये अलग-अलग राज्यों को, राज्यवार, कितना खाद्यान्न आवंटित किया;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये आवंटन के बावजूद, भारतीय खाद्य निगम ने कुछ राज्य सरकारों को खाद्यान्न सप्लाई नहीं किया है जिसके परिणाम-स्वरूप काम के बदले अनाज कार्यक्रम ठप्प हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को तथा खाद्यान्नों को तुरंत सप्लाई करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मार्च से मई, 1980 की अवधि के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को बंटित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) व (ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों में जाती है तथा विभिन्न राज्यों में मौजूदा स्टाक की स्थिति की तुलना में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आवटन पर निर्भर करते हुए, वहां खाद्यान्नों की आवश्यकता हो, वहां खाद्यान्न के पर्याप्त स्टाक रखने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है 1 जून, 1980 के अन्त तक प्रत्येक राज्य को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक में सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-I

मार्च–मई 1980 की अवधि हेतु सामान्य तथा विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए बंटित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण :

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	मार्च–मई 1980 के दौरान बंटित खाद्यान्नों की मात्रा
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	63,000
2.	असम	—
3.	बिहार	1,35,000
4.	गुजरात	12,041
5.	हरियाणा	20,000
6.	हिमाचल प्रदेश	8,000
7.	जम्मू व काश्मीर	10,000
8.	कर्नाटक	24,150
9.	केरल	13,500
10.	मध्य प्रदेश	2,24,000
11.	महाराष्ट्र	40,000
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—
14.	नागालैण्ड	—
15.	उड़ीसा	88,000
16.	पंजाब	6,000
17.	राजस्थान	1,30,000

1	2	3
18.	सिक्किम	500
19.	तमिलनाडु	27,000
20.	त्रिपुरा	5,500
21.	उत्तर प्रदेश	2,45,000
22.	पश्चिम बंगाल	20,000
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	750
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चण्डीगढ़	—
26.	मिजोरम	—
27.	पांडीचेरी	250
	कुल योग :	10,72,691

विवरण-2

1980-81 (अप्रैल–जून) के दौरान प्रत्येक राज्य को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक रूप से सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण :

('000 मीटरी टनों में)

राज्य	चावल	गेहूं	योग
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	15.9	—	15.9
असम	0.2	0.2	0.4
बिहार	15.5	131.6	147.1
हरियाणा	1.7	5.1	6.8
हिमाचल प्रदेश	8.4	8.0	16.4
जम्मू और काश्मीर	1.7	3.1	4.8
कर्नाटक	4.6	0.9	5.5
केरल	9.9	—	9.9

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	50.4	16.5	66.9
महाराष्ट्र	15.5	6.2	21.7
उड़ीसा	69.9	20.3	90.2
पंजाब	18.8	30.7	49.5
राजस्थान	2.6	82.0	84.6
उत्तर प्रदेश	30.1	81.8	111.9
पश्चिम बंगाल	21.9	3 5	25.4
त्रिपुरा	5.3	—	5.3
योग	272.4	389.9	662.3

शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाकघर तथा पी० सी० ओ०

7631. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाकघरों, शाखा डाकघरों तथा पी० सी० ओ० की संख्या उसके साथ लगने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो आंकड़ों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक डाकघर तथा पी. सी. ओ. खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कार्तिक उरांव) : (क) इस बात में सच्चाई नहीं है कि शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उसके साथ लगने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में डाकघरों, उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों की संख्या कम है। तथापि, शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पी० सी० ओ० की संख्या कम है।

(ख) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	डाकघरों की संख्या	पी० सी० ओ० की संख्या
शाहजहांपुर	233	57
पीलीभीत	158	80
शाहबाद	289	60

(ग) जी, हां।

(घ) 1980-81 के दौरान शाहजहां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निम्नलिखित ग्यारह गांवों में डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है :

लधौला, मैंसी, जतौरिया, देवरिया, सरौरा, दिलवाड़पुर, अजीजपुर, सारा अमीपुर, छितेपुर, गोरा रायपुर तथा इंदेपुर।

1980-81 के दौरान शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 17 नए पी० सी० ओ० खोले जाने की योजना है।

मिल्टोन के उत्पादन में मूंगफली के तेल और खली का प्रयोग

7632. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मूंगफली के तेल से मिल्टोन का उत्पादन करने में मूंगफली का तेल अथवा इसकी खली के किस तत्व का प्रयोग किया जा रहा है और इस बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मिल्टोन एक प्रोटीन आइसोलेट 'टोन्ड मिल्क' है, जोकि होल मिल्क में 50-50 के अनुपात में खाने योग्य किस्म की मूंगफली प्रोटीन आइसोलेट को मिलाकर तैयार किया जाता है। संक्षेप में इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है— वसा रहित खाने योग्य किस्म के एक्सपेलर मूंगफली केक या विलायक निस्सारित मूंगफली के आटे से प्रोटीन सालिड निकालना, बाद में लगभग 12 प्रतिशत सालिड वाले पतले घोल में उसका मिश्रम करना। इस प्रोटीन लिकर को समान अनुपात में मानकीकृत दूध में मिलाया जाता है। इसमें बफर साल्ट, विटामिन और खनिज पदार्थ मिलाये जाते हैं और यह पदार्थ समांगीकृत है।

गैर सरकारी चीनी मिलों को अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की अनुमति देना

7633. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गैर-सरकारी चीनी मिलों को अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की अनुमति देकर चीनी के लिये लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) छठी योजना में नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिनांक 4 जुलाई, 1980 के प्रेस नोट के अनुसार छठी योजना में सहकारी/सरकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की वर्तमान नीति जारी रहेगी। तथापि, जिन क्षेत्रों में सहकारी/सरकारी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होंगे, वहां निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

(ख) यदि सहकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों से नई चीनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो सरकार ने उस स्थिति में छठी योजना के लिए चीनी उद्योग की चीनी उत्पादन क्षमता के निर्धारित लक्ष्य के अन्तर को पूरा करने के लिए नई

चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार करने का निर्णय किया था। यह उन क्षेत्रों में, जहां पर गन्ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, गन्ना उत्पादकों के हित में आवश्यक है।

समुद्र तटों पर स्थित नगरों द्वारा समुद्र में मलजल बहाना

7634. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेषज्ञों द्वारा दिये गए इस सुझाव पर विचार कर रही है कि समुद्र पर स्थित नगरों को समुद्र में मलजल बहाने से रोका जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माडर्न बेकरीज द्वारा रोटा कोडा मशीनों की खरीद

7635. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बेकरीज ने प्रत्येक डबल रोटी के रैपर पर लागत छापने हेतु, विभिन्न शाखाओं के लिए तीन-तीन हजार रुपये मूल्य की नई रोटा कोडा मशीनें खरीदी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये मशीनें किन-किन शाखाओं में कब लगाई गई थीं;

(घ) क्या यह सच है कि इन मशीनों ने काम नहीं किया और अब ये कबाड़ के रूप में पड़ी हैं;

(ङ) यदि हां, तो पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि ये मशीनें किन परिस्थितियों में लाई गई थीं; और

(छ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है / किये जाने का विचार है, तो वह क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लि० ने कुल 5514.46 रुपए के मूल्य पर रोटा कोडा मशीनें (स्लाईसिंग और रैपिंग मशीनों पर इस्तेमाल की जाने वाली अटैचमैंट्स) खरीदी थीं, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है :

(1)	विभिन्न प्रकार के फालतू पुर्जों के साथ 3 रोटा कोडा मशीनों के पूर्ण यूनिट्स (स्पेयरज के साथ प्रत्येक 814.50 रुपए के मूल्य पर)	रु० 2443.50
(2)	2 रोटा कोडा पूर्ण यूनिट्स (प्रत्येक 800/- रुपए के मूल्य पर)	रु० 1600.00
(3)	स्टीरियों का मूल्य	रु० 972.00
(4)	बम्बई यूनिट के लिए अतिरिक्त औजारों का मूल्य	रु० 498.96
	जोड़ :	रु० 5514.46

(ख) इनमें से तीन मशीनें सितम्बर, 1975 में और दो मशीनें फरवरी, 1976 में खरीदी गई थीं। इनमें से एक एक मशीन हैदराबाद, बम्बई, चण्डीगढ़ और दो मशीनें दिल्ली यूनिट में लगायी गई थीं। बाद में, दिल्ली के यूनिट से एक मशीन कानपुर के यूनिट को भेज दी गई थी।

(घ) जी, नहीं। इन मशीनों का उनको खरीदने के तुरन्त बाद इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था और मशीनों ने संतोषजनक रूप से कार्य किया है। क्योंकि इन अटैचमैंट्स का नियमित रूप से इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं होता है, ये स्लाइसिंग और रैपिंग मशीनों से अलग पड़ी हुई हैं और जब कभी आवश्यक हो तब इनसे कार्य किया जा सकता है।

(ङ), (च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों को दुग्ध चूर्ण की सप्लाई

7636. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को गत दो वर्षों के दौरान की गई दुग्ध चूर्ण की नियमित सप्लाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य ने उस राज्य को दुग्ध चूर्ण की नियमित सप्लाई की व्यवस्था करने हेतु कोई अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो उस राज्य को दुग्ध चूर्ण की यदि कोई बढ़ी हुई मात्रा दी गई है तो वह कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय डेरी निगम राज्यों के सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के दुग्ध संयंत्रों की स्किम्ड दुग्ध चूर्ण सप्लाई कर रहा है ताकि दुग्ध अधिप्राप्ति और वितरण में होने वाली कमी, (विशेषकर कमी वाले मौसम के दौरान जब दुग्ध उत्पादन में पर्याप्त गिरावट आ जाती है) की पूर्ति की जा सके। गत दो वर्षों के

दौरान विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक/सहकारी दुग्ध संयंत्रों को सप्लाई की गयी स्किम्ड दुग्ध चूर्ण की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ख) जी, हां। उड़ीसा कृषि उद्योग निगम ने भारतीय डेरी निगम से अनुरोध किया था कि केन्द्रीय डेरी, फुलनाखेड़ा, कटक को स्किम्ड दुग्ध चूर्ण आवटित किया जाय।

(ग) भारतीय डेरी निगम ने केन्द्रीय डेरी फुलनाखेड़ा को 1978-79 और 1979-80 के दौरान क्रमशः 3 मीटरी टन और 9 मीटरी टन स्किम्ड दुग्ध चुर्ण सप्लाई किया था।

विवरण

भारतीय डेरी निगम द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के दुग्ध संयंत्रों को सप्लाई की गयी स्किम्ड दुग्ध चूर्ण की मात्रा

(मीटरी टन)

क्र० सं०	राज्य का नाम	सप्लाई की गयी स्किम्ड दुग्ध चूर्ण की मात्रा	
		1978-79	1979-80
1.	आन्ध्र प्रदेश	969	1792
2.	असम	35	20
3.	बिहार	20	53
4.	गुजरात	529	2222
5.	हिमाचल प्रदेश	10	28
6.	हरियाणा	शून्य	569
7.	जम्मू तथा कश्मीर	40	22
8.	केरल	75	212
9.	कर्नाटक	1018	1546
10.	मध्य प्रदेश	145	243
11.	महाराष्ट्र	1988	2382
12.	मेघालय	शून्य	5
13.	उड़ीसा	3	9
14.	राजस्थान	10	50
15.	तमिलनाडु	3351	2404
16.	उत्तर प्रदेश	188	213
17.	पश्चिम बंगाल	6374	6983
18.	अगरतला	30	40

"नाफेड" के माध्यम से प्याज की खरीद

7637. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाफेड" महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों से 60 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या, इस वर्ष बिहार में प्याज की भारी फसल को देखते हुए, सरकार का विचार "नाफेड" के माध्यम से उक्त समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदने की योजना क्रियान्वित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) नेफेड मूल्य समर्थन कार्यकलापों के अन्तर्गत 45 रुपए से 60 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज की खरीद कर रहा है ।

(ख) तथा (ग) प्याज का अधिक उत्पादन होने तथा उसके मूल्य में तेजी से गिरावट आने के कारण महाराष्ट्र में नेफेड ने प्याज की खरीद शुरू की थी । बिहार में परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि वहां नेफेड को खरीद शुरू करनी पड़े ।

केरल में नारियल के पेड़ों के लिए उर्वरक

7638. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा केरल राज्य में नारियल के पेड़ों के विकास के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और उस हेतु राज्य सरकार को क्या सहायता दी गयी है,

(ख) क्या नारियल के पेड़ की वृद्धि के लिए अपेक्षित पोषक तत्वों का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रणाली तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) नारियल के लिए उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय नारियल तथा सुपारी सुधार सम्बन्धी समन्वित परियोजना के अन्तर्गत केरल आदि, नारियल उगाने वाले विभिन्न राज्यों में उर्वरक सम्बन्धी अनेक परीक्षण किए गए हैं। नारियल के विकास, रेशों के पोषक स्तर तथा नारियल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर उर्वरकों की पोषकता का मूल्यांकन किया जाता है तथा उर्वरक की इष्टतम मात्रा के बारे में उपयुक्त सिफारिशें की जाती हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उर्वरक परीक्षणों का आयोजन करने के लिए केरल कृषि विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसके आधार पर उर्वरक सम्बन्धी

आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है । यह लागत परिषद तथा विश्वविद्यालय के बीच 3:1 के अनुपात में वहन की जाती है ।

(ख) तथा (ग) नारियल के वृक्ष की बढ़वार के लिए अपेक्षित पोषक तत्वों का पता लगाने के लिए सामान्यतः दो पद्धतियों में लाई जाती हैं । जिनमें एक मुदा विश्लेषण पद्धति तथा दूसरी रेशों का विश्लेषण करने की पद्धति है । भारत में नारियल के वृक्षों के लिए उर्वरक संबंधी आवश्यकता निर्धारित करने के लिए मुदा विश्लेषण पद्धति प्रयोग में लाई जाती है ।

सहकारिता के बजट प्रावधान में कमी

7639. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के बजट में "सहकारिता" शीर्षक के अन्तर्गत मूल बजट प्राक्कलन और संशोधित बजट के बीच 7,26,48,000 रुपए की कमी का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सहकारी उर्वरक कारखानों में कम पूंजी निवेश से देश में उर्वरक उत्पादन पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है ।

(ख) संदर्भित बजट प्रावधान नव गठित सहकारी उर्वरक परियोजना के संबंध में 1979-80 के दौरान होने वाले संभावित खर्चे के संदर्भ में किया गया था । फैक्टरी में उत्पादन 1984-85 से होने की सम्भावना है । वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि 1978-80 के दौरान हुए कम खर्चे से उर्वरकों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम	1979-80 के बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में वृद्धि (+)	1979-80 के बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में कमी (—)
1	2	3	4
1.	शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण		19.98
2.	अन्य सहकारिताएं		547.00
3.	राष्ट्रीय सहकारिता फेडरेशन को सहायता		1.50

1	2	3	4
4.	राज्यों की ऋण सहकारिताओं को गैर-योजना अनुदान	80.00	—
5.	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (ऋण सहकारिता) के लिए अनुदान	562.50	—
6.	सहकारी उर्वरक फैक्टरियों में निवेश		500.00
7.	भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्रों में निवेश		800.00
8.	नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड (नैफेड) को सहायता		6.00
9.	सहकारी चीनी मिलों में शेयर पूंजी लगाने के लिए ऋण	165.00	
10.	सहकारी कताई मिलों में शेयर पूंजी लगाने के लिए ऋण		25.00
11.	भण्डारण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण	275.00	
12.	राज्य सरकारों (सहकारी समितियों) को ऋणतथा अग्रिम राशि		100.00
13.	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों (ऋण सहकारिताओं) के लिए ऋण	187.50	
		(+) 1270.00	(—) 1999.48
	शुद्ध कमी		(—) 729.48 लाख रु०

"नेफेड" को दी गई सहायता

7640. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेफेड" को विभिन्न कार्य मदों के लिए वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता की मदवार राशि कितनी है; और

(ख) उक्त वर्षों में "नेफेड" को प्रति वर्ष कितनी हानि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) नेफेड को वर्ष 1977-78 तथा 1979-80 के सहकारिता वर्ष के दौरान अपने समूचे कारोबार में कोई हानि नहीं हुई । वर्ष 1979-80 के लिए लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है तथा लेखा परीक्षा की जानी है ।

विवरण

(लाख रुपए)

वित्तीय सहायता की मदें	1977-78	1978-79	1979-80
1. सरकार द्वारा दी गई सहायता :			
क. अंडे तथा कुक्कुट पालन :			
(क) शेयर पूंजी योगदान	11.00	—	7.00
(ख) ऋण	—	12.00	7.50
(ग) प्रबंधकीय राज सहायता	—	0.75	0.75
(घ) जोखिम निधि के लिए योगदान	—	0.75	0.75
(ङ) प्रचार तथा संवर्धन संबंधी कार्य-कलापों के लिए राज सहायता	—	0.75	0.75
ख. तम्बाकू :			
(क) समर्थन मूल्यों के तहत तम्बाकू की खरीद के लिए अल्पकालीन ऋण	—	150.00	—
ग. जर्सी :			
हानियों की पूर्ति के लिए संवितरण			
(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा	—	17.50	—
(2) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा	—	5.892	—
घ. अदरक :			
हानियों की पूर्ति करने के लिए संवितरण	—	40.00	—

ङ.	मूंगफली का तेल :			
	हानियों की पूर्ति के लिए संवितरण	—	—	200.00
च.	प्याज :			
	(क) अल्पकालीन ऋण	—	—	400.00
	(ख) मूल्य समर्थन कार्यों में योगदान प्याज की खरीद के लिए आरक्षित निधि	—	—	321.00
	कुल योग	11.00	227.642	937.75
2.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा दी गई सहायता :			
क.	विपणन कार्यों के लिए सीमांत धनराशि का ऋण	10.30	105.00	112.00
ख.	गोदामों के निर्माण के लिए ऋण	—	29.94	1.55
ग.	परिसंस्करण एककों की स्थापना के लिए ऋण	4.93	14.00	11.94
घ.	तकनीकी तथा संवर्धनात्मक कक्ष के लिए राजसहायता	0.30	0.25	0.20
	कुल योग	15.53	149.19	125.69
3.	दी गई कुल वित्तीय सहायता :			
क.	सरकारी	11.00	227.642	937.75
ख.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	15.53	149.190	125.69
	कुल योग	26.53	376.832	1063.44

केरल के लिए आवास नीति

7641. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के लिए अक्तूबर, 1979 में आयोजित अखिल भारतीय आवास बोर्ड सम्मेलन द्वारा सिफारिश किये गये रूप में आवास नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के आकार और महत्व को ध्यान में रखते हुए मकान निर्माण कार्यक्रम को शुरू करने के लिये राज्य सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता और प्रोत्साहन का तरीका क्या है; और

(ग) क्या जीवन बीमा जैसी वित्तीय संस्थायें केरल राज्य में आवास योजनाओं के लिए मध्यम आय और कम आय वर्ग के लिये पर्याप्त धनराशि दे रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1979 में त्रिवेन्द्रम में आयोजित अखिल भारतीय आवास बोर्ड सम्मेलन ने केरल राज्य के लिए किसी विशिष्ट आवास नीति की सिफारिश नहीं की थी। समग्र रूप से देश के लिए आवास बोर्डों के कार्यकलाप के अतिरिक्त, इस सम्मेलन ने भी देश की आवास समस्याओं के पृथक-पृथक पहलुओं पर सिफारिशें की थीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और आवास तथा नगर विकास निगम वित्तीय रूप से व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ आवासीय योजनाओं के लिए राज्यों की निष्पादन करने वाले अभिकरणों को ऋण सहायता देते हैं जो कि अलग-अलग आय श्रेणियों की हो सकती है।

केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 1980 के अन्त तक जीवन बीमा निगम से 14.79 करोड़ रुपये और सामान्य बीमा निगम से 1.20 करोड़ रुपये के ऋण का नियतन किया है। आवास तथा नगर विकास निगम ने जून, 1980 के अन्त तक केरल राज्य को 27.56 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता की है।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम

7642. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस आशय का पत्र भेजा है कि वे इस वर्ष के अन्त तक शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लें;

(ख) यदि हाँ, तो यह पत्र किन-किन राज्यों को भेजा गया है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जिन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग) जैसा कि संलग्न विवरण में है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) असम, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश ।

बाद में, नवम्बर, 1979 में सरकार ने नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के कार्य-कलाप की जांच करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया । ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कि राज्य सरकारों के परामर्श से प्रक्रियाधीन है ।

विवरण

भारत सरकार ने निम्नलिखित राज्यों को पत्र जारी किये :

1. आन्ध्र प्रदेश ।
2. असम ।
3. बिहार ।
4. गुजरात ।
5. कर्नाटक ।
6. महाराष्ट्र ।
7. मध्य प्रदेश ।
8. उड़ीसा ।
9. पंजाब ।
10. राजस्थान ।
11. उत्तर प्रदेश ।
12. पश्चिमी बंगाल ।

संघ राज्य क्षेत्र

1. चण्डीगढ़ प्रशासन ।
2. दिल्ली ।
3. पाण्डिचेरी ।

राजस्थान के अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उत्तर भेजे थे ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

7643. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने जुलाई, 1980 के प्रथम सप्ताह में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी और कुलपति के समक्ष प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) हड़ताल, अप्रैल, 1980 में हुई पिछली हड़ताल के दौरान, अनुपस्थिति की आधी अवधि को कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश में बदलने के दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के निर्णय के खिलाफ थी ।

प्रदर्शन, रामलाल आनन्द कालेज के एक दुखी कर्मचारी तथा उसकी पत्नी द्वारा कुलपति के कार्यालय के आगे की गई भूख हड़ताल के समर्थन में किया गया था ।

(ग) अनुपस्थिति की आधी अवधि के अर्जित अवकाश में बदलने का कार्यकारी परिषद का निर्णय अंतिम है । सरकार का इसमें दखल देने का प्रश्न नहीं उठता । रामलाल आनन्द कालेज के कर्मचारियों द्वारा की गई भूख हड़ताल, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, उनके साथियों और रामलाल आनन्द कालेज के प्रिंसिपल के हस्तक्षेप पर, 10 जुलाई, 1980 को समाप्त कर दी गई थी ।

नेत्रहीन व्यक्तियों को छात्रवृत्ति

7644. **श्री के० प्रधानी** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्षम व्यक्तियों को आगे चलकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आरम्भ की गई योजना के अन्तर्गत नेत्रहीन व्यक्तियों को 1978-79 के दौरान कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी छात्रवृत्तियां दिए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वैच्छिक संगठनों को भी कुछ वित्तीय सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1978-79 में 1331 नेत्रहीन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं ।

(ख) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों तथा निर्धारित मानदंडों के पूरा होने पर नेत्रहीन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । इसलिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की कोई ठीक संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के प्रयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देती है ।

(घ) एक विवरण जिसमें वर्ष 1978-79 के लिए राज्यवार बंटवारा दर्शाया गया है संलग्न है ।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 के दौरान दी गई सहायता का राज्यवार बंटवारा

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	धनराशि (रुपये लाखों में)	उन संगठनों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.20	1
2.	असम	0.61	2
3.	गुजरात	18.97	15
4.	हिमाचल प्रदेश	0.94	2
5.	जम्मू और काश्मीर	2.04	2
6.	कर्नाटक	6.98	8
7.	केरल	7.92	8
8.	मध्य प्रदेश	2.34	3
9.	महाराष्ट्र	19.25	22
10.	उड़ीसा	1.30	3
11.	पंजाब	0.40	3
12.	राजस्थान	1.81	3
13.	तमिलनाडु	7.85	17
14.	उत्तर प्रदेश	7.11	12
15.	पश्चिम बंगाल	10.68	11
16.	दिल्ली	7.16	8
	जोड़	95.56	120

राज्य फार्म निगम के अधीन फार्मों की लाभप्रदता

7645. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्य फार्म निगमों के प्रबंधाधीन फार्मों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ख) कितने राज्यों में फार्मों का प्रबंध केन्द्र सरकार अथवा उक्त निगमों द्वारा किया जाता है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में फार्मों के विकास के बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य फार्मों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आदानों और विशेषकर उर्वरक, पी. ओ. एल. तथा कीट-नाशी औषधियों आदि प्रमुख आदानों के व्यय में कमी करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

(2) श्रमिकों से काम लेने के बारे में नियन्त्रणों को कड़ा किया जा रहा है ताकि इस शीर्ष पर होने वाले व्यय को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त हवाई छिड़काव के जरिए उर्वरकों का उपयोग करने, विभिन्न कार्यों के लिए पाक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी निगरानी करने व सभी स्तरों पर चौकसाई की जा रही है।

(3) लाभ न कमाने वाले फार्मों के कार्य निष्पादन के अध्ययन के लिए निगम ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य सरकारों के विशेषज्ञों की समितियां गठित की हैं ताकि निगम उपचारात्मक कदम उठा सके।

(4) इसके अतिरिक्त, बेकार पड़ी उपलब्ध मशीनों एवं उपकरणों को उपयोग करके कस्टम कार्य के आधार पर भूमि विकास से सम्बन्धित परियोजनाएं भी आरम्भ की गई हैं जिससे निगम को अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के तहत अन्य संगठनों को परामर्श सेवा प्रदान करने का कार्य भी आरम्भ किया गया है। इससे भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के लाभ में वृद्धि होगी।

(ख) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड नौ राज्यों में केन्द्रीय राज्य फार्मों के प्रबंध की देखभाल करता है। ये राज्य फार्म हैं, राजस्थान (2), उत्तर प्रदेश (2), पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम तथा मिजोरम (प्रत्येक राज्य में एक-एक)।

(ग) उड़ीसा में कोई फार्म नहीं है और वहां फार्म खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

दाल उत्पादन के लिए नयी प्रौद्योगिकी

7646. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये नई प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे लोकप्रिय बनाने में काफी प्रगति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वह कहां तक सफल रही थी;

(ग) क्या चालू वर्ष में दालों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में देश को दालों का आयात नहीं करना पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) मूंग तथा अरहर की अल्पावधि में तैयार होने वाली किस्मों का विकास किया गया है, जिन्हें बहु-फसली खेती की पद्धति में अतिरिक्त फसल के रूप में पैदा किया जा सकता है। मूंग को गेहूं की कटाई के बाद ग्रीष्म मौसम में परती भूमि में पैदा किया जा सकता है तथा अरहर को रबी मौसम में गेहूं की बुवाई से पूर्व खरीफ मौसम में पैदा किया जा सकता है। गत वर्ष (1979-80) के दौरान ग्रीष्म मौसम में 7 लाख हैक्टयर क्षेत्र में मूंग की अल्पावधि में तैयार होने वाली किस्मों को पैदा किया गया था तथा अरहर की अल्पावधि में तैयार होने वाली किस्मों को लगभग 21,000 हैक्टयर क्षेत्र में पैदा किया गया था।

इसी प्रकार, चावल की कटाई के पश्चात परती पड़े रहने वाली भूमि में मूंग, उड़द तथा लोबिया की अल्पावधि में तैयार होने वाली किस्मों को भी, लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) 1979-80 में दलहन के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, 1978-79 के 121.7 लाख मीटरी टन के स्तर की तुलना में 1979-80 में असामान्य सूखे की स्थिति के कारण उत्पादन मेंकमी होने की सम्भावना है।

(ङ) चालू वर्ष (1980-81) के दौरान दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, ताकि आयात न किया जाए, जोकि हर हालत में मामूली ही हो रहा है।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए योजना परिव्यय

7647. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी० एम० सईद : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 1980-81 के लिये योजना परिव्यय में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 की तुलना में कितना अधिक होगा;

(ग) क्या गत वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ किया गया ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो कितना काम शेष रह गया है तथा इसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(ङ) क्या कर्नाटक में ग्रामीण विकास उतना प्रगतिशील नहीं रहा है जितना अब तक अन्य राज्यों में रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं। 1980-81 के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र हेतु प्रावधान में 1979-80 के दौरान इसी क्षेत्र हेतु किए गए प्रावधान की तुलना में 41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

(ग) व (घ) यद्यपि संयुक्त कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के ग्राम विकास विभाग को अब ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय का नाम दे दिया गया है, फिर भी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के नाम से कोई अलग कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया था। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के चल रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता को दूर करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम तथा लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रम, जो ग्रामीण समाज के कमजोर घटकों के लक्षित वर्ग अर्थात छोटे किसानों, सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की ओर केन्द्रित हैं, कार्यान्वित किए जा रहे हैं। लक्षित वर्ग के चुने गए परिवारों को उपदान और ऋण सुलभ किए जाते हैं, ताकि लाभभोगियों को रोजगार और अतिरिक्त आय सुलभ करने के लिए सम्भाव्य परिसम्पत्तियों और संसाधन प्राप्त हो सकें। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मुख्य बल स्वरोजगार सुलभ कराने पर दिया जाता है। चूंकि हमारे ग्रामीण इलाकों में अधिकांश व्यक्तियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, जिससे कि वे उपर्युक्त दो कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिए ऐसे परिवारों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जो ऐसे परिवारों को मजदूरी रोजगार सुलभ करता है, के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। इसी तरह से, हमारे देश के कुछ इलाके निर्धनता ग्रस्त है, तथा कम वर्षा, सूखा ग्रस्तता आदि के कारण प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं। ऐसे क्षेत्रों में, मंत्रालय के सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध किए गये आधारभूत ढांचे के विकास में निवेश लगाकर ग्राम विकास किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन इलाकों के वातावरण में सुधार लाने, सूखे के प्रभाव को कम करने, निर्धनतम परिवारों की आय तथा उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार करने के लिए निवेश लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण बेरोजगारी तथा दरिद्रता की समस्याओं की मात्रा को देखते हुए ग्रामीण निर्धनता के अल्पावधि में निवारण की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है। इसलिए उपर्युक्त मुख्य ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम को जारी रखना होगा।

(ङ) जी नहीं।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्रों का ब्योरा

7648. **श्री सत्य नारायण जाटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थायी टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिये नगरवार कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) उज्जैन में किस तारीख को नवीनतम टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है; और

(ग) इन विचाराधीन आवेदन पत्रों पर टेलीफोन कनेक्शन कितने समय में दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) मध्य प्रदेश में प्रमुख शहरों में प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) 1-8-1980

(ग) आशा है कि 1982-83 के अन्त तक सभी आवेदकों को उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

विवरण

30 जून 1980 को मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची

शहर	प्रतीक्षा-सूची	शहर	प्रतीक्षा-सूची
भोपाल	839	मंदसौर	12
बिलासपुर	49	मुरैना	कुछ नहीं
		रायगढ़	17
ग्वालियर	214	राजनंदगांव	14
जबलपुर	270	रीवा	40
रायपुर	492	सागर	141
उज्जैन	453	सतना	52
भिलाई	31	सिहोर	2
बहरामपुर	41	स्योनी	कुछ नहीं
छिन्दवाड़ा	43	विदिशा	27
दमोह	कुछ नहीं	भिंड	कुछ नहीं
देवास	55	दुर्ग	24
धन्तरी	कुछ नहीं	कोरबा	कुछ नहीं
होसंगाबाद	कुछ नहीं	नीमच	3
इटारसी	कुछ नहीं	रतलाम	34
जगदलपुर	21	इन्दौर	1830
जओरा	कुछ नहीं		
कटनी	110		
खंडवा	35		
मोह	52		

महाराष्ट्र को केन्द्रीय आवास ऋण

7649. **आर० आर० भोले :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 और 1980 में केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण आवास के लिये कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) वर्ष 1979 और 1980 में बम्बई शहर में आवास के लिये कितनी राशि दी गई हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मकान निर्मित किये गये थे और वर्ष 1979 और 1980 में इनका लक्ष्य क्या था; और

(घ) वर्ष 1979 और 1980 में बम्बई में कितनी इमारतें निर्मित की गईं थीं अथवा उनकी मरम्मत कराई गई थी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) 'आवास' राज्य का विषय है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो उनके किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती। राज्य सरकारें उनके द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार, विभिन्न राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए जिसमें आवास भी शामिल है, निधियों का निर्धारण करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अकेले ग्रामीण आवास के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किया गया था, यह बताना संभव नहीं है। किन्तु आवास तथा नगर विकास निगम ने बम्बई शहर जिसमें न्यू बम्बई भी शामिल है, के लिए निम्नलिखित कई योजनाओं और रिहायशी एककों की स्वीकृति प्रदान की है :

वर्ष	न्यू बम्बई सहित बम्बई शहर		
	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण (करोड़ रु० में)	स्वीकृत रिहायशी (संख्या)
1979-80	5	2.10	1844
1978-79	4	2.26	3861
1977-78	13	10.52	9771

(ग) केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की दो योजनाएं नामतः (i) ग्रामीण आवास प्रोजेक्ट योजना और (ii) ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आवासस्थल तथा झोपड़ी बनाने की व्यवस्था करने की योजना आरम्भ की थी। राज्य सरकार ने पहली अप्रैल, 1969 से ग्रामीण प्रोजेक्ट योजना का कार्यान्वयन समाप्त कर दिया था। 1975-76 से 1979-80 तक के दौरान राज्य सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास-स्थल तथा मकान निर्माण की व्यवस्था करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,58,889 मकान बनाए हैं। 1980-81 का लक्ष्य 42,000 है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि 1979-80 के दौरान 1540 मकान बनाए गए और 665 मकानों की मरम्मत की गई। पुनः निर्माण किया गया।

महाराष्ट्र को 'हुडको' की सहायता

7650. **श्री आर० आर० भोले :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बम्बई नगर में तथा शेष महाराष्ट्र में मकानों का निर्माण करने के लिए 'हुडको' ने कितनी स्कीमों की स्वीकृति और वित्तीय सहायता प्रदान की; और

(ख) इन स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	न्यू बम्बई सहित बम्बई नगर			शेष महाराष्ट्र राज्य		
	स्वीकृत योजनाओं की संख्या (संख्या)	स्वीकृत ऋण (करोड़ रु० में)	स्वीकृत रिहायशी एकक संख्या	स्वीकृत योजनाओं की संख्या (संख्या)	स्वीकृत ऋण (करोड़ रु० में)	स्वीकृत रिहायशी एकक (संख्या)
1979-80	5	2.10	1844	4	0.94	714
1978-79	4	3.26	3861	3	1.28	1628
1977-78	13	10.52	9771	2	1.44	1550

(ख) उधार लेने वाले अभिकरण अपनी प्रगति और संबंधित उधार लेने वाले अभिकरणों द्वारा लिया पूर्व धन खर्च करने के बाद हुडको से उसके द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए निधियां लेते हैं। इस आधार पर हुडको के बनने से 31-3-80 तक उसके द्वारा मंजूर की गई राशि योजनाओं के लिए नयी बम्बई सहित बम्बई शहर में और शेष महाराष्ट्र राज्य में विगत तीन वर्षों में विभिन्न अभिकरणों द्वारा ली गई राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	उधार लेने वाले अभिकरणों द्वारा ली गई राशि	
	नये बम्बई सहित बम्बई शहर में स्वीकृत योजनाओं के लिए	शेष महाराष्ट्र राज्य में मंजूर की गई योजनाओं के लिए
1979-80	3.19	1.36
1978-79	3.52	1.70
1977-78	3.58	1.60

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना का क्षेत्र

7651. श्री जनार्दन पुजारी :

श्री एन० ई० होरो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना का क्षेत्र व्यापक बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आई० वी० आर० डी० की सहायता से खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों के सम्बन्ध में विशेष रूप से कृषि की बारानी दशाओं में स्थान विशिष्ट अनुसंधान चलाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्र अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना प्रारंभ की है । इस प्रायोजना के संबंध में विश्व बैंक के साथ हुए वर्तमान समझौते के अनुसार सहायता केवल कृषि विश्वविद्यालयों तक और दालों और तिलहनों सहित खाद्य फसलों तक भी सीमित है । इस सहायता के लिए मिश्रित खेती के अन्य घटकों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उस पट्टी विशेष में कृषि प्रणाली का कोई अंग बनाते हों ।

विगत एक वर्ष के दौरान इस प्रायोजना को चलाने के अनुभव के आधार पर मिश्रित खेती और फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के लिए विशेष सहायता प्रदान करने हेतु एन० ए० आर० पी० का कार्य क्षेत्र बढ़ाने का एक प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है । इन दो क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालयों के अलावा भा० कृ० अ० प० के कुछ चुने हुए अनुसंधान संस्थानों को भी सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

तथापि, विस्तार करने के ये प्रस्ताव अभी तक विचार किये जाने की अवस्था में हैं और इन पर योजना आयोग और भारत सरकार के अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ आगे चर्चा करने और इनको अन्तिम रूप देने की आवश्यकता है । इसके बाद, पहले समझौते में संशोधन करने के लिए आई० बी० आर० डी० के पास पहुंचा जायेगा ।

टेलीफोन एक्सचेंज रतलाम

7052. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रतलाम नगर में एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र का निर्माण करने के लिए भूमि खरीदी थी;

(ख) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है और इस भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) यह भवन कब तक पूरा हो जाएगा और उस पर कितना व्यय होगा;

(घ) रतलाम नगर में अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं; और

(ङ) क्या रतलाम नगर में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ की जा रही है और यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वचालित एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए भूमि आरक्षित कर ली गई है जिसके लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।

(ग) अगर समय पर एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध हो गए तो भवन के निर्माण की 1984-85 तक अस्थायी तौर पर योजना बनाई गई है । अब भवन पर लगभग 50 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है ।

(घ) 1,133.

(ङ) 1985-86 तक स्वचालित एक्सचेंज के स्थापित किए जाने की अस्थायी तौर पर योजना है ।

झबुआ में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

7653. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झबूआ में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु सहायता की सरकार की एक योजना है। झबुआ में एक होस्टल के संबंध में कहीं से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

डाकघर झबुआ के लिए स्टाफ और भवन

7654.. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झबुआ प्रधान डाकघर के लिये अपेक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था कब तक किये जाने की संभावना है;

(ख) इस डाकघर के लिये नये भवन के निर्माण के लिए क्या प्रबंध किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है और उस पर कार्य कब आरंभ होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) यह डाकघर किराये की इमारत में है जो राज्य सरकार की है। इस इमारत के खरीदे जाने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश सरकार से इस इमारत को डाक-तार विभाग को बेचे जाने के लिये कार्रवाई की गई है। इस डाकघर के लिये विभागीय इमारत के निर्माण हेतु जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर वैकल्पिक उपाय के बतौर कार्यवाही की जा रही है।

दूर संचार लेखा लिपिकों की वरिष्ठता

7655. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सर्कल में दूर संचार लेखा लिपिकों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए लगातार मांग की गई है और की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एक मांग थी, जिसकी जाँच करने के बाद निपटान कर दिया गया है। इस समय कोई मांग अनिर्णीत नहीं हैं।

(ख) महाराष्ट्र सर्कल की दूरसंचार लेखा शाखा में कार्य करने के लिए कुछ समयमान लिपिकों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर बम्बई के तत्कालीन डाक महाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से यह सोचकर की गई थी कि उन्हें दूरसंचार लेखा लिपिकों को अभिरुचि परीक्षा पास करने पर नियमित रूप से लिया जाएगा और उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। डाक महाध्यक्ष ने केवल यही सूचना दी है कि उन्हें भर्ती नियमों के अनुसार कुछ शर्तें पूरी कर लेने पर नियमित दूरसंचार लेखा लिपिक के बतौर खपा लिया जाएगा परन्तु उसमें वरिष्ठता का कोई उल्लेख नहीं है जिसका नियतन वरिष्ठता के संबंध में सामान्य आदेशों के अन्तर्गत किया जाएगा। दूरसंचार लेखा लिपिक संवर्ग में उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उसमें प्रत्येक के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार उनके बीच रोटेशन आधार पर उस वर्ष जिस वर्ष वे उक्त परीक्षा पास करते हैं सीधे भर्ती किए गए लिपिकों के साथ सामान्य नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। उनकी यह मांग कि दूर संचार शाखा में उनको उस दिन से वरीयता दी जाए जिस दिन कि वे नियुक्त किए गए थे। नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं थी, अतः उसको अस्वीकार कर दिया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय में रिक्त पद

7656. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 50 वरिष्ठ शैक्षिक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग ने वाइस-चांसलर से अपील की थी कि इन पदों को 31 मार्च से पहले-पहले भरा जाये अन्यथा वे व्यपगत हो जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ विभागाध्यक्षों ने कुलपति को लिखा था।

तथापि, जो पद मार्च, 1980 से पहले नहीं भरे गए थे, व्यपगत नहीं होंगे, किन्तु बाद में भरे जा सकते हैं।

(ग) अध्यापक पद विश्वविद्यालय द्वारा सांविधिक चयन समितियों के माध्यम से भरे जाते हैं न कि सरकार द्वारा और विज्ञापन तथा चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। विश्वविद्यालय पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रहा है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के छात्रों का निकाला जाना

7657. **डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को, उनके कार्य-निष्पादन का स्तर नीचा होने के कारण संस्थान से निकाल दिये जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे छात्रों के शैक्षिक स्तर को सुधारने तथा उनके निष्कासन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या भारत के सभी भारतीय औद्योगिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के इस पर निष्कासित करने की एक समान नीति है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित, अभी उन सभी छात्रों को, जो निर्धारित शैक्षणिक स्तरों तक नहीं आ पाते, उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए अच्छा अवसर दिया जाता है और अन्त में, एक अन्तिम प्रयास के रूप में नियमों के अनुसार उन्हें संस्था छोड़ने के लिए कहा जाता है।

(ख) विशिष्ट शिक्षण, उपचारात्मक पाठ्यक्रम, कम कार्यभार इत्यादि कुछ ऐसे उपाय हैं, जो उनके शैक्षिक निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए जाते हैं।

(ग) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली नीति एक ही है जो उपयुक्त 'मा' भाग (क) में दी गई है।

बम्बई में डाकघर खोलना

7658. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में (एक) कानजुर गांव, (दो) कानमवार नगर-विखरोली (ईस्ट) तथा (तीन) विखरोली पार्कसाइट में नये डाकघर खोलने के बारे में सरकार की कोई योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराव) : (क) जी हां।

(ख) उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने पर इन तीनों बस्तियों में वितरण डाकघर खोले जा रहे हैं। उपयुक्त निजी स्थान के प्रबंध से संबंधित समझौते का निर्णय होते ही कानजुर गांव में

प्रस्तावित कानजुर मार्ग वितरण डाकघर खोल दिया जाएगा। कानमजार नगर हाउसिंग कालोनी में प्रस्तावित वितरण डाकघर महाराष्ट्र आवास बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये स्थान में खोला जा रहा है। विखरौली पार्कसाइट में प्रस्तावित वितरण डाकघर के लिए उपयुक्त आवास का प्रबंध करने के प्रयास में हम अभी तक सफल नहीं हो पाये हैं।

आई० आई० टी० खड़गपुर डेरी विभाग

7659. **श्री नारायण चौबे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी० खड़गपुर में इस संस्थान के कृषि इंजीनियरी विभाग के अधीन डेरी विभाग था;

(ख) क्या इसे समाप्त करना पड़ा था;

(ग) क्या डेरी विभाग की अनियमितताओं की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त किया गया था;

(घ) क्या आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इस संस्थान के कृषि इंजीनियरी विभाग का एक डेरी फार्म था और जब एक नया जरसी बुल मदर फार्म शुरू किया गया तो इसे बन्द कर दिया गया था।

(ग) जी, हां। पुराने फार्म के पशुओं के चिकित्सा स्वास्थ्य से सम्बन्धित कुछ प्रशासनिक गलतियों की जांच करने के लिए निदेशक द्वारा एक जांच समिति नियुक्त की गई थी।

(घ) इस जांच समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ङ) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता।

खड़गपुर स्थित आई० आई० टी० का अध्यक्ष

7660. **श्री नारायण चौबे** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर स्थित आई० आई० टी० के गवर्नर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष काफी समय से बीमार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खड़गपुर स्थित आई० आई० टी० के लिए एक उपयुक्त अध्यक्ष की नियुक्ति करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्तमान अध्यक्ष जुलाई, 1979, से कभी-कभी अस्वस्थ होते रहे हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान अध्यक्ष को तबदील करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि यह सूचित किया गया है कि वह अपना काम समुचित रूप से कर रहे हैं।

आल इंडिया टेलीफोन इंजीनियरिंग एम्पलाईज यूनियन, त्रिचुरापल्ली की ओर से ज्ञापन

7661. **श्री नारायण चौबे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया इंजीनियरिंग एम्पलाईज यूनियन, त्रिचुरापल्ली की ओर से कुछ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के बारे में दिनांक 9 मार्च, 1980 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या इस मामले में कुछ अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि स्थानान्तरण के बावजूद भी ये अधिकारी साक्ष्य में गड़बड़ी करने के लिए अक्सर तिरूची जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा आरोपों की छान-बीन की जा रही हैं।

(ग) नहीं।

(घ) नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रवेश में कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान

7662. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कालेजों के लिए चालू वित्त वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने अनुदान मंजूर किये गये और कितने कालेजों ने अनुदानों के लिये आवेदन किया;

(ख) गत दो वर्षों में किन-किन कालेजों को अनुदान प्राप्त हो गया तथा किन-किन कालेजों ने अनुदान के लिये आवेदन किया; और

(ग) सरकार विचाराधीन मामलों को कब तक अन्तिम रूप दे देगी ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों को विकास अनुदान योजनागत अवधि के आधार पर संस्वीकृत करता है न कि वर्षानुवर्ष आधार पर। पांचवीं योजना की समाप्ति और छठी योजना को अभी तक अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, इस समय आयोग कालेजों की कोई नई विकास योजनाएं स्वीकृत नहीं कर रहा है। तथापि, आयोग पांचवीं योजना में पहले ही स्वीकृत किए गए कार्य-

क्रमों के संबंध में कालेजों को अनुदान दे रहा है। चालू वर्ष के दौरान आयोग ने 31-7-1980 तक उत्तर प्रदेश के 58 कालेजों को 15.67 लाख रुपयों की राशि के अनुदान दिए।

(ख) जिन कालेजों को पिछले दो वर्षों के दौरान अनुदान दिए गए उनके नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) क्योंकि पांचवीं योजना पहले ही समाप्त हो चुकी है और छठी योजना के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए गए हैं, इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिस पर विचार किया जाना बाकी हो।

विवरण

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम जिसके साथ कालेज सम्बद्ध है	1978-79 और 1979-80 के गत दो वर्षों के दौरान जिन कालेजों ने अनुदान के लिए आवेदन किया है तथा अनुदान प्राप्त किए हैं
1	2	3
1.	आगरा विश्वविद्यालय	1. आगरा कालेज, आगरा।
		2. किसोरी रमण बालिका डिग्री कालेज, मथुरा।
		3. वी० एस० ए० कालेज, मथुरा।
		4. बी० डी० जैन बालिका डिग्री कालेज, आगरा।
		5. डी० एस० कालेज, अलीगढ़।
		6. टीकाराम बालिका डिग्री कालेज, अलीगढ़।
		7. बी० डी० कन्या महाविद्यालय, आगरा।
		8. डी० डी० महिला महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
		9. आर० एस० एस० कालेज, मथुरा।
		10. श्री वरसनेय कालेज, अलीगढ़।
		11. श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, मथुरा।
		12. किसोरी रमण पी० जी० कालेज, मथुरा।
		13. आर० सी० ए० बालिका डिग्री कालेज, आगरा।
		14. नारायण कालेज, शिकोहाबाद।
		15. गंजूनद्वारा कालेज, गंजूनद्वारा।
		16. डी० ई० आई० महिला कालेज, मथुरा।
		17. सेंट जौन कालेज, आगरा।
		18. डी० ई० आई० एण्ड आर० ई० आई० डिग्री कालेज, दयालबाग, आगरा।
		19. पी० सी० बावला कालेज, तथरैई।
		20. जवाहरलाल नेहरू कालेज, ऐटा।

2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1. इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद ।
		2. सी० एम० पी० डिग्री कालेज, इलाहाबाद ।
3.	अवध विश्वविद्यालय	1. जे० एल० एन० मिमोरियल कालेज, बाराबंकी ।
		2. के० एस० साकेत पी० जी० कालेज, फैजाबाद ।
		3. बी० एन० के० वी० डिग्री कालेज, अकबरपुर ।
		4. किसान पी० जी० कालेज, बहराईच ।
4.	गढ़वाल विश्वविद्यालय	1. डी० ए० वी० कालेज, देहरादून ।
		2. एम० के० पी० (पी० जी०) कालेज, देहरादून ।
		3. एस० जी० आर० आर० कालेज, देहरादून ।
5.	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय	1. वी० वी० कालेज, झांसी ।
		2. श्री अग्रसेन महाविद्यालय, मौरानीपुर, झांसी ।
		3. बुन्देलखंड कालेज, झांसी ।
		4. पंडित जे० एल० एन० कालेज, बांदा ।
6.	रुहेलखंड विश्वविद्यालय	1. जी० डी० हिन्दू गर्ल्स कालेज, मुरादाबाद ।
		2. एस० एस० कालेज, शाहजहांपुर ।
		3. एस० एम० कालेज, चंदौसी ।
		4. एस० आर० एस० महिला कालेज, बरेली ।
		5. हिन्दू कालेज, मुरादाबाद ।
		6. आर० एस० एम० डिग्री कालेज, धामपुर ।
		7. कन्या महाविद्यालय डिग्री कालेज, भूर ।
7.	मेरठ विश्वविद्यालय	1. एम० एल० एण्ड जे० एन० के० गर्ल्स कालेज, सहारनपुर ।
		2. एम० एस० कालेज, सहारनपुर ।
		3. डी. जे. कालेज, बड़ौत ।
		4. इरमाइल नेशनल डिग्री कालेज, मेरठ ।
		5. डी० ए० वी० कालेज, बुलन्दशहर ।
		6. एस० डी० कालेज, मुजफ्फरगनर ।
		7. गोचर महाविद्यालय, रामपुर, सहारनपुर ।
		8. के० वी० डिग्री कालेज, मच्छेरा, मेरठ ।
		9. एस० डी० कालेज, गाजियाबाद ।
		10. जे. वी० जैन कालेज, सहारनपुर ।
		11. डी० ए० वी० कालेज, मुजफ्फरनगर ।
		12. एम० एम० कालेज, मोदीनगर ।
		13. आर० जी० गर्ल्स कालेज, मेरठ ।
		14. जे० एस० डिग्री कालेज, सिकन्द्राबाद ।

15. जे० वी० कालेज, बड़ौत ।
16 एस० एस० वी० कालेज, हापुड़ ।
17. सी० सी० एन० डिग्री कालेज, मुजफ्फरनगर ।
18. एस० के० के० जैन डिग्री कालेज, खतौली ।
19. आर० एस० एस० डिग्री कालेज, पिलखुआ ।
20. एल० आर० कालेज, साहीबाबाद ।
21. डी० एन० कालेज, मेरठ ।
22. आर० के० कालेज, शामली ।
23. एम० एम० डिग्री कालेज, खेकड़ा ।
24. ए० पी० के० पी० कालेज, हापुड़ ।
25. आई० पी० डिग्री कालेज, बुलन्दशहर ।
26. के० एल० एम० महाविद्यालय, मेरठ ।
27. किसान डिग्री कालेज, सिम्भोली ।

8. कानपुर विश्वविद्यालय

1. ज्वालादेवी कालेज, कानपुर ।
2. दुर्गानारायण डिग्री कालेज, फतेहगढ़ ।
3. ब्रह्मानन्द डिग्री कालेज, कानपुर ।
4. सी० एस० नेहरू कालेज, हरदोई ।
5. दयानन्द गर्ल्स डिग्री कालेज, कानपुर ।
6. जनता महाविद्यालय, इटावा ।
7. तिलक डिग्री कालेज, इटावा ।
8. आर० एम० पी० डिग्री कालेज, सीतापुर ।
9. के० बी० आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद ।
10. जी० एन० गर्ल्स डिग्री कालेज, सुन्दरनगर ।
11. पी० पी० एन० कालेज, कानपुर ।
12. केन ग्रोवर्स नेहरू डिग्री कालेज, लखीमपुर, खेरी ।
13. यू० एस० एस० डी० कालेज, कानपुर ।
14. ईश्वर सरन डिग्री कालेज, इलाहाबाद ।
15. वी० एस० मेहता कालेज आफ साइंस, भावेरी ।
16. श्री नारायण गर्ल्स डिग्री कालेज, उन्नाव ।
17. डी० बी० एस० कालेज, कानपुर ।
18. क्राईस्ट चर्च कालेज, कानपुर ।
19. युवराज दत्त कालेज, लखीमपुर, खेरी ।
20. भगवान दीन आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज, लखीमपुर खेरी ।

9. कुमाऊं विश्वविद्यालय

1. राजकीय पी० जी० कालेज, पिथोरागढ़ ।

10. गोरखपुर विश्वविद्यालय	1. लाल बहादुर शास्त्री स्मारक डिग्री कालेज, आनन्द-नगर।
	2. नेशनल डिग्री कालेज, बरहालगंज।
	3. रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी (बस्ती)।
	4. मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपररानी।
	5. श्री दुर्गाजी महाविद्यालय, चंदेश्वर।
	6. उदय प्रताप कालेज. वाराणसी।
	7. डी० ए० वी० कालेज, आजमगढ़।
	8. वी० आर० डी० पोस्टग्रेजुएट कालेज, देवरिया।
	9. के० एन० राजकीय कालेज, ज्ञानपुर।
	10. सेंट अन्ड्यूज कालेज, गोरखपुर।
	11. जनता डिग्री कालेज, रानीपुर, आजमगढ़।
	12. श्री गांधी डिग्री कालेज, मलतड़ी, आजमगढ़।
	13. संत बिनोवा डिग्री कालेज, देवरिया।
	14. श्री बजरंग महाविद्यालय, सिकन्दरपुर बलिया।
	15. सर्वोदय डिग्री कालेज, घोषी, आजमगढ़।
	16. हीरालाल रामनिवास डिग्री कालेज, बस्ती।
	17. बुद्ध डिग्री कालेज देवरिया।
	18. डिग्री कालेज, गाजीपुर।
	19. बी० वी० डिग्री कालेज, नौगढ़, बस्ती।
	20. डी० सी० एस० के० डिग्री कालेज, आजमगढ़।
	21. एस० डी० डिग्री कालेज, देवरिया।
	22. अग्रसेन महिला कालेज, आजमगढ़।
	23. सतीश चन्द्र कालेज, बलिया।
	24. लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, मुगलसराय।
	25. एस० बी० डिग्री कालेज, वाराणसी।
	26. गांधी शताब्दी स्मारक कालेज, आजमगढ़।
	27. एच० सी० डिग्री कालेज, वाराणसी।
	28. डी० एन० डिग्री कालेज, गोरखपुर।
	29. ए० पी० एन० डिग्री कालेज, बस्ती।
	30. एस० एस० डिग्री कालेज, आजमगढ़।
	31. यू० एन० पोस्टग्रेजूएट कालेज, देवरिया।
	32. कूवा महाविद्यालय, नवादा, आजमगढ़।
	33. एस० एस० एस० विद्यापीठ डिग्री कालेज, गाजीपुर।

34. एस० एम० आर० डी० महाविद्यालय, गाजीपुर।
35. डी० आर० डी० बी० डी० डिग्री कालेज, देवरिया।
36. गुलाब देवी महिला महाविद्यालय,
37. बापू डिग्री कालेज, गोरखपुर।
38. तिलकधारी कालेज, जौनपुर।
39. एस० जी० एस० महाविद्यालय, आजमगढ़।
40. के० बी० पोस्टग्रेजुएट कालेज, मिर्जापुर।
41. मर्यादा पुरुषोत्तम डिग्री कालेज, बलिया।
42. शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़।
43. श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कालेज, बलिया।
44. शिवपत्ती डिग्री कालेज, आजमगढ़।
45. आर० एस० के० डी० डिग्री कालेज जौनपुर।
46. महाविद्यालय, दूबे छपड़ा, बलिया।
47. सहकारी डिग्री कालेज, जौनपुर।
48. किसान डिग्री कालेज, बस्ती।
49. गांधी स्मारक डिग्री कालेज, जौनपुर।
50. महाविद्यालय, उनवल, गोरखपुर।

11. लखनऊ विश्वविद्यालय

1. केरामत हुसैन गर्ल्स कालेज, लखनऊ।
2. इसाबेला जझोवूर्न कालेज, लखनऊ।
3. जयनारायण डिग्री कालेज, लखनऊ।
4. अवध डिग्री कालेज, लखनऊ।
5. डी० ए० वी० डिग्री कालेज, लखनऊ।
6. महिला महाविद्यालय, लखनऊ।
7. बी० एस० एन० वी० डिग्री कालेज, लखनऊ।
8. नारी शिक्षा निकेतन कालेज, लखनऊ।
9. शियारजा कालेज, लखनऊ।
10. लखनऊ क्रश्चियन कालेज, लखनऊ।

शाहजहांपुर, बरेली, नैनीताल और लखनऊ से अन्य नगरों के लिये एस० टी० डी० सेवा

7663. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहजहांपुर, बरेली, नैनीताल और लखनऊ के साथ कितने नगर एस. टी. डी. सुविधा से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त नगरों में एस. टी. डी. सुविधा का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) :

(क) (i) शाहजहांपुर 1

(ii) बरेली 2

(iii) नैनीताल शून्य

(iv) लखनऊ 9

(ख) जी, हां ।

(ग) शाहजहांपुर, बरेली तथा लखनऊ को देश के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज जालकार्य से जोड़ा जा रहा है तथा नैनीताल को इस जालकार्य से जोड़े जाने की आशा है । इस प्रकार चारों शहर देश के अधिकांश शहरों के साथ एस. टी. डी. के जरिए जुड़ जाएंगे ।

प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त होने वाले क्षेत्र और राहत

7664. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :**

श्री बाला साहित विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां सूखा, बाढ़, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के हर वर्ष अथवा हर दूसरे वर्ष होने के कारण फसलों को इतनी अधिक क्षति पहुंची है कि इसके परिणामस्वरूप कृषकों को ऋण वापस करने की क्षमता समाप्त हो गई है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने फसलों की क्षति के कारण किसानों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए और किसानों एवं उनके परिवारों को जीवित रखने के लिए राहत के क्या कदम उठाये हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश में चीनी कारखानों के लिए लाइसेंस

7665. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में चीनी कारखानों के लिए लाइसेंस देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन किन से प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस देने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं दिया

गया है। तथापि, मेडक जिले के लोगों की ओर से श्री के० नरसिंह राव द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें मेडक में एक सहकारी चीनी फैक्ट्री लगाने के लिए अनुरोध किया गया था।

(ग) राज्य सरकार के माध्यम से औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

जस्तीकृत तार की कमी

7666. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जस्तीकृत (गेल्वेसाइज्ड) तार की कमी है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तार का देश में निर्माण आरम्भ करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) थोड़ी मात्रा में फाइन गेज तारों सहित विशेष एवं परिष्कृत गेज तारों को छोड़कर कुल मिलाकर जस्तीकृत (नेल्वेनाइज्ड) तारों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने तार खींचने वाली मौजूदा यूनिटों को सभी श्रेणियों के तारों के उत्पादन में परिवर्तन करने की अनुमति दे रखी है।

आंध्र प्रदेश में टेलेक्स केन्द्र

7667. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में कितने टेलेक्स केन्द्र आरम्भ किए जायेंगे; और

(ख) उनको किन स्थानों पर आरम्भ किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) अगर सम्पूर्ण उपस्कर प्राप्त हो जाता है तो कर्नूल में 1980-81 के दौरान एक टेलेक्स एक्सचेंज की स्थापना किए जाने की संभावना है।

गुजरात में ग्रामीण तथा नगरीय टेलीफोन कनेक्शन

7668. **श्री मोहनलाल एल० पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने फरवरी, 1980 से अब तक, गुजरात के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के प्रत्येक जिलों में ग्राम्य क्षेत्रों में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये; और

(ग) वर्ष 1980,1981-तथा 1982 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है तथा वे किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में दिये जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और अधिक टेलीफोन कनेक्शनों को उपलब्ध कराने के लिए गुजरात के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उक्त अवधि के दौरान बहुत से टेलीफोन एक्सचेंजों को खोला गया तथा उनका विस्तार किया गया है। 1-2-1980 से 30-4-1980 की तिमाही के दौरान गुजरात में 9356 टेलीफोन कनेक्शन जोड़े गए हैं

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के जोड़े गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या संलग्न विवरण में दी जा रही है ।

(ग) अगले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान गुजरात के प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़े जाने वाले संभावित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

गुजरात सर्किल में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन

	तीन वर्षों (1977-88) के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में लगाए नए टेलीफोन कनेक्शन	निम्न वर्ष के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले संभावित टेलीफोन कनेक्शन			तीन वर्षों (00-83) का कुल योग
		1980-81	198:-82	1982-83	
1. अहमदावाद	599	350	360	375	1085
2. गांधीनगर	20	20	25	40	85
3. साबरकंठा	2092	230	265	235	730
4. अहवा	17	2	7	7	16
5. अमरेली	300	50	55	60.	165
6. बनसकांठा	877	300	250	300	850
7. बड़ौदा	486	170	260	300	730
8. गोधरा	328	243	250	195	688
9. भवड़ौच	288	160	250	200	610
10. भावनगर	491	300	427	419	1146
11. जामनगर	310	150	170	200	520
12. जूनागढ़	67	60	85	110	255
13. खेड़ा	289	125	150	200	475
14. कच्छ	588	40	100	150	290
15. मेहसाना	1246	492	687	555	1734
16. राजकोट	766	216	225	224	665
17. सूरत	412	66	141	185	392
18. सुरेन्द्रनगर	113	96	53	60	209
19. बलसाद	599	83	152	164	399
योग :	9888	3153	3912	3979	11044

छात्रों द्वारा औषधियों के प्रयोग के बारे में संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण

7669. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने कालेज के छात्रों द्वारा नशीले पेयों और स्वापक औषधियों के प्रयोग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्व संस्था द्वारा अब तक ऐसे कितने सर्वेक्षण किये गए हैं और उन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप क्या निष्कर्ष निकाले गए ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि भारत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गए ऐसे सर्वेक्षण के सम्बंध में मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है फिर भी इसने कालेज के छात्रों द्वारा स्वापक औषधियों के प्रयोग से सम्बंधित सात अध्ययन प्रायोजित किए हैं। इन अध्ययनों से निकाले गए मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में सूचीवद्ध किए गए हैं।

विवरण

अनुसंधान अध्ययन से निकाले गए मुख्य निष्कर्ष

1. छात्रों की बहुत बड़ी प्रतिशतता किसी भी नशीली औषधि का, जिन में तम्बाकू, एल्कोहल और पीड़ा दूर करने वाली औषधियां शामिल हैं, प्रयोग नहीं करती थी।
2. अधिकतर छात्र प्रयोगात्मक रूप से नशीली औषधियां लेते थे।
3. केन्नाबिस, एल० एस० डी०, पेन किलर्स, अफीम इत्यादि को लेने वालों की संख्या बहुत कम थी।
4. एल्कोहल और तम्बाकू का ही सामान्यतया अधिकतम दुरुपयोग होता था।
5. लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में औषधियों का दुरुपयोग अधिक सामान्य था।
6. औषधियों का दुरुपयोग उन छात्रों में अधिक था जिन की शहरी पृष्ठभूमि थी, जो ऊंची आय वर्ग के परिवारों से सम्बंधित थे, सैनिक/पब्लिक/कान्वेन्ट स्कूलों में पढ़े थे, कालेजों के छात्रावासों में रहते थे तथा मैडिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते थे।

नगरों में सार्वजनिक टेलेक्स सेवाएं

7670. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी नगरों में सार्वजनिक टेलेक्स सेवाएं उपलब्ध हैं जहां टेलेक्स सेवा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या छोटे निर्यातकों और अन्य संगठनों की आवश्यकता को देखते हुए जो कम समय

में अपने व्यापारिक कार्यों को बढ़ाने के लिये टेलेक्स सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, सरकार का विचार ऐसे नगरों में इसकी सुविधाएं उपलब्ध करने का है जहां यह उपलब्ध नहीं हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) कम प्रत्याशित यातायात और सुविधा लाभकारी न होने के कारण।

(ग) जहां टेलेक्स एक्सचेंज नहीं हैं वहां पर अब टेलेक्स सुविधाएं उत्तरोत्तर प्रदान की जाएंगीं बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों तथा शर्त यह भी है कि प्रयोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये उस स्थान के आवेदकों की संख्या से न्यूनतम आवश्यकता पूरी होती हो।

उड़ीसा में टेलीफोन सुविधा के अन्तर्गत शामिल किए गए गांवों की प्रतिशतता और टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र

7671. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन सुविधा के अन्तर्गत शामिल किये गये उड़ीसा के गांवों की प्रतिशतता अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए उड़ीसा के गांवों में जिलावार, विभिन्न श्रेणियों की क्या प्रतीक्षा सूची है; और

(ङ) नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए यह मांग कब तक पूरी हो जाने की संभाएना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) उड़ीसा के ऐसे गांवों की प्रतिशतता जहां टेलीफोन सेवा उपलब्ध है, जहां एक ओर कुछ राज्यों से कम है वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों से अधिक भी है।

(ख) उड़ीसा के 1.19 प्रतिशत राज्यों में टेलीफोन सेवा उपलब्ध है।

(ग) टेलीफोन सेवा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की प्रतिशतता सभी राज्यों में समान रखने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है, समूचे देश में यह सुविधा प्रदान करने के लिए समान मानदंड अपनाए जा रहे हैं।

(घ) उड़ीसा के ग्रामीण एक्सचेंजों की जिलावार प्रतीक्षा सूची विवरण में दी गई है। प्रतीक्षा सूची में कुल 85 आवेदक हैं तथा ये सब गैर ओ. वाई. टी. सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(ङ) ग्रामीण एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि बहुत कम है। लंबी दूरी के कनेक्शनों के कुछ विशिष्ट मामलों को अपवाद स्वरूप छोड़कर मांगें प्रति प्राप्त होते ही टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाते हैं।

विवरण

उड़ीसा के विभिन्न जिलों में ग्रामीण एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों की तारीख 1.7.80 को प्रतीक्षा सूची :

क्र. सं.	जिला	प्रतीक्षा सूची
1.	बालासौर	2
2.	बोलंगीर	1
3.	कटक	19
4.	धेनकनाल	19
5.	गंजम	1
6.	कालाहंडी	—
7.	क्योंझर	—
8.	कोरापुट	2
9.	मयूरभंज	—
10.	फूलबनी	—
11.	पुरी	23
12.	सांभलपुर	12
13.	सुन्दरगढ़	6
	योग :	85

उड़ीसा में नलकूपों के लिए रिग

7672. श्री चिन्तामणि जेना : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि समस्याग्रस्त और सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में नलकूप खोलने के लिए राज्य को और अधिक रिग (रिग्स) आवंटित किए जाएं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने केन्द्र से कितने रिगों के लिए अनुरोध किया है और जुलाई, 1980 तक उनमें से कितने रिग भेजे जा चुके हैं;

(ग) इन रिगों को समय पर भेजने में विलम्ब के क्या कारण हैं और मांगे गये रिग भेजे जा सकने की संभावित तारीख क्या है;

(घ) क्या रिगों की सप्लाई न किए जाने के कारण, उड़ीसा में समस्याग्रस्त तथा सूखा पीड़ित गांवों में सैकड़ों नलकूप नीचे नहीं बैठाए जा सके; और

(ङ) ऐसे कितने स्थान हैं और भविष्य में इस तरह की अड़चनों को दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने राज्य के कठोर चट्टानी क्षेत्रों में ट्यूब वैल्स को लगाने के लिए 25 डी० टी० एच० (डाउन द होल हैमर रिग्स) के लिए नम्बर, 1979 में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। तथापि, 26-12-1979 को हुई सरकारी बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया था कि राज्य को केवल 10 रिग चाहिए। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को मांग पेश करने का अनुरोध किया था। लेकिन राज्य सरकार ने केवल 4 रिगों के लिये मांग पत्र दिया और वह भी 28 मार्च, 1980 को।

जुलाई, 1980 के अन्त तक 10 रिग भेजे गये और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय सहित विभिन्न संसाधनों से राज्य सरकार को उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त उड़ीसा राज्य को 6 और रिग देने का प्रस्ताव है।

(ग), (घ) और (ङ.) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार की तरफ से राज्य सरकार द्वारा मांगे गए 10 रिगों की सप्लाई करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

पशुओं के लिये रोग-मुक्त क्षेत्र

7673. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कृषि क्षेत्र में पशुओं के लिए रोगमुक्त क्षेत्र बनाने हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। खाद्य तथा कृषि संगठन भारत के कृषि क्षेत्र में पशुओं के लिए रोगमुक्त क्षेत्र बनाने के बारे में कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तथापि, 1975 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य तथा कृषि संगठन के एक क्षेत्रीय पशुधन सर्वेक्षण दल ने भारत में पशुधन विकास का एक व्यापक सर्वेक्षण किया था। इसमें अन्य पहलुओं के साथ-साथ रोगमुक्त क्षेत्रों की स्थापना के लिए पशु-रोग नियंत्रण के उपायों में सुधार लाने के बारे में अध्ययन किया गया। दल की रिपोर्ट में भारत में रोगमुक्त क्षेत्र के विकास की सम्भाव्यता के बारे में बताया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि शुरूआत के तौर पर ऐसा रोगमुक्त क्षेत्र देश के दूरवर्ती दक्षिणी छोर में बनाया जा सकता है जिसका विस्तार धीरे-धीरे निकटवर्ती क्षेत्रों में करके सारे देश को इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है।

विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना

7674· **श्री चिंतामणि जेना :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र द्वारा प्रयोजन समेकित शिक्षा की योजना के क्रियान्वित करने को सहमत हो गये हैं जिसके अधीन विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देने की बात कही गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 1979 तक भारत सरकार ने इस योजना की पूरी लागत को व्यय किया था तथा निम्नलिखित राज्य सरकारों ने इसे कार्यान्वित करना स्वीकार किया था :

1. आन्ध्र प्रदेश,
2. हरियाणा,
3. हिमाचल प्रदेश,
4. केरल,
5. महाराष्ट्र,
6. मणिपुर,
7. उड़ीसा,
8. राजस्थान,
9. तमिलनाडु,
10. उत्तर प्रदेश,
11. पश्चिम बंगाल,
12. दिल्ली,

1 अप्रैल, 1979 से भारत सरकार का अंशदान खर्च का 50 प्रतिशत तक था। केवल निम्नलिखित राज्य सरकारों ने सहायता ढंग के आधार पर योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनी सहमति सूचित की है :

1. आन्ध्र प्रदेश,
2. केरल,
3. महाराष्ट्र,
4. मणिपुर,
5. उड़ीसा,
6. तमिलनाडु,
7. दिल्ली,

औद्योगिक वस्तुओं एवं कृषि उत्पादों के बीच मूल्य समानता

7675. **श्री भोगेन्द्रमल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : औद्योगिक वस्तुओं और कृषि उत्पादों के मूल्य में समानता बनाये रखने तथा प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल्यों तथा वास्तविक उत्पादकों से लिए जाने वाले मूल्य के बीच अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : सरकार द्वारा कृषि जिन्सों की अधिप्राप्ति समर्थन मूल्यों की घोषणा राज्य सरकारों से परामर्श करके तथा कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की समूची आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में सन्तुलित एवं समेकित मूल्य संरचना तैयार करना तथा उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों का समुचित ध्यान देना होता है, पर विचार करने के बाद की जाती है। कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों का अभी हाल में ही संशोधन किया गया है ताकि कृषि एवं गैर-कृषि उत्पादों के परस्पर व्यापार सम्बन्धों की अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने के लिए विचार किया जा सके। आयोग को मूल्यों की बदलती हुई स्थिति की संवीक्षा करनी होती है और आवश्यकता पड़ने पर समग्र मूल्य नीति के ढांचे में उपयुक्त सिफारिशें करनी होती हैं। कृषि मूल्य आयोग मूल्य समानता के निर्धारण की जटिलताओं से अवगत है तथा संशोधित विचाराधीन-विषयों के संदर्भ में आकलिक मूल्यों की सिफारिश करते समय वह इन प्रश्नों को ध्यान में रखेगा।

भारतीय खान विद्यालय के निदेशक के बंगले पर किया गया व्यय

7676. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान विद्यालय के निदेशक के बंगले पर 1972 से लेकर अब तक मरम्मत, जीर्णोद्धार, सजावट, विस्तार आदि पर विशाल धन राशि खर्च की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस विशाल और विलासतापूर्ण व्यय के कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह नियमों के अन्तर्गत दिया जा सकता है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं। कोई अनावश्यक और फिजूलखर्ची का व्यय नहीं किया गया है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खान विद्यालय के निदेशक का दौरे पर रहना

7677. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान विद्यालय का वर्तमान निदेशक एक महीने में औसतन 15 दिन दौरे पर रहता है;

(ख) निदेशक ने गत एक वर्ष के दौरान यात्रा–भत्ता और दैनिक भत्ते के रूप में कितना धन लिया है;

(ग) इतनी जल्दी–जल्दी दौरे पर जाने का औचित्य और उद्देश्य क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारतीय खान स्कूल के निदेशक द्वारा 1979-80 के दौरान, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते के रूप में लगभग 15,300/ रुपये की राशि ली गई थी ।

(ग) सभी सरकारी दौरों के औचित्य और प्रयोजन शैक्षिक और व्यावसायिक हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के स्कूलों में अपर्याप्त स्थान

7678. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में ऐसे कितने उच्चतर प्राथमिक विद्यालय हैं जहां छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है;

(ख) ऐसे कितने स्कूल हैं जिन्होंने अपने स्कूलों में अधिक कमरे बनाने के लिए धनराशि हेतु आवेदन-पत्र दिये हैं और 1978-79 और 1979-80 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितने स्कूलों को धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) राजधानी के सभी स्कूलों में छात्रों के लिए पर्याप्त स्थान कब तक हो जायेगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राजधानी के सभी सीनियर माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों को उनकी आवश्यकतानुसार तम्बुओं वाले अथवा पक्के आवासों की व्यवस्था कर दी गई है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि उनके 5 स्कूलों के पास अपर्याप्त आवास है ।

(ख) दिल्ली के स्कूलों के लिए नए भवनों के निर्माण और अतिरिक्त आवास प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा 1978-79 में 300 लाख रुपए, 1979-80 में 307 लाख रुपये और 1980-81 में 444 लाख रुपये तक की निधियां प्रदान की गई ।

इन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने स्कूलों के लिए 1, 1, 12, 62, 743 रुपये की राशि प्रदान की ।

(ग) यद्यपि छात्रों के लिए आवास स्थिति में सुधार के सभी प्रयास किये जाते हैं, जैसा कि उपर्युक्त उत्तर से स्पष्ट है, फिर भी इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि सभी

छात्रों के लिए पर्याप्त आवास कब तक उपलब्ध हो जाएंगा क्योंकि छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

दिल्ली के स्कूलों में छात्रों के लिए अपर्याप्त स्थान

7679. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात का पता है कि राजधानी में ऐसे अनेक (उच्चतर माध्यमिक) स्कूल हैं जिनके पास छात्रों के लिए पर्याप्त (बनी हुई जगह) स्थान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तथा नई दिल्ली में ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली तथा नई दिल्ली में ऐसे स्कूलों की संख्या क्रमश: 38 तथा 36 है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने संगठन ने सूचना दी है कि उनके यहां भी ऐसे 5 स्कूल है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1980-81 के दौरान नये राजकीय स्कूल भवनों तथा अतिरिक्त आवास के लिए 444.00 लाख रुपये की राशि निर्धारित की है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने भी केन्द्रीय विद्यालयों के स्कूल भवनों के निर्माण के लिए पर्याप्त निधि संस्वीकृत की है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली को भवन निर्माण हेतु निधियां प्रदान करना

7680. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के जमुना पार क्षेत्रों में लड़कियों के अध्ययन के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं को तम्बू तक प्रदान नहीं किये गये हैं और छात्रायें खुले में बैठती हैं;

(ख) क्या सरकार राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय जी० टी० रोड शाहदरा, दिल्ली–32 में उक्त स्थिति को देखते हुए वहां भवन निर्माण के लिए निधियां प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि यह सही नहीं है।

(ख) सामान्य स्कूल भवन कार्यक्रम के भाग के रूप में, बालिका स्कूल को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में ग्रामीण आवास के लिये केन्द्रीय सहायता

7681. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ग्रामीण आवास के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है; और

(ख) राजस्थान में वर्ष 1978 और 1979 में इस योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामीण गृहों का निर्माण किया गया और वर्ष 1980 के लिए क्या लक्ष्य है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) 'आवास' राज्य का विषय है, राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए दी जाती है और ये किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से सम्बन्धित नहीं होते। राज्य सरकारें, आवास सहित राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए अपनी आवश्यकताओं तथा अग्रता के आधार पर निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं।

तथापि, यह कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना प्रारूप (1978-83) में राजस्थान में आवास के लिए 19.00 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी। 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान राजस्थान की वार्षिक योजना में क्रमश. 2.67 करोड़, 2.97 करोड़ तथा 3.50 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त उसी अवधि के दौरान, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा आवास तथा नगर विकास निगम ने आवास के लिए क्रमश: 18.06 करोड़, 0.60 करोड़ तथा 45.10 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।

केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो योजनाएं आरम्भ की थीं नामतः (1) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम और (2) ग्रामीण मजदूरों के लिए वास-स्थल व झोपड़ी निर्माण की व्यवस्था की योजना। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम 1 अप्रैल, 1969 से समाप्त कर दी थी। जहां तक आवास स्थल का सम्बन्ध है, स्थिति नीचे दी गई है :

वर्ष	पात्र परिवारों को आवटित आवास स्थलों की संख्या
1978-79 (प्राप्त प्रगति)	5310
1979-80 (प्रत्याशित)	3333
1980-81 (लक्ष्य)	3333

भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन के लाभ

7682. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के दिल्ली मण्डल के अनेक कर्मचारी पिछले तीन वर्षों में सेवा निवृत्त हुये हैं/मर गये हैं और उनको अभी तक पेंशन

के लाभ नहीं दिए गए हैं जिसके कारण उनके परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1977-79 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली मंडल के 25 कर्मचारी सेवा निवृत हुए/मर गए । 16 मामलों में अन्तिम पेंशन आदेश जारी कर दिये गए हैं। 6 मामलों में, पेंशन के मामले का अन्तिम निपटारा होने तक अस्थायी पेंशन स्वीकृत की गई है। 1 मामले में अदायगी प्राप्त करने के लिए कोई वैध उत्तराधिकारी ही नहीं है। 1 अन्य मामले में बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने पर भी पेंशन-भोगी ने आवेदन-प्ररूप पूरा नहीं भरा है। परिवार-पेंशन के एक मामले पर कार्रवाई की जा रही है तथा मृतक की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी गई है।

नार्थ एवेन्यू और संसद भवन के बीच फुटपाथ

7683. **श्री आर० पी० यादव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग एक वर्ष पहल दिल्ली में फुटपाथों के सुधार के लिए सरकार द्वारा काफी धन-राशि निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्य पूरी तत्परता के साथ आरम्भ किया गया था और अनेक फुटपाथों की दशा सुधार दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि नार्थ एवेन्यू और संसद के बीच का फुटपाथ आज दिल्ली में सबसे खराब हालत में है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी दशा सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि योजना स्कीमों के अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र की दो सड़कों के फुटपाथों के सुधार के लिए 1.75 लाख रुपयों का विशिष्ट प्रावधान था जिसके लिए सरकार ने अनुदान दिया है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने फुटपाथों के सुधार तथा पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया था परन्तु सीमेंट की कमी के कारण उसकी प्रगति धीमी रही है।

(ग) यह सही है कि नार्थ एवेन्यू तथा संसद भवन के बीच वाले फुटपाथ की दशा अपेक्षित स्तर की नहीं है।

(घ) इस फुटपाथ का सुधार कार्य नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

चुकन्दर और मक्का से चीनी का उत्पादन

7684. **श्री रतनसिंह राजदा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका जैसे देशों में चुकन्दर और मक्का से भारी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया जाता है;

(ख) चुकन्दर और मक्का से चीनी का उत्पादन करने वाली भारत में ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं और इन फैक्ट्रियों का उत्पादन कितना-कितना है;

(ग) क्या सरकार का गन्ने से चीनी का उत्पादन करने की वर्तमान परम्परागत पद्धति को छोड़कर, देश में मक्का, चुकन्दर आदि से भारी मात्रा में चीनी के उत्पादन करने की सम्भानाओं का पता लगाने और उसे प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार भार्गव समिति की सिफारिशों, विशेष रूप से चीनी व्यापार के लाभों को गन्ना उत्पादकों के साथ बांटने सम्बन्धी सिफारिश, पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शीतोष्ण क्षेत्र के देशों में चुकन्दर से बहुत बड़े पैमाने पर चीनी का उत्पादन होता है। तथापि, सरकार के पास मक्का से चीनी का उत्पादन करने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) राजस्थान के श्रीगंगानगर में केवल एक चीनी फैक्ट्री है जोकि मुख्यतया गन्ने से चीनी का उत्पादन करने के अलावा नियमित रूप से चुकन्दर से चीनी का उत्पादन करती है। गत 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष चुकन्दर से इसका उत्पादन दो से तीन हजार मीटरी टन के बीच रहा है।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि भारत में चुकन्दर की खेती का विकास करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना शुरू करने की आवश्यकता तथा व्यवहार्यता के बारे में विचार किया जा रहा है ताकि भावी वर्षों में उससे चीनी तैयार करने के कार्य को प्रोत्साहित किया जा सके।

(घ) भार्गव समिति की सिफारिशों के अनुसार चीनी फैक्ट्रियों की अतिरिक्त प्राप्तियों को गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के रूप में 50.50 के अनुपात में गन्ना उत्पादकों के साथ पहले ही शेयर किया जा रहा है।

अनधिकृत कालोनियों में 'वाटर मेन्स' की व्यवस्था करना

7685. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत तथा नियमित कालोनियों में 'वाटर मेन्स' की व्यवस्था करने की नीति को बन्द करने के लिए 1975 में जारी किये गये आदेश कौन से हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार 1975 में जारी किये गये प्रत्येक आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गये थे, तथापि, दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान की समिति के दिनांक 20-2-1975 के संकल्प सं० 442 और उसके दिनांक 21-6-1975 के फैसला सं० 57/डब्ल्यू० एस० एण्ड एस० डी० सी०, प्रत्येक के उद्धरण की एक प्रतिलिपि विवरण में संलग्न है।

विवरण

दिनांक 21-6-1975 के फैसला सं० 57/डब्ल्यू. एस. एण्ड एस. डी. समिति की प्रतिलिपि :

दिनांक 6-6-75 के पत्र सं. 51/डब्ल्यू. एस. एण्ड एस. डी. यू. में स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए नियमित कालोनियों में जलपूर्ति की लाइनें बिछाने का कार्य तभी किया जायेगा जब 65 प्रतिशत प्लाटधारी सस्थान के पास विकास प्रभारों का अपना पूरा भाग जमा कर दें।

इसके अतिरिक्त, शेष प्लाटधारियों को पानी का कनेक्शन तभी दिया जाये जब कार्य आरम्भ किये जाने की तारीख से उनसे उनके भाग सहित 10 प्रतिशत ब्याज प्राप्त हो जाये।

दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन समिति के दिनांक 20-2-1975 के संकल्प सं. 442 की प्रतिलिपि :

संकल्प किया जाता है कि दिल्ली में नियमित कालोनियों में विकास प्रभार के देने के तरीके से सम्बन्धित शर्तों को इस सीमा तक संशोधित किया जाय कि ऐसे मामलों में जहां प्लाटधारियों ने कोई किश्त नहीं दी है, वहां सर्विस कनेक्शन इस शर्त पर दिये जायें कि कनेक्शन की मांग करते समय ऐसे प्लाटधारियों द्वारा देय किश्तों को एकमुश्त दिया जाय और शेष किश्तों को 20 वर्ष की शेष अवधि में।

अनधिकृत कालोनियों में पेय जल की सप्लाई के लिये वाटर मेन्स की व्यवस्था करना

7686. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनधिकृत कालोनियों के निर्धन लोगों को पेयजल सप्लाई करने के लिए दिल्ली में 'वाटर मेन्स' की व्यवस्था करने अथवा वाटर मेन्स की लागत का 10 प्रतिशत अग्रिम जमा करके सभी कालोनियों को वाटर मेन्स लगाने की अनुमति देने के संबंध में 1973 की नीति को पुनः लागू करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) अनधिकृत कालोनियों के लिए 1973 की नीति के अनुसार 40 प्रतिशत प्लाटधारकों अथवा 100 प्लाटधारकों द्वारा विकास प्रभार अदा करने का करार निष्पादित किए जाने के बाद ही केवल जलनालियां बिछाई जाती थीं। प्लाट काटे गए क्षेत्र का 3/- रुपये प्रति वर्ग मी. को या तो एकमुश्त किस्त में अथवा

तीन किस्तों (जो 1.50, 1.00 तथा 1.00 रुपये की हैं, जिन का कुल योग 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, के हिसाब से राशि वसूल की जाती थी। इस नीति को दिल्ली जलपूर्ति तथा मलवयन समिति ने अपने दिनांक 14-2-1979 के संकल्प सं० 379 द्वारा संशोधित कर दिया है। निधियों की उपलब्धता की शर्त पर उक्त संकल्प में उल्लिखित नीति के अनुसार ऐसी कालोनियों में कार्य आरम्भ किया जा सकता है। मूल्यों में वृद्धि के कारण, 1975 की दरों पर कार्य करना सभव नहीं होगा।

सस्ती निर्माण सामग्री

7687. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण सामग्रियों की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए सरकार सस्ते और टिकाऊ भवनों की जिनके निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग होगा, योजना बनाने और उनको लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यवाही कर रही है; और

(ख) क्या सरकार ने विशाल भवनों के निर्माण को, जिनमें बड़ी मात्रा में सीमेंट, इस्पात आदि का प्रयोग होता है, हतोत्साहित करने के लिए कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी०) : (क) जी, हां।

केन्द्रीय भवन अनुसंधाय संस्थान ने स्थानीय उपलब्ध सस्ती भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग पर अनुसंधान तथा विकास अध्ययन किया है और भवन निर्माण के लिए उपयोगी भवन निर्माण सामग्री विकसित की है। ये अनुसंधान परिणाम शीघ्र एवं सुचारु रूप से प्रयोग में लाने के लिए उचित साधनों के माध्यम से विभिन्न निर्माण अभिकरणों के ध्यान में लाए जाते हैं। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन तथा इसके ग्रामीण आवास स्कंध प्रदर्शन ग्रामीण मकानों के परीक्षणात्मक आवास तथा समूह रख कर सस्ते और टिकाऊ मकान बनाने के लिए स्थानीय उपलब्ध भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन और प्रयोग को बढ़ावा देते आ रहे हैं। आवास तथा नगर विकास संगठन स्थानीय रूप से उपलब्ध अपरिष्कृत भवन निर्माण सामग्री से भवन निर्माण सामग्री तैयार करने के लिए उद्योगों की स्थापनार्थ वित्तीय सहायता देता है। वित्त सहायता देते समय यह निर्माण अभिकरणों को निर्माण की लागत कम करने की दृष्टि से स्थानीय तथा सस्ती भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग की भी सलाह देता है।

(ख) जी, हां।

भारत सरकार ने आवास तथा भवन निर्माण में सीमेंट के प्रयोग में बचत लाने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यवाही दल गठित किया था जिसने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1979 में दे दी थी। यह रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली शिक्षा अधिनियम में संशोधनों की मांग

7688. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें स्कूलों के लिए दिल्ली शिक्षा अधिनियम में अमूल-चूल संशोधनों की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) किन-किन संस्थाओं/व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें संशोधनों की मांग के लिए कही गई मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक संघ और दिल्ली में कुछ गैर सहायता प्राप्त मान्य निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों ने निम्नलिखित सम्बन्धित प्रावधानों के साथ-साथ दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के सुझाव दिए हैं :

(i) स्कूल के स्टाफ को पूरे वेतन की अदायगी न करने तथा वेतन का देर से भुगतान के मामले को अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत सरकार ने लिया है।

(ii) अधिनियम की धारा 10(1) के "विद्यमान कर्मचारी" शब्द को संशोधित करना चाहिए।

(iii) स्कूलों को मान्यता देना।

(iv) प्रबन्ध की योजना।

(v) मुअतली।

(vi) दिल्ली स्कूल अधिकरण।

(vii) अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत सरकारी स्कूल अध्यापकों को उपलब्ध सभी लाभ सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को भी उपलब्ध होने चाहिए।

(viii) अल्पसंख्यक तथा बन्द पड़े स्कूलों को अपने अधिकार में लेना।

(ix) फालतू अध्यापकों का समावेशन।

(x) सलाहकार बोर्ड।

(x·) पाठ्यचर्या समिति।

(xii) अध्यापकों की भर्ती के लिए आयु सीमा।

(xiii) स्वायत्त स्कूलों की स्थापना।

(xiv) धारा के अध्याय 4 के अन्तर्गत कर्मचारियों की सेवा की नियमावली।

(xv) अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है।

हिमालय प्रदेश के लिए पृथक सर्कल–कांडर कर्मचारी

7689 : **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्र में तैनात सर्कल कांडर कर्मचारी अपने उन कार्य-केन्द्रों पर एक उचित अवधि तक बने रहने में संकोच करते हैं और अनुरोध करके अपना स्थानान्तरण करा लेते है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक सर्कल कांडर कर्मचारी रखने की व्यवस्था करेगी ताकि उनकी निरन्तर एवम् सन्तोषजनक कार्यविधि सुनिश्चित की जा सके और पृथक सर्कल बनाते समय तत्संबंधी विभाजन सुचारु रूप से हो सके;

(ग) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था संभवत: किस तारीख तक कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हिमाचल प्रदेश में दूर संचार तथा डाक सेवा शाखाओं के कार्य को सन्तोषजनक बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क), (ख), (ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्र से कुछ कर्मचारी अपना स्थानान्तरण करवाते हैं। मामलों में योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में पृथक सर्किल कांडर कर्मचारी रखना संभव नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अलग डाक तथा दूरसंचार सर्किल नहीं हैं।

दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवाओं के सन्तोषजनक कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के संबंध में वर्तमान नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

फ्रेन्डस सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज कोओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी

7690. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज कोआपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी के विरुद्ध मध्यस्थता-मामलों के बारे में 23 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1753 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यस्थता के तीन मामले दिल्ली प्रशासन की सहकारी संस्थाओं के पंजीयक के पास किस-किस तारीख को दर्ज किये गये थे;

(ख) प्रत्येक मामले में प्रत्येक प्रतिपक्षी को प्रारम्भिक सुनवाई के नोटिस तथा मध्यस्थता आवेदन-पत्र की प्रतियां किस-किस तारीख को दी गई थीं,

(ग) नियम 88 (4) के अधीन प्रत्येक मामले में प्रारम्भिक सुनवाई किस-किस तारीख को हुई;

(घ) क्या पंजीयक ने प्रतिपक्षियों को सुनने के पश्चात नियम 88 (4) (एक) से (चार) में उल्लिखित मुददों पर अपने निष्कर्ष रिकार्ड किये थे और कोई मध्यस्थता-शुल्क नियत किया था;

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त तीनों में से प्रत्येक मामले में निकाले गये निष्कर्षों तथा मध्यस्थता-शुल्क के परिमाप का ब्यौरा क्या है; और

(च) तीनों में से प्रत्येक मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति किस-किस तारीख को की गई थी;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महानगरों में गन्दी बस्तियां

7691, **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों के बनने के उत्तरदायी कारणों को जानने के कोई प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) देश में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या का अनुमान क्या है;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि शहरी जनसंख्या का 20 प्रतिशत गन्दी बस्तियों में रह रहा होगा ।

गौहाटी विश्वविद्यालय में केवल असमिया भाषा का अपनाया जाना

7692. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गौहाटी विश्वविद्यालय ने 1982 से केवल असमिया भाषा को ही अपनाने का निर्णय किया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार का विचार कछार के छात्रों के हित का संरक्षण किस प्रकार करने का है जहां बंगला भाषा को सरकारी काम और शिक्षा के माध्यम दोनों ही के लिए राजभाषा के रूप में मान्यता दी हुई है; और

(ग) क्या सरकार कछार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी जहां असम के भाषायी अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करने के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, हिन्दी और बंगला हो ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) सरकार के पास गौहाटी विद्यालय द्वारा लिए गए उस निर्णय के संबंध में ऐसी कोई सूचना

नहीं है, जिसके अन्तर्गत 1982 से शिक्षा और परीक्षा का माध्यम केवल असमी भाषा ही होगा। यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उससे उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सरकार के पास कछार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रीतनगर सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

7693. **श्री लहना सिंह तुर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार स्थित प्रीतनगर सहकारी गृह निर्माण समिति के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा सरकार द्वारा कोई भूमि अधिगृहीत की गई थी, यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल कितना है;

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा इस समिति को उसके सदस्यों द्वारा मकानों के निर्माण हेतु कितनी भूमि आवंटित की गई है;

(ग) क्या उक्त समितियों को 'परिफरल' प्रकार के भुगतान में छूट दी गयी है जो अन्य सहकारी समितियों, जिन्हें उसी क्षेत्र में भूमि आवंटित की गयी है, से वसूल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री सी० पी० सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों को केन्द्रीय आवास सहायता

7694. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दी गई आवास निर्माण सहायता राशि का (संघ राज्य क्षेत्रवार) ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र द्वारा कितनी-कितनी राशि ली तथा प्रयोग की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिव मार्किट, जंगपुरा, नई दिल्ली में दुकान एव रिहायशी मकानों के मालिकों से अभ्यावेदन

7695. **श्री एन० ई० होरो :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिव मार्केट, जंगपुरा, नई दिल्ली में "सी" टाइप के दुकान एव रिहायशी मकानों के मालिकों ने सामूहिक रूप से उनके पूर्ववर्ती मंत्री को जर्जर हो रहे शौचालयों ब्लाकों को गिराने और इसके बदले रसोई और डब्ल्यू० सी० की व्यवस्था करने के लिए उनके अपने अपने मकान के भाग को बढ़ाने की उन्हें अनुमति देने के बारे में वर्ष 1979 में अभ्यावेदन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) मामला विचाराधीन है और विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रख कर नीति बनाई जायेगी।

ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए गए वर्कशाप

7696. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1980 में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य तथा उद्योग संघों द्वारा आयोजित किए गए वर्कशाप में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के बारे में कई निर्णय लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को भेजी गई थीं;

(ग) यदि हां, तो की गई सिफारिशें क्या थीं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनकी सिफारिशों पर विचार किया है और उसने क्या निर्णय लिए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाधन) : (क) व (ख) जी हां, सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सिफारिशें विचाराधीन हैं।

विवरण

ग्रामीण विकास के बारे में कार्यशाला--परिप्रेक्ष्य तथा कार्यवाही योजना

सिफारिशें:

1. ग्रामीण विकास कार्य को लोकोपकार अथवा धर्मार्थता के उपाय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। उद्योग और व्यापारिक समुदाय को ग्राम विकास के कार्य की शुरुआत अपने प्रबुद्ध स्वहित को देखते हुए करनी चाहिए। समाज के प्रति

सामाजिक दायित्व के अलावा, समुदाय के 80 प्रतिशत लोगों की क्रय-शक्ति में वृद्धि उद्योग तथा व्यापार के स्वस्थ विकास को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है ।

2. चूंकि ग्रामीण जनसंख्या के बहुत से बेरोजगार/आंशिक रूप से नियोजित लोगों की नियमित आय में वृद्धि सुनिश्चित करने की अत्यधिक आवश्यकता है, अतः दुधारू पशु विकास डेरी-उद्योग प्रेरणाप्रद अवसर प्रदान करते हैं । इस संदर्भ में राष्ट्रीय डेरी विकास निगम के आपरेशन फ्लड-2 का उद्देश्य उनके कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 मीलियन परिवारों को सहायता पहुंचाना है । इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि विशेष रूप से दुग्ध-खाद्य तथा सम्बद्ध व्यापार में लगे उद्योग तथा व्यापार-गृह ऐसी परियोजनाओं के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध किए जाने चाहिए तथा वे इन योजनाओं की सफलता को बढ़ावा देने के लिए सहायता करें । उन्हें अपने आपको खाद्य व चारे के विकास, मवेशी-स्वास्थ्य देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान, कमजोर वर्गों के लिए उपदान और ऋण आदि जैसे क्षेत्रों में अपने आपको शामिल करना चाहिए ।

3. कुक्कुट पालन तथा सूअर पालन ग्रामीण समुदाय के असुरक्षित वर्गों को लाभप्रद रोजगार सुलभ करने के लिए अतिरिक्त उपयोगी अवसर उपलब्ध कर सकते हैं । उचित मूल्य पर अच्छी किस्म के चारे के उपलब्ध न होने, घटिया विपणन सुविधाओं, अलाभकर तथा अत्याधिक उतार-चढ़ाव वाले मूल्यों के कारण अब तक के प्रयास सफल नहीं हुए हैं । मण्डल यथोचित मूल्यों पर चारे की उपलब्धता के मामले को सरकार के साथ उठा सकता है तथा प्राकृतिक/उपज खली/मवेशी चारे के निर्यात पर उचित नियंत्रण के लिए अनुरोध कर सकता है । असुरक्षित वर्गों के हित के लिए सदस्य भी अपने प्रचालन के क्षेत्रों में इन सुविधाओं का प्रावधान करने में स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से शामिल कर सकते हैं । यह कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से पूरा किया जा सकता है ।

4. सीमान्त और छोटे किसानों की बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता असुरक्षित वर्ग की निर्धनता को काफी अधिक प्रतिशत तक रोक सकती है । कृषि समुदाय के इस वर्ग की मुख्य बाधा तकनीकी जानकारी का अभाव तथा आवश्यक निवेशों अर्थात् सिंचाई, उर्वरक, बीज, पौध-संरक्षण, भूमि सुधार आदि को प्राप्त करने में असमर्थता है । औद्योगिक इकाइयों को अपने अन्तर्गत लाए जाने वाले गांवों में इन कार्यक्रमों को शुरू करना चाहिए ।

5. औद्योगिक इकाइयों को अपनी ग्रामीण विकास गतिविधियों में अपने कार्य क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए । ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयां योजनाएं बनाती हैं । बेरोजगार युवकों तथा क्षेत्र, जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है, का चयन

करने के पश्चात मौजूदा ग्रामीण संस्थानों, चाहे वे राज्य सरकार के हों अथवा निजी, का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए ।

6. चीनी, वनस्पति, सूती कपड़े, कृषि मशीनरी आदि जैसे कृषि पर आधारित उद्योगों में जुटी हुई औद्योगिक इकाइयों को अपनी गतिविधियों का विशेष रूप से सीमान्त और छोटे किसानों के लिए विस्तार करना चाहिए । संसाधनों का प्रावधान करने तथा सामयिक सामग्री आदि के मुद्रण तथा वितरण के माध्यम से उचित तकनीकी जानकारी के प्रचार को वरीयता दी जानी चाहिए । औद्योगिक इकाइयों के उचित समन्वय हेतु समन्वित ग्राम विकास के अन्तर्गत चल रहे कार्यक्रमों के साथ अपने आपको सम्बद्ध करना चाहिए ।

7. ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु व्यक्तियों और सामग्री के संसाधनों के बारे में मंडल शुरू में हरियाणा/पंजाब के कुछ गांवों का सर्वेक्षण करे । निदेशक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, अम्बाला को इस सर्वेक्षण कार्य में तथा उसके पश्चात समन्वित ग्राम विकास प्राधिकारियों, हमारे तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग के कुछ इच्छुक सदस्यों के सहयोग से इन उद्योगों की स्थापना करने की योजना में सम्बद्ध किया जा सकता है । इसे आदर्श रूप में माना जा सकता है तथा बाद के विस्तार कार्य हेतु इसका अनुकरण किया जा सकता है ।

8. संगठित उद्योग तथा लघु स्तरीय उद्योगों के बीच एक ही प्रकार के अथवा सम्बद्ध क्षेत्रों में समन्वय लाने के लिए सदस्यों को सलाह दी जा सकती है कि वे तदनुरूप लघु स्तरीय इकाइयों के साथ वार्ता शुरू करें । वार्ता के माध्यम से एक दूसरे की मदद की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए ।

9. ऐसी अलग-अलग इकाइयां, जो गांवों में कृषि सम्बन्धी सुधार कार्य करती हैं, सहयोग प्राप्त करने हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की एजेंसी से सम्पर्क करें तथा गांवों में सक्षम ग्रामीण उद्योगों की स्थापना में मदद करें ।

10. वनरोपण, आय तथा इंधन सुलभ करके ग्रामीण समुदाय के कुछेक वर्गों को पर्याप्त राहत दे सकता है । इस प्रकार के उद्योग और व्यापार-गृह जो कागज के उद्योग में जुड़े हुए हैं, वनरोपण की शुरुआत कर सकते हैं । अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र के बारे में ऊर्जा पौध-रोपण तथा सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम को शुरू किया जाना चाहिए ।

11. औद्योगिक इकाइयों द्वारा शुरू किए जाने वाले सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में मानवीय संसाधनों का विकास करने, गुलामी को कम करने तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने का प्रयास होना चाहिए । ऐसे कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चे तथा महिलाएं भी शामिल की जानी चाहिए ।

12. मण्डल को उत्प्रेरक, मार्ग-दर्शक तथा समन्वयक एजेंसी के रूप में क्षेत्र के उद्योगों तथा व्यापार-गृहों को प्रोत्साहित करने की अपनी मौजूदा योजना को जारी रखना

रखना चाहिए। इसके अलावा, इसे समन्धित आधार पर कुछेक गांवों में प्रत्यक्ष रूप से कार्य शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए।

भूमि सुधार के बारे में नीति निदेश

7697. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधारों के बारे में विभिन्न राज्यों को सामान्य नीति-निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन नीति निदेशों की मुख्य मुख्य बायें क्या हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इन नीति-निदेशों को कहां तक लागू किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भूमि सुधार सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजना प्रलेखों में निर्धारित की गई है। जहाँ तक कृषि जोतों से सम्बन्धित अधिकतम सीमा का सम्बन्ध है, 1972 में तैयार किए राष्ट्रीय मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों को सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी कर दिया गया है।

(ख) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये सुझाव दिए गए हैं कि :

(1) जोतें सर्वोत्तम किस्म की भूमि अर्थात सुनिश्चित सिंचाई वाली तथा एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने की क्षमतावाली भूमि की 10-18 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(2) घटिया किस्म की भूमि के लिए अधिकतम सीमा अधिक हो सकती है किन्तु किसी भी मामले में यह 54 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(3) अधिकतम सीमा पांच सदस्यों के परिवार की इकाई पर लागू होनी चाहिए तथा जहां परिवार का आकार बड़ा हो तो पांच व्यक्तियों से ज्यादा के परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अतिरिक्त भूमि की अनुमति दी जानी चाहिए, इस तरह फिर भी परिवार के स्वामित्व वाला पूरा क्षेत्र अधिकतम सीमा के दुगने से अधिक न हो;

(4) अधिकतम सीमा कानून के प्रयोजन हेतु 'परिवार' को इस तरह परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि इसमें पति-पत्नी और नाबालिग बच्चों को शामिल किया जा सके;

(5) चाय, काफी, रबड़ इलायची, कोको के अधीन भूमि को अधिकतम सीमा के अन्तर्गत नहीं रखा जाना चाहिए;

(6) निजी न्यासों को अधिकतय सीमा से अधिक भूमि रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(7) भूमिहीन कृषि श्रमिकों, विशेषकर अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकतम सीमी से फालतू भूमि के आबंथन में वरीयता दी जानी चाहिए ।

जहां तक काश्तकारी सुधार का सम्बन्ध है, नीति यह है कि (1) लगान समग्र उत्पाद के एक चौथाई से लेकर पाँचवे हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए; (2) विनिदिष्ट अशक्तता से ग्रस्त भू-स्वामियों को छोड़कर पुनग्रहण का अधिकार किया जाना चाहिए तथा (3) वास्विक खेतिहार को भूमि का स्वामी बनाया जाना चाहिए ।

(ग) अधिकांश राज्यों ने मोटे तौर पर राष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अमुरूप कानून बनाए हैं । ये कानुन कार्यान्वयन की निभिन्न अवस्थाओं में है तथा राज्य सरकारों ने अनुसार, संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत अब तक 38.7 लाख एकड़ भूमि को फालतू घोषित किया गया है, सिमें से 24.4 लाख एकड़ भूयि का कब्जा ले लिया गया है तथा 11.7 लाख लाभभोगियों को 16.9 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है । भारत सरकार ने अधिकतम सीमा कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता तथा भूमिहीनों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है ।

———

सदस्यों की गिरफ्तारी, दोष-सिद्धि और रिहाई के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे पुलिस उप-आयुक्त, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली से दिनांक 9 अगस्त, 1980 का निम्नलिखित पत्र मिला है :

"मुझे आपको सूचना देनी है कि मैंने अपनी कालियों के प्रत्यायोजन में अपना यह, कर्त्तव्य समझा है कि सर्वश्री रामविलास पासवान, छोटे सिह यादव और जगपाल सिह माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) ने 9-8-1980 को 3.00 बजे म० प्र० पर राजपथ, नई दिल्ली को मिलाने वाले रफी मार्ग पर इस क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू की गई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छापूर्वक गिरफ्तारी दी, देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 459 दिनांक 9-8-1980, पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली । उन्हें नैशनल स्टेडियम तक ले जाया गया जहां 7.45 बजे सायं श्री प्रेम कुमार, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्हें उपस्थित किया गया । मजिस्ट्रेट ने उनको न्यायालय स्थगित होने तक की सजा दी । न्यायालय 7.50 बजे सायं स्थगित हो गया और उन्हें उसके साथ ही छोड़ दिया गया ।"

श्री बालेश्वर राम (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तथा मेरे कुछ मित्रों ने हमारे देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगते हुए इस सभा के नियम 222 के अन्तर्गत सूचना दी है । उन्होंने हमारे देश की

वर्तमान प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध कुछ मान हानिकारक तथा अनादर पूर्ण टिप्पणियां की हैं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। मुझे तथ्यों का पता लगाने दें। यह मेरे विचाराधीन है। कृपया बैठ जाइये।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज रात में ढाई बजे के करीब हमारे नेता श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के घर पर अटैक किया गया जिसमे कि वहां पर तमाम लोग जग गए.....

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगवा लेता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : उनको इसके पहले कई थ्रेटेनिंग लेटर भी मिल चुके हैं। उनके जीवन को खतरा है। उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसका पता लगाने दें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : मैंने इंडियन एक्सप्रेस में जो एक आर्टिकल अरुण सूरी का छपा है उसके बारे में एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी। दो हफ्ते के करीब हो चुके हैं.....

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास है। मैं कंसिडर कर रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इसके अतिरिक्त मैंने एक नोटिस आज आप को दिया है। 9 तारीख को नेरठ और बागपत के हरिजनो को जबर्दस्ती लोक दल के लोग गाड़ियों में भरकर दिल्ली ले आए.....

अध्यक्ष महोदय : यह आगे ही मैंने एलाऊ कर रखा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : दिल्ली में लोक दल के लोगों ने पुलिस पर निर्मम प्रहार किया.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं आरिफ साहब, आपने नोटिस दिया, मैंने एलाऊ किया।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : एक नोटिस हमने दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा .. ..

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नोटिस नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : महोदय, जो लोग जोर-जोर से नहीं बोल सकते आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। मैंने एक सूचया दी थी .....

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति देदी है। मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान : दूसरा मैंने एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है कि देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की विभीषिका पर विचार करने के लिए·····

अध्यक्ष महोदय : वह मैं काल अटेंशन में सोच रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : इस पर डिस्कशन करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैं इसे जानता हूं।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, मैंने कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित एक अल्प सूचना प्रश्न दिया है कि कलकत्ता पत्तन पर गोदाम में लगभग 420 मीटरी टन रेप-सीड तेल पड़ा हुआ है। वह 1979 से, पिछली सरकार के समय से पड़ा है। वह खराब हो रहा है। यदि उसका तुरंत उपयोग नहीं किया गया तो वह खराब हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सम्बन्धित मंत्रालय को सौंप चुका हूं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : शुक्रवार को जो आपके सामने कामरोको प्रस्ताव आया था·····

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब आ गया है। मैं अभी जवाब देता हूं। मै उसकी जांच करवा करके जवाब दे रहा हूं। यह उस बारे में बात है जो मैंने कहा था कि सोमवार को वाक-फियत करके आपको जवाब दूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आपने जांच करवाने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब आ गया है,—

"सरकार को यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मंत्री परिषद के सभी सदस्य सामान्य रूप से महिलाओं और विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा सम्मान और आदर रखते हैं। अतः सरकार मंत्री परिषद के किसी सदस्य के विरुद्ध बिना हिचक और निस्संकोच ऐसे किसी भी आरोप से इनकार कर सकती है जैसा कि महिलाओं के प्रति निन्दा-जनक उल्लेख करते हुए समाचार में आरोप लगाया गया है।

श्री जगपाल सिंह : *ऐसी परिस्थितियों में सरकार का विचार है कि समाचार-पत्र के ऐसे समाचारों पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सब्जैक्ट है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मैंने पटना से प्रकाशित "इण्डियन नेशन" के खिलाफ मर्यादा भंग का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे भेज दिया है। मेरे पास जो भी चीज आती है, मैं इमीडिएट एक्शन लेता हूं, छोड़ता नहीं हूं। उसका जवाब आयेगा तो जो भी उचित होगा जवाब देंगे।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : भारतवर्ष के सात राज्य बाढ़ की चपेट में आ गये हैं .....

अध्यक्ष महोदय : बाढ़ के लिये मैंने कह दिया है–यह मेरे विचाराधीन है। मैं इसके लिए समय निकालने और चर्चा करने की कोशिश करूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने एक और काश्मीर के बारे में दिया है .... *

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक नेताओं के घरों पर हमला हो, इसको हल्के ढंग से नहीं लिया जाय .. ..

अध्यक्ष महोदय : पूरे जोरदार ढंग से लिया जायगा। आप चिन्ता न करें।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लि० के वर्ष 1975-76 में कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण* की) एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० 1245/80)

भारत में भाषा यी अल्पसंख्यकों के उपायुक्त के प्रतिवेदन आदि

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के उपायुक्त का जुलाई, 1975 से जून, 1976 तक की अवधि का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*समीक्षा और प्रतिवेदन का अंग्रेजी सस्करण 20 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1246/80)

(2) भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के उपायुक्त का जुलाई, 1976 से जून, 1978 तक का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)

(3) उपर्युक्त (2) और (3) में उल्लिखित प्रतिवेदनों के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(4) उपर्युक्त (2) और (3) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा उपर्युक्त (2) में उल्लिखित प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1247/80)

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1980 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 31 जुलाई, 1980 की बैठक में पारित किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा को कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।"

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : *

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी सूचना देख ली है । मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल न किया जाये । कृपया बैठ जाइये । हर बात की अति बुरी होती है ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कर्नाटक में विजयनगर इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य पूरा करने में कथित विलम्ब

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, मैं इस्पात और खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"कर्नाटक में विजयनगर इस्पात कारखाने का निर्माण पूरा करने में कथित विलम्ब तथा इसे शीघ्र पूरा करने के लिए वर्तमान बजट में अपर्याप्त वित्तीय प्रावधान।"

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि विजयनगर इस्पात कारखाने के बारे में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सलाहकारों द्वारा तैयार कर लिया गया है। यह प्रतिवेदन अप्रैल, 1977 में सेल को प्रस्तुत कर दिया गया था। तकनीकी तथा वित्तीय स्तरों पर आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् यह मामला 26 फरवरी, 1979 को सेल के निदेशक-मण्डल के सामने रखा गया था।

(1) निदेशक-मण्डल ने 26-2-1979 और 19-3-1979 की अपनी बैठकों में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया तथा ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् परियोजना प्रतिवेदन तथा अनुमानों की गहराई से जांच करने के लिए एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया। इस समिति ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के लिए चुने गए विकल्पों के तकनीकी- आर्थिक पहलुओं पर विचार किया तथा सलाहकारों से यह पूछा कि यदि प्राडक्ट-मिक्स तथा अन्य प्राचलों में कुछ परिवर्तन किए जायें तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार सलाहकारों द्वारा इस पर और विचार करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। समिति द्वारा इस रिपोर्ट पर विचार किया गया। सलाहकारों से कुछ और ब्यौरे तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने पड़े। अब ये प्राप्त हो गए हैं और आशा है समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगी। उसके पश्चात् सेल का निदेशक-मण्डल इस पर पुनः विचार करेगा और अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर देगा। इस बीच संयंत्र के लिए भूमि प्राप्त करने, मिट्टी की जांच करने, कच्चे माल का परीक्षण करने, आदि प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

(2) जहां तक चालू वित्त-वर्ष में इस परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था अपर्याप्त होने का प्रश्न है, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के स्वीकृत होने तक अन्तरिम उपाय के रूप में 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था केवल सिव्वन्दी खर्च तथा वर्तमान वचनबद्धताओं के लिए की गई है। मेरे सहयोगी वित्त-मंत्री 6 अगस्त, 1980 को दिए गए अपने वक्तव्य में सदन को पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि जैसे ही सेल और सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया जायेगा, इस कारखाने के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : समग्र रूप से विवरण व्यापक है परन्तु इस कार्य के लिये निर्धारित राशि बहुत कम प्रतीत होती है। वहां इस्पात कारखाने के निर्माण और स्थापना के लिये हर सुविधा उपलब्ध है। वहां बड़ी लाइन है, वहां लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में है और यह स्थल कारखाने के बिल्कुल पास है। यह लाखों टन उपलब्ध है तथा हम इसका अधिकतर मात्रा में निर्यात करते हैं। हमें वह निर्यात बन्द कर देना चाहिए और उस समूचे लौह अयस्क का इस्पात के उत्पादन के लिए उपयोग करना चाहिये।

व्यवहार्यता प्रतिवेदन पहले ही आ चुका है परन्तु जो राशि दी गई है वह बहुत ही कम है। वित्त मंत्री तथा इस्पात मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वे उतनी धनराशि प्रदान करेंगे जितनी की आवश्यकता होगी। हमें वहां बहुत गतिशील मुख्य मंत्री मिले हुए हैं तथा भूमि के अर्जन एवं वे सब अन्य औपचारिकताएं बहुत जल्दी पूरी कर ली जायेंगीं। इसमें समय नहीं लगेगा। वह हर बात लक्ष्य के अनुसार अथवा कार्यक्रम के पहले ही पूरी कर लेंगे। इन परिस्थितियों में 60 लाख रुपये की यह राशि कुछ भी नहीं है। कर्नाटक के उन भागों में भूमि का मूल्य बहुत अधिक हैं। इस राशि से वे 200-300 एकड़ जमीन भी नहीं खरीद सकते। इसमें पानी का खर्च, मिट्टी बाहर निकालना और ऐसी सब बातें शामिल हैं। हमारे देश में अनेक विशेषज्ञ हैं। इन सब कार्यों को पूरा किया जाना चाहिये। यह एक लम्बे समय से प्रतीक्षित परियोजना है। पिछले अनेक वर्षों से हम इस कारखाने के बारे में सुन रहे हैं। हमें इस्पात की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमें, जितना जल्दी हो सके, इस्पात का उत्पादन करना है। जापान और इंग्लैंड जैसे छोटे देश भी भारी मात्रा में इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं और उसे हमें बहुत ही ऊंचे मूल्यों पर बेच रहे हैं। हमारी विदेशी-मुद्रा का अधिकांश भंडार इस्पात के आयात पर खर्च किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करें।

इसके अतिरिक्त लोगों में भारी असंतोष है कि यह कारखाना नहीं बन रहा है। उनके मन में हर बार आशाएं जगाई जाती हैं कि यह आरंभ होने ही वाला है। आखिरकार 60 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। इस 60 लाख रुपये में संस्थापना खर्च और अन्य सभी खर्चे शामिल है। मैं समझता हूं कि यह राशि संस्थापना खर्च के लिये भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा भूमि के अर्जन का क्या होगा ?

महोदय, जैसा कि आप व्यावहारिक अनुभव से जानते हैं कि भूमि के अर्जन में काफी समय लगता है चाहे सरकार कितनी ही कुशल क्यों न हो। कुछ मामलों में लोग न्यायालय की शरण लेंगे। परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। मुख्य मंत्री यह कार्य कर सकेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे।

अब मैं एक निश्चित आश्वासन चाहता हूं : वास्तविक कार्य कब तक आरंभ हो जायेगा और यह कितने वर्षों में पूरा हो जायेगा ? कारखाना बनने की अवधि बहुत लम्बी होती है। कभी-कभी इसमें 10 से 15 वर्ष तक लग जाते हैं। तब तक लागत भी बहुत बढ़ जायेगी। इसलिये हमें इसे, जितना जल्दी हो सके, 5 अथवा 7 वर्षों में पूरा करना चाहिये। इस प्रकार का आश्वासन

दिया जाना चाहिये और हर कार्य इस समय बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार चलना चाहिये। इस पर, अर्थात् नींव तथा अन्य कार्य सम्बन्धी वास्तविक कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक परियोजना पूरी होने में लगने वाले वास्तविक समय का सम्बन्ध है, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जो उन्होंने अन्तिम चरणों में तैयार किया है, के अनुसार 96 महीने, अर्थात् 8 वर्ष लगेंगे। स्वाभाविक ही है कि ऐसी परियोजना को दो चरणों में विभक्त किया गया है। पहले चरण के लिये लगभग 5 वर्ष, अर्थात् 60 महीने लगेंगे। वित्तीय नियतन के बारे में, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि 60 लाख रुपये, जो चालू वर्ष के लिये आवंटित किये गये हैं, वर्तमान मांगों और दिन-प्रति-दिन के खर्चे पूरे करने के लिए हैं। सरकार द्वारा 31 मार्च, 1980 तक 4.2 करोड़ रुपये की कुल लागत दी जा चुकी है। चालू वर्ष के लिये 60 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। वित्त मंत्री उल्लेख कर चुके हैं और मैंने भी इस समय वक्तव्य में उल्लेख किया है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मिल गया है तकनीकी समिति की टिप्पणी भी मिल गई है ऐसी आशा की जाती है कि सितम्बर तक वे सरकार को अन्तिम सिफारिशें करने की स्थिति में होंगे और यह स्वाभाविक ही है कि यह सरकारी निवेश बोर्ड के पास जाएगा तथा सरकार को निर्णय लेना होगा। माननीय सदस्य स्थिति से भलीभांति परिचित हैं। इसमें विलम्ब हुआ है, इससे कोई इन्कार नहीं करता। व्यवहारतः इसमें लगभग दस वर्षों का विलम्ब हो गया है। एक बड़ा कारण संसाधनों की कठिनाई का है। क्योंकि हमें इस परियोजना के लिए बाहर से कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है तथा हमें अपने आंतरिक संसाधनों से ही काम चलाना है जो उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इसमें विलम्ब हुआ है। हम इसे शीघ्रतापूर्वक पूरा करने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि यदि परियोजना पर अन्तिम रूप से स्वीकृति मिल जाती है तो अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से आवश्यक नियतन किया जाएगा।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : विजयनगर इस्पात कारखाने को दो बड़ी परियोजनाओं में से एक माना गया है परन्तु यह एक दिवा-स्वप्न की भांति रह गया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यद्यपि हमारे प्रिय प्रधान मंत्री द्वारा 1971 में आधार-शिला रखी गई थी परन्तु नौ वर्षों के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। यद्यपि विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है तथापि, विजयनगर इस्पात कारखाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। कर्नाटक के लोग इस परियोजना के लिए जोर दे रहे हैं। वस्तुतः लोग बहुत प्रसन्न थे और जब 24 जुलाई, 1980 को हमारे वित्त मंत्री ने सभा में यह घोषणा की कि 30 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं तो वे गद्-गद् हो गए। दुर्भाग्यवश 6 अगस्त, 1980 को इस वक्तव्य में शुद्धि की गई कि केवल 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। कर्नाटक के लोग गद्-गद् हो गए थे और वे वास्तव में प्रसन्न थे तथा विधान-मंडल के दोनों सदनों ने इस देश के प्रधान मंत्री तथा केन्द्र के प्रति आभार प्रकट करते हुए संकल्प पारित किया परन्तु उनकी आशाओं पर तुषारापात हो गया है। मैं देख रहा हूं कि हमारे भूतपूर्व मंत्री कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। वह उत्तरदायी थे, ऐसा राजनीतिक कारणों से हुआ। उनके शासन काल, जनता शासन, के दौरान इसमें राजनीतिक कारणों

से जान-बूझकर विलम्ब किया गया न कि आर्थिक कारणों से। वास्तव में, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो उनके शासन काल में इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया था।

आप राजनीतिक कारणों से इस परियोजना को और मंगलौर परियोजना को अन्यत्र ले जाना चाहते थे और अन्ततोगत्वा जब इस सदन से आप पर दबाव पड़ा तो आपने अपना विचार बदल दिया।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : मुझे उनके आरोपों का उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप लोहा और इस्पात संयंत्र चाहते हैं तो उसी पर जोर दीजिए। अन्य विषय पर मत जाइये।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि मैं इसे ठीक तरह से कहूं तो जनता शासन द्वारा लिया गया निर्णय राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित था।

आधार शिला के रखे जाने के नौ वर्ष बाद भी 'सेल बोर्ड' ने कोई कार्यवाही नहीं की है। यदि एक वितृत प्रतिवेदन तैयार करने में 'सेल बोर्ड' को नौ वर्ष लगने हैं तो मैं नहीं जानता कि क्या हमें यह कहना पड़ेगा कि 'सेल बोर्ड' के कार्यकरण पर यह एक धब्बा है। 'सेल बोर्ड' के प्रतिवेदन के अनुसार उन्हें इस परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में कुछ ब्यौरा चाहिए। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि उन्हें उच्च स्तरीय समिति से क्या ब्यौरा चाहिए और वह कब दिया जायेगा। उन्होंने कहा है कि यह जल्दी ही दे दिया जायेगा। मैं माननीय मन्त्री से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार इस परियोजना को हौस्पेट स्थल पर ही क्रियान्वित करने जा रही है क्या सरकार नौ वर्षों के बाद कीमतों में हुई वृद्धि का विचार करते हुए पर्याप्त धनराधि उपलब्ध करेगी ? कितना व्यय पहले किया जा चुका है और कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

इसके अतिरिक्त, जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र का संबंध है, तत्कालीन माननीय मन्त्री श्री बीजू पटनायक द्वारा उस समय दिये गये वक्तव्य के अनुसार मंगलौर इस्पात संयंत्र दो महीनों के भीतर या थोड़े ही समय में लगाया जाना था। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने भी यह बताया था कि वह बहुत जल्दी लगाया जायेगा। तत्कालीन माननीय मंत्री के अनुसार यह इस्पात संयंत्र इस्पातोन्मुख और तटाधारित था। इसलिए, इसकी स्थिति भिन्न थी। इसका विजयनगर इस्पात संयंत्र से कोई संबंध नहीं था क्योंकि यह घरेलू उपभोग के लिए था। इन सभी तथ्यों को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार मंगलौर में एक अलग तट आधारित सयंत्र लागाने पर विचार करेगी ? जहां तक विजयनगर इस्पात संयंत्र का संबंध है। क्या वह इसके लिए सार्वजनिक ऋण के रूप में, विदेशी सहयोग के रूप में या विश्व बैंक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता लेने जा रहे हैं।

एक और प्रश्न

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस ओर से उठकर कोई इस प्रकार बोलना शुरू कर दे तो आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने लेगेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : क्या यह सच है कि एक ब्रिटेन-अमरीकी अध्ययन दल ने विजय नगर और विशाखापत्तनम स्थलों की व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन करने के बाद यह बताया था कि दोनों ही प्रस्ताव अच्छे हैं ? क्या ब्रिटेन के दल और 'मिकौन' ने इसे सभी इस्पात संयंत्रों से अधिक व्यवहार्य और अधिक आकर्षक पाया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री उत्तर देंगे ।

श्री बीजू पटनायक : पहले व्यक्तिगत स्पष्टीकरण और तब मंत्री उत्तर देंगे । माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैंने जो निर्णय लिया था वह राजनीतिक उद्देश्य से लिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण है ।

श्री बीजू पटनायक : मैं जानता हूं । लेकिन मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए खड़ा हुआ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री को उत्तर देने दीजिए तब आप बोलिएगा । मैं आपको अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह कुछ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं क्योंकि श्री जनार्दन पुजारी ने श्री बीजू पटनायक के बारे में कुछ कहा है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री जनार्दन पुजारी ने मुख्यतः विजयनगर संयंत्र के बारे में बहुत से प्रश्न उठाये हैं । उनका पहला मुद्दा यह था कि 'सेल' ने कोई कार्यवाही नहीं की है । यह सही नहीं है कि 'सेल' ने कोई कार्यवाही नहीं की है 'सेल' ने कुछ कार्यवाही की है । इसमें नौ वर्ष इसलिए लगे हैं क्योंकि पैसा नहीं था । मुख्य कारणों में से एक कारण यह है क्योंकि इस परियोजना को घरेलू संसाधनों से वित्त प्रदान करना संभव नहीं था । 1971 से लेकर बाद में कई चरणों में इस पर विचार किया गया था । परियोजना प्रतिवेदन 'मिकौन' द्वारा तैयार किया गया था । तकनीकी समिति ने संयंत्र के आकार उत्पाद मिश्रण आदि के संबंध में इसकी जांच की । कुदरतन जब क्रियान्वयन में समय लगता है तो लागत कारक को भी ध्यान में रखना पड़ता है । उसके परिणामस्वरूप इसमें विलम्ब हुआ । वर्तमान अनुमान के अनुसार इस परियो ना पर 1760 करोड़ रुपये लागत आयेगी । समय के संबंध में मैं पहले ही यह उल्लेख कर चुका हुं कि प्रथम चरण में, संकेतों के अनुसार, इसमें पांच वर्ष लगेंगे । सम्पूर्ण योजना में 96 महीने, अर्थात 8 वर्ष लगेंगे । जहां तक सहायता का संबंध है, विदेशी सहायता के प्रस्ताव का संबध तट आधारित संयंत्र से है क्योंकि विदेशों से प्राप्त प्रस्ताव पर आधारित एक नये इस्पात संयंत्र को लगाते समय दो कारकों का ध्यान रखना पड़ता है । पहला यह है कि उत्पादन का एक भाग ऋण की वापसी के लिए वापसी खरीद व्यवस्था के रूप में निर्यात करना होगा । इसलिए, यह एक तटाधारित संयंत्र होना चाहिए । दूसरे 'को किंग कोल' की उपलब्यता के बारे में यह सोचा गया था कि आवश्यक 'कोकिंग कोल' का कम से कम 25 प्रतिशत आयात करना होगा उससे भी यह आवश्यक हो जाता है कि यह एक तटाधारित संयंत्र होना चाहिए । इसलिए, यदि आपने विदेशी सहायता से कोई इस्पात संयंत्र लगाना है, तो यह जरूरी नहीं है कि वह सहायता आपकी शर्तों पर मिले

उन्हें इन दो कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए, जब हम विभिन्न देशों से प्राप्त प्रस्तावों पर बात-चीत कर रहे होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण विचार यह होता है कि यह एक तट आधारित संयंत्र हो, यह एक पत्तन आधारित संयंत्र हो। अन्यथा, विदेशी सहायता को किसी अन्य इस्पात संयंत्र से सम्बद्ध करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। यह सच नहीं है कि विजाग और विजयनगर में से, विजाग के साथ भिन्न बर्ताव किया गया है। विजाग के लिए भी हमें सोवियत संघ से कुछ सहायता प्राप्त हुई है, केवल तकनीकी सहायता ही नहीं, बल्कि कुछ वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है। लेकिन दुर्भाग्यवश, इस परियोजना के लिए हमें कुछ नहीं मिल सका। हम संभावनाओं का पता लगा रहे हैं और यदि हमें कुछ मिल सका तो हमें प्रसन्नता होगी ताकि हम इसे पूरा कर सकें। प्रारंभिक कार्य पर 31 मार्च, 1980 तक कुल 4.2 करोड़ रुपये खर्च हुआ था। और आवंटन करने के लिए सरकार को दो निर्णय लेने होंगे। पहला यह कि विजय नगर में एक इस्पात संयंत्र लगाया जाना होगा। वह निर्णय लोक विनियोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'सेल बोर्ड' की सिफारिशों पर लिया जाना है। यदि सरकार निर्णय ले लेती है तो कुदरतन उन्हें धन-राशि आवंटित करनी पड़ेगी। यदि इसकी बजट में व्यवस्था नहीं की गई है तो भी माननीय सदस्य को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यह कार्य पूरक अनुदानों के जरिये किया जा सकता है। यह मुद्दा वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है और मैं इसे फिर दोहराता हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या योजना आयोग ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मांग और उपलब्धता के बारे में योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रधान मंत्री ने आधानशिला रखी थी। यदि निर्णय नहीं हुआ तो क्या आधारशिला रखी जाएगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : उसके बाद, इस मंत्रालय का मंत्री बनने का सम्मान श्री यादव को मिला था और मैं उनके द्वारा भी लिए गए निर्णयों के बारे में कुछ ब्यौरा दे सकता हूं। 1971 में आधारशिला रखी गई थी। वास्तव में व्यवहार्यता प्रतिवेदन 1972 में उपलब्ध हो गया था और विस्तृत परियोजना प्रतिदेदन 1975 में उपलब्ध हुआ था। इसलिए, व्यवहार्यता प्रतिदेदन और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उपलब्ध होने से पहले आधारशिला रख दी गयी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बीजू पटनायक। वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते थे।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : ध्यानाकर्षण में कभी इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कुछ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते थे और मैंने उन्हें अनुमति दे दी है।

श्री बीजू पटनायक : महोदय, माननीय सदस्य ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि कर्नाटक के विजयनगर में एक इस्पात संयंत्र लगाने से इन्कार करने में मेरा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य था। इस तरह के आरोप से मुझे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ था क्योंकि इस संयंत्र को वास्तव में लगाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए मैंने असाधार प्रयत्न किया था जिसके दो कारण थे। प्रथमत

उनके पास बहुत बढ़िया लौह अयस्क, चूना पत्थर और मैंकनीज अयस्क है। लेकिन कोयला लगभग 3000 कि० मी० उत्तर से आना है। हमने इस मामले में रेलवे बोर्ड से बात की थी कि क्या वे उत्तर से 50 लाख टन को किंग कोयला ढो सकेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है बशर्ते कि उन्हें रेलवे लाइन के विस्तार और अन्य सुविधाओं के लिए लगभग 600 करोड़ दिए जायें और उन सुविधाओं के निर्माण के लिए कम से कम 10 से 12 वर्ष तक का समय दिया जाये। ये सभी बातें रिकार्ड में हैं। तब यह प्रश्न उठा कि क्या हम यह कार्य वही करें या उन अन्य क्षेत्रों के बारे में प्रयास करें जहां इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया जा सकें क्योंकि भारत को इस्पात की आवश्यकता है। हम बहुत अधिक मात्रा में इस्पात आयात कर रहे हैं और अधिक से अधिक आयात करते रहेंगे। इसलिए मेरे कार्यकाल के दौरान हमने एक या दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए तरीके और साधन ढूंढने के लिए कई वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं और बैंकों और बड़ी फर्मों से बात-चीत की थी। जैसा माननीय मन्त्री ने कहा है एक विजाग में कुछ सोवियत संघ की सहायता से और शेष हमारी अपनी धनराशि से लगाया गया है। जैसा कि सदन को जानकारी है, दी और प्रस्ताव भी थे। जब मैं मन्त्री था मैंने यह बताया था। एक ब्रिटेन समूह का था और दूसरा जर्मन समूह का था, दोनों का औसत कुल क्रेडिट किसी पत्तन या तट आधारित संयंत्र में टर्न-की-परियोजना के आधार पर लगभग 2000 करोड़ था इस लिए इसे कर लिया गया है। दो और के बारे में भी विचार किया गया था। एक मैंगलौर का है क्योंकि वहां फालतू अयस्क है। दूसरा पैरादीप है। वह विचाराधीन है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इन दोनों इस्पात संयंत्रों को लगाने के लिए इन दोनों असाधारण क्रेडिटों का इस्तेमाल कर सकेगी।

पंडित नेहरू के समय जब इस देश में कोई आधार भूत ढांचा नहीं था तब एक साथ तीन नये इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया गया था। विस्तृत आधार-भूत ढ़ांचे और उपलब्ध जन-शक्ति को देखते हुए मैं नहीं समझता कि इन दोनों इस्पात संयत्रों को लगाने के

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने माननीय सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी है। यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। सामान्यतः केवल उन व्यक्तियों को कुछ प्रश्न पूछने के लिए कहा जाता है जिन्होंने नोटिस दिया हो। आपने एक बहुत असाधारध प्रक्रिया अपनाई है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन पुजारी ने श्री बीजू पटनायक के बारे में कुछ उल्लेख किया था और इसलिए···

(व्यवधान)

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण बाद में आना चाहिए, जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समाप्त हो जाये, बीच में नहीं। उन्हें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : इन सारी बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया जाये। उन्हें एक ·· करने दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं यह सुझाव नहीं दे रहा कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया जाना चाहिए। मैं माननीय उपध्यक्ष के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि एक असाधारण प्रक्रिया अपनाई गई है। सदस्य के पास बहुत से तरीके हैं। कई तरीके है जिनसे वह इसे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के मामले के रूप में उठा सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बीच में दखल देने की बजाय उन्हें वे तरीके अपनाने चाहिए थे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह असाधारण नहीं है क्योंकि सदस्य ने आरोप लगाया था। इसलिए, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस आरोप के बारे में श्री बीजू पटनायक ने जो भी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया है यह रिकार्ड में रहेगा। अन्य बातें रिकार्ड में नहीं रखी जायेंगी।

(व्यवधान)

मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा। आरोप के संबंध में केवल आपके व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की अनुमति है।

श्री चन्द्रजीत यादव : बचाव मत कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमेशा बचाव करते हैं।

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : रिकार्ड में से क्या हटाया जायेगा ? न तो यह असंसदीय है और न ही अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है कि यह असंसदीय नहीं है। लेकिन आरोप के संबंध में आपको अनुमति है।

श्री बीजू पटनायक : उन्होंने कहा है "आपने राजनीतिक कारणों से उस संयंत्र को लगाने की अनुमति नहीं दी है।" मंत्री उत्तर देता है, मैं अपना स्पष्टीकरण देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मामला बहुत सद्भावनापूर्ण ढंग से समाप्त हो गया है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मामला समाप्त नहीं हुआ है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री बीजू पटनायक को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बीच में अनुमति देकर आपने बहुत अच्छा उदाहरण स्थापित किया है लेकिन सदन को विश्वास में लिए बिना आप किसी भाग को कार्यवाही-वृत्तान्त से कैसे निकाल सकते हैं ? यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए।

श्री के० लकप्पा : ध्यानाकर्षण के बीच उनके द्वारा कुछ कहे जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अवशिष्ट नियमों के अन्तर्गत हमेशा ये शक्तियां प्राप्त रहती हैं कि वे सदन की कार्यवाही को इस तरीके से चलायें कि वह सुचारु और शान्तिपूर्ण ढंग से चल सके। इसलिए, जब श्री पुजारी ने कुछ टिप्पणी की तो वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते थे क्योंकि वह उपस्थित थे और उन्हें अनुमति दे दी गई। यह असाधारण नहीं है। मुझे इसकी अनुमति देने का पूरा अधिकार और शक्ति है और मैंने अनुमति दी है। जो आरोप लगाया गया था जिसका उन्होंने उत्तर दिया है, रिकार्ड में रहेगा। इसके अलावा अन्य कोई भी बात रिकार्ड में नहीं रहेगी। मेरा यही कहना है।

श्री पी०वेंकट सुब्बया : मैं आपकी अवशिष्ट शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैंने केवल यह उल्लेख किया है कि ध्यानाकर्षण के बीच में किस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किया है। उससे समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी, सदस्य के पास सदन के समक्ष व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के और भी रास्ते हैं। आपने यह किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : अब तो यह हो चुका है, अब उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं यह कह रहा हूं कि आप कृपया अपने आप को इस बारे में संतुष्ट कर लें कि वक्तव्य का कौन सा हिस्सा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है और कौन सा हिस्सा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह काम मैं कर लूंगा। मैं अपने आप को संतुष्ट कर लूंगा। एक विशेष मामले के रूप में मैंने इसे अनुमति दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने उन्हें अनुमति दी है, आपको इसका अधिकार है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : जो कुछ श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है आपको उसकी जांच करनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री पटनायक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला दिया है। मैं आशा करता हूं कि उनका नाम कार्यवाही-वृत्तान्त से नहीं निकाला जायेगा।

श्रीपी ० वेंकटसुब्बया : श्री वाजपेयी मेरे बारे में गलत कह रहे हैं। मैं किसी भी बात को कार्यवाही-वृत्तान्त में से नहीं निकलवाना चाहता। मैंने केवल यह कहा है कि ध्यानाकर्षण के बीच में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण एक असाधारण बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री पुजारी द्वारा लगाये गये आरोप और मंत्री द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण को जानता हूं। इसलिए, मैंने इसकी अनुमति दी है।

श्री के० लकप्पा : महोदय, दिल्ली की टाल-मटोल की कोशिश से कर्नाटक के शिक्षित लोग संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि विजयनगर में एक समेकित इस्पात संयंत्र हमारे देश की शान है, हमारे कर्नाटक राज्य की शान है। कर्नाटक राज्य में अयस्क संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए भारत सरकार ने इस बारे में काफी समय तक विचार किया, विचार-विमर्श किया और अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि समेकित इस्पात संयंत्र कर्नाटक राज्य के विजय नगर में लगाया जाना चाहिए। ऐसा तभी किया गया जब इस मामले पर 10 वर्ष से अधिक समय तक आन्दोलन

किया गया। आधारशिला किसी और व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि हमारे प्रिय प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी और मैं उस समारोह में उपस्थित था। लेकिन कर्नाटक के लोगों की यह प्रसन्नता उस समय दुःख में बदल गई जब वित्त मंत्री ने बजट में किए गए वित्तीय आवंटन के बारे में शुद्धि संबंधी वक्तव्य दिया। उन्होंने पहले यह बताया था कि विजयनगर संयंत्र के निष्पादन के लिए 30 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री द्वारा उसका शुद्धिकरण पहले ही किया जा चुका है।

श्री के० लकप्पा : यह विकृत रूपान्तरण इस सदन में दिया गया था और यह कर्नाटक राज्य को बता दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक विधान सभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था, जिसमें इस परियोजना के लिए बजट आवंटन में 30 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए प्रधान मंत्री और भारत सरकार का धन्यवाद किया गया था। कर्नाटक के लोग कुछ समय के लिए प्रसन्न हो गये थे तब मानो जले पर नमक छिड़कने के लिए वित्त मंत्री ने इस सदन में आकर स्पष्टीकरण के रूप में यह बताया कि इस इस्पात संयंत्र के लिए केवल 60 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। क्या यह अपमान नहीं है, क्या यह कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है कि इस इस्पात संयंत्र को जो उनकी शान है, क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और उनकी मांग और आकांक्षाओं को यह सरकार पूरी नहीं कर रही है।

मैं इस संबंध में कई प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1977 में माननीय मंत्री ने बताया था कि परामर्शदाताओं ने अपनी तकनीकी रिपोर्ट दे दी है। 1970, 1971 और 1972 में एक विशेषज्ञ समिति ने इस मामले की जांच की थी और सभी तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विजयनगर इस्पात संयंत्र को थोरानगर नामक एक स्थान पर लगाने के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है। इस 10 वर्षों के विलम्ब के बारे में सदन में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

जब हम दूसरी ओर थे, मेरे माननीय मित्र श्री बीजू पटनायक ने सब पर पानी फेर दिया और इस सदन में गलत वक्तव्य दिये। मैं उनके भाषणों को उद्धृत करना चाहूंगा वह उनसे इन्कार करें। उन्होंने यह जताया है, गत ढाई वर्ष के जनता सरकार के कुशासन ने यह जताया है कि विजय नगर इस्पात संयंत्र अन्यत्र ले जाये जाने की संभावना है।

विजय नगर में इस्पात संयंत्र लगाए जाने के मामले को चिकमगलूर चुनाव में काफी उछाला गया था और प्रत्येक पार्टी ने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि यह स्थापित किया जाएगा तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीस ने चुनावों में विजयनगर इस्पात संयंत्र के बारे में ये भाषण दिये थे कि यह अब कर्नाटक के लिए स्वप्न मात्र ही है। ढाई वर्ष के काले शासन में जनता पार्टी ने इस प्रकार मिथ्यावर्णन किया और कर्नाटक के लोगों में असन्तोष उत्पन्न किया।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 197(2), जो अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान दिलाने से सम्बन्धित है, में निम्न-लिखित व्यवस्था है :

> "ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाये, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में यह मद दिखाई गई है, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा।"

लेकिन यहां माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय कोई वाद-विवाद नहीं हो रहा है। वे सभा के समक्ष कुछ तथ्य पेश कर रहे हैं और उसके माध्यम से वे प्रश्न पर आ रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वे केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। नियम 197(2) में यह स्पष्ट उल्लेख है "कोई वाद-विवाद नहीं होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई वाद-विवाद नहीं है। उनका वक्तव्य प्रश्न की भूमिका के रूप में है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वे जनता शासन पर भाषण दे रहे हैं। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं ?

श्री के० लकप्पा : पहले मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक के लिए गर्व की बात है। इस क्षेत्रील असन्तुलन का होना एक अन्य कारण है, जिसकी वजह से इस इस्पात संयंत्र की वहां स्थापना की जानी है। भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना होने के बाद भी उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय-असन्तुलन बना हुआ है। जब तक कि मैं इन सब तथ्यों को पेश न करूं और इनके सन्दर्भ में प्रश्न न करूं, तब तक किस प्रकार माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मूल प्रश्न पर आएं।

श्री के० लकप्पा : मैं बताना चाहता हूं कि मंत्री के वक्तव्य में मामले के सभी तथ्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है, अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और 6 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। निर्माण कार्य शुरू होने के लिए अब केवल केन्द्रीय सरकार की हरी झंडी का इन्तजार है। हालांकि वह भी काफी समय पहले दिखाई जा चुकी है। फिर भी, इस इस्पात संयंत्र के स्थान-निर्धारण के बारे में अब परस्पर विरोधी वक्तव्य सुनाई पड़ रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र, श्री प्रणव मुखर्जी ने यह बताया है—कि ऐसे इस्पात संयंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए, जो समुद्री तट के समीप हो क्योंकि हम विदेशी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं और यह भी बताया कि इसकी स्थापना में विलम्ब या बाधा का एक मात्र कारण देश के वित्तीय संसाधन हैं। यों तो इस इस्पात संयंत्र के लिए आन्तरिक संसाधन भी जुटा सकते हैं और विदेशी सहायता भी मांग सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि समुद्री-तट स्थित यह इस्पात संयंत्र किस प्रकार निर्यात या आयात के लिए सहायक होगा अथवा इसके लिए विदेशी सहायता प्राप्त करना उचित होगा। मैं इसका खण्डन करना चाहता हूं।

मामले का पूर्व-वृत्त इस प्रकार है :

"वर्ष 1970 में भारत सरकार ने सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजायन ब्यूरो आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, जो वर्तमान मैंटालरजीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटैन्ट्स ('मैकन') की पूर्ववर्ती फर्म थी, को नए इस्पात संयंत्रों के लिए उचित स्थानों का पता लगाने का कार्यभार सौंपा था।"

विशेषज्ञों की राय समुद्री-तट पर स्थित संयंत्र के विरोध में थी। अतः वह सुझाव पूर्णतः गलत है और इससे विजयनगर संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव ही समाप्त हो जाता है।

इसमें आगे यह कहा गया है :

"सी० इ० डी० बी० ने इस स्थान को क्यों चुना, इसके लिए अन्य कई और बातें थीं। सबसे पहली बात तो यह थी कि लौह अयस्क के अतिरिक्त आमतौर पर इस्पात संयंत्र के लिए अपेक्षित प्रत्येक किस्म का कच्चा माल इस स्थान के करीब ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चूना पत्थर और डोलीमाइट यहां से 350 किलोमीटर दूर बंगालकोट के आस-पास के समृद्ध भण्डारों से प्राप्त किया जा सकता है। स्फटिक और मैंगनीज अयस्क यहां से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर सन्दूर नामक स्थान पर उपलब्ध है।"

यह वह स्थान है जहां के मेरे माननीय मित्र श्री घोरपाड़े हैं।

"इस्पात संयंत्र के लिए अपेक्षित भारी मात्रा में जल की पूर्ति के लिए 30 किलोमीटर हॉसपेट के समीप तुंगभद्र जल भंडार विद्यमान है। इस्पात संयंत्र को ऐसी भूमि की आवश्यकता होती है जिसका धरातल समतल हो और जमीन ठोस हो, जो इस पर पड़ने वाले प्रचुर भार को वहन कर सके। इस चुने गए स्थान का भू-भाग और मिट्टी में ये गुण विद्यमान हैं। एक ओर अन्य लाभप्रद बात यह है कि यह क्षेत्र अनुर्वर है और यहां खेती नहीं होती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : यहां कोयले की उपलब्धता की क्या संभावनाएं हैं ?

श्री के० लकप्पा : कोयले पर आधारित इस्पात संयंत्र ही एकमात्र हल है। समुद्री-तट पर स्थित इस्पात संयंत्र की अपनी कमियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अधिक धन चाहते हैं।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने यह बड़े स्पष्ट रूप से कहा है :

"तथापि राजनीतिक अथवा क्षेत्रीय बातों से भी बढ़कर संकीर्णतावादियों ने अपने-अपने सिर उठाने शुरू कर दिए, जिनका पहला उदाहरण उड़ीसा में राउरकेला के स्थान को चुना जाना था .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप भारत के सभी इस्पात संयंत्रों के बारे में बता रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : इस असफलता के कारण सभी इस्पात संयंत्रों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि वे विजयनगर संयंत्र को चालू न करके पारादीप संयंत्र चलाना चाहते हैं।

अन्य स्थानों की पुलना में, इस स्थान की भूमि अनुर्वर है तथा पुनर्वास अथवा क्षतिपूर्ति के भुगतान का यहां कोई प्रश्न नहीं उठता। डोरनाकल से होकर बड़े रेलवे लाईन पहले ही बिछी हुई है। इस क्षेत्र के आस-पास अच्छे किस्म की अपेक्षित अयस्क के प्रचुर भंडार विद्यमान हैं। केवल कोयले की ही समस्या है। उसे बिहार से यहां लाना होगा। परिवहन की सुविधा भी वहां मौजूद है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वहां से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है।

श्री के० लकप्पा : यह दूरी कोई अधिक नहीं है । हमारे पास मद्रास पत्तन और मंगलौर पत्तन हैं । समुद्र-तट पर स्थित सयंत्र की स्थापना को दृष्टि में रखते हुए वे इसे मगलौर में स्थानान्तरित करना चाहते हैं । लेकिन वहां हमारे पास रेलवे- लाइनें, भूमि और यहां तक कि इस्पात सयंत्र की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचा भी नहीं है । इन सब कारणों की वजह से लागत में वृद्धि हो जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री के० लकप्पा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दस वर्षों के दौरान और क्या गत छः महीनों के ही दौरान भारत सरकार ने इस इस्पात संयंत्र के कार्य को शुरू करने के लिए विदेशों से किसी प्रकार की सहायता के लिए अनुरोध किया है । स्थान का चयन कर लिया गया है और तकनीकी राय प्राप्त कर ली गई है । हर काम हो चुका है । कर्नाटक सरकार ने भी 6 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की है । लेकिन वर्तमान केन्द्रीय बजट में इसके लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है । यदि भारत सरकार इस सयंत्र की स्थापना के लिए ससाधन जुटाना चाहती है, तो वह विदेशों से वित्तीय सहायता की मांग कर सकती है । जब विश्व की तकनीकी राय यह है कि इस्पात सयंत्र के लिए विजयनगर एक आदर्श स्थान है तो फिर इसके रास्ते में बाधाएं क्या हैं ? अन्य देशों से वित्तीय सहायता के लिए क्यों नहीं अनुरोध किया गया ? इस लम्बे विलम्ब से लागत में वृद्धि होना अवश्यम्भावी है । इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? दाल में कुछ काला तो नहीं है ? कर्नाटक के लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि विश्व सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया गया है । यह तथ्य कि वर्तमान बजट में इस इस्पात संयंत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, कर्नाटक के लोगों के प्रति की गई लापरवाही, उपेक्षा और अपमान को स्पष्ट रूप से दर्शाता है । विलम्ब के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए । इस इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए विदेशी सहायता क्यों नहीं आमन्त्रित की गई । इस लम्बे विलम्ब से हमें कितनी हानि उठानी पड़ी है ? इस बजट में 30-40 करोड़ रुपया भी इसके लिए क्यों नहीं आवंटित किया गया ? क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि विजयनगर इस्पात संयंत्र के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ? इस पर कार्यवाही होनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हीं बातों को पांच-छः बार कह चुके हैं । पीठासीन अधिकारी के रूप में, मैं आपकी बात समझ रहा हूं ।

श्री के० लकप्पा : मैं जानता हूं, पीठासीन होकर आप वह सब कुछ समझ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं । लेकिन मुझे अपने लोगों को समझाना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात के लिए प्रत्येक व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा कि विजयनगर में इस्पात संयंत्र की स्थापना करवाने का श्रेय आपको है ।

श्री के० लकप्पा : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि वे इसके लिए धन की व्यवस्था करेंगे ? उन्हें यह भी आश्वासन देना चाहिए कि विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थापित होगा और यह उसी स्थान पर लगाया जाएगा जिसके बारे में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कर्नाटक के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और अन्ततः क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करेंगे और विजयनगर में इस्पात संयंत्र परियोजना को क्रियान्वित करेंगे तथा इन अफवाहों को झूठा साबित कर देंगे कि इस्पात संयंत्र को विजयनगर की बजाय कहीं ओर लगाया जाएगा।

(समाप्त)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं श्री लकप्पा के मनोभावों को समझता हूं। लेकिन, साथ ही साथ, मुझे सन्देह है कि उन्होंने मेरी बातों को समझ लिया है, जिनको यहां बताया गया है। उन्होंने इस धारणा के साथ बोलना शुरू किया, जैसे कि विजयनगर इस्पात संयंत्र को स्वीकृति मिल चुकी हो। मैंने बार-बार इस ओर ध्यान दिलवाया है कि इसको अभी स्वीकृति दी जानी बाकी है। सरकार ने अभी नहीं लिया है कि विजयनगर में इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाएगी।

श्री के० लकप्पा : देर क्यों हो रही है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : देरी का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार को अभी इस बारे में निर्णय लेना है कि विजय नगर में इस्पात सयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सम्बन्ध में कतिपय आवंटन किए गये थे, क्योंकि हमें ऐसी सम्भावनाओं की कुछ रिपोर्टें मिली थीं, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हमें भेजी गई थी और इस विषय में कुछ अध्ययन किए गए थे।

यह कोई असामान्य बात नहीं है कि कई बार हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यह हमारे स्रोतों पर निर्भर करता है। वे बार-बार यह पूछ रहे हैं : इसके रास्ते में बाधा क्या है ? बाधा की बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है। यदि कल मेरे पास 750 करोड़ रुपये की राशि हो जाए तो मैं विजय नगर इस्पात सयंत्र का प्रथम चरण शुरू कर सकता हूं। लेकिन बाधा तो यह है कि हमारे पास इतना धन होना चाहिए। उन्होंने समुद्र-तट पर स्थित इस्पात संयंत्र, पारादीप, क्षेत्रीय-असन्तुलन और ऐसी ही अन्य बातों का जिक्र करते हुए अनावश्यक रूप से सारे मामले को उलझा दिया है। विजय नगर में इस्पात संयंत्र की इसलिए स्थापना होनी चाहिए क्योंकि वहां चूने का पत्थर मिलता है, मैंगजीन अयस्क मिलता है, प्रथम श्रेणी का लोहे-अयस्क मिलता है, आदि-आदि। किसी प्रकार का वचन दिया गया है। लेकिन, साथ-साथ, उन्हें इन बातों में विशाखापतनम या पारादीप अथवा अन्य बातों को बीच में नहीं लाना चाहिए।

मैं एक बार ही नहीं, कई बार विस्तृत रूप से यह बता चुका हूं कि जहाँ तक समुद्र-तट पर स्थित इस्पात संयंत्र की स्थापना का सम्बन्ध है, हमें 10 प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलेगी। हमें ऋण का भुगतान करना पड़ेगा और यह हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत भाग को निर्यात करने की व्यवस्था न हो। इस बात में यही तर्क है, हमारे पास उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तक के लिए कोकिंग-कोल नहीं हैं। हमें कोकिंग-कोल का आयात करना है। राख के अंश की वृद्धि होती जा रही है। उन्हें इन सब तकनीकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

वे इस प्रकार सुझाव दे रहे हैं, जैसे 'मैकन' ने सुझाव दिया हो कि विजयनगर सर्वोत्तम आदर्श स्थान है। यह ठीक नहीं है। मेरे माननीय मित्र यहां गलती पर हैं। विजय नगर का

नम्बर सातवां है। यदि उन्हें क्रमबद्धता देखनी है, तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं। यदि यह बात वे नहीं उठाते, तो मैं इसका जिक्र नहीं करता। मैं उन्हें क्रमबद्धता के बारे में अवगत कराना चाहता हूं.....

एक माननीय सदस्य : यह क्रमबद्धता किसने दी है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह 'मैकन' द्वारा ही की गई है, जिनका उन्होंने नाम लिया था। (व्यवधान) श्री लकप्पा ने ही 'मैकन' का नाम लिया था। 'मैकन', जो एक नया नाम है, के अनुसार मैकन एक अनुवर्ती निकाय है, इससे पहले सी० ई० डी० बी० ने क्रकबद्धता दी थी– पारादीप का स्थान पहला है; बोकारो और भिलाई के विस्तार का दूसरा और तीसरा; हल्दिया का चौथा; विशाखापतनम का पांचवा और उसके बाद विजयनगर का स्थान है और फिर मंगलौर का नाम आता है। अतः, इन बातों के पूर्ण ब्यौरे पर विचार किए बिना उन्हें इन तकनीकी मामलों को नहीं उठाना चाहिए।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विजयनगर इस्पात संयंत्र का मामला ही नहीं है.....

(व्यवधान)

मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है; ऐसा करना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री लकप्पा कहेगें, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री महोदय ने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

श्री के० लकप्पा : *

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री लकप्पा इस बात से सहमत हों अथवा न हों। लेकिन उन्होंने इसका उद्देश्य नहीं समझा है; उन्होंने समस्या को ही नहीं समझा है ऐसा कहते हुए मुझे खेद है। उन्होंने कहा कि मैंने कर्नाटक के लोगों का अनादर किया है। मैंने कर्नाटक के लोगों का किस प्रकार अनादर किया है ? यदि आंकड़े प्रस्तुत करने में वित्त मंत्री से कोई चूक हो जाती है और वह इन आंकड़ों को दुरुस्त कर देता है, तो क्या इससे कर्नाटक के लोगों का अनादर हो जाता है ? क्या यही कर्नाटक के लोगों का अनादर है ? उन्होंने पूछा 'आपका तर्क क्या है ?' उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों का अपमान हुआ है। कर्नाटक के लोगों का अपमान नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, आप तो एक वरिष्ठ संसदविज्ञ है; आपको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। उन्हें उत्तर देने दें।

श्री प्रणव मुखर्जी : बिना बात के उन्होंने क्षेत्रीय-असन्तुलन का प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्षेत्रीय असन्तुलन कहां है ? यहां कोई क्षेत्रीय-असन्तुलन नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। अभी मंत्री महोदय बोल रहे है, नहीं, नहीं, श्री लकप्पा, कृपया बैठ जाएं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : हम क्षेत्रीय-असन्तुलन के प्रश्न पर वाद-विवाद करने को तैयार हैं। (व्यवधान)। मैं उस विषय को टाल नहीं रहा हूं। दरअसल कोई क्षेत्रीय-असन्तुलन है ही नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि कल कोई आदमी आकर पूछने लगे, "सरकारी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैं प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री एम० वी चन्द्रशेखरमूर्ति।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, पहले ये मुझे आश्वासन दें कि ये मुझे सुनना चाहते हैं। यदि तीन-चार आदमी ऐसे ही चिल्लाते रहें, तो मेरे उत्तर देने की क्या तुक है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, यह उचित नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है। कृपया बैठ जाइये।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं जोर देकर इस बात का खण्डन करता हूं कि यहां कोई क्षेत्रीय असन्तुलन है। भारत सरकार की कोई ऐसी नियत नहीं है कि यहां क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा किया जाए। केवल चिल्लाने से ही आपसे कोई सहमत नहीं हो जाएगा।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजकर दो मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रणव मुखर्जी, क्या आपने अपना उत्तर समाप्त कर लिया है या अभी आप कुछ और कहना चाहेंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जैसा पहले मैंने शुरू में यह बताया था कि सरकार ने अभी इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे निर्णय नहीं लिया है। जहां तक इसके कार्यक्रम का प्रश्न है, परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पास उपलब्ध है और हमें आशा है कि वे सितम्बर तक इसकी

जांच कर लेंगे। उसके बाद, इसे सरकारी निवेश बोर्ड के पास भेजा जाएगा और इस बोर्ड द्वारा निर्णय ले लेने के पश्चात् आवश्यक आवंटन किया जाएगा। मैं पहले भी यह बता चुका हूं क्योंकि जो आवंटन किया गया है, वह बिल्कुल अपर्याप्त है, इसलिए जब भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, बोर्ड और भारत सरकार इस विषय में निर्णय ले लेगें, तो हम अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से नए आवंटव करेंगे।

जहां तक समुद्र-तट पर स्थित इस्पात संयंत्र का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, माननीय सदस्य को ठीक जानकारी बिल्कुल नहीं है। जब हम किसी विशेष परियोजना के लिऐ वित्तीय सहायता की मांग करते हैं, तो हमेशा ही शत-प्रतिशत हमारी शर्तें स्वीकार नहीं की जातीं। आपसी हितों की पूर्ति करनी पड़ती है। वर्तमान योजना के अन्तर्गत हमें अपने ऋण-प्रभारों की पूर्ति के लिए कुल उत्पादन के आधे भाग का निर्यात करना है। यही कारण है जिसको दृष्टि में रखते हुए समुद्र-तट के समीप इस्पात संयंत्र की स्थापना आवश्यक है।

हमें दो पार्टियों, विशेषकर जर्मन कंपनी मन्नासमैन डेभाग, और ब्रिटिश डेवी स्टील्स से जो प्रारंभिक रिपोर्टें मिली है उसमें उन्होंने अपनी लागत और तट-आधारित इस्पात संयंत्र के आधार पर दूसरी तरह की परियोजनाओं का भी उल्लेख किया है।

मैं इन्हीं दो बातों को और शामिल करना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर मूर्ति। उपस्थित नहीं।

श्री एच० एन० गौडा।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) : जब माननीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आधार शिला रखी तब कर्नाटक के लोगों का ऐसा विश्वास था, क्योंकि जब किसी देश का प्रधान मंत्री आधार शिला रखता है तो यह मान लिया जाता है कि इस तरह की परियोजना आरंभ करना तकनीकी तौर पर संभव है। अतः लोगों ने विश्वास कर लिया। यद्यपि उस समय कुछ लोगों ने कर्नाटक में यह प्रचार किया है कि यह लोगों को गुमराह करने के लिए चुनाव घोषणा मात्र है, फिर भी कर्नाटक के लोगों ने उन लोगों का कभी विश्वास नहीं किया जो प्रचार कर रहे थे, किन्तु प्रधान मंत्री का विश्वास किया क्योंकि जब प्रधान मंत्री आधार शिला रखता है, तो उसके साथ सभी पवित्र भावनाएं जुड़ी होती हैं। अतः लोगों की धारणा थी कि यह तकनीकी तौर पर संभाव्य और 1975 तक कर्नाटक सरकार ने लगभग 5000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया था, और इस भूमि पर, पुनर्वास की कोई समस्या नहीं है, न ही मुआवजा देने का कोई सवाल है। हां परियोजना प्रतिवेदन अप्रैल, 1977 में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को प्रस्तुत कर दिया गया था। अन्य परियोजना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए थे। दुर्भाग्य से, यह परियोजना जांच के लिए अभी तक स्टील अथारिटी के पास पड़ी हुई है, जबकि अन्य परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कन्नड़ लोगों का भाग्य कुछ अधिक अच्छा नहीं है।

सबसे दुर्भाग्य की बात बात यह है। हमारे माननीय मंत्री 24 तारीख को इस सदन में आए और इसकी घोषणा कर दी। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि इसी की वजह

से हमें यहां चर्चा उठानी पड़ी। हम माननीय मंत्री को उत्तेजित करना कभी नहीं चाहते थे। वास्तव में, कर्नाटक के बारे में वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक जानकारी रखते हैं क्योंकि वह कर्नाटक से बहुत अधिक सम्बद्ध हैं : हमें मालूम है, वह हमारी सहायता करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन बात यह है कि 24 तारीख को इस महान सदन में घोरणा की गई थी कि 30 करोड़ रु० आवटित किए गए हैं। बाद में, कर्नाटक में उसकी प्रशंसा में सैकड़ों सार्वजनिक सभाएं हुईं जिनमें भारत सरकार और प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई दी गई। कर्नाटक विधान सभा में भी, 31 तारीख को. दोनों सदनों ने भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए, सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि हमारे देश के इस सर्वोच्च, प्रभुत्व-सम्पन्न सदन की कार्यवाही को अधिक सम्मान दिया जाये। फिर 6 तारीख को, माननीय मंत्री आते हैं और अपने पहले वक्तव्य में सुधार करते हुए वक्तव्य जारी करते हैं। इससे कर्नाटक में बहुत खीझ उत्पन्न हुई है। मैं गुण-दोषों के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय मंत्री को स्वयं मालूम है कि उस लौह अयस्क में लोहे की मात्रा देशभर में सबसे अधिक, अर्थात् 63 से 68 प्रतिशत तक है। वास्तव में, वे लौह चूर्ण से जो गोलियां बनाते हैं उनमें इतना लोहांश नहीं होता; गोलियों (छर्रों) में केवल 62 से 64 प्रतिशत तक लोहांश होता है। लेकिन यहां लोहांश 68 प्रतिशत तक है . ...

उपा-यक्ष महोदय : अपने सवाल पर आइए।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं उसी पर आ रहा हूं। अध्यक्ष-पीठ ने अवशिष्ट शक्तियों में अपने स्वेच्छा-निर्णय का उपयोग करने और कुछ माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति देने में बड़ी उदारता दिखलाई थी.....

उपाध्यक्ष महोदय : वह बात समाप्त हो गई।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : वास्तव में, हमने अध्यक्ष-पीठ की अवशिष्ट शक्तियों के अधीन चर्चा की अनुमति के लिए एक नोटिस दिया था, और जब अध्यक्ष-पीठ ने यह आदेश दिया कि यह मामला ध्यानाकर्षण के रूप में सामने आएगा, तब हमने उस पर आग्रह नहीं किया।

हमारी परियोजनाओं में निवेश करने वालों के बारे में मुझे बताया गया है; यह मंत्री महोदय के लिए है कि वह इसे स्पष्ट करें विजयनगर इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई। केवल तट-आधारित इस्पात संयंत्र के बारे में ही, भारत सरकार द्वारा यह जांच की गई थी कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके लिए धन दे सके और विदेशी सहायता लेकर इस कार्य को कर सके। लेकिन, विजयनगर इस्पात संयंयत्र के बारे में, मुझे बताया है कि उस तरह की कोई जाँच-पड़ताल नहीं की गई। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या कोई विदेशी सहायता उपलब्ध है। मैं उनसे सदन को यह आश्वासन देने का निवेदन करता हूं कि इस परियोजना के वित्त-पोषण के लिए तत्काल जांच, विश्वव्यापी जाँच-पड़ताल की जाएगी।

समस्या इस तरह है। इसमें दस वर्ष लग गये हैं। लोग हमेशा यह सोचते हैं कि हम उन्हें वेवकूफ बना रहे हैं। हम सोचते थे कि सरकार उत्सुकतापूर्वक हमारी मदद करेगी। कर्नाटक के

आम लोग, मतदाता, यहां की जनता यह सोचती है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। चूंकि इस कार्य में हमारा भी हाथ है, इसलिए कृपइा हमें यह बताएं कि क्या संभव है या नहीं। यदि यह संभव नहीं है तो भी कृपया सही बात तो बतलाए। कम से कम सचाई तो बतलाएं कि यह संभव है या नहीं। हमें अंततः यह कह देना चाहिए कि यह संभव नहीं है, तो हमें बताया जाए कि किस तारीख तक कितनी राशि दी जायेगी और किस तारीख से काम उच्चतम प्राथमिकता देकर अथवा युद्ध स्तर पर आरंभ किया जायेगा। हमें चाहिए कि हम इसकी घोषणा कर दें। हो सकता है, तट आधारित संयंत्र के अपने ही फायदे हैं। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, रूस में कोई तट आधारित इस्पात संयंत्र नहीं है अमरीका, जो इस्पात उत्पादन के के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है अपने इस्पात उत्पादन का 90 प्रतिशत भाग तट आधारित परियोजना से प्राप्त करता है, कहीं और से नहीं। भारत में कोयले की समस्या अवश्य रही है। माननीय मन्त्री ने हमें जानकारी दी है कि अब जो ताप और पन बिजली परियोजनाएं तैयार हो रही हैं वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, जहां तक इस परियोनना का संबंध है, उन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहां क्षतिपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। इसके अनेक फायदे हैं। वास्तव में, जब प्रधान मन्त्री कई वर्षों पहले उक्त विद्युत संयंत्र के लिए आधार-शिला रखने वहां आए, तब. समाचार-पत्रों के अनुसार, स्वयं इस्पात प्राधिकरणों द्वारा किया गया पूर्ण, विस्तृत अध्ययन सरकार के पास उपलब्ध था।

अब हमें इसे अन्तिम रूप से समझ लेना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। मैं उन्हें उत्तेजित नहीं कर रहा हूं। मैं सच जानना चाहता हूं। यदि यह संभव है या नहीं है तो कृपया वैसा कहें। यदि यह संभव है, तो हमें बताएं कि सरकार का इसे कब आरंभ करने का विचार है यदि यह संभाव्य नहीं है तो कृपया घोषणा करें कि यह संभाव्य नहीं है हमें लोगों को हमेशा ही मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। माननीय मंत्री से मेरा यही निवेदन है।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं न तो मूर्ख बना रहा हूं और न ही मैं उत्तेजित हो रहा हूं। मैं उत्पन्न तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। यह तथ्यों का विवरण है। मैं माननीय सदस्य की भावना को समझता हूं, मैं कर्नाटक के लोगों की उत्सुकता को भी समझता हूं। आधार-शिला 1971 में रखी गई थी। 1980 तक हम यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या परियोजना स्थापित होने जा रही है या नहीं। मैंने केवल अपनी उन कठिनइायों को स्पष्ट किया है, जो मेरे सामने आई। विवरण के संबंध में, संभवतः माननीय सदस्य यह मानेंगे कि मुझे उससे कुछ लेना-देना नहीं है। वित्त मंत्री ने कुछ आंकड़े दिए और बाद में उन्होंने उसमें सुधार कर दिए। जब यह बताया गया कि विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिए 30 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं तब कर्नाटक के लोगों में बड़ा उत्साह था। और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, राज्य विधान मण्डल में सरकार को इस कार्य के लिए बधाई देते हुए संकल्प भी परित किए गए। अब वे बड़ी अजीब सी स्थिति में हैं। अतः मैंने वित्त मंत्री से विचार-विमर्श किया कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने शुरू में ही श्री जनार्दन पुजारी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तर में आपको बतलाया था कि दो निर्णय दिये गए थे। पहले तो समय-सारणी के अनुसार, सितम्बर, तक विभागीय परियोजना रिपोर्ट (डी० पी० आर०) तैयार हो जानी चाहिए। पी० आई० बी० द्वारा इसे मंजूरी दी जाए। और फिर,

सरकार को निवेश के बारे में निर्णय करना होगा। हम वह करने का प्रयत्न करेंगे। मैं कोई वचन नहीं दे सकता; यदि मैं उसे पूरा नहीं कर सका, आप फिर आकर यह कहेंगे कि आपने वचन दिया था लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर सके। इसे मंजूरी मिलते ही हम इसके लिए अतिरिक्त आवंटन करने के लिए अनुपूरक मांगे लेकर आ सकते हैं। कोई समस्या नहीं होगी।

विदेशों से सहायता उपलब्ध होने के बारे में, माननीय सदस्य के प्रति पूरी निष्पक्षता के साथ, मैं कहना चाहूंगा कि इसे हमारे नोटिस में लाए जाने से पहले, मैंने उनके साथ विचार-विमर्श किया था और मैंने अनौपचारिक रूप से उन्हें बताया कि मैं इस परियोजना के लिए भी कुछ अतिरिक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना की जाँच कर रहा हूं। लेकिन जब तक हमें विदेशों से कोई बचन न मिले, तब तक सदन में कोई वचन देना मेरे लिए संभव नहीं होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : प्राथमिकता देने के बारे में क्या है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहाँ तक प्राथमिकता का संबंध है, प्राथमिकता दी जाती है लेकिन उसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि कोई नया सयंत्र स्थापित करने के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता में से प्राथमिकता दी जाए। हमने 100 प्रतिशत घरेलू संसाधनों से, 1970 के बाद एक भी नया संयत्र स्थापित नहीं किया है। हमने जो कुछ भी किया है, वर्तमान इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिए किया है क्योंकि इस पर कम लागत आती है और जो भी नया संयंत्र हम लगा रहे हैं उसके लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता सोवियत रूस द्वारा दी गई है। हमारे अपने ही संसाधनों से कोई इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। यदि विजयनगर के अलावा, कोई दूसरा सयत्र होता, तो माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई होती कि जब आपने अपने ही संसाधनों से इस्पात संयत्र स्थापित किया है तो आपने विजयनगर परियोजना को ध्यान में क्यों नहीं रखा है। अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है। विशाखापत्तनम के संबंध में ही निर्णय किया गया है जहाँ हम उस संयंत्र की स्थापना के लिए सोवियत रूप से कुछ तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अन्य इस्पात संयंत्रों के बारे में, जहाँ कोई निर्णय नहीं किया गया है, खोज संबंधी बातचीत ही चल रही है।

अतः महोदय, प्राथमिकता दी जा रही है। यदि इस संयंत्र की कोई जरूरत न होती तो मैंने आकर यही कहा होता कि हमने इसकी स्थापना न करने का निर्णय किया है। हम अभी भी इस संभावना की जाँच कर रहे हैं कि हम अपने संसाधनों से कितनी पूर्ति कर सकते हैं और कितना हमें बाहरी संसाधनों से मिलेगा।

अयस्क की किस्म के बारे में कोई इस बहस में नहीं पड़ेगा कि हास्पेट अयस्क की किस्म बहुत ऊँचे स्तर की है और हम इसका निर्यात करके धन अर्जित कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, राजनीतिक परिवर्तनों के कारण आज वे लोग भी पीछे हट रहे हैं जो कुद्रेमुख लोहअयस्क परियोजना के पक्ष में थे। कभी-कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते और, इसीलिए, हमें सहन करना होगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भेजी गई चीनी के गायब हो जाने के समाचार के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपकी अनुमति से मैं निदेश 115 के अन्तर्गत निम्नांकित वक्तव्य देता हूं :

25 जुलाई 1980 को मध्य प्रदेश की उचित दर की दुकानों के लिए महाराष्ट्र से भेजी गई चीनी के गायब होने के समाचारों के बारे में ध्यान आकर्षण सूचना का उत्तर देते हुए श्री वीरेन्द्र सिंह राव ने ध्यान आकर्षण सूचना के उत्तर में अपने लिखित उत्तर में सदन में यह कहा था कि "ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि चीनी गायब हो गयी है।"

24 जुलाई, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार के अनुसार चीनी गायब होने ब्यौरा जब मैंने केन्द्रीय कृषि मंत्री को दिया, तब भी मन्त्री महोदय अपने कथन पर ही अड़े रहे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "मार्ग में चीनी के गायब होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अन्यथा प्राप्त करने वाले स्टेशन पर भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को इसका पता चल जाता।"

किन्तु, 26 जुलाई, 1980 के 'नेशनल हेराल्ड' में भोपाल से छपे विस्तृत समाचार में यह कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने, केन्द्रीय मंत्री द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के आधार पर, चीनी गायब होने के समाचार की अस्वीकृति का खण्डन किया है।

इस सारे मामले का सबसे अधिक आश्चर्यजनक पहलू यह है कि 27 जुलाई, 1980 के टाइम्स आफ इन्डिया (दिल्ली संस्करण) में "केन्द्रीय जाँच ब्यूरो भारतीय खाद्य निगम के चीनी घोटाले की जाँच करेगा" शीर्षक के अन्तर्गत जो समाचार प्रकाशित हुआ उसमें कहा गया है कि "समझा जाता है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का एक पदाधिकारी भारतीय खाद्य निगम के चीनी घोटाले की जांच करने के लिए यहां (भोपाल) आया है।"

समाचार में आगे कहा गया है कि "सरकारी स्रोतों के अनुसार, राज्य पुलिस के आर्थिक एकक द्वारा उसकी (केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के पदाधिकारी) सहायता किये जाने की संभावना है, क्योंकि राज्य सरकार ने उक्त आर्थिक एकक से भारतीय खाद्य निगम द्वारा महाराष्ट्र के भेजी गई चीनी की सप्लाई में तथा कथित कमी की जाँच करने के लिए कहा है।"

अतः यह स्पष्ट है कि 25 जुलाई, 1980 को कृषि मन्त्री ने सदन में जो वक्तव्य दिया वह गलत था और मन्त्री महोदय को इसे शुद्ध करना चाहिए।

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भेजी गई चीनी से लदी दो गाड़ियों के कथित लापता हो जाने के बारे में श्री जी० एम० बनातवाला और अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यान आकर्षण नोटिस के उत्तर में 25 जुलाई, 1980 को मैंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें मैंने यह कहा था कि ऐसी कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि चीनी गायब हो गई है। यह वक्तव्य देने से पूर्व, मैंने भातीय खाद्य निगम से स्थिति मालूम

करवाई थी और में फिर वही बात दोहराता हूं कि मेरे 25 जुलाई' 1980 के वक्तव्य में बताई गई स्थिति सही है। मध्य प्रदेश को जून, तक कुल 1, 32, 715,8 मीटरी टन चीनी के आवंटन में से, 1, 20, 349.3 मीटर्स टन चीनी महाराष्ट्र के चीनी मिलों से आवंति की जा सकी है। इसमें से, जून, के अन्त तक, उन मिलों से मध्य प्रदेश को 1, 06, 274 मीटरी टन चीनी भेजी जा चुकी है और 97, 030 मीटरी टन चीनी उन्हें प्राप्त हो चुकी है शेष 9,244 टन चीनी मार्ग में है।

मैंने 24 जुलाई के हिन्दुस्तान टाइम्स, 26 जुलाई, के नेशनल हैराल्ड और 27 जुलाई के टाइम्स आफ इन्डिया में छपे समाचारों को भी देखा है और विभाग ने केन्द्रोय जाँच ब्यूरो से फिर स्थिति मालूम की है. जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश को भेजी गई चीनी की मात्रा में कमी होने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई छान बीन या जाँच नहीं की गई है अथवा न ही की जा रही है। तथापि, उन्होंने सूचित किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र की चीनी मिलों द्वारा भोपाल को भेजी गई लगभग 40,000 मीटरी टन चीनी के रेल वैगनों के कथित लापता हो जाने के बारे में राज्य सरकार के आर्थिक अपराध विंग को 22 जुलाई 1980 को जाँच का कार्य सौंपा था। यह इस जांच के संबंध में था कि मध्य प्रदेश सरकार नेपाल के आर्थिक अपराध विंग के उप-महा निरिक्षक ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जबलपुर से 24 जुलाई 1980 को यह अनुरोध किया था कि भारतीय खाद्य निगम के रिकार्ड की छानबीन करने में सहायता करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। अतः यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने इस मंत्रालय से परामर्श किए बिना अथवा मन्त्रालय के सूचित किए बिना, अपनी ओर से ही, स्थानीय स्तर पर यह कार्यवाही की थी। वास्तव में, जब 28 जुलाई को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस स्थिति का पता लगाया जा रहा, था मेरे मन्त्रालय ने इस समाचार के बारे में तभी राज्य सरकार को भी लिखा था। लेकिन अभी तक उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः 'नेशनल हैराल्ड' में प्रकाशित समाचर के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि राज्य सरकार ने मेरे वक्तव्य का खण्डन किया है। यह प्रतीत होता है कि भोपाल से प्रकाशित समाचार (25 जुलाई) संभवतः उस तारीख से पहले का था जब मैंने ससद में स्थिति स्पष्ट की थी क्योंकि उसमें "सरकारी विभागों में जांच पड़ताल" और "भारतीय खाद्य निगम के स्पष्टीकरण" का हवाला है।

मैंने जो स्थिति बताई है उसकी दृष्टि में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा सदन को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय क्या आप इस वक्तव्य से संतुष्ट हैं ? क्योंकि, वह पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य सरकार ने वास्तविक तथ्यों की पुष्टि करते हुए अथवा उनसे इन्कार करते हुए उन्हें कोई उत्तर नहीं भेजा है उन्हें वक्तव्य देने से पहले उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा भी है, उन्होंने सच्चाई बता दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने अपने वक्तव्य की एक प्रति अध्यक्ष महोदय को दी थी। मन्त्री

महोदय ने भी अध्यक्ष महोदय को वक्तव्य की प्रति प्रस्तुत की होगी। अब, क्या अध्यक्ष महोदय उस वक्तव्य में दिये गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं जो वक्तव्य माननीय मन्त्री ने अभी-अभी सदन में दिया है? उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं यह स्वीकार किया है कि उन्हें मध्य प्रदेश सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उसका मतलब है कि कुछ भेद अवश्य है, वह चाहे यहां हो या वहां।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, वैसा नहीं है।

श्री मूल चन्द वर्मा : .....*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कहेंगे उसे सभा के कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। यह उचित नहीं है। मुझे बहुत खेद है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपको बैठना ही होगा।

श्री फूल चन्द वर्मा : ....*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझसे प्रश्न न करें। आप व्यवस्था का पालन कीजिए। आपको बैठना ही पड़ेगा। क्या आपने लिखित में सूचना दी है। आपने लिखित में कोइ सूचना नहीं दी है।

श्री फूल चन्द वर्मा : ..... *

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री कुरियन वक्तव्य दे।

कच्चे काजू की आयात नीति के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

प्रो० पी० जे० कुरियन : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निदेश 115 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं।

वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते समय माननीय वाणिज्य मन्त्री ने 7 जुलाई, 1980 को इस सभा में घोषणा की थी कि वे काजू के आयात को "गैर-सरकारी लोगों को अनुमति नहीं देंगे।" केरल के मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में आये शिष्टमंडल को भी उन्होंने यही आश्वासन दिया। मेरे द्वारा 18 जुलाई, 1980 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 480.2 के उत्तर में उन्होंने कहा है "कि काजू का आयात भारतीय काजू का आयात भारतीय काजू निगम के माध्यम से ही हो रहा है।"

परन्तु माननीय श्रम मन्त्री ने 17 जुलाई, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4549 के अपने उत्तर में कहा है कि :

---

*सभा के कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

श्रम मन्त्री के इस नीति वक्तव्य से वाणिज्य मन्त्री के उत्तर के सम्बन्ध में अस्पष्टता उत्पन्न हो गई है। वास्तव में यह वक्तव्य वाणिज्य मन्त्री द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 4802 के 18 जुलाई, 1980 के उत्तर में दिये गये नीति वक्तव्य के विपरीत है।

इन परिस्थितियों में वाणिज्य मन्त्री को चाहिए कि वे स्थिति को स्पष्ट करें और इस सभा को बतायें कि सरकार की ठीक नीति क्या है। यदि नीतिपात्र निर्माताओं को भी आयात की अनुमति देने की है, जैसा कि श्रम मन्त्री द्वारा कहा गया है, तो वाणिज्य मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति किस प्रकार से की जायेगी। अतः मेरा वाणिज्य मन्त्री से अनुरोध है कि इस अस्पष्टता को दूर करें और सरकार की ठीक नीति बतायें और यह आश्वासन दें कि किन्हीं भी परिस्थितियों में गैर-सरकारी पार्टियों को कच्चे काजू के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी और केवल भारतीय काजू निगम के माध्यम से ही पर्याप्त मात्रा में काजू का आयात किया जाएगा।

वाणिज्य, इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : कच्चे काजुओं का आयात 1 सितम्बर, 1970 से भारतीय काजू निगम के माध्यम से सारणीबद्ध है।

(1) पूर्वी अफ्रीकी देशों की स्वयं की संसाधन आवश्यकताओं के लिए काजू की मात्रा को छोड़ने के बाद जिसमें नई क्षमता की स्थापना के साथ निरन्तर वृद्धि हो रही है, इन परम्परागत स्रोतों से कच्चे काजू की निर्यात योग्य अधिशेष मात्रा में कमी हुई है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय काजू निगम द्वारा आयात की मात्रा 1.95 लाख टन से कम होकर 1978-79 में 34,000 टन हो गई है। कुछ छोटी मात्रा के आयात गैर-परम्परागत स्रोतों से किए जायेंगे।

(2) 1979-80 में कच्चे काजू का लगभग 1.10 टन स्वदेशी उत्पादन का अनुमान है। देश में अधिष्ठापित संसाधन क्षमता का अनुमान 4.5 लाख टन है। काजू संसाधन उद्योग में लगभग 1.5 लाख कर्मकार काम करते हैं। अतः उनको वर्ष भर काम देने के लिए लगभग 4.5 लाख टन कच्चे काजू की अनुमानित आवश्यकता है।

(3) कच्चे काजू की संसाधन के लिए उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से जुलाई 1979 में एक योजना तैयार की गई थी जिसके अन्तर्गत निर्यातो-निर्यातकों को भारतीय काजू निगम की अनुमति और उनके द्वारा अपने आयात की 50 प्रतिशत मात्रा को सभी पात्र कारखानों में वितरण करने हेतु भारतीय काजू निगम को अभ्यर्पित करने की शर्त के अधीन गैर-परम्परागत स्रोतों से (तनजानिया, मोजम्बीक, केन्या तथा मलावी को छोड़कर) कच्चे काजू का आयात करने की अनुमति दी गई। सरणीकरण की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत केरल राज्य काजू विकास निगम जैसे राजकीय निगम, निर्माता-निर्यातक के रूप में, गैर-परम्परागत स्रोतों से कच्चे काजू का आयात करने के पात्र हैं।

(4) इस विशेष योजना के बावजूद, जो भारतीय काजू निगम द्वारा जुलाई 1979 में घोषित की गई थी, कच्चे काजू की पर्याप्त मात्रा का आयात नहीं किया जा सका और कच्चे काजू की सप्लाई को बढ़ाने के विचार से एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मामले में निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन गुणों के आधार

पर आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा पुन: निर्यात करने के लिए भारत में संसाधन हेतु सीमित मात्रा में कच्चे काजू के सीधे आयात की अनुमति दी जा सकती है। यह उप-बन्ध बहुत कठोरता से लागू किया जायगा और इसे किसी गैर-सरकारी संसाधक द्वारा कच्चे काजू का सीधा आयात करने की खुली अनुमति नहीं माना जा सकता ।

(5) जैसा कि मैंने लोक सभा में 7 जुलाई, 1980 को वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा का उत्तर देते समय और राज्य सभा में 8 जुलाई, 1980 को भी आश्वासन दिया है, गैर-सरकारी पार्टियों को कच्चे काजू के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि राजकीय काजू निगम आयात की व्यवस्था कर सकें। मैं यह बताना चाहूंगा कि केरल के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता वाले शिष्टमंडल द्वारा 7 जून, 1980 को मिलने के बाद से किसी गैर-सरकारी पार्टी को कच्चे काजू का आयात करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। वर्तमान नीति के अन्तर्गत राजकीय काजू निगमों को निर्माता-निर्यातक के रूप में गैर-परम्परागत स्रोतों से कच्चे काजू के आयात की अनुमति है बशर्ते कि वे आयातित काजू की 50 प्रतिशत मात्रा सभी प्राप्त एककों में वितरण हेतु भारतीय काजू निगम को अभ्यर्पित करें। वर्तमान नीति के अन्तर्गत राजकीय काजू निगमों को प्रत्येक मामले में निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन गुणों के आधार पर पुन: निर्यात करने के लिए भारत में संसाधन हेतु सीमित मात्रा में कच्चे काजू के सीधे आयात की भी अनुमति दी जा सकती है। अत: नीति में कोई अस्पष्टता नहीं है। कच्चे काजू के आयात भारतीय काजू निगम के माध्यम से सरणीवद्ध करने की नीति अभी भी जारी है और भारतीय काजू निगम कच्चे काजू की अधिकतम मात्रा के आयात के प्रयास करता रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई राजकीय काजू निगम द्वारा कच्चे काजू के आयात की अनुमति मांगी जाती है तो आयात नीति के अनुरूप उनको इसकी अनुमति दी जायेगी ।

समिति के लिये निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुबैय्या) : श्री भीष्म नारायण सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से प्राक्कलन समिति के शेष कार्य काल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री टी० आर० शमन्ना के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्याग पत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से प्राक्कलन समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री टी० आर० शमन्ना के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, विधेयक

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य के श्री चित्रा तिरूनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्सड स्टडीज इन स्पेशियनिटीज, त्रिवेन्द्रम को राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन और उससे सम्बन्धित क्वियरें का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"केरल राज्य के श्री चित्रा तिरूनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्सड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज त्रिवेन्द्रम को राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन और उससे सम्बन्धित्त विषयों का उपवन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

नियम (377) के अधीन मामले

(1) 'समाचार' में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समाचार "ए" वर्ग की

संवाद समिति थी और उनमें कार्यरत सभी कर्मचारियों को "ए" वर्ग का वेतनमान दिया जाता था। समाचार ने स्वयं कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन समाचार के विघटन के समय उन्हें भी पी० टी० आई०, यू० एन० आई०, समाचार भारती और हिन्दुस्थान समाचार में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उस समय और कोई विकल्प नहीं था।

समाचार के कर्मचारियों को सरकार, समाचार तथा जिन संवाद समितियों में वे कार्यरत हैं, न आश्वासन दिया था कि उनके वेतनमान और सेवा-शर्तों की पूरी सुरक्षा की जायेगी। अब जबकि पालेकर ट्रिब्युनल ने अपने टेन्टेटिव प्रोपोजल्ज में संवाद समितियों का वर्गीकरण राजस्व के आधार पर किया है, ऐसे में समाचार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी? उनके वेतनमान और सेवा-शर्तों की सुरक्षा किस प्रकार की जायेगी?

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का सारा खर्च छः वर्षों तक स्वयं सरकार ने उठाने का आश्वासन दिया था और उसका संवाद समितियों के राजस्व से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि उन्हें कौन सा वेतनमान दिया जायेगा, क्योंकि वह उन्हें "ए" श्रेणी का वेतनमान देने के लिए वचनबद्ध है?

क्या सरकार अपने वायदे को निभायेगी?

(2) पश्चिम रेलवे के रतलाम-कोटा डिवीजन में रेल सुविधा

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम रेलवे के रतलाम और कोटा रेल मंडलों के अन्तर्गत बढ़े हुए रेल यातायात के कारण प्रायः रेल के डिब्बों में जगह न होने से यात्रियों को अपना जीवन खतरे में डाल कर रेल डिब्बों के ऊपर चढ़ कर अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। लखनऊ से कोटा के बीच चलने वाली अवध एक्सप्रैस को रतलाम तक तथा अहमदाबाद से रतलाम के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी को उज्जैन तक बढ़ाया जाये। इन्दौर से दिल्ली तथा रतलाम से भोपाल के मध्य तेज गति की रेल सेवा उपलब्ध कराई जाये। इन्दौर-भोपाल रात्रि एक्सप्रैस में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का शायिकायुक्त एक कोच उज्जैन से जोड़ा जाए। दिल्ली-बम्बई तथा बम्बई-दिल्ली के बीच चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों में उज्जैन के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के आरक्षण में वृद्धि की जाए। दिल्ली-बम्बई मुख्य रेल मार्ग से औद्योगिक, सांस्कृतिक महत्व के नगर इन्दौर-देवास-उज्जैन को सीधा जोड़ने के लिए उज्जैन-आगरा सुसनेर-झालावाड़-पाटन-रामगंज मंडी तथा उज्जैन से महिदपुररोड तक नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण कराया जाए।

आशा है कि माननीय रेल मंत्री जी रेल यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

(3) केरल को सीमेन्ट के कोटे का आवंटन

श्री ई. के. इम्बीचीबावा (कालीकट) : केरल में सीमेन्ट के केन्द्रीय आवंटन में भारी कटौती के कारण चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। केरल की कुल तिमाही मांग का अनुमान 10 लाख टन है। केरल को प्रति तिमाही 3.29 लाख टन सीमेन्ट का केन्द्रीय आवंटन किया जा रहा है।

परन्तु सरकार ने अचानक ही इसे कम करके 1.99 लाख टन कर दिया है। जैसा कि आप भली प्रकार से देख सकते हैं, इस कम मात्रा के आवंटन से हमारी 20 प्रतिशत मांग की भी पूर्ति नहीं होगी। सभी निर्माण गतिविधियों में भारी कटौती करनी होगी। वर्षा काल के दौरान, भारी वर्षा तथा बाढ़ों के कारण बहुत-सी इमारतें, सड़कें, पुल आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इनकी तत्काल आधार पर मरम्मत करानी होगी।

इसके अतिरिक्त सिंचाई तथा पन-बिजली परियोजनाओं का सारा निर्माण कार्य भी सीमेंट की कमी के कारण रुक जाएगा।

इस स्थिति में केरल को सीमेन्ट के आवंटन में भारी कटौती किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। अतः मैं उद्योग मंत्रालय से अनुरोध करता हू कि सीमेन्ट के आवंटन को कम से कम 3.29 टन के स्तर पर बहाल किया जाए।

(4) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग न किए जाने के समाचार

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित एक सौ करोड़ रुपये की राशि में से केवल पचास करोड़ ही खर्च किये जा सके हैं। शेष पचास करोड़ रुपयों का उपयोग केवल इस कारण नहीं हो सका है कि आदिवासी जिलों के लिए सीमेंट की उपलब्धि नहीं कराई जा सकी। आदिवासी कल्याण योजना के अन्तर्गत कुएं निर्माण, शाला भवन, पंचायत भवन, लघु सिंचाई बांध, छात्रावास भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट की आवश्यकता रहती है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीमेंट का आवंटन आदिवासी कल्याण योजना के निर्माण कार्यों हेतु इन जिलों में नहीं किये जाने से ही उक्त राशि का उपयोग नहीं हो सका है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए काफी रकम का अलाटमेंट किया गया है। वहां भी इस रकम का समुचित उपयोग नियत समयावधि में नहीं किया जाता है। इसी प्रकार सीमेंट की उपलब्धि कई जिलों में नहीं कराई जाने से उपभोक्ताओं को बहुत तकलीफ होती है एवं काला बाजार में सीमेंट 50-55 रुपया प्रति बोरा के हिसाब से बेची जाती है, आदिवासी कल्याण योजना की राशि का उपयोग नहीं किये जाने से आदिवासियों में भयंकर असंतोष व्याप्त है एवं उन्हें शासन द्वारा उनके लाभ एवं विकास के लिए बनाई गई योजना के परिणामों से वंचित होना पड़ता है।

अतः मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिये जावें कि वह आदिवासियों के कल्याण के लिए आवंटित राशि का नियत समयावधि में उपयोग करें तथा आदिवासी जिलों में सीमेंट वितरण की विशेषकर आदिवासी-सब-प्लान के अन्तर्गत चलने वाले निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट वितरण हेतु विशेष व्यवस्था करें ताकि केन्द्र द्वारा दी गई राशि का पूरा उपयोग हो सके। इसी प्रकार के निर्देश अन्य राज्य सरकारों को भी दिये जायें जहां आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा बड़ी राशि का आवंटन किया गया है।

(5) हिमाचल प्रदेश की रेणुका चौपाल और शिलाई तहसीलों का विकास

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

हिमाचल प्रदेश की रेणुका, चौपाल तथा शिलाई तहसीलों को ट्राइबल एरिया घोषित किया जाना चाहिए । इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां के लोगों के रीति-रिवाज ठीक वही हैं जो उससे लगे उत्तर प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में हैं । वहां पर इनकी रिश्तेदारी भी है । यों भी यह क्षेत्र काफी पिछड़े हुए हैं और लैंड होल्डिंग भी यहां के लोगों के हाथ में नहीं है । इन क्षेत्रों में कोई कालेज आदि नहीं है । उक्त क्षेत्र पिछड़े होने के कारण वहां कोई सरकारी कर्मचारी या अध्यापक जाना नहीं चाहता है । देश स्वतंत्र हुए 33 वर्ष होने जा रहे हैं किन्तु वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हैं । केन्द्रीय सरकार की ओर से भी वहां पर कोई किसी प्रकार का उद्योग या कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है । सड़कें कच्ची हैं । इन क्षेत्रों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष अनुदान प्रदान करे और वहां के लोगों को पुलिस आदि में भर्ती के लिए समानता के आधार पर अवसर दिये जायें और शिक्षा आदि की सुविधा दिलाने के साथ-साथ वहां आई० टी० आई० के केन्द्र खुलवाये जायें ।

(6) राजस्थान में निर्धन किसानों को तकावी ऋण देना

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

राजस्थान में हर साल मानसून शुरू होने पर गरीब किसानों को उनके खेत काश्त करने के लिए शार्ट टर्म लोन के रूप में तकावी बांटी जाती है । यह तकावी शार्ट टर्म (लोन) सूखे के बाद के साल में विशेष रूप से बहुत बड़ी मात्रा में बांटी जाती थी । यह साल सूखे के बाद का है लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने किसानों को कोई तकावी नहीं दी । इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से गरीब किसान, विशेषकर हरिजन तथा आदिवासी किसान अपने खेत जोते बिना रह गये । इससे गरीब किसानों का अहित तो हुआ ही लेकिन अनाज का उत्पादन भी गिरेगा । बहुत से हरिजन तथा आदिवासी किसानों ने अपने खेत काश्त करने के लिए दूसरी जाति के सम्पन्न किसानों को दे दिए हैं तथा राजस्थान सरकार की इस कार्यवाही के कारण उनको अपने ही खेतों में मजदूर बनना पड़ा है ।

(7) रेलवे के प्लाटों का नीलाम करने सम्बन्धी रेलवे की नीति

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : रेल मन्त्रालय ने विभिन्न व्यक्तियों को व्यापार के प्रयोजनों के लिये रेलवे की जमीन के प्लाट नीलाम करने की नई नीति अपनाई है । इससे पहले, प्लाटों का आवंटन एक समिति द्वारा किया जाता था और ऐसे व्यक्ति, जिनको प्लाट मिलते थे, रेलवे को मासिक किराया देते थे । पुराने भूतपूर्व रेल कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों के लड़कों तथा निर्धन दुकानदारों और फेरीवालों सहित बहुत से आम व्यक्ति उक्त नीति के अन्तर्गत प्लाट प्राप्त कर सकते थे । नई नीति से केवल अमीर लोग ही रेलवे के प्लाट ले सकेंगे और उन पर एकाधिकार कर सकेंगे । रेल मंत्री को तत्काल इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये जिससे कि नई

नीति को समाप्त किया जाये । अन्यथा, रेल मंत्रालय की अगीर-उन्मुख नई नीति के कारण गंभीर असन्तोष के कारण रेल बस्तियों में गम्भीर अशांति पैदा हो जायेगी ।

(8) राजस्थान के अकालग्रस्त भागों को तुरन्त अनाज भेजना

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर वक्तव्य देना चाहता हूं :

राजस्थान के दक्षिणी भाग के आदिवासी क्षेत्रों में वर्षा नदारद । अकाल काम बन्द, पुराने अकाल में नये अकाल का प्रवेश, अनाज की कमी के कारण अनाजों के भाव गगन-चुम्बी, शक्कर के भाव 10-12 रुपये प्रति किलो, मजदूरों को दो-दो माह से भुगतान नगण्य, भारतीय कृषि निगम से कोई अनाज नहीं भेजे जाने से अकाल भयंकर स्थिति भुखमरी में परिवर्तित हो रही है । अतः केन्द्रीय सरकार अनाज की व्यवस्था कर मजदूरों के लिये राज्य सरकार को निर्देश दिलाये ।

(9) पंजाब में उपलब्ध आवश्यकता से अधिक धान की खरीद

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : पंजाब में अधिशेष धान की खरीद के कोई प्रबन्ध नहीं हैं । भारतीय खाद्य निगम द्वारा, जिसको उत्तरदायित्व ग्रहण करना है, राज्य में फालतू भंडार के 25 प्रतिशत की खरीद का भी निर्णय नहीं किया जा रहा है । आने वाले मौसम में यह संभावना है कि राज्य में 45 लाख टन धान बाजार में आएगा । राज्य सरकार उसकी खरीद के लिये तैयार नहीं है चूंकि इसके पास अधिक मात्रा के भंडारण के लिये गोदाम नहीं हैं और धान के बढ़े हुए उत्पादन के अनुरूप धान-मिल क्षमता नहीं है । भावी तीन वर्षों में विपणन योग्य अधिशेष मात्रा 70 लाख टन होगी ।

राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा धान के उत्पादन के सम्बन्ध में अनुमान तैयार नहीं किये जा रहे और स्थिति का सामना करने हेतु भंडारण तथा अन्य व्यवस्था नहीं की जा रही । इसके कारण धान उत्पादकों के सामने प्रतिवर्ष दिक्कतें पैदा होती हैं और उनको धान के अधिशेष भंडार को बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अब केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को राज्य में धान की सारी अधिशेष मात्रा की खरीद के बारे में आपस में फैसला करना चाहिये । यदि शीघ्र ही ऐसा नहीं किया जाता तो कृषकों के बीच असन्तोष उत्पन्न हो जायेगा और धान की बढ़ती उपज को धक्का लगेगा ।

इस बीच सरकार को विशेष रूप से उम्दा किस्म के चावल के भारी मात्रा में निर्यात की संभावनाओं का पता लगाना चाहिये जिससे कि कृषकों की सहायता हो सके ।

(10) स्वतंत्रता सेनानी राजा महेन्द्र प्रताप की समाधि का संरक्षण करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

देश के महान क्रांतिकारी देशभक्त व त्यागी नेता स्व० राजा महेन्द्र प्रताप, जिन्होंने अपनी रियासत के एक भाग का दान करके प्रेम महाविद्यालय, जो दस्तकारी के साथ पढ़ाई कराने वाला

प्रथम विद्यालय था. की स्थापना की। देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी नेता राजा साहब को अंग्रेजी सरकार ने द्विद्रोही घोषित करके 32 वर्ष तक अपने देश में नहीं जाने दिया। दान के बाद बची हुई उनकी समस्त रियासत को जब्त कर लिया और वह जब्त की हुई रियासत देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी वापस नहीं मिली। विदेशों में रहकर 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के समय देश की स्वतंत्र सरकार की काबुल में स्थापना की। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। उस सरकार को अन्य कई देशों की सरकारों ने मान्यता दी। स्वर्ग-वासी होने से पूर्व अपने परिवार के स्थान पर प्रेम महाविद्यालय के लिए बची हुई सम्पत्ति की वसीयत दी।

उनकी इच्छा के अनुसार यमुना के किनारे प्रेम महाविद्यालय के सामने राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना की बालू में समाविष्ट किया गया। देश के प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उनका स्मारक बनाने का आश्वासन दिया था।

केन्द्रीय सरकार के आवास मंत्री ने 8 जुलाई, 1980 को अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सरकार के सम्मुख राजा साहब के स्मारक का विषय विचाराधीन नहीं है।

देश के महान देशभक्त, क्रांतिकारी, स्वतन्त्रता सेनानी, असाधारण त्यागी नेता राजा महेन्द्र प्रताप, जिन्होंने समस्त देशों की एक सरकार —संसार संघ बनाने की विचारधारा रखी, सब धर्मों के विचारों को लेकर प्रेम धर्म की स्थापना की, जिन को देश की तत्कालीन प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जहां स्वतन्त्रता सेनानियों को ताम्रपत्र व पेंशन देकर सम्मानित करके प्रशंसनीय कार्य किया था वहीं सर्वप्रथम ताम्रपत्र राजा महेन्द्र प्रताप को देकर और उन्हीं के सभापति भें स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करके विशेष प्रशंसनीय कार्य किया था। वे ही देश की स्वतंत्रता सेनानियों की समिति के सभापति थे। आज यमुना के किनारे बालू में बनी उनकी समाधि यमुना की बाढ़ के कारण खतरे की स्थिति में पहुंच गई है। कभी भी उनकी समाधि उनके पार्थिव शरीर के साथ यमुना में बह सकती है। यदि ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को इसके लिए माफ नहीं करेगी।

माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिनके दिल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान है, जिसका प्रमाण लोक सभा के इसी सत्र में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर और उसे सम्माननीय बना कर एक प्रशंनीय कार्य किया है से निवेदन है, कि इस असाधारण महत्व के कार्य में उनकी समाधि की रक्षा के लिए व्यवस्था करने की कृपा करें। इस समाधि की रक्षा किया जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को मैं सदन, सरकार और माननीय प्रधान मन्त्री जी की जानकारी के लिए रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ पढ़ा उसमें से कुछ बातों को अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा जिनके लिए अनुमति दी गई है केवल वे बातें कार्यवाही-वृत्तान्त में ली जायेंगीं। यह आपकी सूचना के लिए है।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक— 1980 जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक पर आगे विचार करेगी ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार को मैंने अपनी बात शुरू की थी और अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था ।

मैं एक बात तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो डाक वर्कर्स रेगूलेशन आफ एम्पलायमेंट एक्ट, 1948 है, यह बहुत पुराना पड़ गया है । इसलिए इसके जितने भी सेक्शन्स हैं, उनके जरिये से अगर सारे वर्क को रेगूलेट करें तो निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयां इस सम्बन्ध में उपस्थित हो सकती हैं । इसलिए मैं बहुत सारे सेक्शन्स के सम्बन्ध में अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं । इस सारे सेक्शन्स में कुछ तरमीम होनी चाहिए जिससे डाक में जो कामगार कम करते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल सकें । मैंने उस दिन आप से निवेदन किया था कि डॉक्स के अन्दर जो वर्कर्स काम करते हैं, उनको रेगूलर करने के लिए पर्मानिन्ट और टाम्पोरेरी की व्यवस्था की बात इसमें कही गई है मगर डाक्स में और भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, जिनके बारे में इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है जैसे आपके केजुअल वर्कर्स हैं वहां काम करते हैं या और भी तरह के वर्कर्स हैं जो रेगूलर या पर्मानिन्ट एम्पलाइज के स्थान पर काम करते हैं । वे उनके स्थान पर काम करते हैं और वे आल्टरनेट रूप से काम करते हैं, जिनको कुछ स्थानों पर बदली के वर्कर्स के नाम से पुकारा जाता है । इसके साथ-साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो एप्रेन्टिस के तौर पर डॉक्स में काम करते हैं । ऐसे लोगों के लिए किसी प्रकार का प्राविधान इस नये एमेंडमेंट बिल में नहीं किया गया है या इस एक्ट में नहीं है । केवल इस प्रकार की बात इसमें रखी गई है कि कोई एक्ट या बिल जब बनायेंगे, तो पार्लियामेंट के सामने रखेंगे । इस तरह के डॉक्स वर्कर्स की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा । इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से इस बिल के अन्दर होना आवश्यक है, जिससे जो वर्कर्स वहां काम करते हैं, उनको ठीक प्रकार से वर्क मिल सके और जितने वैजेज उनको मिलने चाहिए उतने वैजेज उनको मिल सकें ।

इसमें एक प्रावधान यह दिया गया है कि कोई भी वर्कर है, जिसको काम नहीं मिलेगा, तो उसको मिनिमम वेजेज दिए जायेंगें । मिनिमम वेजेज क्या होंगे । आज जो रेगूलर वर्क करते हैं, उनको 10, 15 या 20 रुपये रोज मिलता है । अगर वर्क नहीं मिलता है, तो काम के अभाव के अन्दर निश्चित रूप से ऐसी इन्डीस्ट्रीज हैं, जहां पर उनको उतना पैसा मिलता है । अगर कोई अनफोरसीन चीज हो जाए, ऐसी बात हो जाए कि बिजली खत्म हो जाए और ऐसे साधन न हों जिनकी वजह से कारखाना न चल सके, तो उस प्रकार की व्यवस्था में तो उन को वेजेज नहीं मिलेगा लेकिन यहां पर काम के अभाव में मिनीमम वेजेज देने की जो बात कही गई है, वह निश्चित रूप से ठीक नहीं है । उनको भी उसी प्रकार से पैसा मिलना चाहिए जिस प्रकार से उन लोगों को मिलता है जो कि वहां रेगूलर तरीके से काम करने हैं ।

एक बात मैं एडवायजरी कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं। इसके बारे में यह व्यवस्था की गई है कि इसमें वर्कर्स से भी सदस्य लिए जायेंगे, जो कम्पनीज हैं, उनके प्रतिनिधि भी इसमें रखे जायेंगे और उनके साथ-साथ गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जहां तक वर्कर्स का ताल्लुक है उनका इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर आप वर्कर्स को सारी सुविधाएं देना चाहते हैं और उन्हें पूरी तरह से पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं तो आपको यह देखना है कि वर्कर्स के रिप्रेजेन्टेविज इसमें माइनारिटी में न रहें। आप इसमें बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त कर देंगे, एम्प्लाईज के रिप्रेजेन्टेटिव्ज उसमें आयेंगे। इस तरह से डाक वर्कर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज जो होंगे वे माइनारिटी में रह जायेंगे। इस तरीके से वर्कर्स के हितों का ठीक प्रकार से ख्याल नहीं रखा जा सकेगा। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि डाक वर्कर्स के हितों का आपको पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए और उनके इसमें आधे रिप्रेजेन्टेटिव्ज होने चाहिएं। नेअरमेन भी गवर्नमेंट नामिनेट करेगी। चेअरमेन भी वर्कर्स की तरफ से होना चाहिए। ऐसा चेअरमेन होना चाहिए जो कि वर्कर्स को रिप्रेजेन्ट करे ताकि वह वर्कर्स के हितों का अच्छी तरह से ख्याल रख सकें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो वर्कर्स वहां काम करने वाले हैं, काम करते वक्त, मान लीजिए, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी और प्रकार की कैंजुअल्टी हो जाती है, या उनका किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके कम्पेनसेशन के बारे में इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है, न कोई प्रावधान पुराने एक्ट में है। इस प्रकार का प्रावधान इसमें होना चाहिए कि ऐसी हालत में पूरे तरीके से उन्हें कम्पेनसेशन मिल सके। फिलहाल न पुराने एक्ट में यह प्रावधान है और न इस अमेंडमेंट बिल में है।'

लेबर कोर्ट के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोर्ट एम्प्लायर और एम्प्लायी के बीच में डिसीजन नहीं कर सकती है। क्योंकि उसमें एम्प्लायर प्रतिनिधि भी रहते हैं और लेबर के भी प्रतिनिधि रहते हैं। इनके लिए एक इंडीपेंडेंट कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। उसी कोर्ट के जरिये या ट्रिब्युनल के जरिये से जब कोई एम्प्लायर और एम्प्लायी के बीच में विवाद हो तो, उसके जरिए से ही फैसला होना चाहिए। इससे जल्दी से जल्दी फैसला हो सकेगा और जल्दी से जल्दी लेबर को इमदाद मिल सकेगी। इसी तरह से लेबर की सुरक्षा हो सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की जानी चाहिए।

वेल्फेअर फण्ड के बारे में भी आपने जिक्र नहीं किया है कि आप फण्ड किस प्रकार से क्रियेट करेंगे? अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले में, माइका में जो फण्ड स्थापित किए जाते हैं वे रायल्टी के जरिए से किये जाते हैं। इस बारे में न तो एक्ट में कोई प्रावधान है और न इस अमेंडमेंट बिल में किसी प्रकार का प्रावधान है कि फण्ड स्थापित होगा तो वह किस प्रकार से होगा और कितना होगा? आप किस प्रकार की वेल्फेयर एक्टीविटीज को चालू करेंगे और क्या इन्हें भी वे सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे जो कि अन्य क्षेत्रों के वर्कर्स को दी जाती हैं? इस प्रकार का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है।

कम्पनियों के द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं और किसी कानून की खिलाफवर्जी की जाती है, मजदूरों के प्रति दुर्भावना बरती जाती है, उनको विक्टिमाइज किया जाता है, उस तरह

के कार्यों के लिए जो आपने प्रावधान रखा है निश्चित रूप से वह कमजोर प्रावधान है। बड़े लोग जो गलती करते हैं, उस गलती को छिपाने के लिए वे मैनेजर या अन्य अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और कह देते हैं कि उनकी भूल की वजह से ऐसा गलत काम हुआ है और सौ दो सौ रुपया उसके ऊपर फाइन कर दिया जाता है। इस प्रकार का प्रावधान करके हमने मालिकों को बरी कर दिया है। मैं समझता हूं कि इस तरह के जो गलत काम होते हैं उसके लिए मालिक को सजा होना चाहिए और वह भी जुर्माने के रूप में नहीं बल्कि सजा के रूप में होनी चाहिये।

दफा 7 ए 1 के अन्दर जो आपने प्राविसो रखा है उससे बड़े बड़े एम्प्लायर्ज के बच निकलने का रास्ता आपने खोल दिया है। इस प्रकार का प्राविसो निश्चित रूप से इसमें नहीं होना चाहिए। इसको डिलीट किया जाना चाहिए। इससे बड़े एम्प्लायर अपनी गलती से बच निकलेंगे और छोटे कर्मचारियों को फँसा करके छोटी मोटी सजा उनको दिलवा देंगे। यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये।

वैलफेयर एक्टिविटीज के सम्बन्ध में आपने तीन चार बातें रखी हैं। उसमें हाउसिंग है, मैडिकल है, एसेंशियल आर्टिकल्ज देना, स्कालरशिप आदि का जिक्र किया है। इसके साथ-साथ अन्य और साधनों की भी आवश्यकता होती है। उन साधनों की आप किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे? निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्था इन मजदूरों के बच्चों, इनके परिवार वालों तथा दूसरे वहां रहने वालों की भलाई के लिए होनी चाहिए। ऐसी वैलफेयर एक्टिविटीज को चलाया जाना चाहिये जिससे उनको एक्सट्रा इनकम हो सके। उनको सिखाया पढ़ाया जाना चाहिए। जो कार्य दूसरे वैलफेयर फंड्ज के जरिये किए जा रहे हैं और उनके बारे में जो प्रावधान उन फंड्ज में हैं, वे यहां भी होने चाहियें।

अब मैं बोर्ड के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। दफा 6 सी० बी० में आपने प्रावधान किया है कि बोर्ड अगर कोई भी गलती करता है या वह कोई इरेग्युलैरिटी कर देता है तो गवर्नमेंट उसको रेग्युलराइज कर देगी। यह नहीं होना चाहिये। कोई भी आदमी जो बोर्ड में रहता है वह कोई गलत काम करता है, इरेग्युलैरिटी करता है तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर फिक्स होनी चाहिये और उसको इसकी सजा मिलनी चाहिये। उसने इस प्रकार के रूल्ज का कंट्रेवेशन करके जो गल्ती की है उसकी उसको सजा मिलनी चाहिये। बड़े आदमी जो बोर्डज में बैठते हैं वे दिन रात गलतियां करते हैं, फंड्ज का दुरुपयोग वे अगर करते हैं तो इस प्रकार से उनको बरी नहीं कर दिया जाना चाहिये। ऐसा आपने कर दिया तो जो अव्यवस्थायें होती हैं उनको आप रोक नहीं पाएंगे। इसकी उनके ऊपर रिसपांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिये। जो डिफैक्टिव काम करें, जो इरेग्युलैरिटी करें, फंड्ज का दुरुपयोग करे निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिये और उनको सजा मिलनी चाहिये।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

डिसक्वालिफिकेशन के संबंध में आपने 8(2) (एफ) प्रावधान इसमें दिया हुआ है। कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कोई डिसक्वालिफाई हो जाएगा, इसका आपने जिक्र नहीं

किया है। एक्ट में भी इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने खुली छूट दे दी है जिससे किसी को भी डिसक्वालिफाई किया जा सकता है और उसको मेम्बर रहने लायक नहीं रखा जा सकता है। इसलिये डिसक्वालिफिकेशन के संबंध में उसका विवरण होना चाहिये कि इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले के साथ एक्शन हो सकता है। जब तक यह व्यवस्थाएं नहीं होंगीं, निश्चित तरीके से इनके बिना किसी भी आदमी को मेम्बरशिप से हटाया जा सकता है, जो कि ठीक प्रकार से काम करता है। यह सारी व्यवस्थाएं डाक वर्कर्स के लिये हमको करनी हैं। इसके साथ-साथ डॉक्स में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं आज हैं, उनको भी आपको देखना है, उनके हितों के सम्बन्ध में जब हम ध्यान रखते हैं तो उनके कर्तव्यों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है।

आज कलकत्ते में क्या हो रहा है ? वहां डॉक्स में व्यापारी लोग अपना सामान ले जाते हुए हिचकिचाते हैं। वहां जो भी सामान ले जाते हैं वह गायब हो जाता है। वहां रेल के डिब्बों की एक-एक कील तक गायब हो जाती है। इस प्रकार की हालत कलकत्ता के डाक-यार्ड की है। ऐसी स्थिति अन्य डाक-यार्डस में भी अगर पैदा होती है तो उससे आपके विभाग में बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसकी प्रतिष्ठा भी खराब होती है। कलकत्ता में आज से 5-10 साल पहले जितना सामान डाक्स के जरिये भेजा जाता था, आज उसकी परसैन्टेज में कितनी गिरावट आई है, यह देखने की बात है। कलकत्ता के सम्बन्ध में तो मैंने अखबार में पढ़ा था, इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया है, दूसरी जगहों पर भी शायद ऐसी ही हालत होगी। वहां जो भी यूनियन है, उससे डाक्स के लोग प्रभावित होते हैं। उस यूनियन के लोग वहां किस प्रकार का काम कर रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, अगर इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ध्यान नहीं देंगे तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्ट, जिसके जरिये सबसे ज्यादा आमदनी होती है, सबसे ज्यादा लोडिंग और अन-लोडिंग होता है वह समाप्त हो जायेगा। वहां इस प्रकार की अव्यवस्था हो जाती है तो निश्चित तौर से हमारे देश के लिये यह एक ऐसी प्रतिष्ठा का सवाल पैदा हो जाता है जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिये इन व्यवस्थाओं को सही तरीके से ठीक करने की आवश्यकता है।

डाक्स में काम करने वाले वर्कर्स का विक्टमाइजेशन नहीं किया जाना चाहिये, लेकिन जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो वर्कर ईमानदारी से काम करता है, डाक को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, उसको अवश्य लाभ मिलना चाहिये। इन बातों की निश्चित तौर पर आवश्यकता है।

जो बातें मेरे सामने आई हैं, उनके सम्बन्ध में मैंने आपसे निवेदन किया है और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो अमेंडमेंट वह लाये हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, उनको पूरा बिल इसके बारे में लाना पड़ेगा जिसमें वर्कर्स की सुविधाओं के संबंध में, सारी बातें आ सकें। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस प्रकार का पूरा बिल संसद् के सामने लायें ताकि कर्मचारियों के हितों और वहां की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके और आपके फन्डज का उपयोग ठीक

प्रकार से हो सके। जब तक वहां ऐसे लोग बैठे रहेंगे, जिन्होंने कि फंडज का दुरुपयोग किया है तो निश्चित रूप से फन्ड्ज का उपयोग नहीं होगा।

अभी भी वहां पर 50 परसेंट से ऊपर फंड का उपयोग अधिकारियों पर खर्च हो रहा है, और डाक पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधाओं के लिये वह पैसा बिल्कुल खर्च नहीं हो पाता है, इसकी तरफ मैं विशेष तवज्जह आपकी दिलाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप एक नया बिल लाइये जिसके जरिये आप इन डाक-यार्डज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दे सकें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि जब सबार्डिनेट लेजिस्लेशन सम्बन्धी कमेटी ने उनका ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने इस एक्ट में एमेंडमेंट कर दिया। यह काम बहुत दिनों के बाद हुआ है, लेकिन हो गया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मई, 1980 के 'रीडर्ज डाईजेस्ट' में प्रकाशित एक आर्टिकल के एक पैराग्राफ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं :

"मझगांव गोदी के एक कर्मचारी द्वारा पारितोषिक जीतने वाला एक नारा बनाया गया जो इस प्रकार है 'हम जहाज का ढांचा बना सकते हैं परन्तु आपकी खोपड़ी नहीं।" श्री ए० एस० अब्राहम, जो अनेक वर्षों तक मझगांव के सुरक्षा विभाग के अध्यक्ष थे, उनका कहना है "जब लोग यह अनुभव करें कि मानव अपूरणीय है तभी वे सुरक्षा के प्रति वस्तुतः चौकस होंगे।"

मैं इस सारे आर्टिकल को तो नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इसमें बताया गया है कि 1972 में 1700 आदमियों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। 1978 में यह संख्या कुछ कम हुई। इस आर्टिकल में कहा गया है कि हिन्दुस्तान में आदमी बहुत सस्ता है और मजदूरी करने वाले व्यक्ति की सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें कहा गया है :

"भारतीय कारखाने में हर पौने दो मिनट में एक व्यक्ति जख्मी अथवा अंगहीन होता है। इसका दोष किसके ऊपर है और इस सख्या को किस प्रकार से कम किया जा सकता है।"

इस सम्बन्ध में 19 जून, 1980 को एक क्वेश्चन किया गया था, जो इस प्रकार है :

(क) क्या सरकार ने मजूरी पुनरीक्षण के लिए पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की मांगों की जांच करने के लिए 12 सदस्यीय मजूरी पेनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पेनल के निदेश पद क्या हैं तथा उसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या पेनल में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी सम्बद्ध किया गया है; और

(घ) उक्त पेनल का प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?"

इस क्वेश्चन का जबाव बहुत लम्बा चौड़ा दिया गया था। मुझे यह बात अच्छी लगी कि जो बाईपार्टाइट वेज नेगोशिएशन्ज होगीं, उनमें एम्पलाईज को भी शामिल किया जायेगा। जबाव इस प्रकार था :

"(क) सरकार ने 14-5-1980 को एक द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति का गठन किया इसमें 10 प्रतिनिधि नियोक्ताओं की ओर से और 10 प्रतिनिधि कर्मचारियों की ओर से लिये गए हैं।

(ख) द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति मौजूदा "वेतन ढांचे" के संशोधन के सवाल पर बातचीत करेगा। इसमें वे सभी मामले भी शामिल हैं जिन पर पत्तन और गोदी मजदूरों की वेतन संशोधन समिति ने विचार किया था और कुछ अन्य संबंधित मामले भी शामिल हैं जिन पर (क) बड़े पोर्ट ट्रस्टों, (ख) डाक लेबर बोर्डों, (ग) डाक लेबर बोर्डों के प्रशासनिक निकायों,...

"इस सम्बन्ध में बातचीत पूरी करने और समझौता तय करने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की गयी है।"

लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि किस तारीख तक समझौता हो जायेगा। यह कदम 14 मई, 1980 को उठाया गया था।

आज कितने वर्ष बीत चुके हैं, उसके बाद भी कुछ परिणाम नहीं निकल रहे हैं। मैं यही आप से कहना चाहता था। एक्ट के अन्दर जो आपने संशोधन किया है यह बहुत अच्छा किया है। इससे एक बहुत बड़ा वेलफेयर फंड खुलेगा और उसमें उनके वेलफेयर ऐक्टिविटीज के लिए काफी धन इकट्ठा होगा। इसमें आपने बड़ी होशियारी से यह काम किया कि कोई भी आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता, यह बहुत अच्छा किया नहीं तो शायद एम्पलायर्स कोर्ट में चले जाते। आपने यह भी एक सेफ्टी का स्टेप लिया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह जो बाई-पार्ट्राइट ऐग्रीमेंट है, इसमें कब तक यह निर्णय ले लेगा? डाक वर्कर्स की सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। इसी-लिए आपने यह फंड कायम किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस तरफ ध्यान देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : निसंदेह यह विधेयक, प्रत्यक्षतः तकनीकी प्रकार का है लेकिन मैं इस अवसर पर एक या दो बातें कहना चाहूंगा।

मेरे विचार से मेरे मित्र, श्री डागा, को थोड़ी सी गलत सूचना दी गई है। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस विधेयक से किसी नये कोष को नहीं बनाया जायेगा। कोष पहले ही है। अधिनियम और योजना में कोई विशेष प्रावधान नहीं है ताकि वे इस कोष को बना सकें और इसे अब अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार शामिल किया जा रहा है। गोदी श्रमिकों के कल्याण प्रयोजनों के लिये कोष है। ये नियोजकों अर्थात् नौभारकों और जहाज मालिकों पर लगाई गई लेवी में से बनाया गया है। मुद्दा यह है कि यह कोई नया कोष नहीं है। लेकिन अब मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि हालांकि यह अधिनियम 1948 से लागू है और तब से 32 वर्ष गुजर गये हैं तथापि तात्कालिक कल्याण उपाय, जिसके लिये यह कोष उपयोग किया जाना चाहिये और मेरे विचार से दो अत्य-धिक महत्वपूर्ण बातें आवास और चिकित्सालय हैं, अब तक नहीं किये गये हैं। माननीय मंत्री महोदय हमें बतायें कि इन सभी वर्षों में क्या किया गया है।

इस देश में गोदी श्रमिकों के लिए आवास योजना नहीं है। मुझे आशा है कि प्रत्येक को इस बात का पता है कि गोदी श्रमिक बोर्ड और पत्तन न्यास श्रमिकों के बीच अन्तर है। वे साथ-साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन श्रमिकों की दो अलग-अलग श्रेणियां हैं। गोदी श्रमिक पत्तन आयुक्तों अथवा पत्तन न्यासों के कर्मचारी हैं और वे, वास्तव में,

पोतों पर नहीं जाते हैं अपितु तट पर कार्य करते हैं। जहाजों से माल उतारे जाने के बाद वे इसकी व्यवस्था करते हैं। यह विधेयक उन गोदी श्रमिक बोर्ड के श्रमिकों के संदर्भ में है जो जहाज पर जाते हैं और जहाज के विपाटद्वारों में से माल उतारते हैं।

उदाहरणार्थ, कलकत्ता में, जिसका उल्लेख यहां पर एक अन्य मित्र द्वारा किया गया है, कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के अन्तर्गत 14,000 गोदी श्रमिक पंजीकृत हैं। लेकिन 1948 से लेकर अब तक इन व्यक्तियों के लिए एक भी मकान, झोंपड़ी अथवा क्वार्टर नहीं बनाया गया है और गोदी श्रमिक बोर्ड के कुप्रशासन तथा प्रशासन के भ्रष्टाचार के अतिरिक्त इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारे देश में ये गोदी श्रमिक कानून की नजर में औद्योगिक श्रमिक नहीं गिने जाते हैं। वे औद्योगिक श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किये गये हैं। मंत्री महोदय इस बारे में भली-भांति जानते हैं। हमारे देश में विद्यमान श्रमिक कानून, वे जो रोजगार में लगे हुए हैं अथवा जो कारखाना अधिनियम की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं. उन्हें औद्योगिक श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत नहीं करते हैं। गोदी श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया है। यदि कोई औद्योगिक श्रमिक के रूप में वर्गीकृत है तो वह सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक आवास योजनाओं जिसके लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है, के अन्तर्गत आ जाता है। लेकिन गोदी श्रमिक इन औद्योगिक आवास योजनाओं का कोई लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि वे बिल्कुल औद्योगिक श्रमिकों के रूप में नहीं गिने जाते हैं। अतः गोदी श्रमिक बोर्ड तथा इन गोदी श्रमिक बोर्डों के प्रशासनिक निकायों का यह कार्य था कि वे इन श्रमिकों के लिये मकानों का निर्माण करने हेतु इस कल्याण कोष का उपयोग करें, लेकिन इस बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया है।

मैं चाहता हूं कि सदस्यगण कलकत्ता जायें और उन स्थितियों को, जिनमें ये गोदी श्रमिक रहते हैं, और उन बस्तियों को, जहां वे रहते हैं जो खराब, बहुत घनी, बदबूदार, अस्वच्छ झोंपड़ियां हैं, देखें। एक कमरे में 15-20 अथवा 25 लोग रहते हैं क्योंकि वहां पर कोई आवास उपलब्ध नहीं हैं और जब श्रमिकों का एक दल दिन के समय काम पर जाता है तो रात के समय काम करने वाले श्रमिक उस कमरे में सोते हैं और जब ये श्रमिक काम से वापस आते हैं तो श्रमिकों का यह दल रात की पारी में रात को काम करने जाता है। तो केवल उस समय ही इन श्रमिकों के लिए लेटने और सोने हेतु जगह बनती है, वे ऐसी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उन्हें कोई आवास सुविधा नहीं दी गई है। सरकार इसका जवाब दे कि इन सभी वर्षों में श्रमिकों के एक वर्ग की उतनी उपेक्षा क्यों की गई है जिन पर इस देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करने की जिम्मेदारी है और जिनके बगैर देश के किसी भी प्रमुख पत्तन में किसी जहाज पर माल चढ़ाया अथवा उतारा नहीं जा सकता।

बम्बई में गोदी श्रमिकों के लिए थोड़ा-सा आवास है लेकिन वह भी बिल्कुल अपर्याप्त है। कलकत्ता में कोई आवास व्यवस्था है ही नहीं, एक भी मकान नहीं है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के तकनीकी विधेयक को लाना ही पर्याप्त नहीं है जिसमें कहा गया है कि कानूनी रूप से और औपचारिक रूप से कोष बनाने के लिये प्रावधान होना चाहिये। कोष तो है। लेकिन मुद्दा यह है कि इन गोदी श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिकों की परिधि के अन्तर्गत क्यों न लाया जाये, इन्हें अन्य श्रमिकों, जो औद्योगिक श्रमिक के रूप में गिने जाते हैं, के समान क्यों

नहीं किया जाये ताकि वे सरकार की औद्योगिक आवास योजनाओं, जिनके लिये सरकार धनराशि देती है, वित्तीय सहायता देती है, की सुविधाओं के लिये पात्र बन सकें क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गोदी श्रमिक बोर्ड और प्रशासनिक निकायों तथा प्रबंधकों द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। खेद की बात है कि इन पत्तनों तथा गोदियों में बहुत अधिक बेरोजगारी है, वहां पर बहुत से व्यक्ति नौकरियों की तलाश में रहते हैं जिससे वे उनके लिए कोई आवास अथवा कोई उपयुक्त सुविधा देना बिलकुल आवश्यक नहीं समझते हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, गोदी श्रमिक बोर्ड के श्रमिकों का एक पूल है। वे किसी विशेष नियोजक से सम्बद्ध नहीं हैं, वे पत्तन न्यास के कर्मचारियों के समकक्ष नहीं हैं। पंजीकृत श्रमिकों की एक सूची है, वे सामान्य पूल में होते हैं और उस पूल से श्रमिकों के दल जब कभी आवश्यकता पड़ती है, लिए जाते हैं। जब पोत पत्तन में आते हैं और जब वे पर्याप्त होते हैं तो अधिकांश श्रमिकों को काम मिलता है। लेकिन जब कभी किसी विशेष मौसम अथवा महीन में पोतों का आवागमन कम हो जाता है जब काम नही होता है, तो वास्तव में यह सच है कि गोदी श्रमिक योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें गारंटीकृत न्यूनतम वेतन मिलता है। यही कारण है कि यह व्यवस्था की गई है। लेकिन वे किसी विशेष नियोजक के स्थायी कर्मचारी नहीं हैं, कोई भी उनके बारे में चिंता नहीं करता है, कोई भी उनकी कल्याण सुविधाओं के बारे में नहीं सोचता है। उन्हें औद्योगिक श्रमिकों के समकक्ष माना जाना चाहिए। यह अधिनियम 1948 में पारित किया गया था और अब हम वर्ष 1980 में हैं। मेरे विचार से अब समय आ गया है जब सरकार हमें बताये कि इन गोदी श्रमिकों के प्रति इस प्रकार के भेदभाव, सांविधिक भेदभाव जारी रखने के क्या कारण है।

अन्य मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह है कि यह कहां तक हुआ है। गोदी श्रमिक बोर्ड का एक अस्पताल है। वस्तुतः मंत्री महोदय आप कलकत्ता कई बार गये हैं और आपने इसे देखा है। वहां पर गोदी श्रमिक बोर्ड का अस्पताल है लेकिन पत्तन न्यास के कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गए अस्पताल की तुलना में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उसकी तुलना में बहुत खराब है। तथापि गोदी श्रमिक बोर्ड के इस अस्पताल में नर्सों के लिए उदाहरणार्थ वहां पर नियुक्त महिला नर्सों के लिये कोई क्वार्टर नहीं हैं। उन्हें कई मील दूर रहना पड़ता है और प्रत्येक को पता है कि कलकत्ता और उसके आस-पास कैसी स्थितियां हैं। उन्हें अपने कार्य-स्थल पर पहुंचने के लिए प्रतिदिन 20-30 अथवा 40 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। वहां पर परिवहन व्यवस्था ठप्प हो जाने की स्थिति में है। जैसा कि सभी जानते हैं। वहां पर भीड़-भाड़ इतनी ज्यादा है कि कलकत्ता में कार्यालय जाने वाले और कारखानों में काम करने वाले लाखों व्यक्तितों के लिए समय पर कार्य-स्थल पर पहुंचने की संभावना दुःस्वप्न बन चुका है। इन नर्सों के लिए भी, जिनसे आशा की जाती है कि वे रोगीयों की देख-रेख के लिए तत्परता से और समय पर ड्यूटी पर आयें, अस्पताल के प्रांगण में क्वार्टर उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। एक भी क्वार्टर नहीं है। वे महिलायें हैं और उनसे आशा की जाती है कि वे दिन के समय और रात के समय ठीक समय पर पहुंचें, रात की भी ड्यूटी होती है– वे किस प्रकार आयें और जायें? वे लम्बे अर्से से मांग यह कर रही हैं और इस शिकायत की ओर ध्यान दिला रही हैं लेकिन इस बारे में कुछ

नहीं किया गया है। मंत्री महोदय जानते हैं कि वहां पर ऐसी स्थिति हो गयी है कि कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के प्रशासनिक निकाय को निलम्बित कर दिया गया है, इसे भ्रष्टाचार तथा कदाचारों के आधारों पर इस समय निलम्बित कर दिया गया है। वहां पर इस समय कोई प्रशासनिक निकाय नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : कौन-सा निकाय ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गोदी श्रमिक बोर्ड का एक प्रशासनिक निकाय है। उस प्रशासनिक निकाय में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। प्रशासनिक निकाय में केवल नियोजक होते हैं--गोदी श्रमिक बोर्ड का अध्यक्ष और नियोजकों के प्रतिनिधि। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इस प्रशासनिक निकाय में श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और कदाचारों के गंभीर आरोपों पर इस समय निलम्बित कर दिया गया है--जैसा कि वह जानते हैं। सभी संघों ने, चाहे वह कांग्रेस की यूनियन है अथवा भारतीय साम्यवादी दल की यूनियन है अथवा भारतीय साम्यवादी दल की यूनियन है अथवा कोई अन्य यूनियन है, मंत्री महोदय को बताया है "कृपया इस भ्रष्ट प्रशासनिक निकाय को दोबारा बहाल करने का प्रयास न करें ।"

हमें बताया गया है कि कुछ नियोजक मंत्रालय पर भी दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें पहले के आरोपों से मुक्त किया जाये और इस निकाय को बहाल किया जाये ताकि वे मजे से कल्याण कार्यों के लिये खर्च की जाने वाली इस निधि को हड़प सकें। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रकार के किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे और भ्रष्ट प्रशासनिक निकाय को बहाल नहीं किया जायेगा। यदि इस निकाय को बहाल करने का प्रयास किया गया तो मुझे संदेह है कि इससे पत्तन में दोबारा पर्याप्त श्रमिक अशांति होगी क्योंकि इसमें सभी कार्मिक संघ बिना किसी प्रकार के भेदभाव के इस बोर्ड के प्रयास के खिलाफ मिलकर विरोध प्रकट कर रहे हैं।

मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि गोदी श्रमिकों तथा पत्तन न्यास श्रमिकों, जो एक ही पोत और समान क्षेत्र में साथ-साथ कार्य कर रहे हैं, की कल्याण स्थितियों में इस प्रकार का भेदभाव करना अत्यन्त आपत्तिजनक है। इससे गोदी श्रमिकों के मनों में, जिसमें उनकी गलती नहीं है, क्षोभ उत्पन्न होता है। उन्हें किसी प्रकार की आवास सुविधायें, अस्पताल में भर्ती होने की उचित व्यवस्था तथा उचित चिकित्सा सुविधाओं आदि से क्यों वंचित रखा गया है ? प्रशासनिक निकाय में उनके प्रतिनिधियों को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

इस विधेयक में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस विधेयक में कुछ भी विवादास्पद नहीं है। वस्तुतः इसे पारित कर दिया जायेगा। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को अत्यन्त गंभीरता से लें और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि गोदी श्रमिक "औद्योगिक श्रमिकों" की परिभाषा में शामिल किये जायें ताकि वे आवास योजनाओं आदि से लाभान्वित हो सकें, जिसके लिये सरकार वित्तीय सहायता देती है और ये स्पष्ट बुराइयां, जो विशेष रूप से कलकत्ता पत्तन में व्याप्त हैं, दूर हों।

जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : सभापति महोदय, 1948 के इस अधिनियम के बारे में यह चौथा संशोधन है। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, दूसरा 1962 में और तीसरा 1970 में हुआ था।

विधेयक को संशोधन करने वाले चौथे संशोधन को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कुछ कारणों का उल्लेख किया था। लेकिन गोदी श्रमिकों की कुछ समस्याओं का अनुभव होने के नाते मैंने मूल विधेयक और मूल अधिनियम का, यह पता लगाने के लिये कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण क्या थे और वह हमारे देश की वर्तमान स्थितियों में कहां तक संगत है, अध्ययन किया था।

13 सितम्बर, 1947 को यह विधेयक श्री जगजीवन राम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह बताया गया था :

"गोदी श्रमिकों के लिये मांग आंतरायिक है जो पोतों की आवाजावी, उनके माल के आकार और स्वरूप तथा मौसमी और सामयिक उतार-चढ़ाव पर निर्भर है।"

एक अन्य कारण "बेरोजगारी के कारण कठिनाई" होना दिया गया है। आगे यह बताया गया है कि इस योजना के लक्ष्य क्या हैं। एक लक्ष्य यह है "गोदी श्रमिकों के रोजगार को अधिक नियमित करने और नियमित करने के लिये, चाहे वे किसी भाग में पंजीकृत थे अथवा नहीं थे, गोदी श्रमिकों का पंजीकरण"। इसके बाद "रोजगार की शर्तों" आदि का उल्लेख है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्रीमान्, मैं अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक एक छोटा-सा विधेयक है और वस्तुतः यदि आप इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये आधे घंटे का और समय दें तो यह विधेयक पूरा हो जायेगा और इसके बाद हम अगली मद ले सकते हैं।

सभापति महोदय : यदि सदन सहमत हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे विचार से सदन इस पर सहमत है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम कैसे गारंटी कर सकते हैं कि उस विधेयक पर आधे घंटे में चर्चा हो जायेगी ? यह आधे घंटे में पूरा न हो तो अन्य प्रस्ताव की क्या स्थिति होगी ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : उस प्रस्ताव को लिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप इस जिम्मेदारी को ले रहे हैं कि यह विधेयक आधे घंटे में पूरा हो जायेगा ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं यह नहीं कर सकता हूं, मैं केवल सभापति महोदय से अनुरोध कर सकता हूं और यदि वह चाहें तो यह निश्चित रूप से पूरा हो जायेगा।

सभापति महोदय : यह एक विवादास्पद विधेयक नहीं है यही कारण है । जिससे मैंने इस सदन की सर्वसम्मति जानने का प्रयास किया था और ऐसा प्रतीत होता है कि सदन ऐसा करने के लिये तैयार है ।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : अगला प्रस्ताव अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये बशर्ते कि यह आधे घंटे में समाप्त हो जाये, लेकिन आधे घंटे के बाद इसे आगे जारी न रखा जाये ।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आधा घंटा पर्याप्त होगा । दो घंटे अलाट किये गये थे लेकिन बाद में ···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से बेहतर यह है कि इसे कल जारी रखा जाये और हम अन्य प्रस्ताव को लें ।

सभापति महोदय : अब हमने सदन का मतैक्य ले लिया है । हमें इस पर डटे रहना चाहिये । सदन भी शायद यही चाहता है । अब श्री अराकल केवल मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे ।

श्री जेवियर अराकल : मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मेरा पहला निवेदन यह है कि यह संशोधन एक अस्थायी व्यवस्था है । गोदियों तथा गोदी श्रमिकों से संबंधित समस्त कानूनी व्यवस्था और कानूनों का पुनः निर्धारण और पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिये और एक नया अद्यतन कानून लाया जाना चाहिए । पूर्व वक्ताओं ने हमारी पद्धति में बहुत-सी त्रुटियों का उल्लेख किया है लेकिन इस विधेयक के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं । यह केवल सात पत्तनों तक ही सीमित क्यों होना चाहिए ? यह केवल प्रमुख पत्तनों तक ही सीमित क्यों होना चाहिए ? यदि आप मूल अधिनियम में गोदी श्रमिको की परिभाषा को देखें तो यह ऐसी शब्दावली है जिसकी व्यापक अर्थ में व्याख्या की जा सकती है और की जानी चाहिए । इसमें कहा गया है 'एक गोदी कर्मचारी का आशय नियुक्त अथवा नियुक्त किया जाने वाला अथवा आस-पास का एक ऐसा व्यक्ति है····· और यह आगे भी है । मेरी इच्छा थी कि काश मेरे पास इसे पढ़ने का समय होता लेकिन मैं इसे संक्षेप में कह रहा हूं ।

मेरा पहला अनुरोध है कि केवल सात प्रमुख पत्तनों को लेकर इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, जबकि हमारे पास बहुत से अन्य पत्तन तथा छोटे पत्तन भी हैं जिनमें बहुत से गोदी श्रमिक हैं । हमारा व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा ।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि, जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, हमें बताया जाना चाहिए कि इस कल्याण बोर्ड की गतिविधियां क्या हैं, उन्होंने कितनी राशि एकत्र की है और कितनी राशि खर्च की है और किस तरीके से, इस राशि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन-कौन से हैं और इससे श्रमिकों की हालत में कहां तक सुधार हुआ है । अब समय आ गया है जब इस सदन को बताया जाए कि इस कल्याण योजना की गतिविधियां क्या हैं और हमारे दैनिक जीवन में

इसका औचित्य क्या है । वास्तव में एक बोर्ड तथा सलाहकार समिति है । लेकिन, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया है, उन पर दुबारा विचार करने का समय आ गया है इस बोर्ड में कौन-कौन से व्यक्ति हैं और उस पद्धति के दैनिक कार्यों का प्रबंध करने वाले और प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति कौन-कौन से हैं ।

अन्य प्रमुख समस्या पत्तन न्यास, पत्तन श्रमिकों, जनता तथा अधिकारियों के बीच खराब संबंधों की है । इन खराब संबंधों से श्रमिकों तथा जनता दोनों के लिए अकथनीय विपदायें उत्पन्न हो रही हैं । क्या मैं कोचीन पत्तन की घटना का हवाला दूं ? एक छोटी सी बात पर श्रमिकों को हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई । क्या यह छोटी राशि है ? इस देश के और उस क्षेत्र के विकास पर इस घटना का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ?

अब कलकत्ता पत्तन में समस्या है । कुछ वेतन और मजूरी की अदायगी न होने के कारण वहां पर जहाज रोक दिया जाता है । मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति पत्तन न्यास और गोदी श्रमिकों के बीच खराब संबंधों के कारण उत्पन्न हुई है । यह ऐसी बात है जिससे बचा जा सकता है ।

एक अन्य मामला जो मै उठाना चाहता हूं वह यह है कि पत्तन न्यास का क्षेत्र किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण में आता है ? इस क्षेत्र का नियंत्रण करने बाला प्राधिकरण कौन-सा है ? क्या यह केन्द्रीय सरकार के अधीन है अथवा क्या यह राज्य सरकार के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत आता है ? यदि राज्य सरकार सहायता देने के लिये इच्छुक नहीं तो इसका तरीका क्या है ? मेरा अनुरोध है कि पत्तन क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन लाया जाये । बहुत से जहाज मालिकों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि पत्तनों में लंगर डाले हुए जहाजों की ठीक प्रकार से देख-रेख नहीं की जाती है और शरारती व्यक्तियों द्वारा माल उड़ा लिया जाता है । ऐसा क्यों होता है ? बहुत-सा माल चोरी हो जाता है । जहाज मालिकों से हम ऐसी बहुत सी शिकायतें सुनते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी योजना क्या है, ऐसा तरीका क्या है जिससे हम इस चोरी को रोक सकें । जैसा मैंने पहले कहा है कि यह संशोधन मात्र एक अस्थायी व्यवस्था है । आपको इस बारे में एक व्यापक कानून लाना है । जब तक वे इस बारे में एक व्यापक कानून नहीं लाते तब तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी । यद्यपि मूल अधिनियम 1948 में बनाया गया था, हम इससे आगे नहीं बढ़े हैं ।

गोदी श्रमिकों के रोजगार के बारे में एक विचित्र व्यवस्था है । हो सकता है श्री इन्द्रजीत गुप्त इसे जानते हों । यह एक गोपनीय व्यवस्था है । वे किसी भी व्यक्ति को वहां पर आकर कार्य करने की अनुमति नहीं देते हैं । यदि आप वहां पर नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको बड़ी धन-राशि देनी पड़ेगी .....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसे एक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिये ।

श्री जेवियर अराकल : उसे एक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए, उसे इस योजना के अन्तर्गत आना चाहिए । मान लीजिए यदि वह एक पंजीकृत श्रमिक नहीं है तो वह इस योजना की

परिधि के अन्दर नहीं आता है। रोजगार के अवसर हैं लेकिन इनमें से अधिकांश पत्तनों में वर्तमान स्थितियों के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करना सरल नहीं है।

अतः मेरा निवेदन है कि हालांकि हम ऐसी बात की अभिपुष्टि कर रहे हैं जो पहले ही हो जानी चाहिए थी, तथापि गोदी श्रमिक बोर्ड के वित्तीय पहलू के अतिरिक्त अब समय आ गया है कि हम अन्य पहलुओं पर भी विचार करें और इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए एक व्यापक कानून लाने का प्रयास करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

त्रिपुरा के बारे में दिनेश सिंह समिति का प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं त्रिपुरा के बारे में दिनेश सिंह समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। इस मामले को अविलम्बनीयता और प्रतिवेदन के आफर पृष्ठों तथा उसके अनुबंध को देखते हुए प्रतिवेदन का हिंदी संस्करण आज सभा पटल पर साथ-साथ रखना संभव नहीं हो सका है, प्रतिवेदन की ऐसी हिंदी प्रतियां यथासंभव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेंगीं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह प्रतिवेदन किसके बारे मेंहै ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : त्रिपुरा के बारे में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1980—जारी

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, 1948 से यह एक्ट लागू हुआ है, 32 साल लगभग बीत चुके हैं, लेकिन वैलफेयर फंड का इस्तेमाल सही ढंग से अभी तक डाक वर्कर्स के हित में नहीं हुआ है। अभी माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया, श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने विस्तार से बताया कि आज भी हम इन कर्मचारियों को, डाक वर्कर्स को इंडस्ट्रियल लेबरर्स की श्रेणी में नहीं लेते हैं। अगर इंडस्ट्रियल लेबरर्स की श्रेणी में रखें तो उनको जिस प्रकार के लाभ मिलते हैं, वह सभी लाभ इनको भी मिलेंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि डाक वर्कर्ज के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, जिससे वे सब प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं, जो कि उन्हें मिलनी चाहिएं, उस व्यवहार को समाप्त करना चाहिए। उन्हें इंडस्ट्रियल लेबर की श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता है।

उनके सामने खास तौर से कठिनाई है रहने के मकानों की। इतने बरसों में उन्हें आवास सम्बन्धी कोई सुविधा नहीं दी गई है। इसलिए सरकार को इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करनी

चाहिए। जहां सरकार इन कर्मचारियों को रहने के लिए मकान बनवा कर दे, वहां उसे उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें वे सब सुविधायें दें जो कि पोर्ट वर्कर्ज को दी जाती हैं। पोर्ट वर्कर्ज को बहुत सुविधाये दी जाती हैं, लेकिन डाक वर्कर्ज को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। इस कारण उनमें आपस में कटुता भी उत्पन्न हो सकती है और डाक वर्कर्ज एजीटेशन तथा आन्दोलन भी कर सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि डाक वर्कर्ज को सुविधायें दी जायें।

डाक वर्कर्ज दूर-दूर से काम पर आते हैं, इसलिए उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी दी जानी चाहिए, जैसी कि तमाम दूसरी किस्म के इडस्ट्रियल लेबर को प्रोवाइड की जाती हैं।

कलकत्ता बन्दरगाह के बारे में आम तौर से कहा जा रहा है कि वह लूट-पाट का अड्डा बना हुआ है। अभी एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि वहां रेलवे के वैगन्ज को तोड़ कर उनके पुर्जे गायब कर दिए जाते हैं। इन कार्यवाहियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए और वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए।

यह बहुत ही दुखद बात है कि कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटिव वाडी को निलम्बित कर दिया गया था। वह आज भी निलम्बित है। सब कर्मचारी संघ उस एडमिनिस्ट्रेटिव वाडी के विरुद्ध हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग, एम्पलायर्ज वगैरह, सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव वाडी को रीइनस्टेट किया जाए। अगर उसको रीइनस्टेट किया गया, तो चूंकि सभी लेबर यूनियन्ज उसके खिलाफ हैं, इसलिए उसके विरोध में आन्दोलन और हड़तालें होंगीं। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा विशेष अनुरोध है कि जिस एडमिनिस्ट्रेटिव वाडी के खिलाफ एनक्वायरी हुई है और जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हो चुका है, उसको फिर से रीइनस्टेट न किया जाए।

अन्त में मैं फिर अनुरोध करूंगा कि डाक वर्कर्ज को पोर्ट वर्कर्ज की तरह से सब फैसिलिटीज दी जायें और उन्हें इंडस्ट्रियल लेबर की श्रेणी में रखा जाए।

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): सभापति महोदय, इस विधेयक का क्षेत्र और प्रयोजन बहुत सीमित है। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि हम वस्तुतः इस संशोधन विधेयक के जरिए कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। जो धन हमने वसूल किया है, वह नियोजकों पर लगाया गया शुल्क था परन्तु अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है और अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिश के अनुसार यह विधेयक सदन के समक्ष लाया गया है।

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान अनेक दोस्तों ने अनेक बातें कही हैं। विपक्ष के श्री साहा और कांग्रेस (आई) के श्री जेवियर अराकल ने कहा है कि यह अधिनियम सभी पत्तनों के गोदी श्रमिकों पर लागू नहीं होता है। यह सही नहीं है। यह अधिनियम सभी बड़े और छोटे पत्तनों पर लागू होता है। अन्तर केवल यह है, पारादीप, न्यू मंगलौर और एक और पत्तन को छोड़कर, दस

बड़े पत्तनों में से यह सात बड़े पत्तनों पर लागू होता है और डाक लेबर बोर्ड धन का प्रबन्ध करता है।

सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक सभी बड़े और छोटे पत्तनों पर लागू होगा। परन्तु अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। स्पष्ट की जाने वाली बात यह है, यह अन्य तीन बड़े पत्तनों पर क्यों नहीं लागू होगा ? भारत सरकार ने वर्ष 1975 में श्री एन० एम० चटर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसका काम योजना को स्थायी करने के कार्य का पुनरीक्षण करना था, इस समिति ने डाक लेबर बोर्ड को समाप्त करने और पत्तन न्यास में माल चढ़ाने-उतारने का कार्य तथा अन्य श्रम के कार्य का एकीकरण करने की सिफारिश की है। यह चटर्जी समिति की सिफारिश है और इसलिए इन तीन बड़े पत्तनों में यह योजना लागू नहीं की गई है, वास्तव में और वांछनीयता की दृष्टि से, जैसा अनेक माननीय सदस्यों ने बताया है, यह ठीक नहीं है। जहां तक लेबर बोर्डों के कार्य का संबंध है, यह नियम के अन्तर्गत दिया हुआ है। वे कार्य कर रहे हैं। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह अधिनियम सभी बड़े और छोटे पत्तनों पर लागू होगा।

श्री व्यास और अन्य दोस्तों ने अनेक बातें उठाई हैं जिनमें उन्होंने अनेक सुझाव दिये हैं। विधेयक का मन्तव्य यह है, परन्तु यदि मेरे मित्र सुझाव देते हैं कि पूरे अधिनियम को संशोधित किया जाये तब बात पूरी तरह से दूसरी है, इस समय मैं उस विषय पर नहीं बोल रहा हूं। मैं पुनः कह रहा हूं कि विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है। एक या दो मुद्दों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे माननीय दोस्त श्री इन्द्रजीत गुप्त एक बहुत अनुभवी श्रमिक नेता हैं। मै नहीं जानता कि उनके दिमाग में यह विचार कैसे आया कि पत्तन तथा गोदी के श्रमिक औद्योगिक श्रमिक नहीं माने जाते हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्हें औद्योगिक श्रमिक माना जाता है और औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत इस समय गोदी श्रमिकों के लिए कलकत्ता में 60 मकान निर्माणाधीन हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मकान आवास हेतु पर्याप्त हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं यह नहीं कहता कि इन श्रमिकों के लिए मकान पर्याप्त हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह पर्याप्त नहीं हैं। इस सम्बन्ध में कलकत्ता की स्थिति बहुत खराब है। मैं सम्माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि बम्बई में 18.15 प्रतिशत श्रमिकों को मकान मिले हैं, कलकत्ता में 4.26 प्रतिशत को, कोचीन में 34.85 प्रतिशत को, कांडला में 10.8 प्रतिशत को, मद्रास में 38.6 प्रतिशत को, मारमुगाओ में 30.6 प्रतिशत को और विशाखापत्तनम में 39.9 प्रतिशत को मकान मिले हैं। यह प्रतिशत सबसे अधिक है। मैंने गोदी श्रमिकों को मिले मकानों की प्रतिशता के आंकड़े बताये हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह स्थिति संतोषजनक है। यह सच है कि गोदी श्रमिकों को पर्याप्त संख्या में मकान नहीं मिले हैं। यह भी सच है कि गोदी श्रमिकों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जितनी पत्तन न्वास के श्रमिकों को मिल रही हैं यह सच है। यह सुनिश्चित करना मेरा प्रयास रहेगा कि उन्हें ऐसी सुविधाएं मिलें जो धन की उपलब्धता पर निर्भर है (व्यवधान) मैं कहूंगा कि यह कल्याणकारी कार्यों के लिए उपलब्ध धन पर आधारित होगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । जहां तक हमारा संबंध है, हम माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हैं और मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक इन धन के प्रबन्ध का प्रश्न है, जहां भी अनियमितताएं और त्रुटियां होंगीं हम निश्चय ही उसे दूर करेंगे ।

महोदय, मेरे मित्र श्री हरिकेश बहादुर और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने विशेष रूप से कलकत्ता गोदी के प्रशासन के बारे में कहा है । यह सच है कि कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के प्रशासन निकाय को कुछ कारणों से निलम्बित कर दिया गया था । जहां तक हमारा संबंध है हम इस बात के इच्छुक नहीं हैं कि इसे बहाल किया जाये परन्तु हमारे समक्ष कुछ कठिनाई है और कठिनाई यह है कि कलकत्ता गोदी का प्रशासन एक विशेष तरीके से नहीं चलाया जा सकता है । इसे बड़े बन्दरगाहों के साथ चलना होगा और यही कठिनाई है । मैंने अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त को बताया है कि जब तक बड़े बन्दरगाहों के डाक लेबर बोर्डों को समाप्त नहीं किया जाता है.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्यों ? किसी ने इसको समाप्त करने की मांग नहीं की है, हमने बोर्ड के प्रशासनिक निकाय के लिए कहा है ।

श्री हरिकेश बहादुर : प्रशासनिक निकाय को स्थगित कर दिया गया है । यह कहा गया है कि कुछ नियोजक उक्त विभाग को बहाल करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं । क्या यह सच है कि कुछ नियोजक सरकार पर दबाव डाल रहे हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सरकार किसी के दबाव में नहीं आएगी । महोदय, मैं अपनी कठिनाई बता रहा था कि या तो सभी बड़े पत्तनों को कलकत्ता पत्तन का अनुसरण करना पड़ेगा या कलकत्ता पत्तन को उनका अनुसरण करना पड़ेगा । मैंने अपनी कठिनाई श्री गुप्त को बता दी है । जहां तक कलकत्ता पत्तन के कदाचारों अथवा त्रुटियों का संबंध है हम उनको निश्चय ही दूर करेंगे और जब भी हम कुछ करेंगे, हम इस बारे में अपने दोस्तों से विचार विमर्श करके करेंगे । यहां तक कि यदि हम कलकत्ता में प्रशासनिक निकायों को, जो पहले कार्य कर रहे थे परन्तु अच्छी तरह से नहीं, बहाल करेंगे तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे भली-भांति कार्य करें और वे कारण न रहें जिनसे वे निलम्बित हुए थे ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इसका मतलब है कि आप इसको चालू करेंगे ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मेरे दोस्त श्री चौबे जी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं । मैंने कहा कि या तो मुझे कलकत्ता पत्तन में वह व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी या अन्य छः स्थानों पर उसको निलम्बित करना पड़ेगा । इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक का प्रयोजन बहुत सीमित है । यदि मेरे दोस्त समझते हैं कि अधिनियम का संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक की आवश्यकता है तो यह पूरी तरह से भिन्न मामला है । यदि सदन के समक्ष ऐसा संशोधन आयेगा तो हम उसको ध्यान में रखेंगे । मेरे विचार में जो मैंने कहा है उसको देखते हुए मेरे दोस्त विधेयक पारित करेंगे । जहां तक श्रमिकों के लिए आवास का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम उपलब्ध सम्पूर्ण साधनों के तहत इस स्थिति को सुधारने के लिए

भरसक प्रयास कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से यह विधेयक सर्व सम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

"डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 और 1 पारित किये जाने का प्रस्ताव

खण्ड 2

सभापति महोदय : खण्ड 2, श्री शमन्ना, क्या आप अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। यद्यपि हम इस पर तीन दिन से चर्चा कर रहे हैं, मैंने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा है।

मैं खण्ड 2 का अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1 पंक्ति 11 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"और इस प्रकार सृजित निधि निम्नलिखित से मिल कर बनेगी—

(i) सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान या अंशदान;

(ii) डाक श्रम बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला अंशदान;

(iii) डाक कर्मकारों द्वारा दिया जाने वाला अंशदान; यदि कोई है :

परन्तु सरकार इस खण्ड में उल्लिखित निकायों में से प्रत्येक का अंश नियत कर सकेगी।"

महोदय, मूल अधिनियम वर्ष 1948 में पारित किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 1951 में संशोधन पारित किए गए थे। श्रमिक कल्याण निधि को बने 23 या 24 वर्ष हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि धन किस प्रकार जुटाया जाता है और यह निधि किस प्रकार कार्य कर रही है। इन बातों को स्पष्ट नहीं किया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि इस निधि के लिए कौन धन देता है। यह ज्ञात नहीं है कि यह निधि किस प्रकार बनाई गई है। इसके लिए किसने अंशदान दिया है। उन्होंने कितना अंशदान दिया है, और वे किस प्रकार इस निधि के धन का उपयोग करेंगे। इस विधेयक को पढ़ने से मैं यह समझ सका हूं कि विधेयक लाने का मन्तव्य निधि के निर्माण और

अब तक एकत्रित धन को वैध बनाना है और इस निधि को चलाने में किसी भूल चूक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को वैध बनाना है। यही सब कुछ है। यह इस बारे में और कोई ब्यौरा नहीं है। कुछ दिन पहले हमने अभ्रक श्रमिक कल्याण निधि-विधेयक को पारित किया था। उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वे इस निधि के लिए 6¼ प्रतिशत उपकर जमा करेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था और यह बताया गया है कि इस निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा :

(एक) श्रमिकों के स्वास्थ्य और सफाई के लिए;

(दो) श्रमिकों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए;

(तीन) श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करने, कार्य दशाओं में सुधार करने के लिए; और

(चार) श्रमिकों के लिए परिवहन; आदि।

इसलिए यह ब्यौरा दिया गया है। मुझे यह नोट करते हुए दुःख है कि यद्यपि इस निधि का निर्माण किया गया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस निधि का उपयोग किस प्रकार से होगा और यह कैसे जमा की जायेगी। यह संशोधित अधिनियम में भी नहीं दिया गया है। हमें यह पता नहीं चलता है कि यह राशि किस प्रकार जमा की जायेगी और उसके लिए कौन धन देगा। यह सब ब्यौरा नहीं दिया गया है। यदि ब्यौरा दिया हुआ होता तो मुझे प्रसन्नता होती। निधि का निर्माण किस प्रकार किया जायेगा, यह यहां नहीं दिया गया है। इसका ब्यौरा तैयार करने का काम सरकार पर छोड़ा गया है। मेरा सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि जब ऐसे उपाय लाये जाते हैं तो यह सही तरीके से लाये जाने चाहिएं ताकि बाद में मुकदमेबाजी न हो और इस निधि का उपयोग उन लोगों के लिए हो जिनके लिए यह बनाया गया है। इन शब्दों के साथ, मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किए जाएं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मुझे माननीय दोस्त श्री शमन्ना का वक्तव्य सुनकर आश्चर्य हुआ है। उन्होंने तीन प्रश्न उठाये हैं। यथा, यह निधि किस प्रकार एकत्रित की जायेगी, इसका प्रयोग किस प्रकार होगा और इसका प्रयोग किन लोगों के लिए होगा। इसमें सभी तीन बातें दी गई हैं, यह नियोजकों से एकत्रित किया जायेगा। इसका प्रबंध डाक लेबर बोर्ड करेगा और इसका उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जायेगा। इसमें यह तीन बातें दी गई हैं।

सभापति महोदय : श्री शमन्ना क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं अथवा इस पर आग्रह करते हैं ?

श्री टी० आर० शमन्ना : यह संशोधन वापस लिया जाये। मैं इस पर आग्रह नहीं करता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा चाहती है कि श्री शमन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लिया जाये ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : खंड 2 के लिए श्री बनातवाला ने यह संशोधन दिया है। परन्तु वह यहां नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिनांक 12 अगस्त, 1980 को लोकसभा के अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने के बारे में

डा० फारूक अब्दुल्ला (श्रीनगर) : महोदय सभा को 14 तारीख को पुनः समवेत होने के लिए कहा गया है। मुझे आशा है कि सरकार इसका बुरा नहीं मानेगी क्योंकि सम्भवतः कार्य पूरा हो गया है। यदि कुछ थोड़ा कार्य अभी बाकी रहता है मैं यह अनुरोध करता हूं, हम मध्यान्ह भोजन के लिए उठेंगे, किन्तु कल सभा स्थगित हो रही है तथा 14 तारीख को पुनः समवेत नहीं हो रही है यदि सरकार मेरे इस अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं करती।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : यदि सभा इससे सहमत है तो मैं सभी के साथ सहयोग करूंगा।

डा० करण सिंह (ऊधमपुर) : क्या सभा कल स्थगित होगी ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होगी । यदि यह कल स्थगित होगी तो अनिश्चित काल के लिये स्थगित होगी ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कुछ डिसकर्शन होने की बात थी । बाढ़ के बारे में भी···

श्री भीष्म नारायण सिंह : कल बाढ़ पर कर लें, मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : 16 को करिये या 18 को करियें ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय की अगर अनुमति हो तो कल ही बाढ़ पर वाद-विवाद हो जाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : ठीक है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : आप क्यों नहीं बुलाते हैं रिप्रेंजेन्टेटिव्ज आफ ग्रुप्स को इसके बारे में ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : यही राय ले रहे हैं सदन में भी, आप जब यहां हैं ही । मेरा यही कहना है इसके सम्बन्ध में कि अगर कल ही सदन को स्थगित करना चाहें तो सरकार इसमें बाधक नहीं होगी ।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार में शायद कल ही ईद है जैसा कि अखबारों में आया है । दूसरी जगह परसों होगी । दो बार ईद होती ही है बिहार में ।

श्री फारूक अब्दुल्ला : ईद परसों है और हमारे सदन के मेम्बर एक दिन के लिये वापिस नहीं आ सकेंगे, इसलिये हम कहते हैं कि अगर आप कल ही एडजर्न करें तो हम परसों जा सकेंगे ।

सभापति महोदय : ऐसा नजर आता है कि सदन के बहुत सारे मेम्बरों का विचार है कि 14 तारीख को न बैठें, कल ही खत्म करें । कल का बिजनेस आज भी थोड़ा ज्यादा बैठकर कर सकते हैं, कल भी बैठें और लंच अवर भी न करें ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह सदस्यों की दिक्कत तो है अगर 13 को ईद है तो वाकई लोग जायेंगे और फिर एक दिन के लिये 14 को वापिस आयेंगे । अगर गवर्नमेंट एडजस्ट करती है तो बिजनेस को कल कर सकती है ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने कहा है कि अगर अध्यक्ष महोदय चाहें और सदस्य चाहें सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करना तो हम उसमें सहयोग करेंगे ।

सभापति महोदय : थोड़ा बिजनेस कम-ज्यादा वक्त बैठकर कर लेंगे, लंच अवर खत्म करेंगे और आज भी थोड़ा ज्यादा देर बैठेंगे ।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : सभा की गरिमा को किस प्रकार कम किया जा सकता है ? हमें इतना अधिक कार्य करना है । सरकार या विपक्ष कोई भी इतनी सरलता से ऐसे नहीं कह सकता । हमारे बहुत से त्यौहार होते हैं अन्य धार्मिक त्यौहार होते है । वे सभी महत्वपूर्ण होते हैं । यदि वे चाहते हैं तो एक दिन के लिये स्थगित किया जा सकता है । इसका यह अर्थ नहीं है कि क्योंकि वे किसी विशेष धार्मिक त्यौहार के लिये स्थगित करना चाहते हैं अतः सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाना चाहिये । यह उचित नहीं है । हम कल के लिये स्थगित कर सकते हैं किन्तु हमें परसों यहाँ अवश्य एकत्र होना चाहिये ।

सभापति महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ स्थानों पर लोग 14 तारीख को मना रहे हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे ख्याल से बहुत सारे सदस्यों का ऐसा विचार है कि कल ही खत्म करें, 14 के दिन काम न करें । जो भी अहम काम है कल ले लें, ज्यादा देर बैठकर ले लें, लंच-ब्रेक खत्म करें और आज भी थोड़ा देर बैठने की जरूरत हो तो बैठें ।

श्री रामावतार शास्त्री : हम लोगों की बात आपने सुनी ही नहीं । कल का बिजनेस आज कैसे होगा ? यह क्या बात हुई ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने इसीलिये कहा कि आज एक अहम मामला हमारे सामने है, आधा घंटा दूसरी चीज के लिए है, उसके लिये भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं । इसके लिये कहा है, यह सारा ध्यान में रखकर कहा है । कल का बिजनेस आज ले ही नहीं सकते, यह कैसे आ सकता है ? कल का बिजनेस नहीं आ सकता है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : क्या निर्णय है ?

सभापति महोदय : कल सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होगी । कल हम मिल रहे हैं । अब हम अगला कार्य आरम्भ करते हैं ।

प्राकृतिक संसाधनों के निरन्तर ह्रास, आवास, प्रदूषण और पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के बारे में चर्चा

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं तथा कार्य मंत्रणा समिति और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महान सभा में इस मामले पर चर्चा करने के लिए दो घंटे का समय दिया है ।

शायद यह पहला अवसर है जब यह महान सदन पर्यावरण सम्बन्धी मामले पर इतनी गम्भीरता से विचार करेगा।

विस्तार में जाने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि हम भारतवासियों की प्रकृति से प्रेम करने तथा उसे सुरक्षित रखने की परम्परा रही है जो कि सम्राट अशोक के उपदेशों में निहित है और इससे पूर्व भी रही है। वैदिक काल में प्राकृतिक पर्यावरण की ओर ध्यान दिये जाने के बारे में आपने सुना होगा। धरती माता के प्यार की कमी नहीं है, सम्भवत: किसी अन्य देश की किसी भाषा में पृथ्वी को माता कहकर सम्बोधित नहीं किया जाता जैसे हमारे देश में धरती माता कहा जाता है। इस भावना और इस आधार पर हम यह जान सकते हैं कि इस बारे में आम जनता क्या कहती है। प्राय: हम कहते हैं कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को, चाहे यह भूमि है पानी हो, जड़ी बूटी हो या खनिज पदार्थ हों, उनकी बुरी तरह से उपेक्षा की जा रही है तथा उनका अत्याधिक विदोहन किया जा रहा है. यदि आप धरती को माता कहें तो कभी-कभी तो हमें इस बात का आश्चर्य होता है कि क्या हम इस माता के फिजूल खर्च करने वाले पुत्र नहीं हैं? प्रकृति के विभिन्न पदार्थों में तो मैं भूमि को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानता हूं तथा हम भारत-वासी 75 प्रतिशत लोग भूमि पर आश्रित हैं अत: भूमि का महत्व सर्वाधिक है। हम में से अधि-कांश के लिए भूमि जड़ है। ऐसी बात नहीं है, प्रकृति ने हमें जितनी वस्तुएं दी हैं सम्भवत: मिट्टी उनमें से सर्वाधिक मूल्यवान है। यह चेतन है, यह पोषक है, इस विश्व में मिट्टी ही से पृथ्वी उत्पन्न हुई है और यदि हम चारों ओर नजर दौड़ा कर देखें तो ज्ञात होगा कि हम मिट्टी की किस प्रकार हिफाजत करते हैं, इस प्राकृतिक संसाधन का किस प्रकार संरक्षण करते हैं, ऊपरी सतह पर एक इंच मिट्टी बनने में 500 वर्ष लग सकते हैं और इतनी मूल्यवान वस्तु अर्थात् मिट्टी जब समुद्र में चली जाती है तथा हमें कोई चिन्ता नहीं होती, हम उसको सुरक्षित करने का कोई उपाय नहीं करते तथा इस ओर कोई ध्यान नहीं देते, तो मेरे विचार से, हमें तब सबसे अधिक क्षति होती है। कृषि मन्त्रालय द्वारा 1978 में एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किया गया था। 1977 की बाढ़ के पश्चात्, जिसका भारत में पूरे गंगा बेसिन पर बुरा प्रभाव पड़ा था, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 60,000 लाख टन मिट्टी समुद्र में चली जाती है यद्यपि यह निष्कर्ष भी मनमाना ही है, तथा यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि उससे कितने मूल्य की हानि हुई, यदि कोई अनुमान लगाये भी तो करीब 1,000 करोड़ प्रतिवर्ष बैठेगा तथा उन्होंने 1976, 77 और 1978 के लिए यही औसत लगाया है। इस देश में 3280 लाख हैक्टर भूमि है जिसमें से 400 हैक्टर भूमि सदा भूमिकटाव से ग्रस्त रहती है जिसका कारण हमारी उपेक्षा ही है, इसी उपेक्षा के कारण इन सभी क्षेत्रों में गाद जमा हो रही है, जिन जलाशयों की आयु कुछ वर्ष निर्धारित की गई थी उनमें समय से बहुत पहले गाद जमा हो गई है। डेल्टा सूख गए हैं तथा वर्षा का पानी भीतरी परत में घुस जायेगा तथा पानी का स्तर ऊंचा होगा, पानी आगे बढ़ जाता है क्योंकि जमीन पानी को अधिक समय तक नहीं रख पाती और इस तरह यह सदा के लिए चला जाता है। वनस्पति की हानि का हमारी जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ा है, आप इसे तुरन्त देख सकते हैं तथा इसने हमारी वर्षा की स्थिति को प्रभावित

किया है तथा आगे और भी करेगी तथा यदि हम सावधानी नहीं बरतते तो इसका हमारी जलवायु पर भी प्रभाव पड़ेगा।

जैसा मैंने पहले कहा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3280 लाख हैक्टर है जिसमें से 900 हैक्टर भूमि को स्थायी चरागाह, खेती योग्य बंजर भूमि और बंजर तथा 'सुरक्षित' वन कहा जा सकता है। मैं 'सुरक्षित' शब्द को दो कोमाओं के बीच में रखता हूं क्योंकि वन सुरक्षित हैं ही नहीं तथा गैर-श्रेणीबद्ध वन, ये 900 लाख एकड़ है अर्थात् भारत की कुल भूमि की 28 प्रतिशत जिसकी उपेक्षा की जाती है तथा जहां की मिट्टी वह जाती है वन नष्ट हो जाते हैं तथा ऊपरी भाग बह जाता है। इसे मैं धरती माता का बलात्कार कहता हूं। मैं नहीं बता सकता कि इतनी भूमि उत्पन्न करने तथा इसे पुनः उपजाऊ बनाने के लिए कितना समय लगेगा और कितनी लागत आयेगी। आर्थिक अथवा व्यापारिक शब्दावली में इससे आपकी लगभग 28 प्रतिशत अप्रयुक्त क्षमता व्यर्थ चली जाती है केवल इसलिये कि आप प्राकृतिक संसाधनों की कोई परवाह नहीं करते हैं।

हम भारत में नदियों को पवित्र मानते हैं, चाहे यह गंगा हो, यमुना हो, कृष्णा हो अथवा नर्मदा हो। मैं समझता हूं कि ये नदियां हमारी धरती माता की मिट्टी ले जाती हैं तथा यह मिट्टी (गाद) माता का रक्त है जिसे समुद्र में बहा दिया जाता है तथा समुद्र में फेंक दिया जाता है क्योंकि हम इस बारे में कोई सावधानी नहीं बरतते। मैं अभी सुन्दरवन क्षेत्र को देख रहा था तथा उस क्षेत्र में 50,000 वर्ग किलो मीटर तट बन्ध है जो हमारी उपेक्षा के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में धरती माता के जमे हुए रक्त के रूप में एकत्र हो गया है क्योंकि हम पर्यावरण और भूमि की ऊपरी परत के बारे में कोई सावधानी नहीं बरतते।

अपने वनों को लीजिये। सम्राट अशोक ने अपनी राजाज्ञा में भारत के वनों और वनों के संरक्षण का उल्लेख किया है। उसने सिद्धान्त भी निर्धारित किये हैं। सम्भवतः सम्राट अशोक ने सबसे पहले विश्व में राष्ट्रीय उद्यान बनाया था। कागजों में वनों की कोई भी प्रतिशतता बताई जा सकती है किन्तु वास्तव में वे केवल 14 प्रतिशत है। हमारे देश की जलवायु को ध्यान में रखते हुए, जो सारा बंजर ही नहीं है, भारत की अधिकांश भूमि खेती योग्य है तथा वनों के लिए उपयुक्त है। इसके बावजूद हमारे यहां केवल 14 प्रतिशत भूमि में वन हैं, यद्यपि यहां 400 लाख हैक्टर में 'रिजर्व' वन तथा 350 लाख हैक्टर में सुरक्षित वन होने चाहियें, भूमि कटाव रोकने के प्रभावशाली उपायों के अभाव में वे सब नष्ट हो रहे हैं। मैं आंकड़े देख रहा था। 1950 से 1980 तक वन क्षेत्र 750 लाख हैक्टर से घटकर 700 लाख हैक्टर रह गया है तथा खेती योग्य क्षेत्र 1320 लाख हैक्टर से बढ़कर 1740 लाख हैक्टर हो गया है। ये सब सरकारी आंकड़े हैं। गैर-सरकारी तौर पर केवल भगवान ही जानता है कि वास्तविक आंकड़े क्या हैं। प्रत्येक राज्य में विनियमन जैसी चीज है, वन क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा है जिसको नियमित करने की आवश्यकता होती है। यह कौन करता है, राज्य सरकारें राजनीतिक दबाव में आकर यह करती हैं, जहां हम लोग अर्थात् जनता द्वारा चुने गए लोग, सामने आते हैं। क्या

हममें यह कहने की दूरदर्शिता है कि हमारे ओछे प्रचार के लिए किसी भी बात की आवश्यकता क्यों न हो, अथवा आपके मतदाता कुछ भी चाहते हों, इस देश में वनों पर इस प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता तथा उस अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जा सकता। इस समय मौका है कि हम लोगों को जो यहां बैठते हैं उस पर व्यापक रूप से विचार करना चाहिए। देश में वनरोपण कार्यक्रम से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोबारा पेड़ लगाए जाने का कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए क्योंकि वनरोपण कार्यक्रम वास्तव में वनरोपण कार्यक्रम नहीं है। वहां कोई नया पौधा नहीं होता, प्रत्येक दस वर्षों में स्टाक टेकिंग जैसी बात होती है। किन्तु मैं यह नहीं जानता कि इन आंकड़ों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। हमारे प्राकृतिक ससाधनों की, हमारी धरती माता की, भारत भूमि की यह स्थिति है।

हमें चीखने चिल्लाने की बजाय तथा केवल शिकायतें करने की बजाय हमें कुछ संसाधन ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। पीछे 1974 में एक प्रस्ताव किया गया था तथा उस समय प्रधान मंत्री ने इस ओर अधिक ध्यान दिया था। केन्द्रीय भूमि और जल प्राधिकरण बनाए जाने की मंजूरी दी गई थी तथा इसे प्रस्तावित पर्यावरण विभाग का अभिन्न अंग माना गया था। यह योजना बनाई गई थी कि यदि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का प्राधिकरण बनाए तो राज्य स्तरों पर भी उसी प्रकार के प्राधिकरण बनाए जाएंगे तथा भूमि बोर्डों की स्थापना की गई थी। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि किसी भी मुख्य मंत्री ने भूमि सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए बैठक नहीं की। उस समय, राज्य स्तर पर विभिन्न पर्यावरण बोर्ड बनाए गए थे। मैं नाम बताना नहीं चाहता किन्तु दो मुख्य मंत्रियों ने मुझे बताया कि ऐसी बैठकों में उनकी कोई रुचि नहीं है क्योंकि यह केवल समय बरबाद करना है। अतः यदि जनता द्वारा चुने गए लोगों का यह दृष्टिकोण है तो मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अब वह समय आ गया है जब धरती माता का बलात्कार इतनी चिन्ताजनक स्थिति तक पहुंच गया है कि अब हमें अपनी ओर देखना होगा तथा स्वयं से पूछना पड़ेगा कि हममें से कितनों ने प्रचार के समय—हमने एक या डेढ़ महीना खर्च किया पर्यावरण दूषण की बात कही।

एक माननीय सदस्य : ऐसा कोई नहीं करता।

श्री दिग्विजय सिंह : जी हां, आप ठीक कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि इससे हमारा पांच प्रतिशत वोट कट जाती क्योंकि भूमि कटाव रोकने के लिए कई प्रकार के निबंध हैं, काटो मत अधिक मत चराओ, शिकार मत करो, यह न करो, यदि हम दूरदर्शिता से काम नहीं लेंगे मैं यह नहीं समझता कि हम अपने मतदाताओं में ऐसी दूरदर्शिता भर सकते हैं, मेरे विचार से हम लोगों के लिए यह उत्तम अवसर है कि हम अपने भीतर झांक कर देखें कि हमारा व्यवहार क्या है।

इसका मुकाबला करने के लिए मैंने इस बारे में कुछ अनुमान लगाया है कि ऐसा क्या किये जाने की आवश्यकता है जिससे भूमि कटाव रोकने के लिए अपेक्षित पूंजी निवेश हो, यदि विश्व बैंक से अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से, एफ. ए. ओ. और यू. एन. डी. पी. से धनराशि उपलब्ध

हो सके और कृषि पुनर्वित्त निगम के माध्यम से वित्त पोषण किया जा सके । किन्तु समस्या अत्यत व्यापक और बड़ी है, कुछ उदाहरण लीजिये ।

सीधी ढ़लानों पर 'बेंच टैरेस, बनाने के लिए प्रति हैक्टर 5000 रुपयों की सामग्री की आवश्यकता होगी, कम ढ़लान वाले स्थानों पर क्यारियां बनाने के लिए प्रति हैक्टर 1000 रुपयों की आवश्यकता होगी, चरागाह को सुरक्षित रखने तथा दोबारा घास उगाने पर प्रति हैक्टर 3500 रुपयों की आवश्यकता होगी ।

इन सभी कार्यों के लिए दीर्घविधि उपायों के लिए पुनः पूंजी निवेश की आवश्यकता है, यह कह सकते हैं कि हम अपने धनराशि को अन्य स्रोतों पर खर्च करना चाहते हैं किन्तु इसका यह तात्पर्य है कि आप दीर्घविधि नीति की ओर से अपनी आँखे बन्द कर रहे हैं ।

तथ्यों और आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि कोई बांध या झील में गाजमा हो रही है और आप उस झील से गाद निकालना चाहते हैं तो उसका अर्थ हुआ कि सारी मिट्टी को निकालना पड़ेगा तथा वापस रखना होगा । इस पर भूमि कटाव रोकने के उपायों से 20 गुनी लागत आती है । अतः हमने इस पर विचार करके अच्छा किया तथा इस प्रकार का रुख अपनाया ।

अब मैं घरेलू पशुओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । हमारे दस प्रतिशत पशुओं को एक स्थान पर बांध कर चारा नहीं खिलाया जाता, वे इधर उधर चरते हैं, वे पशु उन सभी पोषक तत्वों को खा जाते हैं जिसे अधिक वैज्ञानिक ढ़ंग से सुरक्षित किया जा सकता है । वे इधर उधर चरते हैं तथा केवल 10 प्रतिशत पशुओं को बांध कर चराया जाता है ।

विश्व में जितनी कुल भूमि है उसका 2,2 प्रतिशत हमारे पास है किन्तु उनमें से 19 प्रतिशत पशु हैं, उनमें से 18 प्रतिशत भेड़े हैं तथा 48 प्रतिशत भैंसें हैं तथा इस संख्या में वृद्धि होती जा रही हैं । हमें इस बात की जांच अवश्य करनी चाहिए कि क्या हम उन्हें परिस्थिति की दृष्टि से रख सकते हैं यदि ये धरती माता का रक्त पी रहे हैं तो हमें तुरन्त कठिन उपाय करने चाहिए ।

मेरे प्रदेश सौराष्ट्र में मैंने कुछ गणना की है तथा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पलातू पशु और बकरियों द्वारा गलत ढ़ंग से चरने के कारण किसानों को लगभग 12 प्रतिशत भूमि की पैदावार नष्ट हो जाती है । इस क्षेत्र में प्रकृति कितना बचा सकती है तथा हम उससे क्या चाहते हैं इसके बीच इतना मतभेद है ।

अब पानी को लीजिए, पानी विश्व भर में अधिकाधिक दुर्लभ होता जा रहा है । कभी एक दिन ऐसा भी आ सकता है पानी तेल की भांति दुर्लभ वस्तु हो सकता है, मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा परन्तु फिर भी हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए तथा इसका प्रयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए । इससे भी महत्व की बात यह है कि जब आप पानी का उपयोग करते हैं तो इसका व्यमन वैज्ञानिक ढ़ग से करना चाहिए ।

हमारे यहां जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है जो इस सभा में 6 वर्ष पहले पारित किया गया था। किन्तु हमें इस बात का निश्लेषण का प्रयत्न करना चाहिए कि यह कितना प्रभावकारी रहा है। जल प्रदूषण वियंत्रण अधिनियम कुछ चुने हुए उद्योगों के खिलाफ कुछ कार्यवाही करता है। किन्तु क्या जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ने नगरपालिकाओं को दोषी ठहराया है अथवा उनके विरुद्ध आरोप लगाने और दण्डित करने में राजनीतिक नेताओं का समर्थन मिला है, नहीं, क्योंकि राजनीतिक नेताओं में से यहां भी ऐसे लोग हैं जो म्यूनिसपल कांडन्स हैं या कोई और ऐसे ही अधिकारी हैं, यह नगरपालिकाएं सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती हैं, उद्योगों से भी अधिक किन्तु फिर भी हम नगर पालिकाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

जल सप्लाई के सम्बन्ध में नगरपालिकाएं क्या करती हैं यह हमें देखना चाहिए। 1971 की जनगणना के अनुसार 142 नगर हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है। 142 नगरों में से केवल 34 प्रतिशत जनसंख्या के लिए मूल निवासी सुविधाएं हैं और 16 प्रतिशत जनसंख्या के लिए 'सीवेज ट्रीटमेंट' सुविधाएँ हैं। यदि छोटे नगरों को देखें जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1,00,000 तक है, जिनकी संख्या 190 और उन नगरों में केवल 15 प्रतिशत जनसंख्या के लिए मूल निवास की सुविधाएँ हैं और केवल 5 प्रतिशत जनसंख्या के लिए "सीवेज ट्रीटमेंट" सुविधाएँ हैं अतः इन बातों को देखकर हमारी आंखें खुल जाती है कि हम किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं जहाँ हम अपनी नालियों आदि की सफाई नहीं रख सकते जिससे कि बीमारियां न फैलें तथा जीवन स्वस्थ्य रहे।

आजऐल केवल तीन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जल प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपयुक्त कदम उठाए हैं। उनमें से एक गुजरात है, कर्नाटक और तीसरा महाराष्ट्र और एक दिल्ली भी है। सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में केवल दो ही ऐसे नगर हैं जो मल व्ययन की दृष्टि से पूर्णतः सुविधा सम्पन्न है और वे हैं अहमदाबाद और बंगलौर, कलकत्ता, विश्व का एक सबसे बड़ा भार है। मैंने वहां का पानी नहीं पिया।

(व्यवधान)

उसके बाद मैं अगले महत्वपूर्ण पहलू को लेता हूं। वायु प्राकृतिक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है।

यदि विश्व के विकसित देशों के साथ तुलना की जाए तो हमारी स्थिति अधिक खराब नहीं है क्योंकि नगरीकरण की गति शायद उस स्तर तक नहीं पहुंची है लेकिन भीड़-भाड़ वाले शहरों में कार्बन मोनोआक्साइड और कार्बन डायआक्साइड बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है और हाल में ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशी औषधियां इतनी अधिक मात्रा में छिड़की गयी हैं जितनी पहले कभी नहीं छिड़की गई और इसका मुकाबला करने के लिए यह उचित समय है कि विचाराधीन वायु नियंत्रण प्रदूषण विधेयक को जो गत एक वर्ष से प्रक्रिआधिन है, शीघ्र अविलम्ब अधिक नियमित किया जाये।

प्रकृति की दूसरी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हमारे खनिज संसाधन हैं, मैं इसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि भारत जैसा विकासशील देश खनिज संसाधनों की उपेक्षा नहीं कर सकता लेकिन मेरा सुझाव है कि हमें इन सभी खुदाई,कटाई कार्यों सतही खनन और कटाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये कार्य अधिक बढ़िया ढंग से किए जाने चाहिए।

अब मैं जीवन के उच्चतर रूप अर्थात जीव जन्तु और वनस्पति के बारे में चर्चा करूंगा। यह ऐसा क्षेत्र हैं जिसके बारे में हममें से बहुत तीव्र रुचि रखते हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद विश्व में बहुत थोड़े क्षेत्र ऐसे होंगे जहां भारत उप-महाद्वीप की अपेक्षा अधिक समृद्ध वनस्पति और जीव जन्तु होंगे। लेकिन भरे विचार से स्वतन्त्रता से लेकर शायद 90 प्रतिशत वन्य जीव हमारे देश में समाप्त हो गये हैं और यदि हम गर्व कर सकते हैं तो केवल उन पर कर सकते हैं जो शेष बच गए हैं और हमें इस बारे में गौर करना चाहिए कि वे इन क्षेत्रों में विद्यमान रहें चाहे ये क्षेत्र अकारण्य हों अथवा नेशनल पार्क। यदि वे अर्ध-चिड़ियाघर स्थितियों में भी रह रहे हैं तो उन्हें रहने दिया जाये। लेकिन भारत में जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए मुझे संसार में बढ़ते हुए इन जन्तुओं का कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। पक्षी जीवन कुछ निराशाजनक है। चकोर, हुकना, कुछ बत्तखों और सारसों के अतिरिक्त शेष पक्षियों के बारे में स्थिति बुरी नहीं है लेकिन एक बात पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए कि कीटनाशी और कृषिनाशी औषधियों के प्रसार के कारण अनेक शिकारी पक्षी, दुर्लभ पक्षी प्रायः समाप्त होने को हैं क्योंकि वे जहर दिये गए चूहों तथा कीटों को खाते हैं और उससे स्वयं मर जाते हैं। मैं अधिक बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं प्रकृति के विध्वंसक रूप के विषय में काफी बता सकता हूं लेकिन हमें कुछ प्रयास करना चाहिए और कुछ हल ढूंढ़ना चाहिए। जब हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं तो यह भारतीय प्रवृत्ति है कि प्रयास न किए जायें और हल न खोजे जायें बल्कि जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का प्रयास किया जाता है और अपना उत्तरदायित्व दूसरे पर डाला जाता है और अकसर हम कहते हैं कि यह सब शिक्षा की राष्ट्रीय भावना पर निर्भर करता है। मैं सोचता हूं यह प्रश्न से दूर जाने वाली बात है और समस्या का सामना करने वाली बात नहीं है क्योंकि पर्यावरण संबंधी सभी हलों को समय के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, हम अधिक समय बर्बाद करने की स्थिति में नहीं हैं और जब हम समाधान की बात करते हैं, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष हमारे संविधान से नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत हमने उस खण्ड को सम्मिलित किया था जिसमें यह कहा गया है कि वन, झील, वन्य जीव आदि सहित प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना तथा उसमें सुधार करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्त्तव्य है ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। मेरे विचार से हम जो प्रतिष्ठापित है उसका अनुसरण करते हैं और मेरा दल भी ऐसा ही करता है, हम विपक्ष का कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस (इ) ने अपनी घोषणा में एक व्यवस्था (मशीनरी) कायम करने की आवश्यकता पर बल दिया था, उन्होंने यहां तक कहा कि एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए जो संरक्षण के पहलू पर विचार करेगी और यह देखे कि इसका प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़े।

इस वर्ष 23 जनवरी को राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण दिया और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बल पूर्वक कहा। शायद यह पहली बार था जब हमने राष्ट्रपति-पी०

से पर्यावरण और संरक्षण शब्दों को सुना मैं डींग नहीं मारना चाहता लेकिन मैं पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर संसद के लिए चुनाव के लिए खड़ा हुआ और मैं जानता था, जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा, कि मुझे पांच से दस प्रतिशत तक वोट की हानि होगी, लेकिन सभा का वचनबद्ध सदस्य न होकर मैं अधिक हानि उठाता क्योंकि मैं यहां एक विशेष प्रयोजन के लिए आया हूं।

यहां आकर मैंने तुरन्त प्रधान मंत्री को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें पर्यावरण के संबंध में एक अलग पूर्ण विभाग स्थापित करने की बात को उचित सिद्ध किया था जो कि आने वाले वर्षों में पूर्ण मंत्रालय का पूर्वगामी होगा, उसके बाद एक समिति बनायी गयी है और मुझे आशा है कि समिति के प्रतिवेदन पर ध्यान दिया जायेगा और उसे क्रियान्वित किया जायेगा।

इस प्रस्तावित विभाग की मुख्य जिम्मेदारियां होंगीं : भमि का उपयोग, वन, वन्य-जीव, प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री परिस्थिति की पद्धत्ति और पर्यावरण शिक्षा और राष्ट्रीय जागरूकता का सम्वर्धन, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन महत्वपूर्ण कामों के लिए केन्द्र में एक 'मेडल' मंत्रालय, एक केन्द्र बिन्दु है जो प्रयत्नों को समन्वित करता है, इस समय विभिन्न मंत्रालय पर्यावरण के अनेक पहलुओं के संबंध में कार्य करते हैं लेकिन इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में अकसर कोई केन्द्र बिन्दु नहीं होता जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार कार्यवाही कर सकें क्योंकि जिम्मेदारी 16 मंत्रालयों में जो इससे भी अधिक हो सकते हैं, बंटी हुई है, अतः यह आवश्यक है कि यह केन्द्र विन्दु शीघ्र निर्धारित किया जाये और एक 'मेडल' मंत्रातय अथवा विभाग बनाया जाए जिससे महत्वपूर्ण मामले केवल ईश्वर की कृपा पर न छोड़े जायें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे केन्द्र बिन्दु अथवा पहलू ने सरकारी तंत्र को समन्वित किया होता, और केन्द्र में ऐसा मंत्रालय अथवा विभाग अथवा प्राधिकरण अथवा एजेंसी, जो भी आप इसे कहें, होती तो शान्त घाटी और मथुरा तेल शोधक कारखाने में जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है वह पैदा न हुई होती क्योंकि दोनों के मामले में कोई समन्वय नहीं था और हमें इन दोनों परियोजनाओं में राज्य सरकारों तथा अनेक मंत्रालयों द्वारा निवेश किए जाने के दो, तीन या पांच साल बाद समझ आयी। तब पर्यावरण-विद जागे और उस संबंध में रोक लगाने का प्रयत्न किया। हम सफल होते हैं अथवा नहीं, यह बात दूसरी है लेकिन मैं समझता हूं कि प्रक्रिया गलत है। यह दूसरे ढंग से होनी चाहिए, इसमें यह पहलकदमी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए थी जिसमें मैं दृढ़ विश्वास रखता हूं।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं लेकिन मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर है, न केवल इसलिए कि वह भारत की प्रधान मंत्री हैं बल्कि इसलिए कि 1972 का वह दिन मुझे याद है जब संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में पहली बार स्टाक होम में विश्व की बैठक हुई थी और मुझे उसका प्रतिनिधि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह नौ-सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल था और डा० कर्णसिंह भी उसमें थे।

यह बड़ी मनोरंजक बात है कि उसमें 112 देशों ने भाग लिया और उनमें से केवल एक प्रतिनिधि मंडल और एक देश ऐसा था जिसका नेता प्रधान मंत्री था । स्टाकहोम में दो प्रधान मंत्री थे— स्वीडन के प्रधान मंत्री और भारत के प्रधान मंत्री ।

यह मेरे लिए अत्याधिक प्रभावपूर्ण घटना थी और उस दिन स्टाकहोम में भारतीय के रूप में मैंने जितना गौरव का अनुभव किया उतना पहले कभी नहीं किया, यदि इस दिशा में कुछ किया जा सकता है तो मुझे विश्वास है कि यह उन्हीं दिनों में हो सकता है जब वह भारत सरकार के प्रशासन की कर्णधार हैं ।

अन्त में, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व क्या मैं एक प्रस्ताव कर सकता हू : कृषि फोरम, कृषक फोरम, विज्ञान फोरम तथा सहकारी फोरम की भांति हमारे दोनों सदनों में आयोग फोरम हैं । क्या हम एक पर्यावरण फोरम आरम्भ कर सकते हैं ? यदि हां, तो मैं आज यहां एकत्र सभी सदस्यों के पूर्ण सहयोग की आशा करता हूं ।

अन्त में, मैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी श्री बी० बी० वोहरा की बात उद्धृत करना चाहता हूं । उनका कहना है :

"आज हमारी स्थिति लीक करने वाली एक ऐसी नौका की भांति है जिसमें अधिक से अधिक लोग सफल होना चाहते हैं जबकि लीक का छेद आकार में बढ़ता जा रहा है । हमें जब खतरे की जानकारी होगी तो हम न केवल नाव को हल्की रखेंगे बल्कि छेद को बन्द करने का भी बहुत प्रयास करेंगे ।"

सभापति महोदय : मुझे डा० कर्णसिंह से पत्र मिला है, अतः मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे पहले बोलें ।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, क्या सर्व प्रथम मैं अपने युवा मित्र श्री दिग्विजय सिंह की सराहना कर सकता हूं जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा उठायी ? वह एक नये सदस्य हैं लेकिन वह कई वर्षों तक दृढ़ संरक्षणवादी रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने यह बात सभा में उठायी और सभा को पर्यावरण ह्रास के गम्भीर विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया ।

आज के परमाणु युग में मानव बड़े और विकट संकट में है तथा उसका एक बड़ा कारण प्रकृति से दूर होना है, इस ग्रह में पहले कभी मानव जैसे विनाशकारी वंशज नहीं रहे । पहले बड़े-बड़े जानवर हुआ करते थे । दिनोसार एक करोड़ वर्षों तक रहे लेकिन जब वे लुप्त हुए तो शान्ति के साथ गये और धरती को उतनी ही सुन्दर छोड़ गये जितनी सुन्दर वह उनके आने के समय थी । लेकिन मानव जाति ने, जिसकी 8,000 से 10,000 वर्ष की सभ्यता है, पर्यावरण में अभूत-पूर्व हस्तक्षेप किया है और यह सम्भव है कि जब हम यहाँ से जायेंगे, हम इस ग्रह को ऐसी स्थिति में छोड़ेंगे जिसमें वह किसी भी प्रकार के जीवन मानव अथवा अन्यथा के लिए उपयुक्त नहीं होगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : ऐसा परमाणु युद्ध के बाद होगा ।

डा० कर्ण सिंह : यही मेरा भी अभिप्राय है, विशेषकर गत 50 वर्षों में पर्यावरण के मामले में मानव द्वारा बहुत हस्तक्षेप किया गया है ।

सचमुच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति हुई है । यह 2,000 अथवा 3,000 वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चमत्कार हुए हैं और जो क्रान्ति हुई है उसकी कोई निन्दा नहीं करता लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है । अब महसूस किया जा रहा है कि बिना मानव जगत को खतरे में डाले हम पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते । अब प्रश्न मानव द्वारा प्रकृति पर विजय का नहीं है बल्कि प्रश्न है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण का अंग होने के नाते प्रकृति के साथ मेल से रहे ताकि प्रकृति भी जीवित रह सके ।

1972 में मानव पर्यावरण के बारे में स्टाकहोम में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसका श्री दिग्विजय सिंह ने उल्लेख किया है । मैं प्रतिनिधि मंडल का केवल सदस्य ही नहीं था बल्कि मैं उद्घोषणा संबंधी ड्राफ्ट समिति में भी था । हालांकि इन घोषणाओं की अक्सर उपेक्षा की जाती है लेकिन मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मानव पर्यावरण संबंधी इस उद्घोषणा को पढ़ें जिसे 1972 में पास किया गया था क्योंकि इसमें बहुत बहुमूल्य बातें निहित हैं ।

इस परिस्थितिक सन्तुलन को जिन कारणों से क्षति पहुंची है वे तीन प्रकार के हैं प्रथम, वनों की कटाई की जा रही है, जिसका कि उल्लेख किया गया है । आज हम बाढ़ की बात करते हैं और बाढ़ की स्थिति के बारे में सभा में चर्चा किए जाने की मांग की जा रही है । लेकिन हमें मानना चाहिए कि इस बाढ़ का एक प्रधान कारण है हिमालय में वन कटाव और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट अधिकारियों तथा ठेकेदारों के सामूहिक भ्रष्ट कार्यों के परिणामस्वरूप हिमालयों की श्रेणियों को अनाच्छादित करना । मैं इसे पार्टी का मामला नहीं बना रहा हूं । मैं सामान्य बात कह रहा हूं ।

इन वनों को काटा गया है । मैंने स्वयं काश्मीर में देखा है कि जो क्षेत्र मेरे बचपन के समय वनों से सुन्दर ढंग से आच्छादित थे, आज वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता क्योंकि कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ मन्त्री खूब पैसा बनाना चाहते थे और उन्होंने कुछ वर्ग फुट वन काटने का परमिट दे दिया और उन्होंने उससे दस गुना वन-कटाव कर दिया । स्वतंत्रता के बाद भारत में यह सबसे बड़ा अपराध किया गया । इस प्रकार हमारे वनों को नष्ट किया गया है । इसी कारण बाढ़ें आ रही हैं, और इसीलिए वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं, जैसा किसी ने कहा, वनों से वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं लेकिन ये हमारे शहरों में बढ़ रहे हैं ।

दूसरी बात, बर्धित औद्योगीकरण के बारे में है, स्पष्ट है कि औद्योगीकरण आवश्यक है विशेषकर हमारे जैसे विकासशील देश में, जहां हमें गरीबी को दूर करना है । लेकिन औद्योगीकरण कुछ सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए । गत 30 वर्षों के दौरान अयोजनाबद्ध औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण को काफी हद तक नष्ट किया गया है, जल को प्रदूषित किया गया है ।

हमने गंगा को प्रदूषित करने की अविश्वनीय और असफल कार्य किया है, गंगा जो सबको पवित्र करने वाली मानी जाती थी उसे गत 30 वर्षों में हमने प्रदूषित कर दिया, रिपोर्टों के अनुसार गंगा का पानी आज गँदला है। यही हम कर सके हैं। यह ठीक है कि हमारी हालत टोकियो जितनी खराब नहीं है जहां कि लोगों को अपने दैनिक कार्य के लिए गैस-मुखौटों को लगाकर जाना पड़ता है क्योंकि वहां की हवा इतनी खराब है। लेकिन यहां अगर कोई पांच बजे शाम को इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से गुजरे तो, जो कि धुंआं छोड़ता है, सांस लेना असम्भव होगा।

तीसरी बात, शहरीकरण के विषय में है जो पुनः अनिवार्य है लेकिन इससे गन्दी बस्तियां बढ़ी हैं और जीवन में गिरावट आई है। सभी बड़े शहरों को गन्दी बस्तियों ने घेर लिया है। सुन्दर ऊंचे मकानों के आस-पास आपको गन्दी बस्तियां दिखाई देंगी। यह स्थिति बड़ी विस्फोटक और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा शहरी विकास न तो योजनाबद्ध है और न ही उस सबंध में दूरदर्शिता पर ध्यान दिया गया है। लोग अपनी मर्जी से उसका विकास कर रहे हैं और जन संख्या के बढ़ने के फलस्वरूप सम्पूर्ण स्थिति धीरे-धीरे कठिनतर बनती जा रही है।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० बी० एन० सिंह) : पहले यहां महल और झोपड़ियां थीं और अब ऊंचे मकान और गन्दी बस्तियां हैं।

डा० कर्ण सिंह : इसलिए मैंने "ऊंचे मकान और गन्दी बस्तियां" शब्द का प्रयोग किया। लेकिन स्थिति उतनी ही खराब है, मन्त्री महोदय ने मेरी बात की पुष्टि की है। सामन्तवाद से प्रजातंत्र में आने के बावजूद इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसलिए इस बारे में सुधार की आवश्यकता है।

हमें दृढ़ जनमत और पर्यावरण जागरूकता का विकास करना चाहिए। मैंने कुछ ठोस प्रश्न पूछने हैं। मुझे पक्का पता नहीं है कि कौन मंत्री इस विषय से संबंधित है। मुझे आशा है कि इन प्रश्नों का उत्तर दिया जायेगा।

पहला प्रश्न, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण विधेयक के संबंध में है, जिसकी एक प्रवर समिति का मैं सभापति भी था। हमने इस संबंध में बड़ी सावधानी से विचार किया। हमने सारे भारत का दौरा किया। 7 से 8 महीने के रिकार्ड समय में हमने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन में न केवल इस विधेयक का सम्बन्ध था बल्कि उसमें बहुत मूल्यवान सामान्य सिफारिशें भी की गयीं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को सभा के सामने लाने में विलम्ब क्यों किया गया और क्या हमें ऐसा आश्वासन दिया जायेगा कि इस वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस विधेयक को आगे लाया जायेगा और पारित किया जायेगा और जो आम सिफारिशें हमने की हैं जिसमें 'ताजमहल', वन क्षेत्र आदि संबंधी सिफारिशें भी शामिल हैं, उन पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न, यह है कि राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना तथा समन्वय समिति पर्यावरण समस्याओं के बारे में देखभाल करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है, लेकिन हम देखते हैं कि यह पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं है। फलस्वरूप, आयोजना प्रक्रिया में अनेक परियोजनाएं पास होती

हैं लेकिन बाद में समस्या खड़ी करते हैं। उदाहरणार्थ मथुरा तेल शोधक कारखाने का और शान्त घाटी परियोजना का उल्लेख किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना तथा समन्वय समिति का उद्देश्य यह था कि यह आयोजना पद्धति में एक फिल्टर की तरह कार्य करेगा ताकि योजना आयोग द्वारा पास किए जाने से पूर्व किसी भी बड़ी परियोजना का पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी दृष्टि से अध्ययन किया जा सके और उस दृष्टि से आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही उसे पास किया जाये। यह बहुत आवश्यक है कि इस समिति को सक्रिय बनाया जाये और इसे उसी प्रकार कार्य करना चाहिए जैसी मूलतः इससे आशा थी।

मेरा तीसरा, प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा विशेषकर हिमालय क्षेत्र में अग्रेतर वन-कटाव को रोकने के लिए तथा वैज्ञानिक कार्यक्रम द्वारा पुनः वनरोपण की प्रवृत्ति को लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम लोग वनों के लुप्त हो जाने के बारे में यहां सभा में पश्चात्ताप करें। यदि राजनीतिज्ञ चाहें और सर्वोच्च स्तर पर निर्णय किया जाये तो अब हमारे पास पुनः वनरोपण के लिए प्रौद्योगिक क्षमता है।

क्या सरकार यह बतायेगी कि वे इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

मेरा चौथा, प्रश्न वन्य जीवों के बारे में है, मैं दस वर्ष से भी अधिक समय तक भारतीय वन्य जीव बोर्ड तथा प्रोजेक्ट टाइगर का सभापति रहा, कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में यह पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई कि स्वयं प्रधान मन्त्री ने भारतीय बोर्ड तथा प्रोजेक्ट टाइगर का सभापतित्व ग्रहण कर लिया है यदि इसका तात्पर्य यह है कि सरकार इसे अब अधिक महत्व दे रही है तो इसका स्वागत है, प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से, जो कि विश्व में सबसे अधिक सराहनीय संरक्षण प्रोजेक्ट है, हम एक नस्ल को जो कि समाप्त प्रायः होने वाली थी, बचाने में समर्थ हुए, अनेक तथाकथित विदेशी विशेषज्ञों तथा भारत में उनके मित्रों द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के कार्य की निन्दा किये जाने के प्रयासों के बावजूद भी भारत में जो निष्टावान संरक्षणवादी और वन अधिकारी हैं और जिन्होंने टाइगर को समाप्त होने से बचाने के लिए दिन रात कार्य किया मैं उनकी सराहना करता हूं, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट टाइगर के कार्य-क्षेत्र को बनाने के लिए क्या कार्य किये जा रहे हैं, मेरे जाने से पहले, हमने रिजर्व में मुलतः सम्मिलित नौ परियोजनाओं के अतिरिक्त राजस्थान में सरिस्का और केरल में पेटियार यारण्य को शामिल करने का सुझाव दिया था, मेरे विचार से उन दोनों को शामिल कर लिया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश और असम, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के अन्य भागों में भी ऐसे क्षेत्र हैं।

उड़ीसा में सिमिलीपाल है, राजस्थान में रणथम्भोर है, मध्य प्रदेश में कान्हा है, आदि-आदि। लेकिन हमें इसमें वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि जहां-जहां चीते पाए जाते हैं हमें उन दूसरे क्षेत्रों को भी इसके अन्तर्गत लेना चाहिए। यह केवल चीतों को बचाने के लिए ही नहीं है, चीता परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर) एक संरक्षण परियोजना है। चीता परिस्थितिजन्य समस्या का प्रतीक है। यह अपने आप में ही कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब आप किसी प्राकृतिकवास का परिरक्षण करते हैं तब आप सम्पूर्ण पारिस्थितिक पिरामिड का परिरक्षण करते हैं।

चूंकि अब प्रधान मन्त्री ने भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड और प्रोजेक्ट टाइगर के चे
रूप में पदभार संभाल लिया है, इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट ट
विस्तार करने और जैसलमेर में राष्ट्रीय रेगिस्तान उद्यान, लद्दाख में राष्ट्रीय उद्यान, म
में राष्ट्रीय अपतट समुद्री उद्यान जैसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी परियोजनाए
करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है । कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यानों का सुझाव दिय
था; उसके बारे में क्या हो रहा है ?

अन्त में, सरकार से मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में पर्यावर
मूल्यों को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं । मुझे खुशी है कि प्रधान म
आ गई हैं, वह पर्यावरण संबंधी मूल्यों में रुचि लेती रही हैं । शिक्षा प्रणाली वास्तव में
का एक स्रोत है । जब हम अपने बच्चों को भूगोल के बारे में पढ़ाते हैं, जब हम अपने
विभिन्न अन्य विषयों के बारे में पढ़ाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम शुरू से ही पर्यावरण संब
के बारे में जानकारी देना भी आरम्भ करें क्योंकि जब सारी पीढ़ी का विकास होता है
इतना महसूस कर सकती है कि ये वन और यह भूमि राष्ट्र की है, कि यह राष्ट्रीय सम्प
कि यह एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है जो हमें विरासत में मिला है । इसको नष्ट कर
कोई अधिकार नहीं है । आखिर हमारी पीढ़ी पिछली हजारों पीढ़ियों के कारण ही तो
मौजूद है । प्राकृतिक निवास स्थल को नष्ट करने और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए
का क्या अधिकार है ? राष्ट्रीय मानस में यह जागरूकता फैलनी चाहिए । और तभी ह
है जब पर्यावरण संबंधी मूल्यों के बारे में आरंभ से ही जानकारी दी जाए यानी प्राथमि
लेकर कालिज स्तर तक, और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण संबंधी विज्ञान में कुछ विशे
क्रम आरम्भ किए जाएं । मुझे सरकार से यह जानकर खुशी होगी कि उस बारे में व
का करने विचार है ।

मैंने पांच ठोस प्रश्न पूछे हैं । मैं यह कहकर समाप्त करूंगा कि अब तक लिए ग
चित्रों में से सबसे अनूठा छायाचित्र पृथ्वी का है जो चन्द्रमा से लिया गया है । मुझे वि
माननीय सदस्यों ने उस छायाचित्र को देखा है । उसमें पृथ्वी ऐसी दिखती है जैसी वास
न तो असीमित और न अन्तहीन, बल्कि हमारे वाह्य अन्तरिक्ष के विस्तार के सामने एक
बहुत ही सुन्दर बिन्दू के समान लगती है, जो बहुत नाजुक है और उसका वातावरण ऐस
नष्ट किया जा सकता है और दिन प्रति दिन नष्ट किया जा रहा है । अतः, जब हमा
ऋषियों ने वेदों में नहरों, नदियों, झरनों, समुद्रों और वृक्षों की पवित्रता की प्रशंसा क
उनका कोई अंधविश्वास नहीं था, यह गहरे अन्तर्ज्ञान की चेतना थी कि सम्पूर्ण जीव
तरह की एकता है ।

ईशावास्यमिदं सर्वम्
यत्किच जगत्यां जगत ।।

हर चीज जो विद्यमान है वह दैवी है और पवित्र है क्योंकि सब चीजों के बं

संबद्धता है। यदि हमें अपने राष्ट्र और इस विश्व को आगे होने वाले पर्यावरण संबंधी ह्रास से बचाना है तो हमें यही रुख अपनाना होगा।

धन्यवाद।

श्री के० पी० सिंह देव (धेनकनाल) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक को इतना महत्वपूर्ण विषय सामने लाने और पर्यावरण संबंधी प्रदूषण, संरक्षण और संबंधित मामलों पर संसद का ध्यान दिलाने के लिए बधाई देता हूं। मैं डा० कर्णसिंह को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी विद्वत चर्चा की और ज्ञान-गर्भित भाषण दिया।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

ऐसा नहीं है कि संरक्षण के मामले में भारत जागरूक नहीं है। जैसा कि प्रस्ताव के प्रस्तावक, श्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा बड़ी योग्यता के साथ कहा गया है, न केवल अशोक के शैल शासनादेशों में बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में और उपनिषदों में भी, संरक्षण के बारे में बहुत कुछ कहा गया था, और प्राचीन समय में यह हमारी एक परम्परा और जीवन का एक ढंग रहा है। लेकिन, हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़, चक्रवात, सूखा और भू-स्खलन ने फिर हमारा ध्यान इस सचाई की ओर आकृष्ट किया है कि मनुष्य द्वारा प्रकृति के संतुलन में हस्तक्षेप के कारण यह विनाशलीला हो रही है।

कुछ ही दिन पहले 'स्टेट्समैन' में वह समाचार प्रकाशित हुआ था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वाधान में, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के एक व्यक्ति माधव गाडगिल द्वारा किए गए अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है—और प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि जल-विद्युत परियोजनाओं ने सारे पश्चिमी घाटों को फायदे के बजाय नुकसान ही अधिक पहुंचाया है। आपकी अनुमति से, मैं यह उद्धरण देना चाहूंगा :

> "अध्ययन में कहा गया है कि यद्यपि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां पश्चिमी घाटों से निकलती हैं और उस क्षेत्र में जहां घाटों की पहाड़ियां दक्षिणी-पठार में मिल जाती हैं, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए अति उत्तम दशाएं उपलब्ध हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि हाल ही के वर्षों में पूरे किए गए पनशेट, काबिनी और भवानीसागर बांधों के दूर-गामी परिणामों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।"
>
> "·····पश्चिमी घाटों के इन वनों में पौधों और पशु जातियों का ऐसा अनूठा भण्डार रहा है जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए, बोर नाम की एक घास, जो केवल शरावाठी के प्रसिद्ध जोग प्रपात के जोन में ही पाई जाती थी और विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं उगती थी, अब शरावाठी विद्युत परियोजना की क्रियान्विगी के कारण समाप्त हो गई है ···
>
> पश्चिमी घाट की एक दूसरी संकटस्थ प्राणि जाति उस बंदर की है जिसके शेर-जैसी पूंछ होती है·····"

अतः महोदय, ये सभी वनों के विनाश के कारण या तो समाप्त हो गए हैं या समाप्ति के कगार पर खड़े हैं।

इसलिए, महोदय यह हर्ष की बात थी कि फरवरी में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने पर्यावरण-प्रबंध पर एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें वैज्ञानिकों, पारिस्थितिजीविज्ञों और पर्यावरण शास्त्रियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों ने भाग लिया और कुछ सिफारिशें कीं, जो आपकी अनुमति से, मैं कुछ देर में पढ़कर सुनाऊंगा।

यह भी हर्ष की बात है कि 6 मार्च को, स्वयं प्रधान मन्त्री ने विज्ञान-भवन में विश्व संरक्षण नीति का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण दिया जिसमें उन्होंने यह अपील की थी कि सभी तरह के आर्थिक विकास और सम्पूर्ण संसाधनों के प्रबंधों के बारे में यह विश्लेषण किया जाए कि पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय हमें यह संकेत देंगे कि सरकार की क्या नीति है और प्रधान मंत्री के वक्तव्य के फलस्वरूप सरकार ने क्या ठोस उपाय किए हैं।

अब मैं प्रदूषण के प्रश्न पर आऊंगा—प्रदूषण जो वायु, जल और शोर से उत्पन्न होता है। हम वायु-प्रदूषण का मामला देख चुके हैं। ताजमहल पर पाषाण कैंसर और अम्ल-वृष्टि के प्रभाव के बारे में अभी भी बहस चल रही है और यह विवाद अभी भी जारी है तथा मथुरा तेल शोधक कारखाने का ताजमहल पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा इस बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वायु-प्रदूषण के परिणामी प्रभावों के कारण कैंसर और हृदय रोगों जैसे खतरों का सवाल भी ऐसा ही है।

औद्योगिक निस्त्राव के कारण जल-प्रदूषण की समस्या एक और विकट समस्या बन गई है जो न केवल समुद्री पारिस्थितिक-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है बल्कि नदी-जल को भी कुप्रभावित करती है, जिस पर हमारी अधिकांश जनता निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, उड़ीसा में मेरे अपने जिले को ही लीजिए। वहां तलचेर उर्वरक संयंत्र और तलचेर ताप संयंत्र का गंदा पानी ब्रह्मणी नदी में छोड़ा जा रहा है। गतवर्ष के अभूतपूर्व सूखे के दौरान, लोगों को बड़ी कठिनाई हुई और वे उस दूषित जल को ग्रहण नहीं कर सके। वह बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं था। अतः इन उद्योगों का जो दूषित और अवशिष्ट जल नदियों में छोड़ा जाता है उसे साफ किया जाना चाहिए और बार-बार प्रयोग में लाना चाहिए। सरकार को इस बारे में बहुत शीघ्र ही कोई निर्णय करना चाहिए और पूरी इच्छाशक्ति से उसे कार्यान्वित करना चाहिए।

उसके बाद सवाल आता है शोर से होने वाले प्रदूषण का, जिससे शहरी क्षेत्रों में न केवल लोगों के जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है बल्कि उनके रक्त-दाब, उनके आयुकाल और उनके जीने के ढंग पर भी कुप्रभाव पड़ रहा हैं।

मेरा अगला विषय होगा वनों की भूमिका। वन विशेषकर हमारे जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि सूखा, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन

को वनों द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्राचीन समय में और लगभग दो दशक पहले, हमारे यहां बहुत घने वन थे जो एक ऐसे छत्र का काम करते थे जो न केवल वायुमंडलीय नमी को अपनी ओर आकर्षित करते थे बल्कि भूमि के संरक्षण और उर्वरता में भी मदद करते थे। अब वनों के विनाश और उनकी कटाई से नदी तल में न केवल भूमि-कटाव हुआ है जिससे नदियों की जल-प्रवाह क्षमता में कमी आई है, बल्कि जिस मिट्टी पर हमारी जनसंख्या और कृषि-उत्पादन निर्भर करता है उसकी उर्वरता और उत्पादकता का भी ह्रास हुआ है। अतः जैसा कि प्रस्ताव के प्रस्तावक और डा० कर्णसिंह द्वारा बड़ी योग्यता के साथ कहा गया है, हमें पूरे दम-खम के साथ वानिकी पुनः वन-रोपण और वनरोपण की कार्यवाही में लग जाना चाहिए। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि अब तक तो वन अधिकारियों (फारेस्ट आफिसर) को वनों की उत्पादकता के उपयोग के बारे में ही प्रशिक्षण और शिक्षा दी जाती रही है लेकिन वनों के संरक्षण संबधी पहलू के बारे में कदापि नहीं। इसलिए वानिकी संबंधी शिक्षण पद्धति और क्रिया में परिवर्तन लाना आवश्यक है। जैसा कि श्री ओस्कर विल्ड ने कहा है, "हमें हर चीज की कीमत मालूम है लेकिन मूल्य किसी का नहीं।" जहां तक भारत में वानिकी क्रिया का संबंध है, यह बात सबसे अधिक उपयुक्त लगती है।

समाप्त करने से पहले मैं सदन का ध्यान 'सेमिनार' की सिफारिशों और विश्व संरक्षण नीति की ओर दिलाना चाहूंगा। पर्यावरण-प्रबंध संबंधी विचार-गोष्टी में श्री सोमानी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा कई भागों में विचार-विमर्श किया जाना शामिल था। "हमें अब क्या करना चाहिए" विषय पर उन्होंने जो कहा वह यह है :

> "यह बात सर्वसम्मति से मान ली गई कि आने वाले दशकों में, इस देश में मनुष्य और उसकी पारिस्थितिक-व्यवस्था की कारगर ढंग से सुरक्षा तभी की जा सकती है जब हर स्तर पर, बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाए, और लोगों को दूषण से मुक्त मूल आवश्यकताएं तथा अनिवार्यताएं उपलब्ध करा कर उनके रहन-सहन के हालात में सुधार किया जाए। यह स्वीकार किया गया कि मनुष्य ने अपनी बेहतरी के लिए जिस तकनीक का विकास किया है—औद्योगीकरण और शहरीकरण—उसका शहरी और ग्रामीण पर्यावरण तथा पारिस्थितिक व्यवस्था को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कारगर ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। विचार-विमर्श के बाद निम्नांकित सिफारिशें की गईं :
>
> "(1) संसद आगे कोई विलम्ब किए बिना "वायु प्रदूषण विधेयक" पारित करे।
>
> (2) भारत के सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र मोटर वाहनों के धुएं (आटोमोबाइल एग्जास्ट) और शोर से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय करें।
>
> (3) सभी तरह के पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सम्पूर्ण भारत के वास्ते जल्दी ही एक व्यापक अधिनियम पारित किया जाए।
>
> (4) इस देश के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी बनाई जाए।
>
> (5) उपर्युक्त मद 4 में उल्लिखित एजेंसी के बनने तक, उन सभी भावी विकास

परियोजनाओं को, जिनसे पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ने की संभवना है, इस बात पर विचार करने के लिए कि परियोजना के कारण पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है किसी ऐसी विशेष समिति के पास भेजा जाए जिसमें मुख्यत: पर्यावरण-विज्ञ ही हों। उस समिति द्वारा की गई किसी भी सिफारिश को अन्तिम माना जाए, राजनीतिक और अथवा आर्थिक कारणों से उसे रद्द न किया जाए।

(6) पर्यावरण के विषय को शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप आरंभ किया जाए।

महोदय, जब प्रधान मंत्री ने 6 मार्च को विश्व संरक्षण नीति का उद्घाटन किया, तब उन्होंने यह कहा था :

'विश्व संरक्षण नीति का उद्देश्य विद्यमान संसाधनों के प्रबंध के प्रति और अधिक संकेन्द्रित रुख अपनाए जाने को बढ़ावा देना और यह नीति निदेश देना है कि इन तीन मुख्य वर्गों द्वारा इसे किस तरह लागू किया जा सकता है।

—सरकारी नीति-निर्माता और उनके सलाहकार;

विद्यमान संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध संरक्षणवादी तथा अन्य;

विकास अभिकरणों, उद्योग तथा वाणिज्य और मजदूर संघों सहित विकास व्यवसायी।

1. विश्व संरक्षण नीति का लक्ष्य विद्यमान संस्थानों के संरक्षण के बारे में तीन मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना है :

"(क) अनिवार्य पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं और जीवनदायनी व्यवस्थाओं को बनाए रखना;

(ख) आनुवंशिक विभिन्नता की संरक्षण करना; और

(ग) प्राणी-जातियों और पारिस्थितिक व्यवस्था का रक्षणीय उपयोग सुनिश्चित करना।"

अत:, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री ने उद्घाटन करके सरकार की इच्छा और विश्व-संरक्षण नीति के प्रति सरकार की वचनबद्धता को पहले ही स्वीकार कर लिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस नीति को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए तथा आर्थिक विकास और संसाधन प्रबंध पर उसके प्रभाव का विश्लेषण कराने के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या सरकार प्रधान मंत्री के अधीन पर्यावरण मंत्रालय स्थापित करेगी ताकि विभिन्न राज्यों के साथ समन्वय कायम किया जा सके और समय रहते अपने देश, प्राकृतिक संसाधनों और सम्पूर्ण पारिस्थितिक व्यवस्था को बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस धरती में पैदा हुआ, वहां मैंने बचपन से ही प्रकृति को हंसते, गाते, लोगों को खुश करते और छाया देते हुए देखा है। आज उसी प्रकृति का लगातार विनाश हो रहा है। जब मैं देखता हूं कि जिस मानव को प्रकृति ने बनाया है, जिस मानव की वह रक्षा करती है, वही उसके विनाश का साधन बन रहा है, तो बड़ा दुख होता है। मैं नहीं कहता कि इसके लिए किसी सरकार या किसी व्यक्ति को दोष देना चाहिए। वनों और प्रकृति के प्रति हमारी जो समझदारी होनी चाहिए, हम उसको विकसित नहीं कर पाये हैं।

हिमालयन रिजन में हिन्दुस्तान के वनों का एक अच्छा खासा प्रतिशत है। राज्यों की सरकारों पर उन वनों के संरक्षण और संवर्द्धन का दायित्व है, लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। आज सरकार जितना पैसा सायल कनजरवेशन पर खर्च कर रही है, यदि उतना पैसा हिमालयन रिजन में वनों के संवर्द्धन के लिए लगाया जाये, तो वह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय निधि बनेगी और बहुत सा व्यर्थ खर्च बच सकेगा। आज सारे देश में जो बाढ़ें आ रही हैं, उनका एक ही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई बहुत बुरी तरह से हो रही है। वहां की जमीन नंगी हो गई है और वहां की मिट्टी लगातार नदियों द्वारा कट कर तलहटी में जो जमा हो रही है। जब बरसात में पानी आता है, तो वे नदियां चारों तरफ उफन कर एक प्रलयंकर दृश्य पैदा कर देती हैं।

आज कालागढ़ आदि सब डैम सिल्ट से आधे भर चुके हैं। सरकार उस सिल्ट को निकालने पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद उन डैमों के टूटने का खतरा बना रहता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में नानकसागर डैम इसी कारण टूटा कि वहां बहुत ज्यादा सिल्ट जमा हो चुकी थी और जब बाढ़ आई, तो डैम पानी को रोकने में असमर्थ रहा। उसमें सैकड़ों लोगों की जानें गईं और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ।

दुनिया के विशेषज्ञों का मत है कि इकालोजिकल बैलेंस बनाये रखने के लिए 33 प्रतिशत धरती पर वनों का होना जरूरी है, जबकि हिन्दुस्तान में केवल 20 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित हैं। उनमें से अधिकांश वन ऐसे हैं, जिनकी उपयोगिता वनों के रूप में नहीं है, बल्कि जो चीड़ और युकलिप्टस आदि के व्यापारिक वन हैं। चीड़ और युकलिप्टस पानी को रोकने या पैदा करने का काम नहीं करते हैं, वे पानी को सोखते हैं। पापलर और ओक के वृक्ष, चौड़े पत्ते वाले वृक्ष, जिनकी उपयोगिता कामर्शल नहीं है, पानी को पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन सब राज्य सरकारें चीड़ और युकलिप्टस के वृक्ष लगा रही हैं।

आज उत्तरी यूरोप में 48 प्रतिशत और अमरीका में 34 प्रतिशत भाग में वन हैं, लेकिन वहां की सरकारें फिर भी वनों के संरक्षण और संवर्द्धन की दिशा में ठोस कदम उठा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से इंगलैंड में क्लीन एयर एक्ट पास किया गया है, क्या उस तरह का कानून हमारे यहां पास नहीं किया जा सकता है। अमरीका में डिपार्टमेंट आफ एनवायरनमेंटल कनजरवेशन है, जो इस काम को विशद रूप से करता है। क्या वैसा डिपार्टमेंट

हमारे यहां नहीं बनाया जा सकता है ? ताकि जिम्मेदारी पूरे तरीके से एक विभाग के ऊपर आए ।

आज जहाँ पर हम वनों के विनाश के संदर्भ में विचार कर रहे हैं, जमीन के कटने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं वहां पर एक बात यह भी है कि हम लोगों की आदतें व्यक्तिगत तौर पर गन्दगी को पैदा करने की हैं । जो चीजें नदी नालों को गन्दा करती हैं, हम लोग उन चीजों को बचा सकते हैं, मगर हमारी आदतें ऐसी हैं कि हम लोग बराबर इस तरीके से उन चीजों को खुला छोड़ते हैं । किसी का पशु मरेगा तो उसको नदी में डालेंगे, किसी के यहां और कोई गन्दगी होगी तो उसे नदी नालों में डालेंगे, म्युनिसिपैलिटीज अपना कूड़ा नदी में डालेगी. दूसरे तीसरे लोग भी यही करेंगे । उसके कारण आज पानी दूषित हो रहा है । जगह-जगह लोगों को पीलिया का रोग हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है । मगर इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस संदर्भ में भी प्रान्त की सरकारों को और म्युनिसिपैलिटीज को आगाह करें, उनके सामने एक दृष्टिकोण रखें कि उनको इसके अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने यहां के नदी नालों और वातावरण को स्वच्छ बनाने की कोशिश करनी चाहिए ।

वनों के संदर्भ में एक निवेदन मेरा केन्द्रीय सरकार से है । मैंने पिछले दिन काल अटेंशन के संदर्भ में भी कहा था कि जब तक हम हिमालयन रीजन के वनों को प्रान्त की सरकारों से लेकर अपने हाथ में, अर्थात् केन्द्र में नहीं लेंगे, तब तक हिमालयन रीजन के वनों की रक्षा नहीं हो सकती क्योंकि प्रान्त की सरकारों के पास फंड्स की कमी होती है, वे अपनी योजना के विकास कार्यों के लिए वनों की रेवेन्यू पर बहुत कुछ निर्भर करती हैं । केन्द्र की सरकार को व्यापक हित में कम से कम हिमालयन रीजन के वनों को अपने हाथ में लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए । वहां पर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे वनों को पैदा करें, ऐसे जंगलों को लगाएं जो जंगल वहां के वातावरण को बना सकें । जो वहां पानी के नये-नये स्रोत पहले होते थे वे सूखते जा रहे हैं । वह हिमालयन रीजन जो गंगा और यमुना जैसी नदियों को पानी देता है, आज वहां के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है ।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रस्ताव यहां पर माननीय दिग्विजय सिंह ने रखा है उसके तहत कि केन्द्रीय सरकार सारे एकोलाजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए हिमालयन रीजन को अपने हाथ में ले । सौयल कंजर्वेशन और दूसरे तीसरे कामों में जितना पैसा खर्च हो रहा है उसको वनों के संवर्द्धन में लगाए तो हमारे राष्ट्र का ज्यादा हित हो सकता है ।

श्री ई० बाला नन्दन (मुकन्दपुरम) : मैं श्री दिग्विजय सिंह तथा डा० कर्ण सिंह का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के लिये विषय की उचित व्याख्या की है । जहां तक इस विषय का संबंध है हममें से अधिकतर सामान्य व्यक्ति हैं । यह विषय समस्त विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है । पर्यावरण तथा परिस्थिति-विज्ञान एक बहुत ही व्यापक विषय है और इस पर विश्व भर में चर्चा की जा रही है । यह ठीक है कि श्री दिग्विजय सिंह द्वारा

अनेक बातों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें अच्छे जल के अभाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल प्रदूषण में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। वायु और जल के बिना इस धरती पर कोई भी नहीं रह सकता। अतः इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। इस विषय पर चर्चा करते समय हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ठेकेदारों द्वारा किस प्रकार हमारे वनों को समाप्त किया जा रहा है। वे केवल लाभ के लिये ऐसा कर रहे हैं। जहां तक उद्योगपतियों का प्रश्न है, हालांकि हम कुछ भी कानून बनायें और उनको कार्यान्वित करने के प्रयास करें फिर भी वे केवल लाभ की दृष्टि से काम करते हैं। लाभ के लिये वे न केवल पशु-पक्षियों की हत्या कर देंगे परन्तु वे लाभ के लिये लाखों व्यक्तियों की हत्या करने से भी चूक नहीं करेंगे। आज यह स्थिति है। आप विश्व की पर्यावरण तथा परिस्थिति विज्ञान संबंधी स्थिति का विश्लेषण करें। पहले नगरों की स्थिति को देखें - न्यूयार्क लन्दन, टोकियो, दिल्ली, कलकत्ता तथा मास्को आप देखेंगे कि न्यूयार्क टोकियो और लन्दन में बहुत अधिक प्रदूषण है। मास्को तथा दिल्ली में यह अनुमत सीमाओं के भीतर है।

एक माननीय सदस्य : पुरानी दिल्ली की यह स्थिति नहीं है।

श्री ई० बाला नन्दन : मैं इस बारे में गलत हो सकता हूं। हम विकसित देश नहीं हैं। इस प्रकार दिल्ली में प्रदूषण अधिक नहीं है। यदि सारे विश्व पर विचार करें तो विकसित पूंजीवादी देशों में यह अधिक है। हमारा देश अल्प-विकसित देश है। अतः हमारा इस बारे में दृष्टिकोण विशेष रूप से विकास की दृष्टि से होना चाहिए अर्थात अपने राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हमारी लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की हालत में रह रही है। परिस्थिति विज्ञान पर विचार करते समय विकास के सम्पूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

मेरे मित्र ने 1972 में स्टाकहोम में हुए सम्मेलन का उल्लेख किया। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी घोषणा में लिखा है :

> "विकासशील देशों में पर्यावरण की अधिकतर समस्याएं अल्प-विकास के कारण उत्पन्न होती हैं। लाखों लोग अभी भी निम्नतम स्तर से भी नीचे रहते हैं जो उपयुक्त मानवीय जीवन कहा ही नहीं जा सकता जिसमें लोग भोजन, कपड़े, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता जैसी आवश्यकताओं से भी वंचित रहते हैं। परिणामतः, विकासशील देशों को अपने पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार की प्राथमिकता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयासों को अपने विकास की ओर उन्मुख करना चाहिये। जहां तक औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों का संबंध है, पर्यावरण संबंधी समस्याएं प्रायः औद्योगिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सम्बद्ध हैं।"

मेरी जानकारी के अनुसार हमारी प्रधान मंत्री भी वहां पर उपस्थित थीं। यह दृष्टिकोण हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि अल्प विकसित देश में परिस्थिति-विज्ञान तथा पर्यावरण की इस समस्या को देश के विकास के साथ सम्बद्ध किया जाये।

डा० कर्ण सिंह के साथ मैं शत प्रतिशत सहमत हूं। परंतु इसके साथ ही मुझे यह कहना है कि मुझे पवित्रता, मातृ भूमि और इसी प्रकार की अन्य बातों के उल्लेख पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मुख्य दृष्टिकोण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर-- अब तक उन क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों पर—आधारित होना चाहिये और हमें उन्हीं के अनुसार इस प्रश्न की ओर अपने दृष्टिकोण की व्यवस्था करनी चाहिये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि डा० कर्ण सिंह एवं श्री दिग्विजय सिंह द्वारा सुझाया गया है, हमें बहुत से कदम उठाने हैं। हमारी सरकार स्थिति को जानती है और कुछ कदम उठा भी रही है। परंतु मैं यह बताना चाहूंगा कि आजकल परिस्थिति विज्ञान के संरक्षण एवं पर्यावरण सुधारने के प्रश्न पर कुछ अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह ऐसे क्षेत्रों से है जहां पर अधिकतम विकास प्राप्त कर लिया गया है। जो लोग भारत अथवा अन्य अल्प-विकसित देशों में आते हैं वे अपने परमाणु बम बेचने तथा परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण सुधार पर मंत्रणा देने आते हैं। परमाणु बम के परिस्थिति विज्ञान पर प्रभाव के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अतः हमें उन लोगों के जाल में फंसने से सचेत रहना चाहिए।

मैं प्रधान मंत्री से एक अनुरोध कर रहा हूं। वह अब बाघ परियोजना की मुखिया हैं। बाघ परियोजना में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका संबंध अन्तर्राष्ट्रीय वन्य जीवन निधि से है। इस संस्था के बारे में हर कोई जानता है। जो लोग इन बातों से सम्बद्ध हैं वह जानते हैं। नीदरलैण्ड का राजकुमार इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष है। लोकहीड घोटाले में इसका हाथ था। वह अध्यक्ष है।

डा० कर्ण सिंह : वह नहीं है। अब ड्यूक आफ एडनबर्ग इसके अध्यक्ष पद पर हैं।

श्री ई० बाला नन्दन : इस प्रकार के लोग वन्य जीवन आदि की रक्षा कर रहे हैं। 'ब्लिट्ज' में उनकी गतिविधियों के बारे में दो लेख प्रकाशित हुए थे। मैं सम्पूर्ण लेख तो नहीं पढ़ना चाहता परंतु आपकी अनुमति से मैं लोक लेखा समिति द्वारा अप्रैल 1975 में सभा को दिये अपने प्रतिवेदन में कही गई बातों का सम्बद्ध उद्धरण पढ़ूंगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है :

> "बम्बई प्राकृतिक इतिहास संस्था के तत्वाधान में पक्षी प्रवास संबंधी अध्ययन। प्रतिवेदन में कहा गया है : संयुक्त राज्य की एक स्पष्ट रूप से सैनिक संस्था माईग्रेटरी एनीमल्स पैथोलाजिकल सर्वे के सहयोग के साथ बम्बई प्राकृतिक इतिहास संस्था द्वारा प्रवासी पक्षियों के माध्यम से एंथ्रोपायडसंवाही विषाणुओं के प्रसार की संभावनाओं पर अध्ययन एक अन्य ऐसी अनुसन्धान परियोजना है जिससे समिति को चिंता हुई है। इस स्मिथ-सोनियन संस्था ने 1960 से 1970 के दशक में प्रशान्त क्षेत्र में जब अमरीकी सेना ने जीव विज्ञानी हथियारों के परीक्षण किये उस समय रासायनिक एवं जीव विज्ञानी हथियारों के परीक्षण के लिये उपयुक्त क्षेत्रों के चुनाव में अमरीकी सेना के साथ काम किया था।

सेना ने फोर्ट डेरिक की सहायता के साथ इस बात का पता लगाने के लिये आरंभिक अध्ययन किये थे कि क्या प्रवासी पक्षी परीक्षण क्षेत्रों से जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जीव-विज्ञानीय प्रभावों को साथ लेकर जायेंगे।''

मैंने इसे इस कारण से पढ़ा है चूंकि बहुत से विशेषज्ञ हमारी सहायता करने के लिये हमें सिखाने के लिये आ रहे हैं। जैसा कि डा० कर्ण सिंह ने कहा है कि बहुत से विशेषज्ञ भारतीयों को बाघ की रक्षा के उपाय सिखाने के लिए आए हैं। वे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं परतु अनुभव यह है कि हमें बहुत सी बातें सिखाने के मुखौटे पहन कर जासूसी करने वाली एजेन्सियां हमारे देश में आ रही हैं। हमारी सरकार को इस बात का पता होना चाहिए और मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह इस तथ्य पर विचार करें।

एक बात और है। परिस्थिति विज्ञान के सन्तुलन अथवा अन्य बातों के बारे में धर्म-परायणतर अथवा अपने भूतकाल की महानता के आवरण वाले वक्तव्य दे देना बहुत अच्छी बात है। उस पर किसी को आपत्ति नहीं। परंतु जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो सब से पहले हमें 1972 की घोषणा पर विचार करना चाहिए, जो मैंने पढ़ी है। उसमें कहा गया है कि अविकसित देश को सबसे पहले मानव के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। मानव का संरक्षण होना चाहिए। हम इन सभी प्रश्नों पर विचार करते है। किस कारण से ? हमें इस धरती पर उचित ढंग से रहना है। सभी सभव खुशी के साथ रहना है। हमें सनातन रूप से रहना है। उसी दृष्टि से हम इन बातों पर विचार करते हैं परिस्थिति विज्ञान का अन्य बातो से संबंध है। ब्रह्मांड भी अन्य बातों से परस्पर सम्बद्ध है। किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता। हम तुच्छ प्राणी इन बातों का अध्ययन अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए और अपनी स्वयं की खुशियों में सुधार लाने के लिए करते हैं।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस पर विचार करें। जैसा कि माननीय सदस्य का सुझाव है इसके लिए एक अलग विभाग एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है परंतु यह भी पूर्वाग्रह नहीं रखे जाने चाहिये कि अमुक परियोजना को इसमें स्थान दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। मैं विशेषज्ञों के प्रतिवेदन का उदाहरण दे सकता हूं। मैं स्वयं विशेषज्ञ नहीं हूं। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि पश्चिमी घाट की परियोजनाओं पर कार्यदल के प्रतिवेदन को पढ़ें। उन्होंने वास्तव में तीन परियोजनाओं का अध्ययन किया है। एक परियोजना है विवादस्पद शांत घाटी परियोजना, दूसरी है कुद्रेमुख परियोजना और तीसरी परियोजना है कोडाचेतरी लौह अयस्क परियोजना। प्रश्न यह है कि सामान्य व्यक्ति, एक वैज्ञानिक नहीं, इसको पढ़ने के उपरांत यह समझ सकता है कि दो मानक प्रयोग में लाए गए हैं। इस लौह अयस्क परियोजना एवं इस शांत घाटी परियोजना में वनों की प्रकृति एक समान है। दोनों स्थानों पर विश्व के दुर्लभ वन एवं वनस्पति तथा जीव जन्तु मिलते हैं। संरक्षण योग्य सारी वस्तुएं एक समान हैं।

यह समिति समझती है कि इस शांत घाटी परियोजना का काम आरंभ न किया जाए और अन्य परियोजना का कार्य आरंभ किया जा सकता है। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। हमें उस

पर चर्चा के लिए कुछ समय मिलेगा। अतः मैं कोई अर्थहीन बात नहीं करना चाहता। मेरा केवल यही अनुरोध है कि संसद सदस्य इस प्रतिवेदन को पढ़ें तथा उनको स्वयं सारी बात समझ में आ जायेगी। आपको पता चलेगा कि यह अध्ययन पूर्वाग्रही के साथ किया गया था चौदह दिन के भीतर कोई अध्ययन नहीं कर सकता और वह 'स्थानीय' की बात करते हैं। इसका क्या अर्थ है स्थानीय लोग। विशेषज्ञ समिति ने सौभाग्य से 'देशज' शब्द का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने वनस्पति तथा जीव-जन्तुओं की बात की है जिसको उन्होंने देखा नहीं केवल सुना मात्र है। उसी के आधार पर वह कहते हैं कि परियोजना को आरंभ नहीं किया जाना चाहिये। मैं शांत घाटी परियोजना पर बहस नहीं कर रहा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि केवल प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही परियोजना पर आपत्ति उठाई जानी चाहिये अन्यथा नहीं।

मैं माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि इसे कार्यान्वित करने से पूर्व इस पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिये। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चूंकि हमारे मित्र यहां पर इस विषय पर "गैर-राजनैतिक" विचार करते रहे हैं। यह उनका दोष नहीं है कि वे इस रूप में अपनी बात कह सके। परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण का संरक्षण एक राजनैतिक प्रश्न भी है। आज आपको बायलरों वाले कारखाने स्थापित नहीं करने चाहियें। आपको बन्द सरकिट वाले कारखाने लगाने चाहियें जिनके द्वारा जहरीला धुआं न छोड़ा जाये। जहरीली हवा को शुद्ध करने के प्रबंध किये जाने चाहियें। अवशिष्ट पदार्थों को बहाने व फेंके जाने से पूर्व उनका संशोधन किया जाना चाहिये। क्या हमारे उद्योग यह सब कर सकते हैं? नहीं। वह केवल तभी किया जा सकता है जब लाभ का उद्देश्य उद्योगों से समाप्त हो जाये।

हम समाजवाद की बात कर रहे हैं। हम कब समाजवाद की स्थिति प्राप्त करेंगे यह मैं नहीं जानता। अतः मैं प्रधान मंत्री से एक अनुरोध करता हूं। मैं वनस्पति और जीव जन्तुओं के बचाव के प्रति आपकी उत्सुकता को समझ सकता हूं। परंतु विदेशों से विशेषज्ञों को आने की अनुमति न दें। उनको शक की नजर से देखें। आप विश्व वन्य जीवन निधि का सहयोग न लें। उसके अमरीकी सम्बन्ध हैं। मैं इस विषय के ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। विश्व वन्य जीवन निधि वाले लोग खूब सूरत औरतों को साथ लेकर आते हैं। पांच स्टार होटलों में ठहरते हैं, नाच देखते हैं, नाचते हैं। इस प्रकार के लोग हमारी सहायता नहीं कर सकते।

भारत सरकार को श्री सिंह के प्रस्तावों से सहमत होना चाहिए। मैं उनका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं वाद-विवाद का उत्तर नहीं दे रही हूं। मैं अपने स्वयं के कुछ विचारों को लेकर हस्तक्षेप कर रही हूं। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मुझे कुछ विलम्ब हो गया है। अतः जिन्होंने पहले भाषण दिये हैं मैं उनको नहीं सुन सकी। मैं अन्तिम वक्ता से अपना भाषण आरम्भ करूंगी।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि माननीय सदस्य मूलतः इस प्रस्ताव पर सहमत है कि वनों की रक्षा की जानी चाहिए तथा हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखा जाना चाहिये।

उन्होंने लाभ कमाने की प्रणाली के खतरों के बारे में भी बताया और मैं इस बात पर सहमत हूं कि जहां लोगों का सम्बन्ध तत्काल लाभ से है वहां वे समाज पर भावी भार डालने से संकोच नहीं करते हैं। पारिस्थितिकी के लिए हमारी चिंता का यही कारण है। हम विकास के विरुद्ध न तो हैं और न हो ही सकते हैं। हमारी योजना तथा हमारे कार्यक्रमों का एक मात्र प्रयोजन व्यक्ति के, मानव के जीवन-स्तर में सुधार करना है। जैसा कि माननीय सदस्य ने इस बात पर ठीक ही बल दिया है, कि हम मानव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। शायद इसीलिये हम सभी, पुरुष महिलाएं, स्वयं को यह महत्व देते हैं। मुझे यह मालूम नहीं है कि इन सब बातों में वास्तव में हम हैं या नहीं। परन्तु हम मानव का संरक्षण कैसे करें ? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अभी उत्पन्न हुआ है। यदि कुछ विचार विकसित देशों से आये तो हम यह नहीं कहते कि वे पूर्णतया रुचि नहीं ले रहे हैं, उनके कुछ निहित उद्देश्य हो सकते हैं और हमें ऐसे उद्देश्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए परन्तु यदि उन्होंने अपने औद्योगीकरण के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया है तो हमें उनसे सीखना चाहिये और ऐसी गलतियों को टालने की कोशिश करनी चाहिये।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है, भारत में पारिस्थितिकी के बारे में चिंता कोई नई बात नहीं है। यह स्मरणातीत काल से चली आ रही है। इसका हमारे वेदों में उल्लेख है। धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध धरती की स्थितियों के संरक्षण, जिनसे मानव जीवित रह सकेगा, के साथ-साथ मानव के संरक्षण से है। यह हमारा अपना ही दोष है कि हम इसका निर्वाह नहीं कर सके हैं। हमने बहुत सी परियोजनाएं बनाई हैं और हमें पता चला है कि यद्यपि उनसे भलाई हुई है और उनसे क्षेत्र विशेष विकसित करने में मदद मिली है तथापि उनके अन्य प्रभाव भी पड़े हैं जिनसे काफी नुकसान हुआ है। मैं किसी विशेष परियोजना पर टिप्पणी नहीं कर रही हूं। माननीय सदस्य ने जिस परियोजना का उल्लेख किया है, जैसा कि वह जानते हैं, वह विचाराधीन है। परन्तु अन्य स्थानों पर भी कुछ परियोजनाओं के परिणामस्वरूप वन समाप्त हुए हैं जिससे नदियों में गाद जमा हो गई है, बाढ़ें आई हैं और ऐसे ही अन्य प्रभावों से वर्ष प्रतिवर्ष लोगों को भारी क्षति हुई है और हो रही है। निश्चित ही है कि इन समस्याओं की देखभाल करने का बाहर से किसी की सलाह से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम ऐसे बहुत ही सीमित मामलों पर सलाह लेते हैं जिनमें हमारे पास अन्य प्रकार से अनुसंधान और ज्ञान नहीं होता है। मूलतः आज हमारी बहुत सी समस्याएं मिट्टी का आवश्यकता से अधिक उपयोग किये जाने के कारण से हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उर्वरक खराब है। हम उर्वरकों का उपयोग करना चाहते हैं परन्तु आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं। हमें निरन्तर योजना बनानी है। हम ऐसे विचार का प्रयोग कर रहे हैं जो आधुनिक समय में सोचे गये विचार से पहले भारत में जाना गया हो। वनों की खेती अथवा सामाजिक वानिकी, अर्थात् एक विशेष ढंग से वनों का विकास करना—का विचार विदेशों से आया है एक माननीय सदस्य ने सनोबर के पेड़, देवदास के पेड़ लगाने का उल्लेख किया जो मिट्टी सुखाते हैं, हमें ऐसे मिले जुले पेड़ लगाने चाहियें जिनसे मिट्टी उर्वरा हो तथा लोगों को रोजगार मिल सके और स्थानीय लोग अपनी आजीविका कमा सकें। हम अब इस पहलू पर बल दे रहे हैं तथा हम अपनी योजनों में बल देंगे। कुछ राज्यों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश ने पहले ही इस दिशा में कुछ कदम उठाये हैं।

प्रदूषण दो प्रकार का होता है। भारत में प्रदूषण हमारी निर्धनता और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण से है। परन्तु मेरे विचार से यह उच्छिष्ट पदार्थों के कारण हुए उस प्रदूषण से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है, जो प्रदूषण उस वायु में है जिससे हम श्वांस लेते हैं तथा उस जल में है जिसे हम पीते हैं, आदि। वायु के प्रदूषण को रोकने के लिये शीघ्र ही एक विधेयक लाया जायेगा इसीलिए हम प्रत्येक विकास परियोजना को पर्यावरण-सम्बन्धी तथा सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन करने के बाद ही आरंभ करने की कोशिश कर रहे हैं। वनरोपण के लिए हमारे द्रुत कार्यक्रम हैं तथा हम रेगिस्तान के किनारों पर पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा प्रयोग अन्य देशों में सफलतापूर्वक किया गया है।

डा० कर्ण सिंह ने शिक्षा का प्रश्न उठाया है। यह बहुत अच्छा मुद्दा है। शिक्षा अथवा पाठ्य-पुस्तकें अभी भी राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, हालांकि हमने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा है। हम इस मामले पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं। पारिस्थितिकी को हर अन्य विषय के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। बच्चे में प्रारम्भिक अवस्था से ही सही प्रवृत्ति भरी जानी चाहिये जिसका प्रभाव जीवन पर्यन्त उसके दृष्टिकोण पर पड़ता है। यह माननीय सदस्यों तथा अन्य जिम्मेदार नागरिकों का उत्तरदायित्व है। दबाव कहां से डाला जाता है? चाहे यह इस समय उल्लिखित विशेष परियोजना हो अथवा कोई अन्य परियोजना, दबाव अधिकतर संसद सदस्यों और विधायकों द्वारा डाला जाता है। अतः आप सब जो यहां पर हैं और इस विषय में रुचि रखते हैं, एक जागृति पैदा कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों से जानकारी आई है परन्तु अन्य वैज्ञानिक उनके साथ सहमत नहीं हैं। यह सभी क्षेत्रों में होता है। ऐसा न केवल विज्ञान अथवा पारिस्थितिकी के क्षेत्र में होता है अपितु राष्ट्रीय गतिविधि के हर क्षेत्र में होता है।

मैं उन लोगों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोगों, के प्रति प्रकट करना चाहती हूं, जिन्होंने ठेकेदारों को अपने पेड़ गिराने से रोका है और चिपको आन्दोलन चलाया है। हम अपने लोगों में सर्वत्र जागृति पैदा कर सकते हैं तथा यह देखभाल कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ निर्णयों के कारण विशेष क्षेत्रों की रक्षा करना कठिन हो जाता है। हमने निश्चय कर रखा है कि हम इन गलतियों को नहीं दोहरायेंगे। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो कुछ क्षति हो चुकी है, उसे हम कैसे पूरी कर सकते हैं। इसमें हमें उन लोगों की सहायता की आवश्यकता है जिनकी इस विषय में रुचि है।

सरकार को सलाह देने के लिये विशेषज्ञ समितियां हैं और एक समिति—पर्यावरण-सम्बन्धी आयोजना तथा समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति है। इसमें पारिस्थितिकीविद् प्रकृति-वैज्ञानिक, पर्यावरण-विशेषज्ञ तथा सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रधान हैं। उनका कार्य केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर विद्यमान कानून और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना, और जहां अपेक्षित हो, नये सुझाव देना तथा हमें यह भी बताना कि हम पर्यावरण का परिरक्षण और संरक्षण किस सर्वोत्तम ढंग से कर सकते हैं। यह विशेष समिति अगले महीने प्रतिवेदन देगी।

अन्य माननीय सदस्य, जो इस पक्ष की ओ से बोले हैं, हमारे साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं। उन्होंने हमें अपने विचार बताये हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिये उनसे सम्पर्क बनाये रखेंगे कि हम कार्य शीघ्र कैसे कर सकते हैं। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि हम अपनी धरती के प्रति यह भावना किस प्रकार पैदा कर सकते हैं। यह केवल आदर्श नहीं है; यह भविष्य के लिये, विशेषकर भारत के लिये, व्यावहारिक आवश्यकता है। क्योंकि हमें यह वनस्पति तथा प्राणियों के संरक्षण के अतिरिक्त मिला है, उनमें से विकास-संबंधी बहुत-सी परियोजनाओं के कारण इस समय भी लोगों को नुकसान होता है। हमें वहां रहने वालों. पुरुषों और महिलाओं, के संरक्षण के बारे में सतर्क रहना है। मैं केरल तथा यहां के मत्स्य-उद्योगों का उदाहरण दे सकती हूं। जब हमने गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने का निर्णय किया तब मैंने बार-बार सलाह दी थी कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय मछुओं को तकलीफ न हो। उन्हें जैसे-तैसे करके वैकल्पिक रोजगार दिया जाना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं हुआ और उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। अतः विकास की दृष्टि से जो कुछ महत्वपूर्ण था, समूचे क्षेत्र की दृष्टि से जो कुछ महत्वपूर्ण था, वह करने में हमने वहां के स्थानीय पुरुषों और महिलाओं अर्थात् मछुओं को नुकसान पहुंचाया। मैं केवल एक उदाहरण दे रही हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : यदि हम बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मछली पकड़ने का अधिकार देंगे तो मछुओं को अवश्यमेव कष्ट होगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसका बंगाल के साथ संबंध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : देश में कहीं भी हो, बंगाल ही क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उनकी बंगाल में रुचि क्यों न हो ? यह ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि उन बड़ी गैर-सरकारी कम्पनियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के अधिकार दिये जाते हैं तो हम छोटे मछुओं के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसमें पलड़ा भारी होने की बात आती है। मूल्य तथा ऐसे मामलों के कारण इतनी बड़ी मत्स्य-नौकाएं कौन ला सकता है और ये सब बातें कौन कर सकता है। मैं समझती हूं कि किसी सहकारी आन्दोलन का प्रयोग किया गया था परन्तु वह सफल नहीं हो सका। परन्तु मैं नहीं चाहती कि मैं विषय से अलग हट जाऊं। मैं इस प्रश्न के बारे में गंभीरता-पूर्वक महसूस करती हूं कि हम जहां कहीं भी विकास-सम्बन्धी कोई योजना चलायें तो हम न केवल पौधे के जीवन, वन, पशुओं की ही देखभाल करें अपितु उस क्षेत्र के लोगों की भी देखभाल करें।

मैं यह दोहराना चाहूंगी कि हम इस प्रकार सोचने की कोशिश करते हैं कि केवल बड़ी परियोजना लगा कर, हम वहां के लोगों की सेवा कर सकेंगे। परन्तु यह सदैव ठीक नहीं उतरता है।

श्री कृष्णा दत्त (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर यहां विचार हो रहा है। पिछले तीन सालों में हिमाचल प्रदेश, काश्मीर और दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में दरख्तों की कटाई बहुत बुरी तरह से की गई है। इसका नतीजा यह है कि तलहटी में भाखरा, गिरि-बाटा और पोंग वगैरह जितने डैम बने हुए हैं, वे नदियों के बहाव के साथ आई हुई मिट्टी से भरते जा रहे हैं। इन बड़े-बड़े प्रोजेक्टस को बनाने में सारे देश की रकम लगी हुई है। वहां से मिट्टी को निकालने पर करोड़ों रुपये खर्च हो जायेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जब हिमाचल प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसने यह निर्णय किया कि पांच-पांच दरख्त उस परिवार के हर आदमी को मिलेंगे, जिसके नाम जमीन है। जिन फैमिलीज में दस या बीस मेम्बर्ज थे, उन सब ने पांच-पांच पेड़ काट कर वे सब पेड़ खत्म कर दिये, जो पहाड़ों को नंगा होने से बचाते थे। जमींदारों के पास सेब और टमाटर के लिए पेटी बनाने के लिए और कोई साधन नहीं है। उन्होंने पेटियां बनाने के लिए सब दरख्त काट दिये। बड़े-बड़े ठेकेदारों के साथ सौदेबाजी हुई कि हम वहां पर पेपर मिल लगायेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर चौपाल, रोड़ू, जुब्बल, ठयोग और कुमारसेन तक के सारे क्षेत्र में बहुत बेदर्दी से दरख्त काट दिये गये।

दरख्तों को बचाने का उचित तरीका वही है, जो प्रधान मन्त्री जी ने बताया है। हमारे देश में श्री संजय गांधी ने इस बारे में एक प्रोग्राम दिया था कसौली में एक मीटिंग हुई। कालका से शिमला तक बस की सड़क के इर्द-गिर्द दरख्त लगाये गये। लेकिन उसके बाद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

हम वन-महोत्सव मनाते हैं। बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। चीफ कनसरवेटर वगैरह सब मिलकर चाय-पार्टी करते हैं। दरख्त लगाने के फोटो खिचवाने के बाद सब घर को चले जाते हैं। इस सब का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है।

पहाड़ों से मिट्टी के खिसकने को रोकने के लिए यह लाजिमी है कि प्रदेश सरकारें सिर्फ भाषण देने के बजाये पहाड़ों पर पेड़ लगवाने का इन्तजाम करें। यह जरूरी नहीं है कि किसी खास तरह के पत्तों वाले पेड़ लगाये जायें। जहां जैसी जमीन है, वहां उस तरह के पेड़ लगाये जाने चाहिए-चीड़, दियार, कैल और खिड़की के पेड़ लगाये जाने चाहिए। चूंकि पेड़ काटने पर पाबंदी लगाने से राज्य सरकारों की आमदनी में कमी होती है, इसलिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें अनुदान मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार को जंगलात के कटने से 32 करोड़ रुपये की आमदनी होती है। उस आमदनी के खत्म होने पर राज्य सरकार को अनुदान दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा जंगलात के अफसरान को सख्त हिदायत दी जाये कि कहीं कोई दरख्त न काटा जाये और वन-महोत्सव के समय जो दरख्त लगें, उनकी पूरी हिफाजत की जाये।

यहां पर जंगली जानवरों की हिफाजत की बात कही गई है। आज वे कहीं नहीं मिलते हैं। मैं रियासत पटियाला की कंडाघाट तहसील का रहने वाला हूं। वहां कोई दरख्त नहीं काटा जाता था, जब तक कि हिज हाइनेन्स इजाजत नहीं देते थे। लेकिन आज वहां काफी पेड़ कट चुके हैं। मैं यह बताना अपना फर्ज समझता हूं कि अगर भारत सरकार इस बारे में सुस्त रही, तो फूलडज न सिर्फ जारी रहेंगे, बल्कि वे बढ़ भी जायेंगे। आज करोड़ों रुपये की फसलों का नुकसान हो रहा है। इस सब का कारण एक ही है कि हिमालय पर्वत की चोटियों पर से दरख्त काटे जा रहे हैं।

हमें खुशी है कि हमारे माननीय नेता राम लाल जी जो हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने हैं, उन्होंने 25 परसेंट जंगलों का कटना बन्द करा दिया है। मगर उसके मुकाबिले में हम यह भी चाहते हैं कि राज्य सरकार को कुछ पैसा भी मिले वरना जितने सरकारी कर्मचारी हैं और जो जंगलात के अन्दर अफसर लगे हुए हैं उनकी तनख्वाहें हम कहां से देंगे ? एक बात यह भी है कि वहां जो दरख्तों से विरोजा निकाला जाता है इसे अन्धाधुन्ध निकालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह केवल उन्हीं दरख्तों से निकाला जाए जो इसको डिजर्व करते हैं। अगर इस तरह से अन्धाधुन्ध विरोजा लिकालेंगे और उन दरख्तों में एक के बजाय कई टक लगाए जायेंगे तो उन दरख्तों की मियाद एक दो साल में खत्म हो जायेगी।

दूसरी बात यह है कि वहां जो दरख्त लगाये जायें वे वहां की जमीन के माफिक होने चाहिए। ऐसे दरख्त नहीं होने चाहिए जो वहां की जमीन के माफिक न पड़ते हों। जो वहां ड्राई एरिया है वहां वह पेड़ लगाने चाहिए जो उस जगह की सौयल के अनुकूल हों।

भारत सरकार राज्य सरकारों को इस बात की हिदायत करे कि जंगल सारे हिमालयन रीजन में जंगल कटने बन्द होने चाहिए। यह जो देश के अन्दर आज विपदाएं आ रही हैं जिससे करोड़ों रुपये की फसलें बरबाद होती हैं और आदमी मरते हैं यह इन्हीं जंगलों के कटने की वजह से है। इसलिए भारत सरकार इस ओर तवज्जह दे और नाजायज तरीके से दरख्त काटने को जुर्म करार दे। जिस गरीब को मकान बनाने की जरूरत है उसको उसके मकान की जरूरत के अनुसार दरख्त काटने दिया जाए लेकिन यह न हो कि वह उससे एक्सेस काटे। आज जो ठेकेदारी प्रथा है इस प्रथा को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ठेकेदार जंगलों का शोषण कर रहे हैं।

जहां तक कार्पोरेशन्स की बात है कि कारपोरेशन्स घाटे में जा रहे हैं तो उन कारपोरेशंस में क्या होता है कि उसमें ज्यादा कर्मचारी हैं और उसमें ऐसे आदकी आ जाते हैं जो फारेस्ट को समझते नहीं हैं। ऐसे-ऐसे आदमी लगाए जाते हैं जो टेकनिकल नहीं हैं। राज्य सरकारों को इस बात की हिदायत होनी चाहिए कि इस तरह की धांधली वहां न चलने दें। हिमालय पर्वत के क्षेत्र के जो जंगल हैं चाहे वे काश्मीर में हों, नागालैंड में हों, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में हों, कहीं भी हों उनकी रक्षा करना और उन्हें बढ़ाना भारत सरकार का पहला फर्ज है। माननीय श्री दिग्विजय सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसको बिलकुल अच्छा समझता हूं और उस की ताईद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अंतर्गत इस चर्चा के लिए दो घन्टे आवंटित किए गये हैं। अब हमारे पास केवल 15 मिनट शेष हैं।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : आप प्रत्येक वक्ता को 5 मिनट दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यनारायण राव, यदि हम प्रत्येक वक्ता को पांच मिनट दें तो भी हम इसे पूरा नहीं कर पायेंगे क्योंकि इस हिसाब से हमें 8 बजे तक चर्चा जारी रखनी पड़ेगी हमें आधे घन्टे की चर्चा भी करनी है। अब इस ओर से श्री जेठमलानी बोलेंगे। तब हम आधे घन्टे की चर्चा करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इस चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए और जो भी सदस्य भाग लेना चाहे उसे अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव : यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है। महोदय, आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री ने इसे कितना महत्व दिया है। इसलिए आधा घन्टा समय और बढ़ाना बेहतर रहेगा। आधे घन्टे की चर्चा स्थगित की जा सकती है।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : हमारा टाइम नहीं काटा जाना चाहिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) हाउस का टाइम इसके लिए बढ़ाया जाये।

(व्यवधान)

श्री एम० सत्यनारायण राव : आप इस चर्चा को यहां क्यों रोक रहे हैं और इसे स्थगित क्यों कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिश्रा आधे घन्टे की चर्चा के लिए जोर दे रहे हैं। इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें संदेह नहीं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन कुछ ही मुद्दों पर विचार किया जाना है और बहुत से सदस्य पहले बोल चुके हैं। अतः हम आधा घन्टा समय बढ़ा सकते हैं।

क्या सदन आधा घन्टा समय बढ़ाने के लिए सहमत है ?

माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक वक्ता कुछ ही मिनट बोलेगा। मंत्री को 10 मिनट लग सकते हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र (दरभंगा) : आधे घन्टे की चर्चा कब होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घन्टे की चर्चा आधे घन्टे बाद की जायेगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आधे घन्टे की चर्चा अभी क्यों न कर ली जाये और यह चर्चा बाद में जारी रखी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मुझे अपने उस माननीय साथी को बधाई अवश्य देनी चाहिए जिसने एक ऐसे विषय की ओर ध्यान आकर्षित करके, जो असाधारण और महत्वपूर्ण है, इस सदन की नीरसता समाप्त की है । उन्होंने इस विषय को जिस प्रकार रखा है उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती और मुझे विश्वास है कि उन्हें यह देखकर संतोष हुआ होगा कि उनके इस प्रथम प्रयास का जो भव्य स्वागत हुआ है वह केवल किसी सुन्दर लड़की को ही मिल सकता है ।

मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा लेकिन मैं एक बार फिर यह स्वीकार करके उन्हें इसका श्रेय देता हूं कि वे बातें वास्तव में उनके द्वारा प्रतिपादित प्रमेय की उपप्रमेय के समान हैं ।

सबसे पहले हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम कुछ कठोर सच्चाइयो को स्मरण कर लें, अर्थात यह कि मनुष्य के अल्पकालिक हितों और दीर्घकालिक हितों में संघर्ष अनिवार्य है, कि मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं और उस उपग्रह की प्राचीन स्थिति के अनुरक्षण जिस पर हमें रहस्यमय विधाता ने पैदा किया है, के बीच संघर्ष अनिवार्य है, और मानव जीवन प्रणाली और मनुष्य की अमानवीय क्रियाओं के उत्पादनों के निपटान और पर्यावरण की शुद्धता के बीच भी गभीर संघर्ष अनिवार्य है और इससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है जो मेरे विचार में भविष्य के लिए मुख्य समस्या बनेगी और वह समस्या होगी, अवशिष्ट को पुनः प्रयोग में लाने की समस्या ।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इस उपग्रह पर बहुत सीमित संख्या में लोग रह सकते हैं और एक समय आयेगा, और गणना यह कि 2,000 ई० में इस देश में मनुष्य वहां खड़ा होगा जहाँ इस समय अनाज उगता है और वह ऐसा महत्वपूर्ण क्षण होगा जब मनुष्य को यह निर्णय करना होगा कि वह सामूहिक रूप में आत्महत्या करेगा या एक दूसरे को नष्ट करने की नीति अपनायेगा । उस विभाग सहित जो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है, हमारे सभी वैज्ञानिक कार्यों को यह निश्चित करने में लगाया जाना चाहिए कि हमारे देश की भूमि कितनी जनसंख्या का वहन कर सकती है या उनका भरण-पोषण कर सकती है । इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे उस युवा साथी की स्मृति में एक स्मारक बनाना चाहेंगे जो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन वह भारत को कम से कम एक सबक यह सिखा गये, जिसे सिखाने में उन्होंने अपना जी-जान एक कर दिया कि इस देश का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि यदि हमने जीवित रहना है तो हमें जनसंख्या की वृद्धि पर बहुत नियंत्रण रखना होगा । जिस धारणा को उन्होंने जी-जान से प्रतिपादित किया और इसे निष्पादित किया, मैं उनकी सराहना करता हूं और इसके लिए मैं उनकी सराहना करता रहूंगा, लेकिन मैं यह कहूंगा कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो तरीके अपनाये मैं उनसे स्पष्ट रूप से असहमत हूं । मैं यह सुझाव देता हूं, इस विषय में जाने के लिए मेरे पास अधिक समय नहीं है, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, कि वे लोग, जो उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाना चाहते हैं, वे और हम अभी और यहां यह निर्णय लें कि इस

देश में जनसंख्या पर नियंत्रण एक दल गत विवाद का मामला नहीं होगा और यह मामला हमेशा राष्ट्रीय जनमत के अनुसार तय किया जायेगा तो शायद यह उनकी स्मृति में सबसे भव्य स्मारक होना ।

यदि हम यह निर्णय लें कि जनसंख्या पर नियंत्रण वैज्ञानिक तरीकों से किया जायेगा, तो हमें यह देखना होगा कि हमारी योजनायें और हमारी नीतियां सभी आर्थिक वर्गों, अमीर और गरीब पर एक समान रूप से लागू हो, कि सभी धार्मिक समूहों पर एक समान लागू हों, क्योंकि हमें, इस धर्म निर्पेक्ष देश में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जनसंख्या पर नियंत्रण एक राष्ट्रीय आवश्यकता का मामला है और इससे किसी प्राकृतिक नियम या किसी प्रकार के धार्मिक विश्वास का विरोध नहीं होता है ।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण दिवंगत आत्मा से मेरी यह असहमति है कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के सभी कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने से पहले एक शैक्षिक, चिकित्सकीय और एक कानूनी नींव तैयार करने का जी-जान से प्रयास किया जाये । ऐसी नींव तैयार हो जाने के वाद ही ये नीतियां सफल हो सकती हैं ।

मेरी दूसरी धारणा जो मैं सदन के आगे रखना चाहता हूं वह है हमारे पर्यावरण को होने वाली गंभीर क्षति और हमारे देश में विद्यमान अफसरशाही भ्रष्टाचार के बीच अनिवार्य संबंध । मै इस समय सरकार को भ्रष्टाचार के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हू । लेकिन हमें कम से कम यह मान लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार है और यह भ्रष्टाचार हमारे पर्यावरण को होने वाली क्षति का एक विकसित रूप है और प्रचुर मात्रा में है ।

जंगलों को काटने की बात को ही लीजिए जो तेजी से चल रहा है । यदि आप जंगलों को बहुत बुरी तरह काटे जाने को देखना चाहते हैं तो आज ही सिंहभूम जिले के छोटा नागपुर में जाइये और देखिये कि स्थानीय लोग हमारी राष्ट्रीय वन-सम्पदा को किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं। यह कार्य रक्षकों के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है, यह कार्य पुलिस कर्मियों और उन लोगों के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है जिनका कर्त्तव्य हमारी राष्ट्रीय सम्पदा की रक्षा करना है आप जाइये और स्वयं देखिये । यदि सरकार ने इसे रोकने के लिए कठोर कदम नहीं उठाए तो मुझे संदेह है कि अन्ततोगत्वा भावी पीढ़िया सरकार और उसके कार्य-निष्पादन के बारे में बहुत कठोर निर्णय लेंगी ।

हमारे भूमि-कटाव को लीजिए उन लोगों के आचरण को लीजिए जो हमारे समुद्री तटों पर रहते हैं । माननीय प्रधान मंत्री ने केरल के मछली-पकड़ने वाले लोगों की बात कही। लेकिन जो उदाहरण उन्होने दिया है वह ठोस नहीं है । अन्यथा उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं हैं जिसका कोई बुरा मानें । लेकिन यह काम भी भ्रष्ट अफसरशाही और उन व्यक्तियों की साठ-गांठ का परिणाम है जो कठोर हृदय होने के कारण मानवीय पर्यावरण की आवश्यकताओं की अनुभूति नहीं कर पाते ।

हमारे समुद्री जीवन में रिक्तता मुख्यतः इस कारण से है कि उद्योग में अस्त-व्यस्त ढंग से वृद्धि हुई है । उद्योग में अस्त-व्यस्त ढंग से हुई वृद्धि सरकारी साठ-गाँठ का परिणाम है जो उद्योगों की स्थापना से संबंधित नियमों का घोर उल्लंघन है । मैं यह नहीं कहता कि हमने एक वास्तविक पारिस्थितिक संहिता तैयार की है, नहीं हमने कोई ऐसी प्रणाली निकाली है जिसके जरिये हमारे उद्योगों का पारिस्थितिक परीक्षण किया जा सके और परिस्थिति की दृष्टि से उनका मूल्यांकन हो सके । लेकिन तो भी कुछ ऐसे प्रारंभिक नियम हैं जिनका यदि गत 20 से 30 वर्षों की अवधि के दौरान पालन किया जाता तो इस अस्त-व्यस्त विकास से बचा जा सकता था और हमारे समुद्री जीवन और पर्यावरण तथा स्वास्स्थ्य की जो हानि पहुंचती है, वह नहीं होती ।

अन्त में जैसा श्री दिग्विजय सिंह ने हमें बताया है कि पर्यावरण के अनुरक्षण से संबंधित विषय उन्हें बहुत प्रिय है, मानव स्वतंत्रता के अनुरक्षण के बाद जो विषय मुझे प्रिय है और जो मुझे इस संसद में लाया है, वह है गन्दी बस्तियों का उन्मूलन है । ये भद्दे ढांचे अब भी चेचक के दाग की तरह इस देश के खूबसूरत चेहरे पर मौजूद हैं । ये हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के पर्याप्त स्रोत हैं । गन्दी बस्तियों को हटाने और उनके उन्मूलन के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता । मैं आशा करता हूं कि यहां मेरे युवा मित्र हतोत्साहित नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे क्योंकि अन्ततोगत्वा सबसे अच्छे उद्देश्य भी किसी न किसी तरह संसदीय उपेक्षा, अफसरशाही धृष्टता और उदासीनता और कभी कभी यदि द्वेषपूर्ण नहीं तो अज्ञानतापूर्ण दलीय शत्रुता के नीचे दफन हो जाते हैं । मैं आशा करता हूं कि वह और मैं यह देखने के लिए इकट्ठे यहां रहेंगे कि उनकी और मेरी समस्यायें सुलझ जायें । लेकिन अपने दल की ओर से मुझे यह कहने दिया जाये कि मेरा दल सामूहिक रूप से और मेरे दल का प्रत्येक सदस्य अपने आपको और दल को उन लक्ष्यों की प्राप्ति में, जो उन्होंने आज शाम को हमारे आगे रखे हैं, सहायता करने के लिए वचन बद्ध करेगा ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : उपाध्यक्ष जी, यह जो दिग्विजय साहब यहां पर डिस्कशन लाये हैं, यह चर्चा लाये हैं उसके बाद इनकी विजय ही नहीं, दिग्विजय हुई है । इस पर जितने भी स्पीकर्स बोले हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि सभी ने इसकी सराहना की है । हमारे जेठमलानी जी ने हमारे दोस्त श्री संजय जी को, उनके जिंदा रहने पर तो नहीं, उनके मरने के बाद ट्रिब्यूट पेश किये हैं, उनकी तारीफ की है यह और खुशी की बात है ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यूथ कांग्रेस के जो नेता थे उनके नेतृत्व में पांच सूत्री कार्यक्रम चालू किया गया था । जब दिग्विजय जी यह डिस्कशन लाये तो वे यह डिस्कशन उसी पांच सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये । मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पाँच-सूत्री कार्यक्रम क्या है ? इसमें सबसे पहले कार्यक्रम है ट्री प्लान्टेशन का, दूसरा है क्लैनलीनेस का, तीसरा है फैमिली प्लानिंग का, चौथा है एडल्ट एजूकेशन का और पांचवां जिसकी आप रोजाना बात करते हैं वह है एन्टी-डोरी का ।

जब ट्री प्लान्टेशन का काम वे कर रहे थे तो उस समय हमारे वाजपेयी जी कह रहे थे कि यह पाँच-सूत्री कार्यक्रम क्या है। यह समाज में मजाक हो रहा है। अब वे इसको रियलाइज कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम मैंने अपनी स्टेट में बहुत जोरों से इम्प्लीमेंट किया है, मैं वहां इसका चेअरमेन भी रहा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल मत कीजिए जिसके तीन से अधिक बच्चे हों।

उपाध्यक्ष महोदय : दो बच्चे क्यों नहीं ? शायद आपके तीन बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : तीन।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए आपने "तीन से अधिक" कहा है।

श्री सतीश अग्रवाल : कुछ ऐसे मुख्य मंत्री हैं और योजना तथा परिवार नियोजन मंत्री सहित केन्द्र में भी कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके एक-एक दर्जन बच्चे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दो बच्चों का सुझाव देता हू ताकि आप भी अलग रहें।

श्री एम० सत्यनारायण राव : यह जो ट्री प्लान्टेशन का काम है, यह हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरी दूनियां में इसको चलाया जाता है। हमारे यहां सालाना जो फलड्स आते हैं वे इसी वजह से आते हैं और हमें सालाना 6 सो करोड़ रुपया इन पर खर्च करना पड़ता है। ये फ्लड्स जंगल काटने की वजह से आते हैं। हिन्दुस्तान में जंगलों को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है ? पापुलेशन अधिक होने की वजह से इनको काटा जाता है। क्योंकि पापुलेशन को खाना चाहिए और जंगलों को काट कर जमीन को रिक्लेम किया जाता हैं और जिनके पास जमीन नहीं हैं उन्हें वह जमीन दी जाती है। इसकी वजह से हमारे फोऐस्टेशन को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखकर ही फेमिली प्लानिंग का कार्यक्रम चलाना भी बहुत जरूरी है। फोरेस्ट्री भी बहुत जरूरी है। यह एक कम्युनिटी प्रोग्राम है। यही नहीं, मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि जितनी भी हमारी नदियां है जिनके किनारे-किनारे भी हमें दरख्त लगाने चाहियें।

ईस्ट-वेस्ट से और नार्थ से साउथ सारे हिन्दुस्तान में जितने दरिया हैं, नदियां हैं उनके किनारे-किनारे अगर पेड़ लगाए जाते हैं तो यह हजारों मील का एरिया हो जाता है और इससे बहुत मदद मिल सकती है। जंगलों की जो कमी महसूस हो रही है इस तरह से वह पूरी हो सकती है। इरिगेशत मिनिस्टर पर इसकी जिम्मेदारी है।

जहां तक क्लीनलीनैस का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि रूरल एरियाज को भी साफ करना चाहिए। यह कहा जाता है कि इण्डस्ट्रीज की वजह से वातावरण खराब हो रहा है, दूषित हो है। इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि इण्डस्ट्रीज के वगैर काम हमारा जो है वह चलने वाला नहीं है, भारत की जो समस्यायें हैं वे हल होने वाली

नहीं हैं। केवल एग्रीकलचर पर डिपेंड करके जो अनएम्प्लायमेंट का प्रावलंम है उसको साल्व नहीं किया जा सकता है। इस वास्ते इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैबलिश करने के पहले एनविरनमैंटल पाल्यूशन के बारे में जो कमेटी बनी हुई है, प्रोग्राम को कोओर्डिनेट करने के बारे में जो कमेटी बनी हुई है, उसकी सलाह ली जानी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि उसकी स्थापना से कहीं वातावरण दूषित तो नहीं हो जाएगा और उसकी सलाह लेने के बाद ही उस इंडस्ट्री को क्लीयरैंस सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तभी उसके वास्ते लाइसेंस दिया जाए, उससे पहले नहीं। पुरानी दिल्ली में जरूरत नहीं है इस तरह की इण्डस्ट्रीज की। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के पास तक धुंआं निकलता हुआ आपको दिखाई देता है। उससे सेहत खराब हो रही है, कैंसर हो रहा है। तरह-तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिये।

फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जब तक इम्प्लैमैंट नहीं होता है उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता है। जो भी प्रोग्राम है इंडस्ट्रीज का, एग्रिकलचर का या अनएम्प्लायमेंट प्रावलंम है, फैमिली प्लानिंग किए बगैर कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता है। जब भारत आजाद हुआ तब उसकी आबादी तीस करोड़ थी। हर साल डेढ़ करोड़ हमारे देश में बच्चे पैदा हो रहे हैं। आस्ट्रेलिया जहां मैं गया था उसकी कुल आबादी डेढ़ करोड़ है। हम से डबल उसकी टैरिटरी है। एक आस्ट्रेलिया हमारे देश में हर साल पैदा हो रहा है। वहां पर अनएम्प्लायमेंट नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को सीरियसली इम्प्लैमेंट करें। सजय गांधी ने यह बात कही थी। इसी एक स्लोमन के सहारे जनता गवर्नमेंट पावर में आई थी। जेठमलानी जी ने उधर बैठ कर भाषण किया है। मुझे खुशी है कि अब तो वह कम से कम उनकी तारीफ कर रहे हैं और चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग हो इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। जनता पार्टी हो, सी० पी० आई० हो सबको मिल कर इसको इम्प्लमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक कुछ हासिल आप नहीं कर सकते हैं।

एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम पर भी आपको जोर देना होगा। यूथ कांग्रेस ने जो पांच-सूत्री प्रोग्राम दिया था उसमें यह भी एक था। एडल्ट इजुकेशन में उनको जंगलों के महत्व इत्यादि के बारे में भी बताया जाना चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि किस-किस तरह से फिजा खराब होती है और उसकी वजह से लोगों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। गाँवों में इस प्रोगाम को ले जाना होगा। जंगल न काटे जाएं इसको हमें उनको बताना होगा, एजुकेट करना होगा। ये जितने प्रोग्राम हैं इनको लार्ज स्केल में हाथ में लेना होगा।

हमारे दिग्विजयसिंह जी एक ख्वाब देख रहे थे और उनका वह ख्वाब आज पूरा हुआ है। 1872 में हम श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ गुजरात गए थे। उस वक्त वह ख्वाब देख रहे रहे थे कि वह मैम्बर बनेंगे तो इस तरह की चीजें हाउस में लायेंगे और पूरे देश को दृष्टि में रख कर इस तरह का इन्तजाम करवाएंगे। उनका यह ख्वाब पूरा हो रहा है। कमेटी आप बनायें। उसमें सभी पार्टियों के लोग रहें और आप को भी उसका मैम्बर बनायें। मैं इस डिसक्शन को यहां लाने के लिए उनको मुबारिकवाद पेश करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : पारिस्थितिक संतुलन की समस्या एक विश्व-व्यापी समस्या है और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसने बिल्कुल आशा छोड़ दी हो। मैं यह आशा करता हूं कि एक मानव के रूप में एक मानवीय समाज के रूप में हम इतने वर्षों तक जीवित रहे हैं और इतनी समस्याओं को सुलझाया और हम इस समस्या को भी सुलझा लेंगे। जैसा मेरे मित्रों ने पहले ही बताया है यह पारिस्थितिक संतुलन की समस्या पूंजीवादी विकसित देशों में समाजवादी देशों से अधिक है। ऐसा क्यों है ? यह कहा गया है कि पूंजीवादी देशों में लाभ कमाने का उद्देश्य मौजूद है। उनके कारण ही यह समस्या उत्पन्न होती है जबकि समाजवादी देशों में ऐसी पद्धति है जहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्यार करता है, जहां लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता। हमने यह देखा है कि सोवियत संघ में इस समस्या को पूरी तरह हल कर लिया गया है। हमारे देश में, मैं यह आशा करता हूं कि यह संसद सिर्फ एक ऐसा स्थान नहीं बनेगा जहां हम सिर्फ बात करें या चर्चा करें और चले जायें। यह ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहां सिर्फ मंत्र पढ़े जायें। मेरे मित्र श्री सिंह ने जो अभिप्राय व्यक्त किए हैं वे बिल्कुल तर्कसंगत हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। मैं इस मामले का पंडित नहीं हूं लेकिन मैं यह कहता हूं कि स्वाधीनता से पहले हमारे पास जो वन थे वे अब नहीं हैं। उस समय वन विभाग नहीं थे। वन विभाग बनने के बाद वन गायब हो गये, वनों को लूट लिया गया है। चाहे आप उत्तर भारत में चले जायें या दक्षिण भारत में या मेरे राज्य में चले जायें। हर जगह यही हालत है। अभी-अभी मेरे मित्र ने छोटा नागपुर के वनों के बारे में बताया है। पश्चिम बंगाल के वनों के बारे में बताया है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप वनों को सुरक्षित रखेंगे। लाखों की संख्या में हमारे खेतिहर आदिवासी मजदूर भूखों मर रहे हैं। आप वनों को कैसे बचा सकते हैं ? जैसा मेरे मित्र ने कहा है। आपको वन-क्षेत्रों में रहने वाले हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति में अवश्य सुधार लाना चाहिए। अन्यथा, वनों के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इस कारण से भी आपको भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। आप आकर हमारे स्थान को देखिये। 1978 में पश्चिम बंगाल में कोई बाढ़ नहीं आई थी, इस वर्ष उत्तर-प्रदेश और बिहार में बाढ़ आई है। हमें यह शंका है कि गंगा और गोमती का पानी पश्चिम बंगाल में पहुंच जायेगा और वहाँ भी बाढ़ आयेगी। इसका मुख्य कारण हिमालय क्षेत्र में वनों का काटा जाना है। अतः प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहिए। आप यह देखें कि वनों का ठेका किसी ठेकेदार को नहीं दिया जाये। कम से कम वन अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच जो साठ-गांठ है उसे अवश्य खत्म किया जाना चाहिए। अब मैं नदियों के प्रदूषण पर आता हूं। हम विश्वास करते हैं कि गंगा नदी हर चीज को पवित्र कर देती है। इस समय गंगा का पानी सबसे गंदा पानी है क्योंकि औद्योगिक अवशिष्टों से यह प्रदूषित हो गया है। वे गंगा में गिरते हैं और गंगा जल गंदा होता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह नहीं कहना चाहिए कि गंगा का जल सबसे गंदा है।

श्री नारायण चौबे : पूंजीवादी व्यवस्था ने गंगा को भी सबसे गंदा बना दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : गंगा एक तीर्थ है।

श्री नारायण चौबे : मैं कुछ और कह रहा हूं। उड़ीसा में मैं एक ऐसी जगह गया था जिसका नाम बद्रीश नगर है। वहां नदी के किनारे कागज का एक कारखाना है। उस कागज के कारखने के कारण सारा जल, कम से कम हजारों मील तक का नदी का जल दूषित हो गया है। आप उस पानी को पी नहीं सकते। वह खेती के काम के उयुक्त नहीं है। कागज के अन्य कारखाने भी यही काम कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कुछ प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहिए। वेदों के बारे में कुछ कहा गया है, उपनिषदों से भी बातें उद्धृत की गई हैं। गंगा पुण्य-वाहिनी है, हमारे श्रेष्ठ विचारक, हमारे राष्ट्रीय महान गीतकार टैगोर ने भारत की आराधना की है, उसने कहा था कि गंगा और यमुना का जल दूध के समान है।

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा,
हम बुलबुले है इसकी, यह गुलिस्तां हमारा।

ऐसा गीत गाया जाता था। स्वतंत्रता के पहले हमने दुःख झेले। स्वाधीनता के 34 वर्ष बाद भी हम वहीं हैं जहां पहले थे। स्वाभाविक है, महोदय, कि यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह राजनीति का एक प्रश्न है। यह अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न है। यदि कुछ व्यक्ति और मित्र यह कहना चाहते हैं कि इनका अर्थ-व्यवस्था, राजनीति या समाज शास्त्र से कोई संबंध नहीं है तो वे बिल्कुल गलत हैं। यदि आप इसे आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तब आप सिर्फ अच्छे उद्देश्यों की बात करेंगे, चाहे संकल्प पारित हो भी जाये और एक नया विभाग खुल जाये लेकिन इससे कोई समस्या हल नहीं होगी।

महोदय, मैं संकल्प पेश करने वाले का समर्थन करता हूं और मेरा विचार है कि कोई ठोस काम किया जायेगा।

श्री लक्ष्मण कर्मा (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की प्राकृतिक वन-सम्पदा की रक्षा करके हवा, पानी और पर्यावरण को दूषित होने से रोकना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में बस्तर वनों से आच्छादित क्षेत्र है। वनों की वजह से वहां पर बारहों महीने बारिश होती रहती है। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि वनों की वजह से वहां पर गर्मी कम होती थी और बारहों महीने बारिश होती रहती थी। आज बस्तर में वनों का कटाव बहुत जोरों से हो रहा है, जिससे वहां के आदिवासी बहुत भयभीत हो रहे हैं। आदिवासी हमेशा वनों में रहते हैं और उनका जीवन तथा आर्थिक स्थिति वनों पर ही आधारित है। वे स्वतंत्र रूप से वनों में काम करते हैं और जीवन के निर्वाह के लिए वनों की उपज पर निर्भर हैं।

मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो वन डैवलपमैंट कार्पोरेशन बना हुआ है, उसका सारा जोर जंगलों के काटने की तरफ ही है। आज वनों का जितना रोपण नहीं हो रहा है, जितनी कटाई हो रही है, इसलिए वहां की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। गर्मी बढ़ रही है और वर्षा भी घटती जा रही है। आदिवासियों को डर है कि जंगलों की कटाई होने से वहां की जमीन बंजर न हो जाए। हम चाहते हैं कि वहां के साल जंगल उसी हालत में रहने चाहियें। कार्पोरेशन वहां पर देवदार और यूकैलिप्टिस के जंगल लगा रहा है। इससे वहां की जलवायु बहुत दूषित हो रही है।

साल के जंगल से वातावरण हरा-भरा रहता है और बारिश होती है। आदिवासियों को भी साल के जंगल से ज्यादा लाभ होता है। इसलिए उन जंगलों को बनाए रखना चाहिए और पाइन के वृक्ष तथा नीलगिरि के झाड़ कम लगाने चाहियें, क्योंकि आदिवासियों के जीवन से उनका ज्यादा सम्बन्ध नहीं है।

मैं उसी क्षेत्र की एक नदी के बारे में कहना चाहता हूं। बैलाडिला आयरन और क्षेत्र में एक संकनी नदी है, जिसका सारा पानी लाल दिखाई देता है। इसलिए वहां के आदिवासी उसको रक्त-नदी या रैड रिवर कहते हैं। बैलाडीला माइन का सारा पानी उस नदी में आता है और सारी नदी दूषित हो चुकी है। उस पानी को पीने से बस्तर के आदिवासियों में बीमारियां फैल रही हैं। मेरा अनुरोध है कि उस नदी पर बांध बनाया जाए और पानी को रोक कर उसे साफ किया जाए।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मोशन माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने इस ऐवान में रखा है मैं उसके लिए उनको मुबारकवाद देता हूं। ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसी जगह पैदा किया है जहां पर यह जो दरख्तों का सवाल है उससे हम को हमेशा के लिए दूर रखा है। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ऐसी वाइल्ड स्पेसीज हैं जो हमारे इलाके में जहां तक हमारा ख्याल है, सब से रिच हैं। जनाब दिग्विजय सिंह जी ने भी उस इलाके का चन्द साल पहले विजिट किया था। उस इलाके में 24 ऐसी वाइल्ड स्पेसीज हैं जिनमें से 8 बिग गेम्स की स्पेसीज हैं और बाकी दूसरी स्माल गेम्स की हैं। वह हमारे भारत देश के और किसी भी कोने में नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी स्पेसीज हैं जो बिलकुल एक्सटिंक्ट होने को आ गई हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि केवल 4 ब्लैक क्रेन्स ही लद्दाख रीजन में दिखाई दे रही हैं। पिछले साल दो थीं, इस साल अब चार हो गईं। इसी तरह स्नो-लैपर्ड्स हैं और कुछ और स्पेसीज हैं जो एक्सटिंक्ट स्पेसीज हैं।

इस सिलसिले में मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता। जहां तक मेरी याददाश्त है, मैडम प्राइम मिनिस्टर ने शायद 1974 में एक डायरेक्टिव ईश्यू किया था, जितनी भी वहां पर फोर्सेज हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं या लोकल हंटर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली आर्डर दिया था कि कोई भी जो वहां के जानवर हैं उनका शिकार न किया जाय। नतीजा यह हुआ कि आज उस प्रोटेक्शन की वजह से उनकी पापुलेशन बढ़ी है। उससे पहले यह हुआ था कि उस इलाके में हमें चार लड़ाइयां लड़नी पड़ीं, तीन बार पाकिस्तान के साथ और एक बार चाइना के साथ। उसकी वजह से लोकल लोगों का भी काफी आर्म्स और एम्यूनिशंस से कांटैक्ट हुआ और उसके नतीजे में बहुत सारी स्पेसीज एक्सटिंक्ट होने को आ गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने 1974 में यह आर्डर दिया था। उसकी वजह से आज हमें काफी पापुलेशन उनकी बढ़ती नजर आ रही है।

डा० सलीम अली साहब की सरकर्दगी में एक टीम भी वहां भेजी थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी जैसा कि डा० कर्ण सिंह ने जिक्र किया था कि वहां पर एक नेशनल पार्क बनाया जाय। उसी सिलसिले में वहां एक लाइफ सैंक्चुअरी के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया था। मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह गुजारिश करूंगा कि लद्दाख में वाइल्ड लाफ सैंक्चुअरी का होना

बहुत ही जरूरी है ताकि जो बहुत सारी स्पेसीज एक्सटिंक्ट होने को आ गई हैं उनको बचाया जा सके ।

दूसरा एक प्वाइंट मैं अर्ज करना चाहता हूं । जैसे एक डिबेट यहां पर पापुलेशन के बारे में हुई कि पापुलेशन कंट्रोल होना चाहिए और यह सही बात है पापुलेशन कंट्रोल होना आवश्यक है लेकिन हमारे यहां एक बात बिलकुल इसके उलटे चल रही है । हमारी जम्मू और काश्मीर की सरकार ने एक यह फैसला किया है कि आबादी के हिसाब से पैसा बांटा जाय । उसका असर यह हो रहा है, क्योंकि आबादी तो हमारी बहुत ही कम है, इसलिए पैसा भी हमें बहुत कम मिल रहा है । तो लोग अब यह कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा आदमी पैदा करो तभी जाकर हमें कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा । मैं हिन्द सरकार से यह कहना चाहूंगा कि या तो यह क्राइटीरिया बदल दिया जाय नहीं तो यह हमारे उसूल के बिलकुल खिलाफ चीज होगी । अगर पापुलेशन को ही क्राइटीरिया रखना है तो हम जो दूर दराज के रहने वाले हैं, बोर्डर एरिया के रहने वाले हैं, उनको तो कभी कुछ मिलेगा ही नहीं । बड़ी-बड़ी सिटिज, बम्बई–कलकत्ता, दिल्ली वगैरह में ही सारा पैसा चला जाएगा । दूर-दूर रहने वालों के लिए, पहाड़ों पर रहने वालों के लिए तो कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा । लिहाजा मेरी गुजारिश है कि केन्द्रीय सरकार इसमें खास तौर से इन्टरेस्ट ले और वहां की सरकार को डायरेक्टिव दे कि इस सिलसिले में जो क्राइटेरिया बनाया गया है, वह बदला जाय, वरना आज वहां लोग कहते हैं कि हमें डवेलपमेन्ट के लिये पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिये आबादी को बढ़ाया जाय ।

इन चन्द अलफाज के साथ मैं श्री दिग्विजय सिंह जी को दोबारा मुबारकबाद देता हूं, इन्होंने इस मौके पर बहुत मौजूं सवाल पेश किया है, जो आज के जमाने में एक अहम सवाल है और खास तौर पर इन हालात में जब कि हमारे सामने फ्लड की प्रोबलम पेश है । जो बड़े-बड़े पुराने प्राजेक्ट्स आपने बनाये हैं, जैसे भाखड़ा डैम और दूसरे डैम्ज, उनके लिये कहा जाता है कि उनकी लाइफ भी कम हो रही है, क्योंकि जो डी-फारेस्टेशन हो रहा है, दरख्त काटे जा रहे हैं, उनसे पानी का कटाव बढ़ रहा है, सिल्ट बढ़ती जा रही है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स की उम्र कम होती जा रही है । लिहाजा इस तरफ सरकार को खास तवज्जह देनी चाहिये ।

श्री रामलाल राही : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सिंह साहब के द्वारा जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है, वह बहुत उचित समय पर रखा गया है और मैं उन्हें बधाई देता हूं । लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि भू-सम्पत्ति का व्यापक दुरुपयोग हो रहा है, मैं इस बात को समझ नहीं पाया । वे जब इसका जवाब देंगे तो कृपा कर बतलायें कि भू-सम्पत्ति का दुरुपयोग कैसे हो रहा है ? जो लकड़ी जंगलों में काटी जा रही है, अगर आप उसका हिसाब लगायें तो आज से चार-पांच साल पहले लकड़ी का जो भाव था, आज उसका चार गुना हो गया है । कहने का मतलब यह है कि आज लकड़ी का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है, स्वभाविक है आदमी को अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लकड़ी लेनी पड़ती है । इमारत में लकड़ी लगती है, रेल के डिब्बे बनते हैं, नाव बनाने के काम में आती है, बड़े-बड़े जहाजों के बनाने के काम में आती है

और जो बच जाती है, वह जलाने के काम में आती है तो आप देखेंगे कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। दूसरी सम्पत्ति वह है जो भूगर्भ में छुपी हुई है, जैसे कोयला, लोहा इन सब का सदुपयोग हो रहा है। आप यह कह सकते हैं कि इनका उपयोग पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में हो रहा है और इनके उपयोग से जो दूषित चीजें निकल रही हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है और उससे नुकसान हो रहा है।

अब जहां तक लकड़ी का सवाल है, लकड़ी की आवश्यकता देश को है। उसके कटाव को रोका जाय, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात को जानता हूं कि लकड़ी के कटाव से नदियों का पटाव बढ़ता जा रहा है और उसके कारण बाढ़ों का प्रकोप बढ़ाता जा रहा है वन कट रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों की मिट्टी खिसक-खिसक कर नदियों में आ रही है, नदियों की सतह ऊंची होती जा रही है, पानी के सिमटने की क्षमता कम होती जा रही है, उसका फैलाव बढ़ता जा रहा है जिससे लाखों एकड़ जमीन में फसलें नष्ट हो रही हैं। वनों के कटने से जो वातावरण था, वह खराब होता जा रहा है, पेड़ों से वातावरण को साफ करने में मदद मिलती थी वह अब नहीं हो पा रहा है। इसलिये मेरा कहना है कि लकड़ी के काटने को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है और जिसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि यदि कहीं पर एक पेड़ काटा जाय तो उसकी जगह पर पांच नये पेड़ लगाये जायें।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि लकड़ी वाले जो पेड़ वनों में लगाए जाते हैं, वे 10-5 साल में तैयार होते हैं। अगर जमीन के कटाव को रोकने की बात सरकार के दिमाग में है तो जैसा हरीश रावत जी ने भी कहा था, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े पत्तों वाली वेलों को लगाइए। मैं तो यह भी कहता हूं कि आप फैलने वाली छोटी-छोटी झाड़ियां लगाइए, बरसात के दिनों में पानी से जो कटाव होता है उनको झाड़ीदार पौदों और वेलों से रोका जा सकता है।

जिससे कटाव रुके। यह खाली पहाड़ पर ही नहीं बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, नदियों के किनारे भी हो रहा है और जो कटाव हो रहा है, उसकी मिट्टी नदियों में सिमटती जा रही है। इसी तरह से खेतों का कटाव होने के कारण उनका उपयोग कृषि के लिए नहीं हो पा रहा है। भूमि संरक्षण के उपाय किये जा रहे हैं लेकिन कारगर तरीके से उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे दूषित वातावरण न बने। हमारी प्रधान मंत्री जी ने प्रदूषण के दो कारण बताए, जिनमें से एक कारण 'गरीबी' का बताया और दूसरा और कोई बताया। यह सही है कि गरीबी है लेकिन गरीबी क्यों है। अगर हम वनों को काटने पर रोक लगावें, तो नहीं लगा सकते, जंगलों को कटने से नहीं रोक सकते क्योंकि शहरों में तो लोगों को गैस मिल जाती है, केरासिन आयल मिल जाता है और ईंधन मिल जाता है। लेकिन जो गांवों के लोग हैं उनको क्या आप गैस का चूल्हा दे पा रहे हैं या कोयला और केरोसिन आयल दे रहे हैं जैसा कि आप शहरों में दे रहे हैं। अगर उनको पका हुआ भोजन नसीब होना हैं, तो उसके लिए तो उन्हें जंगलों से लकड़ी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उनके लिए लकड़ी ही एकमात्र सहारा है। अगर आप उस पर रोक लगाएंगे, तो उससे वे लोग प्रभावित होंगे। आज

उनको न सिर्फ कपड़ा ही नहीं मिल पा रहा है बल्कि अच्छा भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। 43 साल से आपकी सरकार है और श्रीमती इन्दिरा गांधी भी 12 साल से प्रधान मंत्री रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबी हटाने का जो नारा उन्होंने बुलन्द किया था, क्या वह कारगर हो पाया। यह नारा दिया गया था लेकिन उसको हटाने की व्यवस्था आपने की है? आज गरीब गरीब है, इसमें दोष किसका है? इसमें आपका दोष है, सरकार का दोष है। आपकी आर्थिक नीति ऐसी रही है। जिससे गरीबी और बराबर बढ़ती जा रही है। आपने उस पर रोक नहीं लगाई और उस पर रोक आप नहीं लगा पा रहे हैं: अगर गरीबी के कारण ही वातावरण दूषित है, तो यह बना रहेगा और इसको आप रोक नहीं पाएंगे। मैं यह कह सकता हूं:

जब जब भूखा इन्सान रहेगा।
धरती पर तूफान रहेगा॥

यह तूफान रुक नहीं सकता, इसको रोका नहीं जा सकता। अगर आपको लोगों की भूख मिटानी है, आपको गरीबी मिटानी है, तो आपको अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन करना चाहिए। खाली समाजवाद, समाजवाद का नारा देने से कुछ नहीं होता है। समाजवाद की तरफ आपने कौन सा कदम उठाया है। आप इसके लिए कुछ उपाय नहीं कर सके हैं। इतना तो सरकार कर सकती है कि सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जिनको सरकारी खजाने से वेतन मिलता हैं, क्या उनके वेतन पर आप एक अनुपातिक नियंत्रण नहीं कर सकते, यह जो डिस्पेरिटी है, उस डिस्पेरिटी को खत्म करने के लिए क्या आप कोई उपाय नहीं कर सकते? मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार इसको कर सकती है अगर वह एक काम करे और वह यह है कि वह एक अनुपातिक वेतन निर्धारित कर दे कि मिनीमम वेज यह होगा और उच्चतम, सबसे अधिक वेज यह होगा। अगर ऐसा आपने कर दिया तो यह एक मिसाल बन जाएगी। आप 1:7 रखें या 1:10 रखें, जो भी आप मुनासिब समझें, अपनी समाजवादी नीति के अनुसार मुनासिब समझें, उसको लागू कर दें। तो यह एक मिसाल हमारे देश के अन्दर बन जाएगी और गरीबी और अमीरी की जो बढ़ती हुई खाई है, उसको आप पाटेंगे। आज व्यवसायिक क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं और हम कहते हैं कि रोजगार का राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम कहते हैं कि खेती की सीलिंग होनी चाहिए लेकिन वह कैसे हो सकयी है जबकि हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो लोग लगे हैं, वे बड़े-बड़े रोजगार वालों के बेटे हैं, भूस्वामियों के पुत्र हैं और बड़े कारखाने वालों के ही लोग हैं। एक तो उनको उनसे आमदनी होती है दूसरी आमदनी वे इनमें लग कर कमा रहे हैं। तब कहां से आप नियंत्रण करेंगे और अगर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो गरीबी कैसे जाएगी और गरीबी नहीं जाएगी, तो यह वातावरण दूषित बना रहेगा। आपको कान खोलकर यह बात सुननी पड़ेगी क्योंकि यह प्रजातंत्र है और लोग अब बहुत चेत गये हैं और उनकी जबान बन्द होने वाली नहीं है।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा): उपाध्यक्ष महोदय, खिसकती हुई धरती, लूजिंग ग्राऊण्ड के लेखक इरिक पी० इकहोम ने कहा है कि अफगानिस्तान का हिमालय मर चुका है,

नेपाल का मर रहा है और भारत का बीमार है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों से पहाड़ खिसकने लगे हैं।

वियना विश्वविद्यालय को अपना परिसर का विस्तार करने के लिए एक एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। कारपोरेशन ने उनको विस्तार करने की अनुमति दे दी थी परन्तु दूसरे ही दिन आस्ट्रेलिया के लोग इकट्ठे हुए और प्रधान मंत्री के सामाने उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। इससे वहां के कारपोरेशन को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राष्ट्र अपने वनों और जगलों के प्रति आस्था रखता है वही राष्ट्र आगे बढ़ता है।

आज हमारे देश में जंगलों की कटाई से हमारा हिमालय नंगा और सूना-सूना नजर आने लगा है। हिन्दुस्तान की नदियों में जो बाढ़ें आ रही हैं और गांव के गांव नष्ट हो रहे हैं वह सब इसी कारण से है। इससे हमारी उपजाऊ भूमि में पत्थर और रोड़े जमा हो जाते हैं। जमीनों में फसल मारी जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का हर साल एन० पी० के० फर्टिलाइजर नष्ट हो जाता है। जितना कि हम पैदा नहीं कर पाते उससे ज्यादा अन-देखे में बह जाता है। प्रतिवर्ष बाढ से हमारे देश को ढाई सौ करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा भू-क्षेत्र है उसका 26 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। अंधाधुंध जंगलों की कटाई से हमारा 75 प्रतिशत फोरेस्ट नष्ट हो गया है। हमारे 50 प्रतिशत पक्षी नहीं रहे, 90 प्रतिशत हमारे जानवर मर गये। 33 प्रतिशत जमीन की सतह बह गयी, 75 प्रतिशत ग्रेजिंग ग्राउण्ड, पशुओं के चरने की जमीन खत्म हो गयी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी प्राकृतिक सम्पदा का तेजी से ह्रास होता जा रहा है।

ये जो बीमारियां फैल रही हैं, ये क्यों फैल रही हैं? इसका कारण है कि हमको शुद्ध वायु और शुद्ध वातावरण नहीं मिलता है। इसके कारण पीलिया और दूसरी बीमारियां फैलती हैं। जितनी ज्यादा हम दवाइयां बना रहे हैं उतनी ही ज्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हम जो इन्सेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स अपनी फसलों पर छिड़कते हैं वह हमारे पेट में जाता है। इससे भी बीमारियां फैलती हैं। पीलिया और दूसरी बीमारियां फैलती है। उपाध्यक्ष महोदय, इनका इलाज यही है कि हम हर प्रकार से एयर पोल्युशन और वाटर पोल्युशन को रोकें। हमारी जलवायु जो खराब होती जा रही है अगर हम उनके प्रति सजग नहीं हुए, हम नहीं सचेत हुए तो हमें एक न एक दिन उसके भयंकर परिणाम भूगतने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एन्क्रोचमेंट का प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह समस्या अन्य देशों में नहीं है। एन्क्रोचमेंट का प्रश्न श्री दिग्विजय सिंह जी ने भी उठाया है। आदिवासियों और गरीबों की भलाई के नाम पर आज बड़े-बड़े लोग वन भूमियों पर कब्जा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में आज उसको रोकने की जरूरत है। अगर कोई गरीब आदमी एन्क्रोचमेंट करे तो उसको तो नियमानुसार अलाऊ करें लेकिन जिन लोगों ने जंगलों को काट कर जमीनों को हड़पने का धंधा बना लिया है उसको रोका

जाना चाहिए। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया है और इसको रोकने के लिए शासन को कदम उठाने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज विश्व में न्युक्लियर एक्सप्लोजन की एक होड़ सी लगी हुई है। ऐसा होने से रसायनिक द्रव्य फैलते हैं और उनका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमें उस होड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम न्युक्लीयर वेपन पर रोक लगाने पर, उनके एक्सप्लोजंस को रोकने के लिए प्रयत्न करने चाहिएं और उनकी होड़ में नहीं पड़ना चाहिए।

तेल, कोयला, लकड़ी के जलाने से वेनेडियन पैदा होता है जिससे हमारे देश की सारी कृषि प्रणाली अस्वस्थ हो सकती है। वेनेडियम एक धातु है जो भारी मात्रा में फासिल ईंधनों जैसे कच्चा तेल, कुछ कोयलों तथा लिगनाइट में रहती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ईंधन के जलाने से जो रसायनिक द्रव्य गिरते हैं उनसे सारी फसल नष्ट हो सकती है। इसलिए इस बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा का समर्थन करता हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो वन महोत्सव कार्यक्रम है यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। जब आजादी का आन्दोलन चल रहा था, आजाद भारत के लिए लड़ाई चल रही थी, उस समय भी वन महोत्सव कार्यक्रम उसका प्रमुख अंग था।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वन महोत्सव के नाम पर आदिवासियों को नहीं उजाड़ा जाना चाहिए।

मैं बिहार से आता हूं और हमारे यहां दक्षिण बिहार में जहां आदिवासियों के पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, उनकी एक ही प्रापर्टी थी कि वे जंगल से सकुआ लकड़ी काट कर और शहर में आकर बेच कर अपना पेट भर लेते थे अब उसके ऊपर भी पाबन्दी लगा दी गई है और वे काट नहीं सकते हैं। अब इसको काटने का उनको मौका मिलता है लेकिन कब ? तब जबकि फारेस्ट आफिसर को, रेंजर को वे कुछ पैसा दे देते हैं और तब उन बेचारों को दो चार लकड़ी मिल जाती है और उसको बेच कर वे अपना पेट भर लेते हैं। इस तरह की चीजों की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

हमारे यहां पौधे का बहुत बड़ा महत्व है, पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोगों ने पढ़ा है कि शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई और उसके दोनों तरफ वृक्ष लगवाएं। यह बहुत अच्छा काम था जो उन्होंने किया। इसको और भी जोरशोर से आपको हाथ में लेना चाहिये।

फैमिली प्लानिंग का जहां तक संबंध है किसी को इससे द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। लेकिन इसका विरोध तब हुआ था जब एकतरफा तलवार चलनी शुरू हो गई थी। तब एक खराब वातावरण पैदा होता है, इसके खिलाफ लोगों की भावनायें भड़कती हैं। अभी हमारे अग्रवाल जी ने कहा कि मंत्री लोगों के आधा-आधा और एक-एक दर्जन बच्चे हैं। अब यदि उन

लोगों की नसबन्दी का कार्यक्रम पहले हाथ में लिया जाता और वहां से इसको शुरू किया जाता, और बताया जाता कि एम० पी० की एम० एल० ए० की नसबन्दी भी हो रही है तो लोगों को इससे प्रेरणा मिलती । लेकिन एक तरफ तो इनके बारह-बारह बच्चे हैं और दूसरी तरफ किसी को जबर्दस्ती अस्पताल में पकड़ कर ले जाकर, रिक्शा से उतार कर उसकी आप नसबन्दी करना शुरू कर दें तो इससे घृणा का वातावरण पैदा नहीं होगा तो क्या होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री स्थायी नहीं हैं । कुछ लोग अपना मंत्रित्व 2 या 2½ वर्ष में समाप्त कर देते हैं ।

श्री रामविलास पासवान : गरीब लोगों का क्या होगा ?

आपने अखबारों में पढ़ा होगा एक बार गंगा में आग लग गई थी । बरौनी में गंगा के पानी में आग लगना नौवें आश्चर्य की बात थी । पैट्रोलियम पदार्थ गंगा के पानी में आकर बहने लग गए थे और उसकी वजह से आग लगना गंगा में शुरू हो गया था । बनारस, पटना, भागलपुर जहां-जहां गंगा और यमुना नदियां बहती हैं उनको पवित्र माना जाता है । इन नदियों की बगल में शहर बसे हुए हैं । मैं चाहता हूं कि इन शहरों के गंदे पानी को डाइवर्ट करने की आप कोशिश करें । जितना शहरों का गंदा पानी है वह नदियों में जाता है । जिस नदी के पानी के संबंध में कहा जाता था कि इसको अगर बोतल में रख दिया जाता है तो उसमें कीड़ा नहीं लगता, मुझे आशंका है कि अब लगने लग गया होगा । जिस तरह से नदियों में गन्दगी आ रही है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कुछ दिन के बाद उनका पानी दूषित हो जाएगा ।

बाढ़ों के मामले को आप लें । अभी उत्तर प्रदेश की बाढ़ के सिलसिले में निकला है कि बाढ़ के कारण 351 लोगों की मृत्यु हो गई है । लाखों की संख्या में प्रति वर्ष पशु मरते हैं इन बाढ़ों की वजह से । इस बीमारी की जड़ कहां से शुरू होती है ? जानवर मरे तो कहां जाएंगे ? पानी में ही तो बह कर जाएंगे । इस तरह से आदमी भी तो बाढ़ों की वजह से पानी में ही जाएंगे । तब पानी खराब नहीं होगा तो क्या होगा । इस वास्ते पानी को दूषित होने से कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए आपको एक कड़ा विधेयक बनाना चाहिये ।

एम० पी० के क्वार्टरों में पहली मंजिल पर आप पानी नहीं दे पाते हैं और टैंकरों से पानी आप पहुंचाते हैं । दूसरी तरफ शहरों में आप पच्चीस-पच्चीस और बीस-बीस मंजिली इमारतें बना रहे हैं । वहां पर आप पानी कैसे पहुंचा पाएंगे ? ये जो बहुमंजिले मकान आप बना रहे हैं ये भी देश के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और इस ओर आपको अविलम्ब ध्यान देना चाहिये । शहरों में बहुमंजिले मकान बनाने के कार्यक्रम पर आप रोक लगाएं । गांवों के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को आप हाथ में लें । गांवों का विकास कैसे हो सकता है, इस तरफ आप ध्यन दें ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष विभाग में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : महोदय, सरकार सदस्यों द्वारा यहां व्यक्त चिन्ता से पूर्णतः अवगत है । जैसा कि प्रधान मंत्री अपने हस्तक्षेप के समय बता चुकी हैं कि कुछ समाधान खोजा जा रहा है जो प्राकृतिक संसाधनों के

संरक्षण पर अधिक बल देगा। श्री दिग्विजय सिंह की कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने एक बात यह कही है कि धरातल पर एक सेंटीमीटर मिट्टी बनाने में 100 वर्ष लगते हैं। अतः मिट्टी का निरावरण एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए एक कारगर और अविलम्ब समाधान की आवश्यकता है।

जीव-जन्तु और वनस्पति के संरक्षण के बारे में यहां अनेक उदाहरण दिये गये हैं, हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए हम पारिस्थितिक सन्तुलन को बनाये रखने के लिए जीव-जन्तु और वनस्पति के संरक्षण की ओर ध्यान दे रहे हैं।

जैसा श्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पर्यावरण बोर्ड तथा केन्द्रीय प्राधिकरण बनाये गये थे लेकिन वे प्रारम्भ में पर्याप्त और अच्छे परिणाम न दिखा सके। अतः हम कोई अन्य तंत्र बनाने चाहते हैं। लेकिन हमें कैसा तंत्र बनाना चाहिए, इस बारे में निर्णय हाल में योजना मंत्री के सभापतित्व में बनायी गयी समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद किया जायेगा। इसके 12 सदस्य हैं और आशा की जाती है कि यह अपना प्रतिवेदन 15 सितम्बर तक प्रस्तुत कर देगी।

इस बारे में सैंकड़ों कानून हैं, यहां तक कि संविधान निर्माता भी इस बारे में अवगत थे और उन्होंने अनुच्छेद 48 (क) में इस संबंध में उल्लेख किया है:

> "राज्य पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा उसमें सुधार करने और देश में वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करेगा।"

लेकिन जब विषयों को राज्य विषयों, समवर्ती विषयों और केन्द्रीय विषयों के रूप में बांटा जाता है तो उन पर नियंत्रण रखना असंभव होता जाता है। इसलिए वनों के संरक्षण के बारे में सदस्य द्वारा चिन्ता किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारी प्रधान मंत्री बता चुकी हैं कि वन कृषि, पोषक बागवानी और जैसा श्री सत्य-नारायण राव ने उल्लेख किया है-नदी के किनारों पर बागान लगाना जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जा सकता है।

श्री सतीश अग्रवाल : बच्चों के मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री शंकरानन्द सबसे प्रथम स्थान पर हैं। उनके 8 बच्चे हैं। आपके 3 हैं और अध्यक्ष महोदय के 5, यह जानकारी मुझे सदस्य परिचय से प्राप्त हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : ये बच्चे उनके मंत्री बनने से पहले के हैं, यदि मंत्री बनने के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो तब बात समझ में आये।

श्री सतीश अग्रवाल : यह आक्षेप है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि उसके बाद कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो वह उनका नहीं है।

श्री विजय एन० पाटिल : बात को समाप्त करते हुए मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि आज ही मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण निवारण विधेयक पर विचार करने का निर्णय किया है, जिस पर पहले चर्चा हुई थी । निकट भविष्य में यह कानून बन जायेगा । हमारे पास जल प्रदूषण निवारण अधिनियम है । अतः, पहले ही अनेक अधिनियम हैं, वास्तव में इस बारे में समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है । उस संबंध में निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए जाने के बाद किया जायेगा ।

हमें देश के विकास के लिए आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पारिस्थितिक सन्तुलन के अनुरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए ।

अन्त में, मैं पुनः कहता हूं कि सरकार पर्यावरण के संरक्षण के इस पहलू की ओर अत्यधिक ध्यान देगी जैसा कि पार्टी के घोषणा-पत्र में व्यक्त किया गया था और पुनः 6 मार्च के विश्व संरक्षण योजना सम्मेलन में प्रधान मंत्री के भाषण में दुहराया गया था और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कहा गया था । अतः मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि अविलम्बनीय और महत्व के इस विषय संबंधी कार्यवाही की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा ।

आधे घण्टे की चर्चा

उत्तर बिहार में खोई पर आधारित कागज उद्योग

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे । हमें उसे आधे घंटे में पूरा करना होगा ।

श्री हरिनाथ मिश्र (दरभंगा) : महोदय, मैं नहीं सोचता कि आप मुझे आधा घंटा देंगे । लेकिन मैं आपको उतना सहयोग दूंगा जितना आप किसी से उम्मीद करते हैं, क्योंकि कभी-कभी मैं भी सभापति होता हूं । लेकिन मैं सोचता हूं आप इस प्रश्न की गम्भीरता और उपयोगिता को स्वयं समझेंगे, न केवल बिहार अथवा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बल्कि सम्पूर्ण देश के संबंध में । अतः मैं जो आशा कर रहा हूं वह शायद आशा के विपरीत हो कि आप, आपके द्वारा दिये गये विनिर्णय अथवा टिप्पणी में ढील देने की कृपा करेंगे । सभी की सुविधा के लिए मैं 9 जुलाई, 1980 को उत्तर दिये गये अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 3502 के उद्धरणों को पढ़ देता हूं, उद्धरण इस प्रकार हैं :

> "(ख) क्या उत्तर बिहार के औद्योगीकरण के सदर्भ में, प्रकाशन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 'देश में खोई पर आधारित कागज मिलों की स्थापना के लिए उत्तर बिहार की स्थिति उत्तम है ।'
>
> "(ग) क्या यह सच है कि बिहार में गंगा के उत्तर का क्षेत्र अत्यधिक घना बसा हुआ है

और वहां प्रायः कोई उद्योग नहीं है और उसकी प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है।"

मंत्री महोदय, जो यहां मौजूद हैं, ने यह उत्तर दिया :

"(क) से (ग) तक : जी, हां। यह मान लिया गया है कि उत्तर बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है और वहां खोई पर आधारित कागज संयंत्र की स्थापना के लिए क्षमता उपलब्ध है।"

मैं आदरपूर्वक यह निवेदन करूंगा कि, व्यापक और गहन व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर, मेरी विनम्र राय में, जिस किसी ने भी यह प्रारूप तैयार किया हो, उसने उत्तर बिहार, विशेषकर उन चार जिलों, जहां चीनी मिल स्थित हैं, के अत्यधिक आर्थिक संकट की गुरुता को समझे बिना ही ऐसा किया है। यह उत्तर तो नित्यचर्या जैसा ही लगता है, जिसमें कोई दम नहीं है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं और जो अधिक महत्वपूर्ण भी है, यह है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार किए गए शोध-पत्र में जैसी सिफारिश की गई है, यदि उसके अनुसार उत्तर बिहार में कागज मिल स्थापित किए जाएं अथवा एक के बाद एक स्थापित किए जाने वाले कागज मिलों की कड़ी बना दी जाए, तो यह देश के सभी गन्ना उत्पादक राज्यों में कागज मिलों की स्थापना के लिए मार्गदर्शक अथवा अग्रदूत सिद्ध हो सकता है और -- मुझे नहीं मालूम कि इस देश में हर वर्ष कितने मूल्य का कागज आयात किया जाता है हम अखबारी कागज समेत कागज की सभी किस्मों के उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर बन जाएंगे, बल्कि यह भी संभव हो सकता है कि हम विश्व के विभिन्न देशों को कागज का निर्यात करने लगें। यही वह पहलू है जिसे मैं वास्तव में अधिक महत्व देता हूं।

अब, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, मैं प्रश्न में ही यह उल्लेख कर चुका हूं कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद, द्वारा प्रकाशित शोध-पत्र 'चौथी योजना के लिए औद्योगिक कार्यक्रम, बिहार', 1967 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था :

"देश में खोई पर आधारित कागज मिलों की स्थापना के लिए उत्तर बिहार का क्षेत्र बहुत उपयुक्त प्रतीत होता है।"

मेरी सूचना गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस शोध-पत्र के लिए, बिहार राज्य सरकार ने उक्त परिषद को 2 लाख रु० के लगभग शुल्क अदा किया। लेकिन, बिहार सरकार के प्रति पूरी सद्भावना के साथ, मैं दृढ़ता से यह कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार में किसी भी वर्तमान अधिकारी या तत्कालीन अधिकारी ने इस पुस्तक को पढ़ने की परवाह नहीं की है। वास्तव में, इस चूक के लिए मैं भारत सरकार को कोई दोष देना नहीं चाहूंगा। किन्तु, मैं आदर-पूर्वक आपका और विशेषकर मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1967 से भी पहले, भारत में चीनी कारखानों के पुनसंस्थापन और आधुनिकीकरण संबंधी समिति प्रतिवेदन (1965), जिसे गुण्डु राव समिति प्रतिवेदन कहा जाता है, में पृष्ठ 330-31 पर, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था :

"यदि कारखानों को खोई की जगह अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई किया जाए, तो उत्तर बिहार के चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित खोई ऐसे छः कागज कारखानों के लिए पर्याप्त हो सकती है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 100 टन की होगी।"

यह केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई गुण्डु राव समिति का प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन का क्या हुआ, इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा, अथवा यदि मंत्री महोदय कुछ कहने की स्थिति में हों, तो वह इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको शुरू में ही यह स्पष्ट कर दूं कि जहां तक बिहार या उत्तर प्रदेश का संबंध है, इस समिति के प्रतिवेदन और सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया। अतः बिहार सरकार भी केन्द्रीय कृषि तथा उद्योग मंत्रालयों के पदचिन्हों पर चलती रही है।

इससे पहले अवसर पर मैंने यह कहा था कि जनगणना आयुक्त ने, 1961 की जनगणना कार्यवाही के बाद, देश में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के स्तर का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया था, और उनके निष्कर्ष यह थे कि बिहार में, चार जिले, अर्थात् दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सरन और चम्पारन विकास के निम्नतम स्तर पर हैं। तब से अब तक दो दशक बीत चुके हैं। हो सकता है बेहतरी के लिए यहां-वहां कुछ परिवर्तन हुए हों, लेकिन मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि कुल मिलाकर स्थिति और बिगड़ गई है।

नेपाल और हमारे देश के बीच, 400 मील तक फैली हुई, एक ही सीमा है और इसके साथ वे सभी खतरे जुड़े हुए हैं जो एक सामान्य सीमा के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।

अब, कृपया सुनें कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में क्या कहा था :

"हिन्दुस्तान कागज निगम ने उत्तर बिहार में बेतिया के आस-पास स्थित चीनी मिलों से उपलब्ध किए जा सकने वाली खोई के उपयोग से अखबारी कागज बनाने वाला एक संयंत्र स्थापित करने की संभावना की छान-बीन की है और एक संभाव्यता-पूर्ण प्रतिवेदन भी तैयार किया गया है। चीनी मिलों को खोई के लिए अदा की जाने वाली रायल्टी और तेल-चालित बायलरों को कोयला-चालित बायलरों में परिवर्तित करने की लागत को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्ताव के आर्थिक पहलुओं का ब्यौरा तब तैयार किया जाएगा जब बायलरों के परिवर्तन और इस योजना के लिए उपलब्ध खोई की परिणामी मात्रा के बारे में राज्य सरकार की चीनी मिलों के साथ चल रही बातचीत को अन्तिम रूप दिया जाएगा।"

आप उद्योग मंत्रालय में अविलम्बिता की भावना, यदि ऐसी कोई भावना वहां है, का अनुमान इससे लगा सकते हैं : मंत्री महोदय जिस ढंग से आगे बढ़ना चाहते है, उस तरह तो उनके सपनों का पहला संयंत्र शायद 25 या 30 वर्ष बाद ही स्थापित हो पाएगा जब हमारी पीढ़ी के लोग इस दुनिया में नहीं होंगे। एक ब्राह्मण होने के नाते मैं मंत्री महोदय को आशीर्वाद देता हूं, वह दीर्घायु हों। लेकिन, उम्र अपनी कीमत अवश्य लेती है, समय अपनी कीमत लेता है—और मैं महसूस करता हूं कि अब से 30 वर्ष बाद वह शायद इतने वृद्ध हो चुके होंगे कि जब उनका नाता इस दुनिया की अपेक्षा दूसरी दुनिया से कहीं अधिक जुड़ा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप ब्राह्मण के रूप में मंत्री को आशीर्वाद देते हैं, तब क्या वह आपको कोई दक्षिणा देते हैं ?

श्री हरिनाथ मिश्र : यह बताना उनका काम है। अन्त में, मैं दक्षिणा की मांग कर सकता हूं अब सारी स्थिति पर विचार करते हुए, मैं एक व्यावहारिक सुझाव दे रहा हूं। मैं उनसे यह अनुरोध नहीं करता कि वह सुस्थापित मानकों को त्यागें। योजना आयोग के अनुसार, जहां विकास का स्तर निम्नतम है और निर्धनता चरम सीमा पर है, वहाँ उद्योग मंत्री के रूप में आपका यह अधिकार है कि आप न केवल योजनाएं ही बनाएं बल्कि उनको कार्यान्वित भी करें। यदि ऐसा है, तो हमें इस बात की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए कि ये मिल-मालिक राज्य सरकार के साथ बातचीत करने के लिए राजी हों और खोई की कुछ मात्रा देना स्वीकार करें ? आप इन मिलों को अपने अधिकार में लेकर इनको एक निगम में परिवर्तित क्यों नहीं कर सकते और, जैसी कि गुण्डु राव समिति द्वारा सिफारिश की गई है, प्रतिदिन 100 टन कागज बनाने वाले छः कागज मिल स्थापित क्यों नहीं कर सकते ? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वे उन्हें अपने अधिकार में नहीं लेंगे। वे तो सब कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप देंगे।

श्री हरिनाथ मिश्र : यही मेरा प्रश्न है।

राष्ट्रीय संदर्भ में मैं मंत्री महोदय तथा सदन के समक्ष और सदन के माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र को कुछ कहना चाहता हूं—आपको और जो लोग बिहार से नहीं, बल्कि देश के अन्य भागों से आए हैं उनको मेरी बात में रुचि होगी। मैंने अभी गुण्डु राव समिति प्रतिवेदन का उल्लेख किया था। मैं उस समिति के विचारार्थ विषयों में से केवल एक या दो विषयों का जिक्र करूंगा;

(क) ऐसे उपाय सुझाना जिनसे घाटे वाले एककों को किफायती एककों में बदला जा सके, अर्थात (1) संयंत्रों की पुनर्स्थापन और उनका आधुनिकीकरण करके, (2) ईंधन की खपत और सह-उत्पादों के उपयोग में किफायत बरतना आदि।

एक विद्यार्थी के रूप में, मैंने उस विषय में कुछ रुचि ली थी। भारत में चीनी उद्योग के बारे में इससे अधिक व्यापक, विस्तृत और पूर्ण प्रतिवेदन अभी तक मेरे देखने में नहीं आया है। समिति ने देश में — पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि करीब 15 राज्यों में स्थित ऐसे हरेक चीनी मिल का निरीक्षण किया। मैं अन्य भागों से संबंधित सिफारिशों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में समिति की सिफारिशों का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 20 मिनट का समय ले चुके हैं। यह मैं आपकी सूचना के लिए बतला रहा हूं, क्योंकि आप चेयनमैन के पेनल में हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : महोदय, जैसी आपकी आज्ञा हो। मैंने शुरू में ही आपको बतला दिया था कि जब आप चाहेंगे मैं तभी अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यह कहा है कि आप 20 मिनट ले चुके हैं । मैंने आपसे समाप्त करने के लिए तो नहीं कहा। चार सदस्य और भी हैं जो प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : शायद इससे उनको मदद मिले। मेरे भाषण से उन्हें सोचने और बोलने के लिए भी काफी मसाला मिल जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि आप उनके लिए कुछ छोड़ेंगे।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं उनके लिए यदि भोजन नहीं तो पर्याप्त पोषक तत्व अवश्य छोड़ दूंगा।

उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में समिति ने यह सिफारिशें की हैं ;

"उत्तरी क्षेत्र में खोई की बचत करने की संभावना और कागज उद्योग के लिए सेलुलोसिक कच्ची सामग्री का अध्ययन करने के बाद, समिति यह सिफारिश करती है कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पुराने मिलों के समूह के स्थान पर पूर्णतया नए एककों के पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा विस्तारण के लिए और खोई पर आधारितका गज निर्माण परियोजनाएं स्थापित करने की प्रक्रिया एक ही समय आरंभ करने के एक समेकित नीति अपनाई जाए ताकि आधुनिकीकृत एककों से बचायी गयी खोई स्वतः इन कागज संयंत्रों को उपलब्ध होती रहे। समिति इस पक्ष में है कि एक बार के उपयोग में समाप्त हो जाने वाली गन्ने जैसी कच्ची सामग्री पर विचार करते समय यह आवश्यक होगा कि सबसे पहले वैकल्पिक ईधन की अश्वस्त पूर्ति से संबंद्ध समस्याओं के समाधान के रूप में बचाए गए ईधन पर आधारित परियोजनाएं आरंभ की जाएं। खोई पर आधारित कागज तथा अन्य उत्पादों के लिए इस क्षमता का तेजी से उपयोग करने के वास्ते पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिए जाने चाहिए।

बचाई गई खोई के आधार पर, 100 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले तीन कागज कारखाने पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दो कारखाने पूर्वी उत्तर प्रदेश में और दो कारखाने बिहार में लगाए जा सकते हैं। तथापि, खोई के स्थान पर वैकल्पिन ईधन के वास्ते संतोषजनक और भरोसे योग्य प्रबंधों के आधार पर सभी क्षेत्रों में, खोई-आधारित कागज निर्माण परियोजनाओं की स्थापना के लिए बड़ी गुंजाइश है।

समिति यह समझती है कि खोई के उपयोग से बनने वाले कागज, बोर्ड आदि के उत्पादन के लिए कई योजनाओं को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 30,000 टन प्रति वर्ष अखबारी कागज की एक परियोजना के लिए भी लाइसेंस दिया गया है। किन्तु, ये योजनाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। समिति का सुझाव है कि प्राधिकारियों द्वारा विलम्ब के कारणों की शीघ्र जाँच की जाव ।"

प्रसंगवश, मैं आपको बता दूं कि समिति जहां कहीं भी गई, उसने प्रत्येक मिल के मामले में आधुनिकीकरण के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश की, और उन्होंने हर जगह यह सिफारिश की कि जितना संभव हो उतनी खोई बचाई जा सके और उसका उपयोग कागज मिलों को

चलाने के लिए किया जा सके। और फिर भी आज क्या स्थिति है ? इस देश में 95 प्रतिशत खोई का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। केवल 5 प्रतिशत का ही कागज की लुगदी के लिए प्रयोग किया जाता है। यह स्थिति है।

जब मैंने इस सभा के चालू सत्र में इस विषय पर एक प्रश्न किया, तो महोदय, क्या आपको मालूम है कि कृषि मंत्री से मुझे क्या उत्तर मिला ? वह उत्तर इस प्रकार है :

"यह प्रतिवेदन वर्ष 1965 से संबंधित है (यह 12 वर्ष पहले ही, 1968 में प्रकाशित हुआ था)। हालांकि, इस अवधि के दौरान यदि चीनी उद्योग का समय नष्ट होने और उसके विकास पर विचार किया जाए, तो बहुत सी सिफारिशें गुणात्मक रूप से आज भी मान्य हैं, फिर भी इस स्टेज पर सिफारिशों के कार्यान्वयन का सवाल नहीं उठता।"

इसका दूसरा भाग, यदि पहेली नहीं, तो अधिक दिलचस्प अवश्य है। इसमें कहा गया है :

"चूंकि प्रतिवेदन 15 वर्ष पहले का है, समय निकल जाने और संबंधित रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण, अब राज्यों में उन सिफारिशों के कार्यान्वयन का ब्यौरा देना संभव नहीं होगा।"

मैं गम्भीरतापूर्वक एक या दो प्रश्न करना चाहूंगा। समिति की नियुक्ति भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा की गई थी। हाँ, मंत्रालय इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। क्या मैं जान सकता हूं कि सिफारिशों के कार्यान्वयन का रिकार्ड किस तरह खो गया ? क्या किसी दुर्घटनावश ऐसा हुआ या मानवीय हाथों ने यह करामात दिखलाई ? क्या इस मामले की जांच की आज्ञा दी गई थी या कोई जांच की गई थी ? इन प्रश्नों के बाद, मैं यह बात सदन के विवेक पर ही छोड़ता हूं कि वह अपनी क्या राय बनाता है।

समाप्त करने से पहले, मैं अपने एक ऐसे मित्र के पत्र से उद्धरण देना चाहूंगा जिसने अपना सारा जीवन कागज उत्पादन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने में व्यतीत किया है। यह उद्धरण सुनने लायक है। यह इस तरह है :

'चूंकि नए वृक्षारोपण में करीब 10 वर्ष लग जायेंगे, इसलिए इस बीच की अवधि में हमें कागज मिलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या करना होगा ? हमें हालसन की यह बात माननी होगी कि हमें केवल चीनी मिलों की खोई पर ही निर्भर करना होगा क्योंकि यह तत्काल उपलब्ध है और कागज की लुगदी के लिए इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। देश में 250 चीनी मिल हैं जिनमें से बहुत से मिल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं। ये सभी मिल कुल मिलाकर 150 लाख टन गीली खोई का उत्पादन करते हैं। यह मात्रा बहुत अधिक है, जिसमें से 95 प्रतिशत का उपयोग आज चीनी मिलों के बायलरों में ईंधन के रूप में जलाकर किया जा रहा है। चूंकि छः टन गीली खोई से एक टन कागज बन सकता है, इसलिए उससे हर वर्ष 25 लाख टन कागज का उप्पादन करने की क्षमता प्राप्त हो सकती

है, जो देश की वर्तमान निर्धारित क्षमता से लगभग दो गुनी है और यदि इस स्रोत का उचित ढंग से लाभ उठाया जाए, तो देश के कागज की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति करने के लिए अगले दस वर्षों तक के लिए आसानी से एक विश्वसनीय स्रोत मिल सकता है और उस समय तक, जैसा कि सुझाव दिया गया है, 1990 के बाद देश की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिच वृक्षारोपण कार्यक्रम से बांस और इमारती लकड़ी उपलब्ध हो सकेगी।"

कहने की आवश्यकता नहीं कि अभी भी, यदि गुण्डु राव समिति की सिफारिकों में से अधिक से अधिक सिफारिशों को लागू किया जाए तो इससे न केवल सरकार को अधिक उपचार की प्राप्ति होगी, किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। खोई पर आधारित अनेक कागज मिलों की स्थापना करने में मदद मिलेगी—जिसके परिणामस्वरूप कुशल और अकुशल दोनों तरह के कामगारों के लिए रोजगार के मार्ग खुल जाएंगे - बल्कि एक तरह से देश, विशेषकर गन्ना उत्पादक क्षेत्र की शक्ल ही बदल जागगी। ध्यान में रखने वाली विशेष बात यह है कि जिस-जिस तरह का कामज इस समय हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है, उस कागज की विभिन्न किस्मों के उत्पादन में हमारा देश आत्म-निर्भर बन जाएगा।

'फलं कर्म च चित्तेशु न कश्चित सं प्रवर्तते।'

"यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उचित प्रोत्साहन के बिना, कोई भी उद्योग में नही लगना चाहेगा।"

समाप्त करने से पहले, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मेरी विनम्र लेकिन निश्चित राय में देश इस समय अपने बहुरंगे इतिहास के सबसे अधिक काले दौर से गुजर रहा है। की कड़ियाँ बिखर गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति का और निश्चित रूप से सदन के सदस्यों की भी अपने प्रति और देश के प्रति यह कर्त्तव्य है कि वह सम्पूर्ण देश को बनाए रखने के लिए और दूसरे, इस देश को प्रजातंत्र के रूप में फलने-फूलने देने के लिए और निस्वार्थ भाव से और बलिदान की भावना से काम करे। यह बात मैं इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कह रहा हूं कि आज राष्ट्रीयतावादी ताकतों के रूप में अनेक विघटनकारी ताकतें अपना जाल फैला रही हैं। इस परिस्थिति में, मैं यह महसूस करता हूं कि न केवल वह पार्टी जिससे मैं सम्बद्ध हूं, बल्कि सारे राष्ट्र के इस संकट की घड़ी में ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व प्राप्त है जो बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी अपने साहस, दूर-दृष्टि और धैर्य से काम लेने में बेजोड़ है। एक मां की तो बात ही क्या, यदि कोई और व्यक्ति होता तो वह, कुछ ही सप्ताह पहले उन पर विपत्ति का जो पहाड़ टूटा, उसके दबकर टुकड़े-टुकड़े हो गया होता। लेकिन वह हमें कैसी दिखती हैं?

महोदय, अब जब मैं उनके चेहरे को देखता हूं - हम सभी ने आज उनको देखा है - मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह विपत्ती के सम्मुख भी इतनी शान्त, स्थिर और गंभीर हैं; वह देश को जीवन और प्रकाश देने के लिए अपने जीवन की पूर्णाहुति दे रही हों। वास्तव हमें ऐसे नेता पर गर्व है, लेकिन सवाल यह है, क्या उन्हें भी हम पर गर्व हो सकता है? सभी को यह प्रश्न पूछना है और उसका उत्तर बना है। मैंने अपनी बात समाप्त कर ली है।

धन्यवाद।

महोदय, जब मैं उनका चेहरा देखता हूं–हम सबने आज उनका चेहरा देखा–मैं महसूस करता हूं कि संकट में भी उनका चेहरा इतना संयत, शान्त तथा सुदृढ़ दिखाई देता है, देश को नव-जीवन तथा नया प्रकाश देने के लिए वे दिन रात कठिन परिश्रम करके उन्होंने अपना जीवन काम में लगा दिया है। इसलिए हमें ऐसे नेता पर नाज होना चाहिए परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या वे हम पर भी नाज कर सकती हैं? हममें से प्रत्येक को यह प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए तथा उसका उत्तर ढूंढना चाहिए।

मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। (धन्यवाद)

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जो कि देश में कागज उद्योग के विकास के लिए अधिक हितकर है। कागज उद्योग अब तक वन-संसाधनों पर निर्भर रहा है, प्रसगवश हमारी चर्चा वास्तव में अब एक प्रमुख विषय पर आ गई है जो कि पारिस्थितिक संतुलन के अनुरक्षण से सम्बन्धित है और उसे देखते हुए हम वनों के विनाश के पक्ष में नहीं हैं तथा हम ऐसे किसी भी उद्योग के कतई पक्ष में नहीं हैं जो जंगल काटने पर आधारित हो।

माननीय सदस्य और सदन के अनुसार हमारा मंत्रालय इस पर बात-चीत कर रहा है और वास्तव में ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की सोच रहा हूं जो वाणिज्यिक वनों से सम्बद्ध हैं तथा कागज उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में वैकल्पियक संसाधनों के प्रयोग की योजना बना रहा है। इसके लिए किसी भी प्रकार के सुझावों का स्वागत है, इसलिए कागज के लिए कच्चे माल के रूप में खोई का प्रयोग करने के सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसका स्वागत है परन्तु उनके 9 जुलाई के दिन से एकदम आज पर आ जाने तथा कथनों की व्याख्या करने के विषय में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम माननीय सदस्य ने जो अन्तिम बात कही है वह यह है कि प्रोत्साहन क्या हो सकते है। उन्होंने कहा है कि जहां खोई का प्रयोग होता है वहां कागज के कारखानों को प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। अब मैं उन प्रोत्साहनों को बताता हूं जो सरकार ने खोई पर आधारित ईधन को कोयले पर आधारित चीनी कारखानों के लिए प्रयोग करने हेतु पहले से ही घोषित कर रखे हैं। आपस में एक दूसरे के सम्बन्धित होने से कारण यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

कागज के विनिर्माण हेतु खोई के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खोई पर आधारित कागज परियोजनाओं को लगाने के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु एक संवेष्ठित नीति उपायों की घोषणा की थी। इसमें जिन उपायों की घोषणा की गई थी वे निम्नलिखित हैं :

(एक) चीनी कारखानों के निकट कागज अथवा अखबारी कागज के कारखाने लगाये जाने के लिए सामूहिक चीनी कारखानों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(दो) निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा वर्तमान वाष्पियों से खोई निकालने के लिए :

(i) वर्तमान वाष्पित्रों में भाप बचाने के तरीकों को लगाना ताकि कागज के कारखानों को लगाये जाने के लिए अतिरिक्त खोई उपलब्ध हो सके।

(ii) वर्तमान वाष्पित्रों को कोयले से चलने वाले वाष्पियों में बदलना।

(तीन) कोयले से चलने वाले एक नये वाष्पित्रों की व्यवस्था करना। वाष्पित्रों में इस प्रकार के सुधार, परिवर्तन तथा बढ़ावा या बदलाव को कागज के कारखाने की कुल लागत के एक भाग के रूप में लिया जा सकता है।

(चार) वित्तीय संस्थाएं ऐसी योजनाओं को अनुकूल ऋण तुल्यता अनुपात के अनुसार जो कि इस प्रकार के निवेश के लिए उपलब्ध होगा, सहायता देने को प्राथमिकता देंगीं।

(पांच) चूंकि चीनी कारखानों को गन्ने की पिराई के मौसम में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोयले का संग्रह करना पड़ेगा इसलिए कोयले की ढुलाई, उसमें धन लगाने तथा कोयले का संग्रह करने के लिए चीनी कारखानों द्वारा जो धन लगाया जायेगा वह कागज के कारखानों को दी जाने वाली खोई के मूल्य से लगाया जायेगा।

आपके मामले में, अर्थात उत्तरी बिहार के मामले में, वास्तव में ढुलान का कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रोत्साहन और दूसरी चीजें हैं।

(छः) सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि वाष्पित्रों के बदले जाने तथा कोयले और चीनी के कारखानों के वाष्पित्रों की जगह खोई के वाष्पित्र लगाने के फलस्वरूप होने वाली मूल्य वृद्धि का संतुलन बनाये रखने के लिए, छपाई के कागज के कारखानों को प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए 75 प्रतिशत खोई के साथ-साथ उत्पादन शुल्क में छूट दी जा सकती है और उसके पश्चात फिर स्थिति की समीक्षा की जायेगी।

अन्त में, रेलवे चीनी कारखानों के लिए कोयले के ढुलान को प्राथमिकता देगा।"

ये प्रोत्साहन हैं। माननीय सदस्य ने उत्तरी बिहार के चार जिलों के मामले का विशेष उल्लेख किया है, माननीय सदस्य ने पुरानी रिपोर्ट की बात कही है, मैं उनका ध्यान हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा की गई जाँचों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो कि सबसे अधिक नई जाँचे हैं। हमने जब से हमारी सरकार शासन में आई है, कई बार बात चीत की है और जहां से यह छूट गया था उसे फिर से प्रारम्भ करने का प्रयास किया है। हमने बिहार सरकार से भी वर्तमान चीनी कारखानों के साथ चल रहे समझौते अथवा बात चीत को अन्तिम रूप देने के लिए अनुरोध किया है। जहां तक इसकी व्यावहारिकता का संबंध है, वहां इसकी व्यावहारिकता के अंश का कोई प्रश्न ही नहीं है। परन्तु व्यावहारिकता के साथ क्षमता जुड़ी हुई है अथवा जीवन क्षमता को उत्पन्न करने वाली क्षमता के लाभ-साधन की आवश्यकता भी जुड़ी हुई है। उसके लिए राज्य सरकार चीनी कारखानों से बात चीत कर रही है और हम इस सम्बन्ध में उनकी निश्चित सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मैं इस विशेष बात पर अर्थात् देश में कागज की मांग की वृद्धि पर अधिक जोर दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने वर्ष 1967 के राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसन्धान परिषद द्वारा किये गये अध्ययन का उल्लेख किया है, मैं सचमुच में निवेदन करता हूं कि इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा गुन्डु राव प्रतिवेदन से लेकर के राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसन्धान परिषद तक जो सुझाव दिए गये हैं, उनका सम्बन्ध है, वे इस मंत्रालय को भलीभाँति याद हैं और मंत्रालय पूरे विषय पर कार्य कर रहा है। अब जहां तक यह प्रश्न है कि वहां कितने संयंत्र लगाये जा सकते हैं, यह सब कुछ हमारे बीच चल रही बात-चीत के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिए जाने पर निर्भर करता है। यह इस पर निर्भर करता है कि क्या प्रस्तावित कागज के कारखानों के लिए कच्चे माल के रूप में उन कारखानों से खोई उपलब्ध हो सकेगी ? हो सकता है उस क्षेत्र में कुछ और कारखाने हों। माननीय सदस्य ने देश के दूसरे क्षेत्रों का उदाहरण दिया है। मैं सदन को इससे अवगत होने की अपेक्षा भी करूंगा कि ऐसी किसी भी योजना का जिसमें खोई पर आधारित कागज के कारखाने लगाये जाने हैं, हृदय से स्वागत किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे की सराहना करता हूं। ऐसा केवल अकेले उत्तर बिहार में ही नहीं है, निसन्देह यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां न केवल खोई पर आधारित कागज के कारखाने लगाये जाने ही अपेक्षित नहीं हैं अपितु हमें यह करना चाहिए कि हमें वहां वाणिज्यिक वन रोपण को भी बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र में वाणिज्यिक वन रोपण की अत्यधिक क्षमता है तथा वह केवल कृषकों के लिए ही लाभप्रद नहीं है अपितु कागज के कारखानों के लिए भी लाभदायक है। इसलिए जहां भी आप सामूहिक कागज के कारखाने लगा सकते हैं वहां आपको चीनी के कारखानों के लिए भी पोषण पदार्थ मिल जायेंगे। सरकार ने उनको ऐसे कारखानों को बढ़ावा देने के निर्णय की सूचना से भी अवगत करा दिया है। यह भी एक प्रकार का प्रोत्साहन ही है। मैं केवल माननीय सदस्य के साथ इस बात से सहमत ही नहीं हूं अपितु उनसे यह भी कह देना चाहता हूं कि मैंने लैटिन अमरीका में खोई पर आधारित कागज के 3 कारखाने देखे हैं खोई पर शत प्रतिशत कारखाने देखे हैं। हमारे देश में भी कागज के कारखाने ऐसे हैं जो केवल खोई पर आश्रित हैं। परन्तु ये कागज के छोटे कारखाने हैं। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सम्भाव्यता रिपोर्ट में खोई पर आधारित एक मध्यम श्रेणी के कागज के कारखाने को खोले जाने की सम्भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। माण्ड्या ही 10,300 वाला एक मात्र सबसे बड़ा कागज का कारखाना है और वह भी सबसे बड़ी श्रेणी का कारखाना नहीं है। अन्य दो छोटे कागज कारखाने हैं—परवन सहकारी पेपर मिल, जिला अहमदनगर और सरदार सहकारी पेपर मिल, महाराष्ट्र. ये कागज के छोटे कारखाने हैं।

खोई पर आधारित कागज मिलों की स्थापना के बारे में एक मुख्य प्रश्न है जिसका माननीय सदस्य ने एक समाधान सुझाया है और वह है कागज मिलों का राष्ट्रीयकरण। इससे इंकार नहीं किया जा रहा है किन्तु इससे पूर्व लाभप्रद कागज मिलों से खोई उपलब्ध की जा सके, इस संभावना का पता अवश्य लगाया जाना चाहिए। क्योंकि चीनी मिलों में खोई को बचाया जा सकता है और इसके लिए हमें ऐसे बायलर बनाने होंगे जो खोई से भी चल सकें तथा कोयले से भी चल सकें क्योंकि जहां तक बिहार का सम्बन्ध है वहां कोयले की ढुलाई की कोई समस्या नहीं है किन्तु यदि हम ऐसे चीनी मिल क्षेत्रों को कागज मिल क्षेत्रों में बदलने का प्रयत्न करते हैं जो

कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित हैं तो उनके मामले में यह उत्तम होगा कि हम वर्तमान बायलरों को ऐसा रूप दें जो कोयला तथा खोई दोनों से चलाये जा सकें। माननीय सदस्य ने जिस समिति का उल्लेख किया है उसकी एक सिफारिश यह थी कि वर्तमान चीनी मिलों से अधिक फालतू इँधन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये तथा उनके इँधन की व्यवस्था वहीं रखी जाये। एक सौ अथवा दो सौ टन के संयंत्र की स्थापना के लिये यह समाधान अधिक व्यावहारिक नहीं हो सकता।

मैं माननीय सदस्य को केवल यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं तथा उपयुक्त गति से कार्य कर रहे हैं ताकि देश में खोई पर आधारित कागज मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा सके तथा हम यह कार्य उत्तर बिहार से भी आरम्भ कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, कागज बनाने के लिए खोई एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मडिया नेशनल पेपर मिल, बल्लागुला ने खोई का उपयोग करके कागज बनाया है। इससे पूर्व यह मिल 70 प्रतिशत खोई और 30 प्रतिशत लम्बे रेशे की लुगदी का उपयोग करती थी। इस कारखाने में कुछ दिन हड़ताल रही तथा उसके बाद उन्होंने इसे लुगदी देना बन्द कर दिया। उस कारखाने ने तब एक प्रक्रिया विकसित की जिसका उपयोग करके उन्होंने केवल खोई से कागज बनाया। हमारे वैज्ञानिकों ने यह प्रक्रिया विकसित करली है और हर कोई इस बात को जानता है कि यदि इस प्रक्रिया को ठीक से अपनाया गया तो यह लाभप्रद रहेगी। किन्तु एक समस्या है। खोई का चीनी कारखानों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है जिसके बारे में मंत्री महोदय ने काफी कुछ कहा है तथा यह कहा है कि कोई अन्य प्रक्रिया विकसित की जा रही है तथा बायलर को गरम करने के लिये अन्य इँधन का उपयोग किया जायेगा।

महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में विशेषकर कुछ बातें कहना चाहूंगा जहां कोई औद्योगिक विकास नहीं है तथा अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार हैं। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बहुत चीनी खानें हैं तथा इसलिये वहां खोई की बहुतायत है। यदि खोई का उपयोग कागज बनाने के लिये किया जाये तथा हम वहां कागज मिल स्थापित करें तो दो लाभ होंगे। पहले इस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण होगा तथा बहुत से व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके पश्चात् मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह उस क्षेत्र का, जहां चीनी उद्योग है, सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करेंगे तथा क्या वह उन क्षेत्रों में खोई पर आधारित कागज उद्योग स्थापित करेंगे जिससे कि उस क्षेत्र से बेरोजगारी समाप्त की जा सके तथा देश के उस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करना आरंभ हो सके।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि सरकार ने उद्योग-धन्धों के विकास के सिलसिले में बिहार राज्य को बहुत ही उपेक्षित रखा है औरहै खास तौर से उत्तर बिहार को। 33 वर्षों की आजादी से हम गुजर रहे हैं, लेकिन उत्तर बिहार में नहीं के बराबर उद्योग-धन्धे हैं। यद्यपि वहां सम्भावनायें बहुत हैं और वहां के लोग गरीब भी बहुत हैं। पर-कैपिटा-इन्कम सबसे कम वहीं की है फिर भी सरकार का ध्यान उधर

नहीं गया और वहां की जनता भी बहुत धीरज से इनकी तरफ ताक रही है। वह धीरज कब तक चलेगा, उनको कुछ न कुछ करना होगा। तब शायद सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट होगा, यानी जन-आन्दोलन का सहारा अगर वहां की जनता ले, तब शायद सरकार सुने।

अभी हमारे देश में कागज की कमी का आलम यह है कि बच्चों को किताबें नहीं मिलतीं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों और कापियों को छापने के लिये जिस उजले कागज की जरूरत है वह हमारे यहां नहीं है। बाहर से मंगाना पड़ता है और अखबारी कागज की भी हमारे यहां कमी है, हमको आयात करना पड़ता है, जबकि हमारे देश में कागज मिलों की संम्भावनायें बहुत हैं। हम अपने देश को कागज के मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं और इसके लिए साधन हमारे यहां मौजूद हैं, जैसे बगासे, सवई की घास, बांस – इनसे कागज बनता है। आपने अभी सुना कि उत्तर बिहार में बगासे की कोई कमी नहीं है। स्वय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया और सरकारी रिपोर्ट भी स्वीकार करती है कि उसकी कमी नहीं है। सबसे आदर्श जगह बगासे के आधार पर कागज का कारखाना लगाने की यदि कोई है तो उत्तर बिहार ही है।

दक्षिण बिहार के बारे में भी आप जानते हैं, वहां विशाल जंगल है, साथ ही वहां घास भी बहुत पैदा होती है, लेकिन उधर भी कोई कारखाना नहीं है। एक कारखाना बाबा-आदम के जमाने का डालमियां नगर में है, डालमियां साहब का और वह भी मेरे ख्याल से ठीक से नहीं चलता है, तरह-तरह की समस्यायें वहां भी हैं, उसकी भी हालत गदरे-बूंद की सी है। ऐसी स्थिति में जाहिर बात है कि हमारे देश में कागज की कमी होगी।

अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी ने कागज के उद्योगपतियों से कहा था जून तक उन्हें 3 लाख 50 हजार टन कागज मुहिया करना चाहिए। मालूम नहीं इस समय क्या स्थिति है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने उनको जो आदेश दिया था या मशविरा दिया था, उसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है ?

कुछ साल पहले देश में 44 कागज के कारखाने थे, जिनमें अन्दाजा लगाया जाता था कि 7 लाख टन वार्षिक कागज का उत्पादन होगा। मुझे यह कई साल पहले की फिगर मिली है, मैं जानना चाहता हूं कि अब क्या स्थिति है ? इस समय कितने कारखाने हैं और उन कारखानों में कितने कागज का उत्पादन हो रहा है ? हमारे देश को कागज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी कितना समय लगेगा और कितने कागज की आवश्यकता होगी ?

उपाध्यक्ष जी, अब इन बातों को देखते हुए, मैं यह पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में अखबारी कागज की वार्षिक आवश्यकता कितनी होती है क्योंकि हम लोग इस बहस का सहारा लेकर यह भी जान लेना चाहते हैं कि तरो-ताजा स्थिति हमारे देश में क्या है क्योंकि कल सदन की बैठक समाप्त होने वाली है। अखबारी कागज की वार्षिक आवश्यकता हमारे देश में कितनी है और हम कितना कागज स्वयं पैदा कर रहे हैं अखबारों के लिए और कितना बाहर से मंगाते हैं और उसके लिए कितनी धनराशि हम खर्च करते हैं। ठीक इसी तरीके से पाठ्य-पुस्तकों के लिए, कापियों के लिए हम कितना कागज पैदा करते हैं अपने देश में, कितनी हमारी आवश्यकता है और कितना हमें बाहर से मंगाना पड़ता है और उस पर कितनी धनराशि खर्च करते हैं और क्या रफ्ता-रफ्ता हम बाहर से कागज आयात करने की मात्रा को कम कर रहे हैं या यह मात्रा

बढ़ती जा रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें बाहर से कागज न मिलने से हमारा सारा काम अस्तव्यस्त हो जाता है। फिर अभी तक बिहार में 33 साल तो आजादी के हो गये, क्या वजह है कि बिहार में कोई कागज का कारखाना नहीं है सिवाय डालमियां जी के कारखाने को छोड़ कर ? सरकारी क्षेत्र में या गैर-सरकारी क्षेत्र में क्यों नहीं अभी तक कोई और कारखाना बना पाए हैं. इसका क्या कारण है ? क्या भारत सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया या वहां की सरकार ने ध्यान नहीं दिया या उसने माँग नहीं की या इसके लिए निवेदन नहीं किया है, जिससे कोई भी कारखाना अभी तक वहां नहीं बन पाया है। ये मैंने कुछ सवाल रखे हैं और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इनका जवाब दें। उद्योग धंधों का जब सवाल आता है, तो जो जवाब मंत्री जी देते हैं, उससे हम बिहार के सदस्यों को बड़ी निराशा होती है। माननीय मित्र जी के सवाल के बारे में उन्होंने कुछ बातें कहीं हम चाहेंगे कि वे बिहार वालों को ठोस आश्वासन दें। आप कागज का कारखाना कब तक लगाना चाहते हैं ? अभी तो वहां पर कागज के कारखाने की ही बात है और अन्य कारखानों की बात तो हम बाद में करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, माननीय मित्र जी का जो प्रश्न था, उस प्रश्न का मूल रूप था :

"Industrial Programme for the 4th Plan of Bihar."

यह मूल प्रश्न था। इसको उत्तर बिहार और खोई से कागज के कारखाने लगाने के बारे में जोड़ा गया। मैं आपके माध्यम से जो बुनियादी चीजें हैं, उनको कहना चाहता हूं। जब हम आठवीं और नवीं क्लास में पढ़ते थे, तो हमें यह पढ़ाया जाता था कि कारखाना खोलने के लिए क्या चीजें चाहिएं। एक बुनियादी चीज यह है कि खोई से क्या कारखाना लगा देंगे, तो इसके बारे में मंत्री जी कह देंगे कि हम कारखाना लगा देंगे। सहरसा के बारे में कहा गया—सहरसा बिहार में है—कि वहां पर कागज का कारखाना सन् 1980 तक शुरू हो जाएगा। पता नहीं वह कारखाना शुरू होगा या नहीं ? डालमियां जी के सम्बन्ध में शास्त्री जी ने कहा था कि लास्ट टाइम वह बिल्कुल हड़ताल में चलता रहा। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ आपकी दृष्टि है या नहीं है ? जब आपकी दृष्टि औद्योगिक विकास की तरफ जाएगी, तो उसके साथ में बहुत सारे मामले जुड़ जायेंगे जैसे कि यातायात के साधन हैं या नहीं। तो उस प्वाइन्ट आफ व्यू से बिहार का प्रश्न उठाया गया है। नार्थ बिहार में आपके पास यातायात है, मोकामा से समस्तीपुर तक बड़ी लाइन है। फिर मामला उठेगा, रा-मेटीरियल्स का ? वे वहां उपलब्ध हैं। फिर मामला उठेगा लेवरर्स का, वे भी उपलब्ध हैं। बगल में नदी है, तो नदी है। तो ये जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, ये तो सारे वहां मौजूद हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पूछा जाएगा कि बिजली है वहां, तो कहेंगे कि नहीं है और दूसरी चीजें हैं, तो नहीं हैं। इस तरह से मेरा कहना यह है कि जब तक आप बेसिक चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक आप लाख कोशिश करें, आपके चाहने के बावजूद भी वहां का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए बिहार का जहां तक सम्बन्ध है, बिहार को आप दो भागों में बांटिये।

एक साउथ बिहार है, एक नार्थ बिहार है। नार्थ बिहार के सम्बन्ध में शास्त्री जी ने बतलाया कि वहां बांस की कमी नहीं है, लेबर की कमी नहीं है, रा-मेटेरियल की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी नार्थ बिहार के निवासी बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वहां के पिछड़ेपन से वहां के निवासियों में कभी भी ज्वाला भभक सकती है। उनकी अब तक बहुत उपेक्षा की गयी है आपका सेल का, कोल इन्डिया का हेड आफिस दिल्ली में है और इस्पात और कोयला वहां पैदा होता है। आज नार्थ बिहार की जितनी घनी आबादी है उतनी समूचे एशिया में नहीं है। वहां बिजली का कंजम्प्शन सब से कम है। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके लिए एक दृष्टि बनानी पड़ेगी।

आपके भागलपुर में सिल्क का कारखाना है। वहां बहुत से लोग लगे हुए हैं। जो जुलाहे उसमें काम करते हैं उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ रहा है, उनका विकास नहीं हो रहा है। उत्तर बिहार के विकास की सब से ज्यादा उपेक्षा की गयी है। सब से पहले आपको उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। पटना में रेल पुल, मुंगेर में रेल पुल, सुल्तानगंज में रेल पुल के सम्बन्ध में ब्रिटिश टाइम से सोचा जा रहा है लेकिन आज तक वहां पुल नहीं बने हैं। वहां जब रेल पुल बनेंगे तभी बिहार के दोनों भाग जुड़ेंगे। ये सारी समस्याएं वहां की हैं।

ठीक है मंत्री महोदय इंडस्ट्री के मंत्री हैं। आपके जिम्मे इंडस्ट्रीज का मामला है। लेकिन आपके ऊपर कागज की इंडस्ट्री लगाने का मामला तो है। मैं हाजीपुर से आता हूं जो कि पहले मुजफ्फरपुर का एक भाग था। वहां का केला, लीची और आम समूचे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात हैं। सोनपुर का मेला एशिया का सब से बड़ा मेला होता है। यदि आप सोनपुर को पर्यटक केन्द्र बना दें तो मैं आपसे कहता हूं कि अमेरिका तक के लोग वहां तरह-तरह के पशु, हाथी वगैरह: देखने के लिए आयेंगे। लेकिन सरकार की विकास करने की दृष्टि है ही नहीं। जो इलाके पिछड़े हैं उन्हें सरकार पिछड़ा ही छोड़ती जाती है और जो विकसित इलाके हैं उनमें रंगीन फव्वारे लगाये जाते हैं, रंगीन किस्म के टेलीविजन का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

कटिहार में जूट मिल है, वह बन्द पड़ा है, काम नहीं कर रहा है। सहरसा में चीनी का कारखाना 1980 तक खोलने का प्रपोजल था। बरौनी में पेट्रो केमीकल कारखाना बनाने की बात थी। फतुवा में स्कूटर का कारखाना चलाने की बात थी। ये सारी चीजें थीं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये कब तक खुल जायेंगे ?

मैं जहां से आता हूं वह उत्तर बिहार का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है। उसी में हमारा इलाका हाजीपुर है। वहीं वैशाली का इलाका है। वहां सबसे ज्यादा तम्बाकू होता है, घास भी है, ईख भी है। बिजली नहीं है। पिछली सरकार ने वहां छोटे-छोटे उद्योग धन्धे स्थापित करने की योजना बनायी थी। उस सरकार के खत्म होने के साथ ही जो नयी सरकार बनी, उस पर हमारा सीधा चार्ज है कि नयी सरकार के शासन काल में बड़े बड़े उद्योग धन्धे लगाओ और छोटे छोटे उद्योग धन्धे खत्म करो यह योजना चल रही है। जो उद्योग धन्धे पिछले दो-तीन सालों में

चलाने की बात शुरू की गयी थी उन्हें फिर से खत्म करने की योजना बनायी जा रही है। हाजीपुर में 89 छोटे उद्योग धन्धे का जो मामला था वह धीमी गति के कारण ठप्प पड़ता जा रहा है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बिहार के औद्योगिक दृष्टि से सर्वांगीण विकास का जो मामला है, जो इस क्वेश्चन का मेन परपज है, उसके बारे में वे क्या सोच रहे हैं? हसनपुर में और बहुत सी जगहों पर चीनी मिलें हैं वहां क्या आप ये कारखाने खोलने जा रहे हैं या नहीं? इसके अलावा वहां के सर्वांगीण औद्योगिक विकास की दृष्टि से आपके पास क्या योजना है? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेन संदर्भ में कागज उद्योग के लिए खोई का उपयोग करने की संभावनाओं का सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम पहले ही न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश अपितु ऐसे स्थानों के लिए यह काम कर रहे हैं जहाँ कागज मिलों की स्थापना के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहां गन्ना और चीनी मिलों के क्षेत्र हैं। एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि एक बार हम प्रेरित कर सकें,—यह केवल प्रोत्साहन का उपयोग करने का सवाल नहीं है,—चीनी मिलों को खोई पर आधारित बॉयलर के स्थान पर कोयले पर आधारित बॉयलर अथवा कोयला तथा खोई पर आधारित बॉयलर का उपयोग करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन के रूप में सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। यह एक महत्वपूर्ण बात होगी और हम इस समूचे मुद्दे को यथोचित महत्व दे रहे हैं।

खोई का उपयोग एक अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चीनी मिल मालिक महसूस करते हैं कि खोई के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है। हमें उन्हें खोई के आर्थिक पहलू के बारे में बताना होगा इसका ईंधन इतना कार्यक्षम नहीं है जितना कोयला है। कोयले से न केवल अधिक ईंधन मिलेगा अपितु इससे उद्योग का भी उत्पादन बढ़ेगा। इससे न केवल कागज उद्योग की स्थापना में सहायता मिलेगी अपितु बेहतर ईंधन का उपयोग करने से चीनी मिल संयंत्रों को भी सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए जैसा कि मैं आपको लातीनी अमरीका के बारे में बता रहा था, वस्तुतः वहां भट्टी तेल की कमी नहीं है, वे वास्तव में चीनी मिलों के लिए ऐसे बॉयलरों का प्रयोग कर रहे हैं जो भट्टी तेल पर आधारित हैं। इसलिए उनके पास ऐसी कागज मिलें हैं जो शत प्रतिशत खोई पर आधारित हैं।

वास्तव मे हमारे क्षेत्रों में विशेषज्ञों ने इस प्रकार के क्षेत्रों में प्रोडेक्ट मिक्स अथवा कच्चे माल के मिक्सर के विभिन्न किस्मों का सुझाव दिया है जो खोई पर आधारित होगा। इसकी शुरुआत 80 से 20 प्रतिशत, 80 से 15 प्रतिशत से होगी तथा क्या खोई को साफ्ट वुड के साथ मिलाना होगा। माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और यह हमारे ज्ञान में है कि विहार के दक्षिण में बांस की बहुतायत है। इसलिए इन चीनी मिलों को भिन्न ईंधन आधारित चीनी मिलों में बदलने के लिए और हमें कागज मिलों के लिए कच्चा माल दिये जान की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। हम इस पर जोरों से काम कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मंत्री महोदय को एक बात स्पष्ट करनी चाहिए क्या वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कागज उद्योग लगा रहे हैं क्योंकि वहां खोई बहुतायत से उपलब्ध है ?

श्री चरणजीत चानना : हम एक ही मिल की स्थापना नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारा प्रयास यथासंभव अधिक से अधिक कागज मिल लगाने का है। मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। यह संयोग की बात है कि आप सब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। हमारी सरकार वस्तुतः उस विशेष क्षेत्र के बारे में चिन्तित है क्योंकि वह क्षेत्र काफी उपजाऊ है परन्तु वहां निर्धन व्यक्ति बसे हुए हैं। हमें आपस में मिलकर उन उद्योगों के लिए यथा राजनीति के भाग के अतिरिक्त आर्थिक भाग के लिए कार्य आरम्भ करना चाहिए। मैंने सभी संसद सदस्यों को बुलाया है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे आपके क्षेत्र के लिए परियोजनाएं आरम्भ करने में हमारी मदद करें। आप जिस तरह से भी सहायता करना चाहते हैं हमें स्वीकार है।

शास्त्री जी ने कागज मिलों की स्थापना के अलावा अन्य कुछ प्रश्न पूछे हैं। जहां तक खोई की उपलब्धता का संबंध है, इसका कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि क्या खोई कागज मिलों के लिए उपलब्ध है या नहीं। यदि चीनी मिलें ईंधन के लिए खोई के अतिरिक्त अन्य ईंधन का उपयोग नहीं करती हैं तो खोई की उपलब्धता एक सैद्धान्तिक बात है, इसलिए सरकार ने चीनी मिलों को ईंधन के लिए खोई के स्थान पर कोयले का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिए हैं।

जून तक जो कागज हमारे पास आना था, पढ़ाई लिखाई के लिये, एजूकेशनल परपजेज के लिये जो हमको पेपर मिल ने प्रामिज किया था वह आ गया या नहीं, यह शास्त्री जी ने पूछा है। हाउस इस बात पर खुश होगा कि जो कागज हमको देने का उन्होंने प्रामिज किया था, वह पुरानी प्राइस पर हमको मिल गया है।

दूसरी बात आपने यह पूछी है कि कितने पेपर मिल कंट्री में हैं तो डिफरेन्ट साइज के 121 पेपर मिल हैं और उनकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 15 लाख 31 हजार 165 टन है। फिर आपने डिमांड का और प्रोडक्शन का जो गैप मांगा है, वह भी फिगर्स मैं आपको देता हूं :

वर्ष 1979-80 का उत्पादन 10.47 लाख टन था। वर्ष 1980-81 से 1984-85 के आंकड़े निम्न हैं :

वर्ष	अनुमानित मांग (लाख टनों में)	अनुमानित उत्पादन (लाख टनों में)	कमी अथवा (अतिरिक्त) (लाख टनों में)
1980-81	11.98	11.54	— 0.44
1981-82	12.82	12.96	+ 0.14 अतिरिक्त
1982-83	13.72	13.32	— 0.40
1983-84	14.68	13.44	— 1.24
1984-85	15.17	14.34	— 1.37

श्री राम विलास पासवान : एस्टीमेट गलत है, आपका 1982-83 में डिमांड्ज प्रोजेक्शन 15 लाख से कम नहीं होगा ।

श्री चरणजीत चानना : यह डिमांड्ज प्रोजेक्शन वैज्ञानिक फार्मूला पर आधारित है । राजनीतिक फार्मूला पर बिलकुल नहीं । अखबारी कागज की वर्तमान मांग 3.5 लाख टन है । देश में इसका उत्पादन 45,000 टन है । 3 लाख टन का जो अन्तर है उसका हम आयात कर रहे हैं । अखबारी कागज के आयात का मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है । माननीय सदस्य ने शिक्षा प्रयोजनों के लिए कागज की मात्रा के बारे में पूछा है । यह 80,000 से 1 लाख टन के बीच में है ।

श्री पासवान ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है । आपने इसके राजनीतिक भाग का उल्लेख किया है । मैंने एक उदाहरण सुना । आप गंगा पर पुलों के बारे में कह रहे है । आप यह नहीं चाहेंगे कि मैं यह कहूं कि आपको विरासत में आधा निर्मित पुल मिला था और आपने यह चाहा कि यह आधा निर्मित पुल ऐसे ही रहे । सभवतः माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम इसे बनायें ।

श्री रामविलास पासवान : मैं रेल पुल के बारे में कह रहा हूं ।

श्री चरणजीत चानना : जब हम बिहार और उत्तर प्रदेश और औद्योगिक रूप से पिछड़े अन्य क्षेत्रों के विकासीय योजनाओं की चर्चा करते हैं तो अधिक महत्वपूर्ण सवाल आधारभूत सुविधाओं का आता है । माननीय सदस्य जो परिवहन सुविधाओं, सड़क सुविधाओं, रेल सुविधाओं की जो चर्चा कर रहे हैं, वह सही है । माननीय सदस्यों को आधारभूत सुविधाओं के मामले में उत्पन्न रिक्तता के बारे में ज्ञात होगा जो हमें विरासत में मिली है । हम इसे दूर कर रहे हैं । हम देश की आधारभूत सुविधाओं को लाने का प्रयास कर रहे हैं ।

जहां तक औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का संबंध है, माननीय सदस्यों ने उद्योग संबंधी नीति वक्तव्य देखा होगा जिसे हम अत्यधिक महत्व दे रहे हैं । हमने पहिले ही राज्य सरकारों को हमें यह बताने के लिए कहा है कि यह परियोजनाएं क्या हो सकती हैं--हम उन्हें परियोजनाएं जिलावार देना चाहते हैं और जिले में क्षेत्रवार--जो व्यवहार्य होगा, तकनीकी उद्योग नहीं क्योंकि इस पर सरकार के विभिन्न विभाग जांच करेंगे परन्तु ऐसे व्यवहार्य उद्योग जो उन क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं ।

कागज संयंत्रों की स्थापना करके खोई का अधिकतम उपयोग करने के बारे में हम सदस्यों के सुझावों का सुझाव करेंगे । हम पहिले ही इस पर कार्य कर रहे हैं । यह उन क्षेत्रों के विकास का एक भाग है, हम इससे अधिक करने की योजना बना रहे हैं । हम राज्यों से किसी भी ऐसे सुझावों का स्वागत करेंगे जो औद्योगिक रूप से पिछड़े निर्धारित जिलों के विशेष संदर्भ में किसी भी प्रकार के उद्योगों की स्थापना करने के बारे में होगा । हम उन क्षेत्रों में विकास की दर बढ़ाना चाहते हैं ।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश है कि राज्य सभा ने सोमवार, 4 अगस्त, 1980 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक लेखा समिति में 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करे और सभापति के निदेशानुसार उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से सात सदस्य निर्वाचित करती है।"

(2) मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति के लिए राज्य सभा से निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित हुए हैं :

1. श्रीमती पूर्वी मुखोपाध्याय,
2. श्री एन. के. पी. साल्वे,
3. श्री तीर्थ राम आमला,
4. श्रीमती मैमना सुल्तान,
5. श्री पतितपावन प्रधान,
6. प्रो. रशीदुद्दीन खां,
7. श्री इन्द्रदीप सिन्हा।

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 4 अगस्त, 1980 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने के बारे में सहमत है और सभापति के निदेशानुसार उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से सात सदस्य निर्वाचित करती है।"

(2) मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में

उक्त समिति के लिए राज्य सभा से निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित हुए हैं :

1. श्री आर. रामकृष्णन,
2. श्री आर. आर. मोरारका,
3. श्री श्रीकान्त वर्मा,
4. श्री रामानन्द यादव,
5. श्री हरिसिंह भागुवावा महीदा,
6. श्री स्वामी दिनेश चन्द्र,
7. सुंदर सिंह भंडारी ।

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 4 अगस्त, 1980 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होने के कार्यकाल के लिये सम्मिलित होती है और उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को एकल संक्रमणी मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार निर्वाचित करती है।"

(2) मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा से निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित हुए हैं :

1. श्रीमती सरोज खापर्डे,
2. श्री जी. स्वामी नायक,
3. श्री रोशन लाल,
4. श्री भगवान दीन,
5. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब उन्नावी,
6. श्री संगदीपाल लेपचा,
7. श्री टी. आलिबा इमती,
8. श्री बी. डी. खोवर गड़े,
9. श्री शरीफ उद्दीन शरीक,
10. श्री गणपत हीराला भगत,

8-08 बजे म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 12 अगस्त, 1980/21 श्रावण, 1902 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।